विचार पत्रक (मॉड्यूल्स) सीमित उपयोग के लिये

सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम

1987

NIEPA DC
D03964

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली - 110016

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
6 - माल एवेन्यू, लखनऊ - 226001

मुद्रक : प्रेम प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ एवं सिंघल एजेन्सीज़, लखनऊ

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-3966 H
Date 18/9/87

विचार पत्रक (मॉड्यूल्स) अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विचार पत्रक (मॉड्यूल्स) संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	1	राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ...	1
2.	3	प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा ..	7
3.	4	शिक्षकों के लिए व्यावसायिक आचार-संहिता	13
4.	6	शैक्षिक विकास के लिए सामुदायिक प्रतिभागिता	21
5.	7	वंचित वर्गों के लिये समान अवसर का प्रावधान	28
6.	8	राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन	37
7.	9	मूल्यों की शिक्षा/नैतिक शिक्षा	44
8.	13	संस्था-योजना एवं व्यवस्था	52
9.	14	प्रभावी अधिगम के लिए अल्प व्ययी साधन	60
10.	15	जन माध्यम का प्रयोग	65
11.	18	स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा	72
12.	20	कला की शिक्षा	79
13.	23	सामान्य शिक्षा में विज्ञान का अध्यापन	87
14.	26	स्काउट एवं गाइड, नियोजन एवं संचालन	94
15.	29	विद्यालय-संकुल	103
16.	30	विद्यालय में खेलकूद तथा पाठ्य सहगामी क्रिया-कलापों का आयोजन ..	111
17.	32	अध्यापक-स्व-मूल्यांकन	119

प्रारम्भिक स्तर

18.	2	"प्रोग्राम ऑफ एक्शन" का कार्यान्वयन	131
19.	5	प्राथमिक स्तर पर छात्रों के प्रवेश और उनकी पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहन देना	139
20.	10	बढ़ता बच्चा—उसकी आवश्यकताएँ और समस्याएँ	144
21.	11	नए पाठ्यक्रम के ढांचे में छात्र केन्द्रित उपागम	149
22.	12	प्राथमिक विद्यालयों में बहुकक्षा-शिक्षण	157

क्रम संख्या	विचार पत्रक (मॉड्यूल्स) संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
23.	16	प्रारम्भिक चरण में निरन्तर व्यापक मूल्यांकन	164
24.	17	कार्यानुभव	169
25.	19	जनसंख्या-शिक्षा, प्राथमिक स्तर	175
26.	21	अवर प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा (प्रथम भाषा)—शिक्षण	180
27.	22	पर्यावरण अध्ययन	187
28.	24	प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को गणित के नए पाठ्यक्रम के लिये प्रशिक्षित करना ..	193
29.	25	अंग्रेजी शिक्षण और अंग्रेजी सीखना	200
30.	—	नयी दृष्टि एवं नई दिशायें	207
31.	—	विद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यानुभव तथा खेलकूद कार्यक्रमों के मूल्यांकन की व्यवस्था	215
32.	—	प्रारम्भिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा—विज्ञान किट का उपयोग ..	231
33.	—	परिषदीय विद्यालयों के रख-रखाव की व्यवस्था	277
34.	—	दस दिवसीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण शिविर समय सारिणी	280

प्रारम्भिक एवं माध्यमिक दोनों स्तरों के अध्यापकों के लिए

मॉड्यूल–1

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

इस मॉड्यूल का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताओं को समझने तथा इसके क्रियान्वयन में आपके योगदान को समझने में आपकी सहायता करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश की शिक्षा के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु है। भारत में आवश्यक शिक्षा सुधारों के विषय में इस नीति से बड़ी अपेक्षाएँ हैं।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल का अध्ययन करने के बाद आप—

–राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिन्दुओं को जान सकेंगे,

–इसके क्रियान्वियन में शिक्षकों के योगदान के महत्त्व को समझ सकेंगे,

–इससे संबंधित चर्चाओं में भाग ले सकेंगे,

–शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से मूर्त करने के लिए पाठ्यक्रमीय और सहपाठ्यक्रमीय क्रियाकलापों की योजना बना सकेंगे,

–इसके क्रियान्वयन में समाज की सक्रिय सहभागिता प्राप्त करने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठा सकेंगे।

परिचय

यह मान लिया गया है कि शिक्षा सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय काम है और देश द्वारा किये जाने वाले किसी भी कार्य की रीढ़ है। अन्य व्यवस्थाओं की भाँति ही हमारी शिक्षा-व्यवस्था को भी नियमित रूप से रख-रखाव और सुधार की जरूरत है। कोई भी व्यवस्था सदा एक सी नहीं रहती। उसे समय, विकास तथा नई तकनीकी खोजों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है।

भारत में शिक्षा में समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं, किन्तु यह पर्याप्त रूप से वास्तविक नहीं बन पाई है, और न ही लोगों के जीवन की आवश्यकताओं से जुड़ पाई है। जो भी परिवर्तन हुए वे जहाँ-तहाँ हुए हैं, न ही उनके ठीक से क्रियान्वयन के लिए कोई विचारपूर्वक योजना बनायी गयी। अतः अब तक यानी 1986 तक शिक्षा की समस्त उपलब्धियों और असफलताओं को, देश की वर्तमान राजनैतिक और सामाजिक स्थितियों, विशेषकर समाज के विभिन्न वर्गों में व्याप्त विषमताओं/असमानताओं तथा बड़ी तेजी से होने वाले वैज्ञानिक तकनीकी विकास के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय परिवर्तनों को ध्यान में रखकर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है।

प्रमुख विशेषताएँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्रीय शिक्षा की दृष्टि एवं दिशा-निर्देश का प्रावधान है

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य केवल अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराना ही नहीं है, बल्कि शिक्षा में पर्याप्त गुणात्मक सुधार लाना भी है। इस नई शिक्षा नीति से समाज के प्रत्येक उपेक्षित वर्ग को लाभ पहुँचेगा। आदि-

वासी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में और विशेषतया समाज के उन वर्गों में,जो अब तक वर्तमान शिक्षा सुविधाओं से वंचिचिसंचित रहे हैं, विशेष प्रयत्न करने का इरादा है। शिक्षा की इस सुधरी हुई गुणात्मक नई नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से एक ललक्ष्लक्ष्य हमारे समाज में स्वावलंबी, अधिक उत्पादन करने वाला, अधिक क्षमतावान् और अधिक विचारवान् नागरिक उत्पन्न ककरंकरने का होगा।

सामाजिक साझेदारी

नई शिक्षा नीति में शिक्षा-कार्य में समाज के योगदान पर बहुत बल दिया गया है। शिक्षा के लिए यह बहुत महहत्त्व्हत्त्व-पूर्ण बात है। यह अभिभावकों, विभिन्न विकास कार्यों में लगे संस्थानों, शिक्षकों और उनमें नियुक्त-कर्ताओं के योगवदागदान को प्रमुखता देती है। फलस्वरूप विद्यालयों और समाज के घनिष्ट संबंधों से विद्यालय से अनुपस्थित रहने वाले और विवद्यावेद्या-लय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आयेगी, शिक्षा की प्रासंगिकता में सुधार होगा और विद्यालयों को समाजज केज के अधिक से अधिक संसाधन प्राप्त हो सकेंगे। इससे शैक्षिक संस्थाओं को ठीक से चलाने में मदद मिलेगी, परन्तु अभीष्ट दिदिशदिशा में उन्नति करने में शिक्षा में स्थानीय राजनीति की दखल देने की इजाजत नहीं देनी चाहिए।

विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का प्रावधान है। पूरे देश के लिए 10+ 2+ 3 के शैक्षिक ढांचे को बिनबिना किसी अपवाद के अपनाया जायेगा। दस वर्षीय विद्यालयीय शिक्षा में पाँच वर्षीय प्राथमिक शिक्षा, तीन वर्षीय उच्च प्राथ्माथ-मिक शिक्षा और दो वर्षीय माध्यमिक शिक्षा के स्तर होंगे। पूरे देश के लिए सामान्य कोर-पाठ्यक्रम अपनाया जायगा गा। इस सामान्य पाठ्यक्रम के आधार पर उपयुक्त पाठ्यपुस्तकें तथा अन्य शैक्षिक सामग्री तैयार की जायगी ताकि विद्यार्थियर्थियों के अंतर्राज्यीय स्थानान्तरण में कोई भारी अड़चन पैदा न हो तथा राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा हो सके। इस सामान्मान्य राष्ट्रीय पाठ्यक्रम से देश के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की शैक्षिक संस्थाओं में व्याप्त स्पष्ट दिखायी देने वाली वर्तमान असअस-मानताएँ कम होंगी तथा वर्ग-गत सामाजिक ढाँचे में विद्यमान असमानताएँ भी कम होंगी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम से सभी स्तरंतरों पर शिक्षार्थियों की पूर्व निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक उपलब्धियाँ संभव हो सकेंगी। इसके अतिरिक्त उनमें संविधान में व्यक्यक्त आधारभूत प्रवृत्तियों और मूल्यों का विकास भी किया जा सकेगा। यही नहीं इसमें राष्ट्रीय चिंतन भी प्रतिबिंबित है जो कि राष्ट्र का, राज्यों का और उनमें रहने वाले सभी वर्गों, जातियों का मुख्य लक्ष्य हैं। इससे राष्ट्रीय मूल्यों का और भावाव-नात्मक, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का विकास होगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के आधारभूत सारांश नीचे प्रस्तुत हैं :—

—व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्यों की संप्राप्ति पर और संविधान में व्यक्त मूल्यों पर बल।

—विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय संसाधनों का विकास।

—प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों के सभी शिक्षार्थियों के लिए व्यापक आधार वाली सामान्य शिक्षा का प्रावधान न।

—पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए शिक्षक-केन्द्रित विधि के स्थान पर शिक्षार्थी-केन्द्रित दृष्टिकोण,

—विषयवस्तु तथा अधिगम-अनुभवों के चयन में लचीलापन, जिससे अनिवार्य अधिगम प्रतिफलों को प्राप्त करने में में सुविधा रहे।

—अधिगम प्रविधि चाहे कोई भी हो, उसके द्वारा पाठ्यक्रम सभी प्रकार के शिक्षार्थियों पर लागू हो सके।

—सभी विद्यालयों/अनौपचारिक शिक्षा-केन्द्रों में पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए आवश्यक भौतिक औऔर सहज उपलब्ध शैक्षिक संसाधनों का प्रावधान।

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के स्वरूप को व्यक्त करने वाले ये बिन्दु राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख उद्देश्यों, उसके आधारभूतभूत अंगों और पाठ्यक्रम गठन पर प्रकाश डालते हैं। इन अपेक्षित अधिगम बिन्दुओं तथा शिक्षण की सामान्य योजना पर आधा-रा-रित ऐसा पाठ्यक्रम कोर-करीक्यूलम कहलाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा के ढाँचे में नीचे लिखी सामान्य शिक्षण योजना का सुझाव दिया गया है :—

–भाषा–प्राथमिक स्तर पर एक भाषा तथा उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर तीन भाषाएँ,

–गणित

–पर्यावरण–अध्ययन (विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान),

–कार्यानुभव/समाजोपयोगी उत्पादक कार्य/व्यवसाय-पूर्व कोर्स,

–कला-शिक्षा,

–स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा।

शिक्षा की इस सामान्य योजना के अतिरिक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सम्बन्धी कुछ सामान्य बातों का भी सुझाव दिया गया है, जैसे :—

"राष्ट्रीय शिक्षा-व्यवस्था एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के ढाँचे पर आधारित होगी। इसमें अन्य बातों के अलावा कुछ ऐसे सामान्य बिन्दु भी सम्मिलित हैं। इस सामान्य पाठ्यक्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, संवैधानिक अपेक्षाएँ और राष्ट्रीय अस्मिता से संबंधित अन्य विषय होंगे।

पाठ्यक्रम में इन सामान्य बिन्दुओं को सम्मिलित करने के पीछे विचार यह है कि इनके माध्यम से सभी शिक्षार्थियों में राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय मूल्यों का विकास किया जा सकेगा।

समानता के लिए शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में असमानताओं को दूर करने पर और जिन लोगों को अभी तक शिक्षा के समान अवसर नहीं मिले हैं, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनके लिए समान शिक्षा के अवसर प्रदान करने पर विशेष बल दिया गया है।

(क) महिलाओं के लिए समान शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में महिलाओं की दशा को सुदृढ़ करने के लिए सकारात्मक कदम उठाये गये हैं। महिलाओं की स्थिति में आधारभूत परिवर्तन के लिए शिक्षा का उपयोग होगा। विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं की शिक्षा में उन्नति की जायगी और शैक्षिक संस्थाओं को उनके विकास के लिए क्रियात्मक कार्यक्रम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जायगा। महिलाओं की निरक्षरता को दूर करने, उनकी शिक्षा के मार्ग में बाधाओं को दूर करने तथा प्राइमरी शिक्षा को बनाये रखने के कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायगी। यह कार्य विशिष्ट सहायक सेवाओं और प्रभावशाली प्रबंध द्वारा किया जायगा।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा

जो लोग मैला उठाने, खाल उधेड़ने और चमड़ा कमाने के काम में लगे हैं, उनके बच्चों को कक्षा 1 से आगे तक मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति देने की योजना है, चाहे उनके परिवार की आमदनी कुछ भी हो। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े सभी वर्गों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लोगों को समुचित प्रोत्साहन देने की सिफारिश की गई है।

अनुसूचित जातियों के बच्चों की आगे की शिक्षा का भविष्य सुधारने के लिए और उन्हें रोजगार दिलाने के लिए उपचारात्मक पाठ्यक्रम बनाये जायँगे। उनके लिए छात्रावास की सुविधाएँ दी जायँगी। इस कार्य के लिए अनुसूचित जातियों से ही शिक्षक नियुक्त किये जायँगे।

अनुसूचित जातियों के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए तथा उन्हें विद्यालय में बनाये रखने के लिए और सफलतापूर्वक पढ़ाई पूरी करने के लिए, योजना बनाकर निरंतर देखभाल की जायगी।

अनुसूचित जातियों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सभी प्रकार के संसाधन, जैसे एन० आर० ई० पी० पी० तथा आर० एवं ई० ई० पी० उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ग) अनुसूचित जन-जातियों के लिए शिक्षा

—आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोलने के काम को प्राथमिकता दी जायगी।

—आदिवासियों के विभिन्न वर्गों के विशेष सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, शिक्षशिक्षा के प्रारंभिक वर्षों के लिए विशेष शैक्षणिक सामग्री बनायी जायगी, जिसे बाद में क्षेत्रीय भाषाओं में रूपांतरिरितरित करने का प्रबंध किया जायगा।

—अनुसूचित जातियों के शिक्षकों की भाँति ही, जन-जातियों की शिक्षा के लिए आदिवासी जातियों में से ही युवकवक शिक्षक भरती किये जायेंगे।

—अनुसूचित जन-जातियों के बहुत से बच्चों के लिए छात्रावासीय सुविधा, विद्यालय में उपचारात्मक पाठ्यक्रम तथतथा प्रोत्साहन की सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी ताकि वे देश की मुख्य धारा के स्तर तक पहुँच सकें।

(घ) विकलांगों के लिए शिक्षा

विकलांग बच्चों के लिए जिले के केन्द्रीय स्थान पर छात्रावास की सुविधाओं से युक्त विशेष विद्यालय खोले जायेंगे गे। इनको व्यावसायिक शिक्षण देने के लिए उपयुक्त प्रबंध किये जायेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन शिक्षकों के लिए प्रशिक्षि-क्षण कार्यक्रम तैयार करने पर विशेष बल दिया गया है, जो विकलांगों की विशिष्ट कठिनाइयों से संबंधित कार्य में लगे हैं।हैं। मामूली विकलांग बच्चों की दूसरे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जायगी।

(ङ) व्यावसायिक शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक व्यवस्थित, सुनियोजित और सघन कार्यक्रम से संपन्न व्यावसायिक शिक्षा प्रस्तावितवित की गयी है। इस सबसे व्यक्ति को रोजगार-क्षमता को बढ़ाने का इरादा है। व्यावसायिक शिक्षा एक बिलकुल अलगग योजना होगी और इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को किसी चुने हुए व्यवसाय के लिए तैयार करना है। ये पाठ्यक्रम विद्यालयीयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर प्रारम्भ किये जायेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह प्रस्तावित हैं कि व्यावसायिक शिक्षाक्षा सन् 1990 तक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 10% छात्रों तक तथा सन् 1995 तक 25% छात्रों तक पहुँचँच सके।

(च) कार्यानुभव की शिक्षा

ऐसा माना गया है कि "कार्यानुभव" शिक्षा के एक अभिन्न अग के रूप में उद्देश्यपूर्ण तथा सार्थक शारीरिक कार्य है,है, जिसकी परिणति उत्पाद (समाज) में या समाजोपयोगी सेवा में होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात की सिफारिश श की गई है कि निम्न माध्यमिक स्तर पर पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम बनाये जायें ताकि उच्च माध्यमिक स्तर पर र व्यावसायिक पाठ्यक्रम चुनने में आसानी हो।

(छ) खेल और शारीरिक शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह सिफारिश की गई है कि खेल और शारीरिक शिक्षा भी अधिगम-प्रक्रिया यानी पढ़ाई का अभिन्न अंग है। विद्यार्थी की शैक्षिक संप्राप्ति के मूल्यांकन के साथ ही इसका भी मूल्यांकन होगा। शिक्षा-व्यवस्था में शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद की शिक्षा का एक सुदृढ़ राष्ट्र-व्यापी ढाँचा बनाया जायगा। खेल-कूद में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उचित प्रोत्साहन दिया जायगा।

(ज) मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा-पद्धति में सुधार

शिक्षा नीति में इस बात की जोरदार सिफारिश की गई है कि परीक्षा में कोरी तुक्केबाजी और व्यक्ति-निष्ठता के अवसर न दिये जायँ। शिक्षा नीति में शैक्षिक और शैक्षिकोत्तर शिक्षा दोनों ही पक्षों के निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन की व्यवस्थ की सिफारिश की गयी है ।

(झ) शिक्षकों का दायित्व

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में शिक्षकों का दायित्व कई गुणा बढ़ गया है। इसमें शिक्षक वर्ग में पूर्ण विश्वास प्रकट किया गया है। शिक्षा के पुनर्गठन के किसी कार्यक्रम को चलाने में शिक्षक प्रमुख घटक हैं। "शिक्षक" शब्द में शिक्षा-संस्थानों के प्रमुख, औपचारिक शिक्षा में संलग्न पूर्णकालिक शिक्षक और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के शिक्षक शामिल हैं। जहाँ तक हमारे शैक्षिक संस्थानों के पूर्णकालिक शिक्षकों का संबंध है, इनका प्रमुख कार्य न केवल कक्षा कार्य द्वारा अपितु व्यक्तिगत संपर्क तथा कई अन्य तरीकों से भी विद्यार्थियों को पढ़ाना और उनका दिशा-निर्देशन करना भी है।

जिन बड़े-बड़े क्षेत्रों में शिक्षकों की सहभागिता अत्यन्त उपयोगी होगी, वे ये हैं :—

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में योगदान देना, तत्संबंधी विधान/प्रक्रियाएँ तथा निकष (कसौटियाँ) बनाना और नीति के क्रियान्वयन की देखभाल करना,
2. नीति निर्धारण में तथा केन्द्रीय सलाहकार शिक्षा समिति, जिला शिक्षा समिति और ग्राम शिक्षा समिति जैसी प्रबंध-कारिणी समितियों में भाग लेना,
3. शैक्षिक संस्थानों की शिक्षा-व्यवस्था में सुधार हेतु विशिष्ट और सामान्य समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के उद्देश्य से शैक्षिक-संगठनों से ताल-मेल करना।

देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि शिक्षक उल्लिखित कार्यों को प्रभावशाली ढंग से तभी कर सकते हैं जब उनके पद-स्तर, सेवा की शर्तों और उनकी व्यावसायिक दक्षता को सुधारने के लिए सेवा-रत शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम पर समुचित ध्यान दिया जाय। इस दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह निदेश है :—

–शिक्षक अपने कर्तव्य के प्रति जवाबदेह होंगे, उनकी परिस्थितियों में सुधार लाया जायगा,

–बेहतर सुविधाओं और सेवा-शर्तों का प्रावधान,

–शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उचित तरीकों का प्रावधान,

–सेवा-पूर्व प्रशिक्षण और सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार।

इस प्रकार नई शिक्षा नीति में हमारे समाज में शिक्षकों को उचित सामाजिक पद-स्तर प्रदान करने पर तथा इसके एवज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने का दायित्व संभालने पर बल दिया गया है। सृजन-शील शिक्षक ही संप्रेषण और समाज की आवश्यकताओं से संबंधित क्रियाकलापों की उपयुक्त एवं नई-नई विधियों की खोज कर सकता है।

प्रस्तावित क्रियाकलाप

राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी चर्चाओं में भाग लेने में उन्हें उत्साहित करने के लिए नीचे लिखे प्रश्न पूछे जायँ:—

–राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने हेतु समाज का पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त करने के लिए आप क्या कदम उठायेंगे ?

–अपने विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं की कमी की समस्या को दूर करने के लिए आप कौन से नये तरीके अप-नायेंगे ?

–क्या वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक अपने उत्तरदायित्वों को पूरी तरह से निभा पा रहे हैं ? आप इस विषय में क्या सोचते हैं ?

–सेवा-रत शिक्षकों के प्रशिक्षण की वर्तमान व्यवस्था के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है ? क्या यह प्रत्येक शिक्षक को प्रशिक्षित होने का अवसर प्रदान करती है ? यदि नहीं, तो इस दिशा में आप अपनी राज्य सरकार को क्या सुझाव देंगे ?

–आप अपने राज्य के लिए पाठ्यक्रम निर्माण करने, शैक्षिक सामग्री आदि तैयार करने के काम से, अपने को कैसे जोड़ेंगे ?

–विद्यार्थियों की शैक्षिक संप्राप्ति के मूल्यांकन की वर्तमान व्यवस्था में सुधार लाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे ? अपने छात्रों में उपयुक्त मूल्यों के विकास हेतु आपने विद्यालय में समय-समय पर क्या क्रियाकलाप आयोजित कराये हैं ?

●

मॉड्यूल–3

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा

सिंहावलोकन

स्कूल पाठ्यक्रम राष्ट्रीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से उत्पन्न होने वाले शैक्षिक लक्ष्यों की पूर्ति का एक साधन होता है। समय के साथ-साथ इन राष्ट्रीय आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं में परिवर्तन होता जाता है। अतः यह स्वाभाविक है कि स्कूल के पाठ्यक्रम में भी समय के साथ उभरते हुए राष्ट्रीय लक्ष्यों को ध्यान में रख कर परिवर्तन किया जाये।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संदर्भ में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार की गई है। जैसे-जैसे आप इस प्रारूप मॉड्यूल को पढ़ेंगे, आपको स्कूल पाठ्यक्रम तथा शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्यों के सम्बन्ध का ज्ञान होता जायेगा। आपको यह भी समझ में आ जायेगा कि समय-समय पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन अथवा सुधार की आवश्यकता क्यों होती है। यह भी सम्भव है कि आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति '86 में सुझाई गई स्कूल-शिक्षा की विषय वस्तु तथा उसकी शिक्षण प्रणाली का भी समुचित ज्ञान हो जाये।

शैक्षिक कौशल के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या महत्त्व है, यह भी यहाँ बताया गया है। अन्ततोगत्वा शिक्षक ही वह प्राणी है, जो पाठ्यक्रम के लक्ष्यों तथा विषयवस्तु को एक महत्त्वपूर्ण अर्थ प्रदान कर सकता है। अतः यह आवश्यक है कि आपको राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के महत्त्वपूर्ण अंशों का समुचित ज्ञान हो। इस मॉड्यूल द्वारा आपको यही बताने की चेष्टा की गई है।

उद्देश्य

इस प्रारूप को पूर्णतः पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित बातें समझ सकेंगे :—

–पाठ्यक्रम का सही अर्थ,

–राष्ट्रीय लक्ष्यों तथा स्कूल पाठ्यक्रम का सम्बन्ध,

–राष्ट्रीय तथा शैक्षिक लक्ष्यों का सम्बन्ध,

–समय-समय पर स्कूल पाठ्यक्रमों में परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता,

–राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता,

–राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का आवश्यक ज्ञान, विषयवस्तु और शैक्षिक कौशल के लिए महत्त्व तथा शैक्षिक आदान-प्रदान में शिक्षक की भूमिका।

1. राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सम्बन्धी लक्ष्य : शैक्षिक तथा राष्ट्रीय लक्ष्य

पाठ्यक्रम का स्वरूप—एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में तथा कक्षा के बाहर भी शैक्षिक आदान-प्रदान में अपना समय व्यतीत करते रहे हैं। शायद कभी आपने यह भी सोचा होगा कि आप अपने छात्रों के साथ इन कार्यकलापों में व्यस्त क्यों रहते हैं। अनेक योजनाबद्ध कार्य-कलापों की भाँति शिक्षक के भी कुछ लक्ष्य होते हैं। इन लक्ष्यों को यों ही निश्चित नहीं कर लिया जाता। यह सभी लक्ष्य शिक्षक के उन लक्ष्यों पर आधारित होते हैं, जिन्हें विकास तथा उन्नति के लिए समाज

द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन भी स्कूल के पाठ्यक्रम में परिलक्षित होते हैं।

कार्यकलाप–1

उन सभी क्रियाओं की सूची बनाइये जिन्हें आप अपने छात्रों के लिए कक्षा में आयोजित करते हैं। उन क्रियाओं की भी सूची बनाइये जिन्हें आप अपने छात्रों के लिए कक्षा के बाहर आयोजित करते हैं।	एकत्र कीजिये मिलान कीजिये चर्चा कीजिये

इस संदर्भ में आपको जो उत्तर प्राप्त होंगे, उनके आधार पर हमने कुछ ऐसे क्रियाकलाप तैयार किये हैं जिनका उपयोग आप अपने छात्रों के लिए कर सकते हैं। क्या आप इन क्रियाकलापों को कोई एक नाम दे सकते हैं? यदि आपका उत्तर है "पाठ्यक्रम", तो यह बिल्कुल ठीक है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पाठ्यक्रम का सम्बन्ध उन सब क्रियाओं तथा अनुभवों से है, जिन्हें आप अपने छात्रों के लिए, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, शिक्षा संस्थानों में आयोजित करते हैं।

2. पाठ्यक्रम का बदलता हुआ परिप्रेक्ष्य

आप लोगों में से कुछ लम्बे समय से शिक्षक होंगे। सम्भवतः आपको ज्ञात होगा कि समय-समय पर स्कूल पाठ्यक्रम में परिवर्तन तथा सुधार किये जाते रहे। यह परिवर्तन शिक्षा के लक्ष्यों, स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों, विषयवस्तु तथा उन्हें प्राप्त करने के साधनों में लक्षित होते हैं। इतना ही नहीं, पाठ्यक्रम सम्बन्धी क्रियाओं में भी परिवर्तन होता है। इसका अर्थ यह है कि पाठ्यक्रम बहुत गतिशील होता है। राष्ट्र के बदलते हुए लक्ष्यों के साथ-साथ यह बदलता भी है और इसमें आवश्यक सुधार भी किये जाते हैं। उदाहरण के लिये एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट (1964-66) में सामान्य शिक्षा के रूप में उन क्रियाओं पर अधिक बल दिया गया था, जो कार्यानुभव/समाजोपयोगी उत्पादक कार्य से संदर्भित थे। फिर, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक बल दिया गया था। इस प्रकार शिक्षा प्रणाली में अनेक परिवर्तन आये हैं।

कार्यकलाप–2

उन सभी परिवर्तनों की सूची बनाइये जो पिछले 20 वर्षों में आप द्वारा पढ़ाई जाने वाली विषयवस्तु में किये गए हैं। आपके अनुसार इन परिवर्तनों के क्या कारण हैं?	शिक्षक द्वारा सभी उत्तरों को एकत्र करके उनको मिलाना एवं चर्चा

3. राष्ट्रीय संदर्भ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986

यह एक चिन्ता का विषय रहा है कि आमतौर पर हमारी शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय आवश्यकताओं और लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रही है। स्वतंत्रता संग्राम के समय जिस समाज की स्थापना हमने की थी, और जिस सामाजिक स्थिति का वर्णन हमारे संविधान में है, वह आज भी एक सपना सा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली हमारे राष्ट्र को इन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग देने में काफी हद तक असफल रही है। समय-समय पर राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्ति

में शिक्षा के योगदान के विषय में बराबर चर्चा होती रही है। पिछली शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीतियों की भाँति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भी ऐसा ही एक प्रयास है। इसमें उन सभी बातों पर ध्यान दिया गया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उभरनेवाली (पी० ओ० ए०) राष्ट्र के विकास तथा उन्नति के लिए आवश्यक हैं। कार्यक्रम परियोजनाओं में उन सभी नीतियों को प्राप्त करने के साधनों पर जोर दिया गया है।

4. शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति

ऊपर शिक्षा के जिन विषयों के बारे में कहा गया है वे स्थानीय नहीं हैं। उनका हमारे राष्ट्रीय जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा सम्बन्धी एक विस्तृत राष्ट्रीय योजना–राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम–तैयार किया जाये। हमें राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की आवश्यकता इसलिये भी है कि देश में प्रादेशिक विभिन्नताओं के कारण शिक्षण पद्धतियों में भी अनेक विभिन्नतायें आ गई हैं। हमें इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक छात्र के लिए शिक्षा का एक न्यूनतम स्तर बना दें। इसके लिए देश के सभी स्कूलों में कतिपय न्यूनतम सुविधायें भी जुटानी पड़ेंगी। तभी देश के सभी बच्चों को उचित शिक्षा दी जा सकेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का तात्पर्य यह नहीं होता कि वह एक कठोर नियम में बँधी हो अथवा शिक्षा प्रणाली पर कठोर रूप से समानता का भाव लादा जाये। हमारा तो एक ऐसा देश हैं जो भौगोलिक, भाषा सम्बन्धी, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विभिन्नताओं से शक्ति प्राप्त करता है और हमें उन पर गर्व है। हमारी एकता भारतीय संस्कृति की विशालता और गहराई का प्रतीक है। राष्ट्रीय शैक्षिक पद्धति को वर्तमान क्षेत्रीय शैक्षिक असमानताओं को दूर करने के एक साधन के रूप में देखना चाहिये। इस पद्धति द्वारा शिक्षकों, स्कूलों और स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को कुछ हद तक स्वतंत्रता देकर बच्चों को न्यूनतम स्तर की शिक्षा दी जा सकती है। इस प्रणाली की निम्नलिखित प्रमुख विशेषतायें होनी चाहिये :—

–बच्चों के चरित्र निर्माण पर बल देना।

–सबको शिक्षा के समान अधिकार प्रदान करना।

–विभिन्न कार्यक्षेत्र का संसार से सम्बन्ध स्थापित करना तथा बच्चों में उद्यमशीलता लाना।

–विभिन्न स्तर पर शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को न्यूनतम स्तर की राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना।

–शैक्षिक स्तर के निरन्तर सुधार के लिए तकनीकी व्यवस्था करना।

–शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करना।

–शिक्षा के विभिन्न उपायों के प्रयोग द्वारा बच्चों का शैक्षिक विकास करना।

5. राष्ट्रीय शैक्षिक व्यवस्था की विशेषतायें

राष्ट्रीय शैक्षिक व्यवस्था में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम भी निहित है, जिससे इसके माध्यम से इसके उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए तैयार की गई पाठ्यक्रम की रूपरेखा की निम्नलिखित मूल विशेषतायें हैं :—

-व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा संविधान में सन्निहित मूल्यों को एकाकार करने पर बल देना।

-विकास से सम्बन्धित राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानव संसाधनों को विकसित करना।

-प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के सभी बच्चों के लिए बहुमुखी सामान्य शिक्षा प्रदान करना।

-शिक्षा में शिक्षक केन्द्रित प्रणाली के स्थान पर विद्यार्थी केन्द्रित प्रणाली का उपयोग करना।

-विषयवस्तु के चयन तथा ज्ञानार्जन के अनुभवों में एक ऐसा लचीलापन लाना जिससे अपेक्षित ज्ञानोपार्जन किया जा सके।

—पाठ्यक्रम को इस प्रकार बनाना कि उससे सभी बच्चे चाहे वे जिस दिशा से भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, लाभान्वित हो सकें।

—स्कूलों में पाठ्यक्रम को सुचारु रूप से लागू करने के लिए सभी आवश्यक—भौतिक व शैक्षिक—साधनों को जुटाना।

कार्यकलाप—3

एक शिक्षक को पाठ्यक्रम सुचारु रूप से चलाने के लिए जिन न्यूनतम साधनों की आवश्यकता होती है—उनमें से जो आपके पास हैं, उनकी सूची बनायें। आपको किन अन्य साधनों की अपेक्षा है ?	शिक्षक सूचना एकत्र करें, उनका मिलान करें व उन पर चर्चा करें ।

6. समान पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय शैक्षिक पाठ्यक्रम की रूपरेखा में अन्य तत्वों के साथ एक समान तत्व है जो काफी सीमा तक लचीला है। इसका विशेष महत्त्व यह है कि इससे समस्त देश के शैक्षिक स्तरों पर, जाति, धर्म, लिंग अथवा क्षेत्र के भेदभाव से परे बच्चों को शिक्षा के समान अवसर मिल सकें। इस समान तत्व का आधार यह है कि एक ओर जहाँ ज्ञानोपार्जन की कोई सीमा नहीं है, दूसरी ओर ज्ञान के न्यूनतम स्तर होते हैं, जिनकी उपलब्धि प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। ये मौलिक ज्ञान नितांत आवश्यक हैं क्योंकि इनके अभाव में कोई भी व्यक्ति समाज में एक संतुष्ट जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। इन्हीं से समान अधिगम का निर्माण होता है और जिस पाठ्यक्रम में इन्हें सम्मिलित किया जाता है उसे समान पाठ्यक्रम कहते हैं। इसीलिए ऐसा पाठ्यक्रम, ऐसे ज्ञान पर केन्द्रित होता है जो नितांत आवश्यक व सबके लिए समान रूप से आवश्यक होता है। इस प्रकार समान ज्ञान अर्जित करने का तात्पर्य यह नहीं होता कि इसमें विषय वस्तु में किसी प्रकार की एकरूपता और कठोरता का समावेश हो वरन् अपने देश काल की विभिन्नता और व्यापकता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रदेशों की आवश्यकताओं और महत्त्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखकर इसमें काफी हद तक लचीलापन रखना आवश्यक है। अतः क्षेत्रीय व स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा के अनुभवों की सुविधा तथा पाठ्यसामग्री में पर्याप्त गतिशीलता और लचीलापन रखना होगा। जिस आवश्यक ज्ञान के आधार पर यह पाठ्यक्रम बनाया जाता है, उसकी अपेक्षा पठन के समान कार्यक्रम के माध्यम से ही की जा सकती है, जिसमें विभिन्न स्तर के बच्चों के विकास की विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है।

जो बालक प्राथमिक स्तर पर प्रवेश पाते हैं उसे "ठोस क्रिया" का स्तर कहते हैं। इस समय बच्चा संसार के विषय में तर्कपूर्ण ढंग से सोचने अवश्य लगता है, परन्तु ठोस परिस्थितियों के माध्यम में बँधा रहता है। ये क्रियायें तर्कपूर्ण होने के साथ-साथ गणित के समान ठोस और लय के समान व्यापक भी होती है। इन्हें कार्यान्वित करने के लिए बच्चों के आस-पास की जानी-पहचानी ठोस परिस्थितियों का सहारा ही लेना होगा क्योंकि इस समय बच्चे में इतनी क्षमता नहीं होती कि वह एक परिस्थिति से दूसरी तक कोई सामान्य अनुमान लगा सके। अतः प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सिखाने के लिए ऐसी सामूहिक क्रियाओं, खेलकूद, भाषा व गणित सम्बन्धी खेलों आदि का सहारा लेना होगा जो उनके आसपास के पर्यावरण से सम्बन्धित हैं। इस प्रकार यह अधिक सार्थक एवं महत्त्वपूर्ण होकर उनकी आवश्यकताओं से जुड़ जायेगा।

इस स्तर पर उपरोक्त उद्देश्यों से सम्बंधित मूल तत्वों को विभिन्न विषयों जैसे क्षेत्रीय मातृभाषा, पर्यावरण, गणित, कार्य अनुभव, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, कला, स्वास्थ्य, शारीरिक ज्ञान के माध्यम से सिखाया जा सकता है। उच्चतर प्राथमिक स्तर पर बच्चों के पाठ्यक्रम में तीन भाषायें, समाजशास्त्र, विज्ञान, गणित, कला, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य

तथा स्वास्थ्य व शारीरिक ज्ञान जैसे विषय पढ़ाये जाते हैं। माध्यमिक स्तर पर बालक किशोरावस्था में प्रवेश कर चुकता है। इसके सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं क्योंकि इस समय उसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। वह अपने भविष्य के लिये व्यावसायिक स्तर की बात सोचने लगता है। मानसिक विकास की दृष्टि से भी वह परिपक्व होने लगता है और तर्कपूर्ण ढंग से किसी भी विषय पर सोच-विचार कर सकता है। यही वह समय है जब उसे विधिवत रूप से घटनाओं और लक्ष्यों बीच के सम्बन्धों से अवगत कराया जा सकता है। अतः इस स्तर पर पाठ्यक्रम का लक्ष्य ऐसी सामान्य शिक्षा होना चाहिये जिसके माध्यम से उसका व्यक्तिगत विकास हो सके। इस स्तर के पश्चात् विद्यार्थी में वह क्षमता आ जानी चाहिये कि वह कार्य के संसार में सधे कदमों से प्रवेश कर सके अथवा अपने लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की दिशा चुन सके। इन दोनों के लिये यह आवश्यक है कि बालक की कार्य अनुभव, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के माध्यम से पूर्व व्यावसायिक ज्ञान दिया जाये। माध्यमिक स्तर पर समान पाठ्यक्रम में तीन भाषाओं की शिक्षा, विज्ञान, गणित, सामाजिक शास्त्र, कला, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य तथा स्वास्थ्य व शारीरिक ज्ञान सम्मिलित होते है। पाठ्यक्रम सभी बच्चों के लिए प्रत्येक विषय में एक सा ही होना चाहिये। फिर भी, कार्यानुभव/समाजोपयोगी उत्पादक कार्य और कला की शिक्षा स्थानीय रूप से प्राप्त होने वाली सुविधाओं पर निर्भर करती है, अतः इनमें छूट दी जा सकती है।

7. समान तत्व

समान पाठ्यक्रम की एक विशेषता यह है कि इसमें उन वांछित मूल्यों को ध्यान में रखा गया है, जिनके माध्यम से प्रत्येक बच्चे में अपने भारतीय होने का गर्व उत्पन्न हो सके। इसके लिए निम्नलिखित समान तत्वों को विभिन्न विषय में समाहित किया गया है :—

1. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास
2. संवैधानिक जिम्मेदारियाँ
3. राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने वाली विषयवस्तु
4. भारतीय संस्कृति की समान विरासत
5. समानतावाद, लोकतंत्र और धर्म निरपेक्षता
6. स्त्री व पुरुष में समानता का भाव
7. पर्यावरण की रक्षा
8. सामाजिक कठिनाइयों को दूर करना
9. छोटा व सुखी परिवार
10. तर्कपूर्ण व वैज्ञानिक दृष्टिकोण

8. शिक्षक की भूमिका

शिक्षक होने के नाते पाठ्यक्रम को कार्यान्वित करने में आपको एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। सर्वप्रथम, आपको ज्ञात होना चाहिये कि पाठ्यक्रम में शिक्षण और सामान्य जीवन के तरीकों व सम्बन्धित सामग्री के विषय में केवल दिशा-निर्देश ही दिया जाता है। पाठ्य विषय तथा पाठ्यपुस्तकों में उन पर कुछ और विस्तार किया जाता है, किन्तु बच्चों को वांछित ज्ञान देने के लिए शैक्षिक अनुभवों की योजना करना आपका ही काम है। इसके लिए उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर आपके पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना होगा तथा उन्हें क्रियान्वित करना होगा। इसके लिए सामग्री का संशोधन, शैक्षिक अनुभवों का चयन व संगठन तथा शिक्षा ज्ञानार्जन पद्धति को भी चुनकर अपनाना होगा—और यह सब आपके ही हाथों में है। आपको इसके लिये भी स्वयं को तैयार करना होगा कि आप शिक्षण के लिए उपयोगी सामग्री जुटा सकें। ये नमूने तथा अन्य शैक्षिक सामान आप स्थानीय रूप से उपलब्ध, कम लागत वाली वस्तुओं के माध्यम

से जुटा सकते हैं और आपको यह कार्य भी सीखना होगा। आपको संचार साधनों जैसे रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से उपलब्ध शिक्षण सामग्री का उपयोग करना भी सीखना होगा। ग्रामीण पर्यावरण तथा समाज—दोनों ही ज्ञानार्जन के महत्त्वपूर्ण साधन हैं, और आपको इनका समुचित उपयोग करना आना चाहिये।

वाद-विवाद के लिए प्रश्न

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को बनाने की आवश्यकता क्यों समझी गई ?
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को निर्धारित करने में विभिन्न स्तरों पर अनेक लोगों से विचार-विमर्श किया गया। इतने लोगों को इस कार्य में सम्मिलित करना आवश्यक क्यों समझा गया ?
3. कुछ लोगों का विचार है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से शिक्षा में कठोरता तथा अव्यावहारिकता आ जायेगी, जब कि अन्य लोगों के विचार से यह भय निर्मूल है। टिप्पणी कीजिये।
4. माध्यमिक स्तर तक पाठ्यक्रम में कार्यानुभव (समाजोपयोगी उत्पादक कार्य को छोड़कर) सभी बच्चों के लिए समान क्यों होना चाहिये ?

मॉड्यूल–4

शिक्षकों के लिए व्यावसायिक आचार-संहिता

सिंहावलोकन

भारतीय संसद द्वारा मई 1986 में स्वीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि "शिक्षक संगठनों को व्यावसायिक ईमानदारी बनाए रखने, शिक्षकों की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने और व्यावसायिक दुराचार पर अंकुश लगाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। शिक्षकों के राष्ट्रीय स्तर के संगठन शिक्षकों के लिए व्यावसायिक आचार संहिता तैयार कर सकते हैं और, उसका पालन करा सकते हैं।

शिक्षकों के राष्ट्रीय स्तर के संगठनों की एक बैठक 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद्' के तत्वावधान में नवम्बर 1986 में हैदराबाद में हुई और उसमें शिक्षकों की व्यावसायिक आचार संहिता का एक प्रारूप तैयार किया गया, जिसे वे अपना सकते हैं। इस मॉड्यूल में शिक्षकों की जानकारी के लिए उसी आचार संहिता के अनुच्छेद दिये गए हैं।

उद्देश्य

यह मॉड्यूल पूरा कर लेने के बाद आप निम्न कार्य कर सकेंगे :—

1. शिक्षण व्यवसाय की ईमानदारी बनाए रखने और व्यावसायिक दुराचार पर अंकुश लगाकर उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के उद्देश्य से शिक्षकों के लिए व्यावसायिक आचार संहिता की आवश्यकता को समझना।
2. शिक्षकों में छात्रों, माता-पिता/अभिभावक/प्रबंधक/प्रशासक/व्यवसाय तथा व्यावसायिक संगठन, समाज और राष्ट्र से संबंधित समुचित व्यावसायिक आचार के विभिन्न (सम्भावित) आयामों की चेतना पैदा करना।

भूमिका

सभी व्यवसायों की एक आचार संहिता होती हैं। सभी व्यवसाय समाज के आम हित में अपनी सेवाएँ अर्पित करते हैं। प्रत्येक व्यवसाय या रोजगार उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कोई अन्य व्यवसाय या रोजगार। अध्ययन और शिक्षण परस्पर आश्रित और एक दूसरे के पूरक हैं। अध्ययन शाश्वत है, विशेषकर आज की दुनिया में ज्ञान के तेजी से बढ़ते क्षेत्र में।

हर व्यवसाय की लिखित या परम्परागत आचार संहिता के मूल में समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उसके कल्याण और जनता तथा राष्ट्र के बीच सद्भावना के विचार को स्वीकार करने की भावना होती है। ज्ञान के क्षेत्रों के प्रसार के साथ-साथ अधिक चेतना आने और संचार-साधनों का तेजी से विकास होने पर परस्पर निर्भरता, सहयोग, अधिकारों और सुविधाओं की समझ में भी वृद्धि हो रही है।

शिक्षकों के उत्तरदायित्व अन्य व्यावसायिकों जैसे हैं। वस्तुतः उनसे भी अधिक हैं क्योंकि आज का पाठ कल के लिए उपयोगी होना चाहिए, न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि उस समाज के लिए भी जिसका वह जागरूक सदस्य है। एक शब्द में, शिक्षक नागरिक को इसलिए शिक्षा देता है जिससे कल की दुनिया में वह समुदाय का नेता और मूल्यों का निर्णायक बन सके।

अतः विद्वान, जागरूक नागरिक और समाज के सदस्य होने के नाते शिक्षकों के लिए एक व्यापक, संक्षिप्त तथा सरल व्यावसायिक आचार संहिता की आवश्यकता है। निस्संदेह उसे शब्दों में सीमित करना अपर्याप्त और अस्पष्ट होगा। किन्तु शिक्षकों के स्पष्ट चिंतन और सही कार्यों से निश्चय ही संहिता की भावना की पूर्ति में सहायता मिलेगी।

शिक्षण को वृत्ति के रूप में चुनने वाला व्यक्ति सदा शिक्षण व्यवसाय के उच्चतम मानदंडों के अनुसार आचरण करते रहने का दायित्व भी ग्रहण करता है। उसका लक्ष्य अपने कार्य और आचार में उत्तमता दिखाना और ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना होती है जिससे उसे शिष्यों, अभिभावकों, अपने सहकर्मियों और वृहत्तर समाज का सम्मान प्राप्त हो सके।

सही अर्थ में शिक्षण का मतलब केवल पढ़ाना ही नहीं बल्कि अपनी छाप डालना है। शिक्षक का कर्तव्य कुछ खास विषयों का ज्ञान प्रदान करना मात्र नहीं है, बल्कि बच्चों के पूर्ण विकास में, उनमें समुचित दृष्टिकोण पैदा करने में और उनके व्यक्तित्व निर्माण में सबसे अधिक महत्त्व शिक्षकों के द्वारा अपना निजी उदाहरण प्रस्तुत किए जाने का है।

प्राचीन भारतीय समाज में शिक्षक को अत्यंत उच्च पद प्राप्त था। वह गुरु था, ज्ञानदाता था, और ज्ञान ही शक्ति है। उसके पांडित्य के एकाधिकार की कोई चुनौती नहीं दे सकता था। मध्यकाल में पांडित्य में ह्रास और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उसका उच्चासन डोल गया। उसके प्रति महान आदर भाव का स्थान मौखिक सहानुभूति ने ले लिया। शिक्षा धार्मिक और पांडित्यपूर्ण होने के बजाय धर्म निरपेक्ष और व्यावहारिक हो गई। आज ज्ञान के विस्फोट का पुनः अपना प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षकों की अपने काम के प्रति पूर्ण न्याय करने के लिए विशेष दक्षता और वैज्ञानिक तरीकों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। परिणामतः शिक्षण पुनः धीरे-धीरे किन्तु निरंतर व्यवसाय की दिशा में अग्रसर हो रहा है। व्यवसाय के अपने निजी मानदंड होते हैं और अपना एक सुदृढ़ व्यावसायिक संगठन भी होता है। शिक्षकों को भी, अन्य व्यवसायों के सदस्यों की भाँति (जैसे डाक्टर, वकील आदि) अपने व्यवसाय से सम्बद्ध प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। वे अपने विशिष्ट क्षेत्रों में दूसरों से अधिक जानकारी का दावा करते हैं। आधुनिक जीवन के लिए शिक्षा आवश्यक हो गई है और नई पौध के लिए अनिवार्य घोषित कर दी गई है।*

संहिता का पालन करना व्यवसाय की सदस्यता या उसमें प्रवेश की शर्त है। दीर्घ काल से अनुभव की जा रही इस आवश्यकता को मई 1964 में पेरिस में "युनेस्को हाउस" में आयोजित एक बैठक में मूर्त रूप दिया गया। उसकी अध्यक्षता डब्ल्यू० सी० ओ० टी० पी० के महासचिव विलियम कोर ने की थी। उसमें (अन्य महत्त्वपूर्ण बातों के साथ) सिफारिश की गई कि "शिक्षकों के लिए आचार संहिता तैयार करना आवश्यक है। व्यवसाय में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को उसका पालन करना होगा। यह आचार संहिता या तो विश्व स्तर पर स्वीकार्य आचार संहिता हो सकती है अथवा उसमें विभिन्न देशों की परिस्थितियों का अंतर समुचित रूप से प्रतिबिम्बित हो सकता है।" शिक्षकों के दर्जे से संबंधित यूनेस्को/ओडलों की सिफारिश में संहिता की आवश्यकता पर पुनः जोर दिया गया। उसमें कहा गया कि "शिक्षक संगठनों को आचार संहिताएँ तैयार करनी चाहिए क्योंकि ऐसी संहिताओं से व्यवसाय की प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करने और स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार व्यावसायिक कर्तव्य निभाने में भारी योगदान मिलेगा।"

शिक्षण व्यवसाय है। यह एक प्रकार की जन सेवा है जिसमें विशेष ज्ञान और दक्षता की आवश्यकता होती है। उन्हें सक्रिय और निरंतर अध्ययन से पाना और बनाये रखना होता है। उनमें छात्रों की शिक्षा और कल्याण के लिए निजी और सम्मिलित उत्तरदायित्व की भावना की भी अपेक्षा होती है।

शिक्षा आयोग (भारत : 1964-66) ने अन्य बातों के साथ घोषित किया कि शिक्षक संगठन का एक कार्य अपने सदस्यों के लिए व्यावसायिक आचार-संहिता तैयार करने और उसके परिपालन को सुनिश्चित करने का है।

स्वतंत्रता के प्रभात ने भारतीय जनता के मन में आशा-आकांक्षा जगाई कि समृद्ध और कल्याण-उन्मुख राज्य के निर्माण का स्वप्न शीघ्र पूरा होने वाला है। अधिकांश बुराइयों का दोष शिक्षा पर मढ़ा गया है। अब सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के मन में एक नई आशा आई और एक नया संकल्प जागा है कि शिक्षातंत्र का पुनर्गठन और उसे मूल्य-उन्मुख बनाना है। सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्म-निरपेक्ष बनाना भारत की प्रथम आवश्यकता है। राष्ट्र-निर्माता के रूप में शिक्षक समुदाय पर हमारा विश्वास है और हमें आशा है कि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के पथ-प्रदर्शक

---

*बाल अधिकारों (सिद्धांत) पर संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र तथा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45।

तथा सक्रिय अभिकर्ताओं की भूमिका निभाकर शिक्षक शिक्षण-व्यवसाय को उसका उचित सम्मान दिलाने का प्रयत्न करेंगे। राष्ट्र के प्रति शिक्षकों की इस प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के उद्देश्य से यह आवश्यक समझा गया है कि शिक्षकों की एक विशिष्ट आचार संहिता हो।

भारतीय शिक्षकों की व्यावसायिक आचार-संहिता

हैदराबाद में 24 से 26 नवम्बर, 1986 तक
आयोजित शिक्षकों के राष्ट्रीय स्तर के संगठनों
की कार्यशाला में तैयार किया गया प्रारूप

प्रस्तावना

हम भारत के शिक्षकों ने,

1. यह विश्वास करते हुए कि शिक्षा देश की बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक प्रगति के लिए मानव के व्यक्तित्व की और सभी नागरिकों की रचनात्मक तथा उत्पादक क्षमताओं के बहुमुखी विकास की ओर उन्मुख होनी चाहिए।
2. यह स्वीकार करते हुए कि धर्म, जाति, समुदाय, क्षेत्र, लिंग, सामाजिक मूल, राजनीतिक मत अथवा आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव के बिना हर बच्चे के लिए सामाजिक न्याय पर आधारित शिक्षा के अधिकतम सम्भव और समान अवसरों का प्रावधान किया जाना चाहिए।
3. यह आवश्यकता अनुभव करते हुए कि सरकार को स्वतंत्रता और रचनाशीलता के वातावरण में शिक्षा प्रदान करने में सहायक आवश्यक आधार तंत्र, साज-सामान, पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित शिक्षकों और सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त धनराशि का निर्धारण करना चाहिए।
4. शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय चेतना और पहचान, देशभक्ति की भावना, अपनी सम्पन्न सांस्कृतिक परम्परा में गर्व और देश की एकता-अखंडता की रक्षा के निश्चय को सुदृढ़ करने के अपने संकल्प की पुनः पुष्टि करते हुए,
5. अपने संविधान में सन्निहित लोक तंत्र, समाजवाद तथा धर्म-निरपेक्षता के मूल सिद्धांतों में अपने दृढ़ विश्वास को दुहराते हुए और शिक्षा के द्वारा उन्हें सुदृढ़ करने के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करते हुए,
6. शिक्षा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव और विश्वशांति को आगे बढ़ाने का प्रण करते हुए,
7. अपने छात्रों के कल्याण के लिए शिक्षा को विशेष ज्ञान, विशेष दक्षताओं और व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना वाले व्यवसाय में संगठित करने को संकल्पबद्ध होकर,
8. आत्म-निर्देशन और आत्म-अनुशासन के प्रति कटिबद्ध होकर इस व्यावसायिक आचार संहिता को अपनाने और स्वेच्छा से उसे स्वयं पर लागू करने का संकल्प लिया है, जिससे हम अपने व्यवसाय को उच्चतम नैतिक मानदंडों के अनुसार चला सकें।

भाग—एक

शिक्षक-छात्र सम्बन्ध

शिक्षक,

1. जाति, सम्प्रदाय, लिंग, पद, धर्म, भाषा और जन्म स्थान का विचार किए बिना सभी छात्रों के साथ प्रेम तथा स्नेह का व्यवहार करेंगे और सभी के प्रति न्याय तथा निष्पक्षता बरतेंगे,
2. छात्रों की उनके सामाजिक, भौतिक, बौद्धिक, भावनात्मक, नैतिक तथा चरित्रात्मक विकास में सहायता करेगा।

3. छात्रों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति तथा जिज्ञासा, रचनात्मक आत्माभिव्यक्ति तथा सौंदर्यबोधी भावना को बढ़ावा देगा और उन्हें प्रश्न करने तथा अपनी उत्सुकता शांत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
4. छात्रों में शारीरिक श्रम और श्रमिकों के प्रति आदर-भाव का विकास करेगा।
5. छात्रों को इस योग्य बनाएगा कि वे हमारी समृद्धि, सांस्कृतिक परम्परा और विविधता में एकता को सराह सकें।
6. छात्रों की निजी आवश्यकताओं तथा उनके बीच के अंतर और उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखेगा तथा अपने शिक्षण को तदनुरूप बनाएगा।
7. अपने छात्रों को अतिरिक्त समय में पढ़ाने के लिए अतिरिक्त धन स्वीकार नहीं करेगा।
8. छात्रों से आदरसूचक शब्दों का प्रयोग करेगा तथा स्नेहपूर्ण व्यवहार करेगा और छात्रों के बारे में गुप्त जानकारी केवल उन्हीं लोगों को प्रकट करेगा जो वैधरूप से उसके अधिकारी हैं।
9. छात्रों में मातृभूमि के प्रति प्रेम तथा विश्व-बंधुत्व और सहिष्णुता तथा सहयोग की भावना पैदा करेगा।
10. छात्रों के लिए अनुकरणीय पहनावे, बोलचाल और व्यवहार का मानदंड प्रस्तुत करेगा।

भाग–दो

शिक्षक-माता-पिता/अभिभावक सम्बन्ध

शिक्षक,

1. माता-पिता/अभिभावकों के साथ मित्रतापूर्ण तथा सहकारी संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा।
2. शिक्षा संस्था और घर के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास करेगा।
3. उनके बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के बारे में उनकी बात को ध्यान से सुनेगा।
4. घर की स्थिति के बारे में या अपने बच्चों के संबंध में अभिभावक द्वारा दी गई जानकारी को उन लोगों को छोड़, जो वैधरूप से उसे पाने के अधिकारी हैं, किसी के आगे प्रकट नहीं करेगा।
5. अभिभावकों को उनके बच्चों की उपलब्धियों और कमियों की जानकारी देगा।
6. ऐसी कोई बात नहीं कहेगा या करेगा जिससे माता-पिता/अभिभावकों द्वारा छात्रों के विश्वास को चोट पहुँचने की संभावना हो।
7. विद्यालय में सुधार के कार्यक्रमों में अभिभावकों को भी साथ लेने का प्रयास करेगा।
8. प्रभावी अभिभावक-शिक्षक संघ को बढ़ाने का प्रयास करेगा।

भाग–तीन

शिक्षक-समाज और राष्ट्र संबंध

शिक्षक सामाजिक परिवेश के अभिन्न अंग हैं और लोगों की आशा-आकांक्षाओं में समभागी हैं, इस बात को जानते हुए शिक्षक,

1. शिक्षा संस्था को सामुदायिक तथा मानव संसाधन विकास केन्द्र के रूप में विकसित करने का प्रयास करेगा, जहाँ क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप ज्ञान तथा जानकारी प्रदान की जाती हो।
2. धर्म, क्षेत्र, भाषा के नाम पर फूट डालने वाली और अलगाववादी प्रवृत्तियों तथा निष्ठाओं से संघर्ष करने का प्रयास करेगा।

3. शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में सुधार के लिए समुदाय में उपलब्ध संसाधनों के पूर्ण उपयोग का प्रयास करेगा।
4. स्थानीय गुटवादी राजनीति में भाग लेने से बचेगा।
5. राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करेगा और लोकतंत्र, धर्म-निरपेक्षता तथा समाजवाद के सिद्धांतों को बढ़ाएगा।
6. उपयुक्त माध्यमों द्वारा समुदाय को कल्याण-कार्यक्रमों, नागरिक अधिकारों और जन कल्याण के उद्देश्य से अपनाये गये विधेयक तथा प्रशासनिक उपायों के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेगा।
7. शिक्षा-योग्य आयु के बच्चों की शत-प्रतिशत भर्ती में और शिक्षा पूरी होने तक उनके पढ़ाई जारी रखने में जन-सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
8. ग्रामीण क्षेत्र में समुदाय के सहयोग से महिलाओं के लिए आवश्यक सुविधाएँ जुटाने का प्रयास करते हुए उन्हें सम्मान के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और असामाजिक तत्वों से उनकी रक्षा करेगा।
9. लड़कियों और कमजोर वर्गों की शिक्षा को आगे बढ़ाने में और महिलाओं में पुरुषों से बराबरी की चेतना पैदा करने में विशेष रुचि लेगा।

भाग–चार

शिक्षक के व्यवसाय, सहकर्मियों तथा व्यावसायिक संगठन से संबंध

(क) शिक्षक का अपने सहकर्मियों तथा व्यवसाय से संबंध

शिक्षक,

1. उच्च शैक्षिक तथा व्यावसायिक मापदंड प्राप्त करेगा और उन्हें बनाये रखेगा।
2. सेवाकालीन शिक्षा, सेमिनारों, वाद-विवादों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों जैसे निरंतर व्यावसायिक विकास के कार्यक्रमों को आयोजित करेगा और उनमें भाग लेगा।
3. अपने विषय और शिक्षा-शास्त्र में नवीनतम प्रगति और तकनीकी जानकारी रखेगा।
4. शिक्षण-अध्ययन क्रियाओं में साधिकार नए-नए प्रयोग करने का प्रयास करेगा।
5. छात्रों, अन्य शिक्षकों, अधिकारियों या अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में अपने सहकर्मियों के बारे में निन्दाजनक बातें कहने से बचेगा।
6. संस्था के अंदर तथा बाहर पाठ्यचर्चा संबंधी और गैर-पाठ्यचर्चा संबंधी दोनों कार्यकलापों में और व्यावसायिक सहायता पाने या देने में संस्था के प्रधान तथा अपने सहकर्मियों के साथ सहयोग करेगा।
7. पाठ्यक्रम (शिक्षण–लिखित कार्य तथा परीक्षाओं) को इस प्रकार आयोजित करेगा जिससे काम समय से पूरा हो जाय और पुनरावृत्ति की भी गुंजायश रहे।
8. व्यवसाय में नये प्रवेश लेने वाले अपने सहकर्मियों की सहायता के लिए सदा प्रस्तुत रहेगा।
9. शिक्षा संस्था की और सम्पूर्ण शिक्षातंत्र की छवि की रक्षा करने के सम्मिलित दायित्व में योग देगा।
10. छात्रों के हित तथा संस्था के विकास के लिए हानिकारक सभी मामलों को समुचित ढंग से प्रकाश में लाने के अपने व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को स्वीकार करेगा।
11. विद्यालय में समुदाय के सहयोग से सांस्कृतिक कार्यकलापों का आयोजन करेगा।

(ख) प्रधान शिक्षक के सहकर्मियों से सम्बन्ध

प्रधान शिक्षक,

1. शिक्षकों और संस्था से संबंधित मामलों में शिक्षकों को भी सम्मिलित करने और उनके साथ मिलकर निर्णय करने का प्रयास करेगा।

2. सम्बन्धित शिक्षकों से परामर्श कर शिक्षण-कार्य का विभाजन करेगा ।
3. यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सहकर्मी निरीक्षण तथा मूल्यांकन की क्रियाओं की समीक्षा कर सकें ।
4. स्वेच्छाचारी स्थानांतरणों और सेवा-निवृत्तियों का विरोध करेगा ।
5. अपने सहकर्मी के व्यावसायिक या निजी आचरण के सम्बन्ध में कोई आलोचना होने पर तत्काल उसे उसके रूप तथा सूत्र के बारे में अवगत करा देगा ।
6. अपने सहकर्मियों के काम का मूल्यांकन करते समय निष्पक्षता बरतेगा और स्वीकृत कार्यविधियों का पालन करेगा ।
7. सहकर्मियों के कर्तव्य-पालन में उनके मित्र तथा पथ-प्रदर्शक की भांति काम करेगा और कर्तव्य तथा अनुशासन के मामले में उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेगा ।

(ग) शिक्षक का व्यावसायिक संगठन से संबंध

शिक्षक,

1. व्यावसायिक संगठन का सदस्य बनेगा और नियमित रूप से उसके शुल्कों का भुगतान करेगा ।
2. व्यावसायिक संगठन की सेवा को अपना व्यावसायिक उत्तरदायित्व समझेगा ।
3. व्यावसायिक संगठन की नीतियों के निर्धारण और कार्यक्रमों के संचालन में साधिकार भाग लेगा तथा उसकी एकता को सुदृढ़ करने में योगदान करेगा ।
4. संगठन के आह्वान को मानकर चलेगा और उसकी आचार तथा अनुशासन संहिता का पालन करेगा ।

भाग—पाँच

(क) प्रबन्धकों तथा प्रशासन के दायित्व

भारतीय परिस्थितियों में, जहाँ कुछ बेईमान प्रबन्धक शिक्षक को परेशान, अपमानित और शोषित करते रहे हैं तथा जहाँ, शिक्षा तंत्र की सभी बुराइयों के लिए उसी को बलि का बकरा बनाया जाता रहा है, शिक्षकों के लिए कोई आचार संहिता तब तक अर्थहीन होगी, जब तक प्रबन्धकों और सरकार के प्रशासन विभागों पर भी समान दायित्व न डाला जाय । इसलिए, यह मान लिया जाता है कि प्रबन्धक और प्रशासनिक कर्मचारी भी अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए इसी प्रकार की आचार संहिताएं बनाएंगे और अपनाएंगे । आगे यह मानकर भी चला जाता है कि :—

1. प्रबन्धक और शैक्षिक प्रशासक शिक्षकों की भर्ती तथा पदवृद्धि में और उनके कार्य विभाजन जैसे मामलों में न्यायपूर्ण निष्पक्ष तथा ईमानदार रहेंगे ।
2. शिक्षकों की भर्ती, पदवृद्धि और स्थानान्तरण के मामले में पक्षपात, भाई-भतीजावाद और राजनीतिक हस्तक्षेप से बचने में सतर्कता से काम लिया जायेगा ।
3. छात्रों के प्रवेश में और दूसरी कक्षा में चढ़ाने में बाहरी हस्तक्षेप की छूट नहीं दी जायेगी ।
4. प्रबन्धक और प्रशासक उच्चतर स्तर पर विषयों के अनुसार आवश्यक तन्त्र, भौतिक सुविधाएं, साज-सामान, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय तथा पर्याप्त संख्या में शिक्षक देंगे। वे स्वतन्त्रता तथा नए परीक्षणों के वातावरण में संस्था को चलाने के लिए आवश्यक अन्य परिस्थितियां भी उत्पन्न करेंगे ।
5. सरकार और प्रबन्धक शिक्षक संगठनों के परामर्श से एक शिक्षक-छात्र अनुपात कायम रखेंगे जिससे शिक्षक छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देकर उन्हें प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ा सकें ।
6. सरकार और प्रबन्धक शिक्षक को निडर होकर अथवा किसी की आशंका के बिना अपने कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक पर्याप्त वेतन, समान वेतन-ढाँचा, उत्तम जीवन-स्तर, सामाजिक सुरक्षा, अवकाश ग्रहण से लाभ, आवास, समान सेवा शर्तें तथा कार्य की परिस्थितियां प्रदान करेंगे ।

7. सरकार और प्रबन्धक शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए एक ऐसी प्रणाली विकसित करेंगे, जिसमें शिक्षक भी भाग लें तथा जो तथ्यों पर आधारित हो, जिसमें योग्यता को पुरस्कृत किया जाये और घटिया काम को निरुत्साहित किया जाये।
8. सरकार और प्रबन्धक शिक्षा-सम्बन्धी मामलों में, विशेषकर शिक्षकों की भर्ती, शिक्षक-प्रशिक्षण, शिक्षकों, की सेवा शर्तों के निर्धारण और उनकी शिकायतें दूर करने के मामलों में, योजना बनाने तथा निर्णय लेने में शिक्षकों को भी शामिल करेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उपयुक्त विधि-सम्मत तंत्रों की स्थापना की जायेगी।
9. सरकार और प्रबन्धक, शिक्षकों को उनके शैक्षिक तथा व्यावसायिक स्तर में सुधार के लिए संस्थाओं में पुस्तकालयों तथा वाचनालयों की निरन्तर सेवा-कालीन शिक्षा कार्यक्रमों की, यात्रा की सुविधाओं की ओर देश के भीतर-बाहर सम्मेलनों, सेमिनारों आदि में भाग लेने की सुविधाओं की व्यवस्था कर उन्हें विकास का पूर्ण अवसर प्रदान करेंगे।
10. प्रबन्धक और सरकार, नियमित शिक्षकों की लम्बी अनुपस्थिति की दशा में वैकल्पिक शिक्षकों के रूप में काम करने के लिए अतिरिक्त पूरक शिक्षकों की व्यवस्था करेंगे।

((ख) शिक्षकों के प्रबन्धकों तथा शिक्षा प्रशासन से संबंध

यह मानते हुए कि उपर्युक्त शर्तें पूरी हो जाती हैं, शिक्षक :—

1. शिक्षा-नीतियों और अपनी नौकरी को नियंत्रित करने वाले कानूनों और नियम-विनियमों को जानकारी रखेगा तथा उनका पालन करेगा।
2. निर्धारित नियमों के अनुसार संस्था के संचालन में संस्था के प्रधान प्रबन्धकों तथा शिक्षा प्रशासन के साथ सहयोग करेगा।
3. अधिकारियों का उचित सम्मान करेगा।
4. संस्था में उपस्थित होने तथा अपने कार्यों-कर्त्तव्यों का पालन करने में नियमित रहेगा और समुचित स्वीकृति प्राप्त किए बिना काम से अनुपस्थित नहीं रहेगा।
5. अपने निजी व्यावसायिक लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रबन्धक समिति के सदस्यों तथा अधिकारियों पर दबाव डालने के प्रयास से बचेगा।
6. ऐसे काम सौंपे जाने का विरोध करेगा जिनके उपयुक्त वह अपने को नहीं समझता और जिनसे उसे अपनी व्यावसायिक सेवा में कठिनाई होती है।
7. छात्रों के प्रवेश और उत्तीर्णता के मामलों में प्रबन्धकों तथा प्रशासकों के दबावों का प्रतिरोध करेगा।
8. ऐसी कोई शिक्षा देने से इन्कार करेगा जो छात्रों, समाज या राष्ट्र के हित के लिए घातक हो।
9. अपने व्यवसाय से सम्बन्ध न रखने वाले किसी काम को स्वीकार करने से इन्कार कर देगा।
10. लिखा-पढ़ी का और दूसरे गैर-शैक्षिक काम करने में सहायक कर्मचारी को सहायता लेने का प्रयास करेगा।
11. छात्रों, संस्था और सम्पूर्ण समुदाय के प्रति अपना उत्तरदायित्व और जवाबदेही निभाने में हिचकिचाएगा नहीं।

परिपालन

1. शिक्षक संगठन इस संहिता के पालन के लिए और व्यावसायिक दुराचार के मामलों से निपटने के लिए परस्पर परामर्श से अपने-अपने उपयुक्त तंत्रों और कार्य विधियों का निर्धारण कर सकते हैं।

2. शिक्षकों तथा शिक्षक संगठनों को यह प्रयास करना होगा कि इस समय विभिन्न राज्यों और केन्द्र में विविध रूपों में विद्यमान सभी आचार नियमों के स्थान पर इस व्यावसायिक आचार संहिता का निष्ठापूर्वक पालन हो ।
3. शिक्षक संगठनों द्वारा अन्तिम रूप में अपना लिए जाने के बाद इस व्यावसायिक आचार-संहिता का सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जायेगा ।

उपसंहार

शिक्षकों की व्यावसायिक आचार संहिता को तब तक अनिवार्य नहीं समझा जाना चाहिए जब तक देश में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक संगठन उसे स्वीकार न कर लें । किन्तु, इसे परम्परागत आचार संहिता के रूप में ग्रहण किया जा सकता है, जिसे शिक्षक आचार नियमों जैसी किसी व्यवस्था के अभाव में भी आमतौर से स्वीकार करते हैं और उसका पालन करते हैं । प्रारूप का यह नमूना भारतीय तथा विदेशी शिक्षक संगठनों द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा विगत दो दशकों के दौरान विविध कार्यशालाओं में तैयार की गई अनेक संहिताओं का अध्ययन कर विकसित किया गया है । प्रारूप शिक्षकों की उनकी जानकारी के लिए और ऐसी संहिता की आवश्यकता, उसे अपनाने और उसके परि-पालन के प्रति उनमें चेतना पैदा करने के लिए उपलब्ध किया जाता हैं ।

अन्त में

1. शिक्षकों के लिए व्यावसायिक आचार संहिता के विभिन्न अनुच्छेदों पर अच्छी तरह चर्चा करने के बाद विभिन्न विद्यालयों में तथा सामुदायिक परिस्थितियों में आचार के स्व-निर्देशित विचारों पर अमल के लिए योजनाएं बनाइए ।
2. कुछ ऐसे और वाक्य सोचिए जो इस संहिता के विभिन्न भागों में जोड़े जा सकते हैं, और उन्हें जोड़ने का औचित्य भी बताइए ।
3. क्या संहिता में ऐसे भाग भी हैं जिन पर शिक्षक अमल नहीं कर सकते ? यदि हैं तो क्या ?
4. शिक्षकों की व्यावसायिक आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों से निपटने के लिए आप किन उपायों का सुझाव देते हैं ?
5. राष्ट्रीय स्तर के, शिक्षक संगठनों द्वारा संहिता को अपना लिये जाने पर क्या आप उस पर हस्ताक्षर करना पसन्द करेंगे और यह सिफारिश करेंगे कि नये शिक्षक अपनी नियुक्ति के समय शपथ लेते समय उक्त संहिता पर भी हस्ताक्षर करें ?
   यदि आप उक्त सुझाव से सहमत नहीं हैं तो उसके पक्ष में अपने तर्क दीजिए।

मॉड्यूल–6

शैक्षिक विकास के लिए सामुदायिक प्रतिभागिता

1. सिंहावलोकन

इस मॉड्यूल के दो मुख्य उद्देश्य हैं—शिक्षा के कार्यक्रमों में सामुदायिक प्रतिभागिता के विभिन्न पहलुओं के बारे में शिक्षकों में अंतर्दृष्टि पैदा करना और दूसरा कार्यक्रमों के लिए सामुदायिक समर्थन पाने की उनकी क्षमता को बढ़ाना।

हमारे लिए समुदाय का अर्थ एक ऐसे वर्ग से है जिसके सदस्यों की रुचियाँ एवं आवश्यकताएँ एक जैसी हैं। वे एक विशिष्ट क्षेत्र/ग्राम/स्थान में शिक्षा के प्रसार के काम में भाग लेते हों।

कुछ समय से आप शिक्षा के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्वरूपों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इस काम के लिए आप समुदाय का समर्थन एवं प्रतिभागिता पाने का प्रयत्न भी कर रहे है। लेकिन हो सकता है कि आपने उन कारणों की व्याख्या न की हो जिनसे सामुदायिक प्रतिभागिता व्यवस्थित रूप से प्रभावित होती है। ऐसा देखा गया है कि जो कार्यक्रम सरकारी एजेन्सियाँ आरम्भ करती हैं और जिन्हें पर्याप्त सामुदायिक समर्थन प्राप्त नहीं होता वे प्राय: अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पातीं। शैक्षिक कार्यक्रमों के बारे में यह बात अधिक लागू होती है। नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए हमें कई काम करने होंगे। एक ओर तो शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करना होगा, दूसरी ओर समुदाय की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन करने होंगे। इनके लिए सामुदायिक प्रतिभागिता एवं संलग्नता आवश्यक है।

2. उद्देश्य

इस प्रशिक्षण-मॉड्यूल को पूरा करने के बाद आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप निम्नांकित कार्य कर सकेंगे।

–सामुदायिक प्रतिभागिता के प्रकार एवं अर्थ को समझ सकेंगे और उसकी व्याख्या कर सकेंगे,

–शैक्षिक कार्यक्रमों में सामुदायिक प्रतिभागिता की आवश्यकता के गुण दोषों की विवेचना कर सकेंगे,

–शैक्षिक कार्यक्रमों में समुदाय की अपर्याप्त प्रतिभागिता के कारणों की व्याख्या कर सकेंगे एवं उसका उपचार कर सकेंगे,

–उन क्षेत्रों को पहचान सकेंगे जहाँ सामुदायिक प्रतिभागिता को आवश्यकता पड़ सकती है और उसे प्राप्त किया जा सकता है,

–स्कूल और समुदाय के संबंधों को सुधारने के प्रयास में स्कूल की भूमिका को आप समझ सकेंगे और समुदाय की प्रतिभागिता को प्राप्त कर सकेंगे,

–सामुदायिक प्रतिभागिता के कुछ मौलिक पक्षों को आप समझ सकेंगे, और

–सामुदायिक प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए आप समुदाय से सम्पर्क स्थापित करने की कुछ विधियाँ समझ सकेंगे और उनको अपने काम में ला सकेंगे।

3. अधिगम क्रियाएँ

काफी समय से आप शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। आपने विभिन्न शैक्षिक क्रियाओं में सामुदायिक प्रति-

भागिता प्राप्त करने का भी यत्न किया होगा। इस बात पर विभिन्न लेखों में जोर दिया गया है। अनेक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों ने भी इस पर बल दिया है।

सामान्यतः हम ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि समुदाय जो सहायता देता है वही उसकी प्रतिभागिता है। किन्तु यह बात हमेशा सही नहीं होती। प्रतिभागिता का व्यापक अर्थ है। किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए समुदाय की भावना और इच्छा की दृष्टि से प्रतिभागिता विविध प्रकार की हो सकती है। इसको अधिक अच्छी तरह समझने के लिए निम्नांकित क्रिया करनी होगी।

कार्यकलाप–1

सामुदायिक प्रतिभागिता एवं उसके प्रकार के अर्थ के बारे में सोचिए। एक अलग कागज पर उन्हें लिखिए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

यह आवश्यक नहीं है कि हर मौके पर समाज के सदस्य अपना योगदान दें। कभी-कभी वे केवल स्कूल के समारोह में शामिल हो सकते हैं, नियमित हाजिरी के लिए बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, आपकी शैक्षिक क्रियाओं में सहायता कर सकते है, आपसे सलाह लेने के लिए आ सकते हैं, कुछ समाज के समारोहों को आयोजित करने के लिए स्कूल पर निर्भर हो सकते हैं, इत्यादि। इसका अर्थ यह हुआ कि यह दोतरफा काम है। दूसरे शब्दों में यह परस्पर सहभागिता की प्रक्रिया है।

आपने अपने लेख में देखा होगा कि सामुदायिक प्रतिभागिता या संलग्नता कभी तो ऐच्छिक हो सकती है और कभी लगता है कि वह समाज पर थोपी जा रही है। प्रतिभागिता निम्न प्रकार की हो सकती है :—

(अ) **स्वतः**—स्फूर्त या स्वजात—लोग बिना किसी बाहरी सहायता या दबाव के स्वयं भाग लेने के लिए आगे आते हैं।

(ब) **प्रायोजित**—कुछ लोग इसलिए भाग लेते है कि उन्हें कोई आदेश अथवा सरकारी समर्थन मिला हैं, कोई जबरदस्ती नहीं की गई, परन्तु उसके लिए समर्थन बाहर से आया है।

(स) **अनिवार्य**—लोग प्रतिभागी इसलिए बनते हैं कि प्रतिभागिता अनिवार्य कर दी गई है। इसकी अवहेलना करने पर कभी जबरदस्ती भी हो सकती है।

अब हम एक ऐसी विशेष स्थिति को लेंगे जिसमें सामुदायिक प्रतिभागिता की आवश्यकता होगी। वह प्रतिभागिता उक्त तीनों में से किसी एक प्रकार की हो सकती है। इससे यह तीन स्थितियाँ ठीक से समझ में आ सकेंगी। कल्पना कीजिए कि एक स्कूल को समुदाय की आवश्यकता है। समुदाय उसकी आवश्यकता को समझकर धन तथा सामग्री इकट्ठी करने का निश्चय करता है। अपने बच्चों को स्कूल में भरती करवाता है। यह स्वजात प्रतिभागिता का एक उदाहरण होगा। यदि उसी काम के लिए अधिकारीगण समुदाय को प्रेरित करें, उसे अनेक प्रोत्साहन दें जैसे भवन निर्माण, स्कूल के शिक्षकों तथा सुविधाओं के विस्तार के लिए वे तुल्य अनुदान दें। यह प्रायोजित प्रतिभागिता होगी। यदि माता-पिता को भवन निर्माण के लिए सहायता देने के लिए बाध्य किया जाय, उनके सहायता न देने पर स्कूल के अधिकारी उनके बच्चों को स्कूल में न रहने दें या उनके परिणाम न घोषित करें, आदि आदि, तो यह अनिवार्य प्रतिभागिता का उदाहरण है। इसी प्रकार यदि स्कूल के अधिकारी समाज के सदस्यों अर्थात् माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने का आदेश दें और वैसा न करने पर उन पर जुर्माना किया जाय या उनके कुछ फायदे बन्द कर दिए जाएं या उन्हें कुछ दण्ड मिलने की आशंका हो, तो यह भी अनिवार्य प्रतिभागिता होगी।

हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में अनिवार्य प्रतिभागिता ठीक नहीं है। स्वजात या स्वतः स्फूर्त और प्रायोजित प्रतिभागिता में स्वजात सबसे अधिक उपयुक्त है। यह अधिक दिन चल सकेगी और इससे आदर्श सहकारी एवं सहभागी स्थिति पैदा होगी।

सामुदायिक प्रतिभागिता के अर्थ और प्रकार जानने के बाद यह उचित होगा कि हम शैक्षिक कार्यक्रम में सामुदायिक प्रतिभागिता की आवश्यकता को समझें। यह देखा गया है कि कोई भी विकास योजना, विशेष रूप से शैक्षिक विकास योजना जब समुदाय पर आधारित होती है, तब वह अधिक सफल होती है। इस सफलता का कारण यह होता है कि लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं और उसे अपनी सहभागिता प्रदान करते हैं। आपके सामने ऐसी स्थिति आई होगी जब आपने देखा होगा कि केवल सरकारी सहायता पर्याप्त नहीं है। आप चाहते होंगे कि आपको समुदाय की सहायता प्राप्त हो और उसके लिए आप कुछ प्रयत्न करें। आइए, हम ऐसी स्थिति पर पुनः विचार करें और शैक्षिक कार्यक्रम में सामुदायिक प्रतिभागिता की आवश्यकता पर चर्चा करें।

कार्यकलाप– 2

अपने अनुभव से कुछ ऐसी स्थितियों की याद कीजिए जहाँ आपको समुदाय की सहायता/सहभागिता की आवश्यकता महसूस हुई हो।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

स्कूल एक ऐसी संस्था है जिसमें बच्चे सीधे अपनी माँ की गोद में से और परिवार जैसी सर्वव्यापी संस्था से आते हैं। उनके यहाँ आने का उद्देश्य उनके व्यक्तित्व का निरन्तर विकास हैं। कुछ समाजों में विशेष रूप से जनजातीय समुदायों में बच्चों को शिक्षा देने का उत्तरदायित्व कई परम्परागत संस्थाओं में बँटा हुआ है। अतः इसके लिए समुदाय की सहायता एवं सहभागिता अत्यावश्यक है।

एक शैक्षिक संस्था के सभी कामों के लिए समुदाय की प्रतिभागिता आवश्यक है, जैसे विविध क्रियाओं का संगठन एवं आयोजन, भौतिक सहायता, नियमित कार्य लाभ उठाने वालों की संख्या में वृद्धि, शैक्षिक विकास में सहायता, आदि।

नई शिक्षा नीति में, अन्य बातों के अतिरिक्त शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक अवसरों की असमानताओं का निवारण, शिक्षा को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना, प्रबन्ध का विकेन्द्रीयकरण आदि है। यह उद्देश्य समुदाय की सक्रिय सहभागिता के बिना पूरा करना कठिन है। नई शिक्षा नीति "विकेन्द्रीयकरण" पर बल देती है और शैक्षिक क्रियाओं के लिए स्वायत्ता की भावना पैदा करना चाहती है। लोग यह तर्क दिया करते हैं कि शैक्षिक क्रियाएं समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाई हैं, आदि आदि।

यदि आप स्कूल द्वारा समुदाय की सहभागिता प्राप्त करने के लिए किये गये प्रयत्नों पर विचार करें, तो आप देखगे कि अधिकांश शिक्षक इस बात की शिकायत करते हैं कि समुदाय से सम्पर्क स्थापित करने के लिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं है पर यदि यह पहलू आवश्यक है तो इसके लिए उन्हें समय निकालना चाहिए। स्कूलों में जिन समारोहों का आयोजन होता है उनमें से अधिकतर आधिकारिक होते हैं। उनमें समुदाय की सहभागिता अपर्याप्त होती है। लेकिन बहुत से स्थानों पर समुदाय की आदर्श सहभागिता भी देखी गई है।

हमने पहले ही सामुदायिक प्रतिभागिता की आवश्यकता की संक्षेप में विवेचना कर ली है। अब हम उन क्षेत्रों में समुदाय की सहायता प्राप्त करने की सम्भावना की चर्चा करेंगे जहाँ पर उसकी सर्वाधिक आवश्यकता है।

कार्यकलाप—4

संस्थाओं के प्रबन्ध एवं शैक्षिक कार्यक्रमों के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों/पक्षों की सूची बनाइए जिनमें समुदाय की प्रतिभागिता की आवश्यकता है।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

जिन क्षेत्रों में समुदाय की सहभागिता या सहायता की आवश्यकता पड़ती है वे स्कूल के शैक्षिक प्रबन्ध एवं प्रशासनिक, आदि पहलुओं से जुड़े हुए हैं। आइए, हम अपने अनुभव का संश्लेषण करें :—

1—यदि समुदाय से उपयुक्त सम्बन्ध हों तो वह अपने सदस्यों को इस दृष्टि से अभिप्रेरित करने तथा उन्हें मानने में अच्छी खासी सहायता दे सकता है कि वे अपने बच्चों की स्कूल में भर्ती करायें। समाज बच्चों की नियमित रूप से हाजिर रहने तथा स्कूल में पढ़ते रहने में सहायक हो सकता है। कभी-कभी समुदाय माता-पिता पर सामाजिक दबाव भी डाल सकता है।

2—स्कूल समुदाय का एक अंग है। अतः वह स्कूल को भौतिक सुविधाएँ देने में सहायक हो सकता है जैसे स्कूल भवन का निर्माण एवं उसकी मरम्मत, कक्षाओं के लिए स्थान, डेस्क, सहायक साधन, शिक्षकों के लिए निवास स्थान आदि। वह स्कूल के विभिन्न समारोहों के लिए धन दे सकता है। वह विशेष रूप से ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में मुफ्त श्रम देकर स्कूल की सहायता कर सकता हैं।

3—समाज में अपने कुशल कारीगर होते हैं। वे स्कूल के कार्य अनुभव जैसी क्रियाओं में, संगठन में सहायता कर सकते है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों के अभाव में शिक्षित लोग स्वेच्छा से अध्यापन के काम के लिए आगे आ सकते हैं।

4—यह देखा गया है कि उस गाँव में, जहाँ समुदाय का शिक्षा की ओर रुझान है और वह शैक्षिक क्रियाओं में रुचि रखता है, समाज स्कूलों के नियमित संचालन में सहायता करता है। स्कूल की दिन-प्रतिदिन की आकस्मिक समस्याओं का समाधान करता है, उसका निकट से निरीक्षण करता है और अन्य सहायता करता है।

5—स्कूल में अनुकूल वातावरण बनाए रखने में समुदाय सहायक होता है। वह शिक्षकों के आपसी झगड़ों तथा शिक्षकों और अभिभावकों के झगड़ों आदि में हस्तक्षेप करके उन्हें निपटाता है। वह कुछ सामाजिक अनवांछित समस्याओं तथा अशान्ति को दूर करने में भी सहायता करता है।

6—कई बार समाज स्कूल की प्रशासनिक समस्याओं को भी सुलझाता है। यह देखा गया है कि ऐसे मौकों पर पंचायत के अथवा समुदाय के सदस्य स्कूल की सहायता करते हैं।

7—शैक्षिक मामलों में भी समुदाय योगदान कर सकता है। क्रियाओं की योजना बनाने तथा उनको कारगर करने में वह बहुमूल्य सुझाव दे सकता है। समुदाय का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि वह स्कूल को कई तरह की प्रामाणिक प्रतिपुष्टि दे सकता है। बच्चों के अध्यापन तथा सह शैक्षिक क्रियाओं आदि के बारे में भी वह सहायता दे सकता है। इससे अध्यापन-अधिगम प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तन करने में सहायता मिल सकती है।

और भी अनेक पहलू हैं जहाँ समुदाय सहभागी हो सकता है और एक शैक्षिक संस्था की सहायता कर सकता है। वैसे हम पहले विवेचन कर चुके हैं, सहभागिता दो तरफा कार्य है।

आइये अब हम स्कूल समुदाय के सम्बन्धों को सुधारने तथा समुदाय की सहभागिता को बनाये रखने में स्कूल की भूमिका की समीक्षा करें।

कार्यकलाप–5

उन क्रियाओं का उल्लेख कीजिए जिनकी सहायता से स्कूल समुदाय के साथ अच्छे सम्बन्ध रख सकता है और इसकी सहभागिता प्राप्त कर सकता है ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

समुदाय की सहभागिता पाने में स्कूल एक निश्चित भूमिका निभा सकता हैं । इसके लिए उसे समुदाय के निकट जाना होगा । निम्नांकित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जिनमें स्कूल समुदाय की सहायता कर सकता है :—

1—स्कूल अपनी भूमिका का विस्तार कर सकता है और गांव/क्षेत्र के सभी निवासियों के लिए शिक्षा का केन्द्र बन सकता है । इसके लिए स्कूल शिक्षा का केन्द्र बन सकता है । इसके लिए स्कूल को चाहिए कि वह अपने को अपने विद्यार्थियों की औपचारिक शिक्षा तक ही सीमित न रखे, बल्कि समाज के सदस्यों को भी सीखने में सहायता करे । यदि ये सदस्य स्कूल से शैक्षिक सहायता लेना चाहें, तो स्कूल उनकी सहायता करे और साथ ही उनको आगे की भी अधिगम के लिए प्रोत्साहित करे । इस तरह स्कूल समुदाय का केन्द्र बन सकता है ।

2—अधिकतर स्थानों पर स्कूल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ लोग अपनी बैठकें, सभा, समारोह आदि कर सकते हैं । ऐसी परिस्थिति में स्कूल समाज को कुछ सुविधाएँ दे सकता है, जैसे पुस्तकालय, खेल का मैदान, आदि । ऐसा करते समय स्कूल को चाहिए कि वह अपने नियमित कार्यक्रमों को भंग न करे ।

3—ग्रामों एवं बस्तियों में शिक्षकों को विद्वान एवं शिक्षित समझा जाता है । लोग उनके पास सलाह और मार्ग-दर्शन के लिए आते हैं अत: उनकी सहायता करनी चाहिए ।

4—समुदाय में परिवर्तन के साधन रूप में स्कूल की भूमिका का विस्तार किया जाना चाहिए । वह समाज में शिक्षा एवं विकास के कामों तथा अभिकरणों के बारे में नये विचार संकलित करने तथा उन्हें फैलाने के काम में सहायता कर सकता है । कभी-कभी स्कूल लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त विकास विभागों से सम्पर्क स्थापित करने में भी उनकी सहायता कर सकता है ।

5—स्कूल में बच्चों द्वारा की गई कुछ क्रियाएँ अच्छी तरह प्रदर्शित की जा सकती हैं । उनके माता-पिता को उन्हें देखने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है, इसमें वे प्रसन्न होंगे । वे भी स्कूल के काम को और प्रयोग संबंधी प्रदर्शनों को देख सकतें हैं तथा उनसे सीख सकते हैं ।

अब तक आप उन क्षेत्रों की विवेचना कर चुके हैं जिनमें स्कूल और समुदाय एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। आइए अब हम अपने विचारों का संश्लेषण करें तथा कुछ मौलिक कारणों की व्याख्या करें जिनसे समुदाय की सहभागिता पर प्रभाव पड़ता है ।

कार्यकलाप–6

आपके विचार में वे कौन से कारण हैं जिनसे समुदाय की सहभागिता होती है ?	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

आपकी परिचर्चा से ऐसा लगता है कि निम्नांकित कारणों से समुदाय की सहभागिता प्रभावित होती है :—

1—स्कूल और समुदाय को सहभागियों के रूप में काम करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि समुदाय स्कूल के

मामलों में भाग लें। जब तक समुदाय के सदस्यों में अपनत्व और भागीदारी की भावना पैदा नहीं होगी तब तक वे भाग लेने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरित नहीं होंगे। स्कूल की सभी क्रियाओं और उनके प्रबन्ध में उनकी सहभागिता होनी चाहिए। यह प्रक्रिया सहभागी आयोजना तथा प्रबन्ध कहलाती है।

2—समुदाय के स्तर पर एक संगठन होना चाहिए जिसके माध्यम से समुदाय की सहभागिता नियोजित होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि लगभग सभी ग्रामों एवं बस्तियों में इस काम के लिए एक समिति बनाई जाती है। उस समिति के अनेक नाम हो सकते हैं, जैसे स्कूल समिति, समन्वय समिति, अभिभावक-शिक्षक संघ, आदि किन्तु समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने में उन समितियों का समुचित प्रयोग नहीं होता।

3—आपने देखा होगा कि जिन स्थानों पर नवयुवक या युवा पीढ़ी शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आगे आई है, समुदाय की सहभागिता को गति बढ़ गई है। इस पहलू पर और अधिक बल देने की आवश्यकता है।

4—आपने देखा होगा कि जिन स्थानों पर नवयुवक, जो दूर जनजातीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, वहाँ कुछ परम्परागत संस्थाएँ जैसे युवा शयनागार आदि भी हैं। यदि इन संस्थाओं का सफल प्रयोग किया जाय तो समुदाय की सहभागिता की गति तेज हो जायगी।

5—समुदाय की सहभागिता को बढ़ाने में स्वैच्छिक संगठनों का योगदान उत्साहवर्धक रहा है। जहाँ कहीं भी इस प्रकार के संगठन हों, उन तक पहुँच करनी चाहिए।

6—समुदाय की सहभागिता की सीमा को जानने और बढ़ाने के उद्देश्य से यह वांछनीय है कि समुदाय/बस्ती का सर्वेक्षण किया जाय और समुदाय के साधनों का पता लगाया जाय। इस सर्वेक्षण में समाज के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर, शैक्षिक स्तर, समाज की शैक्षिक आवश्यकताएँ, सामाजिक वर्गों की रचना, मानव साधन, ग्राम के अधिकारी, विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के कारण, आदि सम्मिलित होने चाहिए। इससे स्कूल के सुधार तथा स्कूल और समुदाय के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए सामुदायिक संसाधनों का लाभ उठाने में सहायता मिलेगी।

उक्त कारणों के अतिरिक्त और भी कारण हो सकते हैं जिनसे समुदाय की सहभागिता पाने में सहायता मिल सकती है। समुदाय से सम्पर्क स्थापित करते समय शिक्षक इन कारणों को पहचान सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं।

कार्यकलाप—7

आपने देखा होगा कि आपमें से कुछ को तो समुदाय की अच्छी सहायता मिल जाती है परन्तु औरों को इसमें कठिनाई होती है। क्या आपने कभी समुदाय के साथ काम करने में महत्त्वपूर्ण तरीकों को ढूंढ़ा है और उनकी व्याख्या की है। आइए यह कोशिश करें।

आपके विचार में समुदाय से सम्पर्क स्थापित करने के और समुदाय की सहभागिता प्राप्त करने के कुछ महत्त्वपूर्ण तरीके क्या हैं? कृपया संक्षेप में उनका उल्लेख कीजिए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

सामुदायिक कार्य के लिए अनेक तरीके ढूंढे गये हैं। वे सभी लाभदायक हैं। फिर भी आइए हम अपने अनुभवों का संश्लेषण करें और कुछ सामान्य तरीकों का उल्लेख करें:—

1—समुदाय से पूरी तरह सम्पर्क स्थापित करने से पहले यह आवश्यक है कि हम उस समुदाय को अच्छी तरह जान लें। जब आपकी नियुक्ति नये स्थान पर हो, तब उस स्थान के सामाजिक ढांचे, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक प्रतिबन्ध, राजनीतिक संगठन, समस्याओं आदि को समझने की कोशिश कीजिए।

2—केवल समुदाय को जानना ही पर्याप्त नहीं है। यह अधिक महत्त्वपूर्ण है कि आप अपने को समुदाय के समरूप बनाएँ। समुदाय के साथ समानता के स्तर पर सम्बन्ध स्थापित कीजिए और समुदाय के सदस्यों का सम्मान कीजिए।

3—यह बात महत्त्वपूर्ण है कि आप समुदाय या व्यक्तियों की समस्याओं को समझें। उनकी समस्याओं को बिना समझे अपने विचार उन पर न थोपें। आपका इस प्रकार का व्यवहार आपको समुदाय के निकट लायेगा।

4—बच्चों के अभिभावकों से उनके विरुद्ध शिकायत न करें। उन्हें निश्चित सुझाव दीजिए। ये सुझाव उन दोनों को अच्छे लगेंगे।

5—आप उभरते हुए नेताओं का, जो अधिकतर युवक और शिक्षित हों, सहयोग प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। समाज के वरिष्ठ सदस्यों की सहायता लाभदायक होगी।

6—बस्ती में आयोजित सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य समारोहों में भाग लेने से शिक्षकों को समाज के निकट आने में सहायता मिलती है।

7—इस उद्देश्य से यह सिफारिश की जाती है कि प्रत्येक स्कूल में सक्रिय अभिभावक शिक्षक संघ या सह-समन्वय समिति होनी चाहिए। उक्त तरीकों के अतिरिक्त कुछ और गुण जैसे—हँसमुख स्वभाव, बात करने का ढंग, सदस्यों के प्रति आदर आदि समाज के साथ घनिष्ठता स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समस्याओं के समाधान के लिए कोई बने बनाए तरीके तो हैं नहीं। वह अधिकतर विशिष्ट परिस्थिति के निदान और उसके लिए एक व्यक्ति या शिक्षकों द्वारा किए गए उपाय पर निर्भर करता है। आपकी भूमिका केवल कक्षा में निर्देशन तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। आपको समाज के लिए एक सहायक एवं मार्गदर्शन का काम करना होगा।

माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए इस मॉड्यूल में सुझाई हुई क्रियाओं के अतिरिक्त अभिभावक-शिक्षक संघ के साथ और अधिक निकट सम्बन्ध की सिफारिश की जाती है।

मॉड्यूल–7

वंचित वर्गों के लिए समान अवसर का प्रावधान

सिंहावलोकन

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में असमानताओं को दूर करने और अब तक समानता से वंचित रहे वर्गों की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान देकर, उनके लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने पर विशेष बल दिया गया है।

मोटे तौर पर इसके अन्तर्गत एक या दूसरे प्रकार की हीनता से ग्रस्त बच्चों के चार समूह आते हैं। वे हैं लड़कियाँ, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अपंग। इन बच्चों को वर्षों से दूसरों से हीन समझा जाता रहा है और उनके साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया जाता रहा है। फलस्वरूप उनका शैक्षिक विकास असमान रहा है।

बच्चों के इस वर्ग की हीनताएं सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर की हैं। समाज में महिलाओं को नीची दृष्टि से देखा जाता है, अनुसूचित जातियाँ अस्पृश्य हैं, अनुसूचित जनजातियाँ असभ्य हैं और अपंग दया के पात्र हैं। ऐसी घिसी-पिटी भावना न केवल निराधार है बल्कि समाज के लिए घातक भी है। वह अनुचित तथा भेदभाव-मूलक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बार फिर जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न करने के संवैधानिक प्रावधान पर जोर दिया गया है और समाज के इन सभी वर्गों को दूसरे वर्गों के समकक्ष लाने के लिए, ऐसे भेदभाव के विरुद्ध, पूर्ण संघर्ष का आह्वान किया गया है।

इस मॉड्यूल का उद्देश्य भेदभाव के अस्तित्व, उसके विस्तार और रूप के बारे में शिक्षकों में चेतना पैदा करना है जिससे वे इन समूहों के प्रति भिन्न दृष्टिकोण विकसित कर उक्त भेदभाव से लड़ सकें। इस मॉड्यूल में वर्णित विभिन्न कार्यकलापों से निम्न उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता मिलेगी।

उद्देश्य

यह मॉड्यूल पूरा कर लेने के बाद आशा की जाती है कि आप निम्न बातों सें परिचित हो सकेंगे :—

–इन समूहों के प्रति भेदभाव अभिजात वर्गों और शिक्षकों में भी व्यवहार के रूप में विद्यमान है। वह भेदभाव विभिन्न पाठ्य-पुस्तकों में इन समूहों के प्रति व्यवहार में परिलक्षित होता है,

–व्यवहार सम्बन्धी भेदभाव इन समूहों की उपेक्षा, गैर-भागीदारी और उनकी भावनाओं की पूर्ण अवज्ञा के रूप में है। पाठ्य-पुस्तकों की सामग्री में विषय और भाषा की प्रस्तुति में इन समूहों की घिसी-पिटी छवि परिलक्षित होती है,

–भेदभाव अनुचित है और उससे लड़ने के लिए निम्न बातें की जानी चाहिए :—

(क) भोजन पकाना, पानी लाना, खेलना, जैसे कार्यकलापों के साथ-साथ अन्य सभी कार्यकलापों में लड़कियों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अपंगों को समभागी बनाना।

(ख) कक्षा के किसी भी कार्य में सभी छात्रों को सामूहिक उत्तरदायित्व सौंपना।

(ग) बच्चों की शैक्षिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं का पता लगाना।

(घ) इन आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए उपाय और साधन खोजना।

स्पष्टीकरण

भेदभाव का कारण महिलाओं की भूमिका तथा स्तर के प्रति, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के हीन स्तर के प्रति, समाज का पूर्वाग्रह और अपंग बच्चों के प्रति दया तथा उपेक्षा का भाव है।

यह भेदभाव प्राय: इन समूहों के और अन्य समूहों के भी बच्चों के प्रति शिक्षक के व्यवहार में परिलक्षित होता है। शिक्षक कक्षा में हरिजन बच्चों से पानी लाने को नहीं कहते। गैर-अनुसूचित जातियों/जनजातियों के बच्चे अनुसूचित जातियों/जनजातियों के बच्चों के साथ खेलने में कतराते हैं। लड़कियों को खेल में लड़कों के साथ शामिल नहीं किया जाता। अपंग बच्चों को तो किसी खेल के योग्य नहीं समझा जाता।

इस भेदभाव की झलक पाठ्य-पुस्तकों की सामग्री उनकी विषयवस्तु और भाषा में भी मिलती है। "रानी झांसी महिला होने के बावजूद महान योद्धा थी"। महिला होने के बावजूद का प्रयोग न केवल निरर्थक है वरन् उसमें असमानता की भावना की भी झलक है।

कार्यकलाप

1. पहले कदम के रूप में शिक्षकों को कक्षा के सभी कार्यकलापों में सभी बच्चों को शामिल करना चाहिए, जैसे पीने का पानी लाना, खेल, नाटक आदि।
2. हाजिरी लेते समय बच्चों को "रामू धोबी" या "पलटू चमार" जैसे नामों से न पुकारना।
3. कक्षा में लिंग, जाति या अपंगता के आधार पर बच्चों को अलग-अलग न बैठाना।
4. छात्रावास के कमरों, रसोई घर या भोजन-कक्ष में बच्चों को अलग-अलग न बैठाना।
5. विद्यालय तथा छात्रावास के कार्यक्रमों में भेदभाव न करना।

अध्ययन कार्यकलाप

अब आपको इस बात का कुछ आभास हो गया है कि पाठ्य-पुस्तकों की सामग्री और कक्षा में एक ओर लड़कों और लड़कियों के बीच और दूसरी ओर गैर-अनुसूचित जातियों/जनजातियों की तुलना में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के साथ किस प्रकार भेदभाव बरता जाता है। यही समय है कि हम कुछ रुकें, सोचें और मालूम करें।

कार्यकलाप–1

आप वर्षों से जिन पाठ्य-पुस्तकों को पढ़ा रहे हैं, उनकी सामग्री में ऐसे किसी भेदभाव के केन्द्रबिन्दु की ओर आपका ध्यान गया है? एक पृथक कागज पर लिखने का प्रयास कीजिए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

अब आपके पास पाठ्य-पुस्तकों से छाँटी गई कुछ ऐसी सामग्री है जिसमें महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों/जनजातियों की भूमिका के प्रति समाज के पूर्वाग्रह के कारण लिंग या जाति के आधार पर भेदभाव से काम लिया गया है। यह भेदभाव सामग्री की विषयवस्तु में है अथवा भाषा में अथवा दोनों में अथवा क्या यह भेदभाव शैली और प्रस्तुति में भी दीख पड़ता है?

कार्यकलाप–2

रुककर सोचिए क्या आप भी अपने छात्रों, लड़कों और लड़कियों दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं? ऐसे कार्यकलापों की सूची बनाइए जिनमें आपके सभी छात्र समान रूप से भाग लेते हैं, अर्थात् खेल-कूद, नाटक, ललित कलाएँ (गायन, नृत्य, चित्रकला) रचनात्मक लेखन आदि, जैसे पाठ्यचर्या तथा सह-पाठ्यचर्या दोनों कार्यकलाप।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

यहाँ आपके लिए अपना मन टटोलने और यह देखने का अवसर है कि क्या आप समभाव से आचरण कर, अपने छात्रों में आत्म-निर्भर व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं, यदि नहीं तो अपने कारण बताइए और अन्त में अपने मन से प्रश्न कीजिए।

क्या लड़कों और लड़कियों के बीच भेद करना और उनके साथ पूर्वाग्रह की भावना से व्यवहार करना उचित है ? यदि नहीं तो आपने इस स्थिति में सुधार के लिए किस प्रकार प्रयास किया है। यह असमानता दूर करने का लक्ष्य प्राप्त करने में भाषा-शिक्षकों की क्या भूमिका हो सकती है ?

कार्यकलाप–3

विषयवस्तु में भेदभाव से आप क्या समझते हैं, इस पर कुछ वाक्य लिखिए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

आपको पता चलेगा कि पुस्तकों में सम्मिलित पाठों/अध्यायों में महिलाओं सम्बन्धी विषयों में असंतुलन है। महिलाओं सम्बन्धी विषयों पर जोर कुछ हो सकता है। पाठ्य-पुस्तक में महिला पात्रों की संख्या पुरुष पात्रों से कम भी हो सकती है। स्पष्टत: यह जानने के लिए कि विषय में (जिसमें अध्यायों की संख्या भी शामिल है) महिलाओं के साथ समुचित समानता बरती गई है या नहीं, पुस्तकों के हर पाठ/अध्याय की छानबीन करनी होगी।

आपने, जैसा इस चर्चा में समझा होगा, विषयवस्तु में असमानता, बाँझ, कुंवारी और विधवा महिलाओं के साथ जुड़े सामाजिक लांछनों और वर्जनाओं में परिलक्षित होती है। जहाँ तक शैक्षिक तथा जीने के अन्य अवसरों का प्रश्न है, वहाँ भी वह असमानता भेदभावमूलक व्यवहार में परिलक्षित है। दहेज प्रथा, कन्या-विक्रय, बाल-विवाह, अंधविश्वास तथा मिथ्या विश्वास और पुरुष पर निर्भरता आदि की चर्चा भी हो सकती है।

इस दृष्टिकोण के अनुसार पाठ्य-पुस्तकों/सहायक पुस्तकों से वे सभी बातें निकाल दी जानी चाहिए, जिनमें लड़कियों के साथ भेदभावमूलक व्यवहार हो, साथ ही लड़कों और लड़कियों के प्रति आप के व्यवहार से भी। सब मिलाकर लक्ष्य ऐसे नकारात्मक दृष्टिकोण को निकाल बाहर करने का है जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका को कम करने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है।

कार्यकलाप–4

पाठ्य-पुस्तकों की सामग्री में यदि ऐसे भेदभावमूलक उल्लेख हों तो उन्हें पढ़ाते समय संतुलन लाने के लिए आप क्या दृष्टिकोण अपनाएँगे ? कुछ वाक्यों में लिखिए। आप बच्चों को इन बुराइयों से कैसे परिचित कराएँगे जिससे वे महिलाओं की सकारात्मक भूमिका को अच्छी तरह समझ सकें।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

अब आपने पाठ्य-पुस्तकों की सामग्री में दीख पड़ने वाले पूर्वाग्रह के क्षेत्रों का पता लगा लिया है। यही उचित समय है जब आप अपने छात्रों में महिलाओं/लड़कियों के प्रति पैदा होने वाले गलत दृष्टिकोण के लिए जिम्मेदार गलतियों का

सुधार करें। यही समय है जब लड़कों और लड़कियों को इस लक्ष्य से परिचित कराया जाय कि महिलाएँ शरीर और बुद्धि दोनों में पुरुषों के बराबर सिद्ध हुई हैं, वे प्रशासन प्रबन्ध या नेतृत्व में पीछे नहीं रहतीं।

इस काम को करने के दो ढंग हैं।

कार्यकलाप–5

पाठ्य-पुस्तकों और सहायक पुस्तकों को पढ़कर ऐसे उल्लेखों को छाँटिए जिनमें महिलाओं के ओजपूर्ण व्यवहार का चित्रण हो। उन नकारात्मक अंशों की भी सूची बनाइए जहाँ आप अपने छात्रों को बताना चाहते हैं कि अब समय बदल गया है, विश्व मंच पर ऐसी अनेक महिलाएँ उभरकर सामने आई हैं जिन्होंने यह प्रमाणित कर दिया है कि उनके काम को पुरुषों के काम के बराबर, बल्कि उनसे भी अच्छा समझा जा सकता है।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

आपको पता लगेगा, अब आपके पास एक ऐसा शीघ्रगणक है जो आपके छात्रों में यह चेतना जगाने के काम को सरल कर देगा कि आज महिलाएँ अधिक आत्म-निर्भर, आत्म-प्रेरित और आत्म-निर्देशित हैं।

माता-पिता, परिवार के अन्य सदस्यों, बालिका के ससुराल पक्ष वालों, आम समाज और यहाँ तक कि स्वयं महिलाओं ने भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका को ठीक से नहीं समझा-सराहा है।

कार्यकलाप–6

पाठ्य-पुस्तकों/सहायक पुस्तकों से भाषा के ऐसे अंश छाँटिए जो महिलाओं अथवा अन्य हीन समूहों की छवि को बिगाड़ते हों।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

विषयवस्तु को भाषा की विशेष प्रस्तुति के माध्यम से शब्दों को नया अर्थ देना सम्भव है। स्पष्टत: लेखक की प्रस्तुति और शैली का सर्वाधिक महत्त्व होता है। इस दृष्टि से पुस्तक की छानबीन में इसका विचार रखा जाना चाहिए। प्रस्तुति के ढंग से व्यक्ति की छवि को बनाया या बिगाड़ा जा सकता है।

यही उपयुक्त समय है जब आप बच्चों को बताएँ कि हमारा संविधान जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव बिना व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए, समान अवसरों का आश्वासन प्रदान करता है। स्त्री और पुरुष दोनों के ही व्यक्तित्व के विकास के लिए उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आवश्यक और अपेक्षित है। दोनों को सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। अपने छात्रों को ऐसे अंश बताने का प्रयास कीजिए।

अपने छात्रों के मन में यह बात बैठाने का भी प्रयास चाहिए कि परिवार सम्पूर्ण समाज का एक अभिन्न अंग है। अत: परिवार और बृहत्तर समाज की प्रगति पारस्परिक सहयोग, स्नेह, एकता की भावना और आत्मीयता की समझ पर निर्भर है। स्पष्टत: परिवार और समाज के मामलों में पति-पत्नी दोनों में सहयोग रहना चाहिए और उन्हें अधिक प्रभावशाली ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आपसी परामर्श के आधार पर लिए गए निर्णयों से पारिवारिक सुख और एकता में पर्याप्त सहायता मिलती है।

पहला कदम बच्चों की शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं का पता लगाने का है।

कार्यकलाप–7

मेरे विचार से मेरे अपंग छात्रों की समस्याएँ निम्न कारणों से हैं :—

समस्या का प्रकार	कारण

आपने अपनी व बच्चों की समस्याओं की सूची बना ली होगी। उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर सूची अलग-अलग है। क्या आप उन्हें कुछ सामान्य समस्याओं के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। कृपया कोशिश करें। अन्त में आप देखेंगे कि आपकी सूची इस प्रकार है : —

कार्यकलाप–8

अधिगम समस्याएँ	श्रेणी	1 2 3 4 5	एकत्र कीजिए चर्चा कीजिए

आप द्वारा बनाई गई सूची संकेत करती है कि कुछ समस्याएँ विद्यालय अथवा घर के अधिगम वातावरण से सम्बन्धित हैं। जबकि कुछ बच्चे से सम्बन्धित हैं। उदाहरण के लिये माता-पिता या समाज का, बच्चे के प्रति प्रतिकूल व्यवहार घर तथा समाज में उनके अधिगम को प्रभावित करता है। विद्यालय में अपर्याप्त शिक्षण भी अधिगम वातावरण को प्रभावित करता है। मंद बुद्धि, सुनने में कठिनाई या दृष्टि-दोष भी बच्चे में हो सकता है और इनसे भी शैक्षिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। यह कारण भी अधिगम वातावरण को प्रभावित करते हैं क्योंकि बच्चे की भी इस अपंगता* को दूर करने के लिये कोई सुधारात्मक या उपचारात्मक प्रयास नहीं किया गया, और यदि किया गया है तो वे पूर्ण नहीं हैं लेकिन अध्यापक होने के नाते हम ऐसे बच्चों के सुधारात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की उपेक्षा नहीं कर सकते। इनके अभाव में ऐसे बच्चों की समस्याएँ बढ़ती जाएंगी, और एक न एक दिन वे अवश्य विद्यालय छोड़ देंगे।

इस भाग में इन बच्चों के साथ नियमित विद्यालयों में किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, इस पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। कुछ अपंग बच्चे आपकी कक्षाओं में भी हो सकते हैं, विशेषकर मंद बुद्धि वाले, कम सुनने वाले, दृष्टि-दोष वाले और हाथ-पांवों के विकार वाले बच्चे। आप इन बच्चों की पढ़ाई और प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रयास कर रहे होंगे। ऐसे बच्चों की कठिनाइयों के समाधान हेतु आपने जो प्रयास किये हों उनकी एक सूची बनाइये। आप और भी सम्भावित कदमों के बारे में सोच सकते हैं।

---

*अपंगता : विकृति के कारण संबंधित व्यक्ति में कामकाज की योग्यता नहीं रहती अथवा कम हो जाती है। व्यक्ति की इस बाधित कार्य-क्षमता को उसकी अपंगता कहा जाता है। विकृति : विकृति शरीर के किसी अंग की क्षति या असामान्यता है जिसके फलस्वरूप सामान्य कामकाज में बाधा पड़ती है।

कार्यकलाप–9

अपंगता	उठाए जा रहे कदम	संभावित कदम
हाथ-पांव की अपंगता		
मंद बुद्धि		
सुनने में कठिनाई		
हल्का दृष्टि-दोष		

एकत्र कीजिए
चर्चा कीजिए

आप जैसे कुछ शिक्षकों ने नियमित कक्षाओं में अपंग बच्चों की पढ़ाई की समस्याओं से निपटने के लिए अनेक उपायों को काम में लिया है। इस भाग में बताया गया है कि उन्होंने ऐसे बच्चों की रचनात्मक पढ़ाई के लिए कैसे-कैसे प्रयास किए।

शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन

शैक्षिक समस्याग्रस्त बच्चों से निपटने में पहला कदम उनका पता लगाने का है। एक बार उनका पता लग जाने पर उनकी विशेष अपंगता का पता लगाया जाता है। इन बच्चों को उपयुक्त व्यक्तियों/संस्थाओं के पास भेजा जाता है। इसके दो कारण हैं। उनकी अपंगता का उपचार किया जाता है। उदाहरण के लिए, सुनने में कठिनाई अनुभव करने वाले बच्चों को डाक्टरी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। दूसरे, उनकी अपंगता को दूर करने के लिए सुधार (श्रवण यंत्र) की जरूरत हो सकती है। आँखों की समस्या वाले बच्चे को चश्मे या आवर्धक लैंस (मैगनीफाइंग ग्लास) की आवश्यकता हो सकती है। हाथ-पांव की अपंगता वाले बच्चे को चलने-फिरने के लिए बैसाखी या पहिएदार कुर्सी की अथवा ठीक से लिखने के लिए हाथ में कोई यंत्र लगाने की आवश्यकता हो सकती है।

उपचारात्मक तथा सुधारात्मक उपायों के साथ-साथ ऐसे बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और पढ़ाई में कुछ हेरफेर भी करना होता है जिससे वे सामान्य बच्चों की भाँति ही पढ़-लिख सकें। प्रस्तुत रूपरेखा में हर प्रकार की अपंगता की अलग-अलग चर्चा की गई है।

हाथ-पांवों की अपंगता वाले बच्चे

शारीरिक अपंगता वाले बच्चों को अंग-चालन की समस्या होती है। अंग-चालन की समस्या का सम्बन्ध मांसपेशियों और जोड़ों में है। इसका प्रभाव हाथ-पांव और उंगलियों की गतिशीलता पर पड़ता है। इन बच्चों को घूमने-फिरने में कठिनाई होती है। अन्यथा, उनमें सीखने के लिए सामान्य क्षमता होती है। किन्तु उनकी कुछ विशेष समस्याएँ हो सकती हैं जो उनकी पढ़ाई में बाधा डालती हैं। उदाहरण के लिए उंगलियों की जड़ मांसपेशियों वाले बच्चों को लिखने की समस्या हो सकती है।

उन्हें बैठने की भी समस्या हो सकती है। पढ़ाई के कुछ कार्यकलापों में वे शीघ्र थकान अनुभव करने लगते हैं और उनके काम पर अंकुश लग जाता है। इन बच्चों में भी तालमेल की समस्या पैदा हो जाती है क्योंकि वे अन्य बच्चों के व्यंग्य को सहन नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों का पता लगाना अधिक आसान होता है, क्योंकि उनकी अपंगता पर तत्परता से चर्चा होती है।

शिक्षक अपने बच्चों के अभिभावकों के सहयोग से उनके हाथ-पांवों की गतिशीलता और उंगलियों के संचालन के लिए आवश्यक सहायता की व्यवस्था करने को कदम उठा सकता है। ये सुविधाएँ जिला पुनर्वास केन्द्रों में उपलब्ध हैं। उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से अस्पतालों में भी प्राप्त किया जा सकता है।

सर्वाधिक महत्त्व की बात यह है कि शिक्षक स्वयं ऐसे बच्चों से परहेज न करे। उसे बच्चे को अपंगता का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। साथ ही बच्चे के मन में यह छाप नहीं बैठनी चाहिए कि उसके साथ विशेष व्यवहार किया जा रहा है। उसे उसके अन्य समकक्षों के साथ बराबरी के दर्जे पर पढ़ाई के सभी कार्यकलापों में शामिल किया जाना चाहिए।

शिक्षक पारस्परिक सम्मान, सहायता और सहयोग के आधार पर समकक्षों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करता है।

कक्षा में बैठने का प्रबंध करते हुए अपंगता को ध्यान में रखकर उपयुक्त हेरफेर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ऐसे बच्चों की कक्षा में दायीं ओर की सामने की जगह में बैठाया जा सकता है, जिससे सामान्य बच्चों के आने-जाने में बाधा न पड़े। यदि कोई पहिएदार कुर्सी वाला बच्चा है तो विद्यालय तथा कक्षा के मार्ग को समतल बनाना होगा।

ऐसा देखा गया हैं कि इन बच्चों की अपंगता के कारण विद्यालय में उनके मनोरंजन की आवश्यकताओं की उपेक्षा कर दी जाती है। उनको उपयुक्त खेलों और मनोरंजन के कार्यकलापों में भाग लेने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। समकक्षों को ऐसे कार्यकलापों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

हाथ-पांवों की जड़ता वाले बच्चों की शैक्षिक समस्याओं के सुलझाने में काफी अभ्यास की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए अनुकूल साधनों की सहायता से लिखने में धीरे-धीरे अभ्यास किया जाना चाहिए। इन बच्चों के काम का मूल्यांकन करने में, विशेषकर उन्हें नम्बर देते समय, उनकी अपंगता का समुचित ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि उन्हें लिखने में कठिनाई होती है तो उन्हें अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। आवश्यकता होने पर उनकी मौखिक परीक्षा भी ली जा सकती है।

कार्यकलाप–10

शिक्षक के नाते क्या हाथ-पांवों की अपंगता वाले किसी बच्चे को आपने पढ़ाया है ? यदि हाँ, तो निम्नलिखित बातों में प्रत्येक का करीब 25 शब्दों में वर्णन कीजिए :—

(क) एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने-जाने की समस्या वाले बच्चे।

(ख) मांसपेशियों में तनाव से बैठने की समस्या वाले बच्चे।

(ग) जड़ मांसपेशियों की समस्या से ग्रस्त बच्चे जिससे उनकी शैक्षिक पढ़ाई/दक्षता में बाधा पड़ती है।

निम्न अनुच्छेदों में अपंग बच्चों का पता लगाने के लिए संकेत दिये गये हैं :—

दृष्टि-दोष वाले बच्चे

पढ़ाई में पुस्तक पढ़ने की और श्याम पट (ब्लैक बोर्ड) के उपयोग की आवश्यकता होती है। दृष्टि-दोष से पढ़ाई में अनेक समस्याएँ पैदा होती हैं। उनके प्रमुख प्रकट लक्षण इस प्रकार हैं :—

–आँखों को बार-बार मलना,

–एक आँख पर हाथ रखकर सिर आगे को निकालना,

–वस्तुओं को, जिनमें पुस्तक भी है, आँखों के समीप ले जाकर देखना,

–श्याम पट से नोट उतारते समय दूसरे बच्चों से पूछना,

–अधखुली आँखों से देखना,

–आँखों में पानी भरना,

–आँख से काम करने पर सिरदर्द की शिकायत करना,

–चलते समय लोगों या वस्तुओं से टकराना,

National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,Sri Aurbindo Marg,New Delhi-110016
DOC. No. 3964
Date 18/9/87

कम सुनने वाले बच्चे

संवाद और पढ़ाई में सुनने की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। सुनने की समस्याओं से बच्चों की पढ़ाई और काम में बाधा पड़ती है। अतः ऐसे बच्चों का पता लगाना और उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कदम उठाना आवश्यक है। ऐसे बच्चों का पता लगाने के लिए उनके प्रकट होने वाले प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार हैं :—

–कानों से रह-रह कर मैल निकालना,
–ठीक से सुनने के लिए सिर एक ओर झुकाना,
–निर्देशों का पालन न कर पाना,
–पाठ, प्रश्न आदि को दुहराने की प्रार्थना करना,
–सुनते समय बच्चों के होठों की गति पर विशेष ध्यान देना,
–सामूहिक वाद-विवाद में भाग लेने से हिचकिचाना,
–बेचैनी दिखाना और ठीक से ध्यान न देना,
–बोलने में कठिनाई प्रदर्शित करना।

मंद बुद्धि वाले बच्चे

कुछ बच्चे पढ़ाई में निरंतर कमजोरी दिखाते हैं। उनका काम सामान्य बच्चों के काम के स्तर से लगभग दो वर्ष पीछे रहता है। उन्हें कोई शारीरिक समस्या नहीं होती। कक्षा में भी अपने को ठीक से अनुकूलित नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों का पता लगाने के लिए उनके कुछ प्रकट लक्षण इस प्रकार हैं :—

–पढ़ाई में कमजोर रहना,
–अधिक देर तक ध्यान न लगा पाना,
–अधिक समय तक स्मरण न रख पाना,
–उखड़े-उखड़े रहना,
–ठोस वस्तुओं की प्रस्तुति पर अत्यधिक निर्भरता प्रदर्शित करना,
–तत्काल परिणाम पाने की इच्छा करना,
–अपनी छवि को हीन समझना,
–विफलता से भय खाना,
–आत्म-विश्वास की कमी,
–बहुत कम बोलना,
–मांसपेशियों को संतुलित न रख पाना,
–पुनरावृत्ति और बार-बार अभ्यास करना,
–सामूहिक कार्यकलापों में पहलकदमी का अभाव।

समेकन

आपने उन उपायों को सूचीबद्ध किया है जिन्हें आप अपंग बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने के लिए काम में लाते रहे हैं। आपने इस उद्देश्य से उठाए जा सकने वाले कदमों को भी सूचीबद्ध किया है। कुछ अन्य शिक्षकों और इस कार्य में लगे अन्य व्यक्तियों ने ऐसे बच्चों के बारे में अपने अनुभव के आधार पर जो सुझाव दिए हैं, उनका भी आपने अभी-अभी अध्ययन किया है। क्या आप अपने द्वारा सुझाये गये उन कार्यों की सूची को दुहराना चाहेंगे जो आपकी कक्षा में अपंग बच्चों

की पढ़ाई में सुधार के लिए किए जा सकते हैं ? आप अपने पूर्व सुझावों की समीक्षा कर निम्न तालिका को पूरी कर सकते हैं :—

श्रेणी	सुधार के लिए कार्य
हाथ-पाँव की अपंगता	
सुनने में कठिनाई	
दृष्टि-दोष	
मंदबुद्धि	

प्रश्न

1. हीन समूहों के साथ शिक्षा में किस प्रकार से भेदभाव बरता जाता है ?
2. भेद-भाव करने वाला शिक्षक किस प्रकार जाने या अनजाने एक वर्ग के छात्रों की तुलना दूसरे वर्ग के छात्रों के साथ करके भेद-भाव पैदा कर सकता है ?
3. विभिन्न हीन समूहों को समान अवसर प्रदान करने में कौन सी कार्यविधियों से सहायता मिल सकती है ?

मॉड्यूल–8

राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन

सिंहावलोकन

विभिन्न कमीशनों और कमेटियों द्वारा शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने की बात बार-बार दुहराई जाती रही है। कोठारी कमीशन में इस बात पर जोर दिया गया है कि शिक्षा का एक मूल उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को तेजी से आगे बढ़ाना भी है।

राष्ट्रीय एकता परिषद की गजेन्द्र गडकर कमेटी ने कहा है कि प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा के स्तर तक शिक्षा के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार होने चाहिए :—

—देशवासियों में भारतीय एकता और परस्पर अधीनता का भाव जाग्रत करना।

—लोकतंत्र के सिद्धान्तों में विश्वास उत्पन्न करना।

—देश में पारस्परिक समाज के आधार पर एक नए समाज की संरचना करना।

इस विषय में नवीनतम टिप्पणी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दी गई है। शिक्षा के सिद्धान्तों का विवेचन करते हुए कहा गया है :—

"शिक्षा की भूमिका आगे बढ़ाने की होती है। इसके माध्यम से उन विचारों और भावनाओं का विकास होता है जो देश की एकता, वैचारिक शक्ति, मन-मस्तिष्क की स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है और इस प्रकार समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के, जो हमारे संविधान की प्रमुख विशेषतायें—लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं।"

शिक्षा के राष्ट्रीय तौर-तरीकों का विवरण देते हुए शिक्षा नीति में एक समान राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के ढांचे की ओर संकेत दिया गया है। जिन दस बिन्दुओं को समान तत्व के रूप में चुना गया है, उनमें से आठ प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय एकता से जुड़े हुए हैं। ये बिन्दु हैं :—

–भारत के स्वतंत्रता-संग्राम का इतिहास,

–संविधान में दिये गये नियम,

–राष्ट्रीय समानता को बढ़ावा देने के लिए दी गई विषय वस्तु,

–भारत की समान सांस्कृतिक विरासत,

–समानता, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता,

–स्त्री और पुरुष की समानता,

–सामाजिक बाधाओं को दूर करना,

–वैचारिक क्षमता उत्पन्न करना।

शिक्षा नीति में मूल्यों के शिक्षण के संबंध में दिए गये अध्याय "शिक्षा के विषय और विधि का पुनर्गठन" में कहा गया है :—

"विभिन्न सांस्कृतिक रूपों में भरे हुए हमारे समाज में शिक्षा का उद्देश्य ऐसे सर्वव्यापी और सनातन मूल्यों को बढ़ावा देना होना चाहिए जो देशवासियों की एकता में सहायक हो। इस प्रकार के मूल्यों की शिक्षा से धार्मिक कट्टरता, सुधार-विरोधी तत्व, हिंसा और भाग्यवादिता के उन्मूलन में सहायता मिलनी चाहिए।"

राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने में शिक्षा की ऐसी भूमिका होने के कारण यह आवश्यक है कि शिक्षक इसके अर्थ इसके मूल्य को भलीभाँति समझें और अपने स्कूलों में ऐसे उपायों का प्रयोग करें जिससे शिक्षा के इन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक निभाया जा सके।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप निम्न बातें कर सकेंगे :—

–राष्ट्रीय एकता की भावना को समझना।

–विभिन्नता में एकता की भावना की सराहना करना।

–यह समझना कि जाति, धर्म, संप्रदाय और भाषा तथा संस्कृति के तुच्छ भेद किस प्रकार राष्ट्र के वृहत्तर हितों को हानि पहुँचा सकते हैं।

–विभिन्न विषयों को पढ़ाते समय राष्ट्रीय एकता से संबंधित मूल्यों और भावनाओं पर बल देना।

–राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने वाली सहपाठ्यक्रमी क्रियाओं का आयोजन व मूल्यांकन करना।

–स्कूल में ऐसा वातावरण उत्पन्न करना जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले।

ज्ञानार्जन से संबंधित कार्यकलाप

धारणा

आपने राष्ट्रीय एकता के विषय में बार-बार सुना होगा और उस पर चर्चा भी की होगी। आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, और कई बार आपस में इसके संबंध में वाद-विवाद भी किया होगा। आइये, अब हम एक सुनियोजित ढंग से कुछ प्रश्नों का हल ढूंढ़ें।

कार्यकलाप–1

राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? एक पैराग्राफ लिख कर इस धारणा को स्पष्ट करें।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

भारतीय समाज एक ऐसा विभिन्नताओं से भरा समाज है जहाँ लोगों की अलग-अलग भाषायें हैं, भिन्न-भिन्न धर्म हैं और अलग-अलग संस्कृति है। इस महान विभिन्नता में निहित एकता का एक ऐसा तार है जो हम सबको एक सूत्र में गूंथ देता है। यह एक शक्ति है—भारतीयता—देश को समझने और उससे बँधने की भावना। इसी भावना से देश के फूल-पौधों को, पशु-पक्षियों को, उसकी नदियों और पर्वतों को एक ओर तो अपनत्व मिलता है और दूसरी ओर उसकी प्रगति और एकता को बल। इस भावना में लोक कल्याणकारी समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता भी अंतर्हित है। भारतीय संस्कृति की यह विविधता ही उसका बल है, उसकी कमजोरी नहीं। जब कभी लोगों में जाति, धर्म, समुदाय या भाषा के प्रति संकीर्ण निष्ठा उभरती है, तब यही विविधता एक कमजोरी का रूप धारण कर लेती है।

"विविधता" और "एकता" के इन दो पहलुओं के बीच हमें एक संतुलन बनाए रखना है। जब भी यह संतुलन बिगड़ता या डगमगाता है, विघटनकारी शक्तियाँ एकत्रित होकर देश की शांति को भंग कर देती हैं। इस संतुलन को बनाए रखने से राष्ट्रीय एकता के लिए एक राह बन जाती है।

राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य है विविधता और विभिन्नता की सराहना करना—अतः निश्चित रूप से यह एक मूल्य है। राष्ट्रीय एकता में किसी प्रकार से भी ठोस एकता और विभिन्नता का अभाव नहीं है वरन् इसमें विभिन्नता और

विविधता को महत्त्व दिया जाता है। यह तो केवल ऐसे सामाजिक अनबन का विरोध करती है, जो कुछ संकीर्ण विचारों के कारण उत्पन्न होते हैं। इसका लक्ष्य जाति, धर्म, समुदाय, भाषा आदि के आधार पर उत्पन्न होते वाले पूर्वाग्रहों को कम करना है। एक अच्छा इन्सान बनने के लिए यह आवश्यक है कि हम दूसरों की भावनाओं तथा उनके मूल्यों का आदर करें। मानवीय व्यवहार के लिए प्यार, सहानुभूति और सहनशीलता आवश्यक गुण होते हैं। इनके माध्यम से ही एक स्वस्थ समाज की संरचना हो सकती है। भारत का इतिहास और उसकी सांस्कृतिक परम्परायें ऐसे ही सूत्र हैं जो हमें एक साथ बांधते हैं। देश से भूख, गरीबी और रोगों का निवारण करके देशवासियों को आर्थिक और सामाजिक न्याय देना—ऐसा ही एक और सूत्र है।

राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता

इस धारणा को भली प्रकार समझने के बाद अब यह आवश्यक हो जाता है कि हम यह जानें कि यह हमारे देश के लिए आवश्यक क्यों है ?

कार्यकलाप–2

1—राष्ट्रीय एकता हमारे देश के लिए क्यों आवश्यक है ?	**एकत्र कीजिए**
2—विघटनकारी शक्तियाँ जोर क्यों पकड़ने लगती हैं ?	**मिलान कीजिए**
दोनों प्रश्नों के उत्तर में एक-एक पैराग्राफ लिखें।	**चर्चा कीजिए**

समाज में शांति स्थापित होने पर मानव-मन को मुक्ति प्राप्त होती है। शांति स्वतंत्रता तथा समाज की प्रगति और विकास के विषय में सोचने का अवसर प्रदान करती है। इतिहास साक्षी है कि शांति के समय क्षेत्र अथवा देश के विद्वानों ने दार्शनिक सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं, वैज्ञानिकों ने अन्वेषण किये हैं और मानव समाज ने आध्यात्मिक तथा भौतिक प्रगति की है। जो देश संघर्षों और झगड़ों से ग्रस्त है और जहाँ लोगों को अपनी जान-माल की सुरक्षा की चिन्ता करनी पड़ती है, उस देश के निवासी अपने समाज की प्रगति तथा कल्याण में अपना योगदान की नहीं दे पाते।

ब्रिटिश शासक फूट डाल कर राज करने की नीति पर चलकर देश के विभिन्न सम्प्रदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न करके खूब फले-फूले। समस्त देश गरीबी और असमानता का शिकार हो गया। तब समस्त देशवासी एकजुट होकर ब्रिटिश शासन का विरोध करने और स्वतंत्रता पाने के लिए आगे बढ़े। बहुत संघर्ष के बाद, बहुत कुछ खोने-पाने के बाद 1947 में देश स्वतंत्र हुआ और शीघ्र ही देशवासियों द्वारा बनाया गया संविधान भी लागू हो गया। संविधान लागू करते समय देशवासियों ने समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतंत्र के सिद्धान्तों पर आधारित, नई समाज व्यवस्था लाने का संकल्प किया था। फिर भी पूंजीपतियों, कट्टर धर्मपंथियों और शक्तिमान व्यक्तियों को यह डर लगा रहता हैं कि कहीं नई सामाजिक क्रांति के कारण उनके अधिकारों और सुविधाओं में कमी न आ जाये, इसलिए वे बार-बार नये समाज की संरचना में अनेक बाधायें डालते हैं और उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। बार-बार जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के नाम पर झगड़े होते हैं और नये समाज की संरचना में बाधा पड़ती है। आजकल ये शक्तियाँ बहुत बढ़ गई हैं और देश के सामने एक चुनौती लेकर खड़ी हैं। यदि लोगों में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र के मूल्यों में आस्था हो, तो वे इन विघटनकारी शक्तियों को नाकाम कर सकते हैं। आज समय की माँग है कि लोग एकता के सूत्र में बँध जावें और एक प्रगतिशील व कल्याणकारी समाज के निर्माण का प्रयास करें।

शिक्षा की भूमिका

आइये अब हम देखें कि राष्ट्रीय एकता की भावना के मूल्यों को प्रोत्साहित करने में शिक्षा एवं शिक्षक की भूमिका क्या है ?

कार्यकलाप–3

1—राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में शिक्षा को क्या भूमिका है ? 2—राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहन देने में शिक्षक की भूमिका का उल्लेख कीजिए। 3—दोनों बिन्दुओं पर अलग-अलग एक पैराग्राफ लिखिए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में शिक्षा को एक प्रमुख भूमिका हो सकती है। वास्तव में अच्छी शिक्षण प्रणाली स्वत: राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में सक्षम होती है। इन आदर्शों के लिए बनाये गये स्कूल नि:संदेह भावी नागरिकों में उन भावों और आचार-व्यवहारों को उत्पन्न कर सकते हैं। राष्ट्रीय एकता स्कूल के पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बन सकती है। यह कार्य प्रत्येक स्तर पर होना चाहिए। इन आदर्शों पर जिन स्कूलों की स्थापना होती है, वे भावी नागरिकों के मन में इस प्रकार की आवश्यक भावनायें उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना स्कूलों के पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। संक्षेप में स्कूल का समस्त वातावरण ही छात्रों में राष्ट्रीय एकता बढ़ाने से संबंधित होना चाहिए।

स्कूल प्रणाली में शिक्षक की भी एक अहम भूमिका होती है। वह उचित वातावरण को सृष्टि कर सकता है जिसका बच्चों के मन-मस्तिष्क पर अपेक्षित प्रभाव पड़ सकता है। भाषणों अथवा उपदेशों से छात्रों में राष्ट्रीय एकता के मूल्य नहीं उत्पन्न होंगे। राष्ट्रीय भावना से संबंधित मूल्यों के प्रति उचित धारणायें धीरे-धीरे ही पैदा होंगी। इसके लिए शिक्षकों को कक्षा में तथा कक्षा के बाहर दोनों ही स्थानों पर ऐसे अवसर खोजने चाहिए, जिनका उपयोग वह शिक्षा के कार्यक्रमों में कर सकें।

शिक्षक को स्वयं भी छात्रों के सन्मुख ऐसा आचार-व्यवहार प्रस्तुत करना पड़ेगा जिसे वे आदर्श मान सकें। उसे स्वयं को राष्ट्रीय एकता का एक जीता-जागता प्रतीक बनना पड़ेगा। उसे स्वयं को जाति, धर्म, भाषा और स्त्री पुरुष के भेद-भाव से ऊपर उठना होगा।

शिक्षक की विशेष भूमिका

आइये, अब हम देखें कि पाठ्यक्रम तथा सहपाठ्यक्रमिक क्षेत्रों में शिक्षक कौन सी भूमिका निभा सकता है।

कार्यकलाप–4

किन विषयों के राष्ट्रीय माध्यम से एकता के मूल्यों तथा भावनाओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है ? इसके कारणों का उल्लेख करते हुए एक पैराग्राफ लिखिए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

भाषा और साहित्य

भाषा और साहित्य के शिक्षण में राष्ट्रीय एकता को बल देने की अधिक क्षमता है। प्रारंभिक कक्षाओं में, जहाँ भाषा संबंधी ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है वहाँ शब्द, वाक्य लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग जाति, समुदाय, क्षेत्रीय अथवा भाषा संबंधी पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए किया जाता है। जिन उदाहरणों द्वारा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले, उन्हें उभार कर सामने लाया जा सकता है। उच्च कक्षाओं की भाषा की पाठ्यपुस्तकों के लिए प्रायः विभिन्न विधाओं की साहित्यिक कृतियों का चयन किया जाता है। निश्चित रूप से उसका उपयोग देश की एकता को बनाए रखने वाले भावों को जाग्रत करने के लिए किया जा सकता है। कभी-कभी विगत साहित्य उस समय-विशेष के पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। यदि पाठ्यपुस्तक में ऐसे अंश हों, तो शिक्षक को उस समय की परिस्थितियों के संदर्भ में उन अंशों को छात्रों के सम्मुख रखना चाहिए, जब वे लिखे गये थे। इस प्रकार के अंशों के माध्यम से जाति, समुदाय, भाषा आदि के आधार पर जो सामान्य धारणायें बना ली जाती हैं, वे पूर्णतः सही नहीं भी हो सकती हैं। साहित्य को पढ़ाते समय इन बिन्दुओं को स्पष्ट करना आवश्यक है। लेख लिखवाने के लिए ऐसे विषयों का चयन किया जाना चाहिए जिनके माध्यम से छात्रों को राष्ट्रीय एकता की भावना को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो सके।

भाषा शिक्षण के समय शिक्षक को अन्य भाषाओं का ज्ञान होना भी आवश्यक है। उसे इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वह अन्य भाषाओं के लेखकों और उनकी रचनाओं के विभिन्न संदर्भों का समय-समय पर उपयोग कर सके। उसे उन पुस्तकों का नाम भी मालूम होना चाहिए जिन्हें सामग्री के रूप में वह छात्रों को पढ़ने के लिए बता सके।

इतिहास

इतिहास के पढ़ाने के उद्देश्यों को राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में अधिक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। आज इतिहास केवल राजा-रानियों की कहानियाँ अथवा समय-समय पर लड़ी गई लड़ाइयों का वर्णन मात्र नहीं रह गया है। इसका ध्येय है कि छात्रों को यह समझने में सहायता मिले कि मानव समाज का उद्गम किस प्रकार हुआ, और वे उसकी सराहना कर सकें। इस प्रकार की सूझ-बूझ से उन्हें वर्तमान को ठीक ढंग से समझने और एक परिष्कृत भविष्य बनाने में सहायता मिलेगी। इस दृष्टिकोण के कारण स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु में परिवर्तन आये हैं। फिर भी कुछ पाठ्यपुस्तकें ऐसी मिल सकती हैं जिनमें पारम्परिक ढंग से विषय वस्तु को प्रस्तुत किया गया है। इन पुस्तकों में जातीय, क्षेत्रीय और अन्य प्रकार के पक्षपात हो सकते हैं। ऐसी पुस्तकों को पढ़ाते समय शिक्षकों को बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी।

यदि भारत के इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में पढ़ाया जाये, तो विविधता में एकता पर बल देना होगा। इसके द्वारा छात्रों को भाषाओं तथा साहित्य संबंधी तथा सांस्कृतिक विभिन्नताओं की सराहना करना भी आ जायेगा। उन्हें यह भी ज्ञान हो जायेगा कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने भी भारतीय संस्कृति और परम्पराओं में कितना योगदान दिया है।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जो हमारे इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है, के अध्ययन से छात्रों में अपने पूर्वजों द्वारा किये गये त्याग की सराहना करने की क्षमता उत्पन्न होगी और वे इतने संघर्षों द्वारा प्राप्त की गई स्वतंत्रता के मूल्य को भी समझ सकेंगे।

भूगोल

भूगोल की विषय वस्तु के माध्यम से एक क्षेत्र व प्रदेश की दूसरे क्षेत्र व प्रदेश पर निर्भरता को उभारा जा सकता है। एक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली सामग्री का उपयोग दूसरे क्षेत्रों में कार्यरत फैक्टरियों में होता है। इसके अनेक कारण हैं। इस आदान-प्रदान में लोग एक दूसरे के निकट आते हैं। भूगोल से हमें मानव-भूगोल का भी ज्ञान होता है, जिसके माध्यम से मानव की उत्पत्ति, उनके आपस के मेलजोल, उनके रीति-रिवाज, उनकी परम्पराओं आदि का भी ज्ञान होता है। ऐतिहासिक भूगोल के माध्यम से भौगोलिक एकता समझाई जा सकती है और समस्त देश को एक साथ मिलाया जा सकता है।

नागरिक शास्त्र

नागरिक शास्त्र लोगों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान कराता है। इसके माध्यम से देश के संविधान का ज्ञान भी कराया जा सकता है, जिससे एकता की धारणा का विवेचन होता है। संविधान देशवासियों की इच्छा और देश की एकता का प्रतीक होता है। नागरिकता, मूल अधिकार कर्तव्य, न्यायालय की स्थापना आदि ऐसे विषय हैं जिनके माध्यम से देश की एकता को बल मिलता है।

अर्थशास्त्र

देशवासियों का आर्थिक कल्याण एक ऐसा ध्येय है जिसके लिए देश संघर्ष कर रहा है। अर्थशास्त्र के शिक्षण द्वारा क्षेत्रीय परावलम्बन का ज्ञान होता है। इससे शान्ति की स्थापना की आवश्यकता भी अनुभव होती है जो आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस विषय को पढ़ाने से एक समृद्ध देश की स्थापना करने का ध्येय परिलक्षित होता है। गरीबी हटाना, वंचित और कमजोर वर्गों को संरक्षण देना, रहन-सहन को उत्कृष्ट करना, जनसंख्या को सीमित रखना, धनोपार्जन करके उसका समान रूप से वितरण करना, कुछ ऐसे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए हर देशवासी को चाहे वह किसी धर्म, सम्प्रदाय, क्षेत्र का हो आगे आना है। किसी भी प्रकार से यदि शांति भंग होती है तो सफलता की ओर बढ़ते कदमों की गति धीमी हो जाती है। अर्थशास्त्र यही सब बताता है।

टिप्पणी : (1) निम्न स्तर पर सामाजिक ज्ञान पढ़ाते समय इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि से विषय चुने जाते है। यही बिन्दु सामाजिक ज्ञान के लिए भी लागू होते हैं।

(2) उच्च कक्षाओं में समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं मानवशास्त्र भी ऐच्छिक विषयों के रूप में पढ़ाये जाते हैं। उनकी विषयवस्तु में भी राष्ट्रीय एकता की भावना जाग्रत करके उसे बढ़ावा देने की क्षमता है।

विज्ञान

विज्ञान शिक्षण का सबसे महत्त्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि इसके द्वारा छात्रों में तर्क के साथ कुछ भी सोचने समझने की क्षमता आती है। इसी से उनकी तर्कबुद्धि का भी विकास होता है। हमारे बहुत से पूर्वाग्रह जो क्षेत्रीयता की देन हैं और जिनका कोई संगत आधार नहीं है, इस प्रकार की तर्क बुद्धि द्वारा दूर हो सकते है। यदि छात्रों में प्रश्न करने, विवेचना करने और परिस्थितियों का विश्लेषण तथा मूल्यांकन करने, समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने की क्षमता आ जाये, तो जाति, धर्म, अंध विश्वास आदि के उत्पन्न होने की सम्भावना कम हो जाती है। यद्यपि विज्ञान में इस प्रकार की तर्कबुद्धि उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अन्य विषयों द्वारा भी यह कार्य सहजता से किया जा सकता है।

विषयवस्तु के औपचारिक शिक्षण से राष्ट्रीय एकता को बल मिल सकता है। फिर भी इस प्रकार की धारणा प्रबल करने के लिए स्कूल का वातावरण बहुत कुछ उत्तरदायी हो सकता है। इस वातावरण की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार के कार्य-कलापों द्वारा की जा सकती है। हम सबको यह ध्यान रखना चाहिए कि स्कूलों में ऐसे कार्यकलाप कराये जायें जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना जाग्रत हो सके।

कार्यकलाप–5

कुछ ऐसे कार्यकलापों की सूची बनाइये जिनके माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बल मिल सकता है।

ऊपर सुझाये गये कार्यकलाप व्यावहारिक होने चाहिए। इन कार्यकलापों में छात्रों को भाग लेने का पूरा-पूरा अवसर मिलना चाहिए। इनको आयोजित करते समय छात्रों के माता-पिता तथा समाज के अन्य सदस्यों की सहायता ली जा सकती है। ये गतिविधियां कक्षा अथवा स्कूल के अंदर ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। छात्रों को पास-पड़ोस में ले जाना चाहिए जिससे उन्हें कार्यकलापों को आयोजित करने का प्रत्यक्ष अनुभव हो सके। इसी प्रकार समुदायों को स्कूल में भी आमंत्रित करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये कार्यकलाप ऐसे न हों जो केवल किसी एक परम्परा, कक्षा, जाति अथवा सम्प्रदाय से जुड़े हुए हों।

●

मूल्यों की शिक्षा/नैतिक शिक्षा

मानवीय मूल्यों की शिक्षा क्या है

प्रत्येक समाज शिक्षा के द्वारा अपने बच्चों को कुछ ज्ञान और कुशलताएँ तो देना ही चाहता है किन्तु साथ ही उनमें कुछ ऐसे गुणों का विकास करना चाहता है जो उन्हें अच्छे नागरिक बनने में सहायता कर सकें। शिक्षा के इस पक्ष को चरित्र की शिक्षा, नैतिक शिक्षा या मूल्यों की शिक्षा कहा जाता है। प्राचीन काल और मध्यकाल में, जब शिक्षा का सार्वजनिक विकास नहीं हुआ था, यह कार्य मुख्यतया विभिन्न धर्मों के द्वारा किया जाता था। विभिन्न धर्मों के अनुयायी अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देने और दिलवाने का प्रयत्न करते थे जो, उस धर्म की दृष्टि से, उन्हें अच्छा मनुष्य बनाने में सहायता करे। इस शिक्षा का केन्द्र भी प्रायः धार्मिक स्थल ही हुआ करते थे। ऐसी शिक्षा का कुछ लाभ भी था और साथ ही कुछ हानियाँ भी। जहाँ इसने कुछ बच्चों को अच्छा मनुष्य बनने में मदद की वहीं कुछ अन्य बच्चों में छोटी उम्र में ही धार्मिक कट्टरता के ऐसे संस्कार बो दिए कि वे उनसे जीवन भर बाहर नहीं निकल सके। परिणामस्वरूप वे अन्य धर्मों के अनुयाइयों के प्रति द्वेष या हीनता की भावना रखने लगे। इस प्रकार धर्म पर आधारित नैतिक शिक्षा ने एक धर्म को मानने वाले समाज में तो संगठन और शांति स्थापित की किन्तु मनुष्यों के विशाल समाज में उसने प्रायः अशांति और युद्धों को जन्म दिया।

वर्तमान समय में, केवल उन देशों को छोड़कर जहाँ किसी विशेष धर्म का ही राज्य है, अन्य सभी देशों में नैतिक शिक्षा धर्मनिरपेक्ष रूप से दी जाती हैं। स्वतंत्र भारत के संविधान में ही कुछ ऐसे मूल्यों को स्थान दिया गया है जो एक अच्छी नैतिक शिक्षा के आधार बन सकते हैं। इन मूल्यों में से कुछ हैं—जनतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव, समता, न्याय आदि।

साथ ही हमारे देश के कुछ प्राचीन मूल्य हैं जिन्हें इस देश के निवासियों ने अपनी समान सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्वीकार किया है। इनमें से कुछ हैं—सत्य, अहिंसा, दया, शांति, क्षमा, संयम, सादगी, ज्ञान की खोज, प्रसार तथा परस्पर सहयोग। भारत के विभिन्न धर्मों और देश की अनेक भाषाओं में रचे गये साहित्य के द्वारा इन मूल्यों का प्रचार व प्रसार होता रहा है। आधुनिक काल में महात्मा गाँधी के नेतृत्व में चलाये गये स्वतंत्रता-आंदोलन में भी इन मूल्यों को एक बार फिर बल मिला।

ऊपर के इन दोनों स्रोतों के अलावा आधुनिक जीवन में से भी कुछ मूल्य स्वयं उभर कर सामने आते हैं जिन्हें समाज को स्वीकार करना होता है। वर्तमान भारत के लिए जिन नये मूल्यों की प्रमुख आवश्यकता हैं वे हैं—वैज्ञानिक दृष्टि का विकास, पर्यावरण का अनुरक्षण, उत्पादकता और छोटे परिवार का महत्व।

इस प्रकार नैतिक शिक्षा के उपादान हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं और नैतिक शिक्षा के एक अच्छे कार्यक्रम में हमें उन सभी का समन्वय करना होता है।

जीवन-मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता

कई बार यह कहा जाता है कि मूल्यों की शिक्षा अलग से देने की क्या आवश्यकता है यदि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए तो उनमें अच्छे मूल्यों के संस्कार अपने आप पड़ जायेंगे। कुछ हद तक यह बात सही भी है किन्तु निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने से प्रतीत होगा कि मूल्यों की शिक्षा पर अलग से बल देने की भी आवश्यकता है :—

(क) विज्ञान और टैक्नॉलाजी के क्षेत्र में द्रुतगति से प्रगति हो रही है और उसके कारण मनुष्यों की जीवन-पद्धति पूरी तरह बदलती जा रही है। जीवन में पहले जैसी स्थिरता और शांति नहीं है, साथ ही विज्ञान टैक्नॉलाजी का प्रयोग भयंकर अस्त्रों के निर्माण के लिए भी हो रहा है, जिनसे मनुष्य जाति के अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो गया है। ऐसी दशा में नैतिक चेतना के जागरण की बहुत आवश्यकता है ताकि हमारे किशोर विज्ञान और टैक्नॉलाजी का प्रयोग मानवता के उपकार के लिए ही करना सीखें, विनाश के लिए नहीं। दूसरे शब्दों में, विज्ञान और टैक्नॉलाजी के क्षेत्र में कितनी प्रगति हो रही है उसी अनुपात में मनुष्य की चेतना का भी विकास करने की आवश्यकता है, अन्यथा इस असंतुलन से मनुष्य का जीवन ही खतरे में पड़ जायगा।

(ख) संसार के अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी पारंपरिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। नैतिकता के विकास में धर्म अपना योगदान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी दशा में सामूहिक प्रयास से ऐसे मूल्यों की खोज की आवश्यकता है जिन पर हमारा समाज आधारित हो। इस कार्य में शिक्षा का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है।

(ग) विद्यालय यदि नैतिक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी न करें तो भी वे बच्चों को कुछ मूल्यों के संस्कार तो देते हैं। पाठ्यक्रमों और पाठ्यपुस्तकों में कुछ मूल्यों का चुनाव रहता है। कुछ विद्यालयों के वातावरण से विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित होती है तो कुछ में तीव्र प्रतिस्पर्धा की। हमारी दूषित परीक्षा-पद्धति से बहुत से छात्र नकल करने की ओर प्रवृत्त होते हैं क्योंकि विद्यालय के वातावरण से बच्चों में कुछ मूल्यों के संस्कार पड़ ही रहे हैं, इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा-व्यवस्था को प्रयासपूर्वक ऐसा बनाया जाय कि बच्चों में सही मूल्यों के संस्कार पड़ें।

(घ) भविष्य का जीवन और भी पेचीदा और तीव्र गति का होने वाला है। परिवार, समाज, व्यवसाय और राजनीति का वातावरण निरन्तर जटिल होता जाएगा। आजकल के विद्यार्थियों को आगे चलकर ऐसी नैतिक स्थितियों का अधिक सामना करना पड़ सकता है जिनमें किसी और पर निर्भर रहने के बजाय उन्हें अपने लिए निर्णय करना पड़े। इस दृष्टि से भी आवश्यक है कि विद्यार्थी-जीवन में उन्हें स्वयं सोच-विचार कर नैतिक निर्णय लेने की शिक्षा दी जाए।

(ङ) वर्तमान समय में किशोरों की कुछ अपनी समस्याएँ हैं। बड़ों के, विशेषकर राजनेताओं के आचरण पर वे प्रश्न करने लगे हैं। पूरे समाज में उन्हें उन मूल्यों का पालन नहीं दिखाई देता, जिनका वर्णन पुस्तकों में होता है। उन किशोरों में से बहुतों में सिगरेट, शराब और मादक द्रव्यों की लत बढ़ती जा रही है। इसलिए भी आवश्यक है कि किशोरों की समस्याओं पर खुलकर विचार कर उन्हें सही जीवन-शैली अपनाने में सहायता दी जाए।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और मूल्यों की शिक्षा

ऊपर के कुछ कारणों को ध्यान में रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्यों की शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित विचार प्रकट किए गए हैं :—

–इस बात पर गहरी चिंता प्रकट की जा रही है कि जीवन के लिए आवश्यक मूल्यों का ह्रास हो रहा है और मूल्यों पर से ही लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। शिक्षाक्रम में ऐसे परिवर्तन की जरूरत है जिससे सामाजिक और नैतिक मूल्यों के विकास में शिक्षा सशक्त साधन बन सके।

–हमारा समाज सांस्कृतिक रूप से बहु-आयामी है, इसलिए शिक्षा के द्वारा उन सार्वजनीन और शाश्वत मूल्यों का विकास होना चाहिए जो देश के लोगों को एकता की ओर ले जा सकें। इन मूल्यों से धार्मिक अंधविश्वास, कट्टरता, असहिष्णुता, हिंसा और भाग्यवाद का अंत करने में सहायता मिलनी चाहिए।

—इस संघर्षात्मक भूमिका के साथ-साथ मूल्य-शिक्षा का एक गम्भीर सकारात्मक पहलू भी है जिसका आधार हमारी सांस्कृतिक विरासत राष्ट्रीय लक्ष्य और सार्वभौम दृष्टि है, जिस पर मुख्य तौर से बल दिया जाना चाहिए।

स्पष्ट है कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मूल्यों की शिक्षा या नैतिक शिक्षा को महत्त्वपूर्ण स्थान देना होगा। वैसे इसके पूर्व भी अनेक राज्यों में नैतिक शिक्षा कभी स्वतंत्र विषय के रूप में और कभी नागरिक शास्त्र आदि अन्य विषयों के अंग के रूप में दी जाती रही है। किन्तु इससे बच्चों में नैतिक आचरण के संस्कार डालने में विशेष सहायता नहीं मिली है। कारण स्पष्ट है। जब भी विद्यालयों में किसी "विषय" को स्थान दिया जाता है तो वह वर्तमान शिक्षा-व्यवस्था के ढांचे में औपचारिक शिक्षा और परीक्षा का क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकार नैतिक शिक्षा की भी पाठ्य पुस्तकें निर्धारित हो जाती हैं, उसमें परीक्षा होने लगती है और नैतिक शिक्षा की परीक्षा में भी बच्चे नकल करते हैं। इस प्रकार नैतिक शिक्षा का मूल उद्देश्य सर्वथा लुप्त हो जाता है और बहुत बार नैतिक शिक्षा भी अनैतिकता को जन्म देने लगती है।

मूल्यों की शिक्षा के सामान्य उद्देश्य

वास्तव में मूल्यों की शिक्षा विद्यालयी शिक्षा के अन्य विषयों की तरह जानकारी का विषय नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में नैतिक जीवन के ऐसे संस्कार डालना है जो उन्हें अपने देश के अच्छे नागरिक बनने में सहायता करे। माध्यमिक स्तर पर मोटे तौर पर मूल्यों की शिक्षा के सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं :—

1. विद्यार्थियों में कुछ बुनियादी मानवीय गुणों का विकास करना। इनमें से कुछ प्रमुख हैं—स्वच्छता, सत्य, अहिंसा, परिश्रम, प्रेम और करुणा, समता, समाजवाद, धर्म निरपेक्षता और लोकतंत्रात्मकता, सहयोग, न्याय, साहस, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पर्यावरण का अनुरक्षण, उत्पादकता और छोटे परिवार का महत्त्व।
2. निजी और सामाजिक जीवन में प्रगतिशील और उत्तरदायी नागरिक बनने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना।
3. देश की वर्तमान सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से छात्रों को परिचित कराना और उनमें सुधार के लिए जागरूकता पैदा करना।
4. विचार और व्यवहार में उदार बनाना। धर्म, भाषा, जाति या लिंग पर आधारित पूर्वाग्रह से ऊपर उठने में समर्थ बनाना।
5. छात्रों में आत्मसम्मान की भावना विकसित करना, उनके आंतरिक गुणों का विकास करना और सामाजिक और नैतिक मूल्यों के साथ-साथ आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करना।
6. उनमें सद्वृत्तियों और क्रियाशीलता का विकास करना :—
   (क) स्वयं के प्रति,
   (ख) समाज के प्रति,
   (ग) अपने देश के प्रति,
   (घ) अन्य देशों के प्रति,
   (ङ) पर्यावरण के प्रति,
   (च) सभी धर्मों के प्रति।

आयुवर्ग के अनुसार मूल्यों की शिक्षा

यह बात ध्यान देने योग्य है कि सभी नैतिक मूल्य परस्पर गुंथे हुए हैं और किन्हीं एक-दो मूल्यों का विकास अन्य मूल्यों की उपेक्षा करके अलग से नहीं किया जा सकता। मूल्यों की शिक्षा के अन्तर्गत बच्चों के समग्र जीवन को ही नैतिक बनाने का प्रयास करना आवश्यक है। फिर भी सुविधा की दृष्टि से छात्रों के आयुवर्ग के अनुसार कुछ मूल्यों को विभिन्न कक्षाओं में बल देने के लिए चुना जा सकता है।

उदाहरण के लिए उच्च प्राथमिक (6, 7, 8) कक्षाओं में निम्नलिखित मूल्यों पर विशेष बल दिया जा सकता है :—

1. देश भक्ति और राष्ट्रीय एकता,
2. सामाजिक एवं लोकतांत्रिक मूल्य,
3. कर्त्तव्यपालन,
4. सहयोग और सहायता की भावना,
5. दया, करुणा और सहनशीलता,
6. साहस और निडरता की भावना,
7. पर्यावरण और प्राकृतिक साधनों की अनुरक्षा,
8. भारतीय सांस्कृतिक परम्परा का ज्ञान और उसके प्रति आदर का भाव,
9. छोटे परिवार का महत्त्व।

इसी प्रकार माध्यमिक (9-10) कक्षा में निम्नलिखित मूल्यों पर बल देना उपयोगी होगा :—

1. सत्य की खोज और सच्चाई पर चलने का प्रयास,
2. समाज में बेईमानी, भ्रष्टाचार, अन्याय और शोषण के प्रति सक्रिय विरोध के भाव का विकास,
3. दैनिक जीवन में समता व सहयोग की भावना का विकास,
4. सामाजिक कुरीतियों की पहचान व उन्हें दूर करने का सक्रिय प्रयास,
5. धर्म, जाति, भाषा, लिंग के पूर्वाग्रह से ऊपर उठना,
6. सभी धर्मों का आदर करना और उनके मूलभूत सत्य को समझना,
7. दूसरों के दृष्टिकोण और विचारों के प्रति उदारता का भाव,
8. तम्बाकू, शराब और नशीले पदार्थों के सेवन की हानियों की समझना और इनके प्रयोग से अपने आपको तथा औरों को बचाने में सक्रियता,
9. विश्वबन्धुत्व की भावना,
10. वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास।

यह स्पष्ट है कि हम नैतिक शिक्षा के क्षेत्र में स्थूल मूल्यों से सूक्ष्म मूल्यों को ओर विकास करते हैं। छोटी अवस्था के बालकों के समक्ष ऐसे ऊँचे आदर्शों की बात करना, जो उनकी समझ से परे हैं, उपयोगी नहीं होगा।

यदि कुछ विद्यालय मूल्यों की शिक्षा की सैद्धान्तिक विवेचना में न जाना चाहें और अपना ध्यान और प्रयत्न कुछ ही सीमित मूल्यों पर केन्द्रित करना चाहें तो वे केवल निम्नलिखित पाँच मूल्यों को ही नैतिक शिक्षा का केन्द्र बना सकते हैं। इनका चुनाव सैकड़ों अध्यापकों से चर्चा के बाद किया गया है और उन्हीं के सुझाव पर इन्हें "राष्ट्रीय पंचशील" का नाम दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय पंचशील

1. सफाई,
2. सच्चाई,
3. परिश्रम,
4. समता,
5. सहयोग।

यदि केवल इन पाँच मूल्यों की शिक्षा ही विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को दे दी जाए तो इनसे वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को सुधारने में और उसे आगे बढ़ाने में बहुत सहायता मिल सकेगी। प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक स्तर पर इन राष्ट्रीय पंचशीलों के संस्कार उत्पन्न करने का सक्रिय प्रयास तो अवश्य ही होना चाहिए।

चर्चा के लिए

1. मूल्यों की शिक्षा को किस रूप में विद्यालय में स्थान दिया जाना चाहिए ?
2. बच्चों के नैतिक संस्कारों के विकास पर किन-किन तत्वों का प्रभाव पड़ता है ?
3. बच्चों के नैतिक विकास में परिवार और समाज की परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ता है ?
4. मूल्यों की शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों में आप क्या संशोधन करना चाहेंगे ?
5. उच्च प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में विशेष बल के लिए चुने गए मूल्यों में आप और किन-किन मूल्यों को स्थान देना चाहेंगे ?
6. वर्तमान भारत में वांछनीय मूल्यों के विभिन्न स्रोत क्या-क्या हैं ? क्या आप किसी स्रोत को भी स्वीकार करना वांछनीय समझते हैं ?

मूल्यों की शिक्षा कैसे दें

अब तक हमने देखा है कि मूल्यों की शिक्षा क्यों आवश्यक है और विद्यालय स्तर पर किन-किन मूल्यों की शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। इससे आगे का कार्य अधिक कठिन है, और वह है—यह तय करना कि इन मूल्यों की प्रभावी शिक्षा वास्तव में किस प्रकार दी जाए। एक काम जो बहुत आसानी से किया जा सकता है वह है—इन मूल्यों पर पाठ्य पुस्तकों में पाठ निर्धारित करना, उन पर छात्रों को उपदेश देना और मूल्यों की जानकारी के विषय में छात्रों की परीक्षा लेना। पर इससे छात्र मूल्यों के बारे में केवल बात करना ही सीखेंगे। नैतिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को नैतिकता के बारे में बातें करने में समर्थ बनाना नहीं है अपितु उनमें नैतिक जीवन के गहरे संस्कार डालना है। इसलिए मूल्यों के बारे में पाठ पढ़ाने या उपदेश देने से मूल्यों की शिक्षा का उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।

मूल्यों पर स्पष्ट चिंतन

ऐसा नहीं है कि मूल्यों के बारे में चर्चा अनावश्यक हो। वास्तव में प्रत्येक मूल्य के विषय में विद्यार्थियों के साथ जितनी खुलकर चर्चा होगी, उतनी ही उस-उस मूल्य के विषय में उनकी अपनी स्पष्ट धारणा बनेगी। उदाहरण के लिए बजाय किसी मूल्य पर पाठ पढ़ाने और उपदेश देने के छात्रों से यह चर्चा करना उपयोगी होगी कि हमारे जीवन में सत्य की क्यों आवश्यकता है ? बिना सहयोग की भावना के मनुष्यों का जीवन क्यों नहीं चल सकता ? हमारे समाज में इतना अन्याय और शोषण क्यों है ? नशीले पदार्थों के सेवन से क्या हानियाँ हैं ? आदि।

नैतिकता का सम्बन्ध मनुष्य के आंतरिक जीवन से है। सिवाय स्वच्छता, अनुशासन आदि बाह्य मूल्यों को छोड़कर कोई मूल्य बच्चों पर थोपा नहीं जा सकता। हम जबर्दस्ती करके छात्रों को सत्यवादी, न्यायप्रिय, दयालु और सहानुभूतिपूर्ण नहीं बना सकते। आंतरिक सद्‌गुणों का विकास विद्यार्थियों में तभी होगा जब वे इन गुणों की आवश्यकता को भली प्रकार समझकर उन्हें अपने अन्दर धारण करने का प्रयास करेंगे। जिस मूल्य को विद्यार्थी स्वेच्छा से समझ-बूझकर स्वीकार करते है, वही उनके जीवन में वास्तव में उतर पाता है।

विद्यालय का वातावरण और नैतिक शिक्षा

बच्चों के नैतिक विकास पर उनके परिवार, पास-पड़ोस, समाज और पूरे देश के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। विद्यालय के वातावरण का भी बच्चों की दैनिक वृत्तियों के विकास में महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। केवल विद्यालय में दी

जाने वाली शिक्षा से ही हम यह आशा नहीं कर सकते कि वह विद्यार्थियों के नैतिक विकास की समुचित जिम्मेदारी ले लें। जब तक शेष समाज में नैतिकता का वातावरण नहीं होगा, तब तक विद्यालय में भी पूरी तरह नैतिक वातावरण नहीं बन पाएगा। फिर भी विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा में यह प्रयास होना ही चाहिए कि बच्चों में अधिक अच्छे नैतिक संस्कार पड़ सकें।

इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय का वातावरण और कार्यविधि ऐसी हो कि बच्चों में अनायास नैतिक संस्कार पड़ें। यदि विद्यालय में सफाई रखने का सक्रिय प्रयास है तो बच्चे भी अपने आपको और अपने परिवेश को साफ रखना सीखेंगे और गन्दगी करने से बचेंगे। यदि विद्यालय में बच्चों को सहानुभूति मिलती है तो उनके अन्दर भी सहानुभूति की भावना जगेगी। इसके विपरीत यदि विद्यालय में बच्चों के साथ पक्षपात होता है तो उनकी धारणा न केवल अपने अध्यापकों के प्रति, अपितु पूरे समाज के प्रति, बुरी बन सकती है।

दण्ड व पुरस्कार

बच्चों के गलत काम करने पर उन्हें सजा देने की परम्परा बहुत पुरानी है। आजकल विद्यालयों में शारीरिक दण्ड बन्द हो गया है पर अन्य अनेक प्रकार के दण्ड बच्चों को दिए जाते हैं। कभी-कभी उन्हें दण्ड देना आवश्यक हो सकता है, पर दण्ड के द्वारा बच्चों में नैतिक संस्कार नहीं उत्पन्न किए जा सकते। जैसा कि ऊपर कहा गया है—बच्चों के जीवन में वे ही मूल्य सच्चे तौर पर उतरते हैं जिन्हें वे स्वयं स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं।

दण्ड के बजाय पुरस्कार से नैतिक मूल्यों की स्थापना में अधिक सहायता मिल सकती है। आवश्यक नहीं कि पुरस्कार किसी चीज के इनाम के तौर पर या प्रशंसात्मक प्रमाण पत्र के रूप में हो। अच्छा काम करने पर शाबासी देना भी पुरस्कार का काम करता है। अध्यापकों को बच्चों द्वारा अच्छे काम करने की प्रशंसा करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अच्छा हो कि बच्चे बड़े होने पर बिना भय या पुरस्कार के अनायास ही नैतिक आचरण करें, पर छोटी अवस्था में बच्चों में प्रशंसा पाने की एक स्वाभाविक इच्छा होती है। उसका उपयोग उनमें अच्छे व्यवहार के संस्कार डालने में किया जा सकता है।

धर्म और नैतिक शिक्षा

जैसा कि ऊपर कहा गया है, नैतिक शिक्षा का प्रारंभ बहुत से देशों में धार्मिक शिक्षा के द्वारा ही हुआ था और कुछ देशों में आज भी नैतिक शिक्षा किसी विशेष धर्म के आधार पर ही दी जाती है। अपने देश में भी कुछ लोगों का विचार है कि बिना धार्मिक शिक्षा के नैतिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। किन्तु जब भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है तो सरकारी सहायता प्राप्त किसी भी विद्यालय में किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। वैसे भी भारत में इस समय प्रचलित धर्मों में इतने विवाद हैं कि उन सबको आधार बनाकर भी अच्छी नैतिक शिक्षा देना कठिन होगा। धर्मों को लेकर जितने झगड़े, दंगे और खूनखराबा अपने देश में हो रहा है वह हम सबके लिए शर्म की बात है।

सौभाग्य से अपने देश में सभी संप्रदायों की मान्यताओं से ऊपर उठकर सत्य की खोज की परंपरा प्राचीन काल से रही है। विद्यार्थियों को इस परंपरा का ज्ञान अवश्य ही दिया जाना चाहिए।

क्रियात्मक कार्य

नैतिक शिक्षा केवल शब्दों के द्वारा नहीं दी जा सकती। नैतिकता का संबंध बच्चों की अनुभूतियों से है और सही अनुभूतियों का विकास सही कर्म के माध्यम से ही हो सकता है। ऊपर जिन मूल्यों के बारे में चर्चा की गई है उनके संबंध में निरंतर क्रियाकलाप चलते रहने चाहिए। इस संबंध में निम्नलिखित सुझाव हो सकते हैं :—

1. बच्चों में स्वच्छता के संस्कार डालने के लिए अच्छा होगा यदि प्रतिदिन विद्यालय के सभी अध्यापक और विद्यार्थी 5 मिनट के लिए सब काम छोड़कर केवल सफाई में ही लग जाएँ। सुबह की प्रार्थना के बाद इस प्रकार 5 मिनट सफाई में लगना बच्चों में दिन भर के लिए यह संस्कार डाल देगा कि उन्हें न केवल स्वयं गंदगी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें कहीं गंदगी दिखे तो उसे साफ भी करना है। अध्यापकों को इस दिशा में अपने व्यवहार से आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए।

2. सच्चाई और ईमानदारी की शिक्षा के लिए "ईमानदारी दुकान" जैसी कोई प्रायोजना विद्यालय में चलाई जा सकती है जहाँ किसी एक स्थान पर पेन्सिल, रबर, रिफिल जैसी छोटी-छोटी चीजें, बच्चों के खरीदने के लिए रखी रहें और यहाँ रखे हुए डिब्बे में बच्चे ईमानदारी से पैसे डाल कर अपनी जरूरत की चीजें ले सकें। अच्छा हो यदि यह प्रायोजना विद्यालय के अध्यापक प्रतिमास अपनी ओर से एक-एक दो-दो रुपये चंदा देकर चलाएँ और यदि इसमें कुछ नुकसान भी हो तो उसे विद्यार्थियों की चारित्रिक शिक्षा के लिए अपनी ओर से किये गये योगदान के रूप में सहर्ष स्वीकार करें।

3. विद्यालय के बच्चों को एक-दूसरे के घर सें जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। आठ-दस विद्यार्थियों का एक वर्ग अपने किसी साथी के परिवार में जाकर उसके सदस्यों सें परिचय प्राप्त करे तो इससे पारिवारिक भावना का बड़े पैमाने पर विकास होगा। विभिन्न जातियों और धर्मों के बच्चों को निकट लाने में इससे सहायता मिलेगी।

4. सभी राष्ट्रीय पर्व और प्रमुख धर्मों के त्योहार विद्यालय में सामूहिक रूप से बच्चों की सक्रिय भागीदारी के साथ मनाना राष्ट्रीय भावना जगाने और धार्मिक सहिष्णुता सिखाने में सहायक होगा।

5. समय-समय पर विद्यालय से बाहर के कुछ व्यक्तियों को बुलाकर देश की आजादी की लड़ाई, भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा, भारत के विभिन्न क्षेत्रों का जीवन, देश की वर्तमान समस्याएँ और उनके समाधान के लिए किए जा रहे प्रयास आदि विषयों पर बच्चों के सम्मुख व्याख्यान कराये जाएँ। वक्ताओं और बच्चों के बीच प्रश्नोत्तर भी हों।

6. समय-समय पर विद्यार्थियों में परस्पर, और विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच इस प्रकार की परिचर्चा आयोजित की जाए जिससे विद्यार्थियों में अपने और समाज की समस्याओं के प्रति चिंतन करने की और उनके विषय में बोलने की क्षमता जगे। विद्यार्थियों को विभिन्न समस्याओं के संबंध में अपनी दृष्टि से सोचने और बोलने का अवसर देना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि छात्र यह समझते हैं कि विद्यालय में प्रचलित शिक्षा प्रणाली पूरी तरह न्यायपूर्ण नहीं हैं तो उन्हें ऐसा कहने का और परीक्षा-व्यवस्था को न्यायपूर्ण बनाने के लिए सुझाव देने का अवसर होना चाहिए। इसी संबंध में विद्यार्थियों से कहा जा सकता है कि अपने विद्यालय की जो भी बातें उन्हें अच्छी लगती हैं और जो बुरी लगती हैं उनके विषय में अपने विचार निर्भीक रूप में प्रकट करें। मूल्यों के स्पष्टीकरण के लिए सभी संभव अवसर छात्रों को दिए जाने चाहिए।

7. उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के सम्मुख मनुष्य के मन का स्वरूप, मानसिक समस्याओं के कारण, आजकल नशीले पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति और उनका दुष्प्रभाव, मन को शांत रखने की आवश्यकता और उसके उपाय आदि विषयों पर वार्ता और चर्चा का आयोजन उपयोगी होगा।

8. ध्यान के संबंध में विद्यार्थियों को जानकारी दी जा सकती है। पूरे विद्यालय के समय में 5 मिनट मौन और शांति के लिए निर्धारित करना उपयोगी होगा।

चर्चा के विषय

1. आपकी दृष्टि से विद्यालयों में मूल्यों की शिक्षा का क्या स्थान होना चाहिए ?
2. मूल्यों की शिक्षा किस प्रकार से सफल रूप में दी जा सकती है ?
3. उच्च प्राथमिक कक्षाओं में आप किन मूल्यों पर बल देना चाहेंगे ?
4. माध्यमिक कक्षाओं में आपकी दृष्टि से किन मूल्यों पर बल देना उपयोगी रहेगा ?
5. बच्चों के नैतिक जीवन में समाज के दुष्प्रभाव को दूर करने में विद्यालय की शिक्षा कहाँ तक और किस प्रकार अपना योगदान कर सकती है ?
6. नैतिक शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष और व्यावहारिक पक्ष में परस्पर क्या संबंध है ? आप नैतिक शिक्षा के व्यावहारिक पक्ष को विद्यालयों में किस प्रकार क्रियान्वित करेंगे ?
7. धर्म और नैतिकता का क्या संबंध है ? धर्म के सच्चे स्वरूप की शिक्षा छात्रों को किस प्रकार दी जा सकती है ?
8. नैतिक मूल्यों के संस्कार डालने में दण्ड और पुरस्कार का क्या स्थान है ?

यह आशा की जाती है कि इस मॉड्यूल के अध्ययन से अध्यापकों में मूल्यों की शिक्षा के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक पक्ष के बारे में कुछ स्पष्ट धारणा बन सकेगी। वे इस मॉड्यूल को भली प्रकार समझ सकते हैं या नहीं, यह जानने के लिए "चर्चा के लिए" शीर्षक से दिये गए प्रश्नों के उत्तर वे किस प्रकार देते हैं यह जानना उपयोगी रहेगा।

पर जैसा कि इस मॉड्यूल में बार-बार कहा गया है, नैतिक शिक्षा बातें करने का विषय नहीं है। उसे अध्यापकों और बच्चों के दैनिक व्यवहार में उतारना आवश्यक है। इस मॉड्यूल का पढ़ना तभी सार्थक होगा यदि अध्यापक इसमें दिये गये विचारों के आधार पर अपने-अपने विद्यालयों में कुछ क्रियात्मक कार्य करने की योजनाएँ बनाएँ। इन योजनाओं के बनाने और उन्हें सफलतापूर्वक चलाने में इस मॉड्यूल के पढ़ने की सार्थकता और उसका सही मूल्यांकन है।

●

मॉड्यूल–13

संस्था-योजना एवं व्यवस्था

सिंहावलोकन

आमतौर पर देखा गया है कि अगर कोई काम ठीक से योजना बनाकर किया जाता है तो उसका नतीजा बिना योजना के किये गए काम से कहीं अधिक अच्छा रहता हैं। योजना बनाते समय वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर विचार किया जाना चाहिए कि सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। यहाँ हमें उन कठिनाइयों को भी न भूलना चाहिए जो काम करते समय हमारे रास्ते में आएंगी। योजना बनाते समय हमें निरीक्षण व मूल्यांकन की यांत्रिकताओं पर ध्यान देना होगा, बीच-बीच में आने वाली अड़चनों को देखना होगा और इस पर विचार करना होगा कि समय-समय पर सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा सकेंगे।

हमारे देश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास-योजना की शुरूआत 35 वर्ष पहले हुई थी। शिक्षा-योजना इसी का एक हिस्सा है। इन सालों में हम हमेशा "ऊपर से नीचे" की नीति अपनाते आए हैं। इसका परिणाम यह रहा है कि हमारे अधिकांश स्कूल राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई विकास-योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाये हैं। शिक्षा आयोग (1964-66) ने ठीक ही कहा है "कोई भी शिक्षा विकास कार्य तब तक स्वीकार्य नहीं हो सकता जब तक उसमें सभी शिक्षा संस्थाओं और संबंधित व्यक्तियों अर्थात् शिक्षक, छात्र और स्थानीय समुदाय का समावेश न हो।" (पृ० 157)

संस्था स्तर पर यदि शिक्षा योजना और व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण कर दिया जाता है तो हमारे लिए ऐसी योजना बनाना संभव होगा जिसमें सभी शिक्षा-अधिकारी जैसे स्कूल के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र, माता-पिता और समुदाय अन्य सदस्य सक्रिय भाग ले सकेंगे और वहाँ प्रत्येक की अपनी विशेष भूमिका होगी।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप :—

—समझ सकेंगे कि संस्था-योजना का संप्रत्यय क्या है ?

—योजना-प्रक्रिया में सभी संबंधित व्यक्तियों को शामिल करने के महत्त्व का अनुभव कर सकेंगे।

—खण्ड, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बहु-स्तरीय योजना के संदर्भ में संस्था-योजना की भूमिका की सराहना कर सकेंगे।

—समझ सकेंगे कि योजना की "ऊपर से नीचे" वाली प्रणाली के मुकाबले "नीचे से ऊपर" वाली पद्धति बेहतर है।

—संस्था योजना की कार्यविधि एवं तकनीक सीख सकेंगे।

—संस्था संबंधी आवश्यकताओं को समझ सकेंगे और इसके विकास के लिए परियोजना व कार्यक्रम बना सकेंगे।

संस्था-योजना व व्यवस्था की संकलपना

योजना तीन प्रकार की होती है—लघु, मध्य और दीर्घ कालीन। स्कूल स्तर पर संस्था-योजना अधिकांशतः लघु या मध्यकालीन होगी, लघुकालीन योजना की अवधि एक वर्ष होती है और मध्यकालीन योजना की 2-3 वर्ष।

संस्था-योजना की संकल्पना में योजना प्रक्रिया में संस्था के समुचित संचालन से संबंधित सभी लोग शामिल होते जैसे प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र, माता-पिता एवं समुदाय के अन्य सदस्य।

इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक संस्था अपनी समस्याओं व आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर सकेगी, अपनी समस्याओं ा हल ढूंढ़ सकेगी तथा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजनाएँ व कार्यक्रम बना सकेगी।

कभी-कभी स्कूल कलैण्डर को ही "संस्था-योजना" समझ लिया जाता है, जो कि गलत है। स्कूल कलैण्डर वह है ासमें स्कूल का प्रधानाध्यापक अपने स्टाफ को दिए जाने वाले पाठ-इकाइयों की योजना तथा गृहकार्य का उल्लेख रखते। इसमें शक नहीं कि स्कूल कलैण्डर अपनी ही दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह संस्था-योजना भिन्न है। इसका स्कूल में शिक्षा के विकास से कोई वास्ता नहीं है। संस्था-योजना में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कई ाकास कार्यक्रम शामिल होते हैं जिनसे शिक्षा के स्तर में सुधार लाया जा सके और शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके।

इस मॉड्यूल में प्रयुक्त "व्यवस्था" शब्द—"प्रशासन का समानार्थी है, अर्थात् व्यक्तिगत प्रशासन, वित्तीय प्रशासन ार प्रधानाध्यापक की ऐसी गतिविधियाँ जो दिन-प्रतिदिन स्कूल चलाने के लिए जरूरी हैं।

गतिविधि-1

पने शब्दों में संस्था-योजना की परिभाषा लिखिए और इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए।

स्था-योजना के उद्देश्य

संस्था-योजना के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं :—

1. बढ़ती जनसंख्या वाले उन क्षेत्रों में विभिन्न आयु के बच्चों को शिक्षा सुविधाएँ प्राप्त कराना, जहाँ संस्थाएँ विद्यमान हैं, और
2. परिणाम गुणता और व्यय की दृष्टि से सुधार के लिए योजना बनाना। परिणाम की दृष्टि से सुधार का अर्थ है—अपव्यय और गतिहीनता को कम करना। व्यय की दृष्टि से सुधार का मतलब है—प्रति छात्र व्यय कम करना अर्थात् प्राप्त संसाधनों को बेहतर ढंग से इस्तेमाल में लाना। गुणता की दृष्टि से सुधार का अर्थ है—योजना में ऐसे कार्यक्रमों को शामिल करना जिनसे छात्रों के ज्ञान और कौशल स्तर में वृद्धि हो सके और उनका नैतिक, सामाजिक व भौतिक प्रशिक्षण अधिक प्रभावात्मक बन सके।

संस्था-योजना की मूल विशेषताएं

1. यह सहभागी योजना के सिद्धान्त पर आधारित है अर्थात् यह सिर्फ प्रधानाध्यापक की नहीं अपितु सभी शिक्षकों, छात्रों, माता-पिता और स्थानीय समुदाय की योजना है।
2. यह संस्था की अपनी आवश्यकताओं पर और स्कूल समुदाय की समस्याओं पर आधारित है।
3. इसमें संसाधनों (मानव और वस्तुओं दोनों) को इस्तेमाल में लाने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे वे स्कूल के भीतर हों या स्कूल के बाहर समुदाय में।
4. यह लचीली है।
5. यह वैज्ञानिक है क्योंकि इसमें सभी तथ्यों और आंकड़ों पर ध्यान दिया जाता है, और
6. यह माँगों का घोषणापत्र नहीं, वरन् सच्चे अर्थों में एक व्यावहारिक योजना है।

गतिविधि-2

आपकी संस्था की जो हालत है उसे देखते हुए संस्था-योजना के उद्देश्य क्या होने चाहिए ? क्या आप ऐसी कुछ एक विशेषताओं की सूची बना सकते हैं जो आपके स्कूल द्वारा तैयार की जाने वाली योजना में होने चाहिए ।

संस्था-योजना की तैयारी

संस्था-योजना की तैयारी के लिए निम्न कदम उठाए जा सकते हैं :—

1. **प्राप्त भौतिक सुविधाओं, शिक्षा कार्यक्रमों, पर्यवेक्षण आदि का सर्वेक्षण करना और इन सभी क्षेत्रों में कमियों का पता लगाना ।**
2. **भावी नामांकनों की परियोजना ।**
3. **भौतिक सुविधाओं और स्टाफ की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना ।**
4. **एक निश्चित, अवधि में सरकारी और गैर सरकारी आर्थिक संसाधनों का मूल्यांकन करना ।**
5. **भावी आवश्यकताओं और निर्धारित संसाधनों को देखते हुए प्राथमिकताएँ एवं उनके विकल्प निश्चित करना ।**
6. **निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यक्रमों व परियोजनाओं पर सूक्ष्मता से विचार करना ।**
7. **मूल्य वृद्धि और प्राप्त संसाधनों के उचित प्रयोग को दृष्टिगत करते हुए विस्तार और सुधार कार्यक्रमों के व्यय का मूल्यांकन करना ।**
8. **प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यक्रमों और लागत व्यय को क्रमबद्ध करना ।**
9. **योजना की प्राथमिकताओं व कार्यक्रमों पर वाद-विवाद के लिए योजना को समुदाय के सामने रखना और,**
10. **जनमत को ध्यान में रखते हुए योजना को अंतिम रूप देना । (संस्था-योजना का प्रस्तावित प्रारूप आगे दिया गया है ।)**

गतिविधि-3

अगर आप अपने स्कूल में संस्था-योजना पद्धति शुरू करना चाहते हैं तो आप क्या-क्या कदम उठाएँगे ? इनकी सूची बनाइए ।

संस्था-योजना का निर्माण, कार्यान्वयन, संचालन और मूल्यांकन

संस्था-योजना सिर्फ प्रधानाध्यापक द्वारा नहीं बनाई जाएगी, वरन् इसमें सभी शिक्षकों, छात्रों, माता-पिता एवं स्थानीय समाज का हाथ होगा, इसीलिए आशा है कि इसका कार्यान्वयन प्रभावपूर्ण होगा । इसके लिए जरूरी होगा कि इससे जुड़े सभी व्यक्तियों की नियमितरूपेण सभा बुलाई जाए जिससे आवश्यकताओं का पता लग सके और इनकी पूर्ति के लिए संसाधनों का मूल्यांकन किया जा सके । हो सकता है कि एक बार में ही संस्था के समूचे विकास के लिए एक योजना न बनाई जा सके । लेकिन संस्था की सभी विचारणीय आवश्यकताओं को तो जाना ही जा सकता है और कुछेक प्राथमिकताओं का निश्चय करने के बाद वर्तमान एवं अतिरिक्त संसाधनों (जिन्हें हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं होगा) को देखते हुए एकाध परियोजनाओं या कार्यक्रमों को शुरू किया जा सकता है । इसके लिए हमें अलग से रूपरेखा तैयार करनी होगी । ऐसी सब परियोजनाओं व कार्यक्रमों का कुल योग ही वस्तुतः संस्था-योजना है ।

विभिन्न परियोजनाओं की रूपरेखा बनाते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा :—

1. परियोजना की आवश्यकता व औचित्य,
2. परियोजना के विशेष उद्देश्यों को यथासंभव कम शब्दों में गिनाना,
3. परियोजना में शामिल व्यक्तियों का ब्यौरा,
4. कार्यान्वयन का समयानुक्रम,
5. संसाधन,
6. जाँच एवं मूल्यांकन के तरीके,
7. सुधार के लिए सुझाव।

प्रत्येक परियोजना को विभिन्न गतिविधियों में बाँटा जाएगा और ऊपर दिए गये सात मुद्दों में से प्रत्येक की जानकारी परियोजना की रूपरेखा में दी जाएगी।

गतिविधि-4

हो सकता है आप अपनी संस्था में सुधार करने के लिए कुछ परियोजनाएँ अथवा कार्यक्रम हाथ में लेना चाहें। ऐसी परियोजनाओं/कार्यक्रमों की प्राथमिकता को देखते हुए सूची बनाइए। कम से कम एक परियोजना के विषय के सम्बन्ध में उल्लेख कीजिए।

संस्था-योजना का मूल्यांकन भी महत्त्वपूर्ण है। उद्देश्यों को देखते हुए प्रत्येक योजना, परियोजना या कार्यक्रम का तब तक मूल्यांकन किया जाना चाहिए जब तक मूल्यांकन से प्राप्त अनुभव का आगे चलकर योजना के परिष्करण के लिए पूर्ण लाभ न प्राप्त हो सके।

मूल्यांकन स्वयं स्कूल अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है या किसी बाहरी अभिकरण द्वारा। यह भी संभव है कि दोनों द्वारा मूल्यांकन किया जाय।

गतिविधि-5

मॉड्यूल के अध्ययन के बाद आवृत्ति अभ्यास के लिए नीचे दिये गये प्रश्नों का उत्तर दीजिए :—

1. संस्था-योजना की संकल्पना की व्याख्या कीजिये।
2. संक्षेप में उन क्षेत्रों पर प्रकाश डालिये जो खण्ड, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाने वाली योजना के विपरीत संस्था-योजना के अन्तर्गत आते हैं।
3. इस मॉड्यूल में उन कुछ कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है जिन्हें संस्था-योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित किया जा सकता है। क्या आप अपनी संस्था को ध्यान में रखकर कुछ अन्य विस्तार व सुधार संबंधी कार्यक्रमों का सुझाव दे सकते हैं?
4. भागीदारिता संबंधी योजना और व्यवस्था के मुख्य लक्षण क्या हैं? वे किस हद तक व्यावहारिक हैं?
5. संस्था-योजना की तैयारी के लिए अन्य क्या कदम उठायेंगे और उसकी तकनीक क्या होगी?
6. संस्था-योजना संस्था के अधिकतम विकास के लिए आप प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और संभावित सभी संसाधनों का प्रयोग करते हैं। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं?
7. संस्था-योजना की जाँच व मूल्यांकन की आवश्यकता एवं उसके महत्त्व पर प्रकाश डालिये। अपने स्कूल से संबंधित संस्था-योजना के किसी एक कार्यक्रम के संचालन व मूल्यांकन की रूपरेखा बनाइये।

परिशिष्ट

संस्था-योजना का प्रस्तावित प्रारूप

1. भूमिका या पृष्ठभूमि सूचना

1. संस्था का संक्षिप्त ऐतिहासिक विकास
2. संस्था के उद्देश्य
3. संस्था के कार्यक्षेत्र का वर्णन
4. पाठ्यक्रमीय और सहपाठ्यक्रमीय कार्यक्रम
5. संस्था की संगठनात्मक रचना

2. वर्तमान स्थिति का निदान

1. परिणामात्मक पक्ष

1.1. (पिछले दो वर्षों में) कक्षावार नामांकन

1.2. (पिछले दो वर्षों में) पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत, क्लास छोड़कर जाने वाले छात्रों का प्रतिशत

1.3. शिक्षकों की योग्यता एवं अनुभव

1.4. शिक्षक-छात्र अनुपात/कक्षावार शिक्षक/छात्र अनुपात

1.5. क्लासरूम, भवन, सुविधाएँ आदि

1.6. स्थान

1.7. पाठ्यक्रमीय विषय और नामांकन

1.8. अन्य (विशेष उल्लेख)

2. गुणात्मक पक्ष

2.1. कर्मचारी विकास-कार्यक्रम

2.2. प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षण कार्यक्रम

2.3. छात्रों का चुनाव एवं स्थापन

2.4. अनुसंधान एवं मूल्यांकन

2.5. विस्तार-सेवाओं का प्रावधान

2.6. अन्य (विशेष उल्लेख)

3. उद्देश्य/लक्ष्य/नीतियाँ

1. भविष्य के लिए पूर्व धारणा

1.1. जनसंख्या एवं श्रमिक शक्ति में संभावित परिवर्तन

1.2. उस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि

1.3. उस क्षेत्र में सामाजिक विकास

1.4. सरकार की शैक्षणिक व आर्थिक योजनाएँ और स्कूल के लिए उनका अर्थ

1.5. जन-प्रशिक्षण एवं शिक्षा की आवश्यकता

2. परिणामात्मक विस्तार

2.1. योजना अवधि में ग्रेड/चैनल या कोर्स के मुताबिक छात्रों का नामांकन

2.2. कर्मचारी वर्ग की आवश्यकताओं का प्रयोजन

2.2.1 शिक्षक वर्ग

2.2.2 अन्य कर्मचारी

2.3. आवश्यकतानुसार भूमि और भवन की परियोजना

2.4. शैक्षणिक सुविधा के लिए साजो-सामान

2.4.1 उपकरण—फर्नीचर सहित

2.4.2 आपूर्ति और साजो-सामान

2.4.3 पुस्तकालय सुविधाएँ

विस्तार-परियोजनाएँ

3. **सुधार (गुणवत्ता की दृष्टि से)-**

3.1. प्रशासनिक ढाँचे और/कार्यप्रणाली में सुधार

3.2. पाठ्यक्रम संशोधन/पुनर्विन्यास

3.3. जीवन अथवा सामुदायिक

3.4. छात्रों के प्रावधान अध्ययन के अनुसार कार्य और स्थापन

3.5. अनुसंधान और मूल्यांकन

3.6. छात्रों का चुनाव और स्कूल में उनका स्थान

4. **कार्यक्रम/परियोजनाएँ/गतिविधियाँ**

5. **योजना का लागत व्यय (वित्तीय आवश्यकताएँ)**

1. **चालू व्यय**

1.1. कर्मचारियों का वेतन

1.2. संचालन संबंधी व्यय

1.3. स्टाफ के विकास से संबंधित कार्यक्रम पर व्यय

1.4. पाठ्यक्रम में सुधार पर व्यय

1.5. छात्रों के स्थापन और उनके कैरियर के निर्माण से संबंधित सेवाओं पर व्यय

1.6. अन्य व्यय

2. **मुख्य व्यय**

2.1. स्कूल प्रोजेक्ट जैसे भवन-निर्माण आदि का खर्चा और उपकरणों का व्यय

6. **कार्यान्वयन-नीतियाँ**

1. योजना को प्रशासनिक मान्यता
2. विभिन्न कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए पूंजी प्राप्त करने के तरीके
3. संसाधनों के प्रयोग में और अधिक बढ़ोत्तरी
4. टाइम टेबिल और लक्ष्य अवधि
5. अचानक कुछ हो जाने पर उसकी जगह किसी दूसरी कार्यवाही की व्यवस्था
6. योजना को कार्यान्वित करने वालों और निर्णय लेने वालों का सहयोग
7. अन्य कदम

7. **मूल्यांकन**

1. समय-समय पर रिपोर्ट लिखना और परिशोधन करना

2. परियोजनाओं का वास्तविक निरीक्षण और प्रेक्षण
3. टाइम टेबिल, चार्ट, ग्राफ, कार्यक्रम मूल्यांकन सारिणी
4. अन्य

संस्थागत स्तर पर योजना के क्षेत्र

छात्र सेवाएं

–कैन्टीन
–साइकिल शैड
–वाटर कूलर
–पुस्तक बैंक
–सहकारी भंडार
–कामन रूम
–यूनियन ऑफिस
–वित्तीय सहायता
–स्वास्थ्य सेवा
–रोजगार दफ्तर
–छात्र अध्ययन कक्ष
–हॉस्टल
–गैर आवासी छात्र केन्द्र
–कमजोर और कम सुविधा प्राप्त छात्रों के लिए विशेष उपचारी कक्षाएँ
–खेलकूद
–वाद-विवाद/सेमिनार आदि
–प्रिय विषयों (हॉबी) की कक्षाएँ
–संकाय-सुधार
–नये संकाय का विकास
–सेमिनार/कार्यशाला/वाद-विवाद का आयोजन
–आधुनिक शिक्षण प्रविधियों को अपनाना
–संकाय का मूल्यांकन (स्व-मूल्यांकन)
–यात्रा-अनुदान

भवन निर्माण एवं उपकरण

–संस्था के भवन का निर्माण
–छात्रावास का निर्माण
–खेल के मैदान
–शिक्षकों के लिए आवास
–अतिथिगृह
–मनोरंजन कक्ष

प्रसार गतिविधियां एवं अन्य कार्यक्रम

–पुस्तकालय में सुधार
–प्रयोगशाला में सुधार
–अतिरिक्त पाठ्यक्रम-क्रियाएँ
–संस्था की पत्रिका
–वार्षिकोत्सव
–राष्ट्रीय सेवा योजना
–प्रौढ़ शिक्षा
–संस्था की गतिविधियों में समुदाय का सहयोग

सामान्य प्रशासन

–टाइम टेबिल
–विकल्प का प्रावधान
–शिक्षक/छात्र संघ की गतिविधियाँ
–छूट
–कार्यालय प्रशासन
–अनुशासन
–परीक्षाएँ
–प्रकाशन

वित्तीय व्यवस्था

–अतिरिक्त संसाधनों का जुटाव
–"न घाटा, न लाभ" पर आधारित गतिविधियों का संचालन जैसे—सहकारी भंडार, कैंटीन आदि।
–समय पर छात्रों को वित्तीय सहायता देना और स्टाफ को अन्य भुगतान।

मॉड्यूल–14

प्रभावी अधिगम के लिए अल्पव्ययी साधन

1. सिंहावलोकन

भारत में लगभग पचहत्तर प्रतिशत स्कूल गाँवों में हैं। इन स्कूलों के पास साधन जुटाने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता है। अतः अधिगम को सुसंगठित और प्रभावी बनाने के लिए शायद यह आवश्यक है कि अल्पव्ययी साधनों की सहायता ली जाए। ये साधन स्कूल के निकट वातावरण में उपलब्ध सामान्य सामग्री तथा स्थानीय टैक्नोलॉजी से बनाए जा सकते हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि शिक्षकों को अल्पव्ययी शिक्षण साधनों को बनाने की, उनके प्रयोग की तथा उनके मूल्यांकन की विधि आती हो। इसी से कक्षा अंतःक्रिया अधिक प्रासंगिक एवं प्रभावी बन सकेगी। इस मॉड्यूल में अधिगम की उन समस्याओं की व्याख्या की गई है जो गाँव में स्कूलों के शिक्षकों एवं बच्चों के सामने आती हैं। उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीके और साधन भी बताए गए हैं।

एक शिक्षार्थी को अधिगम की आवश्यकता महसूस होनी चाहिए और जो उसकी अपनी संबद्ध आवश्यकता पर निर्भर होगी। उसी के अनुसार उसकी अधिगम क्रियाएँ नियोजित की जानी चाहिए। अधिगम में एक शिक्षार्थी की तभी रुचि उत्पन्न होती है जब वह उसमें सक्रिय रूप से भाग लेता है। अल्पव्ययी साधनों से अधिगम में शिक्षार्थियों को अनेक लाभ होते हैं। उन्हें अनेक क्रियाएँ करनी होती हैं। अनेक कठिन प्रत्ययों को पहचानना पड़ता है। आस-पास उपलब्ध सामग्री की सूची बनानी होती है। साधन बनाने पड़ते हैं। ऐसी परीक्षा और क्रियाएँ करवानी पड़ती हैं जिनमें बच्चे, शिक्षक एवं समुदाय भागीदार हों।

2. उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पूरा करने के बाद आप निम्नांकित काम कर सकेंगे :—

–कठिन प्रत्ययों की अधिक सरलता से समझने के लिए साधन तैयार करने के लिए आस-पास उपलब्ध सामग्री का वर्णन,

–स्थानीय संसाधनों की सूची बनाना,

इन साधनों में स्थानीय कारीगर/शिल्पी, बढ़ई, लुहार आदि तथा स्थानीय सामग्री जैसे बाँस, दियासलाई, शंख, फलों के बीज, साइकिल की पुरानी तीलियाँ, बल्व, ट्यूब आदि सम्मिलित होंगे,

–शिक्षा में अल्पव्ययी साधनों की कीमत समझना,

–अल्पव्ययी साधनों के निर्माण के लिए स्थानीय कारीगरों तथा प्रतिभाशाली लोगों की सहायता प्राप्त करने के तरीके ढूँढ़ना,

–कम से कम पाँच साधन तैयार करना। उनमें से प्रत्येक के बारे में लिखना तथा उसके तैयार करने की प्रक्रिया एवं उसके प्रयोग का वर्णन करना।

3. अल्पव्ययी साधन क्या हैं—एक चर्चा

अल्पव्यय उन साधनों का संकेत करता है जो साधारण सामग्री से बनाए जाते हैं। उस सामग्री की कीमत बहुत कम होती है। उसके निर्माण में बच्चे और कारीगर दोनों भागीदार होते हैं। भारत में कला और शिल्प की समृद्ध परम्परा है। वह परम्परा भौतिक वातावरण में पनपी है, जिसमें पेड़-पौधे, नदी, तालाब और समुद्र शामिल हैं।

कुछ सस्ती और अवशिष्ट वस्तुएँ स्थानीय रूप में मिल सकती हैं, जैसे खाली दियासलाई, बिजली के फ्यूज बल्ब, रील के डिब्बे, बीज और शंख आदि। अल्पव्ययी साधनों में चार्ट, मॉडल और अन्य सस्ते साधन शामिल हैं। वे सरलता से थोड़े से या बिना धन के ही बनाए जा सकते हैं। उनसे अधिगम सार्थक, व्यापक और रोचक बन जाता है।

4. अधिगम क्रियाओं के प्रकार

कुछ समय से आप विद्यार्थियों को पढ़ाते रहे हैं। आपको कुछ प्रत्यय या उप-प्रत्यय ऐसे मिले होंगे जिन्हें विभिन्न मानसिक क्षमताओं वाले विद्यार्थियों को बिना मॉडलों, चार्टों, परीक्षणों या कुछ साधनों के समझाने में आपको कठिनाई होती होगी। आप प्राथमिक स्तर के ऐसे प्रत्ययों या उप-प्रत्ययों की सूची बनाइए जिन्हें समझने में बच्चों को कठिनाई होती हो, परन्तु जिन्हें वे साधारण और अल्पव्ययी साधनों की सहायता से समझ सकते हों। आप उन साधनों या क्रियाओं का भी उल्लेख कीजिए जिन्हें आप अपने स्कूलों में करवा रहे हों। कुछ मॉडल ऐसे भी हो सकते हैं जो या तो आप लाये हों या आपके स्कूल ने मँगवाये हों। ऐसे मॉडलों और चार्टों का उल्लेख कीजिए। क्या आप ऐसे साधनों का प्रयोग कर रहे हैं ? क्या आप प्रत्ययों के विश्लेषण के लिए परीक्षण करवाते हैं या उनकी मुख्य रूप से पुस्तकों द्वारा ही व्याख्या करवाते हैं ?

अल्पव्ययी साधनों के निर्माण की सम्पूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक मुख्य व्यक्ति होता है। साधन बनाने में वह कारीगरों और बच्चों को संलग्न कर सकता है। उसे पहल करनी होगी, सामग्री जुटानी होगी, आवश्यक साधन के बारे में विचार देना होगा, उसके निर्माण की योजना बनानी होगी, वैज्ञानिक विधि से परीक्षण करना होगा या क्रिया करनी होगी।

साधन निर्माण करने से पहले यह समझना जरूरी है कि जो प्रत्यय पुस्तकों द्वारा स्पष्ट नहीं किए जा सके उनकी व्याख्या कैसे की जाये। बिना साधनों के बच्चों को प्रत्ययों या उप-प्रत्ययों के समझने में कठिनाई हो सकती है। बाजार से बने हुए साधन खरीदने के लिए धन का अभाव हो सकता है। यह भी संभव है कि उस वातावरण में वे साधन न हों। पहले से बने साधनों के प्रयोग में आपका विश्वास न हो क्योंकि आप उनके निर्माण में संलग्न नहीं थे। उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिनकी वजह से आपको प्रत्ययों के स्पष्टीकरण के लिए साधनों का प्रयोग करने में रुकावट आती है। आप अपने संसाधनों की उपकरण, सामग्री, सहायता, समय और आवश्यक धन की दृष्टि से जाँच कीजिए।

5. अल्पव्ययी शैक्षिक साधनों के निर्माण पर विचार

विषय के आधार पर आप अपने प्रत्ययों का वर्गीकरण कर लीजिए। कुछ कारण तो एक जैसे हैं। उन्हें आप आसानी से पहचान सकते हैं। उनमें से मुख्य ये हैं :—

5.1 विषय का स्वरूप और अपर्याप्त प्रशिक्षण

अक्सर आप यह महसूस करते होंगे कि वर्तमान पाठ्यचर्या इतनी भारी है कि बच्चों को उसे समझने में कठिनाई होती है। आप उसे पूरा पढ़ा भी न पाते हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर आप शिक्षण-सामग्री की सहायता से नियत समय में अधिक पढ़ा सकते हैं। आपने विज्ञान को एक विषय के रूप में भले ही न पढ़ा हो, किन्तु प्राथमिक स्तर पर आपको सभी विषय पढ़ाने पड़ते हैं। विज्ञान और गणित के जिन प्रत्ययों को आप आसानी से पहचान सकते हैं यदि आप विज्ञान और साधारण गणित समझते हों।

5.2 अपर्याप्त धन और सामान्य परिस्थितियाँ

प्रायः स्कूलों में एक ही कमरा होता है। कभी-कभी उसी में एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ाना पड़ता है। आपको स्कूल पहुँचने के लिए काफी दूरी भी तय करनी पड़ती है। आपको बस या साइकिल से आना पड़ता है। इन सब में

आपको काफी असुविधा हो सकती है। स्कूल में शिक्षण सामग्री भी नहीं होती। स्कूल में गोदाम भी नहीं होता। ऐसी स्थिति में उपलब्ध सामग्री को ठीक से रखना भी कठिन है। प्रशासन ऐसे साधनों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित भी नहीं करता।

5.3 सहायक सामग्री के लिए सुविधाएँ

कई बार स्कूल में श्याम-पट, रंग या झाड़न आदि जैसी सुविधाएँ भी नहीं होतीं। अतः आप श्याम-पट जैसे मूल साधनों का भी प्रयोग नहीं करना चाहते। आप अपने हाथों से कभी कुछ करना या बनाना चाहते होंगे। क्या कभी आपको कारीगरों या शिल्पकारों के साथ अंतःक्रिया में हिचक होती है, भले ही वे आपके स्कूल के लिए कोई सहायक सामग्री बनाना चाहते हों? क्या आप चाहते हैं कि बच्चे प्रश्न न करें क्योंकि आप डरते हैं कि कभी-कभी आपको उनका उत्तर देने में कठिनाई होती है?

5.4 अधिगम में अध्यापन के सहायक साधनों का स्थान

यद्यपि इन साधनों द्वारा भाग लेने से अधिगम में सहायता मिलती है, फिर भी वर्तमान शिक्षा पद्धति में इन्हें बहुत कम प्राथमिकता मिलती है। क्या आप ऐसे तरीके ढूंढ सकते हैं जिनसे शिक्षण-सामग्री के निर्माण और प्रयोग के लिए प्रेरणा मिल सके? इसके लिए समुदाय को संलग्न करना आवश्यक है। विज्ञान और गणित में परीक्षा/क्रियाएँ करने के लिए आपको समय निकालना होगा।

अल्पव्ययी साधनों के कुछ सरल उदाहरण

"गरम होने पर धातुओं के विस्तार" के प्रत्यय की व्यवस्था करने के लिए आप अवशिष्ट पदार्थों की, जैसे साइकिल की तीली, आरे का ब्लेड, दंत मंजन का ढक्कन, मोमबत्ती तथा दियासलाई की सहायता ले सकते हैं। इसी प्रकार झाड़ू की सींकों की सहायता से आप गुणन प्रत्यय को मूर्तरूप दे सकते हैं। उसके लिए आपको सींकें नीचे दिए गए ढंग से रखनी पड़ेंगी। झाड़ू की सींकों को पड़े-पड़े और खड़े-खड़े रखने से अनुप्रस्थ काट बन जाएँगे। इनको गिना जा सकता है। अनु-प्रस्थ काटों को गिनने से $3 \times 4 = 12$ उत्तर मिल जाएगा।

झाड़ू की सींकों से ज्यामिति के प्रमेय भी स्पष्ट किए जा सकते हैं, जैसे अधिककोण, न्यूनकोण तथा समकोण।

न्यूटन की डिस्क की व्याख्या के लिए आपको सिर्फ सफेद गत्ता, पानी के रंग, ब्रश और डोरा चाहिए। "स्थान मूल्य" जोड़ना और गुणन प्रत्ययों की "गणक" की सहायता से व्याख्या की जा सकती है। गणक साइकिल की तीलियों, लकड़ी का तख्ता, चौकोर गत्ते का टुकड़ा, रंगीन कागज के टुकड़े, कुछ गोले आदि जैसे साधारण सामान से बनाया जा सकता है। ज्यामिति के आकार बच्चों को दियासलाई की तीलियों आदि, साइकिल के वाल्वों की सहायता से समझाये जा सकते हैं। गरम करने पर गैस के विस्तार, प्रत्यय को साधारण प्रदर्शनों से स्पष्ट किया जा सकता है। उसे मूलरूप दिया जा सकता है। बिजली का एक फ्यूज बल्ब लीजिए। उसके अन्दर के सामान को हटा दीजिए। बल्ब के मुंह पर एक गुब्बारा लगा दीजिए। ज्योंही आप बल्ब को गरम करेंगे गुब्बारा उड़ जायेगा।

पेड़ों, घरों, खम्भों आदि की ऊंचाई नापने के लिए आपको सिर्फ एक कोणमापक चाहिए। वह एक गत्ते से भी बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आपको एक लकड़ी की डंडी 25 सेमी० × 2 सेमी० × 2 सेमी०, डोरा 25 सेमी०, एक छोटी सँकरी कील और लकड़ी की डंडी से चिपका दी जाय। कोणमापक का चपटा हिस्सा डंडी के एक छोर पर रख दीजिए। कोणमापक के उस स्थान पर एक छेद कर दीजिए जहाँ पर 0° और 90° रेखाएँ मिलती हों। उस छेद में एक कील ठोंक दीजिए जिससे कि वह लकड़ी में चली जाए। डोरे में एक छोटा सा बट्टा लटका दीजिए और उस डोरे को कील में बाँध दीजिए। अपने लक्ष्य (खम्भे) की लम्बाई का अनुमान कीजिए–जैसे य मीटर। लकड़ी के डंडे के साथ खम्भे के सिरे पर देखिए। थोड़ा आगे-पीछे हटिए जिससे कि नीचे वाला डोरा कोणमापक पर 45° का कोण बनाए। खम्भे से ठीक दूरी नापिए। फिर आप अपनी आँख से जमीन तक की दूरी नापिए। अब आपको खम्भे की ऊंचाई मालूम पड़ जाएगी।

विज्ञान पढ़ाने के लिए नपना ग्लास एक फ्यूज बल्ब में पानी लेकर आसानी से बनाया जा सकता है।

जल के वैद्युत अपघटन की क्रिया पढ़ाने के लिये नारियल के खोल और प्रयुक्त शुष्क सेल के कार्बन की छड़ सें जल वोल्टामीटर बनाया जा सकता है। इसी प्रकार अध्यापन के लिए सहायक साधनों को आय मुक्त सामग्री सें बना सकते हैं तथा अल्पव्ययी वस्तुओं का सफल उपयोग कर सकते हैं।

क्रिया

आप बच्चों को एक अल्पव्ययी साधन सुझाइए जिसे आप अपने इलाके सें उपलब्ध कच्चे माल से बना सकते हों। आवश्यक सामग्री की सूची तैयार कीजिए। उसकी लागत का अनुमान लगाइए। उसके निर्माण का तरीका समझाइए। यह भी बताइए कि उस साधन का किस संदर्भ में प्रयोग होगा।

अल्पव्ययी साधनों पर किया गया कार्य

एन० सी० ई० आर० टी० के केन्द्रीय शैक्षिक टैक्नालॉजी संस्थान ने भारत के विभिन्न राज्यों में चुने हुए ग्रामीण प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए अल्पव्ययी साधनों सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसमें उन्होंने राजकीय शिक्षा विभागों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ मिल कर यह काम किया। उन्होंने निम्नांकित काम किए हैं :—

1. यूनेस्को द्वारा भारत में अल्पव्ययी/उपयोगी शैक्षिक सामग्री और उपकरण पर किये गए व्यय अध्ययन का संकलन किया।
2. अल्पव्ययी साधनों पर लेख छापे और 20 चार्टों की शृंखला निकाली।
3. अल्पव्ययी साधनों की शैक्षिक टैक्नालॉजी पर एक टेप स्लाइड कार्यक्रम तैयार किया।
4. विज्ञान एवं गणित के 25 प्रत्ययों के लिए अल्पव्ययी साधनों की एक चित्रित पुस्तिका छापी। इस पुस्तिका का शिक्षकों के साथ औपचारिक एवं अनौपचारिक परिस्थितियों सें परीक्षण किया गया।
5. अभी हाल में वीडियो पर अल्पव्ययी साधनों पर 9% प्रोग्राम बनाए गए।
6. कीथ वारेन की अल्पव्ययी साधनों पर "प्रेपरेशन आफ अंडर-स्टैंडिंग" पुस्तक का सी० आई० ई० टी० द्वारा हिन्दी में अनुवाद करवाया गया और यूनीसेफ ने उसे प्रकाशित किया।
   रिपोर्ट, निबन्ध, पुस्तिका एवं पुस्तकें सी० आई० ई० टी०, एन० सी० ई० आर० टी० (पी० पी० गि०) 10-बी, रिंग रोड, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध हैं।

आप अपने अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए सी० आई० ई० टी० से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। इस क्षेत्र में जो स्वैच्छिक संगठन/संस्थाएँ महत्वपूर्ण काम कर रही हैं उनमें से कुछ के नाम और पते इस प्रकार हैं :—

1. किशोर भारती, पलिया पिपरिया ग्राम, बनभादीहोकर, जिला—होशंगाबाद (म० प्र०)
2. विक्रम ए० साराभाई कम्यूनिटी साइन्स सेंटर, नवरंग पुर, अहमदाबाद (गुजरात)
3. सोशल वर्क एण्ड रिसर्च सेंटर, टिलोनिया, अजमेर।
4. मित्र निकेतन, वेल्लानाद, जिला त्रिवेन्द्रम।
5. स्टेट इन्स्टीट्यूट आफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उदयपुर (राजस्थान)

प्रतिपुष्टि प्रश्न

1. आपके अपने वातावरण में उपलब्ध ऐसी दस वस्तुओं की सूची बनाइए जिनसे शिक्षण सामग्री तैयार की जा सके।

2. क्या आप कारीगरों को दस साधन बनाने के लिए सुझाव दे सकते हैं, उन्हें संलग्न कर सकते हैं ? यदि हाँ, तो किस तरह ?
3. क्या अध्यापन साधनों से वास्तविक सहभागिता द्वारा अधिगम को प्रोत्साहन मिलता है ?
4. साधनों के निर्माण की कीमत को ध्यान में रखते हुए क्या आप सोचते हैं कि भारतीय स्कूली व्यवस्था में बड़े पैमाने पर बनाए जा सकते हैं ?
5. प्रभावी अधिगम के लिए अल्पव्ययी साधनों के निर्माण के लिए चार प्रमुख आवश्यकताएँ कौन सी हैं ?
6. आपके विचार में वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से एक शिक्षक को अल्पव्ययी साधनों के प्रयोग में बाधा पड़ती है ?

मॉड्यूल–15

जन माध्यम का प्रयोग

सिंहावलोकन

इस मॉड्यूल का उद्देश्य आपको कुछ बातें समझने में सहायता करना हैं, जैसे जन माध्यम का क्या अर्थ है ? शिक्षा में जन माध्यम की क्या भूमिका है ? शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए स्कूल और उसके बाहर जन माध्यम का किस प्रकार सफल प्रयोग किया जा सकता है ।

पुराने जमाने में शिक्षक ही एक ऐसा माध्यम था जिससे बच्चों को ज्ञान प्राप्त होता था। वह मौखिक रूप से अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता था। बाद में छपाई की तकनीक का विकास हुआ तथा पुस्तकें छपने लगीं। पुस्तकों से शिक्षकों को पढ़ाने तथा विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने में बहुत अधिक लाभ हुआ है। दिन-प्रतिदिन अखबार पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनसे उन्हें निश्चय ही विभिन्न चीजों और घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। वे उन्हें जान जाते हैं। इधर कुछ दिनों से हमारे देश में शिक्षा के लिए रेडियो और टेलीविजन जैसे जन माध्यम का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। जन माध्यम का शिक्षा के स्तर को सुधारने तथा शिक्षा के प्रसार के लिए और अधिक उपयोग किया जा सकता है।

हमारा देश काफी बड़ा है। उसकी जनसंख्या बहुत बड़ी है और वह तेजी से बढ़ती जा रही है। बच्चे काफी बड़ी संख्या में स्कूलों में जाते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते या शुरू में ही स्कूल छोड़ देते हैं। यदि हम शिक्षा के परम्परागत तरीकों पर ही निर्भर करते रहेंगे तो हम प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देने में सफल नहीं हो सकेंगे।

आपको मालूम है कि मनुष्य के ज्ञान का विस्तार हो रहा है। उसमें बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। अतः अनेक विषयों को पाठ्यचर्या में समय-समय पर परिवर्तन किए जाते हैं और उसे नवीनतम रूप दिया जाता है। परन्तु इस पाठ्यचर्या को सफल बनाने के लिए शिक्षकों के ज्ञान में भी परिवर्तन होना आवश्यक है। हो सकता है वे अपने आप नया ज्ञान प्राप्त न कर सकें। अध्यापन के नये तरीकों और अध्यापन की विषय सामग्री के बारे में काफी शिक्षकों को पुनः प्रशिक्षित करने तथा जानकारी देने के लिए जन माध्यम से बड़ी सहायता मिल सकती है।

इससे पहले कि शिक्षक जन माध्यमों का अपनी और अपने बच्चों की भलाई के लिए सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकें यह आवश्यक है कि वे इसमें विशेष ज्ञान और कुशलता प्राप्त करें। इस मॉड्यूल में हम कक्षाओं में रेडियो और टेलीविजन के सही प्रयोग की तकनीकों की भी चर्चा करेंगे। इस मॉड्यूल के उद्देश्य इस प्रकार हैं:—

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आपको निम्नांकित बातें आ जानी चाहिए :—

–अनेक शैक्षिक माध्यमों का सार्थक भागों में वर्गीकरण करना।

–अध्यापन में जन माध्यम के प्रयोग के लाभ को समझना।

–अध्यापन में रेडियो और टेलीविजन के प्रयोग की निपुणता प्राप्त करना।

–प्रतिपुष्टि (फीडबैक) रपट तैयार करके संबंधित एजेंसी को भेज सकें।

कार्यकलाप

आपने अपने प्रशिक्षण एवं अध्यापन की अवधि में अध्यापन एवं अध्ययन के काम में विभिन्न शैक्षिक माध्यमों का प्रयोग किया होगा और उनके बारे में जानकारी भी प्राप्त की होगी। क्या आप उन शैक्षिक माध्यमों की पुनः याद कर सकते हैं ? उनकी सूची बनाइए।

कार्यकलाप-1

एक अलग कागज पर विभिन्न शैक्षिक माध्यमों की सूची बनाइए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए

इस तरह बनाई सूची को पढ़िए। आप देखेंगे कि इन माध्यमों को विभिन्न वर्गों में बाँटा जा सकता है, जैसे छपा हुआ माध्यम एवं बिना छपा हुआ माध्यम, बिना कीमत वाला, कम कीमत वाला और ऊँची कीमत वाला माध्यम, प्रक्षेप्य (प्रोजेक्टेड) एवं अप्रक्षेप्य (नान प्रोजेक्टेड) माध्यम इत्यादि।

कार्यकलाप-2

विभिन्न शैक्षिक माध्यमों का वर्गीकरण कीजिए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

इन माध्यमों का एक व्यापक वर्गीकरण निम्नांकित तरीके से किया जा सकता है :—

छपा माध्यम — **टिप्पणी**

1—किताबें
2—कार्यपुस्तिका

ऐसे माध्यम जिनमें मशीनों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती

1—खिलौने
2—खेल
3—चार्ट
4—नक्शे
5—लेखाचित्र (ग्राफ)
6—कटे हुए हिस्से (कट आउट्स)
7—चित्र
8—चमकने वाले कार्ड (फ्लैश कार्ड)
9—सूती फलालेनी कार्ड (फ्लैनेल कार्ड)
10—मॉडल
11—नमूने

ये खरीदे जा सकते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी आस-पास मिलने वाली कम कीमत या मुफ्त की वस्तुओं से भी उनका निर्माण कर सकते हैं।

मशीन से चलने वाले माध्यम जिनके चलाने के लिए मशीन की जरूरत पड़ती है

1—स्लाइड

2—फिल्म पट्टी (फिल्म स्ट्रीप्स)

3—ऊपरी पारदर्शी चित्र (ओवरहेड ट्रान्सपरेन्सीज)

4—सुनने वाला टेप अथवा सुनने वाला कैसेट (आडियो टेप्स या आडियो कैसेट्स)

5—देखने वाला टेप अथवा देखने वाला कैसेट (वीडियो टेप्स या वीडियो कैसेट्स)

जन माध्यम

1—फिल्म (16 एम०एम०, 35 एम०एम०)

2—रेडियो

3—टेलीविजन

इस मॉड्यूल में हम जन माध्यम—अधिकतर रेडियो और टेलीविजन तथा सुनने एवं देखने वाले कैसेटों के बारे में चर्चा करेंगे।

आपको कक्षा में रेडियो और टेलीविजन तथा सुनने और देखने वाले कैसेटों के प्रयोग करने का कुछ अनुभव तो होगा ही। आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग पचास वर्षों से रेडियो का उपयोग शैक्षिक लाभ के लिए किया जाता रहा है। कुछ आकाशवाणी केन्द्र (रेडियो-स्टेशनों, लगभग चवालीस) स्कूल के बच्चों के लिए नियमित रूप से कार्यक्रम बनाते हैं तथा उनका प्रसारण करते हैं। कुछ केन्द्र (लगभग चौंतीस) उन प्रोग्रामों को रिले करके अधिकतम लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं।

आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा बनाए स्कूलों के कार्यक्रम श्रोताओं के निम्नांकित वर्गों के लिए होते हैं :—

1—शिक्षक

2—उच्च माध्यमिक कक्षाओं के बच्चे

3—माध्यमिक कक्षाओं के बच्चे

4—प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे

5—युवकों के लिए सामान्य लाभ के कार्यक्रम

6—माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों को परीक्षाओं के लिए तैयार करते के लिए पाठ।

कोई भी आकाशवाणी केन्द्र इन सबको या इनमें से कुछ कार्यक्रमों को तैयार कर प्रसारित कर सकता है। ये कार्यक्रम प्रायः सुबह प्रसारित किए जाते हैं, दूसरी पारी के विद्यार्थियों के लिए अपराह्न में वे फिर प्रसारित किए जाते हैं।

इन प्रोग्रामों की विषय सामग्री तथा शीर्षकों का चुनाव विभिन्न श्रोताओं के लिए संबंधित आकाशवाणी केन्द्रों से प्रतिवर्ष होता है। इस काम के लिए इन केन्द्रों ने अपनी-अपनी सलाहकार समितियाँ बना रखी हैं। उन समितियों में राज्य के शिक्षा विभागों तथा अन्य राज्य की शैक्षिक एजेन्सियों के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में काम करते हैं।

अधिकतर आकाशवाणी केन्द्र ही शैक्षिक प्रोग्राम तैयार करते हैं। कुछ शैक्षिक संस्थाएँ भी, जैसे एन० सी० ई० आर० टी० नई दिल्ली, सी० आई० ई० एफ० एल० हैदराबाद, सी० आई० आई० एल० मैसूर शैक्षिक प्रोग्राम तैयार करते हैं। आकाशवाणी केन्द्र उन्हें भी प्रसारित करते हैं।

अधिकांश आकाशवाणी केन्द्र या राजकीय शिक्षा विभाग स्कूल प्रोग्रामों के प्रसारण की सूची छपवाते हैं। वे इस सूची को सूचनार्थ उन स्कूलों को भेज देते हैं जो उनके यहाँ पंजीकृत होते हैं।

कार्यकलाप-3

अपने राज्य के उन आकाशवाणी केन्द्र (केन्द्रों) का पता लगाइए जो स्कूलों के लिए प्रोग्राम का प्रसारण करते हैं। उस केन्द्र द्वारा प्रसारित प्रोग्रामों के स्वरूप एवं प्रकारों तथा उनके प्रसारण के समय का भी पता लगाइए। उस एजेंसी का भी पता लगाइए जो स्कूलों के लिए प्रसारणों की सूची छापकर वितरित करती है। उनसे संपर्क स्थापित कीजिए तथा उनसे निवेदन कीजिए कि वे आपका नाम अपनी डाक सूची में शामिल कर लें।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

प्रत्येक राज्य के बहुत से ऐसे स्कूलों के नाम लिखिए जिनके पास प्रोग्रामों को सुनने के लिए रेडियो हैं। कुछ स्कूलों को शिक्षा विभाग से रेडियो प्राप्त होते हैं। अन्य स्कूल अपने पैसों से रेडियो खरीद लेते हैं। यह भी संभव है कि किसी स्कूल को किसी स्वैच्छिक या समाज सेवी संस्था से रेडियो मिल जाये। राजकीय शैक्षिक तकनीकी कोष्ठ/राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान स्कूलों को यह सलाह देते हैं कि इन उद्देश्यों के लिए किस प्रकार के रेडियो अच्छे रहेंगे।

कार्यकलाप-4

यदि आपके पास पहले से रेडियो सैट नहीं है, तो अपने स्कूल के लिए एक रेडियो प्राप्त करने की संभावना का पता लगाइए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

रेडियो की तरह टेलीविजन भी पिछले पच्चीस वर्षों से हमारे देश में शिक्षा के विकास के लिए काम में लाया जा रहा है। पहली बार 1961 में दिल्ली के स्कूलों में टेलीविजन का प्रयोग किया गया था। बाद में इस योजना का बम्बई, मद्रास और श्रीनगर के दूरदर्शन केन्द्रों ने अनुसरण किया। ये केन्द्र प्रायः मध्य स्तर और उसके ऊपर के बच्चों के लिए ही प्रसारण करते हैं। लेकिन उनमें से कुछ प्राथमिक स्कूलों के लिए भी काम करते हैं।

सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के अधिकतम बच्चों तक इन कार्यक्रमों को पहुँचाने के लिए पहली बार 1975-76 में टेलीविजन का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया था। उसके लिए सैटिलाइट प्रशिक्षण टेलीविजन परीक्षण (एस० आई०टी०ई०) के समय एक अमरीकी सैटिलाइट—ए०टी०एस०-6 की सहायता ली गई थी। यह परीक्षण एक वर्ष तक चलता रहा। इससे छः राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के बीस जिलों के 2330 गाँवों के बच्चों को लाभ हुआ। स्कूलों में उन बच्चों ने प्रतिदिन बीस मिनट का एक कार्यक्रम टेलीविजन पर देखा। 1975 में दशहरे की छुट्टियों में बारह दिन तक सैटिलाइट का प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को विज्ञान में प्रशिक्षित करने के लिए प्रयोग किया गया। उसमें चौबीस हजार से भी अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। 1976 की गर्मी की छुट्टी में वही प्रशिक्षण अन्य शिक्षकों को भी दिया गया।

उक्त परीक्षण के बाद जयपुर, रायपुर और मुजफ्फरपुर में स्थित थल प्रसारणों की सहायता से कुछ सीमित स्कूलों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किए गये थे।

अप्रैल 1982 से हमारे देश में अपनी भारतीय राष्ट्रीय सैटिलाइट (इन्सेट) की स्थापना की जा चुकी है। उसकी सहायता से एक बार फ़िर प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए टेलीविजन का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। शैक्षिक टेलीविजन सेवा आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में आरंभ की गई। बाद में उसका महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और

बिहार में विस्तार किया गया। इन राज्यों के कुछ चुने हुए जिलों के स्कूलों के लिए भारत सरकार ने छः हजार से भी अधिक टेलीविजन उपलब्ध कराए हैं।

अक्तूबर 1984 के मध्य से शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रम अधिक शक्ति वाले प्रेषित्रों (एच०पी०टी०एस०) तथा कम शक्ति वाले प्रेषित्रों की सहायता से उक्त छः राज्यों तथा हिन्दी भाषी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी प्रसारित किए जाते हैं। इन प्रसारण क्षेत्रों में आने वाले अन्य स्कूलों के लिए राज्य सरकारें अतिरिक्त सामुदायिक टेलीविजन का प्रबंध कर रही हैं। आपको मालूम होगा कि अब देश में एक सौ छियासी टेलीविजन प्रेषित्र हैं, उनसे सत्तर प्रतिशत जनता तक प्रसारण पहुँच जाते हैं।

कार्यकलाप-5

यह ज्ञात कीजिए कि क्या आपका स्कूल शैक्षिक टेलीविजन प्रोग्राम के प्रसारण क्षेत्र में आता है। उन प्रसारणों का समय क्या है ? इस विषय में स्थानीय दूरदर्शन केन्द्र और राजकीय शैक्षिक टैक्नोलॉजी संस्थान, राजकीय शैक्षिक टैक्नोलॉजी सेल आपकी सहायता कर सकते हैं।

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए सप्ताह में पाँच दिन प्रातः पैंतालीस मिनट के लिए प्रसारण किया जाता है। उसमें बीस-बीस मिनट के दो प्रसारण किए जाते हैं—एक पाँच से आठ वर्ष वाले बच्चों के लिए और दूसरा नौ से ग्यारह वर्ष वाले बच्चों के लिए। सप्ताह में एक दिन शनिवार को शिक्षकों के लिए भी प्रोग्राम प्रसारित किया जाता है।

आपको आश्चर्य होगा कि जब अन्य साधन जैसे ब्लैक बोर्ड, किताबें, चार्ट आदि अध्यापन अधिगम के लिए पूरी तरह उपलब्ध नहीं हैं तब देश में शिक्षा के लिए जन माध्यम पर इतना खर्चा और प्रयास क्यों किया जाता है।

कार्यकलाप-6

शिक्षा में रेडियो और टेलीविजन के प्रयोग के संभावित लाभों पर विचार कीजिए। उन लाभों की एक सूची बनाइए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

समस्त संसार का यह अनुभव है कि सही प्रयोग करने पर रेडियो और टेलीविजन से शिक्षा के विस्तार में बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। बच्चे अपनी इन्द्रियों का जितना अधिक प्रयोग करेंगे उनका ज्ञान उतना ही अधिक बढ़ेगा।

रेडियो श्रवण इन्द्रिय (कान) को अच्छा लगता है। अतः इससे बच्चों की भाषा और संगीत के विकास में विशेष सहायता मिल सकती है। ऐतिहासिक नाटकों द्वारा उन्हें इतिहास की घटनाओं को भी आसानी से समझाया जा सकता है। टेलीविजन तो और भी सशक्त माध्यम है, क्योंकि उसमें ध्वनि और चलचित्रों का मेल रहता है। टेलीविजन द्वारा अनेक काम किये जा सकते हैं। निपुणताओं को विशेष रूप से सिखाया जा सकता है। विभिन्न विचारों को स्पष्ट किया जा सकता है। बच्चों को प्रेरित किया जा सकता है। उनकी रुचियों और मूल्यों को उभारा जा सकता है। सही सूचनाओं, तथ्यों को रोचक ढंग से बच्चों तक पहुँचाया जा सकता है। रेडियो और टेलीविजन की सहायता से बाहरी दुनिया को कक्षा में लाया जा सकता है। बच्चों के अनुभव और उनकी बौद्धिक सीमाओं को विस्तृत किया जा सकता है। अन्य माध्यमों से इतना सब कुछ करना संभव नहीं है।

शिक्षा में रेडियो और टेलीविजन के प्रयोग के अनेक लाभ हैं। लेकिन दोनों माध्यमों की कुछ सीमाएँ भी हैं। क्या आप उन सीमाओं की कल्पना कर सकते हैं ?

कार्यकलाप–7

शैक्षिक रेडियो एवं टेलीविजन की सीमाओं पर विचार कीजिए ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

आपने ठीक ही सोचा है कि इन माध्यमों की निम्नांकित महत्त्वपूर्ण सीमाएँ हैं:—

1—इनसे एकतरफा संचार होता है, दर्शक न तो प्रश्न पूछ सकते हैं और न तुरन्त स्पष्टीकरण ही प्राप्त कर सकते हैं ।

2—दर्शकों को प्रसारण की गति के साथ-साथ चलना होगा। न तो वे पीछे जा सकते हैं और न वे किसी विचार को दुहराने के लिए कह सकते हैं। पुस्तक पढ़ते समय हम पीछे के पन्ने भी पढ़ सकते हैं और आगे के भी, परन्तु रेडियो और टेलीविजन में यह संभव नहीं है ।

3—दोनों ही माध्यम जन माध्यम हैं। उनके कार्यक्रम श्रोताओं की बड़ी संख्या को ध्यान में रखकर तैयार किये जाते हैं। हो सकता है कि वे किसी विशेष वातावरण में रहने वाले विशेष समुदाय के बच्चों के अनुभव के अनुकूल न हों। हम जानते हैं कि जब कोई विचार/सूचना बच्चों के अपने अनुभव और उनके निकट के वातावरण से जुड़ी होती है तब वे उसे बड़ी अच्छी तरह से और जल्दी समझ लेते हैं। लेकिन रेडियो और टेलीविजन के कार्यक्रमों में यह आवश्यक नहीं है कि वे सदैव इस बात को पूरी तरह ध्यान में रखें। सौभाग्य से काफी सीमा तक इन कमियों को दूर करने के उपाय हैं। क्या आप ऐसे उपाय ढूंढ़ सकते हैं जिनसे वह कमियाँ दूर की जा सकें ?

कार्यकलाप–8

शैक्षिक रेडियो और टेलीविजन की विभिन्न कमियों को दूर करने के तरीकों पर विचार कीजिए ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

वास्तव में जन माध्यमों में इन कमियों के कारण ही आपकी भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण बन जाती है। आप बच्चों की सहायता कर सकते हैं, उनका मार्ग दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप बच्चों को रेडियो और टेलीविजन से सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उन्हें रेडियो सुनने और टेलीविजन देखने के लिए बढ़ावा दे सकते हैं। बच्चे उन्हें तभी सुन और देख सकेंगे जब आप उनका उपयोग करेंगे, उन्हें चालू करेंगे। आपको चाहिए कि आप बच्चों की ऐसी आदत डालें कि वे नियमित रूप से इन माध्यमों का लाभ उठा सकें।

दूसरी बात यह है कि आप कार्यक्रमों की सूची को देखें। आगे प्रसारित होने वाले प्रोग्राम, यदि उपलब्ध हों तो आप पहले से ही उनके विषय और विस्तार को, प्रसारण समय से दस मिनट पहले ध्यान से समझ लें।

आप बच्चों के साथ अमुक कार्यक्रम की चर्चा कर लें। इससे एक तो बच्चों को पिछला कार्यक्रम याद आ जायेगा और दूसरे आप उन्हें आगे के कार्यक्रम को सावधानी से समझने के लिए प्रेरित एवं तैयार कर सकेंगे।

आप बच्चों के साथ बैठकर कार्यक्रम को सुनें और देखें। उसके विभिन्न पक्षों के बारे में बच्चों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें।

प्रसारण के बाद आपको चाहिए कि आप बच्चों के साथ कार्यक्रम की चर्चा करें। उनके संदेह दूर करें। उस कार्यक्रम को कक्षा में होने वाले काम तथा उनके पुराने अनुभव एवं वातावरण से जोड़ें। उन्हें कुछ ऐसी क्रियाएँ सुझाइए जिससे उन्हें आगामी कार्यक्रम के अनुगमन में सहायता मिल सके।

कार्यक्रम के प्रसारण के समय आपकी उपस्थिति से एक और लाभ होगा। बच्चे ठीक से और अनुशासित ढंग से बैठ कर उसे सुन और देख सकेंगे। प्रसारण के समय बच्चों को अकेला छोड़ना उचित नहीं है, कुछ शिक्षक उन्हें अकेला छोड़ देते हैं।

इसके अतिरिक्त शिक्षकों का कहना है कि बच्चों के लिए बने कार्यक्रमों को सुनने और देखने से उन्हें भी बहुत लाभ होता है। वे इन कार्यक्रमों से बहुत सी नई बातें सीखते हैं।

उक्त बातों को कुछ समय तक नियमित रूप से करने से आप देखेंगे कि बच्चे उन प्रोग्रामों को सुनने और देखने के सही तरीके जान जाते हैं। वे अपने आप उनसे लाभ उठाना भी सीख जाते हैं। इससे वे अपने बाद के जीवन में भी नई शिक्षा पाते रहने के लिए इन माध्यमों का प्रयोग कर सकेंगे।

आपको एक और भूमिका निभानी पड़ेगी। आप इन कार्यक्रमों के निर्माताओं को अपनी और अपने बच्चों की प्रतिक्रियाएँ भेजें। इससे उन्हें उन कार्यक्रमों के स्तर को सुधारने में सहायता मिलेगी। वे उन्हें बच्चों के लिए अधिक उपयोगी, सार्थक एवं रोचक बना सकेंगे। इसके लिए आप प्रत्येक कार्यक्रम के लिए प्रतिपुष्टि फार्म भरकर संबंधित एजेंसी को भेज दें।

इसी तरह एक और महत्त्वपूर्ण काम आपको करना होगा। आप देखें कि उपलब्ध उपकरण ठीक से काम करें। जब भी उसमें कोई खराबी आए, आप उसे तुरन्त ठीक कराएँ। कुछ राज्यों के पास उन्हें ठीक कराने के लिए विशेष प्रबंध हैं। महाराष्ट्र और गुजरात की ग्रामीण प्रसारण इकाइयाँ इस बात के उदाहरण है। कुछ अन्य राज्यों में गैर सरकारी एजेन्सियों को इन उपकरणों की देखभाल का ठेका दे दिया जाता है। आपको उनके उक्त डाक पते ज्ञात होने चाहिए जिससे खराबी होने पर आप उन्हें सूचित कर दें।

अंत में एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि आपको बच्चों को रेडियो और टेलीविजन के सामने बिठाने का सही तरीका आना चाहिए। वह तरीका कक्षा में सामान्यरूप में बैठने वाले तरीके से भिन्न होगा। रेडियो सुनने के लिये बच्चों को रेडियो के आस-पास वृत्ताकार या अर्द्ध वृत्ताकार पंक्तियों में बैठाया जा सकता है।

टेलीविजन को देखने के लिए बच्चों के लिए आदर्श तरीका यह होगा कि बच्चे 30 डिग्री के कोण के अंदर बैठें। यदि उनकी संख्या अधिक हो तो 40 डिग्री के कोण के अंदर बिठाया जा सकता है। इस बात का भी ध्यान रखिए कि टेलीविजन और बच्चों की पहली पंक्ति में छः-सात फीट की दूरी हो। यदि वे टेलीविजन के अधिक नजदीक बैठेंगे तो उससे उनकी आँखों को हानि होगी। इसी तरह अंतिम पंक्ति में बैठे बच्चे टेलीविजन से पच्चीस फीट से अधिक दूरी पर न हों।

जिस स्थान पर टेलीविजन रखा जाए उसकी ऊँचाई बच्चों की आँखों के स्तर से थोड़ी सी अधिक हो। यदि बच्चे फर्श पर बैठे हों तो टेलीविजन दो से तीन फीट की ऊँचाई पर रखा जाना चाहिए।

सिनेमा हाल की तरह यह जरूरी नहीं है कि टेलीविजन वाले कमरे में अंधेरा किया जाय। कमरे में कुछ रोशनी रखी जा सकती है। लेकिन वह रोशनी सीधी टेलीविजन के पर्दे पर नहीं पड़नी चाहिए। दरवाजे और खिड़कियों को बंद करने से कमरे में घुटन हो सकती हैं और विशेष रूप से गर्मी के दिनों में बच्चों को शारीरिक कष्ट हो सकता है।

इस तरह यह स्पष्ट है कि शिक्षक के रूप में शिक्षा में जन माध्यम के सफल उपयोग के लिए आपकी भूमिका महत्त्वपूर्ण हैं। आपकी पहल, प्रेरणा एवं निपुणता के बिना बच्चे उनसे लाभ नहीं उठा सकेंगे।

प्रश्न

1—शिक्षा में जन माध्यम के प्रयोग के क्या लाभ हैं ?

2—शैक्षिक काम के लिए आपको अपने शहर/गाँव में किस प्रकार के माध्यम की सहायता मिल सकती है ?

मॉड्यूल–18

स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा

सिंहावलोकन

स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा विद्यालयी पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग है। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के लिए सुविधाएँ अधिकतर विद्यालयों में प्राप्त हैं, भले ही वे पर्याप्त मात्रा में न हों। इस क्षेत्र में क्रियाकलापों के आयोजन में शिक्षकों को अधिक स्वायत्तता प्राप्त है। इन क्रियाओं में बच्चे भी स्वेच्छा से और सहर्ष भाग लेते हैं। प्रस्तुत मॉड्यूल इस प्रकार तैयार किया गया है जिससे आपको स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के विविध अवयवों को समझने में सहायता मिले। इन अवयवों में स्वच्छता, स्वास्थ्य शिक्षा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, पोषाहार तथा महत्त्वपूर्ण व्यायाम शामिल हैं, जो आपको शारीरिक दृष्टि से ठीक रखते हैं। इनसे खेल-कूदों में नियमित रूप से भाग लेने के प्रति चेतना विकसित होगी और आप तथा आपके विद्यार्थी शारीरिक कार्यों में भाग लेने के लिए अभिप्रेरित होंगे। इससे हमारा राष्ट्र स्वस्थ और सबल बनेगा।

विद्यालयों में प्रचलित प्रवृत्ति यह है कि केवल शारीरिक शिक्षा का शिक्षक ही खेल-कूद का आयोजन करता है। कुछ विद्यार्थियों को खेल-कूद तथा अन्य शारीरिक कार्यों में भाग लेने के लिए चुन लिया जाता है ताकि उन्हें प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। कुछ चुने हुए विद्यार्थियों को प्रतियोगिताओं के लिए चुनने का उपागम सन्तोषप्रद नहीं है, क्योंकि इससे छात्रों की बहुत बड़ी संख्या शारीरिक शिक्षा से वंचित रह जाती है। इस उपागम की जगह हमें ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के क्रिया कलापों में सभी विद्यार्थी भाग ले सकें।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल के अवलोकन के बाद आप :—

—स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों के संप्रत्यय को समझ सकेंगे,

—छात्रों की सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति चेतना विकसित कर सकेंगे,

—बीमारियों और उनसे सुरक्षा उपायों की आवश्यकता समझ सकेंगे,

—स्वास्थ्य आदतों के महत्त्व की सराहना कर सकेंगे,

—स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा से सम्बन्धित क्रियाओं का आयोजन और मूल्यांकन कर सकेंगे,

—छात्रों में क्रीड़ा-कौशल की भावना विकसित करने के लिए विद्यालय में उपयुक्त वातावरण निर्मित कर सकेंगे।

हम क्या कर सकते हैं ?

नई शिक्षा नीति (1986) में यह विचार प्रस्तुत किया गया है कि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा से पारिवारिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रति व्यक्ति को प्रतिबद्धता सुनिश्चित होगी। पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति को ही स्वास्थ्य की परिभाषा कहा गया है। इसके अन्तर्गत रोग तथा दुर्बलता का न होना भी शामिल हैं। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा से ऐसी स्वास्थ्य स्थिति प्राप्त करने में सहायता मिलती है जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सांवेगिक रूप से सक्षम रखता है। इससे मनुष्य अपनी शक्ति और क्षमता का पूर्ण विकास करता है।

हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का विकास और वृद्धि आनुवंशिकता तथा वातावरण पर निर्भर करता है। आनुवंशिकता पर हमारा नियंत्रण नहीं है पर निश्चित ही हम भोजन पर नियंत्रण, विश्राम, मनोरंजन, व्यायाम और अंततः रोगों से सुरक्षा और प्रतिरक्षा द्वारा शरीर के सुडौल विकास के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। आपको पोषक वातावरण की खोज करनी चाहिए, अपनी स्वयं की भोजन-संस्कृति से परिचित होना चाहिए। आप प्राप्त पौष्टिक भोजन के चयन और प्रयोग का सिद्धान्त अमल में ला सकते हैं। पौष्टिक तत्वों के प्रयोग में इससे वांछित परिवर्तन होगा। इससे आपको अपने विद्यालय में पोषण शिक्षा के निरूपण में भी सहायता मिलेगी।

कार्य

अपने लिए तथा अपने छात्रों के लिए स्थानीय प्राप्त भोज्य पदार्थों में से सन्तुलित भोजन के पदार्थों की सूची तैयार कीजिए।

एक अध्यापक के रूप में आपने अपनी कक्षा में छात्रों की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को देखा होगा और उन्हें निर्देश भी दिया होगा। छात्रों की स्वास्थ्य स्थिति को समझने के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी आवश्यक है। स्वास्थ्य मूल्यांकन के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य लिए जा सकते हैं :—

1—उन छात्रों की पहचान, जिन्हें चिकित्सा अथवा दंत्य उपचार की आवश्यकता हैं।

2—उन छात्रों का पता लगाइए जो दुर्बल हैं और जिन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

3—ऐसे छात्रों की पहचान कीजिए जिनके लिए परिमार्जित शैक्षिक कार्यक्रम की आवश्यकता है अर्थात् समुदाय के ऐसे छात्र जिन्हें कम सुनाई पड़ता है, कम दिखाई पड़ता है अथवा मानसिक रूप से दुर्बल हैं।

4—ऐसे छात्रों को पहचान, जिनके लिए विद्यालयी चिकित्सा सुविधा के अलावा पूरी तौर से डाक्टरी परीक्षा की आवश्यकता है।

शारीरिक	**सामाजिक और सांवेगिक**	**कार्य-आदतें**
सतर्क, प्रसन्न	उत्सुक, अनेक प्रकार के कार्यों में दिलचस्पी, कार्यों में लग जाना	कार्य करते रहना, स्वतंत्र रूप से कार्य करना
स्वच्छ त्वचा, स्वच्छ चमकीली आँखें, साफ-सुथरी आकृति	आत्म विश्वास, दूसरों से अपनी सफलता की सराहना और संबोध की अपेक्षा, विफलता का सामना	निर्देशों का शीघ्रता और प्रसन्नता के साथ प्रत्युत्तर
बिना थके हुए कार्य पूरा करना	उत्साही	ध्यानमग्न
जोरदार खेलों में आनन्द लेना	सोद्देश्य रुचियाँ जैसे मित्रता, खेल, शौक	कार्य की पूर्णता तक लगे रहना
अच्छी तरह खाना और सोना	सामूहिक जिम्मेदारी निभाना, कठिनाइयों का सामना करने में साहस का परिचय, नई स्थितियों के अनुकूल बनना, अपने आवेगों पर नियंत्रण रखना।	साथियों के साथ सहयोग करना।

बच्चों में सामान्य स्वास्थ्य से विचलन के चिह्नों और लक्षणों का प्रेक्षण, चाहे वे शारीरिक हों या मानसिक, जैसा कि नीचे लिखा गया है :—

प्रेक्षण के बिन्दु	चिह्न और लक्षण
1—सामान्य आकृति और व्यवहार	बुखार, वजन न बढ़ना, अधिक वजन, पीलापन, थकान के चिह्न, कमजोर मुद्रा, असामान्य तड़क-भड़क, अस्वच्छता, आलस्य, उत्तरहीनता, जल्दी थकान, थोड़े परिश्रम से ही साँस फूलना।
2—केश और सिर की खाल	गन्दे-रूखे बाल, थोड़ा-थोड़ा गंजापन जिससे सिर की खाल पर पपड़ी पड़ जाती है, बालों में जूं।
3—कान	कान से पीब बहना, कान में दर्द, कान भनभनाना, कान भरे हुए का अनुभव, निर्देशों का पालन न कर पाना, बार-बार अन्यमनस्कता।
4—आँख	आँखों में जलन, आँखों में पानी, बार-बार बिलनी, लाल धारियाँ, सूजी हुई पलकें, ऐंची आँखें, प्रकाश न सह पाना, सूखापन, नेत्रश्लेष्म, चीजों को आँखों से बहुत दूर या बहुत निकट रखकर देखना, रतौंधी, पढ़ने में कमजोर।
5—मुख और दाँत	दाँतों में खोखलापन, अत्यधिक दाग, दाँतों पर मैल, ऊँचे-नीचे दाँत, मसूढ़ों से खून अथवा उनमें सूजन और जलन, सूजे हुए जबड़े मुंह में छाले, मुंह के कोनों पर ओठों का फटना।
6—नाक और गला	बार-बार या देर तक लगातार सर्दी, जुकाम, खाँसी, लगातार नाक बहना, मुंह से साँस लेना, गले की ग्रंथियों का बढ़ जाना, निगलने में कठिनाई।
7—त्वचा	रूखे अथवा खुरदरे धब्बे, त्वचा में जलन, त्वचा पर पपड़ी पड़ना, बार-बार फोड़े-फुंसी निकलना, काले धब्बे, रक्त स्राव।
8—पेशियाँ और अस्थि पंजर	ढीली पेशियाँ, सिकुड़ा सीना, झुकी टांगें, रीढ़ के पार्श्व धँसे हुए, कूबर, झुके हुए कंधे, मुड़ी हुई टेढ़ी उँगलियाँ, जोड़ों में तकलीफ अथवा सूजन, दोषपूर्ण चाल, विचित्र मुद्रा अथवा चेष्टा, कंपन, अनिच्छित पेशाब आना।
9—मानसिक स्वास्थ्य	अत्यधिक भीरुता, अत्यधिक उग्रता, चिड़चिड़ापन, झल्लाहट, अनावश्यक बेचैनी शैक्षिक उपलब्धियों में क्रमशः गिरावट अथवा अनायास छोड़ बैठना, हकलाना, झूठ बोलना, चोरी करना, स्कूल जाने से डरना, पढ़ने अथवा सस्वर पाठ में कठिनाई।

इस तरह शिक्षक द्वारा सावधानी के साथ प्रेक्षण करने पर उसे बच्चों की बीमारियों का भेद मालूम हो सकता है जो बड़े तीव्र हो सकते हैं, जैसे—एलर्जी, गले में संक्रमण अथवा कुपोषण, विटामिन की कमी, तपेदिक, हृदय रोग आदि।

विद्यालयों में प्रतिवर्ष बच्चों के दृष्टि दोष और श्रवण दोष का परीक्षण होना चाहिए। जिन बच्चों में दृष्टिदोष हो, उन्हें विशेषज्ञ के पास उपचार के लिए भेजना चाहिए। उस बच्चे में श्रवण दोष हो सकता है जो कक्षा में ध्यान नहीं देता, प्रश्नों का उत्तर नहीं देता जब तक दो या तीन बार प्रश्न नहीं दोहराया जाता, उसकी दृष्टि में शून्यता अथवा खालीपन रहता है। जिन बच्चों को सुनने में कठिनाई होती है उन्हें डाक्टर को दिखलाने का निर्देश देना चाहिए।

सभी छात्रों को अपना स्वास्थ्य-अभिलेख रखना चाहिए, क्योंकि इससे उनके भावी उपचार में सहायता मिलती है। स्वास्थ्य-अभिलेख में व्यक्ति के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सभी प्रासंगिक सूचनाएँ दी जाती हैं। इसमें प्रेक्षित बातें, परीक्षण-फल, डाक्टरी परीक्षा में ज्ञात तथ्य और परवर्ती क्रियाविधियों पर नोट्स आदि होते हैं।

कार्य

स्वयं अपने पास की तथा अपने सहयोगियों के प्रेक्षण द्वारा प्राप्त सूचनाएँ एकत्र करके अपना स्वास्थ्य अभिलेख तैयार कीजिए।

सुरक्षा मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है। ऐसी अनेक परिस्थितियाँ होती हैं जिनसे दुर्घटनाएँ हो जाती हैं और फलस्वरूप पंगुता अथवा मृत्यु हो जाती है। दुर्घटनाओं को रोकना कहीं अच्छा है, अपेक्षा इसके बाद में उसकी व्याख्या की जाए। दुर्घटनाएँ मनुष्य द्वारा होती हैं अथवा पर्यावरण के कारणों से। आप देख सकते हैं कि हम इन कारणों पर नियंत्रण रख सकते हैं और सुरक्षा के उपायों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। विद्यालय-भवन, प्रयोगशालाएँ, खेल के मैदान आदि विद्यालय पर्यावरण के ही अंग हैं जहाँ बच्चे विकसित होते हैं। शिक्षक के रूप में हमें इस पर्यावरण को दुर्घटना रहित बनाना चाहिए।

कार्य

आपके विद्यालय में दुर्घटना की सम्भावना वाले कौन से स्थान हैं? अपने विद्यालय में दुर्घटना रोकने के लिए सुरक्षा उपाय सुझाइए।

स्वास्थ्य-समस्याओं का जनसंख्या वृद्धि से सीधा सम्बन्ध है। माँ और बच्चे बड़े ही कोमल प्राणी-समूह हैं। कम आयु में ही गर्भवती होना, कुपोषण, अप्रशिक्षित दाइयों द्वारा शिशुजन्म के समय माताओं की ठीक देखभाल न होना आदि माताओं की मृत्यु के प्रमुख कारण हैं। जन्म लेने के बाद 9 से 28 दिन के भीतर बच्चों की मृत्यु अपेक्षाकृत बहुत अधिक है। जन्म के पहले महीने में बच्चों की मृत्यु के कारण हैं—टेटेनस, जीवाणु-संक्रमण, श्वास दोष, अपर्याप्त देख-भाल। शैशवावस्था में मृत्यु के कारण हैं—डायरिया, श्वास सम्बन्धी संक्रमण, कुपोषण आदि। पूर्व विद्यालयी अवस्था में मृत्यु के विशेष कारण हैं—मलेरिया, टाइफाइड, खसरा, यक्ष्मा आदि। स्वच्छ पेयजल का अभाव, सफाई की कमी, अंध विश्वास, पारिवारिक तथा सामाजिक रूढ़ियाँ और माँ का दुर्बल स्वास्थ्य आदि ऐसे कारण हैं जो मृत्यु दर के लिए जिम्मेदार हैं। ये खतरनाक कारण हैं और तत्काल हमारा ध्यान स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था की ओर जाता है जो नियोजित परिवार, संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण, पर्यावरण-स्वच्छता, जच्चे-बच्चे के स्वास्थ्य की प्रभावपूर्ण देखभाल आदि पर बल देता है। विद्यालय बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा और समुदाय के स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना व्यवस्था प्रदान करके अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के साथ जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य को अनुबन्धित कर दिया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अन्य अस्पतालों द्वारा माँ और बच्चे की बुनियादी स्वास्थ्य रक्षा की व्यवस्था की जाती है। टेटेनस से माताओं की प्रतिरक्षा, आइरन तथा फोलीएसिड युक्त पोषाहार और अन्य उपयुक्त देखभाल भी अनुबन्धित कार्यक्रम का अंग है। मंत्रालय ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं की प्रतिरक्षा का विस्तृत कार्यक्रम भी अपनाया है। बच्चों की प्रतिरक्षा, डिप्थीरिया, कुकर खाँसी, टेटेनस, पोलियो, माइलिटिस यक्ष्मा और टाइफाइड बुखार से भी की जाती हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने और भी कार्यक्रम लिए हैं जैसे—(1) क्वायटर नियंत्रण कार्यक्रम (2) यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम (3) कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम। समाज कल्याण मंत्रालय पूरक पोषाहार, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य-परीक्षण तथा परामर्श सेवाओं के लिए एकीकृत बाल विकास योजना चलाता है।

विद्यालयों में फर्स्टएड बॉक्स सुलभ रहता है। किन्तु यह अच्छी तरह नहीं रखा जाता। आपने इसे अवश्य देखा होगा और इसकी वस्तुओं को भी समझा होगा। आप विद्यालय जाने पर फर्स्टएड बॉक्स अवश्य देखिए। यदि आपके विद्यालय में वह न हो तो उसे अवश्य प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए।

छात्रों को प्रशिक्षण के लिए रेडक्रास जाने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए और ब्रिगेड, स्काउट्स तथा गर्ल्स गाइड्स और सेंट जांस एम्बुलेंस ब्रिगेड बनाना चाहिए।

कार्य

निकट के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा ब्लॉक/जिला अस्पताल में प्राप्त चिकित्सा सुविधाओं का पता लगाइए।	एकत्र कीजिए चर्चा कीजिए

यद्यपि सभी को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएँ प्रदान करने के प्रयास हो रहे हैं। बच्चों में समसामयिक स्वास्थ्य समस्याएँ भी उभर रही हैं। बच्चे विद्यालय के प्रति अरुचि प्रकट कर सकते हैं। इसका परिणाम मनो-दैहिक लक्षण हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द, पेट दर्द आदि। यह एक प्रकार से स्कूल से भय उत्पन्न होना है। चोरी करना एक दूसरा बाल-अपराध है। असुरक्षा, प्रतिशोध, हीनता की भावना, माता-पिता द्वारा उपेक्षा आदि चोरी करने के कारण हो सकते हैं। गृह वातावरण में तथा शिक्षण सम्बन्धी कारक भी बच्चे में, जो मानसिक दृष्टि से मंदबुद्धि नहीं हैं, पिछड़ापन ला सकते हैं। विद्यार्थियों में सिगरेट पीने की समस्या भी बढ़ रही है। हिरोइन, कुकून, बर्बिटरेट्स, एल०एस०डी० आदि की आदत भी बच्चों में बढ़ रही है जिनसे समसामयिक स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा हो रही हैं।

कार्य

आप के छात्रों की क्या समस्याएँ हैं ? उनकी समस्याओं को सूची बनाइए। उनकी रोकथाम के लिए उपाय सुझाइए।

विद्यालय को चाहिए कि वह बच्चों को मानसिक, शारीरिक और भावात्मक दृष्टि से स्वस्थ रखने में सहायता करे। उनमें वांछित स्वस्थ आदतों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, जैसे—व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलित आहार लेना, खेल-मैदान का उचित प्रयोग तथा परिवेश को साफ रखना आदि। शरीर के विकास और वृद्धि सम्बन्धी नये ज्ञान उन्हें देना चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए कि वे अपना शरीर कैसे ताकतवर बनाएँ। विद्यालय में स्वच्छ जल, साफ शौचालय, कक्षाओं में हवा और प्रकाश, कूड़े कचरे की सफाई, सुरक्षित खेल का स्थान, मौसम के अनुसार सुरक्षा आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। स्वच्छता और सफाई केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए वरन् उसकी चहारदीवारी के बाहर भी अर्थात् घर पर भी उसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

कार्य

विद्यालय तथा परिवेश को साफ रखने के लिए आपके तथा छात्रों के द्वारा लिये जाने वाले कार्यों को सूची बनाइए। छात्रों में सफाई की आदतें विकसित करने के लिए कार्यक्रम तैयार कीजिए।	एकत्र कीजिए चर्चा कीजिए

शारीरिक शिक्षा का सम्बन्ध शारीरिक विकास से हैं। शारीरिक दृष्टि से आप ठीक रहें, इसमें भी इससे सहायता मिलती हैं। इससे दैनिक शारीरिक कार्यों के करने सें आपमें पर्याप्त शक्ति रहती है। शारीरिक क्रियाएँ तथा स्वास्थ्य अभ्यास व्यक्ति को शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रखते हैं। नियमित व्यायाम, खेलकूद द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य बना रहता है। किसी शारीरिक कार्य को शुरू करने से पहले व्यक्ति को प्रतिरोधी व्यायाम करने चाहिए जैसे उष्णता प्रदायक व्यायाम, सीधा खड़ा होना, झुकना, मुड़ना आदि। शक्ति बढ़ाने के लिए उछलना-कूदना भी ठीक हैं। दण्ड और बैठक हमारे परम्परागत व्यायाम हैं जिनसे शारीरिक स्वास्थ्य में सहायता मिलती है। दौड़ (60 मी०, 100 मी०, 200 मी०, 400 मी० आदि) से हमें गति और सहनशक्ति बढ़ाने में सहायता मिलती है। यौगिक व्यायामों से लचीलापन, समायोजन और सन्तुलन विकसित करने में सहायता मिलती है। जिम्नास्टिक्स व्यक्तिगत खेल हैं। इसके लिए ऐसे स्थान की आवश्यकता है जिसमें अधिकाधिक सुरक्षा की स्थिति में भाग लिया जा सके (पैरलल बार्स और घोड़े आदि नहीं)। आपने ध्यान दिया होगा कि उपर्युक्त अनेक क्रियाओं में बहुत उपकरणों तथा साज-सज्जा की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखने की आवश्यकता का अनुभव करे और इन कार्यों में भाग लेने की इच्छा शक्ति रखे। ये कार्य शिक्षक के माध्यम से सीखे जा सकते हैं।

कार्य

उन शारीरिक कार्यों की सूची बनाइए जिनमें आप भाग ले सकते हैं। इन कार्यों में बच्चों को आप कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं।

खेल-कूद के जोरदार कार्यक्रम के लिए हमें खेल के मैदान और उपकरणों की आवश्यकता तो पड़ती ही है। इसके लिए जहाँ सुलभ हो, सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए।

कार्य

विश्व के मानचित्र में हमारा राष्ट्र प्रतिष्ठित हो, इसके लिए खेल-कूद के क्षेत्र में प्रतिभाओं की यथाशीघ्र परख और पहचान आवश्यक है। एक शिक्षक के रूप में आपको खेल-कूद में श्रेष्ठ प्रतिभाओं की तलाश में रहना चाहिए और छात्रों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस दृष्टि से उदीयमान छात्रों को जिला शैक्षिक अथवा खेल अधिकारियों की दृष्टि में ले आना चाहिए।

समुदाय की प्रतिभागी संलग्नता पर आधारित संसाधनों के समुचित उपयोग सें वांछित फल मिलेगा। यूथ क्लब, महिलामंडल, स्वैच्छिक अभिकरणों, स्थानीय कार्यकर्त्ताओं, खिलाड़ियों तथा सेवा निवृत्त व्यक्तियों से खेल-कूद के कार्यों के प्रति रचनात्मक योगदान प्राप्त करने के लिए उचित ध्यान देना चाहिए। आनन्दप्रद सह शैक्षिक कार्यक्रमों को आयोजित करने के प्रयास होने चाहिए और इन कार्यक्रमों में खेल-कूद को शामिल करना चाहिए। देशी खेलों—खो-खो, कबड्डी, अत्या-पत्या आदि का भी आयोजन बच्चों के लिए करना चाहिए।

किसी कार्य में भाग लेने के लिए किसी बच्चे पर जबर्दस्ती न की जाए। यदि आपने स्वस्थ रहने और शारीरिक दृष्टि से सक्षम रहने के महत्व का उन्हें बोध करा दिया है तो छात्र स्वभावतः कार्यक्रम में भाग लेंगे। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा केवल शारीरिक शिक्षा के अध्यापक का ही कार्य नहीं है, बल्कि हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम स्वयं अपने को और अपने छात्रों को शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रखें।

कार्य-योजना (1986) में इस बात का ध्यान रखा गया है कि सभी प्राथमिक विद्यालयों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत आवश्यक सुविधाएँ दी जाएँगी। इसमें खेलने के सामान, खिलौने और खेल के उपकरण शामिल हैं। इसके

अन्तर्गत स्वच्छता और पोषाहार प्रदर्शित करने वाले चार्ट्स भी शामिल हैं। कूदने की रस्सी, फुटबाल, वालीबाल, रबर-बाल, हवा पम्प, रिंग और स्विंगरिंग आदि सभी सुविधाएं खेल उपकरणों के अन्तर्गत प्रदान की जाएँगी। आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत पर्यावरण-स्वच्छता, बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय तथा सभी ऋतुओं के लिए उपयुक्त कक्षा-कक्षों की व्यवस्था की गई है। सभी बच्चों के लिए स्वच्छ पेयजल की सुविधा दी जाएगी। आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत संगीत वाद्यों—ढोलक या तबला, हारमोनियम और मजीरा आदि भी दिए जाएंगे। सरकार ने एक निर्धारित समय में सभी प्राथमिक विद्यालयों की सभी आवश्यक प्राथमिक सुविधाएँ प्रदान करने का दृढ़ निश्चय प्रकट किया है।

माध्यमिक शिक्षा के लिए पर्याप्त खेल-मैदान की सुविधाएँ आवश्यकतानुसार निकट से खाली जमीन लेकर प्रदान की जाएँगी। दूसरी जगहों पर पड़ोस के विद्यालयों के साथ शिरकत करने की व्यवस्था की जाएगी (कार्य-योजना, 1986)। जहाँ यह सम्भव नहीं है, विद्यालय-संकुल का विकास किया जा सकता है। पड़ोसी विद्यालय के छात्र केन्द्रीय विद्यालय (विद्यालय संकुल केन्द्र) में खेल-कूद के कार्यों में भाग लेने के लिए आ सकते हैं। सभी छात्रों के लिए पी० टी० और ड्रिल की प्रातःकालीन सभा का अनिवार्य अंग बनाया जा सकता है।

इस मॉड्यूल को भली भांति पढ़ लेने के बाद आपने स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के बारे में अनेकानेक क्रियाओं और सुझावों पर ध्यान दिया होगा। क्या कुछ सुझावों के सम्बन्ध में आप दृढ़ता से अनुभव करते हैं। यदि ऐसा है तो कृपया सुझाव लिखिए।

समाहार

आप अपने को शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रखने के लिए कुछ व्यायाम करते होंगे। साथ ही स्वयं को तथा अपने परिवार को रोगमुक्त रखने के लिए कुछ आदतों का भी परिपालन करते होंगे। इस मॉड्यूल में दी गई सामग्री माता-पिता, चिकित्सा विशेषज्ञों, शिक्षकों और अन्य सामान्य व्यक्तियों के प्रयास से प्रस्तुत की गई है। क्या आप अपने विद्यालय, छात्रों और परिवार के साथ अपनी अंतःक्रिया के प्रकाश में इस सामग्री को शोधित करना चाहेंगे ? आप अपने पहले सुझावों और कार्यों का पुनर्निरीक्षण और निम्नलिखित की पूर्ति कर सकते हैं।

विषय	सुझाए गए कार्य
1—पोषाहार	
2—स्वास्थ्य परिचय	
3—सुरक्षा	
4—चिकित्सा-सुविधाएँ	
5—शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम	
6—पर्यावरणीय स्वच्छता	
7—स्वस्थ आदतें	

●

मॉड्यूल–20

कला की शिक्षा

पृष्ठ भूमि

कला जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्णता तक ले जाने वाली एक प्रक्रिया है। यह अधिगम के लिए महत्त्वपूर्ण है। कला जीवन को देखने के लिए एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह वर्तमान की चुनौतियों का सामना करते हुए भविष्य की सृजनात्मक, उत्पादक एवं सुखद योजना के निर्माण का एक माध्यम है।

आज रटने की विद्या एवं परीक्षाओं पर अत्यधिक बल दिया जाता है। छात्र अधिगम एवं ज्ञान प्राप्त करने में रुचि नहीं लेते। विद्यालयों में विभिन्न स्तरों पर जो भी सिखाया जाता है वह अधिकतर निश्चित सिद्धान्तों, निर्मित नियमों एवं विधियों पर आधारित होता है। यह यथार्थ रूप में छात्रों की आन्तरिक संलग्नता का निषेध करता है। इस परिस्थिति में कला एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

कला का आधारभूत सिद्धान्त इस तथ्य पर निर्भर है कि सभी मनुष्य अद्वितीय हैं और उनमें सृजनात्मक तत्व विद्यमान है। वे अपनी लय, क्षमता तथा अनुभवों के आधार पर सीखते और कार्य करते हैं। इसलिए उन सबको एक समान बनाना न तो सम्भव है और न वांछनीय है। प्रत्येक मनुष्य जैसे प्रकृति के एक वृक्ष के समान है जिसकी कोई प्रतिमूर्ति नहीं है। सृजनात्मक कलाओं के विचार में उन सभी तत्वों का समावेश है जो सामान्यतया कला के स्वरूप का ज्ञान देते हैं—श्रवण-दृश्य, सार्वजनिक प्रदर्शन एवं भाषा की कलायें जैसे—संगीत, नृत्य, नाटक या खेल, कला (ड्राइंग) और चित्रकला, माडलिंग और वस्तुकला या निर्माण कार्य, मिट्टी या चीनी मिट्टी का काम, कविता और रचनात्मक लेख और बहुत सी अन्य सृजनात्मक कलायें और दस्तकारी के विविध प्रकार।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल का अध्ययन करने के पश्चात् आप में यह योग्यता अपेक्षित है —

1. विषय की विस्तृत जानकारी विकसित करना और सृजनात्मक विकास के लिए इसका अनुप्रयोग।
2. अपनी वर्तमान शिक्षण प्रणाली में सुधार करना।
3. कक्षा के भीतर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को संगठित करना।

कला की शिक्षा बच्चे के लिए सहायक है—विचार विमर्श के विभिन्न माध्यम (मौखिक तथा अन्य) विकसित करने में और उसे अपने ढंग से अभिव्यक्त करने में, पर्यावरण के सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा अपनी इन्द्रियों का विकास करने में। विभिन्न प्रकार की सामग्री दिखाकर अपनी रुचि की वस्तु खोजने में। अभिव्यक्ति की अपनी विशिष्ट शैली की खोज करने में अपने स्थान एवं परिवेश की विभिन्न प्रकार की कलाओं से परिचित कराने में। विभिन्न साधनों, यन्त्रों तथा अन्य कला सामग्री के प्रयोग में अपेक्षित दक्षताओं का विकास करने में। इसके साथ ही दूरी का अनुपात, रंगों का चयन, आकार, पंक्तियाँ खींचना, निर्माण, गति, ध्वनि इत्यादि में डिजाइन तथा उसके संगठित आकार को पहचानने की जानकारी देने में—जो उसमें व्यक्ति, घर, विद्यालय एवं समुदाय के क्रम की जानकारी विकसित कर सके।

बाल केन्द्रित उपगमन

कला की शिक्षा, सीखने में आनन्द प्रदान करती है और यह आनन्द जिज्ञासा को बनाये रखता है। यह छात्र एवं

शिक्षक को एक साथ रचनात्मक रूप से कार्य करने के योग्य बनाता है। मनुष्य संसार की भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं की जानकारी प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श करके, सूंघकर, साहचर्य एवं ज्ञान द्वारा प्राप्त करता है। प्रभावी अधिगम और विकास प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर होता है। सर्वोत्तम अधिगम की स्थिति वह है जब सभी इन्द्रियाँ संवेग, कर्मेन्द्रियाँ एवं ज्ञानेन्द्रियाँ सीखने में लगी हुयी हों। इसलिए कला की शिक्षा में निरीक्षण, परिवर्तन की सजगता, विचारों की ग्राह्यता, विचारों एवं अनुभूतियों को विकसित करने का कौशल आवश्यक है। केवल सुनकर या पढ़कर सीखना एकांगी शिक्षा प्राप्त करना है, जिसका परिणाम प्रायः निरर्थक या अनावश्यक ज्ञान होता है। ज्ञान के आत्मसात करने के लिए, अनुभवों को प्रदान करने, वाह्य एवं आन्तरिक जगत के बीच की दूरी को मिटाने के लिए कला सेतु का काम करती है। छात्र जो जानते हैं उसे अभिव्यक्त करना चाहते हैं। अभिव्यक्ति में विगत अनुभव, साहचर्य, विचार और प्रत्यय सहायक होते हैं।

अभिव्यक्ति एवं सहजानुभूति दोनों में व्यक्ति अद्वितीय है। बहुत से व्यक्ति एक ही फूल को देखते हुए इसको अलग-अलग ढंग से देखते हैं। कुछ इसके रंग से प्रसन्न होते हैं, कुछ इसकी सुगन्ध का आनन्द लेते हैं। कुछ इसके स्वरूप, नमूने और आकार की प्रशंसा करते हैं, कुछ इसके बढ़ने पर आश्चर्य करते हैं। कोई एक मार्ग सर्वोत्तम या उचित मार्ग नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के सोचने तथा अनुभव करने का अपना अलग दृष्टिकोण है और सम्भवतः प्रत्येक का अपने जीवन स्तर को उन्नत करने का अपना मापदण्ड है। शिक्षा में कला, छात्रों को एक दुर्लभ अवसर प्रदान करती है जिससे वे एक दूसरे से अलग होते हुए भी सही या त्रुटिपूर्ण का विचार किये बिना अपना सहयोग प्रदान कर सकें। शिक्षक की भूमिका बालकों को प्रत्युत्तर हेतु प्रोत्साहित करने की है जिससे वे बिना किसी भय या प्रतिद्वन्द्विता की भावना के सीख सकें। किसी भाषा का ज्ञान केवल उसका अध्ययन करने मात्र से नहीं होता है। भाषा के बोलने, अभिव्यक्त करने, इसके साहित्य का स्वतः अध्ययन करने से भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। यही स्थिति सभी भाषाओं एवं कलात्मक अभिव्यक्तियों के सम्बन्ध में है। किसी भी प्रकार की मौलिक, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति (जो बिना किसी वाह्य प्रभाव या अनुकरण के हो) के लिए बालक को सम्मानित करना चाहिए।

संगीत, चित्रकला, रचना का त्रि-आयामीय स्वरूप, गति, क्रिया आदि सब कला की भाषायें हैं जिनका विकास मनुष्य ने अपने चतुर्दिक फैले विश्व को समझने के लिए किया है। साहित्य की भाषा के शब्द और संख्या, गणित की भाषा, कला, अन्य भाषायें विश्व के अन्य क्षेत्रों तथा आयामों को समझने और अभिव्यक्त करने के लिए हैं जो हमारे सामने आती हैं। मनुष्य ध्वनि, रंगों, शब्दों और संख्या के विषय में सोचता और कार्य करता है। इन भाषाओं में किसी एक की प्रगति का सुअवसर मिलने से उसे वंचित करना सम्पूर्ण मानवता के विकास में बाधक सिद्ध होगा।

प्रक्रिया उपगमन और कला सम्बधी क्रियाकलाप

सामान्यतया हम संग्रहालयों तथा कला सम्बन्धी कार्यक्रमों सिनेमाहाल, थियेटर, संघों या विज्ञापन करने वाले पोस्टरों, वास्तुकला के स्मारकों अथवा अन्य भवनों, मन्दिरों, संगीत अथवा नृत्य कार्यक्रमों या नाट्यशालाओं, मुशायरा, कवि सम्मेलन आदि में कला के जिस कार्य को देखते हैं, उससे विद्यालय में किए जाने वाले कला के कार्य की तुलना नहीं की जा सकती है। यह स्थानीय लोक-कला तथा हस्तकला और लोक थियेटर के अधिक समीप हैं। यह उन सबसे भी भिन्न हैं जिसका अनुभव हम लोगों ने अपने विद्यालय के समय में किया था, जब हमसे या तो अपने शिक्षक द्वारा बनाये गये चित्रों, अजंता, एलोरा के महान कलाकारों द्वारा निर्मित मुगल अथवा राजपूत युग की कला, नन्दलाल बोस अथवा टैगोर के बनाये चित्रों का अनुकरण करने की आशा की जाती थी या हमसे ऐसी प्राचीन विचार धारा पर आधारित जैसे कुछ वनस्पति विषयक और रेखागणित की डिजाइनों, नमूनों या वस्तुओं या सजीव मॉडलों, प्राकृतिक दृश्यों के चित्र बिना किसी विषय वस्तु के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों के द्वारा बनाये जाने की आशा की जाती थी। सृजनात्मक कलाओं को कार्यानुभव के अन्तर्गत कुछ कलात्मक क्रियाकलापों के समान एक वर्ग में नहीं रखा जा सकता है। इसका उपगमन एवं निर्माण बिल्कुल भिन्न होगा।

विद्यालय में होने वाले सृजनात्मक कला के कार्यक्रम बच्चों के स्वाभाविक रूप से काम करने के ढंग, खेलने तथा उनकी अपनी भावनाओं, विचारों, संवेगों और कल्पनाओं, दैनिक जीवन के अनुभवों, विभिन्न माध्यमों और सामग्रियों के बीच अपना मार्ग बनाते हैं। ऐसे अनुभवों के लिए किसी भौतिक सामग्री के उत्पादन का उद्देश्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कला की शिक्षा में बालक की निर्मित करने की प्रक्रिया एवं अनुभवों का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है।

कला की शिक्षा के स्रोत

विद्यालय के कला सम्बन्धी कार्यक्रमों में क्षेत्रीय पर्यावरण के सौरभ की झलक मिलनी चाहिए। सृष्टि के आदिकाल से ही संगीत, काव्य, नृत्य, रंगमंच की कलात्मक अभिव्यक्तियां और विभिन्न रूपों में उनका निर्माण मनुष्य के जीवन का एक अंग रहा है। यह कोई नवीन एवं अद्भुत बात नहीं है, अपितु मानवीय स्वभाव का एक अविभाज्य अंग है। स्थानीय परिवेश एवं कलाओं का प्रदर्शन विद्यालय के कलात्मक कार्यक्रम का आवश्यक अंग है।

व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के साथ-साथ कला मनुष्य जाति द्वारा अतीत एवं वर्तमान में किये गये कार्यों के अध्ययन करने एवं सराहना करते का सुअवसर प्रदान करती है। संगीत, चित्रकला, नृत्य और रंगमंच के बारे में सीखकर और उसकी सराहना करके व्यक्ति सौन्दर्यानुभूति का विकास एवं अन्य संस्कृतियों के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना सीख सकता है। हम प्रशंसा करने की भावना का विकास करते हुए एक सर्वांगीण समाज एवं उत्पादक राष्ट्र या संसार का निर्माण कर सकते हैं। इनकी सराहना करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय के कलात्मक कार्यक्रमों में बालकों को स्थानीय कलाओं एवं परम्पराओं से परिचित कराया जाये, परिचित तत्वों से प्राप्त शक्ति एवं आत्म-विश्वास द्वारा ही यह सम्भव होगा कि बालक दूसरों की संस्कृतियों और उनकी देन का सम्मान करते हुए उनकी सराहना कर सके।

बालक जो कुछ भी जानता है उसे प्रकट करने का सबसे निकट का और प्रिय माध्यम उसकी मातृभाषा है। गीत, लोरी, मंत्र, घरों की दीवालों पर बनाये गये चित्र उनके अपने क्षेत्र की भाषायें और संकेत समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं और विद्यालय के कार्यक्रम में उन्हें सम्मिलित करने की आवश्यकता है।

कला की शिक्षा में मूल्यांकन

कोई पूर्व निर्धारित तुलना, प्रतियोगिता अथवा परीक्षा द्वारा दिया गया वाह्य प्रोत्साहन कला की शिक्षा के मूल उद्देश्य की प्राप्ति करने में असमर्थ होगा। विभिन्न साधनों, सामग्री, तकनीकों के नये आयाम, दूरी का संयोजन, क्रमबद्धता, आत्मानुशासन, सामान्य कलात्मक अभिरुचि का विकास करके अभिव्यक्ति का विभिन्न ढंगों के द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। वस्तुत: यह दृष्टिकोण रुचि एवं स्वतंत्र भाव प्रकाशन के लिये कक्षा में निर्धारित कार्यक्रम के विपरीत कार्य करने पर विचार करेगा।

सृजनात्मक क्रियाकलापों के कुछ क्षेत्रों का मूल्यांकन करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाकलापों के स्थान पर सामूहिक क्रियाकलापों पर विचार करना चाहिए। सृजनात्मक क्रियाकलाप चाहे व्यक्तिगत रूप में किये जायें या सामूहिक रूप में, विभिन्न अवसरों पर उत्पादन सामग्री के प्रदर्शन के अवसर पर व्यक्तिगत कार्य पर परोक्ष रूप से विचार किया जाना चाहिए।

क्रियाकलाप

कला की शिक्षा में मूल्यांकन के लिए संचयी विवरण हेतु प्रारूप का विकास।

प्रत्येक शैक्षिक सत्र के अन्त में बालक को दिये जाने वाले विवरण में कलात्मक उपलब्धियों का सम्पूर्ण विवरण अंकित किया जाना चाहिए।

पूर्व प्राथमिक तथा निम्न प्राथमिक कक्षाओं (1 से 5) में स्मरण रखने योग्य बातें

बच्चे लय, सौन्दर्य, जिज्ञासा, आनन्द प्रदान करने वाली वस्तुओं के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। कार्यक्रम द्वारा बच्चों में इन क्षमताओं का निर्माण एवं विकास किया जाना चाहिए और उन्हें इस तरह प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे सीखने में आनन्द की अनुभूति कर सकें।

–इस आयु की शिक्षा में बालक जगत को देखता और उसका निरीक्षण करता है। कला की शिक्षा प्रमुख अधिगम अनुभवों द्वारा प्रवाहित होनी चाहिए।

–इस स्थिति में बच्चे तकनीक की जटिलता और कौशलपूर्ण कार्यक्रमों में रुचि नहीं लेते। इसलिए तकनीक एवं विशिष्ट कौशलों की शिक्षा उनके लिए निरर्थक होती है।

–बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति के ढंग एवं रुचि के अनुसार अपनी मनपसन्द सामग्री और माध्यम का चुनाव करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की सामग्री और माध्यम जो सरल, आकर्षक, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध और जटिल न हों, बच्चों को प्रदान किये जाने चाहिए। प्राकृतिक सामग्री जैसे मिट्टी, बालू, फूल पत्तियाँ आदि छोटे बच्चों में सौन्दर्य बोध की भावना का विकास करने में अनुकूल हैं।

–घर एवं विद्यालय से प्राप्त अनुभव बच्चों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। अपनी रुचि के माध्यम द्वारा उनको इन अनुभवों के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति विकसित नहीं करनी चाहिए, अपितु उनको अपने आप वस्तुओं का निर्माण करने और कार्य का आनन्द उठाने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए।

–कक्षा का वातावरण आनन्ददायक एवं सौहार्दपूर्ण होना चाहिए।

एकीकृत कलाओं का प्रस्तावित कार्यक्रम

कला सम्बन्धी क्रियाकलाप प्राथमिक विद्यालयों (1 से 5 तक) में भिन्न प्रकार के होंगे। कभी-कभी ये विभिन्न क्रियाकलापों के समूह के रूप में भी हो सकते हैं :—

(अ) विचार प्रधान क्रियाकलाप

बच्चों से यह कहा जा सकता है कि वे अपने दैनिक जीवन के अनुभवों का वर्णन करें या विद्यालय में कार्य, ध्वनि तथा चित्रों से क्या सीखना आवश्यक समझते हैं ? विभिन्न अभिरुचियों की अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(ब) एकीकृत उपगमन

विषय सम्बन्धी उपगमन का अन्य विद्यालयीय शिक्षा में भी समावेश होना चाहिए। इस प्रकार का उपगमन विशेष रूप से एक शिक्षक वाले विद्यालय की स्थिति के अनुकूल है। कला सम्बन्धी क्रियाकलाप जैसे गति, प्रहसन, ध्वनि, संगीत और आकृतियों का निर्माण छात्र को अन्य विषयों की शिक्षा प्राप्त करने में सहायक हो सकता है।

रचनात्मक कला का अभ्यास, वर्णमाला गीत, गिनना, छाँटना और खेलों का वर्गीकरण करना आदि का प्रयोग बालकों को अन्य अधिगम हेतु आवश्यक कुशलताओं को प्राप्त करने में सहायता देने हेतु प्रयोग किया जा सकता है।

माध्यम आधारित क्रियाकलाप

कला की शिक्षा अपने आप में एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है। इसके लिए सरल एवं स्थानीय उपलब्ध सामग्री प्रयोग की जा सकती है।

मिट्टी का प्रयोग, पत्थर, पत्तियाँ, घास, दफ्ती आदि निर्माण करने के लिए, त्रिआयामीय वस्तुएँ, चित्रकला

और रंजनकला, कागज, जमीन, बालू और दीवालों पर रंग, खड़िया, तारकोल से चित्र बनाना या कागज, निरर्थक सामग्री, दफ्ती और दफ्ती के डिब्बे तथा अन्य कचरायुक्त सामग्री से खिलौने, मॉडल बनाना।

लयात्मक गतियां प्रहसन और ध्वनि (संगीत) के क्रियाकलाप

लयात्मक गतियां और प्रहसन आनन्द एवं अभिव्यक्ति के साथ-साथ अधिगम में भी सहायक हैं। गतियों के साथ सरल लयात्मक बाजे की धुनें या सुगम संगीत दिया जा सकता है। गति और संगीत के अलग-अलग क्रियाकलाप इस अवस्था में कराने की आवश्यकता नहीं है।

सभी गतियों एवं ध्वनियों में लयात्मक अनुभव मिलता है। अतएव कुछ ध्वनि सम्बन्धी अभ्यास कराये जाने चाहिए :—

1. स्वयं बोलने एवं सुनी गयी ध्वनियों का अन्तर स्पष्ट करना।
2. ध्वनियों के उतार-चढ़ाव पर नियन्त्रण करना।
3. विभिन्न प्रकार की लयात्मक ध्वनियां पैदा करना, इनमें प्रतिध्वनि करना भी सम्मिलित हैं।
4. ध्वनियों के संसार का वर्णन करते हुए एक साथ गाकर बहुत से बच्चे आनन्द उठा सकते हैं।

शीर्षकों/विचारों के कुछ उदाहरणों की सूची यहाँ दी गयी है। आप स्वयं अपनी सूची तैयार कर सकते हैं :—

खिलौने वाली गाड़ी, मकान, पशु, वृक्ष, परिवार के सदस्य, डाक्टर, पुलिसमैन, बस ड्राइवर, तांगावाला, फेरीवाला आदि के चित्र बनाना। खाना बनाना, जन्मदिन का उत्सव, विवाह, खेती करना, काटना, सिलाई करना, हल चलाना, रेलवे स्टेशन और त्योहार या वर्षा, तूफान अथवा विभिन्न अनुभवों की स्मृति पर और कुछ अन्य कल्पनाओं के आधार पर चित्र बनाना।

प्रेरणादायक तकनीक

कक्षा के क्रियाकलापों को प्रेरणादायक अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए जैसे विचार-विमर्श, विद्यालय के बाहर के स्थानों का भ्रमण करने, रुचिकर वस्तुओं का संग्रह करने, परिवेश की अनुपयोगी सामग्री का प्रयोग करने, त्योहार मनाने आदि में सहभागिता।

जहाँ तक सम्भव हो अक्सर बालकों को कठपुतली तथा लोक संस्कृति के कार्यक्रम दिखाये जाने चाहिए। कुछ सरल लयात्मक कठपुतलियां बनाना, स्वतंत्र हस्तकौशल के क्रियाकलाप कक्षा 3 में और आगे सिखाये जा सकते हैं।

कला की शिक्षा : उच्च प्राथमिक कक्षायें (6 से 8)—स्मरण रखने योग्य बातें

यह बचपन से किशोरावस्था में जाने वाला संक्रान्ति काल है। बालकों में तर्क सम्बन्धी दक्षताओं का विकास हुआ है। स्वाभाविकता एवं सृजनात्मकता की प्रवृत्ति प्रारम्भिक वर्षों की भाँति तीव्र नहीं है। वे अब भी शिक्षक से सहयोग प्राप्त करने की आशा करते हैं।

सृजनात्मक अभिव्यक्ति हेतु बालकों को अपने साधनों को गतिशील बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की तकनीक और माध्यम इस स्थिति में क्रम परिवर्तन और समूह निर्माण की प्रवृत्ति का विस्तार एवं परीक्षण करने हेतु प्रदान किए जाने चाहिए। अप्रत्यक्ष और आगमन विधि द्वारा खोज, विषय विस्तार, एकत्रीकरण और परीक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए कला की विभिन्न तकनीकों को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इन विधियों के द्वारा सौन्दर्यबोध एवं आत्मप्रकाशन के गुणों को विकसित करते हुये कला के विभिन्न माध्यमों एवं तकनीकों का क्रमिक विकास किया जा सकेगा। औपचारिक कला के स्वरूप में संगीत, नृत्य और दृश्य कला के कुछ प्रारम्भिक सिद्धान्तों का अप्रत्यक्ष रूप में परिचय कराया जा सकता है।

छात्रों को एक साथ मिल-जुल कर कार्य करके सामूहिक भावना को सुदृढ़ बनाने और विद्यालय समुदाय को एक दूसरे की चिन्ता करने योग्य बनाने का सुअवसर प्रदान किया जाना आवश्यक हैं। विशेष प्रतिभा वाले थोड़े से छात्रों का चुनाव करने के स्थान पर विभिन्न कलात्मक क्रियाकलापों में किसी न किसी रूप में सभी छात्रों की रुचियों का प्रदर्शन करके उन्हें सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

सृजनात्मक कलाओं के प्रस्तावित क्रियाकलाप, एकीकृत उपगमन

कठपुतली प्रदर्शन और नाटक कला के एकीकृत स्वरूपों के अच्छे उदाहरण हैं जो आगे चलकर बालकों में विभिन्न रुचियों का विकास करते हैं। इन स्वरूपों से कथा लेखन, संगीत, गीत, नाट्य कला, चित्रकला, मॉडलिंग और रंगमंच की अन्य कलाओं का विकास होता हैं। विद्यालय के नाट्य सम्बन्धी क्रियाकलाप में मँजे हुए व्यावसायिक थियेटर की तकनीक और मँहगी प्रकाश व्यवस्था, रंगमंच की साजसज्जा का अनुकरण नहीं करना चाहिए। इन सबका प्रबन्ध कक्षा की स्थिति को देखते हुए किया जाना चाहिए। छात्र सामाजिक एवं विद्यालयीय विषयों पर विचार-विमर्श करके पट-कथा का विकास कर सकते हैं। मॉडलिंग और चित्रकला में रुचि लेने वाले छात्र कठपुतलियों एवं पोशाकों का निर्माण कर सकते हैं। इन सबके लिए जहाँ तक सम्भव हो, सामग्री का चयन स्थानीय संसाधनों से किया जाना चाहिए। संगीत एवं लय में रुचि रखने वाले छात्र नाटक के सम्बन्धित क्षेत्र प्रस्तावित कर सकते हैं। यदि नाटक किसी सामाजिक संदर्भ सें हैं तो छात्र बहु-संख्यक समुदाय में इसके द्वारा जनचेतना का विकास कर सकते हैं।

एकीकृत क्रियाकलापों के अतिरिक्त विद्यालय के कला सम्बन्धी कार्यक्रमों में निम्नलिखित कार्यक्रमों का समावेश किया का सकता है :—

(अ) द्विआयामीय चित्रों का अंकन, चित्रकला, रंजनकला, विद्यालय. एप्लीक, डिजायन बनाना इत्यादि।

(ब) त्रिआयामीय अथवा वास्तुकला सम्बन्धी वस्तुएँ, मिट्टी, चीनी मिट्टी का काम, कागज का काम, दफ्ती का काम और दफ्ती सें डिब्बे बनाना, लकड़ी पत्थर का हल्का काम इत्यादि।

(स) कला सम्बन्धी अनुभवों को प्रदर्शित करना जैसे संगीत के क्षेत्रीय वाद्य यंत्रों को बजाना, जीवन के वास्तविक एवं काल्पनिक अनुभवों की विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार चेहरे, शरीर की गतिविधियों को ढालना।

(द) समुदाय के गीत एवं नृत्य।

(य) नाट्य सम्बन्धी क्रियाकलाप।

(र) चतुर्दिक वातावरण की ध्यान में रखते हुए भौमिक पर्यावरण का संगठन जैसे भूदृश्य (वृक्षारोपण, पत्तियों, कंकड़ एवं अनुपयोगी सामग्री के खेलों सहित)।

प्रेरणादायक तकनीक

कक्षा के क्रियाकलाप प्रेरणादायक अनुभवों द्वारा विकसित किए जाने चाहिए जैसे—बच्चों के दिन-प्रतिदिन के अनुभवों का अध्ययन एवं विचार-विमर्श, क्षेत्र तथा समुदाय का सांस्कृतिक इतिहास, विभिन्न स्थितियों की कल्पना करना जिनमें आश्चर्यजनक स्थितियाँ, अपने सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक परिवेश का परिवीक्षण करना, समुदाय की कला/कलाकारों के अनुरूप कार्य, स्थानीय ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण तथा प्रदर्शनी, मेले, त्योहारों और समुदाय के क्रियाकलापों में सहभागिता, परिवेश से रुचिकर वस्तुओं का संकलन आदि। विद्यालय के संग्रहालय को विकसित करने के लिए स्थानीय कला एवं दस्तकारी की वस्तुओं का संग्रह करना।

शिक्षकों के लिए अपने अनुभवों के उपशीर्षक चुनने के लिए विचारों/शीर्षकों की सूची उदाहरणार्थ नीचे दी गयी है :—

सब्जीमंडी, डाकखाना, आग बुझाना, खेल के मैदान में खेलना, कारखाने, खेती के क्रियाकलाप, त्योहार तथा अन्य उत्सव, स्थानीय प्राकृतिक दृश्य और प्राकृतिक जीवधारी, वन सम्बन्धी दृश्य, स्वप्न देखना, काल्पनिक स्थितियां आदि ।

माध्यमिक कक्षाओं में कला—स्मरण रखने योग्य बातें

उच्च प्राथमिक स्तर के लिए दिये गये सुझाव इस स्तर पर भी प्रयोग किए जा सकते हैं। यह बालक की सृजनात्मक अभिव्यक्तियों और बाद की व्यवसाय आधारित शिक्षा के बीच का संक्रमण काल है। इस स्तर पर बालक अपने चतुर्दिक जगत के प्रति अधिक सजग रहते हैं। उन पर प्रौढ़ों का अधिक प्रभाव पड़ता हैं।

कुछ छात्र अपनी सुविधानुसार विशेष दक्षताओं का विकास संगीत, नृत्य, थियेटर, कठपुतली, मॉडलिंग/वास्तुकला आदि में करना चाहते हैं। सीमित शिक्षकों के कारण विशेष दक्षताओं के विकास के लिये कुछ विशेष प्रबन्ध अंशकालिक शिक्षकों द्वारा शिक्षा दिये जाने हेतु किया जाना चाहिए। एक केन्द्रीय स्थल पर निकट के विद्यालय में एक संकुल हेतु एक शिक्षक होना चाहिए। कुछ स्थानीय ज्ञान सुविधानुसार दिया जा सकता है, उदाहरणार्थ मिट्टी के बर्तन पकाना या चीनी मिट्टी की वस्तुओं को चमकाना आदि एक केन्द्रीय स्थल पर एक संकुल के विद्यालय में किया जा सकता है।

छात्र को इस स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और जहाँ तक सम्भव हो वह बहुत सी तकनीकों एवं साधनों का विकास करना चाहता है। इस स्तर का सम्पूर्ण उपगमन आगमन विधि का होना चाहिए। शिक्षक को बालकों की अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्तियों से सम्बन्धित समस्याओं को अपने साधनों द्वारा हल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तकनीक में सीधे निर्देशों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस स्तर पर सामान्य छात्रों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा से सम्बन्धित योजनायें बनाकर सौन्दर्य बोध एवं सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास करना चाहिए। इसके लिए छात्रों को यह सुअवसर प्रदान किये जायें :—

—भारतीय संस्कृति का अध्ययन,

—कलाकारों के साथ कार्य करना,

—कार्य करते समय सौन्दर्य बोध की भावना का प्रत्युत्तर एवं सराहना का अवसर ।

सृजनात्मक कलाओं में प्रस्तावित क्रियाकलाप

इस स्तर पर सभी छात्रों के लिए कला के कार्यक्रमों में निम्नलिखित का समावेश होना चाहिए :—

—अपनी रुचि के अनुसार सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करना, अधिकांश छात्र अपने भविष्य के जीवन में कला को एक व्यवसाय के रूप में नहीं अपनाते हैं परन्तु कला के अच्छे ज्ञान एवं इसकी सराहना के लिए कला के विभिन्न क्षेत्रों में सम्मिलित होना तथा सीखना चाहते हैं।

—भारत और अन्य क्षेत्रों के सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन का अवसर देना।

—भारतीय संस्कृति की एकता के विकास में ग्रामीण/नगरीय समुदायों के योगदान का अध्ययन एवं कार्य।

—उन योजनाओं में छात्रों की सहभागिता जो रचनात्मक हों और कलात्मक योजनाओं में उनकी रुचि बनाये रखें और उनको सम्मिलित करें ।

—ऐतिहासिक स्थलों/दृश्यों, संग्रहालयों, संगीत सम्मेलनों, नृत्य, नाटक, रचनात्मक प्रकृति के प्राकृतिक या लोकगीत का परिचय प्राप्त करना, समुदाय के कलाकारों से विचार-विमर्श करना।

—छात्र बड़ी संख्या में समुदाय के त्योहारों एवं उत्सवों की मनाने का प्रबन्ध कर सकते हैं।

—वे अपने आस-पास के स्थान और भौतिक परिवेश के अनुसार सौन्दर्यबोध के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन कर सकते हैं। वृक्षारोपण सहित भू-दृश्य, विभिन्न प्रकार के खेल, कंकड़, पत्थर तथा अन्य अनुपयोगी सामग्री से भारत

के प्रत्येक राज्य की संस्कृति, विज्ञान, समुदाय, धर्म और कला सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यालय में संग्रहालय का निर्माण।

इस स्तर पर जहाँ तक सम्भव हो बालकों को सृजनात्मक कलाओं के सभी साधन उपलब्ध कराये जाएँ जिससे वे अपनी रुचि के अनुकूल किसी एक का चयन कर सकें।

विभिन्न सृजनात्मक कलाओं के विषय में अपने विचार व्यक्त करने के लिए छात्रों को विभिन्न प्राकृतिक एवं अन्य परिवेशीय सामग्री का वृहत परिवीक्षण एवं परीक्षण करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इनके कुछ उदाहरण निम्नवत् हैं :—

विभिन्न प्रकार के वृक्षों की शाखायें और टहनियां, पत्तियां और उनकी रचना, निर्माण का सामान्य ढाँचा, पहाड़ी की चोटी से नीचे सड़क पर देखना, पगडंडी, नदी का किनारा, झरने, बिजली के खंभे आदि, तूफान, समुद्र के जानवर, समुद्री पौधे, प्राकृतिक दृश्य जैसे झरने, बालू के टीले, जंगल, विभिन्न पदार्थों एवं जीवधारियों का सूक्ष्म एवं स्थूल चित्रण, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलाप, विभिन्न वर्गों तथा व्यवसायों के लोग आदि।

छात्र अपने कार्यों द्वारा अपने विचारों तथा अनुभवों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किये जा सकते हैं।

मॉड्यूल–23

सामान्य शिक्षा में विज्ञान का अध्यापन

(इस मॉड्यूल को हाथ में लेने से पहले वाद-विवाद कर लीजिये—विज्ञान क्या है ? छात्रों के लिए विज्ञान पढ़ना अनिवार्य क्यों होना चाहिए ?)

भूमिका

विज्ञान मानव का प्रयास है। पिछले 150 वर्षों में इसने मानव-समाज को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। इससे अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। अनुसंधान से विज्ञान तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और जैसा कि आप जानते हैं कि अनुसंधान-परिणाम टैक्नोलॉजी का आधार है। विज्ञान का प्रभाव इतना व्यापक है कि विज्ञान के बिना आज अर्थपूर्ण जीवन बिता सकना असंगत हो गया है। आज विज्ञान पर सिर्फ वैज्ञानिकों का एकाधिकार नहीं रह गया है। हमने देखा है कि हर इंसान प्रकृति के नियमों और सिद्धान्तों को किसी न किसी रूप में अनुभव करता है। और इनमें से अधिकांश अनुभव वह उन्हें जाने बिना ही करता है। पर जानने से मानव की पर्यावरण के साथ अंत: क्रिया की भाषा बढ़ती है।

विज्ञान गति से आगे बढ़ रहा है उसे समझने के लिए हमें भी उतनी ही गति से आगे बढ़ना होगा इसलिए विज्ञान के अध्ययन/अध्यापन के पूरे ढाँचे को बदलना जरूरी हो गया है।

विज्ञान की शिक्षा आज के युग में व्यावहारिक और प्रासंगिक होनी चाहिए। इसे इस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए कि मानव वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टि से शक्तिशाली बन सके और हर इंसान में वैज्ञानिक प्रवृत्ति उपजे और वह आधुनिक विश्व में अर्थपूर्ण जीवन जी सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 में विज्ञान के अध्ययन पर विशेष जोर डाला गया है और निम्नलिखित परामर्श दिये गये हैं :—

शिक्षा और पर्यावरण

पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की बहुत बड़ी जरूरत है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी वर्गों के लिए यह आवश्यक है। स्कूलों और कालेजों में इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इस पहलू को समूची शिक्षा प्रक्रिया का एक अंग बनाया जाना चाहिए।

गणित का अध्यापन

8.16 गणित को ऐसे माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए जिससे बच्चा सोचना विचारना, तर्क-वितर्क करना, विश्लेषण करना और दलील करना सीखता है। यह स्वयं में एक विशेष विषय तो है ही, इसके अलावा इसे किसी भी ऐसे विषय के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जो विश्लेषण और तर्क-वितर्क से संबंधित हो।

8.17 आजकल स्कूलों में कम्प्यूटर लगाए जा रहे हैं, कम्प्यूटर से गणना करना सिखाया जा रहा है, कारण और परिणाम के आधार पर शिक्षा दी जा रही है, इसलिए गणित के माध्यम को, हमें उसके अनुरूप बनाना होगा जिससे आधुनिक तकनीकी उपकरणों के साथ उसका तालमेल बैठ सके।

विज्ञान की शिक्षा

8.18 विज्ञान बच्चे को इस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए कि बच्चे में रचनात्मक क्षमता का विकास हो, वह अधिक से अधिक प्रश्न पूछने का साहस जुटा सके, वास्तविकता का एहसास कर सके और उसमें सौन्दर्य की भावना जागृत हो।

8.19 "विज्ञान-शिक्षा-कार्यक्रम" ऐसे होने चाहिए जिससे बच्चा स्वयं समस्या का हल निकाल सके, स्वयं निर्णय ले सके और यह जान सके कि विज्ञान का स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और दैनिक जीवन के अन्य पहलुओं के साथ क्या संबंध है। विज्ञान की शिक्षा को उन छात्रों तक पहुँचाने का हर संभव प्रयत्न किया जाना चाहिए जो औपचारिक शिक्षा के दायरे से बाहर है।

इस मॉड्यूल से आप यह समझ सकेंगे कि लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सेकेण्ड्री स्तर पर विज्ञान पढ़ाना क्यों आवश्यक है। इस मॉड्यूल से आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत विज्ञान पाठ्यक्रम के आकार प्रकार को और उन सुझावों को समझ सकेंगे जिनसे लक्ष्य की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम को और अधिक प्रभावात्मक बनाया जा सकता है।

गतिविधि

भूमिका पर वाद-विवाद

आगे बढ़ने से पहले हो सकता है कि शिक्षक भूमिका के अंतर्गत आए मुद्दों पर वाद-विवाद करना चाहे। वाद-विवाद के निम्नलिखित मुद्दे हो सकते हैं :—

1—सभी शिक्षकों ने विज्ञान पढ़ा है और काफी अर्से से विज्ञान पढ़ा रहे हैं। विज्ञान पढ़ाने का क्या लाभ है? इसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या इससे उन लक्ष्यों की पूर्ति हुई है जो पहले चुने गए हैं? अगर नहीं तो इसका क्या कारण है?

2—वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं, उनकी भूमिका अन्वेषक की भूमिका है, वे प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करते हैं। तो क्या विज्ञान पढ़ने वाले व्यक्ति के अन्वेषक हुए बिना, क्या प्रकृति को समझना और उसका आनंद उठाना संभव नहीं है?

3—वैज्ञानिक खोज कैसे की जाती है? इसका एक उत्तर है वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा (निरीक्षण, पूछताछ, परिकल्पना, परीक्षण, जाँच, आँकड़ों का संग्रहण, उनका विश्लेषण और निष्कर्ष) क्या हम दैनिक जीवन में इसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं? कभी-कभी वैज्ञानिक के जीवन में संयोग, आभास, अंतर्ज्ञान, भाग्य आदि भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं—लेकिन क्या यही वैज्ञानिक के कार्य का आरंभ या अंत नहीं है? क्या वैज्ञानिक के लिए ईमानदारी, सच्चाई, उत्सुकता, रुचि, श्रम, सहनशीलता, जैसे गुण आवश्यक नहीं? क्या हम अपने भावी नागरिकों से इन गुणों की अपेक्षा नहीं करते? क्या हम विज्ञान के वर्तमान पाठ्यक्रम से किसी भी एक गतिविधि को चुनकर विज्ञान की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की जानकारी इसलिए कर सकते हैं और तत्संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं?

4—पर्यावरण के वे कौन से मुद्दे हैं जहाँ विज्ञान और टैक्नोलॉजी विद्यमान है? पिछले 20 वर्षों में उनमें क्या परिवर्तन हुआ है?

5—किसी भी क्षेत्र में नागरिक के कौन से कार्य व निर्णय संस्कृति या परम्परा से प्रभावित होते हैं? क्या वे आधुनिक विज्ञान और टैक्नोलॉजी की दृष्टि से मान्य हैं?

मॉड्यूल के उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के पश्चात् आप :—

—समझ सकेंगे कि विज्ञान क्या है? वैज्ञानिक जानकारी का अर्थ क्या है? और आम शिक्षा में विज्ञान पढ़ाने का

महत्त्व क्या है ?

–"राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986" के अतर्गत तैयार किये गए विज्ञान–पाठ्यक्रम की रूपरेखा को जान पायेंगे ।

–समझ सकेंगे कि विज्ञान को "दैनिक जीवन", "पर्यावरण" और 'सभी के लिए विज्ञान' के साथ जोड़ने का मतलब क्या है ?

–विज्ञान के अध्ययन को छात्र-केन्द्रित बना सकेंगे, जो टैक्नोलॉजी से संबंधित है और शैक्षणिक टैक्नोलॉजी के साथ जिसका तालमेल है ।

–अध्ययन/अध्यापन को मूर्त से अमूर्त में बदल सकेंगे और माध्यमिक स्तर पर नई पद्धति से विज्ञान पढ़ा सकेंगे ।

विज्ञान पढ़ाने के उद्देश्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने से पहले और बाद में तब तक उसका गहन अध्ययन किया जाता रहा और सामूहिक गोष्ठियां बुलाई जाती रहीं जब तक विज्ञान की शिक्षा के प्रभाव और परिणाम को लेकर पूरी तसल्ली नहीं हो गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के समय हुए अनुभवों और परामर्शों के आधार पर ही विज्ञान पढ़ाने के लिए निम्न-लिखित उद्देश्यों को उल्लिखित किया गया :—

लोअर प्राइमरी स्टेज

1—अपनी ज्ञानेन्द्रियों से अपने आस-पास के पर्यावरण की छानबीन में छात्रों की सहायता करना ।

2—पर्यावरण में विभिन्न वस्तुओं से संबंधित नपे-तुले प्रश्न तैयार करना ।

3—मौखिक, लिखित और चित्र रूप में किसी पदार्थ को देखना, रिकार्ड करना और सही-सही उसकी रिपोर्ट करना ।

4—परिस्थिति विशेष में निरीक्षण द्वारा अथवा अन्य स्रोतों से सूचना एकत्रित करना ।

5—एक समय में दो या तीन प्रकार की वस्तुओं, घटनाओं, परिकल्पनाओं, सामाजिक व भौतिक आँकड़ों का वर्गीकरण करना ।

6—आपसी संबंधों और बनावट की जानने के लिए प्राप्त सामग्री और वस्तुओं को क्रमबद्ध करना ।

7—कारण और परिणाम का आपस में क्या संबंध है, यह जानने के लिए आवश्यक सामग्री का पता लगाना और उसका आर्डर देना ।

8—मूर्त या प्रत्यक्ष स्थिति पर आधारित सामग्री का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना ।

9—मूर्त या प्रत्यक्ष स्थिति के विश्लेषण के आधार पर पूर्वानुमान लगाना ।

10—समस्याओं को हल करने के लिए सरल प्रयोग करना ।

11—प्रत्यय प्रमाण के प्रति तटस्थ रवैया अपनाना ।

12—तथ्यों और आँकड़ों के आधार पर निर्णय लेना ।

13—विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान को स्मरण करना ।

14—कम्युनिटी में प्राकृतिक साधनों का पता लगाना और उनका समुचित प्रयोग करना ।

15—प्राकृतिक स्रोतों के अपव्यय और प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाना ।

16—कम्युनिटी के आर्थिक-सामाजिक विकास में विज्ञान तथा टैक्नोलॉजी के अंशदान का उल्लेख करना ।

अपर प्राइमरी स्टेज

1—लोअर प्राइमरी स्टेज पर प्राप्त योग्यता को मजबूत और पक्का करना ।

2—वैज्ञानिक जानकारी के स्वरूप को समझने और अनुमोदित करने में छात्रों की सहायता करना। वैज्ञानिक जानकारी का स्वरूप :—

(1) यह प्रतिकृति योग्य है।

(2) यह निरीक्षण पर आधारित है।

(3) यह प्रयोगात्मक है।

(4) यह अनुभूतिमूलक है।

(5) यह सांकल्यवाद संबंधी है।

3—दैनिक जीवन में वैज्ञानिक सिद्धान्तों और जानकारी की संबद्धता पर जोर देना।

4—ऐसा वातावरण पैदा करना जिसमें विज्ञान के अधिक से अधिक प्रयोग की प्रेरणा मिले।

5—छात्रों को विभिन्न प्राकृतिक चमत्कारों से अवगत कराना।

6—वैज्ञानिक भाषा (सिम्बल और फॉर्मूला), ज्ञान और विषय की जानकारी करवाना जिससे छात्र सरल प्रयोगों के लिए कदम आगे बढ़ा सकें।

7—पर्यावरण के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक सिद्धान्तों, विचारों, नियमों और शर्तों पर जोर डालना।

8—विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रक्रिया की एकता पर जोर डालना।

9—वैज्ञानिक रवैये और सहयोग की भावना को उभारना।

10—वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर सही निर्णय ले सकने पर जोर देना।

11—छात्रों में सही सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के विकास के लिए विज्ञान का एक साधन के रूप में प्रयोग करना।

सेकेन्ड्री स्टेज

सेकेन्ड्री स्टेज पर विज्ञान पढ़ाने के उद्देश्य हैं :—

1—अपर प्राइमरी स्टेज पर प्राप्त ज्ञान, योग्यता और बौद्धिक क्षमता को ठोस व पक्का बनाना।

2—वैज्ञानिक विचारों, सिद्धान्तों और नियमों की जानकारी हासिल करना।

3—यांत्रिक, संचार सम्बन्धी और समस्याओं को हल करने वाली बुद्धि का विकास करना।

4—वैज्ञानिक प्रकृति, वैज्ञानिक पहुँच और वैज्ञानिक रवैये को विकसित करना (जैसे निष्पक्षता)।

5—सामाजिक, नैतिक और सौन्दर्यपरक मूल्यों को उभारना जो व्यक्ति और समाज के जीवन को परिष्कृत करते हैं।

6—वैज्ञानिकों के अंशदान की प्रशंसा कर सकना, विज्ञान का अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकना, पर्यावरण से अपना तालमेल बिठा सकना, परिस्थिति तंत्र (इकोसिस्टम) को बनाए रख सकना और यह ध्यान रखना कि विज्ञान का दुरुपयोग न हो।

वास्तव में क्या किया जाना चाहिए? विज्ञान शिक्षा का अपेक्षित परिणाम क्या होना चाहिए? इन दो प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आपको प्रत्येक उद्देश्य पर वाद-विवाद करना पड़ सकता हैं। वाद-विवाद के लिए कुछ मुद्दे नीचे दिए जा रहे हैं :—

1—पाँचवी कक्षा तक छात्र विज्ञान के अंतर्गत मूर्त वस्तुओं का निरीक्षण करते हैं। क्या बच्चे द्वारा प्राथमिक स्तर पर प्राप्त ज्ञान, योग्यता व दक्षता की सूची बनाई जा सकती है? उदाहरण के लिए :—

(1) क्या बच्चा अपने शरीर के विभिन्न अंगों को, बाह्य हिस्सों के कार्यों को, पदार्थ की तीन अवस्थाओं को, पर्यावरण के विभिन्न तत्वों को, दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को, आँधी, तूफान, वर्षा, ऋतु-परिवर्तन आदि जैसी प्राकृतिक घटनाओं को जानता है।

(2) क्या बच्चा कारण और परिणाम, परिमाण और कार्य के बीच संबध स्थापित कर सकता है ?
(3) क्या बच्चा वस्तु के सौन्दर्य और प्राकृतिक घटनाओं की परख कर सकता है ?
(4) क्या बच्चा किसी वस्तु या घटना के निरीक्षण के बाद उसका वर्णन कर सकता है ?

2—वैज्ञानिक जानकारी के स्वरूप से हमारा क्या मतलब है ? विज्ञान प्रतिकृति योग्य है, निरीक्षण पर आधारित है, प्रयोगात्मक है, अनुभूतिमूलक है, सांकल्यवाद संबंधी है—यह दिखाने के लिए कौन से उदाहरण पेश किए जा सकते हैं ?

3—टैक्नॉलॉजी, उपभोक्ता-उत्पादन, स्वास्थ्य, भोजन और पर्यावरण को दृष्टिगत करते हुए विज्ञान दैनिक जीवन से किस तरह जुड़ा है ?

4—वैज्ञानिक पद्धति क्या है ? पूर्वाभास, भाग्य, संयोग आदि का वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्वेषण में महत्त्वपूर्ण स्थान है। क्या हम उन्हें वैज्ञानिक पद्धति के एक चरण के रूप में देख सकते हैं ? क्या वैज्ञानिक पद्धति और दैनिक जीवन में निर्णय लेने के तरीके में कोई समानता है ?

5—वैज्ञानिक रवैये से हमारा क्या मतलब है ? व्यक्ति में वैज्ञानिक रवैये के क्या लक्षण होंगे ?

6—क्या विज्ञान शिक्षा में मूल्यों की स्वतंत्रता है ? वैज्ञानिक अपनी उत्सुकता पूर्ति के लिए काम करता है। लेकिन उसका काम आसान नहीं। उसे आलोचनात्मक ढंग से सोचना पड़ता है, परिकल्पना करनी पड़ती है, प्रत्येक परिकल्पना की ईमानदारी और सच्चाई से जाँच करनी पड़ती है, अथक श्रम से सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती है और तर्कसंगत निष्कर्ष निकालना पड़ता है।

7—वे महत्त्वपूर्ण निर्णय कौन से हैं जो व्यक्ति और समाज को प्रभावित करते है ? विज्ञान में वे कौन सी गतिविधियाँ हैं जो वैयक्तिक और सामूहिक रूप से निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा सकती हैं और निर्णय को कार्यरूप में परिणित करने की योग्यता को उभार सकती हैं ?

विज्ञान के अध्ययन को "दैनिक जीवन", "पर्यावरण" और "सबके लिए विज्ञान" से जोड़ना

1975–85 के बीच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान के अध्ययन को लेकर पुर्नविचार किया गया जिससे इसे और अधिक अर्थपूर्ण बनाया जा सके।

1975 में कोरिया गणतंत्र में यूनेस्को का सम्मेलन हुआ था जिसमें स्कूलों में विज्ञान के अंतर्गत विषयवस्तु के चुनाव की कसौटी क्या हो इसे लेकर निम्न सुझाव दिये गये थे :—

(अ) विज्ञान-शिक्षा छात्र के वास्तविक जीवन और अनुभवों से संबंधित होनी चाहिए।
(ब) एक व्यक्ति के रूप में और परिवार व समाज के सदस्य के रूप में छात्रों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
(स) छात्र की परिपक्वता और आवश्यक साधनों की प्राप्यता पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और
(द) नई जानकारी के साथ तालमेल बिठाया जाना चाहिए।

1982 में हुए यूनेस्को सम्मेलन में सुझाव दिया गया था कि आत्मसंकल्प और विकास को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं कि समूची जनता को विज्ञान को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह सुझाव दिया गया कि विज्ञान शिक्षा की पुन: योजना बनाई जाए जिससे :—

(अ) इसकी जरूरतों को नियत किया जा सके।
(ब) विज्ञान और टैक्नॉलॉजी के लक्ष्य, स्वरूप और सीमा को निश्चित किया जा सके।
(स) इस उद्देश्य के लिए विज्ञान की विषयवस्तु, महत्त्व और रवैये को जाना जा सके।
(द) आवश्यक डिलीवरी मैकेनिज्म पर काम किया जा सके, और
(य) स्थानीय सहयोग के लिए कार्य योजना बनाई जा सके।

विस्तृत वाद-विवाद के पश्चात् निम्न सुझाव दिये गये हैं :—

1—वास्तविक जीवन से संबंधित परिस्थितियों को जानिए (सांस्कृतिक, भौतिक, जैविक, राजनैतिक और सामाजिक-आर्थिक)।

2—बिन्दु 1 में उल्लिखित वास्तविक जीवन से संबंधित परिस्थितियों के बारे में पाठ्यक्रम निर्माताओं और शिक्षकों के अनुभव का लाभ उठाइए।

3—बच्चों की आवश्यकताओं, रुचियों और महत्त्वाकांक्षाओं का पता लगाइए (माइक्रो लेवल डिर्टमिनेशन)।

4—समाज की आवश्यकताओं, रुचियों और महत्त्वाकांक्षाओं का पता लगाइए (डिर्टमिनेशन सेट मैक्रो लेवल)।

5—(बिन्दु 3 और 4 में उल्लिखित) माइक्रो और मैक्रो लेवल डिर्टमिनेशन में सामंजस्य स्थापित करें।

6—व्यवहार संबंधी लक्षणों (बोधगम्य, मन:प्रेरक और भावनात्मक) का स्पष्टीकरण करें।

7—विषय विशेष के अध्ययन/अध्यापन की प्रणाली का चुनाव करें, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्याशित परिणाम और प्रस्तावित प्रणाली और व्यवस्था की योजना बनाएँ।

विज्ञान को "दैनिक जीवन", "पर्यावरण" और "प्रत्येक के लिए विज्ञान" से जोड़ने के लिए जो सुझाव दिये गये हैं और जो कसौटी निश्चित की गई है उससे शायद किसी का भी मतभेद नहीं होगा। शिक्षक निम्न गतिविधियां अपना सकते हैं :—

1—वास्तविक जीवन से संबंधित (सांस्कृतिक, भौतिक, जैविक, राजनैतिक और सामाजिक-आर्थिक) परिस्थितियों में विभिन्न तथ्यों की पहचान।

2—अध्ययन/अध्यापन के लिए गतिविधि एक में उल्लिखित परिस्थितियों का सृजन।

3—अपनी क्लास के बच्चों की आवश्यकताओं, रुचियों और महत्त्वाकांक्षाओं का पता लगाना।

4—उस समाज की आवश्यकताओं, रुचियों और महत्त्वाकांक्षाओं का पता लगाना जहाँ से बच्चा पढ़ने आता है।

5—विज्ञान की कक्षा में (गतिविधि 3 और 4 में उल्लिखित है) माइक्रो और मैक्रो लेवल आइडेन्टीफिकेशन में सामंजस्य स्थापित करना।

6—व्यवहार संबंधी विशिष्ट शब्दावली (बोधगम्य, मन:प्रेरक और भावनात्मक) का प्रयोग करते हुए प्रत्याशित शिक्षा-परिणाम लिखना।

7—ऐसी प्रणाली और व्यवस्था का सुझाव देना जिससे शिक्षक उत्कृष्ट शिक्षा परिणाम प्राप्त कर सके।

क्लासरूम में और क्लासरूम से बाहर विज्ञान की शिक्षा

आज विज्ञान पढ़ाने का अर्थ शिक्षक द्वारा छात्रों को विज्ञान के तथ्यों से अवगत करा देना मात्र नहीं है। शिक्षक के बिना भी छात्रों को विभिन्न स्रोतों से जानकारी हासिल करने का मौका मिलता है। आज के युग में अध्यापन का अर्थ है—छात्र की पढ़ने में सहायता करना। इसके अंतर्गत आप उसे विशेष निर्देश देते हैं और विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं, जिससे छात्र बात को आसानी से समझ सकें। "पढ़ना" प्रमुख है इसलिए पढ़ाई जाने वाली विषयवस्तु और पढ़ाने की प्रणाली को तदनुसार होना चाहिए। अध्ययन/अध्यापन में तालमेल होना चाहिए अर्थात् बच्चे की पढ़ने की क्षमता को देखते हुए ही उसे पढ़ाया जाना चाहिए।

शिक्षक बच्चों को प्राय: बोलकर पढ़ाता है, उनसे प्रश्न पूछता है, या तथ्यों का उल्लेख करता है अथवा छात्र को सिर्फ शिक्षा स्रोत से अवगत करा देता है। शिक्षक द्वारा गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है, जिसके लिए छात्र को जानकारी या परामर्श की जरूरत हो सकती हैं या छात्र पुष्टीकरण, अभिनिर्धारण या मार्ग निर्देशन के लिए शिक्षक पर निर्भर हो सकता है।

शिक्षक से निम्नलिखित बातों की आशा-अपेक्षा की जाती है :—

1. प्रस्तुतिकरण में स्पष्टता
2. प्रस्तुतिकरण में विभिन्नता
3. उत्साह
4. उपलब्धि वाला रवैया
5. पूर्व सज्जा
6. छात्रों के कार्य को समझने और उन्हें प्रोत्साहित करने की क्षमता
7. आलोचना की क्षमता
8. सर्वेक्षण की क्षमता
9. किसी प्रकार के प्रश्न पूछने की क्षमता
10. किसी कार्य के और अधिक विस्तार के लिए छात्रों की प्रतिक्रिया जाँचने की क्षमता
11. शिक्षण-स्तर को समझने की क्षमता ।

क्लासरूम के अन्दर और बाहर बच्चों को पढ़ाने के बारे में वाद-विवाद

आज शिक्षक के लिए स्वयं को, छात्र को, माता-पिता को और कम्युनिटी के अन्य सदस्यों को जानना आवश्यक है। इस मॉड्यूल में हिस्सा लेने वाले निम्न मुद्दों पर वाद-विवाद कर सकते हैं :—

1. पढ़ाई-लिखाई और मानवीय आचरण के संबंध में शिक्षक को सैद्धांतिक रूप से क्या जानकारी होनी चाहिए?
2. पढ़ाई को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं ?
3. शिक्षक विषयवस्तु की जानकारी कैसे हासिल कर सकता है ?
4. क्लासरूम के अन्दर और बाहर विज्ञान पढ़ाने के लिए शिक्षक में किन योग्यताओं का होना आवश्यक है ?
5. शिक्षक अपने छात्रों का और अपने शिक्षण का मूल्यांकन कैसे कर सकता है (विशेष रूप से भावनात्मक आचरण का) ?
6. जिस स्कूल में सिर्फ एक ही शिक्षक हो वहाँ लोअर प्राइमरी कक्षाओं के लिए "साइन्स कोर्नर" की व्यवस्था कैसे की जा सकती है ?
7. स्कूल से बाहर विभिन्न गतिविधियां कौन सी हैं जिन्हें शिक्षक कम्युनिटी के लिए और स्कूल के छात्रों के लिए आयोजित कर सकते हैं ?

●

मॉड्यूल–26

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निर्मित

स्काउट एवं गाइड–नियोजन एवं संचालन

भूमिका

स्वतन्त्रता के पश्चात देश ने विभिन्न क्षेत्रों में तेजी के साथ प्रगति की हैं। मानव के रहन-सहन के स्तर में सुधार हुआ है। देश ने कृषि, उद्योग, यातायात, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध एवं विश्व पटल पर प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया है। सामाजिक विकास में भी आशातीत प्रगति हुई है। किन्तु जो बहुमूल्य वस्तु हमने खोयी है वह है नैतिकता एवं मानवता। बढ़ती वैज्ञानिक उपलब्धियों, सामरिक क्षमताओं ने मानवता को आतंकित कर रखा है। ऐसी परिस्थिति में मानव, मानव कैसे बह सके, आपसी सद्भावना एवं सहयोग की वृद्धि कैसे हो सके आदि विचार मानवतावादी समाज के लिए एक चिन्ता के विषय बने हुए हैं। भारत सरकार इसके प्रति चिंतित एवं सजग है। वह विद्यालय एवं विद्यालय समाज के माध्यम से इस विचारधारा को प्रवाहित करना चाहती है। यही कारण है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा, कार्यानुभव एवं समाजोपयोगी कार्य, बालचर एवं रेडक्रास की शिक्षा तथा कलाओं की शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

इस विचारधारा के विकास एवं प्रसार के लिए स्काउटिंग एवं गाइडिंग एक अच्छा माध्यम हो सकता है।

2. उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के पश्चात् आपको निम्नलिखित बिन्दुओं पर जानकारी हो सकेगी :—

1—स्काउट/गाइड दर्शन तथा आज की आवश्यकता–स्तरवार

2—संगठन स्वरूप–कार्य क्षेत्र–स्तरवार

3—स्काउट/गाइड का विद्यालयों तथा अन्य इकाइयों में संगठन

4—स्काउट/गाइड का स्वरूप–टमटोला, कब, स्काउट, रोवर, बुलबुल, गाइड, रेंजर (दोनों का संक्षिप्त पाठ्यक्रम)

5—स्काउट/गाइड प्रशिक्षण–प्रारंभिक-कैप्टेन तथा दक्षता बैज

6—स्काउट/गाइड प्रशिक्षण–समय एवं पाठ्यक्रम

7—प्रशिक्षण स्थल

8—शिविर, हाइक एवं अन्य साहसिक कार्यक्रम

9—सेवा के विभिन्न प्रकल्प

10—प्रार्थना, झण्डागान, गीत, नाद

11—स्काउट/गाइड के निर्माता–अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय

12—विद्यालयों, संस्थाओं में कार्य का प्रारंभ, विस्तार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसे चलाएँ।

3. स्काउटिंग/गाइडिंग का दर्शन तथा आज की आवश्यकता

(क) आवश्यकता

वैज्ञानिक उपलब्धियों के फलस्वरूप हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भौतिकता के इस युग में मानवता का ह्रास दिखाई देने लगा है। अतः बालक/बालिकाओं में समय के सदुपयोग, चरित्र निर्माण, आदर्श नागरिकता की शिक्षा, सेवा-भावना की जागृति, अच्छी आदतें, विश्वसनीयता के गुण, उत्तम स्वास्थ्य, प्रतिभा का विकास,

प्रसन्न रहने की आदत तथा उनमें मानवीय मूल्यों के प्रति व्यापक दृष्टिकोण उत्पन्न करने की आवश्यकता है। बालक-बालिकाओं में इन गुणों का विकास स्काउटिंग/गाईडिंग के माध्यम से सरलतापूर्वक किया जा सकता है।

(ख) स्काउटिंग/गाईडिंग का दर्शन

स्काउटिंग/गाइडिंग का दर्शन इस संस्था के संस्थापक लार्ड बैडेन पावेल आफ गिलवलि के निम्नलिखित उद्धरणों द्वारा स्पष्ट होता है :—

"यह मानव के हाथ में है कि वह अपने आपको शान्ति का वरदान तथा उसके कारण सबको समृद्धि एवं आनन्द प्राप्त कराये।"

"इसके लिए सबसे पहला कदम है ईर्ष्या, घृणा तथा द्वेष के स्थान पर मंगल कामना, सहनशीलता, सत्य एवं न्याय की भावना जाग्रत करना।"

"कुछ ही दिनों में हमारे आजकल के बालक अपने-अपने देश के नागरिक होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि इन स्काउटों को यह अवसर प्रदान किया गया है कि हम संसार का पलड़ा व्यावहारिक ज्ञान, प्रेम की उदारता एवं सेवा की ओर झुका है।"

"हमारा आन्दोलन, सौभाग्यवश, एक विश्व-बन्धुत्व बन गया है, जिसमें परस्पर की समझदारी तथा भ्रातृत्व की भावनाएँ पहले से विद्यमान हैं।"

यह विचार लार्ड बैडेन पावेल ने सन् 1939 में व्यक्त किये थे जो स्काउट गाइड दर्शन को स्पष्ट रूप से प्रकाशित करते है। इन्हीं भावनाओं, आदर्शों एवं विचारों पर इस संस्था के संगठन की नींव रखी गई है।

4. संगठन का स्वरूप—कार्य क्षेत्र एवं यूनीफार्म

(क) संगठन एवं कार्यक्षेत्र

स्काउट/गाइड कार्यपालिका में विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित एसोसियेशन हैं जो सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं :—

(1) **राष्ट्र स्तरीय एसोसियेशन**—राष्ट्र स्तर पर नेशनल एसोसियेशन होता है जिसका सम्बन्ध राज्य स्तरीय एसोसियेशन्स से सदा बना रहता हैं।

(2) **राज्य स्तरीय एसोसियेशन**—इस एसोसियेशन के निम्नलिखित पदाधिकारी होते हैं :—

1–अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2–चीफ कमिश्नर 3–कमिश्नर स्काउट्स 4–कमिश्नर गाइड्स 5–हेड क्वार्टर कमिश्नर 6–असिस्टेन्ट स्टेट कमिश्नर्स स्काउट और गाइड 7–स्टेट आर्गनाइजिंग कमिश्नर्स स्काउट-1 तथा गाइड-1 8–असिस्टेन्ट आर्गनाइजिंग कमिश्नर्स स्काउट-1 तथा गाइड-1 9–स्टेट ट्रेजरार 10–स्टेट सेक्रेटरी।

(3) **मण्डलीय एसोसियेशन**—प्रत्येक मण्डल में मण्डलीय एसोसियेशन होते हैं जिनमें मण्डलीय स्तर के पदाधिकारी राज्य स्तरीय एसोसियेशन की भाँति होते हैं।

(4) **जिला स्तरीय एसोसियेशन**—1–अध्यक्ष 2–जिला सेक्रेटरी 3–ज़िला ट्रेजरार 4–टी० सी० स्काउट 5–सी० सी० गाइड्स 6–ए०डी०सी० स्काउट 7–ए०डी०सी० गाइड 8–डिस्ट्रिक्ट स्काउट मास्टर 9–डिस्ट्रिक्ट कब मास्टर 10–डिस्ट्रिक्ट रोवर लीडर 11–डिस्ट्रिक्ट फ्लाक लीडर 12–डिस्ट्रिक्ट रेंजर लीडर 13–डिस्ट्रिक्ट स्काउट आर्गनाइजर 14–डिस्ट्रिक्ट गाइड कैप्टेन 15–डिस्ट्रिक्ट गाइड आर्गनाइजर।

(ख) यूनीफार्म

1–स्कार्फ 2–बैज 3–रैन्क बैजेज 4–सोल्डर स्ट्रिप्स 5–मैडल बैज 6–लेन यार्ड 7–कोर्ड 8–प्रोफेशेन्सी ट्रेनिक स्काउट्स/गाइड्स (ऐप्रो० भाग-2 के अनुसार)

क्रियापत्रक-1

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय एसोसियेशन के पदाधिकारियों तथा उनके कार्य क्षेत्रों को जानकारी कीजिए तथा सूची तैयार कीजिए ।	एकत्र कीजिए मिलाइए चर्चा कीजिए

5. विद्यालय स्तर पर स्काउट/गाइड संगठन

विद्यालय स्तर पर स्काउट/गाइड संगठन के निम्नलिखित स्वरूप होते हैं :—

(1) **कब/बुलबुल**—चार से लेकर छः शेर बच्चों/बुलबुल को मिलाकर एक सिक्स (छक्का) बनाया जाता है। दो से लेकर चार सिक्स को मिलाकर एक कब-पैक/बुलबुल फ्लाक बनाया जाता है। इसमें कम से कम 12 और अधिक से अधिक 24 शेर बच्चे/बुलबुल रखे जा सकते हैं। प्रत्येक सिक्स में एक सिक्सर तथा प्रत्येक पैक/फ्लाक में एक सीनियर सिक्सर होता है।

(2) **स्काउट/गाइड**—छः से लेकर आठ स्काउट/गाइड को मिलाकर एक टोली (पैट्रोल) बनाई जाती है। टोली में एक टोली नायक होता है। दो-तीन या चार टोलियों को मिलाकर एक दल (ट्रूप) बनाया जाता है। इसमें कम से कम 24 स्काउट/गाइड और अधिक से अधिक 32 स्काउट/गाइड शामिल किये जाते हैं। प्रत्येक दल का एक दल नायक होता है।

(3) **रोवर/रेंजर**—चार से लेकर छः रोवर/स्काउट/रेंजर गाइड को मिलाकर एक रोवर/रेंजर पैट्रोल और कम से कम दो पैट्रोल को मिलाकर एक क्यू बनाया जाता है। प्रत्येक रोवर/रेंजर पैट्रोल में एक रोवर मेट/रेंजर मेट और एक सहायक रोवर मेट/रेंजर मेट होता हैं। सीनियर मेट भी बनाया जाता है।

(4) **शिक्षक**—कबिंग/बुलबुल के शिक्षक को कब मास्टर/फ्लाक लीडर, स्काउट/गाइड शिक्षक को स्काउट मास्टर/गाइड कैप्टेन तथा रोवर/रेंजर शिक्षक को रोवर/रेंजर लीडर कहते हैं।

उपर्युक्त चारों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाता है। प्रत्येक ग्रुप में एक स्काउट/गाइड लीडर होता है। जो स्काउटिंग के विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन की व्यवस्था करता है।

क्रियापत्रक-2

आप अपने विद्यालय में स्काउट/गाइड दल (ट्रूप), कब/बुलबुल पैक/फ्लाक का संगठन कीजिए। संगठन के आधारों के सुझाव प्रस्तुत कीजिए।	एकत्र कीजिए मिलाइए विचार-विमर्श कीजिए

6. स्काउट/गाइड का संक्षिप्त पाठ्यक्रम

(1) कब/बुलबुल का पाठ्यक्रम चार वर्गों में विभाजित है—(1) कोमल पंख (2) रजत पंख (3) स्वर्ण पंख (4) हीरक पंख। इनमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है।

(3) **स्काउट/गाइड पाठ्यक्रम**—उत्तर प्रदेश के कक्षा 6, 7 और 8 में संक्षिप्त पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं—

कक्षा 6—स्वास्थ्य नियमों की जानकारी, झण्डागीत, सिंहनाद, खोज के चिन्ह, गाँठें, स्थानीय महत्त्वपूर्ण वस्तुओं की जानकारी, सेवा संस्थाओं की जानकारी, प्राथमिक सहायता।

कक्षा 7—शिविर के औजारों की जानकारी, आग से रक्षा के उपायों की जानकारी, खाना बनाना, कम्पास की

सहायता से 16 दिशाओं की जानकारी, दूर का अनुमान, शिविरों में भाग लेना, पट्टी बाँधना, सिगनल देना, स्टेचर बनाना तथा जीवन रक्षक डोरी का प्रयोग, मेले में सेवा कार्य करना, जनसंख्या एवं प्रदूषण पर चर्चा करना ।

कक्षा 8—शिविर लगाना, कुर्सी गाँठ तथा भारवाहक गाँठों का लगाना, तैरने का ज्ञान, तैरने में सुरक्षा नियमों का ज्ञान, ऊँचाई-गहराई का अनुमान लगाना, नक्शा बनाना तथा परम्परागत चिन्हों की जानकारी रखना, सर्वे नक्शों को पढ़ना, उसके अनुसार मार्ग पर चलना, सदमा/बेहोशी/डूबने/हड्डी टूटने का प्राथमिक उपचार, भोजन बनाना, कैम्प फायर में भाग लेना, कैम्प फायर का आयोजन करना, वृक्षारोपण तथा पर्यावरणीय शिक्षा पर विचार करना ।

क्रियापत्रक-3

स्काउट/गाइड को प्रभावी प्रशिक्षण कैसे प्रदान कर सकते हैं ? प्रशिक्षण योजना तैयार कीजिए ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

7. स्काउट/गाइड प्रशिक्षण

सामान्यत: यह प्रशिक्षण निम्नांकित सोपानों के अन्तर्गत पूरा होता है :—

प्रवेश—(1) प्रथम सोपान (2) द्वितीय सोपान (3) तृतीय सोपान (4) राज्य पुरस्कार (5) राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट/गाइड ।

प्रवेश तथा प्रथम चरण का प्रशिक्षण स्काउट मास्टर/गाइड कैप्टेन्स करते हैं ।

द्वितीय तथा तृतीय सोपान के प्रशिक्षण एवं प्रमाण-पत्र देने का अधिकार स्वयं वारंट प्राप्त स्काउट मास्टर/गाइड कैप्टेन को है ।

तृतीय सोपान के प्रशिक्षण देने का अधिकार स्काउट मास्टर/गाइड कैप्टेन को या जिला कमिश्नर द्वारा नियुक्त व्यक्ति को है । परीक्षा तथा प्रमाण-पत्र जिला संस्था द्वारा दिये जाते हैं ।

राज्य पुरस्कार का प्रमाण-पत्र प्रदेश के प्रादेशिक कमिश्नर द्वारा दिया जाता है ।

राष्ट्रपति स्काउट/गाइड का प्रशिक्षण जिला स्तर पर दिया जाता है परन्तु परीक्षा राज्य स्तर पर ली जाती है तथा प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय प्रधान केन्द्र के द्वारा दिया जाता है ।

उपर्युक्त सोपानों में 7-10 दिन का प्रशिक्षण शिविरों को आयोजित करके किया जा सकेगा ।

क्रियापत्रक-4

प्रशिक्षण के सम्बन्ध में आप क्या सुझाव रखना चाहते हैं ? ऐसे व्यावहारिक सुझावों की सूची तैयार कीजिए ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए विचार-विमर्श कीजिए

8. स्काउटर/गाइडर के प्रशिक्षण का समय एवं पाठ्यक्रम

(क) समय

प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त मौसम चुनना चाहिए जिसमें स्काउटर/गाइडर का पूर्ण प्रशिक्षण निम्नलिखित शिविरों के माध्यम से पूरा किया जा सकेगा :—

(i) टोली नायक शिविर प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र के संगठन कमिश्नर द्वारा आयोजित होगा ।

(ii) दक्षता बैज शिविर, प्रारम्भिक स्काउट/गाइड मास्टर/कैप्टेन शिविर/प्रीहिमालय/वुड बैज शिविर, प्रादेशिक स्तर की हाइक इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के प्रोफिसियेन्सी बैज प्रशिक्षण हो सकते हैं।

(ख) पाठ्यक्रम

(i) प्रारम्भिक स्काउटर्स/गाइडर्स

(अ) **कब मास्टर**—कब नियमावली और प्रतिज्ञाएँ; सलामी, बधाइयाँ; हाथ मिलाना; टेण्डर्स टेस्ट, फर्स्ट स्टार टेस्ट, ध्वज एवं उनका सम्मान; राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, कैम्पस फाइट्स, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य रक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, कब के लिए झंडी संकेत, खोज करना, मॉडल, रेखा चित्रण, कब के लिए खेल, वीर कहानियाँ, अभिनय, पोशाक और उसकी देख-रेख, पैक की प्रणालियाँ, पैक अनुशासन, पैक अभिलेख, पैक डेन, माता-पिता और पैक, ग्रुप प्रणाली, कब मास्टर–उसकी योग्यताएँ, अधिकार, कर्तव्य और दायित्व; पैक संचालन, टेण्डर पैक और फर्स्ट स्टार टेस्ट्स, सेकेण्ड स्टार टेस्ट्स।

(ब) **फ्लाक लीडर (महिला)**—छः प्रणाली, फ्लाक संचालन; अभिभावक जनता से सहयोग; बुलबुल परीक्षण; यूनिफार्म; परीक्षण कार्य; गाइड टेण्डर फुट टेस्ट्स; प्रकृति दर्शन एवं निरीक्षण; दिशाएँ–कम्पास के 16 बिन्दु; स्वास्थ्य के नियम–फर्स्ट स्टार टेस्ट; बुलबुल नियम, प्रतिज्ञा सूत्र, अच्छे कार्य का लेखन और सलामी; उत्सव, छः के संगीत, बुलबुल गीत, सैल्यूट, नाद, रंग, कलरव, बुलबुल ट्री; खेलकूद; हस्त-उद्योग; प्राथमिक सहायता।

(ii) **ट्रूप स्काउटर्स/कैप्टेन्स के लिए पाठ्यक्रम**—आदर्श, उद्देश्य, सिद्धान्त पद्धतियाँ; नियम और प्रतिज्ञा; स्काउट सलामी; संकेत देना, हाथ मिलाना, आदर्श सूत्र, अच्छे कार्यों का लेखा; ट्रूप का गठन; टेस्ट्स प्रशिक्षण; रस्सी प्रयोग और देखरेख, गाँठें, राष्ट्र ध्वज, स्काउट और गाइड ध्वज–इनका अर्थ, प्रयोग, सम्मान; राष्ट्रगान; स्काउट स्टाफ (लाठी)–प्रयोग, रख-रखाव; वुड क्राफ्ट; संकेत चिह्न; सेकेण्ड क्लास टेस्ट्स; प्राथमिक चिकित्सा-ज्ञान और अभ्यास; झण्डी संकेत–क्यों और कैसे; स्काउट पेस–क्यों और कैसे; दिशा ज्ञान; कम्पास, स्टार और कॉन्स्टेलेशन्स; अग्नि संचयन और आग जलाना, उसकी सावधानियाँ, खतरे, खाना बनाना, वुड क्राफ्ट, खेल प्रतियोगिताएँ और शरीर और उसकी देख भाल; प्रकृति दर्शन; हाइक्स और आउटिंग; पैट्रोल प्रणाली; ग्रुप प्रणाली; ग्रुप अभिलेख, पैट्रोल बैठकें; स्काउट डेन; स्काउटिंग और धर्म; स्काउट और उत्सव; गुड टर्न्स; प्रोफिसियेन्शी बैजेज, स्काउट मास्टर्स–योग्यताएँ, अधिकार, कर्तव्य तथा दायित्व; ट्रूप संचालन; पैट्रोल द्वारा एक दिन की हाइक।

क्रियापत्रक-5

उपरोक्त पाठ्यक्रम में वर्तमान आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में क्या सुधार/संशोधन/परिवर्तन करना चाहते हैं ? विचार करें तथा सूची बनाइए।	एकत्र कीजिए मिलाइये चर्चा कीजिए

9. प्रशिक्षण स्थल

स्काउटिंग/गाइडिंग प्रशिक्षण घर से बाहर आउटिंग के माध्यम से ही सम्भव है। अतः ऐसे स्थल का चुनाव अपेक्षित हैं जो बस्ती से दूर प्रकृति की गोद में हो। वातावरण स्वच्छ एवं वनस्पति पूर्ण हो। नदी तालाब/जल की सुविधा हो। आवश्यक सामान्य वस्तुओं की उपलब्धि हो सके। जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके। ऐसे स्थलों का होना इस प्रशिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होंगे। स्थल का चुनाव करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि वहाँ टेण्ट आदि आसानी से लगाये जा सकें। परिस्थितिवश विद्यालय प्रांगण, धार्मिक स्थल, धर्मशालाओं आदि का भी उपयोग किया जा सकता है।

क्रियापत्रक-6

ऐसे स्थलों की सूची तैयार कीजिए जहाँ स्काउट/गाइड प्रशिक्षण शिविर सफलतापूर्वक आयोजित किये जा सकें। स्थल चयन बिन्दुओं पर भी सुझाव दीजिए।	एकत्र कीजिए तुलना कीजिए चर्चा कीजिए

19. शिविर हाइक एवं अन्य साहसिक कार्यक्रम

(क) शिविर

शिविर के आयोजन के लिए निम्नांकित बातों पर ध्यान अपेक्षित है :—

(1) प्रारम्भिक प्रशिक्षण तथा शिविर की तैयारियाँ जैसे—अभिभावकों, अधिकारियों, प्रधानाचार्यों की अनुमति।

(2) शिविर स्थल का चुनाव—भीड़-भाड़ से दूर, संचार साधनों के समीप, जल के पास, जंगल का दृश्य, मैदान की सुविधा, छोटे बाजार की समीपता, जीव जन्तुओं से सुरक्षित तथा आस-पास कोई स्थायी निवास की सुविधा।

(3) शिविर संचालन कार्यक्रम का नियोजन करना।

(4) स्काउट शिविर सामग्री की व्यवस्था—व्यक्तिगत पैट्रोल तथा ट्रूप की आवश्यकताओं के अनुसार।

(5) भोजन आदि की व्यवस्था करना।

(6) शिविर नियमों का निर्धारण एवं कड़ाई के साथ पालन का निर्देश देना।

शिविर में प्रशिक्षण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कैम्प कमाण्डेण्ट की देख-रेख में सम्पादित होता है। इसकी सफलता शिविर नियमों तथा कार्यक्रम सारिणी के अनुपालन पर निर्भर करती है।

क्रियापत्रक-7

एक शिविर आयोजक के रूप में शिविर आयोजन तथा सफलतापूर्वक संचालन के लिए अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।	एकत्र कीजिए लिखकर चर्चा कीजिए

(ख) हाइक

विद्यालय अथवा शिविर के दौरान स्काउट/गाइड एक या दो दिन के लिए अपने दैनिक उपयोग की सभी सामग्री स्वयं अपने साथ लेकर मूल स्थान से 10-15 या 20 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर पूरा करते हैं। खाने-पीने की व्यवस्था अपने हाथ से पूरी करते हैं, जिसमें वे आपसी सहयोग का सहारा ले सकते हैं। निश्चित अवधि के पश्चात् वे पुनः अपने स्थान पर उसी तरह वापस लौटते हैं। हाइक के लिए अपेक्षाकृत दुर्गम मार्गों अथवा स्थलों का चयन किया जाता है, जिससे स्काउट/गाइड को शारीरिक परिश्रम एवं साहसपूर्ण कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है।

(ग) अन्य साहसिक कार्यक्रम

स्काउट/गाइड को अनेक प्रकार के साहसिक कार्यों को करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है, जो उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तैरना, डूबते हुए को बचाना, [illegible], [illegible] जानवरों से सुरक्षा करना, बियाबान जंगलों में मार्ग खोजना, खुफियागीरी करना, रहस्यमय तथ्यों का पता लगाना,

रस्सी से नदी पार करना, ऊँचे-नीचे सँकरे मार्गों से चलना आदि । इन कार्यों के लिए दक्षता बैज भी प्रदान किये जाते हैं । अनेक प्रकार के दक्षता बैजेज के पाठ्यक्रमों में इस प्रकार के ऐडवेन्चरस कार्यों को सम्मिलित किया गया है ।

क्रियापत्रक-8

विभिन्न परिस्थितियों में आप किन साहसिक कार्यों की अपेक्षा करते हैं । सूची बनाइये ।	एकत्र कीजिए मिलाइए चर्चा कीजिए

11. सेवा के विभिन्न प्रकल्प क्यों और कैसे ?

स्काउट/गाइड सेवाओं के विभिन्न प्रकल्प हो सकते हैं । संस्थागत प्रकल्पों में विभिन्न प्रकार के औद्योगिक प्रतिष्ठान, बैंकिंग सेवाओं, रेलवे विभाग, डाक विभाग, पुलिस एवं पी० ए० सी० तथा सैनिक सेवाएँ तथा यातायात आदि कार्यों में स्काउट/गाइड की सेवाएँ महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं । दैवी आपदाओं जैसे—बाढ़, तूफान, अतिवृष्टि, अकाल, महामारी, विदेशी आक्रमण आदि में इनकी सेवाओं को समझा जा सकता है । मेलों, राष्ट्रीय पर्वों, सामाजिक एवं धार्मिक स्थलों एवं आयोजनों में इनकी सेवाओं का बखूबी प्रयोग किया जा सकता है । इन प्रकल्पों में इनकी सेवाओं के समुचित उपयोग की व्यवस्था होनी चाहिए ।

उपर्युक्त सभी प्रकल्पों में स्काउट/गाइड की सेवाएँ विश्वसनीय, साहस, लगन, निःस्वार्थपूर्ण तथा बिना किसी प्रकार के पूर्वाग्रह एवं भेदभाव के होती हैं । ये हर एक के साथ समान बर्ताव करते हैं ।

इनकी सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए पूर्व नियोजन, संचालन कार्यक्रम तथा संगठन की नितान्त आवश्यकता है ।

12. प्रार्थना, झण्डागान, गीत, नाद

(क) प्रार्थना

स्काउट/गाइड प्रशिक्षण के समय नियमत: प्रार्थना सभाएँ आयोजित की जाती हैं । यह कार्यक्रम का प्रारम्भ होता है । इसमें विभिन्न धर्मों/भाषाओं के प्रार्थना गीत पढ़े जाते हैं तथा सामूहिक रूप से अभ्यास किये जाते हैं । इस कार्यक्रम को संचालित करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता हैं कि स्काउट/गाइड की विभिन्न प्रार्थनाओं का संकलन एवं आयोजन करें तथा प्रशिक्षणार्थियों को स्वर, लय एवं भाव के साथ गाने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित करें ।

(ख) झण्डागान

प्रशिक्षण के समय भारत स्काउट एवं गाइड झण्डे का गीत गाया जाना आवश्यक है । प्रत्येक छात्र/छात्रा को यह गान कण्ठस्थ होना चाहिए तथा आरोह-अवरोह के साथ समूह में गाने का सही अभ्यास अपेक्षित है । स्काउट/गाइड झण्डा गीत के अतिरिक्त राष्ट्रीय ध्वज गान को भी सफलतापूर्वक सही आरोह-अवरोह के साथ गाने का अभ्यास आवश्यक है । यह स्काउट/गाइड के मन में संस्था एवं राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना एवं कार्य करने में प्रेरक सिद्ध होता है ।

(ग) गीत

सभी स्काउट/गाइड को उपर्युक्त महत्वपूर्ण गानों के अतिरिक्त राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान तथा अन्य गीतों के गाने का अभ्यास कराना वांछनीय है । अन्य गीतों में राष्ट्र प्रेम, एकता एवं समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देने वाले गीतों का अभ्यास कराना चाहिए । ये गीत समूहगान, मार्चगान, फॉक सांग होने चाहिए, जो इनमें सांस्कृतिक उत्साह भर सकें तथा सदैव प्रसन्न रख सकें । नाट्य नृत्य गानों का भी अभ्यास कराया जाना अपेक्षित है । कैम्प फायर के समूह प्रस्तुत किये जाने वाले सांस्कृतिक एकल एवं समूह सभी प्रकार के गीतों का समुचित गायन का अभ्यास कराया जा सकता हैं ।

क्रियापत्रक-9

भारत स्काउट/गाइड झण्डागान का सही आरोह-अवरोह के साथ गाने का अभ्यास कीजिए तथा स्काउट/गाइड को सही लय के साथ सिखाइये ।	एकत्र कीजिए मिलाइए चर्चा कीजिए

(घ) नाद

स्काउट/गाइड सदा प्रसन्न एवं साहसिक कार्यों में दिलचस्पी रखते हैं । अतः प्रेरणा एवं जोश प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के नादों का बार-बार दुहराना आवश्यक है । कब/बुलबुल, स्काउट गाइड/रोवर/रेंजर सबके लिए अनेक अलग-अलग प्रकार के सिंहनाद एवं नाद इस संस्था द्वारा संकलित एवं निर्धारित किये गये हैं । जब भी इनका समूह एकत्र हो या एकत्र होने का अवसर मिले, कार्य के दौरान इन नादों का प्रतिदिन प्रयोग होना चाहिए । इससे उद्दीपन वैभिन्य होगा तथा कार्य में नव स्फूर्ति जाग्रत होगी ।

क्रियापत्रक-10

स्तरानुसार विभिन्न प्रकार के नादों का संकलन कीजिए । नये नादों की रचना यदि सम्भव हैं तो करने का प्रयास करें जो समय, परिस्थिति के अनुकूल हों।	एकत्र कीजिए मिलाइए चर्चा कीजिए

13. स्काउट/गाइड के निर्माता–अन्तर्राष्ट्रीय-राष्ट्रीय

(क) अन्तर्राष्ट्रीय

इसके जन्मदाता लार्ड बेडेन-पावेल थे, जिनका जन्म 22 फरवरी 1857 को इंग्लैण्ड में हुआ था । इनका जीवन आरम्भ से ही स्काउट जीवन था । ये जीवन पर्यन्त इस संस्था को समर्पित रहे तथा विश्व चीफ स्काउट भी रहे । इनकी बहन मिस एग्नेस बैडेन पावेल ने गाईडिंग का प्रसार प्रारम्भ किया । इनकी पत्नी श्रीमती ओलेव सेण्ट क्लेयर सोम्स ने भी अपना जीवन इस संस्था के प्रसार कार्य में व्यतीत किया ।

इनके अतिरिक्त विश्व के अनेक महापुरुषों ने इस कार्य में रुचि दिखाई, जिनमें विलियम जे० डी० बॉयस, अर्नेस्ट टामसन सेटन, जी० एस० अरुण्डेल, टी० एच० बेकर, रिवरेण्ड अलेक्जेंडर, कैप्टेन टॉड, मेजर पैकन हम वाल्श, तथा डॉ० एनी बीसेन्ट ने अन्तर्राष्ट्रीय स्काउट आन्दोलन को सफल बनाने का जीवनपर्यन्त प्रयास किया।

(ख) राष्ट्रीय

भारत में स्काउट/गाइड का कार्य अनेक नामों से प्रारम्भ हुआ । मुख्य प्रसार कर्ताओं में पं० श्री राम बाजपेयी, डॉ० एनी बीसेन्ट, पं० मदन मोहन मालवीय, पं० हृदय नाथ कुंजरू का नाम इस संस्था के साथ भारत में सदैव सम्मान से लिया जाता रहेगा । अन्य व्यक्तियों में श्री सुब्रह्मणियम आइयर, मोहन सिंह मेहता, संजीव कामथ, यज्ञनारायण चतुर्वेदी, सत्यानन्द राय, जे० एस० घोस, डी० एन० वासु, श्री निवास, सी० पी० रामास्वामी आइयर आदि का नाम सम्मानपूर्वक लिया जाता है ।

क्रियापत्रक-11

विश्व के प्रमुख तथा भारत के मुख्य स्काउट/गाइड निर्माताओं के जीवन तथा संस्था के प्रति कार्यों का संकलन कीजिए । उनके जीवन आदर्शों एवं कार्य प्रणालियों का भी संकलन कीजिए ।	एकत्र कीजिए मिलाइए चर्चा कीजिए

14. विद्यालयों/संस्थाओं में कार्य का प्रारम्भ : विस्तार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसे चलाएँ

(क) पूर्व माध्यमिक स्तर पर

पूर्व प्राइमरी अथवा नर्सरी विद्यालयों में बन्नी ब्रान्चेज की स्थापना कर टमटोला (दल) का संगठन किया जाना चाहिए। प्रत्येक टमटोला के लिए बन्नी आन्टी होनी चाहिए जो छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाएँ तथा बन्नी खेलों का संचालन करें।

(ख) जूनियर प्राइमरी स्तर पर

कब/बुलबुल दलों की स्थापना प्रत्येक जूनियर प्राइमरी विद्यालयों में की जानी चाहिए। इनके दल पैक/फ्लाक के संचालन हेतु विद्यालय के अध्यापक/अध्यापिकाओं में से कब मास्टर/फ्लाक लीडर प्रशिक्षित किये जाने चाहिए जो बच्चों को सेवा कार्यों (जैसे—पानी पिलाना, राह दिखाना, कक्षा में शान्ति स्थापित करना आदि) के माध्यम से स्काउटिंग का कार्य सिखा सकें। आवश्यकतानुसार विद्यालय परिसर में 2-3 दिवसीय शिविरों का आयोजन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था करके स्काउटिंग का प्रसार किया जा सकता है।

(ग) सीनियर प्राथमिक स्तर पर

पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सीनियर प्राथमिक स्तर के प्रत्येक विद्यालय में स्काउटिंग सिखाने का कार्यक्रम अनिवार्य रूप से चलाना चाहिए। यह कार्य पी० टी० कक्षाओं की भाँति भी किये जा सकते हैं। धार्मिक स्थलों, सामाजिक केन्द्रों और स्टेशनों तथा मेलों में पानी पिलाने, राह दिखाने, सफाई करने आदि के कार्यों से छात्रों में सेवा की भावना विकसित की जा सकती है। इस तरह के स्थानीय शिविर भी आयोजित किये जा सकते हैं।

(घ) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इस कार्य को और सघन ढंग से चलाया जा सकता है। इनमें स्काउट/गाइड तथा रोवर/रेंजर्स आदि के निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार क्रियात्मक समाजोपयोगी कार्य कराये जा सकते हैं। इनके लिए अलग-अलग प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाय तथा स्काउट/गाइड के उपयुक्त एवं योग्य प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। दक्षता बैजेज हेतु कठिन परिश्रम एवं सघन कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। अतः इन कार्यों को कुशल एवं अभ्यस्त प्रशिक्षक ही करा सकते हैं।

(ङ) प्रशिक्षित एवं कुशल प्रशिक्षकों की उपलब्धता

प्रत्येक विद्यालय में स्काउटिंग/गाइडिंग के प्रचार/प्रसार एवं सुनियोजित कार्य संचालन के लिए प्रशिक्षित स्काउट/मास्टरों एवं प्रशिक्षकों की आवश्यकता होगी जिनका अभाव प्रायः सभी स्तर के विद्यालयों में है। इसके प्रसार के लिए आवश्यक होगा कि प्रत्येक स्तर के प्रत्येक विद्यालय में छात्र संख्या के अनुसार प्रशिक्षित स्काउट मास्टर उपलब्ध हों। इसके लिए प्रदेश व्यापी स्काउट मास्टरों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।

इनके प्रशिक्षण के लिए कतिपय स्थानों पर प्रत्येक जिले से कम से कम 12 (4 प्राथमिक, 4 जू० हाई स्कूल तथा 4 उ० मा० वि० के अध्यापक) अध्यापकों को सन्दर्भ व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षित किया जाना समीचीन होगा जो अपने जनपद के अपने स्तर से सम्बन्धित विद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षित करेंगे। इस प्रकार प्रशिक्षित स्काउट मास्टरों द्वारा स्काउटिंग/गाइडिंग प्रशिक्षण को प्रदेश व्यापी बनाया जा सकता है।

क्रियाकलाप-12

उत्तर प्रदेश में स्काउट/गाइड प्रचार एवं प्रसार के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत कीजिए जो व्यावहारिक तथा सुगम हों।	एकत्र कीजिए मिलाइए चर्चा कीजिए

●

मॉड्यूल–29

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्मित

विद्यालय-संकुल

सिंहावलोकन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत शिक्षा के नियोजन एवं प्रबन्ध पर बल दिया गया है। अभी तक शिक्षा के नियोजन और प्रबन्ध के कार्य में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति थी। उच्च स्तर पर योजनाओं की रूपरेखा तैयार कर ली जाती थी और क्रमशः नीचे के स्तरों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे उन योजनाओं तथा कार्यक्रमों को निष्ठा और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करें।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पूरा कर लेने के बाद आप निम्न बातें करने में समर्थ होंगे :—

(क) विद्यालय संकुल की अवधारणा की और इस अवधारणा के मूल में निहित आधार को समझना,

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर सम्पूर्ण आयोजन प्रक्रिया की सीमा में सबसे छोटे स्तर पर नियोजन और प्रबन्ध के विकेन्द्रीकरण में विद्यालय संकुल की भूमिका को समझना,

(ग) विद्यालय संकुल के संगठन और उसके क्रिया-कलापों में भाग लेने में समर्थ होना,

(घ) विद्यालय प्रबन्ध में उन क्षेत्रों का पता लगाना जिनमें विद्यालय-संकुल के द्वारा प्रभावी सुधार हो सकता है,

(च) पर्यवेक्षण की आधुनिक अवधारणा को समझना और विद्यालयों को पर्यवेक्षण सम्बन्धी सेवाएँ प्रदान करने के लिये महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में विद्यालय-संकुल की भूमिका को समझना,

(छ) संकुल में शामिल विद्यालयों को अन्य विद्यालयों से उपलब्ध हो सकने वाली सुविधाओं, सेवाओं तथा समर्थन को जानना और उसका उपयोग करना, और

(ज) शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया में सुधार के लिए विद्यालय-संकुल के अन्दर अपने सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श करना और सहयोग करना।

विद्यालय संकुल क्या है ?

विद्यालय संकुल की अवधारणा निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है :—

विद्यालय संकुल मूलतः शिक्षा के विद्यमान ढाँचे और उसके व्यावहारिक स्वरूप में सुधार है। सभी शिक्षा संस्थाओं को, वे चाहे सरकारी हों, स्थानीय निकायों या पंचायती राज अथवा सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित हों और वे कहीं स्थित हों (शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में), शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए जूनियर हाई स्कूल अथवा उ० मा० विद्यालय जैसी किसी उच्चतर स्तर की संस्था से सम्बद्ध कर दिया जाता है। इससे उसे वहाँ से दिशा-निर्देश और मानवीय तथा भौतिक (पुस्तकालय, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएँ, खेल-कूद आदि) दोनों प्रकार के संसाधन सुलभ हो जाते हैं।

यह मूल सिद्धान्त किसी भी स्तर के शिक्षा क्रम के लिए उपयोगी हो सकता है किन्तु फिलहाल इसका प्रयोग केवल विद्यालय शिक्षा तक सीमित है।

विद्यालय संकुल का तर्काधार क्या है ?

सम्मन्यतः यह माना जाता है कि शैक्षिक-संकुलों का विचार पहली बार शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग) ने प्रस्तुत किया था, किन्तु स्वाधीनता-प्राप्ति से पूर्व भी ब्रिटिशकाल में कुछ क्षेत्रों में इसे यह नाम दिये बिना, विद्यालय संकुल का विधिवत प्रयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए मद्रास में शनिवार को तीसरे पहर शिक्षकों की बैठकें हुआ करती थीं, अथवा जूनियर हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्राथमिक विद्यालयों की देखभाल तथा प्रबन्ध सम्बन्धी नियंत्रण रखने को कहा जाता था।

लेकिन कोठारी आयोग ने इसे नया नाम और नया महत्त्व प्रदान किया। प्राथमिक विद्यालयों का उत्पादन (वहाँ से पास होकर निकलने वाले छात्र) जूनियर हाई स्कूलों का निवेश (प्रवेश खोजने वाले छात्र) बनते हैं। इसी प्रकार जूनियर हाई स्कूलों का उत्पादन माध्यमिक विद्यालयों का निवेश होता है। तात्पर्य यह है कि जूनियर हाई स्कूल पास करने वाले छात्र उ० मा० विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं। लाखों प्राथमिक तथा जू० हा० स्कूलों के छात्रों का स्तर ऊँचा करने के लिए साधन चाहिए—मानव तथा सामग्री—दोनों प्रकार के। इन विद्यालयों की विशाल संख्या ग्रामीण तथा सुदूर दुर्गम, वन्य, पहाड़ी या मरुक्षेत्रों में है। अतः यह तर्कसंगत है कि उच्चतर संस्थाएँ अपने निजी स्वार्थ के लिए (बेहतर निवेश पाने के लिए) और अपनी ही ओर से (स्वेच्छा से) किन्तु निरीक्षक तथा पर्यवेक्षकों की सहायता और दिशा निर्देश में अपनी दोनों सुविधाएँ, मानवीय (सु-योग्य और सु-प्रशिक्षित शिक्षक) और सामग्री पुस्तकालय, प्रयोगशाला और कार्यशाला की सुविधाएँ, शिक्षण सहायक साधन, खेल-कूद के लिए संसाधन, आदि अपने से नीचे की स्तर वाली संस्थाओं (प्राइमरी, जू० हा० स्कूल) को उपलब्ध करायें।

मान्यताएँ

1. यदि शिक्षा सुधार कार्यक्रम आमने-सामने के विचार-विमर्श पर आधारित हों तो दिशा-निर्देश अधिक प्रभावी होगा।
2. अनुभवी साथी द्वारा दिशा-निर्देश का अधिक अच्छा परिणाम होगा।
3. निकटस्थ संस्था या व्यक्ति से प्राप्त दिशा-निर्देश प्रभावी होता है, क्योंकि इससे विचार-विनिमय में सरलता रहती है।
4. यदि दिशा-निर्देश निरन्तर चलता रहे तो साधनों का अनुमान लगाना और उसके अनुसार कार्य करना सम्भव है।
5. ऊपर से थोपी गयी योजनाओं के बजाय स्वयं निर्मित योजनाएँ प्रेरक, व्यावहारिक और फलप्रद होती हैं।
6. सहकारी कार्यक्रम उत्साहवर्द्धक, सुदृढ़ और फलप्रद होते हैं।
7. स्वस्थ मानवीय सम्बन्धों से सफलता मिलती है।

विद्यालय संकुल के ध्येय और उद्देश्य

विद्यालय संकुल का प्रमुख उद्देश्य पारस्परिक सहयोग, संयोजन, विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया, उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग और संकुल के प्रमुख द्वारा सम्पूर्ण कार्यक्रम की देखभाल है।

विद्यालय संकुल-कार्यक्रम के कुछ मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

1. विद्यालयों के बीच की दूरी को समाप्त करना और उन्हें छोटे और आमने-सामने के सहकारी दलों में काम करने में सहायता देना।
2. यदि सम्भव हो तो विभाग के किसी अन्य व्यक्ति (अधिकारी) को अधिकार हस्तान्तरित करना।

3. संस्थाओं के विभिन्न स्तरों के बीच के अन्तर को पाटना।
4. विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों और विद्यालयों के बीच विचारों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना।
5. पर्यवेक्षण की नवीन संकल्पना के अनुसार पर्यवेक्षण का विकेन्द्रीकरण करना।
6. आपसी सहकार के आधार पर शैक्षिक प्रक्रिया का प्रबन्ध करना जिससे शिक्षा का स्तर एक इकाई के रूप में आगे बढ़े।
7. विद्यालयों और शिक्षकों में आत्म-प्रेरणा की भावना पैदा करना।
8. आयोजनों और कार्यक्रमों को स्वतन्त्रता प्रदान करना।
9. विद्यालयों में विद्यमान साधनों का अधिकतम उपयोग करना।
10. शिक्षकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
11. किसी एक क्षेत्र में शिक्षा का स्तर ऊँचा करने के लिए हर स्तर पर संस्था के सहकारी प्रयत्नों की व्यवस्था करना।

विद्यालय संकुल विद्यालयों में अधिगम की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से संगठनात्मक रूप में निश्चित परिवर्तन लाने का प्रयास है।

अभ्यास-1

यह मान कर कि आपके विद्यालय में सुधार की प्रचुर गुंजाइश है और यह समझकर कि संस्थाओं के बीच सहकारी प्रयत्न आवश्यक है, कुछ ऐसे क्षेत्र बताइये जहाँ से सुसंगठित विद्यालय संकुल शिक्षा में गुणात्मक सुधार सम्बन्धी प्रयत्नों को तेज करने के लिए कार्य कर सकते हैं। यह अभ्यास निम्नांकित सुझावों पर आधारित हो सकता है :—

1. दूसरे विद्यालयों से आदान-प्रदान न होने की स्थिति में तथा एक दूसरे से सम्बन्ध न होने के कारण हर विद्यालय के शिक्षा स्तर में जो कमियाँ रह जाती हैं, उनकी सूची बनाइए।
2. निम्नलिखित के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की आवश्यकताओं की सूची तैयार कीजिए :—
   (क) प्रदर्शन पाठ,
   (ख) शिक्षकों की योग्यताओं को बढ़ाना,
   (ग) शिक्षण में सहायक सामग्री की व्यवस्था,
   (घ) प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन करना,
   (ङ) विषय अध्यापन एवं अधिगम।
3. अपने पड़ोस के निम्न प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों (जू० हा० स्कूल) और माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम की योजना तैयार कीजिए।
4. दूसरे शिक्षकों तथा विद्यालयों के लाभ के लिए विद्यालय शिक्षकों की प्रतिभा, श्रेष्ठता तथा योग्यता के उपयोग के उपाय सुझाइये, साथ ही उनके क्षेत्रों का भी उल्लेख कीजिए।
5. उन क्षेत्रों की सूची तैयार कीजिए जहाँ शिक्षक और विभिन्न स्तरों पर अकेले काम करने के बजाय यदि वे साथ-साथ काम करें तो बेहतर परिणाम निकलेंगे।

संगठनात्मक ढाँचा

विद्यालय संकुल बनाने के उद्देश्य से विद्यालयों को दो प्रकार से सम्बद्ध किया जा सकता है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्राथमिक और जू० हा० स्कूलों की व्यवहार्य संख्या को किसी जू० हा० स्कूल के नेतृत्व में अथवा एक संकुल के रूप में संगठित किया जा सकता है। ऐसे विद्यालयों को प्रमुख विद्यालय अथवा केन्द्रीय विद्यालय कह सकते हैं। यदि

उपयुक्त दूरी की सीमा में कोई माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध न हो तो प्राइमरी विद्यालयों को एक जू० हा० स्कूल के नेतृत्व में आबद्ध किया जा सकता है। इस दशा में उक्त जू० हा० स्कूल "प्रमुख" विद्यालय रहेगा।

प्रमुख विद्यालय के प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में एक समिति काम करेगी। विद्यालय संकुल में सम्मिलित प्रत्येक विद्यालय का प्रधानाध्यापक इस समिति का सदस्य होगा।

विद्यालय संकुल में शामिल विद्यालयों के नियोजन तथा विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए यह समिति उत्तरदायी होगी। यह समिति क्षेत्र में सभी विद्यालयों का दिशा-निर्देश भी करेगी। पर्यवेक्षण कर्मचारियों के सामान्य निर्देशों के अधीन विद्यालय संकुलों को अपने कार्यक्रम बनाने की पर्याप्त स्वतंत्रता रहेगी। शैक्षिक सुधार की दृष्टि से आवश्यक होने पर शिक्षा अधिकारी इस समिति को अपने कुछ अधिकार सौंप सकते हैं और उसके कार्य निर्धारित कर सकते हैं।

कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि संकुल के प्रमुख को निम्नांकित सुझावों के अनुसार पर्याप्त अधिकार और दायित्व प्रदान किये जायें:—

1. संकुल बच्चों के मूल्यांकन और उन्हें एक से दूसरी कक्षा में प्रोन्नत करने की अधिक अच्छी विधियों का उपयोग करने के लिए इकाई के रूप में काम कर सकता है।
2. संकुल को सभी विद्यालयों के लिए संयुक्त रूप से कुछ सुविधाएं और उपकरण जैसे प्रोजेक्टर, टेपरिकार्डर आदि प्रदान करना सम्भव हो सकता है।
3. शिक्षकों को सेवारत शिक्षा प्रदान करना और कम योग्यता वाले शिक्षकों की योग्यता बढ़ाना संकुल का एक महत्वपूर्ण दायित्व होगा। शिक्षकों की बैठकों, कार्यशालाओं, प्रदर्शन पाठों, फिल्म शो और सेमिनारों का प्रबन्ध किया जा सकता है।
4. विद्यालय संकुल की समिति द्वारा निश्चित किये गये दिशा-निर्देशों के प्रकाश में हर विद्यालय आगामी शिक्षा वर्ष के लिए अपने कार्य की रूपरेखा तैयार करेगा।
5. माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक दिशा-निर्देश और समर्थन प्रदान करने के लिए जितनी बार सम्भव होगा, जू० हा० स्कूलों अथवा प्राथमिक विद्यालयों के दौरे करेंगे।
6. विद्यालय संकुल का उपयोग नयी पाठ्य-पुस्तकों, शिक्षकों के गाइडों तथा शिक्षक-उपकरणों के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है।
7. विद्यालय संकुल स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में संशोधन कर सकते हैं।

दमन जिले में विद्यालय संकुल के एक अध्ययन (जे० जे० आर० आनन्द) में बताया गया है कि उक्त दो समितियों के अतिरिक्त, संकुलों में वहाँ निम्न समितियां भी हैं:—

1. सांस्कृतिक समिति
2. पत्रिका समिति
3. परीक्षा समिति
4. खेल समिति
5. साहित्य समिति
6. भ्रमण समिति
7. परियोजना समिति
8. सूचनापत्र समिति
9. प्रबन्ध समिति
10. बालसभा समिति
11. प्रदर्शनी समिति

12. प्रौढ़ शिक्षा समिति, और

13. 20 सूत्री कार्यक्रम समिति ।

ध्यान देने की बात यह है कि प्रबन्ध सम्बन्धी ढांचे में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है ।

कुछ प्रारम्भिक उपाय

1. जिला शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी, एन० सी० ई० आर० टी० नीपा, एस० सी० ई० आर० टी०, एस० आई० ई० आदि विभिन्न सूत्रों से उपलब्ध विद्यालय संकुल सम्बन्धी साहित्य का सर्वेक्षण कर सकते हैं ।
2. अधीनस्थ अधिकारियों का, जिनमें विद्यालयों के मुख्याध्यापक भी शामिल हैं, सम्मेलन बुला सकते हैं और इसमें किसी विचार पर खुली चर्चा की जा सकती है ।
3. कार्यक्रम की योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर/खण्ड स्तर पर एक समिति बना सकते हैं ।
4. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय विद्यालय से विद्यालय संकुल में सम्मिलित किसी भी विद्यालय की दूरी 8 किलोमीटर से कम ही रहे, क्षेत्र को सभी विद्यालयों को व्यावहारिक संकुलों में आबद्ध कर सकते हैं।
5. केन्द्रीय विद्यालयों का चुनाव कर सकते हैं ।
6. संकुल में सम्मिलित सभी विद्यालयों के मुख्याध्यापकों की समिति बना सकते हैं ।
7. उप समितियों का निर्माण करना ।
8. प्रत्येक सदस्य विद्यालय की आवश्यकताओं और साधनों का पता लगाना ।
9. संकुल के लिए क्रियाकलापों की सूची तैयार करना ।
10. प्रगति-अवलोकन और मूल्यांकन के लिए कार्यविधि तय करना ।

अभ्यास 2

अपने विद्यालय से 8 किलोमीटर की परिधि के अन्दर के विद्यालयों को ध्यान में रखते हुए आप अब अपने क्षेत्र में विद्यालय-संकुल के संगठन के लिए मोटे तौर पर एक रूपरेखा तैयार करने का प्रयास कर सकते हैं । रूपरेखा में विद्यालयों की संख्या तथा प्रकार (माध्यमिक या प्राथमिक), शिक्षकों, छात्रों की संख्या, उपलब्ध साधन, और सदस्य विद्यालयों की कुछ तात्कालिक आवश्यकताओं का संकेत रहना चाहिए । केन्द्रीय विद्यालय के नाम का भी उल्लेख होना चाहिए । सम्भव हो तो संकुल के अन्दर के विशेषज्ञों की सूची भी दीजिए, जो गुणात्मक सुधार के कार्यक्रम के प्रयत्नों में सहायक हो सकें । आप जो विभिन्न समितियां बनाना चाहते हैं, उनका संकेत देने का भी प्रयास कर सकते हैं ।

विद्यालय संकुल के क्रिया-कलाप

संकुल अनेक प्रकार के क्रिया-कलाप हाथ में ले सकता है ।

विभिन्न संकुल शिक्षण और अधिगम में सुधार के लिए भिन्न-भिन्न क्रिया-कलाप अपना सकते हैं । इसलिए प्रत्येक संकुल को अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं के अनुसार कुछ प्राथमिकताएं निश्चित करनी होंगी । इसका निर्धारण

आन्तरिक रूप से, विकेन्द्रीकृत नियोजन तथा संगठन द्वारा किया जाना चाहिए न कि किन्हीं बाहरी निर्देशों के आधार पर। विद्यालय संकुल के लिए कुछ क्रिया-कलापों का सुझाव इस प्रकार है :—

अनिवार्य

1. सम्पूर्ण संकुल के लिए वार्षिक योजना का निर्माण।
2. सदस्य विद्यालयों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं का निर्माण।
3. पुस्तकालय की पुस्तकों, पत्रिकाओं, विज्ञान उपकरणों, श्रव्य-दृश्य सहायक उपकरणों, खेल-कूद सामग्री तथा फर्नीचर आदि जैसी भौतिक सुविधाओं का संकुल के सदस्य विद्यालयों के बीच आदान-प्रदान।
4. बालक केन्द्रित अधिगम को बढ़ाने के लिए प्रदर्शन-पाठों का आयोजन।
5. मूल्यांकन प्रणाली में सुधार—मिली-जुली परीक्षाएँ।
6. विषय समितियों के द्वारा विषय के शिक्षण में सुधार।
7. माध्यमिक विद्यालयों के मुख्याध्यापक द्वारा पर्यवेक्षण और दिशा-निर्देश।
8. प्रयोगों और आविष्कारों को प्रोत्साहित करना।
9. विद्यालयों में प्रवेश, उनकी धारण क्षमता और परिणामों में सुधार।

ऐच्छिक

1. प्रदर्शनियों का आयोजन।
2. मिले-जुले समारोहों का आयोजन जिनमें खेल-कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हों।
3. शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए कार्यशालाओं तथा सेमिनारों का आयोजन।
4. शिक्षकों द्वारा विषय सम्बन्धी पर्यवेक्षण।
5. उन्नत प्रकार की शिक्षण सामग्री तैयार करना।
6. अध्ययन मण्डलों की स्थापना।
7. खेल के मैदान का उपयोग।
8. न्यूनतम कार्य और अपेक्षाओं का निर्धारण
9. समाज सेवा सम्बन्धी क्रिया-कलाप और समाजोपयोगी उत्पादक कार्य (सउका)।
10. विद्यालय संकुल का सूचना पत्र/पत्रिका।
11. सामुदायिक सुधार कार्यक्रम।
12. कार्यानुभव।
13. उपयोगी-भ्रमण और स्थान-दर्शन।
14. परियोजनाएँ।
15. शिक्षकों और छात्रों के लिए सामान्य प्रतियोगिताएँ।

अभ्यास–3

आपके सामने विद्यालय-संकुल की अवधारणा अब कुछ स्पष्ट है। विद्यालय संकुल संगठित करने के लिए कुछ प्रारम्भिक उपायों से भी आप परिचित हैं। आपके क्षेत्र में संकुल का निर्माण होने की दशा में आप उसके द्वारा सम्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के क्रिया-कलापों के विषय में क्या सोच सकते हैं? ऐसे क्रिया-कलापों की एक सूची तैयार कीजिए जो बहुत महत्त्वाकांक्षी न हो।

अभिलेख जिन्हें सुरक्षित रखना है—

संकुल के स्तर और साथ ही विद्यालय के स्तर पर भी निम्नलिखित अभिलेखों को सुरक्षित रखना वांछनीय होगा :—

1. विद्यालय संकुल की वार्षिक योजना।
2. हर सदस्य विद्यालय की अपनी संस्थागत योजना।
3. हर विद्यालय के शिक्षकों तथा छात्रों के बारे में जानकारी।
4. दिये गये प्रदर्शन-पाठ और उन पर चर्चा।
5. संकुल द्वारा स्थापित विषय समितियां, अन्य समितियां।
6. भौतिक सुविधाओं का आदान-प्रदान।
7. विद्यालयों के मुख्याध्यापकों की समिति।
8. विद्यालय संकुल के ऐच्छिक क्रियाकलाप।
9. पर्यवेक्षण सम्बन्धी टिप्पणियों का रजिस्टर।
10. मूल्यांकन रिपोर्ट।
11. प्रयोग और नये परीक्षणों की रिपोर्ट।

विभिन्न राज्यों की गतिविधियां

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गोआ-दमन-दीव में भिन्न-भिन्न मात्रा में सफलता के साथ विद्यालय संकुल स्थापित किये गये हैं।

महाराष्ट्र में RAPPORT (रेपोर्ट) आधारित विद्यालय संकुल

महाराष्ट्र में इस अवधारणा का विस्तार कर विद्यालयों के सुधार का (RAPPORT) (रेपोर्ट) आधारित कार्यक्रम लागू किया गया है।

RAPPORT के विभिन्न अक्षरों का आशय इस प्रकार है :—

R = (Rise from slumber) नींद से जागिये।

A = (Assess ourselves and our performance critically) अपना और अपने काम का सूक्ष्म (Critically) मूल्यांकन कीजिए।

P = (Plan our activities thoroughly)
अपने क्रियाकलापों की अच्छी तरह से योजना बनाइए।

P = (Proceed on lines firmly)
अपने मार्ग पर दृढ़तापूर्वक आगे बढ़िये।

O = (Organise ourselves from within and without quickly) भीतर से और बाहर से अपने को शीघ्र संगठित कीजिए।

R = (Reach the community patiently and)
समुदाय तक धैर्यपूर्वक पहुँचिये और

T = (Trust our own potential and that of our colleagues, teachers and pupil fully).
अपनी निजी और अपने साथियों, शिक्षकों तथा छात्रों की क्षमता पर पूरा भरोसा कीजिए।

1982 में कुछ राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश) के एक अध्ययन दल ने निपा के तत्वावधान में महाराष्ट्र के 50 से अधिक विद्यालय संकुलों का दौरा किया। दल के सदस्यों का सर्वसम्मत विचार था कि महाराष्ट्र का 'रेपोर्ट' आधारित कार्यक्रम एक सफल तथा नया प्रयोग है और इसके फलस्वरूप विद्यालयों में छात्रों की प्रवेश में वृद्धि हुई हैं। विद्यालयों की धारण क्षमता की दर में सुधार हुआ है और परीक्षा में अधिक अच्छे परिणाम रहे हैं। इसने विद्यालयों की सुविधाओं में सुधार, विद्यालय की सजावट और समुदाय की सहायता तथा भागीदारी के विकास में एक अच्छे साधन के रूप में कार्य किया है।

आधुनिक पर्यवेक्षण

शिक्षा अधिकारियों तथा प्रधानाध्यापकों द्वारा पर्यवेक्षण लोकतान्त्रिक और रचनात्मक होना चाहिए। पर्यवेक्षण की परिभाषा इस प्रकार की गयी है—"शिक्षकों के साथ कार्य करना जो छात्रों के साथ काम कर रहे हैं।" हर स्तर पर पर्यवेक्षकों को छात्रों में ज्ञान वृद्धि के लिए काम करना चाहिए। पढ़ाने की अपेक्षा सीखने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। पर्यवेक्षकों की कक्षा में छात्रों का ज्ञान बढ़ाने के उपाय अपनाने चाहिए। पर्यवेक्षकों को उचित दिशा-निर्देश, नेतृत्व और प्रदर्शन के द्वारा यह बताना चाहिए कि शिक्षक किस प्रकार कुशल अध्यापक बन सकते हैं। व्यक्ति उन्मुख और बालक केन्द्रित शिक्षा दी जानी चाहिए। विद्यालयों की दिशा-निर्देश देना और विस्तार सेवाओं की व्यवस्था करना आधुनिक पर्यवेक्षण का एक बड़ा दायित्व है।

शिक्षा कार्यक्रमों का पूर्व-आयोजन, समयबद्ध कार्यक्रमों को तैयार करना, प्रगति अवलोकन तथा मूल्यांकन कार्य विद्यालय संकुलों के माध्यम से प्रभावी ढंग से किये जा सकते हैं। पर्यवेक्षण कार्य कई सूत्रों से हो सकता है जिनमें निरीक्षक अथवा शिक्षा अधिकारी केवल एक सूत्र है। संस्था का प्रमुख, विद्यालय के वरिष्ठ सहयोगी, माता-पिता और पूरा समुदाय कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण सूत्र हैं जहाँ से पर्यवेक्षण की सेवाएँ उपलब्ध हो सकती है। इसके अतिरिक्त जन-संचार साधन जैसे—पत्र-पत्रिकाएँ, रेडियो, टी० वी० आदि भी पर्यवेक्षण के सूत्र हैं। सुसंगठित विद्यालय संकुल इन सभी सूत्रों से लाभ उठा सकता है और अपने सदस्य विद्यालयों को भी आधुनिक पर्यवेक्षण का लाभ दिला सकता है।

अभ्यास 4

प्रबन्ध और देखभाल के अधिकारों की विकेन्द्रित करना विद्यालय संकुलों को संगठित करने का एक मुख्य उद्देश्य है। पर्यवेक्षण ऐसी सेवा है जो सर्वांगीण प्रगति के लिए हर विद्यालय को मिलनी चाहिए। विद्यालय संकुल इस दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप जानते हैं कि शिक्षा में पर्यवेक्षण के विभिन्न सूत्र होते हैं। क्या आप ऐसे सूत्रों की व्यापक सूची बनाने का प्रयास कर सकते हैं? पर्यवेक्षण के सूत्रों में विद्यालय संकुल का क्या स्थान है? कुछ ऐसे क्षेत्रों का संकेत दीजिए जहाँ विद्यालय संकुल विद्यालयों की पर्यवेक्षण सम्बन्धी सेवाएँ प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो सकें।

अभ्यास 5

आप अब विद्यालय सकुल संगठित करने की आवश्यकता और उनके महत्त्व को समझ चुके हैं। आप विद्यालय संकुल के संगठन के लिए उठाये जाने वाले विभिन्न उपायों से भी परिचित हैं। आप उन प्रासंगिक, गतिविधियों को भी पहचान सकते हैं। जो आपके क्षेत्र में विद्यालय संकुल अपने हाथ में ले सकता है। विद्यालय संकुलों की सफलता का कुछ विवरण भी आपके सामने आ चुका है। संकुल में काम करते हुए आपके सामने कुछ कठिनाइयाँ आने की सम्भावना है। क्या, आप उनमें से कुछ को पहचान सकते हैं? और उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट सकते हैं? जैसे—प्रशासनिक, वित्तीय, व्यक्तिगत, सामाजिक आदि। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आप क्या उपाय सुझायेंगे? इन्हें अलग कागज पर लिखिये।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्मित

विद्यालय में खेलकूद तथा पाठ्य सहगामी क्रिया-कलापों का आयोजन

भूमिका

बालक-बालिका के सर्वांगीण एवं सर्वतोमुखी विकास के लिए खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी क्रिया-कलापों के आयोजन की उपयोगिता अपरिहार्य है। बालकों को बौद्धिक विकास के लिए जहाँ पुस्तकीय ज्ञान देना आवश्यक है, वहीं उनको व्यावहारिक ज्ञान तथा सामाजिक-कार्यकुशलता में निपुणता प्राप्त करने के लिए, खेलकूद तथा पाठ्य सहगामी क्रिया-कलापों का आयोजन विद्यालयों में किया जाना आवश्यक है। बच्चों में अन्तर्निहित विभिन्न प्रकार की अभिवृत्तियों, अभिरुचियों को विकसित एवं मुखरित करना आवश्यक है और यह कार्य खेलकूद तथा पाठ्य सहगामी क्रिया-कलापों से ही सम्भव है।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आपको :

(1) खेलकूद तथा पाठ्य सहगामी क्रिया-कलापों की उपयोगिता की पूरी जानकारी हो जायगी।

(2) खेलकूद तथा पाठ्य सहगामी क्रिया-कलापों के आयोजन से बालकों में कौन-कौन से सद्गुणों का विकास हो जाता है, का ज्ञान हो जायेगा।

(3) जीवन के लिए शारीरिक स्वस्थता तथा मानसिक स्वस्थता दोनों ही आवश्यक हैं, की अनुभूति हो जायगी।

(4) खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी क्रिया-कलापों के आयोजन करने की विधा की जानकारी हो जायगी।

(5) खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों तथा प्रतियोगिताओं के आयोजन में किन-किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, का आभास हो जायेगा।

(6) खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों के आयोजन हेतु किन-किन उपकरणों, सामानों तथा साधनों की आवश्यकता पड़ सकती है, की परिचयात्मक जानकारी प्राप्त हो जायगी।

(7) विद्यालय में खेलकूद तथा पाठ्यसहगामी क्रिया-कलापों की व्यवस्था तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन सरलतापूर्वक कर सकेंगे।

संक्षिप्त विवरण

वैसे प्रारम्भ से ही विद्यालयों में खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी क्रिया-कलापों का आयोजन किया जाता है, जनपदीय मण्डलीय, राज्य राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगितायें होती रहती हैं, किन्तु इनमें सभी बच्चों की सहभागिता नहीं हो पाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत खेलकूद, योगासन, स्काउट-गाइड, रेडक्रास तथा पाठ्य सहगामी क्रिया-कलापों की व्यवस्था एवं आयोजन पर विशेष बल दिया गया है।

क्रियापत्रक-1

खेलकूद तथा पाठ्य सहगामी कार्य-कलाप की आवश्यकता, महत्त्व बताइए	एकल कीजिए लिखाइए चर्चा कीजिए

प्रतियोगिता के आयोजन की सामान्य बातें

1—भाग लेने वाली टीम को प्रविष्टि हेतु सूचित करना, समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कराना।

2—संख्या के अनुसार फिक्सचर तैयार करना, नाक आउट प्रणाली में विजेता, उप विजेता को अलग-अलग हाफ में रखना। खेलकूद कार्यक्रम में लीग के अनुसार हर एक टीम की आपस में प्रतियोगिता सम्पन्न कराना।

3—खेलकूद की प्रतियोगिता के लिए, उनसे संबंधित उपकरण की व्यवस्था करना, पाठ्य-सहगामी कार्य-कलापों के लिए आवश्यक सामग्री—वाद्य, रस्सी, वेश-भूषा, सजावट के सामान तथा रंग-मंच की व्यवस्था करना।

4—खेल-कूद के लिए स्थान की मार्किंग करना, पाठ-सहगामी क्रिया-कलाप के लिए स्थान को निश्चित करना, ध्वनि विस्तारक यन्त्र की व्यवस्था करना।

5—प्रतियोगिता की नियमावली स्पष्ट तथा सरल बनाना। नियमावली से प्रत्येक टीम को अवगत कराना जिससे प्रतियोगिता में किसी प्रकार का विवाद न हो।

6—प्रतियोगिता के निर्णय के लिए अनुभवी, विशेषज्ञ तथा नियमों की जानकारी रखने वाले, निर्णायकों की नियुक्ति करना।

7—प्रतियोगिता का उद्घाटन तथा समापन की प्रक्रिया स्पष्ट हो और अल्प समय में सम्पादित की जाय।

8—मुख्य अतिथि के आने के पूर्व सारी व्यवस्था पूर्ण कर ली जाय।

9—उद्घाटन समारोह के अवसर पर भाषण सूक्ष्म होना चाहिए। आवश्यक प्रसारण के पश्चात् मुख्य अतिथि से प्रतियोगियों के परिचय कराने के अनन्तर कार्य प्रारम्भ किया जाय।

10—खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की प्रतियोगिताओं का आयोजन बजट के अनुसार करना चाहिए। जहाँ तक हो मितव्ययता से कार्य किया जाय।

11—प्रतियोगिता में उत्पन्न विवादों के निर्णय के लिए "विवाद निर्णय समिति" की व्यवस्था की जाय।

12—समाप्त हुई प्रतियोगिताओं का विवरण रखा जाये और प्रसारण के लिए समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराया जाय।

13—पुराने खिलाड़ियों, साहित्यकारों, कलाकारों तथा सम्मानित व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाय।

14—समापन समारोह का आयोजन निर्धारित समय पर हो, भाषण आदि कार्य, पुरस्कार वितरण के पश्चात् किये जायें।

15—प्रतियोगिताएँ नियमानुकूल हों तथा प्रतिभागियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय।

क्रियापत्रक-2

खेल-कूद तथा पाठ्य-सहगामी क्रियाकलापों के आयोजकों को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।	एकत्र कीजिए विचार-विमर्श कीजिए मिलाइए

खेल-कूद प्रतियोगिता में निम्नलिखित प्रतियोगिताएँ सम्मिलित की जा सकती हैं :—

1—खेल—कबड्डी, खो-खो, फुटबाल, हाकी आदि

2—कूद अर्थात एथलेटिक्स–(1) धावन 50, 100, 200, 400, 800
1500, 3000, 5000 मीटर की दौड़
तथा बाधादौड़, झण्डी दौड़ आदि।

(3) प्रक्षेपण—जैसे बाल (क्रिकेट अथवा टेनिस), हैमर, गोला, भाला, चक्र।

(4) कूद—लम्बी, ऊँची, लट्ठा और उछल कदम रथ कूद।

एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए ट्रैक, उपकरण तथा निर्णायकों की आवश्यकता होती है साथ ही प्रतिभागियों की सुरक्षा भी आवश्यक होती है। एथलेटिक्स प्रतियोगिता के आवश्यक उपकरण हैं—गोला, चक्र, हैमर, भाला, लट्ठा, जम्पिंग स्टैंड, जम्पिंग पट, गद्दा क्रिकेट तथा टेनिस बाल, डोरी, चूना, सीटी, स्टॉप वाच, स्काउटिंग, पिस्टल, गन, कार्क, झंडियाँ, टेप, क्लिप बोर्ड, विजय स्तम्भ, फावड़ा, कुदाल तथा आवश्यक स्टेशनरी आदि।

अन्य पाठ्य सहगामी क्रिया-कलापों के सम्पादन में निम्नांकित उपकरण आवश्यक होते हैं—

(क) वाद्य यंत्र—ढोल, तबला, हारमोनियम, मंजीरा, घुंघरू, माइक, टेपरिकार्डर आदि।

(ख) साज-सज्जा—रंग मंच, पर्दा, दरी, रंग पेंट, आवश्यक परिधान आदि।

अन्य पाठ्य सहगामी क्रिया-कलापों के अन्तर्गत खेलकूद के साथ ही साथ जूनियर रेडक्रास एवं प्राथमिक चिकित्सा, स्काउटिंग गाइडिंग, एन० सी० सी०, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक क्रियाएँ जैसे–वाद-विवाद, कवि सम्मेलन, मुशायरा, कविता पाठ प्रतियोगिता, निबंध, अन्त्याक्षरी, लोकगीत एवं लोकनृत्य, नाटक, सामूहिक गान, विद्यालय प्रकाशन, शैक्षिक मुद्रण आदि के कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं जिससे छात्र-छात्राओं में स्वस्थ स्पर्धा की भावना जागृत हो सके। ये कार्यक्रम उनमें राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकता, भाई चारा, अपनत्व, सहनशीलता, श्रमनिष्ठा, उदारता, त्याग, बलिदान आदि गुणों के विकास में सहायक होते हैं तथा छात्र-छात्राओं का सर्वांगीण तथा बहुमुखी विकास होता है।

क्रियापत्रक-3

खेलकूद तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए किन-किन प्रमुख उपकरणों की आवश्यकता होती हैं?	एकत्र कीजिए मिलाइए विचार कीजिए

पाठ्य सहगामी क्रिया-कलापों का आयोजन कैसे करें

1—प्रातः सभा

1. निर्धारित समय, निर्धारित स्थान पर सभा, उपस्थिति लेना, प्राचार्य द्वारा संचालन प्रार्थना, उद्बोधन सूचनाएं, राष्ट्रगान।
2. श्याम पट पर समाचारों का लिखना।
3. गणवेश—विद्यालय के लिए गणवेश का निर्धारण करना, उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय वस्त्र विक्रेताओं, टेलर्स आदि का सहयोग प्राप्त करना। अध्यापक-अभिभावक संघ का गणवेश की महत्ता पर प्रकाश डालना, स्वतंत्र गणवेश में विद्यालय में उपस्थित होने की अनिवार्य बनाना।
4. निरीक्षण के समय देखना कि विद्यालय में नित्य प्रातः सभा होती है। राष्ट्रीय गीतों का जिस विद्यालय में आदर्श रूप में गान होता है उसको टेप कराना और उसे अन्य विद्यालयों में उपलब्ध कराना।
5. सर्वधर्म प्रार्थनाओं और राष्ट्रीय गीतों का चयन तथा पुस्तकों के रूप में प्रकाशन, कैसेट्स का निर्माण एवं वितरण। सामूहिक गान प्रशिक्षण के लिये अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था।
6. राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल, इण्टर के छात्र-छात्राओं के लिये गणवेश निर्धारित करना।

2. सामूहिक पी० टी०

1. प्रत्येक शनिवार को प्रातः आधे घन्टे तक सामूहिक व्यायाम की व्यवस्था करना।
2. संभागीय रैली में सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन, संभागीय रैली में सामूहिक पी० टी० की प्रतियोगिता आयोजित करना।
3. बालिका विद्यालयों में जहाँ पद न हो, पी० टी० आई० के पद का सृजन।

3. खेल-कूद

1. विद्यालय क्रीड़ा क्षेत्रों का विस्तार करना।
2. क्रीड़ा शुल्क का समुचित उपयोग करना।
3. विद्यालयी स्तर पर हाउस सिस्टम के आधार पर प्रतियोगितायें आयोजित करना, अन्तर्विद्यालयी प्रतियोगिताओं में भाग लेना।
4. विभिन्न खेलों के कैप्टन तथा विशिष्ट खिलाड़ियों को पुरस्कार देने की व्यवस्था करना।
5. इन्डोर गेम्स की व्यवस्था करना।
6. जनपदीय स्तर पर खेल-कूद प्रतियोगितायें आयोजित करना, उदार संस्थाओं के माध्यम से शील्ड्स की व्यवस्था करना, एन० आर० ई० पी० सेवाओं से क्रीड़ा स्थलों का निर्माण एवं विस्तार करना।
7. मंडल स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पुरस्कृत करना।
8. क्रीड़ा अनुदान उपलब्ध करना, जिले स्तर पर मंडल स्तर पर रैलीज के लिये अनुदान स्वीकृत करना, विभिन्न स्तरों के लिये क्रीड़ा शुल्क निर्धारित करना जैसे कक्षा 1, 2 में 2 रु० प्रति वर्ष, 3-5 में 3 रु० प्रतिवर्ष, 6-8 में 1 रु० मासिक, 9-12 में 1.50 मासिक क्रीड़ा शुल्क लगाने के लिये आदेश निर्गत करना। छात्रवृत्ति की संख्या में वृद्धि करना।
9. अनुदान की व्यवस्था करना।

4—क्लब, परिषद्, संघ, आदि

1. साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक विधाओं से सम्बन्धित क्लबों, संघों, परिषदों, आदि का गठन। विविध क्रियाकलापों जैसे वाद-विवाद, भाषण, लेखन, अंकन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अभिनव सामूहिक गान आदि का आयोजन, विषय की महत्ता के अनुकूल शुल्क लेना।
2. निरीक्षण के समय इन क्लबों, परिषदों, संघों आदि के क्रिया-कलापों से अवगत होना, उनको उन्नत बनाने के लिये सुझाव देना।
3. जिला स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन।
4. प्रत्येक छात्र के लिये कम से कम एक क्लब, परिषद अथवा संघ का सदस्य होना अनिवार्य बनाना। सदस्यता शुल्क का निर्धारण।
5. संघ की सदस्यता शुल्क की दर निश्चित करके राजाज्ञा का निर्गत करना।

5—प्रदर्शनी

1. वैज्ञानिक, रचनात्मक, कलात्मक आदि प्रदर्शनियों का आयोजन, आवश्यकतानुसार प्रदर्शनियों के आयोजन के लिये प्रति छात्र अभिभावक प्रदर्शनी शुल्क लेना।
2. प्रदर्शनी प्रतियोगितायें आयोजित करना।
3. संभागीय स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन।

6—प्रीफेक्ट बोर्ड

1. विद्यालय के विविध कार्य-कलापों जैसे स्पोर्ट स. स्वास्थ्य एवं सफाई, पुस्तकालय सेवा, अध्ययन, आदि के लिये

छात्र प्रीफेक्टस (नायकों) का चयन करना। बोर्ड की मासिक बैठक में विद्यालय के क्रिया-कलापों की समीक्षा करना।

2. प्रतियोगितायें आयोजित करना।

7—पुस्तकालयी सेवा

1. पुस्तकालय का संवर्द्धन, महापुरुषों की जीवनियों, साहसिक यात्राओं, चरित्र निर्माण सम्बन्धी साहित्य, पत्र-पत्रिकाओं को विशेष स्थान देना।
2. उत्कृष्ट पुस्तकों के सारांशों, उद्धरणों आदि का प्रकाशन, छात्र इसमें अधिक सहयोग दें, उन्हें पुरस्कृत करना, विषय कुछ भी जैसे पुस्तकालय सेवा, कक्षा पुस्तकालय सेवा का गठन, कक्षा अध्यापक, पुस्तकालय का इंचार्ज हो। मानीटर, सहायक हो सकता है।
3. पुस्तकालय सेवा का निरीक्षण—उपयोग हुआ है अथवा नहीं। छात्रों द्वारा विशेष रूप से पढ़ी जाने वाली पुस्तकों का वीक्षण।
4. चरित्र निर्माण में सहायक पुस्तकों की सूचना प्रकाशित करना।
5. पुस्तकालय अनुदान में वृद्धि, चरित्र निर्माण सम्बन्धी साहित्य को सस्ते मूल्यों पर प्रकाशित करना, ऐसे प्रकाशकों की उत्कृष्ट पुस्तकों को पुरस्कृत करना।
6. उत्तम पुस्तकों को विद्यालयों के लिये संस्तुति।
7. राजकीय विद्यालयों के रीडिंग रूम शुल्क को छात्रों की निधि के रूप में परिवर्तित किया जाय।

8—अध्यापक अभिभावक संघ

1. विद्यालय का अभिभावकों से सम्बन्ध बढ़ाने के लिये अध्यापक अभिभावक संघ की स्थापना करना। संघ की सहायता से भौतिक एवं आर्थिक संसाधनों को जुटाना, संघ के माध्यम से निर्धन एवं प्रतिभावान छात्रों के लिये छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विद्यालय के पाठ्यक्रमीय पाठ्येतर क्रियाकलापों के सम्पादन में सहायता प्रदान कराना।
2. निरीक्षण के समय अध्यापक अभिभावक संघ को सम्बोधित करना, उनकी समस्याओं को समझना और निराकरण करने हेतु समाधान निकालना।

9—विद्यालय प्रांगण का सौन्दर्यीकरण

1. छात्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों के सहयोग से विद्यालय परिसर की स्वच्छता, बागवानी, वृक्षारोपण, वृक्षों की सिंचाई, संरक्षण आदि की व्यवस्था।
2. निरीक्षण तथा वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जन कल्याण विभाग आदि से विद्यालय को सुविधायें उपलब्ध कराना।

10—विशिष्ट आयोजन

1. राष्ट्रीय पर्व, महापुरुषों के जन्म दिवस, महत्त्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों, वार्षिक उत्सव आदि का आयोजन करना, उत्कृष्ट प्रतिभागियों, (उत्कृष्ट प्रीफेक्टस, आदर्श छात्रों आदि) को कक्षा गौरव, कक्षारत्न, विद्यालय गौरव आदि की उपाधियों से सम्मानित करना।
2. अलंकरण समारोह का आयोजन।

11—राष्ट्रीय एवं समाज सेवा

1. एन० सी० सी०, स्काउट्स तथा फर्स्ट ऐड सर्विस, रेडक्रास आदि राष्ट्रीय एवं समाज सेवा सम्बन्धी कार्यक्रमों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, सामाजिक सेवा कार्य सेवा जैसे सामुदायिक कार्य, श्रमदान आदि।

2. निरीक्षण के समय इन सेवाओं को देखने तथा जिला कैम्प का आयोजन।

12—छात्र कल्याण की योजना

1. विद्यालय परामर्श सेवा उपलब्ध कराना।
2. प्रतिभावान छात्र की अन्तर्निहित क्षमता को विकसित करना।
3. विकारग्रस्त को उनके विकारों से मुक्त कराना आदि।
4. मण्डलीय मनोवैज्ञानिक से मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त कराना।

13—श्रव्य दृश्य उपकरण—टेलीविजन चलचित्र

1. साहसिक, पुरुषों, अन्वेषकों, वैज्ञानिकों, महापुरुषों आदि के जीवन पर प्रकाश डालने वाले चलचित्रों का प्रदर्शन, दूरदर्शन पर आयोजित नैतिक शिक्षा सम्बन्धी विचार-विमर्श को दिखाना।
2. शैक्षिक चलचित्रों का निर्माण कराना, एतदर्थ आर्थिक सहायता प्रदान करना। दल द्वारा छात्र/छात्राओं में चरित्र निर्माण के सम्बन्ध में विद्यालय के सत्रीय कार्यक्रम की माहवार रूपरेखा तैयार की गयी, जो निम्नवत् है—

क्रियापत्रक-4

भिन्न-भिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन में किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए।	एकत्र कीजिए मिलाइए विचार कीजिए

माह :	सत्र पर्यन्त पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का संचालन
जुलाई	1. प्रधानाचार्य, अभिभावक, अध्यापक एवं छात्र-छात्रा संवाद। 2. अध्यापक, अभिभावक संघ का गठन व प्रथम बैठक। 3. वृक्षारोपण सप्ताह।
अगस्त	1. सदन प्रणाली का गठन। 2. विद्यालय की सभी समितियों तथा परिषदों का गठन तथा छात्र/छात्रा पदाधिकारियों का चयन एवं मनोनयन। 3. सदन प्रणाली प्रतियोगितायें तथा शरदकालीन खेल-कूद प्रतियोगिताओं की तैयारी। 4. वृक्षारोपण। 5. स्वतन्त्रता दिवस का आयोजन।
सितम्बर	1. 5 सितम्बर, 8 सितम्बर राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन। 2. शरदकालीन प्रतियोगितायें। 3. सदन प्रणाली प्रतियोगितायें। 4. स्काउटिंग एवं गाइडिंग शिविर। 5. अध्यापक-अभिभावक संघ की बैठक।

अक्टूबर
1. 2 अक्टूबर, 24 अक्टूबर पर्वों का आयोजन।
2. सदन प्रणाली प्रतियोगितायें।
3. खेल-कूद, स्काउटिंग, गाइडिंग, जूनियर रेडक्रास एवं सेन्ट जोन एम्बूलेन्स, जनपदीय रैली।
4. जनपदीय विज्ञान प्रदर्शनी।
5. दशहरा उत्सव।

नवम्बर
1. सदन प्रणाली प्रतियोगितायें।
2. शीतकालीन खेल-कूद प्रतियोगितायें।
3. मण्डलीय एवं राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगितायें।
4. मण्डलीय खेल-कूद प्रतियोगितायें।
5. पैगम्बर मुहम्मद का जन्म दिवस।
6. बाल-दिवस कार्यक्रम।
7. गुरु नानक जन्म दिवस।

दिसम्बर
1. राज्य स्तरीय खेल-कूद प्रतियोगिता।
2. वृक्षारोपण (शीतकालीन)।
3. अलंकरण समारोह।
4. सम्पूर्णानन्द वाद-विवाद प्रतियोगिता (जनपदीय एवं मण्डलीय)।
5. अध्यापक अभिभावक संघ की बैठक।
6. क्रिसमस पर्व।

जनवरी
1. राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगितायें।
2. राज्य स्तरीय सम्पूर्णानन्द वाद-विवाद प्रतियोगितायें।
3. सदन प्रणाली प्रतियोगितायें।
4. गणतन्त्र दिवस का आयोजन।

फरवरी
1. सदन प्रणाली प्रतियोगितायें।
2. वार्षिकोत्सव।

मार्च
1. बसन्तोत्सव।
2. अध्यापक-अभिभावक संघ की बैठक।

अप्रैल
1. बैसाखी पर्व का आयोजन।
2. ईस्टर पर्व का आयोजन।

मई
अध्यापक-अभिभावक संघ की बैठक।

जून
ईद मिलन।

प्रश्न

1. विद्यालय में पठन-पाठन के अतिरिक्त किन-किन अन्य क्रिया-कलापों का आयोजन किया जाना चाहिए ?

(क) ....

(ख) ....

(ग) ....

2. खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी क्रिया-कलापों में भाग लेना क्यों आवश्यक है ?

(क) ....

(ख) ....

(ग) ....

3. खेलकूद तथा पाठ्य सहगामी क्रिया-कलापों से बालक-बालिकाओं में किन-किन मूल्यों का विकास होता है ?

(क) ....

(ख) ....

(ग) ....

●

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्मित

मॉड्यूल–32

अध्यापक-स्व-मूल्यांकन

1. अध्यापकों से

1.1 आप भली-भाँति अवगत हैं कि आज पूरा देश शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के अभिनवीकरण के लिए सचेष्ट होकर, "शिक्षित राष्ट्र" की संकल्पना को मूर्त रूप देने में प्रयत्नशील हैं। शिक्षा एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है जिसके आप सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं। किसी भी व्यवसाय की अपेक्षित प्रगति उसके समयबद्ध कार्यनियोजन, उसके समस्त घटकों द्वारा कार्य की दशाओं, समस्याओं एवं बाधाओं का आँकलन करते हुए कार्यान्वियन तथा कृत कार्यों की उपलब्धि की समीक्षा एवं मूल्यांकन के फलस्वरूप नित्य प्रति किये गये सुधारात्मक कार्य पर निर्भर होती है। आप भी शिक्षा व्यवसाय के समस्त शैक्षिक कार्यों के सम्पादन के लिए समयबद्ध कार्य नियोजन करते होंगे। उसके प्रभावी कार्यान्वियन के लिए आप सदा प्रयत्नशील रहते होंगे और उपलब्धि का किसी न किसी रूप में मूल्यांकन भी करते होंगे। समाज के अन्य व्यक्ति भी आपके कार्यों की समीक्षा एवं मूल्यांकन करते होंगे, टिप्पणियां भी देते होंगे। टिप्पणियों के परिप्रेक्ष्य में आप अपनी कार्य प्रणाली में परिमार्जन एवं परिवर्धन भी करते होंगे।

1.2 यह माना जाता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं व्यावसायिक विकास के लिए आत्म-चिन्तन, आत्म-दर्शन, आत्म-प्रेरण एवं तदनुसार व्यावहारिक तत्परता आवश्यक है। अध्यापक विवेकशील एवं स्वयं ज्योति-स्तम्भ होता है जो दूसरों को आलोकित करता है, वह अपना सर्वोत्तम मूल्यांकन स्वयं कर सकता है तथा अपनी क्षमताओं एवं कौशलों का अपेक्षित दिशा में विकास स्वयं कर सकता है। अतएव यह मॉड्यूल आपके समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया जा रहा है कि आप स्वयं अपने द्वारा कृत शिक्षण कार्य एवं विविध कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी की समीक्षा करें, उस पर सोचें, स्वयं से प्रश्न करें, आत्म-विश्लेषण करें, चर्चा करें और प्रगति का मूल्यांकन करें, साथ ही मूल्यांकन से प्रेरणा लेकर शिक्षा की वांछित प्रगति में महत्त्वपूर्ण भागीदार बनें।

1.3 प्रस्तुत अध्यापक-स्व-मूल्यांकन मॉड्यूल वस्तुतः आपके लिए है। यह आपकी स्वयं की निधि है। आप द्वारा किए जाने वाले समयबद्ध नियोजित एवं सुविचारित ढंग से कार्य सम्पादित करने एवं वांछित उपलब्धिपरक बनाने के लिए यह सामग्री प्रस्तुत है। इसका उपयोग निश्चिन्त एवं पूर्वाग्रह रहित होकर निर्भीकता से करें। प्रत्येक दशा में यह आपकी व्यावसायिक दक्षता, कौशल एवं सम्मान के विकास में सहायक होगी तथा इससे आपको व्यावसायिक प्रोत्साहन मिलेगा।

1.4 वस्तुतः स्व-मूल्यांकन प्रत्येक कार्य इकाई के सम्पादन के पश्चात् होना चाहिए, किन्तु कार्य सम्पादन में क्या दिया, कितना लाभप्रद रहा तथा क्या कमी रही और क्या करना चाहिए आदि का लेखा-जोखा माह में कम से कम एक बार किया जाना तथा वृहद् मूल्यांकन सत्रान्त में किया जाना समीचीन होगा।

1.5 प्रस्तुत अध्यापक-स्व-मूल्यांकन में दो प्रकार के प्रपत्र संलग्न किये गये हैं। प्रपत्र "एक" केवल अध्यापकों के उपयोग के लिए है किन्तु प्रपत्र "दो" सामूहिक चिन्तन, चर्चा, निर्देश एवं प्रतिक्रियाओं को आहूत करने के लिए है जिससे अध्यापक का दृष्टिकोण दूसरों के विचार से कितना महत्त्वपूर्ण है और कहाँ तक उसमें परिवर्तन-परिवर्धन किया जा सकता है, इसका ज्ञान अध्यापक को हो सके। अध्यापक को चाहिये कि वह इसे भरे, सहयोगियों एवं अधिकारियों में चर्चा करे और उसकी प्रेरणा से अपनी कार्य-प्रणाली में वांछित सुधार करे।

2. सीमायें

2.1 अध्यापक-स्व-मूल्यांकन की अपनी सीमाएँ भी हैं। उन सीमाओं के परिप्रेक्ष्य में ही इसकी सार्थकता एवं उपयोगिता सिद्ध हो सकती है।

1. स्व-मूल्यांकन के प्रति अध्यापक का सार्थक दृष्टिकोण होना चाहिए।
2. अन्तर्दृष्टि पैनी होनी चाहिए।
3. व्यावसायिक विकास के प्रति सजगता एवं प्रतिबद्धता होनी चाहिए।
4. स्व-मूल्यांकन के क्षेत्र का ज्ञान अध्यापक को होना चाहिए।
5. स्व-मूल्यांकन प्रारूप में वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। इसलिए व्यक्तिनिष्ठता को अधिक अवसर मिलने की सम्भावना है।
6. उपलब्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित नहीं होता जिससे भरने में अरुचि हो सकती है। यह आत्म-चिन्तन एवं आत्म-शक्ति के विकास का साधन मात्र है।

अतएव स्व-मूल्यांकन प्रपत्र भरते समय उक्त तथ्यों पर विचार करना श्रेयस्कर होगा।

3. उद्देश्य

3.1 इस मॉड्यूल को पढ़ने तथा स्व-मूल्यांकन की पृच्छाओं की पूर्ति के बाद आपमें निम्नलिखित क्षमताओं का विकास हो सकेगा :—

1. आप आपने व्यावसायिक कार्यों के प्रति चिन्तनशील, मननशील बन सकेंगे तथा उभरी हुई समस्याओं के समाधान के लिए समर्थ बन सकेंगे।
2. स्व-मूल्यांकन के प्रति सार्थक एवं स्वस्थ दृष्टिकोण अपना सकेंगे।
3. आत्मालोचन की क्षमताओं का विकास हो सकेगा तथा आत्मशक्ति एवं अन्तर्दृष्टि पैनी हो सकेगी।
4. त्रुटियों को स्वीकारने में संकोच नहीं कर सकेंगे तथा उनके सुधार में सफल हो सकेंगे।
5. व्यावसायिक प्रगति के प्रति जागरूक, प्रतिबद्ध एवं समर्पित बन सकेंगे।
6. व्यावसायिक समस्याओं के समझने, सुलझाने तथा निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति में सार्थक भूमिका निभा सकेंगे।
7. विद्यालयीय क्रिया-कलापों में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने की क्षमता विकसित हो सकेगी।

अध्यापक-स्व-मूल्यांकन प्रपत्र-२

(केवल अध्यापकों के लिए)

(शैक्षिक सत्र 19 –198)

1. सामान्य सूचनाएँ

(क) अध्यापक का नाम..................

पद................

पता.......................

(ख) योग्यता.....................

(ग) वेतनक्रम.....................

(घ) अनुदानित कक्षा........................ विषय.......... प्रश्नपत्र......

....

....

....

(ङ) प्रथम नियुक्ति तिथि ················ अनुभव ············ वर्ष ········ माह तक

(च) स्व-मूल्यांकन अवधि दिनांक ························ दिनांक ················ तक

2. शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन

(क) शिक्षण अधिगम परिवेश से सम्बन्धित

(i) क्या पाठ्यपुस्तक की इकाइयों को सत्र, उपसत्र तथा सप्ताह के घण्टों में बाँटकर आप पूर्व नियोजन कर लेते हैं? — हाँ / नहीं

- यदि नहीं तो उसका प्रभाव शिक्षण पर क्या पड़ता है? (सोचें, गुनें, नियोजन करें)

(ii) क्या आप समय सारिणी के अनुसार विषय वस्तु को नियमित पढ़ाते हैं? — हाँ / नहीं / कभी-कभी

- अनियमित पढ़ाने का क्या प्रभाव होता है? (विचार करें, लिखें)

(iii) क्या आप कक्षा में जाने से पहले इस बात से आश्वस्त होते हैं कि :— — हाँ / नहीं / कभी-कभी

- क्या पढ़ाना है? ◦ किसको पढ़ाना है?
- कितना पढ़ाना है? ◦ कैसे पढ़ाना है?
- यदि नहीं तो प्रभाव पर विचार करें? क्या इससे आप सन्तुष्ट हैं? — संतुष्ट हैं / असंतुष्ट हैं

(iv) क्या कक्षा में विषय वस्तु सम्प्रेषण के समय सभी बच्चों की मुद्रा को पहचानने का प्रयास करते हैं? — हाँ / नहीं / कभी-कभी

- यदि नहीं तो सोचें, क्या परिणाम रहा करता है? क्या करना चाहिए?

(v) क्या सभी छात्र सम्प्रेषण के समय रुचि लेते हैं? — हाँ / नहीं / कभी-कभी

- नहीं तो, क्या कारण हैं? (सोचें और अपने प्रयासों का उल्लेख करें)

(vi) आप किस मुद्रा में कक्षा में रहकर पढ़ाते हैं? — खड़े होकर / बैठकर / टहलकर

- सम्बन्धित तीनों मुद्राओं के प्रभाव में क्या अन्तर पाते हैं? किस मुद्रा में आप पढ़ाना पसन्द करते हैं?

(vii) क्या आप प्रत्येक पाठ के बाद पुनरावृत्ति करके बालकों के अधिगम अनुभव का मूल्यांकन करते हैं? — हाँ / नहीं / कभी-कभी

- तीनों दशाओं में आप क्या अन्तर पाते हैं?
- किसे आप उपयुक्त समझते हैं?

(viii) क्या पुनरावृत्ति के उत्तरों से आप अपनी शिक्षण की प्रभावकारिता पर विचार करते हैं? — हाँ / नहीं / कभी-कभी

- हाँ, तो क्या आप अपने शिक्षण से सन्तुष्ट होते हैं? — हाँ / नहीं / कभी-कभी
- यदि नहीं, तो पाठ की प्रभावकारिता का ज्ञान कैसे

करते हैं ? उल्लेख कीजिए।

(ix)	क्या पूर्ण सत्र के लिए गृह कार्य योजना पहले बना लेते हैं तथा उसकी स्वीकृति प्रधानाचार्य से ले लेते हैं ?	हाँ	नहीं
(x)	क्या आप सदा डायरी भरते हैं ?	हाँ	नहीं
	० यदि नहीं तो कार्य सम्पादन समयबद्ध ढंग से कैसे करते हैं ?		
(xi)	क्या आप छात्रों की उपस्थिति पर बल देते हैं ?	हाँ	नहीं
	० अधिक उपस्थिति के लिए आप क्या करते हैं ?		
(xii)	क्या आप गृह कार्य नियमित रूप से देते हैं ?	हाँ	नहीं
	० हाँ, तो क्या उनका नियमित संशोधन करते हैं ? ० संशोधन में किस कठिनाई का अनुभव करते हैं ? ० यदि नहीं, तो उसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है ? (सोचिए , मनन कीजिए, प्रयास कीजिए)		
(xiii)	क्या बच्चों के सतत् मूल्यांकन का अभिलेख रखते हैं और अभिभावकों को सूचित करते हैं ?	हाँ	नहीं
	० यदि नहीं तो उसके प्रभाव पर चिन्तन करें, आवश्यक सुधार करें।		
(xiv)	चाहते हुए भी समयाभाव के कारण कितने प्रतिशत गृह कार्य का संशोधन छूट जाता है ?	%	
	० उनको पूरा करने के लिए क्या कोई उपाय करते हैं।	हाँ	नहीं
	० यदि नहीं तो क्या आप उसके प्रभावों से सन्तुष्ट हैं ?	हाँ	नहीं
(xv)	कक्षा के पिछड़े हुए छात्रों के लिए क्या आप कोई सहायता करते हैं ?	हाँ	नहीं
	० हाँ तो, क्या करते हैं ? ० नहीं तो आपके स्तर से क्या होना चाहिए ? (सोचे, लिखें, करें)		
(xvi)	क्या आपसे पाठ्यक्रम का अंश छूट जाता है ?	हाँ	नहीं
	० यदि हाँ, तो उसे पूरा करने के लिए क्या करते हैं ? लिखिए।		
(xvii)	किन प्रकरणों को पढ़ाते समय आपको अनुभव हुआ कि छात्रों में अपेक्षित क्षमताओं का विकास नहीं हुआ ?	1– 2–	
	० इस कमी को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं ?	3– 4– 5–	

(xviii) क्या आपकी कक्षा में पूर्ण अनुशासन रहता है ? पूर्ण आंशिक अपूर्ण

- छात्रों को अनुशासित करने के लिए आप क्या करते हैं ?
- आपके विचार से क्या किया जाना चाहिए ?
- अनुशासन स्थापना के लिए आप किन-किन घटकों से अपेक्षा करते हैं ?
- वे अपेक्षाएँ कौन-कौन हैं ?

उत्तर लिखें—विश्लेषण करें—चिन्तन करें—
उपाय सोचें—कार्य सम्पादित करें।

चर्चा कीजिए
मूल्यांकन कीजिए
कार्य निर्धारण कीजिए

(ख) परीक्षाफल से सम्बन्धित

साप्ताहिक/मासिक/त्रैमासिक/षट् मासिक/वार्षिक गृह परीक्षाओं तथा सार्वजनिक परीक्षाओं की उपलब्धियों का अंकन करें। पिछले वर्ष के परीक्षाफलों के गुणात्मक एवं परिणामात्मक तथ्यों का विश्लेषण करें। कारण ढूंढ़ें और प्रगति की दिशा में तत्पर हों :—

कक्षा व वर्ग	विषय	छात्र सं०	सम्मिलित सं०	उत्तीर्ण सं०					उत्तीर्ण सं०	प्रतिशत	पिछले वर्ष का प्रतिशत	अन्तर
				60% से ऊपर	45% से ऊपर	33% से ऊपर	33% से कम	योग				

1. क्या आप अपने परीक्षाफल से सन्तुष्ट हैं ? सन्तुष्ट असन्तुष्ट सामान्य
   - यदि सन्तुष्ट हैं तो और विकास के लिए क्या प्रयास करते हैं ?
   - यदि असन्तुष्ट हैं तो उसकी वृद्धि के लिए आपको क्या प्रयास करना होगा ?
2. परीक्षाफल सुधार के लिए आपने किससे, और कितनी बार चर्चा की है ?
   - चर्चा के अनुसार आपने कौन सा कार्य किया ?
   - उस कार्य का क्या प्रभाव रहा ?
3. परीक्षाफल सुधार के लिए कक्षा या कक्षा के बाहर किस प्रकार का समयबद्ध कार्य करते हैं ?

4. परीक्षाफल सुधार में आपके सहयोगी या प्रधानाचार्य किस प्रकार सहायक होते हैं ?

5. एक ही विषय एवं कक्षा के दूसरे वर्ग के छात्रों की तुलना में आप द्वारा पढ़ाये गये विषयों का परीक्षाफल अपेक्षाकृत कैसा रहा ?	कम	अधिक	सामान्य

∘ यदि अधिक रहा तो आपके द्वारा अपेक्षाकृत कौन सा अधिक कार्य किया गया ?

6. परीक्षा में गुणात्मक सुधार में आप अपने स्तर से कौन विशेष कार्य करते हैं ?

7. क्या आप विद्यालय की परीक्षा सम्बन्धी कार्यों से सम्बद्ध हैं ?	हाँ	नहीं	आंशिक

∘ यदि हाँ तो परीक्षा संचालन में आप क्या सार्थक सहयोग करते हैं ?

8. नकल रोकने और वास्तविक मूल्यांकन हेतु आप क्या करते हैं ?

9. परीक्षा-संचालन एवं मूल्यांकन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं ?

उत्तर लिखें—चिन्तन करें—विश्लेषण करें— कार्य निर्धारण करें—प्रयास करें	चर्चा कीजिए सुझाव अंकित कीजिए प्रयास कीजिए

---

3. स्तरोन्नयन हेतु विशिष्ट प्रयासों का मूल्यांकन

1. वर्तमान परिवेश में आपके विद्यालय के शैक्षिक स्तरोन्नयन हेतु क्या किया जाना चाहिए ? (एक सुझाव दें)
2. आपके स्तर से उसमें क्या किया जाना सम्भव होगा ?
3. उस कार्य में आप अपने प्रधानाचार्य से क्या अपेक्षा करेंगे ?
4. आप अपने सहयोगियों से क्या अपेक्षा करेंगे ?
5. आप छात्रों से क्या अपेक्षा करेंगे ?
6. अभिभावकों से उस कार्य में आपकी क्या अपेक्षाएँ होंगी ?
7. उक्त कार्य के करने में कौन-कौन सी बाधाएँ आयेंगी ?
8. उन बाधाओं को दूर करने के लिए आपके स्तर से क्या किया जा सकता है ?

विचार करें—उत्तर लिखें—चिन्तन करें—उपाय ढूंढें—प्रयास करें	मूल्यांकन कीजिए नियोजन कीजिए कार्य कीजिए

---

4. व्यावसायिक दक्षता की प्रगति का मूल्यांकन

1. क्या सेवा में आने के बाद आपने अपनी योग्यता में वृद्धि की है ? हाँ नहीं
   ० यदि हाँ, तो उल्लेख करें ?
2. क्या आपने अपनी प्रशिक्षण योग्यता में वृद्धि की है ? हाँ नहीं
   ० यदि हाँ, तो उल्लेख करें।
3. क्या आपने पुनर्बोधन प्रशिक्षण में भाग लिया है ? हाँ नहीं
   ० यदि हाँ, तो उल्लेख कीजिए।
4. क्या आप अपनी व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से सम्बन्धित साहित्य (सन्दर्भ पुस्तकें, पत्र-पत्रिकायें आदि) पढ़ते हैं ? हाँ नहीं
   ० यदि हाँ, तो उल्लेख करें।
   ० यदि नहीं, तो क्या आप अपने व्यावसायिक कार्य के प्रति सन्तुष्ट हैं ? सन्तुष्ट असन्तुष्ट सामान्य
5. क्या आप कोई परियोजना या विशिष्ट कार्यक्रम चलाते हैं ? हाँ नहीं
   ० यदि हाँ, तो अनुभव का उल्लेख करें।
6. क्या आप पुस्तक, लेख, कविता, कहानी लिखते हैं ? हाँ नहीं
   ० यदि हाँ, तो उल्लेख करें।
7. किन-किन शैक्षिक गोष्ठियों/सेमिनारों में भाग लिया ? हाँ नहीं
   ० यदि हाँ, तो आपके दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन होगा ? उल्लेख कीजिए।
8. क्या आप अपनी कार्य प्रणाली से सन्तुष्ट हैं ? सन्तुष्ट असन्तुष्ट सामान्य
   ० यदि असन्तुष्ट हैं तो वांछित सन्तुष्टि के लिए किसी प्रकार की कार्य प्रणाली का सुझाव देंगे ? उल्लेख कीजिए।

उत्तर लिखें—विश्लेषण करें—चिन्तन मनन करें—उपाय सोचें—कार्य करें।	मूल्यांकन सुधार वांछित उपलब्धि

5. पाठ्येतर क्रियाकलापों की उपलब्धियों का मूल्यांकन

1. क्या आप खेलकूद, स्काउटिंग एवं शारीरिक शिक्षा तीनों से सम्बद्ध हैं ? हाँ नहीं आंशिक रूप में
2. क्या उनसे सम्बन्धित कार्यकलापों से सन्तुष्ट हैं ? सन्तुष्ट असन्तुष्ट
   ० यदि नहीं, तो आप सुधार हेतु क्या सुझाव देना चाहेंगे ?
3. क्या आप विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सम्बद्ध हैं ? हाँ नहीं आंशिक रूप में
   ० यदि हाँ, तो अपनी सहभागिता का उल्लेख करें।

4. क्या आपके छात्र जनपद, मण्डल, राज्य तथा राष्ट्र स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं ? — हाँ / नहीं
   - यदि नहीं तो क्यों ?
   - आपके स्तर से इसके सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए ?
   - अन्य लोगों से इसके लिए आप क्या अपेक्षा करते हैं ?
5. आपके छात्र जब किसी प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करते हैं तो आप कैसा अनुभव करते हैं ? — प्रसन्नता / सन्तोष / असन्तोष
6. अपने विद्यालय को गौरवान्वित करने के लिए आपके क्या सुझाव हो सकते हैं ? (सोचें, लिखें, चर्चा करें, कार्य करें)
7. आप भी यह अनुभव करते हैं कि समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। आप अपने छात्रों में इस ह्रास को रोकने एवं मूल्यों के विकास के लिए क्या करते हैं ?
8. अपने विषय-शिक्षण में सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों के विकास के लिए आप क्या करते हैं ?
9. राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता जैसे भावनात्मक विकास के लिए कक्षा में तथा कक्षा के बाहर किस प्रकार समयबद्ध कार्य करते हैं ?
10. क्या आप कार्यानुभव एवं समाजोपयोगी उत्पादक कार्य से सम्बन्धित क्रियाकलापों से सम्बद्ध हैं ? — हाँ / नहीं / आंशिक रूप में
    - यदि हाँ तो अपनी सहभागिता का उल्लेख करें।
11. इन कार्यों के सम्पादन में आप कैसा अनुभव करते हैं ? — प्रसन्नता रुचिकर / अप्रसन्नता / अरुचिकर
12. *सउका का प्रभाव छात्रों की श्रमशीलता पर डालने के लिए आप क्या उपाय करते हैं ?
13. वृक्षारोपण एवं श्रमदान सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन में आपका क्या योगदान रहता है ?
14. अल्प बचत एवं बुक बैंक की महत्ता एवं उपादेयता के सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं ? इनमें आप अपनी सहभागिता का उल्लेख कीजिए।
15. विद्यालय के सौन्दर्यीकरण में आपका क्या योगदान रहता है ? उल्लेख कीजिए।

उत्तर दें, विश्लेषण करें, चिन्तन मनन करें, सुधार के उपाय सोचें और कार्य करें।	मूल्यांकन, सुधार, उपलब्धि

*स उ का—समाजोपयोगी उत्पादक कार्य

6. **अन्य उल्लेखनीय विद्यालयीय कार्यों के सम्बन्ध में स्व-मूल्यांकन—विद्यालयी प्रशासन में योगदान**

(1) क्या आप विद्यालयीय प्रशासन में योगदान देते हैं ?	हाँ	नहीं	आंशिक रूप में
(2) विद्यालयीय प्रशासन को चुस्त बनाने में आप किस प्रकार का सहयोग करते हैं ?			
(3) आपके विद्यालय में कौन सी प्रशासनिक कठिनाइयां हैं ? ∘ उनको दूर करने की अपेक्षा आप किससे करते हैं ?			
विद्यालयीय अनुशासन में योगदान			
(4) क्या आप विद्यालय अनुशासन समिति के सदस्य हैं ? ∘ यदि हाँ, तो अनुशासन बनाये रखने के लिए आप क्या व्यवस्था करते हैं ? ∘ यदि नहीं तो विद्यालय के सदस्य होने के नाते अनुशासन स्थापित करने में आप क्या सहयोग देते हैं ?	हाँ	नहीं	
सामुदायिक सम्बन्ध			
(5) सहयोगियों के साथ आपका सम्बन्ध कैसा है ?	बहुत अच्छा, उत्तम, अच्छा, सामान्य तथा सामान्य से कम		
(6) अधिकारियों के साथ व्यवहार कैसा हैं ?	उत्तम, अच्छा, सामान्य, सामान्य से कम		
(7) छात्रों के साथ आपका व्यवहार कैसा है ?	उत्तम, अच्छा, सामान्य, सामान्य से कम		
(8) अभिभावकों के साथ आपका व्यवहार कैसा हैं ?	उत्तम, अच्छा, सामान्य, सामान्य से कम		
(9) क्या विद्यालय संकुल में आप कोई योगदान देते हैं। ∘ यदि हाँ तो किस प्रकार का योगदान देते हैं ?	हाँ	नहीं	आंशिक
(10) संकुल के कार्य-कलापों को प्रभावी बनाने के लिए आपके क्या सुझाव हैं ?			
(11) क्या आप अभिभावक-अध्यापक एसोसियेशन से सम्बद्ध हैं ? ∘ यदि हाँ तो अपनी सहभागिता का उल्लेख करें। ∘ इसे प्रभावी बनाने के लिए आप से क्या अपेक्षा की जा सकती है ?	हाँ	नहीं	
(12) आप विद्यालय के माध्यम से किस प्रकार का समाज सेवा कार्य सम्पन्न कराते हैं ?			
(13) आप छात्रों के माध्यम से कौन-कौन समाज सेवा कार्य करा सकते हैं ? ∘ आपकी समाज सेवा की रुचि से छात्र कहाँ तक प्रभावित होते हैं ?			

(14) छात्रों में समाज सेवा की अभिरुचि के विकास के लिए आप क्या करते हैं ?

(15) आप छात्रों के व्यक्तिगत जीवन के विकास में किस प्रकार व किस स्तर तक रुचि लेते हैं ?

(16) आपके व्यक्तित्व के मुख्य रूप से किन-किन गुणों से छात्र कहाँ तक प्रभावित होते हैं ?

(17) बाल-विवाह, दहेज-प्रथा, मद्य निषेध, तथा छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में आपका क्या योगदान है ?
- आपके छात्र कहाँ तक योगदान करते हैं ?
- योगदान के लिए छात्रों को आप किस तरह प्रेरित करते हैं ?
- विद्यालय स्तर पर इसके लिए क्या किया जा सकता है ?

(18) विद्यालय के विकास सम्बन्धी उस कार्य का उल्लेख करें जिसको आप करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते।

उत्तर लिखें, विश्लेषण करें, मूल्यांकन करें, उपाय सोचें।	कारण ढूंढ़ें, उपाय निकालें, कार्य करें

6. अध्यापक-स्व-मूल्यांकन प्रपत्र–2

(सामूहिक चर्चा के लिए, सुझाव/निर्देश प्राप्त करते तथा अनुसरण करने के लिए)

सत्र—(19— 19—)

विशेष—इस प्रपत्र के बिन्दुओं पर सामूहिक चर्चा की जाय, अधिकारियों से निर्देश लिये जायँ, पारस्परिक सुझावों से प्रगति के लिए प्रयास किये जायँ।

1. शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन

1. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिये किये गये किन्हीं पाँच प्रयासों का उल्लेख करें।
   - इन प्रयासों के प्रतिफल की सामूहिक चर्चा करें।
   - दूसरों के प्रयासों से तुलना करें।
   - प्राचार्य एवं अधिकारियों के निर्देश/सुझाव प्राप्त करें।
2. परीक्षाफल सुधार के लिये किये गये किन्हीं दो प्रयासों का उल्लेख करें—
   - परस्पर चर्चा करें।
   - दूसरों के प्रयासों से तुलना करें।
   - प्रगति के लिए योजना बनायें और कार्य करें।

2. स्तरोन्नयन हेतु प्रयासों का मूल्यांकन

3. स्तरोन्नयन हेतु किये गये दो प्रयासों का उल्लेख करें।
   - उपलब्धि की समीक्षा करें।
   - दूसरे से परामर्श करें, तुलना करें, अगला कार्यक्रम निर्धारित करें।

3. व्यावसायिक दक्षता की प्रगति का मूल्यांकन

4. व्यावसायिक दक्षता के प्रयासों का उल्लेख करें।
   - चर्चा करें।
   - अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करें।
   - योग्यता बढ़ाने का प्रयास करें।

4. पाठ्येतर क्रियाकलापों की उपलब्धियों का मूल्यांकन

5. पाठ्येतर क्रियाकलापों के अपने प्रयासों की सामूहिक चर्चा करें।
   - दूसरों के प्रयासों पर चिन्तन करें।
   - अगले कार्यक्रम का निर्धारण करें।
   - तदनुरूप कार्य करें।

5. अन्य उल्लेखनीय कार्यकलापों का मूल्यांकन

6. विद्यालय प्रशासन, सामुदायिक सम्बन्ध के प्रयासों का उल्लेख करें।
   - अन्य लोगों के साथ चर्चा करें।
   - सुझाव प्राप्त करें।
   - अगली योजना बनायें और प्रयास करें।

उपर्युक्त क्षेत्रों के विकास के लिए किए प्रयासों का उपलब्धि सहित वर्णन कीजिए। दूसरों के प्रयासों को आत्मसात करें।	चर्चा कीजिए, सुझाव/निर्देश लीजिए, कार्यक्रम बनाइए, प्रतिबद्ध होकर प्रयास कीजिए

●

प्रारम्भिक स्तर के अध्यापकों के लिए

मॉड्यूल–2

"प्रोग्राम ऑफ एक्शन" का कार्यान्वयन

(प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के लिए)

इस मॉड्यूल से आप समझ सकेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या अर्थ है और देश भर में प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के लिए "प्रोग्राम ऑफ एक्शन" लागू करने का क्या मतलब है।

इस मॉड्यूल में उन महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख किया गया है, जिनसे प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा पद्धति में सुधार लाया जाए, शिक्षा-प्रक्रिया में परिवर्तन लाया जाए, पाठ्यक्रम का रूपान्तरण किया जाए, समाज के उपेक्षित वर्ग पर विशेष ध्यान दिया जाए, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कम्युनिटी का सहयोग प्राप्त किया जाए और अध्यापकों को मूलभूत सुविधाएँ दी जाएँ। इस मॉड्यूल में इसका भी उल्लेख है कि अध्यापकों को किस प्रकार की सुविधाएँ दी जानी चाहिए और उन्हें स्वयं नीतियों को सफल बनाने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए।

इस मॉड्यूल का प्रमुख उद्देश्य यह है कि आप प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य को पूरा करने के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों पर कैसे विजय पा सकते हैं ? इस मॉड्यूल का एक लक्ष्य यह बताना भी है कि आप इस प्रक्रिया में कैसे सहायक हो सकते हैं ? इसे पढ़ने के बाद आपको अपने स्कूल के लिए सोचने, तर्क-वितर्क करने और विभिन्न कार्यक्रम बनाने का मौका मिलेगा।

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप :—

1. प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण की समस्याओं को समझ सकेंगे।
2. "प्रोग्राम ऑफ एक्शन" में सुझाई गई नीतियों को समझ सकेंगे।
3. अपने स्कूल के लिए कार्यक्रम बना सकेंगे।

गतिविधियों में हिस्सा लेना

प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण

जैसा कि आप जानते है, हमारे संविधान में इसका उल्लेख है कि 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। स्वतन्त्रता के बाद से सरकार इसके लिए प्रयत्नशील रही है, हालांकि इसमें उसे आज तक सफलता नहीं मिल पाई है। "प्रोग्राम ऑफ एक्शन" के अन्तर्गत 1990 तक 11 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला देने के लक्ष्य को पूरा करने का निश्चय किया गया है।

प्राइमरी शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है—लड़कियों का, अनुसूचित जातियों व जनजातियों के बच्चों का, विकलांग बच्चों का और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के बच्चों का स्कूल न आना। निर्धनता के कारण भी माँ-बाप बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। उल्टा वे उनसे काम करवाते हैं जिससे घर की आय बढ़ सके और गुजर-बसर हो सके।

गतिविधि–1

देश के अधिकांश हिस्सों में प्राइमरी शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य को पूरा करना अभी बाकी हैं, कारणों की सूची बनाइए कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते, विशेष रूप से उन दोनों क्षेत्रों में जहाँ स्कूल का अभाव नहीं है ।	एकत्र कीजिए जाँच कीजिए वाद-विवाद कीजिए

नीतियों का कार्यान्वियन

देखा गया है कि 75% स्कूल न जाने वाले बच्चे इन 9 राज्यों से हैं—आन्ध्र प्रदेश, असाम, बिहार, जम्मू-कश्मीर, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल । इसलिए इन राज्यों को शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया गया है । हालांकि अन्य राज्यों में भी कई क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हैं और पिछड़े राज्यों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी काफी असमानता देखने को मिलती है । इसके लिए विशेष कदम उठाना जरूरी है । उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए "प्रोग्राम ऑफ एक्शन" के अन्तर्गत निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर एक विशेष नीति अपनाने का निर्णय लिया गया है :—

–सभी बच्चों को अपेक्षाकृत प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए,

–समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा का वही मौका दिया जाए, जो धनी घर के बच्चों को प्राप्त है,

–शिक्षा प्रणाली को छात्र केन्द्रित बनाया जाए और इसके लिए भावी शिक्षकों की शिक्षा में और सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार लाया जाए,

–सभी बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था की जाए और जब तक यह संभव न हो, तब तक उनके लिए कोई और व्यवस्था की जाए,

–प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लिए आवश्यक है कि स्कूलों में सभी बच्चों को दाखिल कराने पर जोर डाला जाए और उसके बाद उन्हें स्कूलों में बनाए रखने का प्रयत्न किया जाए,

–शिक्षा योजना प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण किया जाए और इस प्रक्रिया में शिक्षकों एवं कम्युनिटी को भी शामिल किया जाए ।

गतिविधि–2

कार्यान्वियन की उपरोक्त नीतियों पर ध्यान दीजिए, उनके लक्ष्यार्थ को समझिए और उन समस्याओं पर वाद-विवाद कीजिए जो इन नीतियों के कार्यान्वियन के समय उठ खड़ी हो सकती है ।

"प्रोग्राम ऑफ एक्शन" के अन्तर्गत "ऑपरेशन ब्लैक-बोर्ड" का सुझाव दिया गया है । इसका लक्ष्य है—प्राइमरी स्कूलों में कम से कम मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना । आपको ताज्जुब हो रहा होगा कि इसे "ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड" नाम क्यों दिया गया है । "ऑपरेशन" शब्द के प्रयोग से यह पता चलता है कि हम यह कार्यक्रम जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं, हम अपने लक्ष्यों को एक निश्चित समय में प्राप्त करने के लिए कृत सकल्प हैं ।

"ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड" का मतलब है कि प्रत्येक स्कूल को कम से कम निम्नलिखित सामग्री, उपकरण व सुविधाएँ मिलनी ही चाहिए :—

–दो बड़े कमरे—जो सभी ऋतुओं में प्रयोग योग्य हों,

–ब्लैक बोर्ड,

–नक्शे,

–चार्ट,

–आवश्यक खेल-खिलौने और खेलकूद से संबंधित सामग्री,

–अन्य शिक्षा सामग्री (प्राइमरी स्तर पर आवश्यक सामग्री एव सुविधाओं का परिशिष्ट में उल्लेख किया गया है)।

उसमें यह सुझाव भी दिया गया है कि गाँवों में प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में कम से कम दो शिक्षक होने चाहिए। अगर संभव हो तो उनमें एक महिला होनी चाहिए।

शिक्षकों के लिए सुविधाएँ

राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सुधार के कई उपायों का उल्लेख है जिससे शिक्षकों का स्तर बेहतर बनाया जा सके और उनके उत्तरदायित्व को बढ़ाया जा सके। विशिष्ट शब्दों में वे इस प्रकार हैं :—

–शिक्षकों के रहन-सहन और कार्यावस्था में सुधार,

–उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए प्रभावात्मक उपायों की व्यवस्था,

–प्राइमरी शिक्षा की योजना एव व्यवस्था में शिक्षकों को शामिल करना,

–राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम की योजनाओं में शिक्षक संघों को शामिल करना जिससे वे शिक्षकों के साथ अनुचित व्यवहार या नियमों का उल्लंघन होने पर उनकी ओर से आवाज उठा सकें।

–ऐसे अवसर पैदा करना जिससे शिक्षकों में रचनात्मक एवं नवीनीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सके,

–शिक्षकों की चुनाव पद्धति में सुधार लाना, और

–अपना काम ठीक से न करने वाले, नियमों का उल्लंघन करने वाले और व्यावसायिक नैतिकता के प्रतिकूल जाने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कठोर निर्णय लेना।

"प्रोग्राम ऑफ एक्शन" के अन्तर्गत शिक्षकों के रहन-सहन और कार्यावस्था को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का उल्लेख किया गया है :—

–उसमें कहा गया है कि शिक्षकों को वेतन और भत्ता उनकी योग्यता, व्यावसायिक उत्तरदायित्व और समाज में उनके अपेक्षित स्तर के अनुसार दिया जाना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में शिक्षकों को कम वेतन देने के प्रचलन को समाप्त किया जाना चाहिए।

–इसी प्रकार के अन्य व्यवसायों के वेतनमान व भत्तों को ध्यान में रख कर ही शिक्षकों के वेतन एवं भत्तों को निश्चित किया जाना चाहिए।

–कार्यावधि, अनुभव और योग्यता बढ़ने के साथ-साथ, समय-समय पर पैसे भी बढ़ने चाहिए।

–सरकारी, गैर सरकारी या तत्संबंधी संस्थाओं में कार्यरत सभी शिक्षकों को सेवानिवृत्ति पेन्शन और चिकित्सा सुविधाएँ मिलनी चाहिए।

–नगर हो या गाँव, सभी स्थानों पर शिक्षकों को घर देने की व्यवस्था के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

–शिक्षक अगर अध्ययन के लिए लम्बी छुट्टी चाहता है तो उसे वह मिलनी चाहिए।

–शिक्षिकाओं की नियुक्ति उनके घरेलू उत्तरदायित्वों को देखते हुए की जानी चाहिए और उन्हें बच्चों के लिए क्रेश जैसी अन्य सुविधाएँ दी जानी चाहिए,

–देश भर में सभी शिक्षकों के लिए एक सी कार्यविस्था के लिए राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया जाना चाहिए,

–शिक्षकों की नियुक्ति और स्थानान्तरण के लिए उसका विस्तार किया जाना चाहिए,

–योजना एवं नियम निर्माण में और नीतियों के कार्यान्वियन की जाँच में शिक्षकों को शामिल किया जाना चाहिए। नीति निर्माण समितियों (जैसे केन्द्रीय शिक्षा परामर्श समिति, जिला शिक्षा समिति, ग्राम शिक्षा समिति आदि) में भी उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

गतिविधि–3

आपने अभी-अभी पढ़ा कि प्राइमरी शिक्षा और शिक्षकोंके स्तर को बेहतर बनाने के लिए क्या सुविधाएँ देने का सुझाव रखा गया है। इस संदर्भ में ऐसी ही अन्य सुविधाओं की सूची बनाइए जो शिक्षकों को दी जानी चाहिए।	एकत्र कीजिए जाँच कीजिए वाद-विवाद कीजिए

शिक्षा एवं शिक्षा प्रतिक्रिया

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत सर्वव्यापी प्राइमरी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकताओं और आशाओं-अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि पाठ्यक्रम बनाते समय भारतीय संस्कृति और सामाजिक व नैतिक मूल्यों को नहीं भुलाया जाना चाहिए। यह जनता में एकता और अखंडता की भावना पैदा करने के लिए आवश्यक है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम में इस पर विशेष जोर दिया गया है। मूल पाठ्यक्रम में आधारभूत शिक्षा का समावेश होगा जो समूचे राष्ट्र को लागू होगी। मूल पाठ्यक्रम के महत्त्वपूर्ण तत्वों की चर्चा हम अलग मॉड्यूल में करेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि स्कूल के भवन की असंतोषजनक हालत और शिक्षा सामग्री के अभाव में स्कूल का माहौल अनाकर्षक हो जाता है और बच्चों व माता-पिता पर इसका अच्छा असर नहीं पड़ता। इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि कम से कम सुविधाएँ तो स्कूलों को प्रदान की जानी चाहिए और इसके साथ ही शिक्षा नीति छात्र-केन्द्रित होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि शिक्षक को पढ़ाते समय बच्चों की आवश्यकताओं, योग्यताओं और महत्त्वाकांक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए और उनके पर्यावरण एवं वास्तविक परिस्थितियों का पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिए। पढ़ने-पढ़ाने की प्रक्रिया संतोषजनक, रचनात्मक एवं हर्षपूर्ण होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शिक्षक अपने को बच्चों से अलग रखकर उन्हें नीरस ढंग से पढ़ाए। अध्ययन प्रक्रिया कष्टपूर्ण प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए और बच्चों को शारीरिक दण्ड भी नहीं दिया जाना चाहिए।

बच्चों को पढ़ाते समय इन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए :—

–प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कम से कम पढ़ाया जाए,

–स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जाए जिससे बच्चों को पढ़ने में अधिक आनन्द आए,

–अनुसूचित जातियों, जनजातियों जैसे विशेष समूहों और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ वर्गों की सस्कृति को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम पर अमल किया जाए और शिक्षा-सामग्री का चुनाव किया जाए,

–मूल राष्ट्रीय कार्यक्रम की आधार बना कर शिक्षा-योजना तैयार की जाए,

–मूल्यांकन पद्धति में सुधार किया जाए,

–पठन-पाठन के लिए आधुनिक शिक्षा-तकनीक का प्रयोग किया जाए ।

गतिविधि-4

सभी प्राथमिक शालाओं में छात्र-केन्द्रित नीति और मूल राष्ट्रीय पाठ्यक्रम लागू करने के लक्ष्यों पर वाद-विवाद कीजिए। इस कार्यक्रम को लागू करने में अगर कोई कठिनाइयाँ हैं तो उन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है ?

अनौपचारिक शिक्षा (नान फार्मल एजूकेशन)

प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम अपरिहार्य हैं। प्राइमरी स्कूल के एक अध्यापक के रूप में आपका इस कार्यक्रम से सीधा संबंध होगा। "राष्ट्रीय शिक्षा नीति" और "प्रोग्राम ऑफ एक्शन" में इस कार्यक्रम को अधिक प्रभावात्मक और बढ़िया बनाने के लिए कुछ विशेष सुझाव दिये गये हैं। जो इस प्रकार हैं :—

–अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को वही सुविधाएँ दी जाएँ जो औपचारिक शिक्षा केन्द्रों को अर्थात् स्कूलों को दी जाती हैं या दी जाएँगी। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को तकनीकी सहायता देने का भी सुझाव दिया गया है। तकनीकी सहायता से मतलब है—दृश्य-श्रव्य उपकरण, रेडियो-कम-केसेट प्लेयर, सौर-ऊर्जा व्यवस्था और बढ़िया शिक्षा सामग्री,

–अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिए जो पाठ्यक्रम बनाया जाए वह बच्चे के पर्यावरण और वास्तविक जीवन के अनुभवों से जुड़ा हो,

–छात्र-केन्द्रित पद्धति अपनाई जाए जिसमें शिक्षक की भूमिका डंडे वाले मास्टर जी की नहीं अपितु एक स्नेहपूर्ण मार्गदर्शक की हो।

–प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता को ध्यान में रखकर गतिविधियों का आयोजन किया जाए जिससे बच्चे स्वयं आगे बढ़ सकें।

–शिक्षा का स्तर वही हो, जो औपचारिक स्कूलों का है जिससे छात्र के लिए बाद में अनौपचारिक से औपचारिक पद्धति में जाना संभव हो।

–स्कूलों में विशेष समूहों को जो सुविधाएँ और सहायता दी जाती हैं वही अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में भी दी जाए।

–अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिए शिक्षकों को मूल प्रशिक्षण तो दिया ही जाए, उसके अलावा समय-समय पर उनका विशेष मार्गनिर्देशन भी किया जाए,

–राज्य सरकारों की देखरेख में इस कार्यक्रम में स्वयंसेवी एजेन्सियों और स्थानीय संस्थाओं को भी शामिल किया जाए।

–अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम औपचारिक शिक्षा से संबंधित होगा जिससे छात्र बाद में सही परीक्षण के बाद औपचारिक शिक्षा केन्द्रों में अर्थात स्कूलों में जा सकें, राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाओं में बैठ सकें और व्यावसायिक एवं टेक्निकल पाठ्यक्रमों में भाग ले सकें।

गतिविधि-5

आप कल्पना कीजिए कि आपके स्कूल में या आसपास अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है और उसके अन्तर्गत आने वाली समस्याओं की सूची बनाइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित सुधारों को दृष्टिगत करते हुए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के कार्य को बेहतर बनाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे ?	एकत्र कीजिए जाँच कीजिए वाद-विवाद कीजिए

हमने अभी तक जिन मुद्दों पर वाद-विवाद किया है, वे हैं—प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण, उसका कार्यान्वयन, शिक्षकों व स्कूलों को दी जाने वाली सुविधाएँ (जिनसे प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके), शिक्षा और उसकी प्रक्रिया तथा प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रसार।

शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका

1990 तक प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लिए प्रस्तावित नीतियों के कार्यान्वयन में स्कूल टीचर के रूप में आपकी भूमिका महत्त्वपूर्ण है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको :—

–मूल राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का अनुसरण करना होगा, राष्ट्रीय उद्देश्यों और सामाजिक व नैतिक मूल्यों पर जोर देना होगा, शिक्षा प्रक्रिया को भारतीय संस्कृति से जोड़ना होगा और बच्चों में राष्ट्रीय एवं एकीकरण की भावना को जगाना होगा।

–बच्चों की आवश्यकताओं, योग्यताओं और महत्त्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखकर छात्र-केन्द्रित पद्धति को अपनाना होगा। यहाँ आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि पठन-पाठन का आधार बच्चे का पर्यावरण हो।

–पठन-पाठन की प्रक्रिया को हर्षपूर्ण, संतोषजनक और रचनात्मक बनाना होगा और इसके लिए आपको विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना होगा।

–शिक्षा प्रक्रिया में कम्युनिटी को शामिल करना होगा, एक ओर स्कूल की गतिविधियों के लिए आप कम्युनिटी की सहायता लेंगे और दूसरी ओर कम्युनिटी के कार्यक्रमों में उनकी सहायता करेंगे।

–स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएँगे।

–लड़कियों, अनुसूचित जातियों/जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे।

–अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता करेंगे।

–व्यावसायिक आचार संहिता का पालन करेंगे।

–शिक्षक की प्रतिष्ठा और व्यावसायिक निष्ठा को बनाए रखेंगे।

–प्राइमरी शिक्षा की योजना व व्यवस्था में सहयोग देंगे।

–प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए उपयुक्त गतिविधियों का आयोजन करेंगे।

–अपने कार्य क्षेत्र में खोजबीन करते रहेंगे और नवीनता लाने का प्रयास करेंगे।

–प्राइमरी स्कूलों के लिए जब अध्ययन सामग्री का चुनाव किया जाएगा और पाठ्यक्रम बनाया जाएगा तो उस समय आप भी वहाँ उपस्थित होंगे।

–अपने स्कूल को आकर्षक बनायें, जिससे बच्चे आपके स्कूल में आना चाहें और उन्हें स्कूल घर से ज्यादा अच्छा लगे।

गतिविधि-6

जैसा ऊपर कहा गया है उसके अनुसार अपनी भूमिका की कल्पना करें, उस पर वाद-विवाद करें और अपनी प्रतिक्रिया लिखें ।	**एकत्र कीजिए** **जाँच कीजिए** **वाद-विवाद कीजिए**

परिशिष्ट

प्राथमिक स्तर पर आवश्यक सुविधाएँ

1. शिक्षक-सामग्री

1. पाठ्यक्रम (सिलेबस)
2. पाठ्यपुस्तकें
3. शिक्षक-गाइड्स

2. कक्षा में प्रयुक्त सामग्री

1. नक्शे–जिला
   –राज्य
   –देश
2. प्लास्टिक ग्लोब
3. शिक्षा संबंधी चार्ट

3. खेल खिलौने और तत्संबंधी अन्य सामग्री

1. विज़डम ब्लाक्स
2. सर्फेस टेन्शन
3. पशु-पक्षी
4. पशु
5. तराजू और बांट
6. मेग्नीफाईंग ग्लास
7. इंचटेप
8. मैगनेट
9. स्वच्छता, आहार, भाषा और नम्बर-चार्ट

4. खेलकूद की सामग्री

1. टापने की रस्सी
2. गेंदें–फुटबाल
   –वॉलीबॉल
   –रबर बॉल

3. एअर पम्प
4. रिंग
5. टायर के साथ झूले की रस्सी
6. प्राइमरी साइन्स किट
7. औजारों का छोटा थैला
8. रेडियो कम कैसेट-प्लेयर
9. पुस्तकालय के लिए पुस्तकें
    1. संदर्भ पुस्तकें—शब्दकोश
       —ज्ञान कोश
    2. बच्चों की पुस्तक (कम से कम 200)
    3. अध्यापकों और बच्चों के लिए पत्रिकाएँ और समाचार-पत्र
10. स्कूल की घंटी
11. संगीत वाद्य
    ढोलक या तबला
    हरमोनियम
    मंजीरे
12. शिक्षक के पास आड़े समय के लिए कुछ पैसा
13. सभी मौसमों के लिए उपयुक्त क्लासरूम
    1. क्लासरूम
    2. शौचालय (एक लड़कों और एक लड़कियों के लिए)
    3. छात्रों और शिक्षकों के लिए चटाइयाँ और फर्नीचर
14. ब्लैक बोर्ड
15. चॉक और डस्टर
16. पानी की सुविधा
17. कचरे का डिब्बा

मॉड्यूल—5

प्राथमिक स्तर पर छात्रों के प्रवेश और उनकी पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहन देना

सिंहावलोकन

यह मॉड्यूल उन बच्चों के बारे में है जो विद्यालय नहीं जाते। ऐसे बच्चों की संख्या बहुत बड़ी है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में यह एक बड़ी समस्या है।

इस मॉड्यूल का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं के बारे में आप में चेतना उत्पन्न करना है। जिससे आप सभी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने और 14 वर्ष की आयु तक सफलतापूर्वक शिक्षा पूरी करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर सकें।

मॉड्यूल में सुझाए गए कार्यकलापों में भाग लेने के बाद आप छात्रों के प्रवेश तथा पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करने में शिक्षक की भूमिका को और अच्छी तरह से समझ सकेंगे।

शैक्षिक कार्यनीतियों और विद्यालय के वातावरण में उन कमियों का पता लगाया जाएगा तथा उन पर चर्चा की जाएगी जिससे शिक्षा नीरस बन जाती है। इससे आपको वैकल्पिक शैक्षिक कार्यनीतियों को सोचने और विद्यालय के वातावरण में सुधार के लिए योगदान करने का अवसर मिलेगा।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित बात कर सकेंगे :

—बच्चों को विद्यालय से अलग रखने वाले कारणों को बताना,

—समुदाय के उन वर्गों का पता लगाना जिनके बच्चे विद्यालयों में नहीं जाते,

—बच्चों के विद्यालय में प्रवेश और पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करने में अपनी भूमिका की चर्चा

—समुदाय के उन बच्चों का पता लगाना,

—शिक्षा के लिए अभिभावकों बच्चों को प्रेरित करने वाली तकनीकों को समझना और उनका प्रयोग करना,

—शिक्षा को नीरस बनाने वाली शैक्षिक कार्यनीतियों और विद्यालय के वातावरण की कमियों का विश्लेषण करना,

—शिक्षा को आकर्षक बनाने के उद्देश्य से विद्यालय के वातावरण में सुधार के लिए वैकल्पिक शैक्षिक कार्यनीति सुझाना।

अध्ययन कार्यकलाप

आप काफी कुछ समय से शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपके विद्यालय के द्वार समुदाय के सभी बच्चों के लिए खुले हुए हैं। आप जानते हैं कि स्थानीय समुदाय के कितने बच्चे विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं।

साथ ही, आप इस तथ्य से भी परिचित हैं कि बहुत से ऐसे-बच्चे भी हैं जो विद्यालय नहीं जाते। अनेक बार आपने सोचा भी होगा कि ये बच्चे विद्यालय क्यों नहीं आ रहे हैं ? आपने उनके विद्यालय न आने के कारणों का अनुमान भी लगाया होगा।

कार्यकलाप—1

क्या आप उन कारणों को याद कर सकते हैं ? यदि हाँ, तो एक पृथक कागज पर ऐसे सभी कारणों को लिखिए	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

आइये अब इस समस्या को हम एक दूसरे दृष्टिकोण से देखें। विद्यालय न जाने वाले ये बच्चे, लड़के और लड़कियाँ दोनों हो सकते हैं। वे समुदाय के विभिन्न वर्गों के हो सकते हैं। आशा हैं आप इस बात से भी परिचित होंगे। आपने बारीकी से इसका अवलोकन भी किया होगा।

निम्नलिखित दोनों प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए।

कार्यकलाप—2

विद्यालय न जानेवाले बच्चों में लड़के अधिक हैं अथवा लड़कियाँ ? इसके क्या कारण हैं ? समुदाय के किन वर्गों के बच्चे सबसे कम संख्या में विद्यालय आ रहे हैं ? इसके क्या कारण हैं ?	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

ऐसा देखा गया कि के विद्यालय न जाने वाले कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की संख्या प्राथमिक स्तर पर बहुत अधिक पायी जाती है। पढ़ाई छोड़ देने की इस ऊँची दर के अनेक कारण हो सकते हैं। ये कारण शैक्षिक भी हो सकते हैं और गैर-शैक्षिक भी।

कार्यकलाप—3

बच्चों द्वारा पढ़ाई छोड़ देने के
शैक्षिक कारण लिखिए

अब आप इन बच्चों के विद्यालय न जाने के कारणों से परिचित हो चुके है। आप यह भी जानते हैं कि ये बच्चे समुदाय के किन वर्गों के हैं।

यह केवल आप की समस्या नहीं है। दूसरे शिक्षकों को भी ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ता है। यह राष्ट्रीय समस्या है। वस्तु स्थिति यह है कि बच्चों की एक बहुत बड़ी संख्या, जिसे प्राथमिक/प्रारम्भिक विद्यालयों में पढ़ते होना चाहिए था विद्यालय से बाहर है। एक रिपोर्ट के अनुसार 6-14 आयु वर्ग के लगभग 5 करोड़ बच्चे विद्यालय नहीं जाते। (शिक्षा मंत्रालय की 1982 की रिपोर्ट)। इस समस्या का

व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे एक प्रकार से युद्ध-स्तर पर हल किया जाना है।

हमारे राष्ट्रीय नेता इस समस्या के प्रति सचेत थे। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व ही उन्होंने इसके हल की आवश्यकता पर जोर दिया। गोपालकृष्ण गोखले और महात्मा गांधी ने इस समस्या की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया।

स्वाधीनता-पूर्व की यह चिन्ता भारत के संविधान में स्पष्ट रूप में परिलक्षित हैं। उसमें यह परिकल्पना है कि 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। इसे हम प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के प्रावधान (यू० पी० ई०) के नाम से जानते हैं। इसमें निम्न बातें शामिल हैं:

—सभी के लिए शैक्षिक सुविधाओं का प्रावधान,

—सभी के लिए विद्यालय में प्रवेश का आश्वासन,

—सभी के लिए विद्यालय में उपस्थिति का आश्वासन,

—सभी के लिए पढ़ाई जारी रखने का आश्वासन,

—सभी के लिए प्राथमिक चरण की शिक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने का आश्वासन,

—शिक्षा में सुधार के द्वारा सभी के लिए सुशिक्षा का आश्वासन।

अब हम एक प्राथमिक शिक्षक के निजी अनुभव पर विचार करें। सत्र के प्रारम्भ में बच्चों ने कक्षा में काफी बड़ी संख्या में प्रवेश लिया। लगभग एक मास तक वे नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होते रहे। धीरे-धीरे उपस्थिति, गिरनी शुरू हो गई। कुछ छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी। कुछ अनियमित हो गए। अतः अनियमित रूप से विद्यालय जाने वाले छात्रों ने भी पढ़ाई छोड़ दी। उपस्थिति में गिरावट पर शिक्षक को चिन्ता हुई। उसने उन बच्चों को विद्यालय में वापस लाने के लिए कुछ उपाय अपनाये।

कार्यकलाप—4

—क्या आप पढ़ाई छोड़ कर बैठ रहे छात्रों को विद्यालय में वापस लाने के लिए, शिक्षक द्वारा अपनाये गये उपायों का अनुमान लगा सकते हैं?

—आपके विचार से शिक्षक को, पढ़ाई छोड़कर बैठ रहे छात्रों को, अपनी कक्षा में वापस लाने के लिए किस बात से प्रेरणा मिली?

—विद्यालय न जाने वाले और पढ़ाई छोड़कर बैठ रहने वाले बच्चों को वापस लाने में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है?

—जिन बच्चों ने विद्यालय में कभी प्रवेश नहीं लिया उन्हें विद्यालय में लाने के लिए क्या किया जा सकता है?

इस दिशा में पहला कदम सेवित क्षेत्र के विद्यालय न जाने वाले बच्चों का पता लगाना होगा।

कार्यकलाप—5

—उन सूत्रों का उल्लेख कीजिए जिनसे आप ऐसे बच्चों का पता लगाने के लिए सम्पर्क करना चाहेंगे ! —ऐसे बच्चों का पता लगाने के लिए आप किन साधनों तथा उपायों को काम में लायेंगे ?	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

विद्यालय न जाने वाले बच्चों का पता लगाने के लिए आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं :

1. उपस्थिति रजिस्टर देखना
2. अभिभावकों और बच्चों से सम्पर्क करना

आपके सर्वेक्षण में निम्न बातें हो सकती हैं :

(क) बच्चे/अभिभावकों से सूचना एकत्र करना (यह सीधे बातचीत से किया जा सकता है)

(ख) एकत्र की गई सूचना को अंकित करना ।

यह सूचना नीचे प्रदर्शित प्रपत्र में अंकित की जा सकती है ।

(1) बच्चे का नाम...

(2) आयु...

(3) पिता/अभिभावक का नाम...........................

(4) परिवार की आय का साधन...........................

(5) काम जिसमें बच्चा लगा है..........................

(6) क्या बच्चा कभी विद्यालय गया है ?
(हाँ/नहीं..........)

(7) विद्यालय छोड़ने का कारण

(8) क्या वह विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र में पढ़ने को उत्सुक है ? हाँ/नहीं
यदि नहीं तो क्यों.....................................

सेवित क्षेत्र के विद्यालय न जाने वाले बच्चों का पता लगा लेने के बाद आप के मस्तिष्क में अगला प्रश्न यह पैदा होता है कि उन्हें किस प्रकार विद्यालय में लाया जाय ? इसके लिए अभिभावकों और बच्चों को सही ढंग से प्रेरित करने की आवश्यकता है । इसके कुछ उपाय निम्नलिखित हो सकते हैं :—

(1) बच्चों और विद्यालय को अधिक तरह से समझने के लिए अभिभावकों से नियमित रूप से मिलना-जुलना ।

(2) हिचकिचाहट दिखाने वाले सदस्यों को प्रभावित और शिक्षित करने के लिए समुदाय के ऐसे लोगों से मिलना जिनकी राय को महत्वपूर्ण समझा जाता है, जैसे बुजुर्ग लोग, पढ़े-लिखे लोग आदि ।

(3) विद्यालय के नियमित कार्यक्रम देखने और कुछ विशेष उत्सवों में भाग लेने के लिए अभिभावकों को आमन्त्रित करना ।

(4) मेले-तमाशों या कुछ ऐसे ही समारोहों में सूचनाओं और छात्रों द्वारा तैयार की गयी वस्तुओं को प्रदर्शित करना ।

(5) अभिभावकों/बच्चों को विद्यालय जाने पर उपलब्ध प्रोत्साहन योजनाओं से परिचित कराना ।

आप यह समझ चुके होंगे कि विद्यालय छोड़ने का एक कारण नीरस पढ़ाई और विद्यालय का वातावरण हो सकता है। शिक्षक के नाते यहाँ आपके लिए यह अवसर है कि अपनी शैक्षिक कार्यनीतियों का विश्लेषण करें तथा उनमें सुधार करें। साथ ही विद्यालय के वातावरण को बेहतर बनाने में योगदान करें जिससे बच्चे पढ़ाई जारी रखे रहें।

कार्यकलाप—6

—उन प्रयासों का उल्लेख कीजिए जो आप अपनी शैक्षिक कार्यनीतियों में सुधार के लिए उठा सकते हैं। —उन उपायों को सुझाइए जो आप विद्यालय के वातावरण में सुधार के लिए अपना सकते हैं।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

कार्यकलापों और चर्चा में आपके भाग लेने के दौरान इस विषय से सम्बन्धित अनेक प्रश्न उठाये गये। हम यह मानकर चले हैं कि आप इस विषय से सम्बन्धित अनेक प्रश्नों और उनके सुझावों से, पहले से परिचित हैं। आशा हैं कि इस परस्पर विचार-विमर्श से इस विषय के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में आपकी समझ और दृष्टि-कोण के और अधिक विकास तथा स्पष्टीकरण में सहायता मिली होगी। यदि यह सही है तो आप जिस सेवित क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, उसके विद्यालय जाने वाले और विद्यालय न जाने वाले बच्चों के लिए आप की चिन्ता के स्तर में इससे अवश्य बृद्धि हुई होगी। अपने विद्यालय के सन्दर्भ में आप बच्चों के प्रवेश और उनके पढ़ाई जारी रखने में सुधार के लिए कार्य-योजना तैयार कर सकते हैं।

प्रश्न

1. वे कौन से कारण हैं जो बच्चों के विद्यालय जाने में बाधक बनते हैं ?
2. विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कौन से सम्भावित उपाय अपनाये जा सकते हैं ?
3. बच्चे पढ़ाई जारी रखें, इसके लिए विद्यालय के वातावरण और शिक्षा में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है।
4. कुछ बच्चों के लिए विद्यालय कैसे नीरस समझा जाता है ?

मॉड्यूल–10 (प्रा०)

बढ़ता बच्चा-उसकी आवश्यकताएं और समस्याएं

बच्चे विकास की कई सीढ़ियों से गुजरते हैं। सही देखरेख से बच्चे का विकास निर्बाध होता हैं, और कार्य-क्षमता बढ़ती है जबकि सही देखरेख न होने पर बच्चे का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता और कार्यक्षमता पर भी उसका असर पड़ता है। विकास की हर सीढ़ी सफलतापूर्वक पार कर लेने के बाद बच्चा भावी विकास संबंधी समस्याओं का सहज मुकाबला कर सकता है। बढ़ते बच्चे की कुछ खास जरूरतें होती हैं। जैसे शैशवकाल में उसकी अहं जरूरतें हैं : प्यार, दुलार, स्पर्श, आहार, स्वच्छता, देखरेख आदि। इन आधारभूत आवश्यकताओं पर अगर हम समुचित ध्यान नहीं देते, या इनकी उपेक्षा करते हैं, अथवा ढील बरतते हैं, तो बच्चे के विकास को हानि पहुंच सकती है। शिक्षक के रूप में आपको बच्चे की जरूरतें और समस्याओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने और समस्याओं को सुलझाने में उसकी मदद करनी चाहिए।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप—

—प्राइमरी स्कूल के बच्चों की आवश्यकताओं और समस्याओं को समझ सकेंगे।

—छोटे बच्चों की विभिन्न समस्याओं की सूची बना सकेंगे।

—समझ सकेंगे कि ये समस्याएं किस तरह की हैं।

—सरल एवं व्यावहारिक उपायों द्वारा बच्चों की सही वृद्धि के लिए माता-पिता एवं बच्चों की मदद कर सकेंगे।

—शिक्षक के रूप में अपने अनुभवों द्वारा छोटे बच्चों की समस्याओं का पता लगा सकेंगे और अलग से उनकी सूची तैयार कर सकेंगे।

ज्ञानार्जन सम्बन्धी कार्यकलाप

आप एक लम्बे समय से शिक्षक हैं। प्राइमरी स्कूल के छात्रों के साथ आपका अच्छा खासा अनुभव हैं। इस अवस्था के बच्चों को आपने काफी नजदीक से देखा और परखा है। इस दौरान आपने अनुभव किया होगा कि बच्चे कई तरह से व्यवहार करते हैं। उनके व्यवहार या आचरण का एक विशेष तरीका होता है क्योंकि वही तरीका उन्हें पसन्द होता है। उदाहरण के लिए वे आपस में एक दूसरे के लिए दिलचस्पी दिखाते हैं, क्योंकि वे दूसरों के लिए प्यार जताना चाहते हैं।

आइये अब यह देखें कि हमारा 'आवश्यकता' से क्या मतलब है ?

कार्यकलाप—1

एक पृष्ठ पर लिखिए कि आपके विचार से व्यक्ति की "आवश्यकता" क्या है ?	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

जैसाकि विचार विनिमय से स्पष्ट है, "आवश्यकता" "आन्तरिक इच्छा" है जिसे व्यक्ति पूरा करना चाहता है। और इस "आन्तरिक इच्छा" को पूरा करने के लिए व्यक्ति एक खास ढंग से व्यवहार करता है जिसे हम "आचरण" कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि "आवश्यकता" व्यक्ति को "प्रेरित" करती है और व्यक्ति तद-नुसार आचरण करता है। जैसे—खाना, पीना, सोना, खेलना, लड़ना-झगड़ना, दोस्ती करना, प्यार जताना, प्यार लेना, दिखावा करना, डरना, प्रश्न पूछना, कुतूहल दिखाना, विरोध प्रदर्शित करना आदि इन आवश्यकताओं की सूची लम्बी है।

प्रत्येक आचरण के पीछे कोई न कोई प्रेरणा होती है। क्योंकि इससे आन्तरिक इच्छा, चाहना या विकास से सम्बन्धित आवश्यकता की पूर्ति होती है।

क्या आप इन आवश्यकताओं का समूहों में वर्गीकरण कर सकते है ?

कार्यकलाप—2

आवश्यकताओं का समूहों में वर्गीकरण कीजिए, उदाहरण के लिए शारीरिक आवश्यकताएं।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

बच्चों की शारीरिक आवश्यकतायें हैं—भूख, प्यास आदि, जिन्हें वे पूरी करने की कोशिश करते हैं। उनकी सामाजिक एवं भावात्मक आवश्यकतायें हैं, दोस्ती करना, लड़ना-झगड़ना, प्यार करना, दूसरों का ध्यान रखना, आदर करना, मान्यता पाने की कोशिश करना, स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न करना, मिल-जुलकर खेलना या काम करना आदि। परीक्षा में अच्छे नम्बर पाने के लिए बच्चे मेहनत करते हैं, प्रशंसा और मान्यता पाने के लिए वे कक्षा में बहुत अच्छी तरह व्यवहार करते हैं। ये कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से वे अपनी मानसिक आवश्यकतायें पूरी करते हैं।

अब आप जान गये हैं कि विभिन्न प्रकार की आवश्यकतायें क्या हैं और साथ ही यह भी कि "आचरण" से क्या तात्पर्य है जो "आवश्यकता" की पूर्ति के लिए किया जाता है।

कार्यकलाप—3

अगर आप बच्चे की "आवश्यकता" पूरी नहीं करते तो क्या होगा ? कुछ वाक्यों में लिखिए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

अगर आप बच्चों की "आवश्यकतायें" पूरी नहीं करते तो कुछ समस्यायें उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे बच्चे के मानसिक विकास में रुकावट आ सकती हैं, उसे अपने घर में, परिवार में, स्कूल में या अपने साथियों के साथ तालमेल बैठाने में कठिनाई हो सकती है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि जो बच्चे अच्छी तरह नहीं खाते वे बड़ी जल्दी बीमार पड़ते हैं, सुस्त और कमजोर रहते हैं। इसी प्रकार कक्षा में जिन बच्चों के मित्र नहीं होते वे अकेले और खिचे-खिचे से रहते हैं अथवा कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो हमेशा लड़ते-झगड़ते रहते हैं। वे इस प्रकार का आचरण शायद इसलिए करते हैं कि उनकी सामाजिक व भावात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की गई है।

कार्यकलाप—4

कक्षा में अपने अनुभवों को याद कीजिए और उन विशेष समस्याओं का उल्लेख कीजिए जिन्हें आपने बच्चों में देखा है।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

कक्षा में प्रायः शिक्षक के सामने आने वाली कुछ समस्यायें हैं :—

शारीरिक समस्यायें :—शारीरिक दोष वाले बच्चे–जो ठीक से न देख पाते हों, ठीक से न बोल पाते हों या न सुन पाते हों–हो सकता है सिरदर्द की शिकायत करें, बहुत नजदीक से पढ़ने की कोशिश करें, हकलाएं, अटक-अटक कर बोलें, सकुचाएँ या शर्माएँ।

सामाजिक समस्यायें :—आपने अपनी कक्षा में देखा होगा कि कुछ बच्चे अलग-अलग से रहते हैं। झगड़ते हैं, विरोध करते हैं, दिखावा करते हैं, शेखी मारते हैं या आपस में झगड़ा आदि करते हैं। ये सब सामाजिक समस्याओं के लक्षण हैं।

शैक्षिक समस्यायें :—कुछ बच्चे शैक्षिक समस्याओं के शिकार होते हैं। उन्हें अपना पाठ समझने में कठिनाई होती है, वे पहाड़े या स्पेलिंग याद नहीं कर पाते या परीक्षा में पास नहीं हो पाते।

कार्यकलाप–5 (अ)

कुछ माता-पिता अपने बच्चों को बहुत छोटी उम्र में बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। ऐसे बच्चों की ऐसी समस्याओं की सूची बनाइये। जिनका सामना उन्हें माता-पिता से अलग रहने के कारण करना पड़ता है।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

कार्यकलाप–5 (ब)

क्या आप इस प्रकार के बच्चों के कुछ विशिष्ट उदाहरण दे सकते हैं।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

बच्चों की समस्याओं और उनके लक्षणों को जानने के बाद आप अपनी कक्षा में आसानी से ऐसे बच्चों को पहचान सकते हैं, जो ऐसी ही कुछ समस्याओं के शिकार हैं। विचार विनिमय के लिए ऐसे उदाहरण सामने रखिये।

सही वृद्धि और विकास के लिए यह आवश्यक है कि बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए और समस्यापूर्ण बच्चों की विशेष देखभाल की जाय। माता-पिता एवं शिक्षक इन पहलुओं को ध्यान में रखकर यह कार्य अच्छी तरह कर सकते है।

कार्यकलाप–6

शिक्षक के रूप में आप कैसे देखेंगे कि बच्चे की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ती की जा रही है।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

इसमें कोई मतभेद नहीं कि माता-पिता के बाद शिक्षक ही सबसे अधिक बच्चे के सम्पर्क में आता है वह दिन में काफी लम्बे समय तक बच्चे के साथ रहता है। इसलिए वह एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर इस बात का ध्यान रख सकता है कि बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाये।

अब हम एक-एक करके आवश्यकताओं का जिक्र करेंगे और देखेंगे कि एक शिक्षक उनकी पूर्ति के लिए क्या कर सकता है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति का बच्चे के विकास व वृद्धि पर बहुत असर पड़ता है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में अनेक बच्चों की मूलभूत भौतिक एवं शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। तमाम या अनेक बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ठीक से खाना नहीं मिल पाता, कपड़े नहीं मिल पाते, और जो गंदे-गंदे घरों में रहते हैं। कई विद्यालय हैं जहां कक्षाओं में उचित रोशनी नहीं आती, बच्चों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता। शिक्षक ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दे सकते है जिनके अन्तर्गत बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन एवं दूध की व्यवस्था की जा सकती है। शिक्षक को कक्षाओं में रोशनी की उचित व्यवस्था तथा पीने के लिए साफ पानी का प्रबन्ध देखना चाहिए। पाठ्यक्रम में खेलकूद और व्यायाम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्या शिक्षक माता-पिता के साथ मिलकर ऐसा कुछ कर सकता है जिससे घर पर भी बच्चों की इन आवश्यकताओं की ठीक से पूर्ति हो सके।

गतिविधि–7

एक पन्ने पर लिखें कि इस संदर्भ में आप माता-पिता के साथ मिलकर क्या कर सकते हैं ?	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

जी हाँ, बहुत से माता-पिता अथवा अभिभावकों को ज्ञात भी नहीं होता कि बच्चे के लिए संतुलित आहार, विश्राम, पर्याप्त नींद, सफाई और स्वास्थ्य की देखभाल की कितनी आवश्यकता है। वे माता-पिता को इस सम्बन्ध

में उचित सलाह दे सकते हैं कि बच्चे के स्वास्थ्य की नियमित रूप से जांच होती रहे और उसका रिकार्ड रखा जाये।

जहाँ तक सामाजिक और भावात्मक आवश्यकताओं का प्रश्न है, शिक्षक बहुत कुछ कर सकता है। वह कक्षा में विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन कर सकता है और बाहर खेलकूद एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए कदम उठा सकता है जिससे बच्चे मिल-जुलकर या समूह बनाकर काम कर सकें, तथा खेलकूद सकें और उनमें प्रतिस्पर्धा एवं सहकारिता की स्वस्थ भावना जागृत हो सके।

अध्यापक बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है जिससे बच्चा यह समझ सके कि उसे अध्यापक द्वारा स्वीकृति मिली है। बच्चे प्यार में सुरक्षा का अनुभव करते हैं। अध्यापक को स्नेह और प्यार से उसे अनुशासन में रखना चाहिए। बच्चे की मानसिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति उसे प्रोत्साहित करके की जा सकती है, जिससे वह चारों ओर के परिवेश के प्रति जिज्ञासु हो सके। बच्चे को अनुभवों को प्राप्त करने की पर्याप्त स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए, जिससे उसमें आत्म-विश्वास एवं आत्म-सम्मान की भावना का विकास हो सके। उसे स्वतन्त्रतापूर्वक पढ़ने की छूट मिलनी चाहिए। बच्चे को आर्ट, ड्राइंग, चित्रकला, क्ले मॉडलिंग, नाटक, नृत्य तथा संगीत में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए ताकि उसे आत्मा-भिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर मिल सकें। शिक्षक को बच्चे की प्रतिभा एवं अन्य गुणों के सम्बन्ध में भी जानना चाहिए तथा बच्चे को पुरस्कृत भी करना चाहिए।

शिक्षक को कक्षा के वातावरण में सुधार कर उसे स्वतंत्र एवं ग्राह्य बनाना चाहिए। इससे बच्चे की आवश्यकता की संतुष्टि होगी एवं उसके विकास में सहायता मिलेगी।

———

मॉड्यूल—11 (प्रा०)

नए पाठ्यक्रम के ढाँचे में छात्र केन्द्रित उपागम

सिंहावलोकन

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप जान जाएंगे कि यह प्रणाली वर्तमान प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है, प्रणाली में यह परिवर्तन क्यों आवश्यक है, इसका लक्ष्य क्या हैं। और कक्षा में आपके काम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को समझने के बाद

—आप समझ सकेंगे कि छात्र केन्द्रित प्रणाली का क्या अर्थ है और इस पर चर्चा कर सकेंगे।
—आप जान जाएंगे कि यह प्रणाली वर्तमान "शिक्षक केन्द्रित प्रणाली" से किस प्रकार भिन्न हैं।
—आप यह भी अनुभव कर सकेंगे कि क्लास में शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका पर इसका क्या असर होगा।
—आप समझ सकेंगे कि आपके छात्रों के मूल्यांकन में इस उपागम का क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा।
—आप स्वीकार करेंगे कि केवल मात्र पाठ्यक्रम को पूरा कराना ही नहीं अपितु छात्र को उसका सही अर्थों में ज्ञान हासिल कराना ही प्रत्येक शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए।
—आप प्रारंभिक अवस्था में ही बच्चे के मानसिक विकास की विशेषताओं को जान सकेंगे और कक्षा में बच्चों को पढ़ाते समय इस जानकारी का लाभ उठा सकेंगे।

ज्ञानार्जन सम्बन्धी कार्यकलाप

आप शायद कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं और कक्षा में बच्चों के साथ काफी अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं। इस दौरान आप सुनिश्चित शिक्षण पद्धति एवं नीतियों का अनुसरण करते आए हैं। पलभर को रुकिए और उन पर विचार कीजिए।

कार्यकलाप—1

आप किन शिक्षण-पद्धतियां व नीतियों का प्रयोग करते आए हैं ? एक अलग पन्ने पर लिखें।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

अब आपने सूची बना ली है कि आप अभी तक किन तरीकों से पढ़ाते आए हैं। आइए अब हम उन्हें इस दृष्टिकोण से देखें कि ये "छात्र केन्द्रित उपागम" रहे हैं या "शिक्षक केन्द्रित" ?

कार्यकलाप—2

कक्षा में "छात्र-केन्द्रित प्रणाली" से आप क्या समझते हैं, कुछ वाक्यों में लिखिए ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

विचार-विनिमय से पता चलता है कि "छात्र-केन्द्रित उपागम का अर्थ है कि "शैक्षिक-कार्यक्रम" का केन्द्र विन्दु शिक्षक नहीं अपितु स्वयं "बच्चा" या "छात्र" है । इस प्रणाली के अनुसार पाठ्यक्रम हर श्रेणी के छात्र की आवश्यकता, रुचि, रुझान व क्षमता पर आधारित होना चाहिए, जिससे छात्र आवश्यक ज्ञान, जानकारी, योग्यता, दक्षता व मूल्य प्राप्त कर सकें और शिक्षा के महत्त्व को समझ सकें । इस प्रकार उसे अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी ।

इस प्रणाली के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य बच्चे को पढ़ाना लिखाना ही नहीं है अपितु बच्चे का सर्वांगीण विकास भी है । पर बच्चे के सर्वांगीण विकास का सही अर्थ क्या है ?

कार्यकलाप—3

क्या आप विकास के विभिन्न पहलुओं की सूची बना सकते हैं जो पाठ्यक्रम में होने चाहिए ?	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

महात्मा गांधी ने कहा था शिक्षा से मेरा तात्पर्य हैं "बच्चे के तन-मन व मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास ।" इसलिए पाठ्यक्रम में सभी पहलुओं का समावेश होना चाहिए : पढ़ाई-लिखाई, ज्ञान, विज्ञान, कला, अभिवृत्ति, व्यायाम, स्वास्थ्य-ज्ञान, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्य, सौंदर्य शास्त्र और कार्य-अनुभव ।

(परिशिष्ट—1 देखें)

हमारे समाने स्पष्ट हो गया है कि "छात्र-केन्द्रित उपागम" क्या है ? इसलिए आइए "कार्यकलाप—1" को लें और उस पद्धति व उन नीतियों पर दृष्टिपात करें, जिनका हम अभी तक अनुसरण करते आए हैं । वे "छात्र केन्द्रित" हैं या "शिक्षक केन्द्रित" ?

कार्यकलाप—4

आपकी पद्धति छात्र केन्द्रित है या शिक्षक केन्द्रित ? कुछ वाक्यों में लिखिए और साथ ही कारण भी दीजिए	**एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए**

अधिकांशतः अभी तक शिक्षकों की पद्धति "छात्र केन्द्रित" नहीं, अपितु "शिक्षक केन्द्रित" रही है। जैसाकि हम सभी जानते है, वर्तमान शिक्षण-पद्धति के अंतर्गत स्कूलों में मुख्यतः उपस्थिति पर और पाठ को रटाने पर जोर दिया जाता है। उदाहरण के लिए शिक्षक पाठ्यक्रम की पुस्तक हाथ में ले बच्चों को पढ़ाता है और उसके बाद उनसे आशा करता है कि वे पाठ्य पुस्तक में उपयुक्त शब्दों में ही प्रश्नों का उत्तर देंगे दूसरी ओर "छात्र-केन्द्रित उपागम" का अर्थ है कि जोर "पाठन-प्रक्रिया" (पढ़ाने) पर नहीं अपितु "पठन-प्रक्रिया" (पढ़ने) पर दिया जाए। अर्थात हमें इस पर जोर देना चाहिए कि बच्चा सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं वरन् कुछ सीखने के लिए पढ़ें। इसका अर्थ यह हुआ कि हम बच्चे में कुछ सीखने के लिए रुचि जगाएं और उसे इस योग्य बनाएं कि वह स्वयं पढ़ सके और दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे ज्ञान के सतत प्रवाह की चुनौतियों का सामना कर सके।

क्या आप सोचते हैं कि यह प्रणाली शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका पर कोई असर डालेगी ?

कार्यकलाप–5

आपके विचारानुसार इससे शिक्षक की भूमिका में क्या परिवर्तन आएंगे ?
कुछ वाक्यों में लिखिए।

विचार-विनियम से पता चलता है कि इस पद्धति से शिक्षक की भूमिका निश्चित् रूप से बदलेगी। पारस्परिक या वर्तमान भूमिका में शिक्षक छात्र को विभिन्न विषय पढ़ाता है और आवश्यक जानकारी देता है। नई पद्धति में शिक्षक की भूमिका एक पथ-प्रदर्शक की होगी, जो बच्चों को सही ढंग से पढ़ने-लिखने का अनुभव करायेगा और आसपास के वातावरण एवं परिस्थितियों से परिचित करायेगा। इस प्रकार बच्चों में अवलोकन की, अपने आस-पास की वस्तुओं को ध्यान से परखने की, जानकारी एकत्रित करने की ओर परिणाम व निष्कर्ष पर पहुँचने की क्षमता का सहज विकास होगा। और बच्चों को स्वयं पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।

आइए, हम यहाँ इसका एक उदाहरण लें। मान लीजिए हमें तीसरी कक्षा के छात्रों को विज्ञान पढ़ाते समय "पौधे" के विभिन्न हिस्सों के बारे में जानकारी देनी है। यहाँ हम "शिक्षक-केन्द्रित" और "छात्र-केन्द्रित" दोनों ही पद्धतियों का प्रयोग कर सकते हैं।

कार्यकलाप–6

दो अलग-अलग स्तम्भों में लिखिए	एकत्र कीजिए
कि इन दोनों पद्धतियों से यह पाठ	मिलान कीजिए
किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है ?	चर्चा कीजिए

आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि यह पाठ नोट्स के रूप में पौधे के विभिन्न हिस्सों का वर्णन करके नहीं पढ़ाया जा सकता। यहाँ शिक्षक को बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करनी होगी जिससे बच्चे पौधे को अपनी आँखों से देख सकें, उसे छू सकें तथा शिक्षक की सहायता से पौधे के विभिन्न भागों के बारे में जान सकें; और उसके बाद स्वयं अपने अनुभवों को लिख सकें।

स्वयं "पता लगाने से" या "खोज करने से" बच्चों की अवलोकन एवं विश्लेषण क्षमता बढ़ती है। विभिन्न परिस्थितियों में वे अपनी इस क्षमता का प्रयोग कर सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इसके विपरीत शिक्षक नोट्स द्वारा सिर्फ सीमित जानकारी ही बच्चों को दे सकता है और फिर यहाँ यह भी सुनिश्चित नहीं कि शिक्षक ने बच्चों को जो कुछ पढ़ाया है, इसे बच्चों ने समझा भी है या नहीं।

आप भी स्वीकार करेंगे कि भाषण देने की, नोट्स लिखने की, एक रूप उत्तर तैयार करने की और मांग पर उसी जानकारी को पुनः प्रस्तुत करने की वर्तमान पद्धति को प्रोत्साहन नहीं किया जाना चाहिए।

शिक्षक की भूमिका को बदलने की बात करते समय एक और प्रश्न उभर कर सामने आता है। बच्चे के सर्वांगिंण विकास के लिए शिक्षक सामाजिक और भावनात्मक दृष्टि से क्या कर सकता है ?

कार्यकलाप–7

संक्षेप में सिर्फ एक विन्दु लिखिए कि शिक्षक बच्चों के सामाजिक या भावनात्मक विकास के लिए क्या कर सकता है ?	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

विचार- विमर्श के आधार पर यह सभी मानते हैं कि शिक्षक की भूमिका बच्चों के सिर्फ बौद्धिक विकास की दृष्टि से ही नहीं, अपितु विकास के अन्य पहलुओं को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। बच्चों के सामाजिक विकास के लिए शिक्षक को ऐसे कार्यकलापों का आयोजन करना चाहिए कि जहाँ बच्चे मिल-जुलकर काम करना और खेलना सीखें। उदाहरण के लिए तीसरी कक्षा की अध्यापक "जानवरों के प्राकृतिक वास" के बारे में बताते समय बच्चों को तीन समूहों में बाँटकर "वायुचर" "थलचर" और "जलचर" उन तीन तरह के जानवरों पर प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए कह सकती है। इस प्रकार बच्चों में मिल कर काम करने की भावना बढ़ेगी।

आइए, इसी तरह हम भावात्मक पहलू पर भी विचार कर लें। शिक्षक के सकारात्मक रवैये से बच्चों को प्रेरणा व प्रोत्साहन मिलेगा इसके विपरीत अगर शिक्षक दण्ड देने के तथा नकारात्मक रवैया अपनाता है तो उससे बच्चे के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचेगी और स्कूल में उसकी कार्यक्षमता पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा।

यहाँ हमें एक और पहलू पर विचार करना होगा, और वह है—छात्र का मूल्यांकन इस प्रणाली के अनुसार आपके विचार से मूल्यांकन (परीक्षा) पद्धति में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए या नहीं ?

कार्यकलाप–8

संक्षेप में लिखिए, आपके विचारानुसार मूल्यांकन पद्धति को किस तरह बदला जा सकता है ? कारण भी दीजिए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

ALL ROUND DEVELOPMENT OF THE CHILD

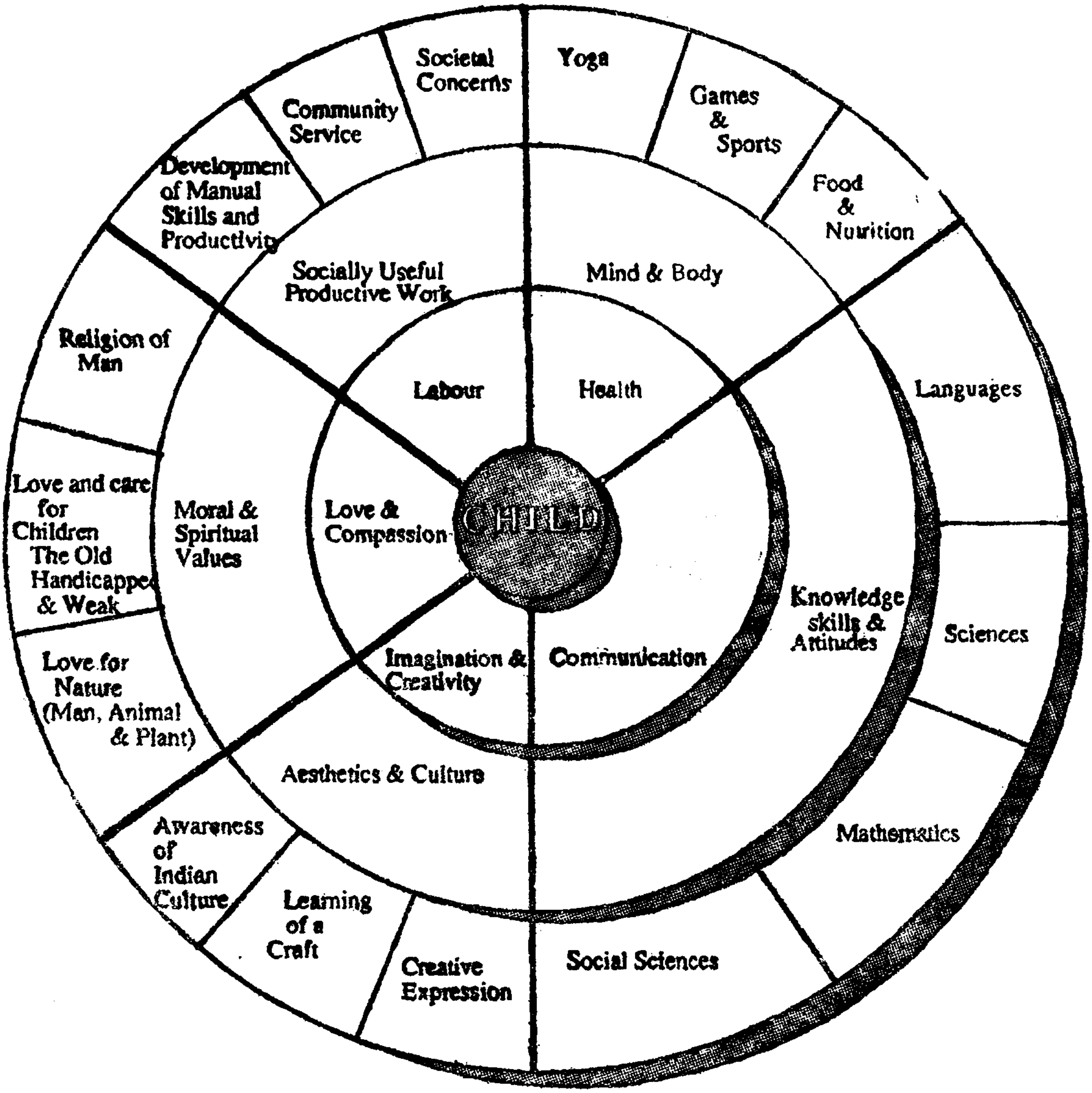

By Education I mean an all round drawing out of the best in Child and Man
- BODY MIND AND SPIRIT
-Mahatma Gandhi

जैसाकि आप में से कुछ ने ठीक लिखा है, नई पद्धति में हमारा ध्यान मुख्यत: बच्चे की रटन शक्ति पर नहीं होगा, वहाँ हम बच्चे के विकास के सभी पहलुओं को देखते हुए "योग्यता-वृद्धि" पर अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे। बच्चे का मूल्यांकन करते समय भी हम सही ढ़ंग अपनाएंगे। वहाँ भी हम उसके ज्ञान की नहीं अपितु "योग्यता-वृद्धि" की जाँच करेंगे उदाहरण के लिए पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को अक्षर जोड़ जोड़कर शब्द पढ़ने आने चाहिए। परीक्षा के समय आप उसे पाठ्यपुस्तक में से कुछ पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे क्योंकि हो सकता है कि उसने अपनी पाठ्यपुस्तक आदि से अंत तक रट ली हो। आप उसके सामने एकदक नई सामग्री रखेंगे और इस प्रकार से उसकी योग्यता की सही जाँच संभव होगी।

बच्चे का मूल्यांकन विकास के सभी क्षेत्रों में किया जाएगा : चाहे वह पढ़ाई-लिखाई का क्षेत्र हो, योग्यता या क्षमता का क्षेत्र हो, सामाजिक या भावात्मक विकास का क्षेत्र हो या कार्यकुशलता का क्षेत्र हो। बच्चा कितना मिलनसार है, उसमें नेतृत्व की कितनी क्षमता है, वह किस हद तक दूसरों के साथ मिलजुलकर काम कर सकता है, उसमें कितना आत्मविश्वास है। इन सब दृष्टिकोणों से भी उसका मूल्यांकन किया जाएगा। आजकल के समान नहीं कि मुट्ठी भर विषयों की परीक्षा लेकर बच्चे को नम्बर दे दिए जाएँ और रिपोर्ट कार्ड तैयार करके बच्चे का मूल्यांकन कर लिया जाए। उसमें बच्चे की विशेषताओं और समस्याओं से संबंधित एक अध्याय भी होगा इससे पता चल सकेगा कि बच्चे को कहाँ विशेष ध्यान की या प्रोत्साहन की आवश्यकता है, जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके। इसीलिए बच्चे की लिखित योग्यता के अलावा मौखिक योग्यता और उसके पिछले रिकॉर्ड को भी देखा जाएगा। बच्चा कक्षा में प्रथम आया है अथवा दूसरे या तीसरे नम्बर पर है—इससे बच्चे की योग्यता को नहीं जाँचा जाएगा अर्थात् एक बच्चे की दूसरे बच्चे की योग्यता से तुलना नहीं की जाएगी अपितु उसके अपने पिछले रिकॉर्ड से तुलना की जाएगी, जिससे यह पता चल सके कि उसने कितनी प्रगति की है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशेष है, उसकी अपनी विशेषताएं हैं और अपनी कमजोरियाँ हैं इसलिए यह उचित नहीं कि बच्चों की आपस में तुलना की जाए। इससे बच्चे के आत्म सम्मान को ठेस पहुँचेगी और कक्षा में उसकी योग्यता बढ़ने की बजाय घटती जाएगी।

आइए, अब हम पाठ्यक्रम की दृष्टि से छात्र-केन्द्रित प्रणाली की चर्चा करें। जब हम इस प्रणाली की बात करते हैं तो क्या इसका अर्थ यह नहीं कि विभिन्न क्षेत्र के बच्चे के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम होना चाहिए क्योंकि सैद्धांतिक रूप से उसे उनकी आवश्यकताओं और विशेषताओं पर आधारित होना चाहिए। नई विचारधारा में एक ही पाठ्यक्रम का विचार कैसे ठीक बैठ सकता है ?

यह सच है कि पाठ्यक्रम तैयार करते समय बच्चों की आवश्यकताओं और विशेषताओं को ध्यान में रखा जाएगा। पाठ्यक्रम सबके लिए एक होगा पर पद्धति और सामग्री भिन्न होगी। अन्य शब्दों में क्लास रूम में छात्रों की आवश्यकताओं एवं क्षेत्रीय संस्कृति व विशेषताओं को ध्यान में रखकर उस पाठ्यक्रम पर अमल किया जाएगा (उदाहरण के लिए पहली कक्षा का भाषा संबंधी पाठ्यक्रम लें) जहाँ तक भाषाई ज्ञान का प्रश्न है सभी राज्यों में एक ही पाठ्यक्रम लागू होगा, चाहे वह बिहार हो, राजस्थान हो या दिल्ली, परन्तु पठन सामग्री अर्थात् कहानियाँ, कविताएँ, पुस्तकें और चार्ट भिन्न होंगे जिनका प्रयोग शिक्षक द्वारा बच्चे को पाठ्यक्रम में पहली कक्षा के लिए निर्धारित भाषाई जानकारी को हासिल कराने में किया जाएगा।

आइए, अब हम इसका समापन करें।

कार्यकलाप—9

उपरोक्त विचार-विनिमय को देखते हुए आपके विचार से शिक्षक का लक्ष्य क्या होना चाहिए ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

जैसा कि आप स्वयं जानते हैं, आजकल के अधिकांश शिक्षकों को पाठ्यक्रम को पूरा करने की चिन्ता रहती है यद्यपि "छात्र केन्द्रित प्रणाली" के अनुसार प्रत्येक शिक्षक का लक्ष्य यह होना चाहिए कि उसकी क्लास का हर बच्चा सच्चे अर्थों में ज्ञान प्राप्त करें। शिक्षक को पाठ्यक्रम पूरा करने की चिन्ता नहीं होनी चाहिए (जैसाकि आजकल उससे आशा की जाती है) अपितु उसे विभिन्न सामग्री एवं पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे प्रत्येक बच्चा जो कुछ उसे पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छी प्रकार समझ सकें। शिक्षक को परीक्षा भी उसी ढंग से लेनी होगी।

प्राथमिक स्तर

आइए, अब हम प्राथमिक स्तर के बच्चों पर विचार करें और देखें कि उनके मानसिक विकास की स्थिति क्या है ? उनकी क्षमता क्या है ?

इस स्तर में 5 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे होते है। यह "ठोस कार्यशील अवस्था" है। इसका अर्थ है कि इस आयु का बच्चा तार्किक ढंग से सोच सकता है, परन्तु सिर्फ ठोस परिस्थिति और पदार्थ सामने आने पर। उदाहरण के लिए इस आयु के बच्चे संकेत चिह्नों के बजाय ठोस पदार्थ सामने रखने पर गिनती आसानी से सीख व समझ सकते हैं।

गतिविधि—10

इन विशेषताओं को देखते हुए जिन्हें आपने स्वयं अवलोकन किया होगा, इस आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का उपागम क्या होना चाहिए कुछ वाक्यों में लिखिए।

चर्चा कीजिए, चर्चा के बाद जो बिन्दु हमारे सामने आए हैं, उन्हें देखते हुए संक्षेप में कहा जा सकता है कि यहाँ कुछ तथ्यों पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, बच्चे के लिए पठन सामग्री का चयन उसके आसपास के पर्यावरण से किया जाना चाहिए जिससे वह भली प्रकार परिचित हैं। परिचित से अपरिचित की ओर धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक बच्चे को आस-पास की वस्तुओं से तादात्म्य स्थापित करने के लिए उन्हें अच्छी तरह देखने, परखने, छूने, हाथ में पकड़ने, सूंघने और विभिन्न प्रकार से जोड़ने-तोड़ने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। जहाँ तक संभव हो बच्चे को आप एक ऐसी कार्यकलाप के माध्यम से सीखने का अवसर दें, जिसमें वह स्वयं भाग ले सके। निम्न प्राथमिक स्तर के लिए विशेषरूप से पहली से तीसरी कक्षाओं के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से खेल-खेल में पढ़ने की पद्धति को अपनाया जाना चाहिए।

यहाँ चर्चा का एक और महत्त्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न प्राथमिक स्तर में शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए ?

गतिविधि—11

आपके विचार से इस अवस्था के बच्चों को पढ़ाने का माध्यम क्या होना चाहिए ? और क्यों ?	चर्चा कीजिए

शिक्षा का माध्यम क्या हो, यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है ? क्योंकि इसका कक्षा में पढ़ाने व पढ़ने के स्तर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अधिकांशतः लोग यह मानते हैं कि मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम होना चाहिए क्योंकि बच्चा उसे सहज भाव से समझ सकता है। उन बच्चों को जिनकी मातृभाषा ही प्रादेशिक भाषा है, उनके लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए केरल में मलयाली बच्चे के लिए मलयालम ही शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। परन्तु उन बच्चों को, जिसकी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा से भिन्न है, प्रारम्भ के दो वर्षों तक मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए और उसके बाद क्षेत्रीय भाषा में। उदाहरण के लिए दिल्ली में एक मलयाली बच्चे को पहले दो वर्षों तक मलयाली में पढ़ाया जाना चाहिए और उसके बाद हिन्दी में।

नए पाठ्यक्रम के ढांचे पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि निम्न प्राथमिक स्तर के लिए सुनिश्चित विभिन्न विषयों में भाषा सिखाने के लिए ही सबसे अधिक समय दिया गया है।

कार्यकलाप-12

क्या आप इससे सहमत हैं ? कारण लिखिए	चर्चा कीजिए

जैसाकि आप जानते हैं, भाषा का सदृढ़ आधार होना अति आवश्यक है क्योंकि भाषा का ज्ञान अपनी बात कहने और दूसरों को समझने के लिए ही आवश्यक है। स्वयं अभिव्यक्ति और दूसरों को समझ सकना सभी विषयों की पढ़ाई के लिए महत्त्वपूर्ण है। इस प्रकार भाषा सभी विषयों का केन्द्र बिन्दु है और भाषा में बच्चे की योग्यता सभी क्षेत्रों में बच्चे की पढ़ाई पर असर डालेगी। उदाहरण के लिए अगर बच्चे का भाषा पर अधिकार नहीं है या उसका भाषा-ज्ञान एक निश्चित स्तर का नहीं है, व्याकरण की दृष्टि से वह गलतियाँ करता है, पुस्तक की भाषा समझ नहीं पाता या शिक्षक जो कुछ कह रहा है, उसके पल्ले नहीं पड़ता और अगर वह समझता भी है तो हो सकता है कि वह उस भाषा में स्वयं को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता, तो इसका प्रभाव उसकी योग्यता पर पड़ता है इसीलिए निम्न प्राथमिक स्तर में भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

संक्षेप में "छात्र-केन्द्रित प्रणाली" के सभी पहलुओं का लक्ष्य बच्चे को इस योग्य बनाता है कि वह स्वयं पढ़ सके और अपनी क्षमता का पूर्ण विकास कर सके। यह वह पद्धति है जिसके माध्यम से बच्चा केवल पढ़ना-लिखना ही नहीं सीखेगा वरन् उसमें आगे बढ़ने की रुचि जागृत होगी और उसे पढ़ने-लिखने में आनंद आयेगा।

मॉड्यूल—12

प्राथमिक विद्यालयों में बहुकक्षा–शिक्षण

सिंहावलोकन

बहुकक्षा-शिक्षण का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसमें शिक्षक को एक साथ एक से अधिक कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाना पड़ता है। भारत में लगभग तीन लाख गाँव हैं जहाँ आबादी बहुत कम है। प्राय: ऐसे गाँवों की जनसंख्या 500 से कम है। इनमें से लगभग आधे गाँवों में 300 से भी कम व्यक्ति रहते हैं। इस जनसंख्या का प्रभाव गाँव के स्कूलों पर भी पड़ता है। 6—11 आयुवर्ग के बच्चों की संख्या कुल जनसंख्या की 15 प्रतिशत होती है। अत: इस प्रकार के गाँवों में केवल बहुत कम संख्या में ही बच्चे प्राथमिक स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। यदि शिक्षक और छात्र का अनुपात 1 : 30 रखा जाय तो मुश्किल से एक या दो शिक्षक ही ऐसे स्कूलों में होंगे। अत: ऐसे स्कूलों में बहुकक्षा-शिक्षण आवश्यक हो जाता है। भारत में यह एक ऐसी वास्तविकता है जिसे नकारा नहीं जा सकता। इस मॉड्यूल में ऐसी स्थिति से सम्बन्धित समस्याओं का पता लगाने का प्रयास किया गया है। इसमें बच्चों को प्रभावपूर्ण ढंग से शिक्षा प्रदान करने के उपायों पर भी विचार किया गया है। इस प्रकार इस मॉड्यूल के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :—

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप निम्नांकित कार्यों को करने में सक्षम हो सकेंगे।

—जिन स्कूलों में बहुकक्षा शिक्षण हो रहा है उनकी समस्याओं का पता लगाना।

—निम्न समस्याओं से सम्बन्धित समाधान ढूंढ़ना :

(अ) कक्षा में बैठने का प्रबन्ध

(ब) समय सारिणी तैयार करना

(स) शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया तथा

(द) संयोजन व संगठन सम्बन्धी अन्य पहलुओं पर ध्यान देना।

—स्कूल में बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति की गहराई से जांच करना तथा ऐसे स्कूलों की वर्तमान स्थिति तथा उनके स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य योजनायें तैयार करना।

विचार कीजिए

संभव है, शिक्षक होने के नाते आपने भी एक या दो शिक्षक वाले स्कूलों में कार्य किया हो अथवा अपने अन्य साथियों को ऐसे स्कूलों में पढ़ाते हुए देखा हो। उन दबावों तथा समस्याओं पर ध्यान देने का प्रयास कीजिए जो आपने अनुभव की हों, अथवा देखी हों। आइये, हम ऐसी समस्याओं तथा दबावों की एक सूची तैयार करें।

निम्नलिखित समस्याओं और प्रश्नों पर अपने सहयोगियों के साथ बातचीत कीजिए और गाँवों में बहुशिक्षा शिक्षण वाले स्कूलों की समस्याओं की एक सूची तैयार कीजिए :

मुद्दे	बहुकक्षा शिक्षण वाले स्कूलों की समस्यायें
1— क्या दो या तीन शिक्षकों वाले स्कूलों में किसी एक शिक्षक के साथ कक्षा संयोजन की कोई कसौटी है ?	
2— क्या ऐसे स्कूल की कक्षाओं में शिक्षण का ढंग अन्य स्कूलों से भिन्न है ?	
3— ऐसे स्कूलों में कक्षा शिक्षण सामान्य स्कूलों से किस प्रकार भिन्न है ?	
4— क्या ऐसे स्कूलों में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों का अनुपात, अन्य स्कूलों की अपेक्षा अधिक है ?	
5— ऐसे बच्चों की आर्थिक व सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है ?	
6— ऐसे स्कूलों में भौतिक, आर्थिक अथवा वित्तीय दबाव क्या है ?	

अभी आने वाले कुछ समय तक एक या दो शिक्षक वाले स्कूलों में बहुकक्षा शिक्षण एक सत्य है और उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना हीं पड़ेगा। अत: यह आवश्यक है कि ऐसे दबावों के अन्तर्गत उदाहरण, अनुभव और दूरदृष्टि से बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ प्रबन्ध तथा शिक्षण सम्बन्धी नीतियां बनाई जायें।

प्राथमिक स्कूलों में बहुकक्षा शिक्षण से सम्बन्धित समस्यायें तीन क्षेत्रों में विभाजित की जा सकती हैं :

अ—बहुकक्षा शिक्षण के स्कूलों में कक्षाओं के बैठने की व्यवस्था को सुचारु बनाना।

ब—विभिन्न विषयों की कार्य योजनाओं तथा समय सारिणी का नियोजन।

स—शिक्षण को अधिक अच्छा बनाने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया।

(अ) बहुकक्षा शिक्षण के लिए कक्षा में बैठने की व्यवस्था को सुचारु बनाना

बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति में शिक्षण से यह अपेक्षा की जाती है कि कक्षा का प्रबन्ध कुछ इस प्रकार किया जाय जिसमें एक ही कक्ष में बैठने वाले अन्य कक्षाओं के छात्रों का ध्यान इधर-उधर न बंटे। दूसरी बात यह है कि शिक्षक को ज्ञानोपार्जन के लिए एक वातावरण बनाना पड़ेगा। विभिन्न कक्षाओं के छात्र एक साथ बैठते हैं। यदि सोच समझकर इन छात्रों को बैठाया जाय तो एक ही शिक्षक के पास एक ही कक्षा में बैठने वाले कक्षा 1 और 2 के इन छात्रों में जो 6–11 वर्ष की वयवर्ग के होते हैं, एक अनोखा तालमेल हो सकता है। बेमेल जोड़ में छोटी वयवर्ग के बच्चों को बड़े बच्चों के साथ बैठना, पढ़ना, यहाँ तक कि खेलना भी असुविधाजनक लगता है। शिक्षक की भी कोई सामूहिक गतिविधि अथवा खेलकूद का आयोजन करने में कठिनाई होती है। अत: छात्रों को यथासम्भव वयवर्ग की समानता, हितों की समानता तथा पाठ्यक्रम की क्रमबद्धता को ध्यान में रखकर ही छात्रों को एक साथ बैठाने का प्रबन्ध करना चाहिए।

बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति में कक्षा में छात्रों के बैठने की योजना व्यवहार में चली आ रही योजना से भिन्न होनी चाहिए। आजकल बच्चों को एक ही ओर मुख करके एक ही ब्लैकबोर्ड पर एक ही तरह का प्रयोग करते हुए पंक्तिबद्ध रूप में बैठाया जाता है। जिस समय शिक्षक एक कक्षा के बच्चों को ब्लैकबोर्ड पर कुछ समझा रहा होता है, दूसरी कक्षा के छात्रों का ध्यान बंटता है। कक्षा में बच्चों को बैठाने का प्रबन्ध करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का ध्यान कम से कम बंटे और विभिन्न कक्षाओं के पढ़ने-पढ़ाने में भी सुविधा हो। यह प्रबन्ध कक्षा की विभिन्न गतिविधियों जैसे शैक्षिक कार्य, सामूहिक कार्य, स्वत: पठन और कक्षा के सामूहिक कार्य-कलापों के अनुसार विभिन्न प्रकार का होगा। एक ही कक्षा में विभिन्न कक्षा के छात्रों को अलग-अलग दीवार की ओर मुख करके बैठाना चाहिए। सामूहिक कार्य सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए बच्चों के बैठने का प्रबन्ध करते समय तेज, औसत तथा कमजोर बच्चों को एक साथ बैठाने पर विचार किया जा सकता है। बहुकक्षा शिक्षण में शिक्षक को काफी हद तक मॉनीटर की सहायता की भी समुचित योजना बनानी पड़ती है। मॉनीटर कई प्रकार की भूमिकायें निभा सकता है—जैसे शिक्षक के सहायक के रूप में, कुछ स्थितियों में सह शिक्षक के रूप में अथवा कुछ परिस्थितियों में अपने साथियों के मार्गदर्शक के रूप में। अत: कुछ तेज बच्चों को छांटकर मॉनीटर बनाना चाहिए।

(ब) कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन तथा विभिन्न विषयों के लिए समय सारिणी का नियोजन

प्राय: प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक को एक कक्षा में सभी विषयों को पढ़ाना पड़ता है। बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति में वह विषय के अति महत्वपूर्ण पहलू पर ही ध्यान दे सकता है अथवा चुने हुए कार्यकलाप ही करा सकता है। उसे प्राय: समय के दबाव में रहना पड़ता है अत: समय के सदुपयोग के लिए समय सारिणी निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय सारिणी बहुकक्षा शिक्षण को ध्यान में रख कर किस प्रकार बनानी चाहिए? मान लीजिए कि शिक्षक को तीन कक्षायें एक साथ लेनी है। इस समय उसे एक बड़ी सीमा तक कक्षा के मॉनीटरों अथवा तेज छात्रों की सहायता पर निर्भर करना होगा। जिस समय शिक्षक एक कक्षा को पढ़ा रहा हो, मॉनीटर की सहायता का पूर्ण उपयोग किस प्रकार करना चाहिए? बच्चों को स्वत: पाठ अथवा सामूहिक पाठ में किस प्रकार लगाया जाय। मान लीजिए कि एक घंटे के समय का सदुपयोग करना है—तो उसका विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है :

एक घंटे के समय का विभाजन	कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3
पहले 20 मिनट	शिक्षक	मॉनीटर	स्वत: पठन
अगले 20 मिनट	स्वत: पठन	शिक्षक	मॉनीटर
अन्तिम 20 मिनट	मॉनीटर	स्वत: पठन	शिक्षक

बहुकक्षा शिक्षण के समय शिक्षक को समय सारिणी इस प्रकार बनानी चाहिए कि एक कक्षा को पढ़ाते समय वह अन्य दो कक्षाओं का—जो मॉनीटर द्वारा पढ़ायी जा रही हैं, अथवा स्वत: पठन कर रहे हैं—निरीक्षण भी कर सके।

सामूहिक शिक्षण इस योजना का एक अन्य पक्ष भी है, जिसकी योजना बनाना आवश्यक है। इस सम्बंध में कुछ कार्यकलाप इस प्रकार हैं। कक्षा कक्ष और स्कूल के अहाते की सफाई करना, खेल द्वारा शिक्षण की गतिविधियां

खेलकूद, कहानी कहना, नाटक खेलना, कविता पाठ करना, खेल प्रतियोगिता आदि । समय की सही योजना बनाने से ही व्यवस्थित कार्य हो सकता है ।

शिक्षण सम्बन्धी नीतियाँ

सामाजिक लक्ष्य, शिक्षण के उद्देश्य पढ़ने वाले बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और छात्रों की मनोवैज्ञानिक व शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण की इन स्थितियों में सफल होने के लिए कुछ विषय वस्तु तथा प्रकरणों का पता लगाना होगा। ये स्थितियां कक्षा के अन्दर भी हो सकती हैं, और बाहर भी हो सकती हैं। इस समय शिक्षक पढ़ने के कुछ सुझाव और निर्देश भी दे सकता है। वह छात्रों को यह प्रदर्शित कर सकता है कि ऐसी परिस्थितियों में वे किस प्रकार अपनी पढ़ाई में लगें ।

उदाहरण के लिए प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन भी एक विषय है। इस क्षेत्र में पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर प्राकृतिक अथवा सामाजिक तत्वों पर बल दिया जा सकता है। दूसरे पर्यावरण अध्ययन की विषयवस्तु का उपयोग भाषा, गणित, व्यावहारिक कार्य, कला आदि में भी किया जा सकता है। वास्तव में में शिक्षक को ऐसी स्थितियों का संयोजन इस प्रकार करना होगा जिससे सुसंगत, अविरोधी व समन्वित ढंग से उन्हें एक साथ गूँथकर बच्चों को अधिगम अनुभव दिया जा सके। इस प्रकार की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आयोजन किस प्रकार किया जाय ? सबसे पहला कदम तो यह होगा कि कक्षा में एक लोकतांत्रिक वातावरण बनाया जाय। वहाँ शिक्षक एक सेनापति के स्थान पर पथ प्रदर्शक, चतुर मित्र और समझदार अभिभावक के रूप में कार्य करता है। एक बार सौहार्दपूर्ण वातावरण बन जाने के पश्चात् बच्चों में स्वतः ही कुछ खोजने, कुछ पाने, जानने और समझने की ललक उत्पन्न हो सकती है।

अनेक गाँवों में, जहाँ बहुकक्षा शिक्षण हो रहा है, अनेक बच्चे अल्प सुविधा भागी गरीब परिवारों तथा शिक्षा हीन पृष्ठभूमि से आते हैं। न तो इन बच्चों को, और न उनके माता-पिता को ही यह ज्ञान होता है कि आर्थिक उन्नति में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है। ऐसे बच्चे असंतुलन, अपर्याप्त शब्द ज्ञान तथा बुरी आदतों से ग्रस्त होते हैं। ऐसे बच्चों पर विशेषरूप से ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे वे अच्छी आदतें सीखने, सफाई से रहने अच्छे व्यवहार अपनाने, और सुस्पष्टता से बोलने में सक्षम हो सकें।

कक्षा 1 और 2 को पढ़ाते समय ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे वे प्रोत्साहित हो सकें। सबसे पहले तो उनकी भाषा सम्बन्धी योग्यताओं पर ध्यान देना आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि उनमें प्रेक्षण देखने-समझने की दक्षता विकसित की जाय। वे आसपास की वस्तुओं को छुएँ, उनके रूप तथा आकार को समझें तथा उनकी समानताओं-असमानताओं की तुलना करें। उनका ध्यान कुछ विशिष्ट परिस्थितियों की ओर आकर्षित करें जैसे—गतिशील वस्तुयें, पौधों और पशुओं का बढ़ना, घरों तथा पशुओं के बाड़ों के विभिन्न आकार-प्रकार आदि। बच्चों में जब कुछ सीमा तक प्रेक्षण दक्षता आ जाय, तब उनकी अभिरुचि जाग्रत करने के लिए उनसे तरह-तरह के प्रश्न पूछिये। बाद के चरण में बच्चों को छोटे-छोटे दलों में बांटकर अपने अनुभव और प्रेक्षण को बताने के लिए उत्साहित किया जा सकता है। इस स्तर पर शिक्षक अधिगम अनुभवों को प्रणालीबद्ध करने के लिए आगे आ सकता है।

कक्षा 3–4 के लिए भी यह नीति अपनानी चाहिए। कक्षा तथा कक्षा के बाहर की वस्तुओं की नाप-जोख में हम उनकी सहायता कर सकते हैं। हम उनके साथ भोजन, कपड़े और आश्रय के प्रसंग में विभिन्न ऋतुओं की

चर्चा कर सकते हैं। कभी-कभी हम उनके लिए सामाजिक मेल-मिलाप एवं सामूहिक कार्यकलापों का आयोजन भी कर सकते हैं। उनके सामने ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न कर सकते है जिनके माध्यम से वे नागरिक और सामाजिक जीवना के व्यापक तत्वों को समझकर उसमें सफल और प्रभावपूर्ण ढंग से भाग लेने लगें। विभिन्न कार्यकलापों के माध्यम से उनमें अपेक्षित सामाजिक व नैतिक मूल्य विकसित किये जा सकते हैं। बच्चों में यह धारणा उत्पन्न करने के लिए कि जड़ और चेतन वस्तुओं में विविधता होती है, किन्तु उस विविधता में एकता भी होती है, उन्हें अनेक प्रकार के अनुभव कराये जा सकते हैं। उन्हें यह बताना है कि विविधता का अर्थ यह होता है कि उसे ठुकरा दिया जाये अथवा अस्वीकार कर दिया जाय। केवल विविधता के आधार पर किसी पर अच्छे या बुरे, घटिया या बढ़िया होने की छाप नहीं लगनी चाहिए।

इस स्तर तक आते-आते बच्चों को पढ़ना और लिखना—दोनों ही आ जाता है। उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रेक्षणों पर नोट तैयार करना सिखाया जाना चाहिए। उन्हें इस बात के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे आपस में अपने-अपने नोटों की तुलना करें और अपने अनुभवों की चर्चा करें। बच्चे प्रायः गतिशील, क्रियाशील और स्वयं अपने आप कार्य करने में रुचि रखने वाले होते हैं अतः काम करने के अनुभव और खेलों द्वारा उनमें हस्त कौशल के विकास पर अधिकाधिक जोर दिया जाना चाहिए। प्रत्येक विषय का अन्य विषयों से—जैसे मातृभाषा, गणित इत्यादि से अधिक तथा यथासम्भव अन्योन्य संदर्भ रहने चाहिए। इससे वे एक तारतम्य में रहकर सही प्रकार से ज्ञान अर्जित कर सकेंगे।

स्वयं किये जा सकने वाले कार्यकलाप

1—बहुकक्षा शिक्षण सम्बन्धी अपने अनुभव पर अन्य शिक्षकों से चर्चा कीजिए।

2—एक अथवा दो शिक्षकों वाले स्कूलों की समस्याओं का समाधान निम्नलिखित बातों पर अमल करके किया जा सकता है :

(अ) ....(ब)..

(स) ....(द)..

और...............(क)..

3—उन समस्याओं की सूची बनाइये जो दो शिक्षकों वाले स्कूल में एक शिक्षक के छुट्टी ले लेने पर उत्पन्न हो सकती है।

4—मॉनीटर की सहायता लेने से क्या लाभ अथवा हानि हो सकती है ?

5—प्राथमिक स्कूलों में हर 20 या 30 मिनट बाद शैक्षिक कार्यकलापों को बदलने की क्या आवश्यकता है ?

6—बहुकक्षा शिक्षण की स्थितियों मे सामूहिक शिक्षण का क्या महत्त्व है ? कक्षा 1 और 2 के लिए 15 तथा कक्षा 3 और 4 के लिए ऐसे 10 कार्यकलापों की सूची बनाइये।

7—एक या दो शिक्षक वाले स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में किन कार्यकलापों द्वारा स्वयं पढ़ने की आदत डाली जा सकती है ?

परिशिष्ट—1

भारत में बहुकक्षा शिक्षण सम्बन्धी समस्यायें

1—स्कूलों में वही पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें पढ़ायी जाती हैं जो एक कक्षा एक शिक्षक वाले स्कूलों में प्रयुक्त होती हैं। परिणामस्वरूप शिक्षकों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं :

(i) अपेक्षित कोर्स पूरा नहीं हो पाता।

(ii) शिक्षण कुछ मूल विषयों तक ही सीमित रह जाता है अर्थात् भाषा तथा गणित सामान्य विज्ञान एवं सामाजिक विषयों पर उचित ध्यान देना संभव नहीं हो पाता।

(iii) शिक्षकों को उन वरिष्ठ छात्रों पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है जो मॉनीटर बनाये जाते हैं। यदि मॉनीटर उसी कक्षा का छात्र हो, तो शिक्षण में उसकी सहायता अपर्याप्त होती है।

(iv) सामान्यत: कक्षा 1 और 2 मॉनीटर को सौंप दी जाती है और शिक्षक की अपेक्षा मॉनीटर ही उन कक्षाओं में अधिक समय व्यतीत करता है।

(v) कक्षा 3 के बाद ही शिक्षक का सहयोग बढ़ता है–विशेषकर कक्षा 5 में। उसका समस्त प्रयास इसी दिशा में रहता है कि उसके छात्रों का परीक्षाफल अच्छा हो।

(vi) खेलकूद सहपाठ्यक्रमीय क्रियाओं, कला आदि की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। फलस्वरूप बच्चों का मनोवैज्ञानिक रूप से पूर्ण विकास नहीं हो पाता और उसका व्यक्तित्व अविकसित रह जाता है।

2—ब्लॉक में स्थित किसी स्कूल की सफलता का मापदण्ड कक्षा 5 की वाह्य परीक्षा का परीक्षाफल होता है। ऐसी परिस्थिति में उन कक्षाओं की पढ़ाई पर बहुत असर पड़ता है जिन्हें कक्षा 5 के विद्यार्थियों के साथ ही पढ़ाया जाता है।

3—शिक्षक पर अधिक कार्यभार होने के कारण प्राय: वह विभिन्न विषयों को अपनी सुविधानुसार बहुत हलके-फुलके ढंग सें पढ़ाता है। परिणाम स्वरूप छात्रों को नियमित रूप से विभिन्न विषयों को सही ढंग से पढ़ने की सुविधा नहीं मिलती।

4—एक शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाने वाली कई कक्षाओं के समायोजन का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता।

5—बहुकक्षा शिक्षण के लिए शिक्षक को कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया जाता।

6—शिक्षक छात्रों को पाठ्यक्रम में प्रस्तावित शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाने में कठिनाई होती है।

7—शिक्षकों को उपचारात्मक शिक्षण के लिए समय नहीं मिल पाता। अत: बच्चों की भाषा संबंधी बोलने तथा लिखने और गणित आदि की त्रुटियां वैसी ही रह जाती हैं। इसका प्रभाव उनकी सफलता पर पड़ता है।

8—प्रतिभावान अथवा पढ़ाई में कमजोर छात्रों को व्यक्तिगत सहायता नहीं मिल पाती।

9—प्राय: स्कूल में प्राप्त होने वाले भौतिक साधन स्कूल में शिक्षकों की संख्या पर आधारित होते हैं उदाहरण के लिए दो शिक्षकों वाले कक्षा 5 तक के स्कूल को पाँच के स्थान पर दो ही श्यामपट्ट

(ब्लैकबोर्ड) दिये जाते हैं। इस कारण स्कूल की 2 या 3 कक्षाओं को ऐसे कार्यकलापों में लगाना पड़ता है जिसमें ब्लैकबोर्ड की आवश्यकता न पड़े इस प्रकार शिक्षण को हानि पहुँचती हैं।

10—यदि एक शिक्षक छुट्टी पर चला जाय तो दो शिक्षक वाले स्कूलों में पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक वाला स्कूल तो उस दिन बन्द ही कर दिया जाता है। दो शिक्षक वाले स्कूल में ही शिक्षक को लगभग दुगने विद्यार्थियों को सम्हालना पड़ता है इस प्रकार दूसरे शिक्षक के शिक्षण पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

11—स्कूल में कार्यभार अधिक होने के कारण शिक्षक बच्चों की अनिवार्य शिक्षा के सन्दर्भ में उनके नामांकन में कोई रुचि नहीं लेते। इसके अतिरिक्त स्कूल में आनेवाले छात्रों के स्कूल में बने रहने की दिशा में बहुत कम प्रयास किया जाता है।

———

मॉड्यूल : 16 (पी०)

प्रारम्भिक चरण में निरन्तर व्यापक मूल्यांकन

इस मॉड्यूल का अभिप्राय प्रारम्भिक चरण में छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के उद्देश्य और उपायों को बताना है। इसमें मूल्यांकन को एक व्यापक और निरन्तर प्रक्रिया के रूप में चित्रित किया गया है। मूल्यांकन केवल सफलता का प्रमाणपत्र देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। पढ़ाई के अपेक्षित स्तर प्राप्त हुए हैं या नहीं, इसकी निरन्तर जाँच कर मूल्यांकन का उपयोग सफलता को बढ़ाने के लिए भी किया जाना चाहिए। शैक्षिक और गैर-शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन की तकनीकें इस कार्य-माप में समझायी गयी हैं जिससे शिक्षक कक्षा में मूल्यांकन की कारगर योजना बना सकें।

मूल्यांकन प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति के बारे में उनकी पढ़ाई या व्यवहार में परिवर्तन के प्रमाण इकट्ठे करना उनका विश्लेषण करना और परीक्षा-परिणामों का उपयोग करना सम्मिलित है। मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों को "पास" या "फेल" घोषित करने तक सीमित नहीं होना चाहिए वरन् उनकी सर्वोत्तम प्रतिभा का पता लगाने तथा उसे सुधारने का होना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षानीति—1986 में दिये गये मूल्यांकन के महत्त्व और उसके ढंग को समझाने के लिए, शिक्षक के कक्षा में दिन-प्रतिदिन के अनुभवों, परीक्षाओं और परीक्षा-परिणामों का उपयोग किया गया है। संकल्पनाओं को उदाहरण देकर समझाया गया हैं।

उद्देश्य

इस कार्य-माप का अध्ययन करने के बाद आप :

—यह समझ जाएँगे कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए छात्रों के दिमाग, दिल और हाथ का व्यापक मूल्यांकन महत्त्वपूर्ण है।

—यह समझ जाएँगे कि सतत मूल्यांकन में शिक्षण-अधिगम के (कक्षा के अन्दर और बाहर) बार-बार तथा उद्देश्यपूर्ण निर्धारण की आवश्यकता होती है।

—मूल्यांकन की उपयुक्त विधियाँ चुन सकेंगे और अधिगम तथा शिक्षण में सुधार के लिए उनसे काम ले सकेंगे।

—निरन्तर व्यापक मूल्यांकन की समुचित योजना बना सकेंगे।

संकल्पना

राष्ट्रीय शिक्षानीति—1986 में यह विचार प्रकट किया गया है कि उपलब्धि का निर्धारण पढ़ाई और शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। शैक्षिक कार्यनीति के भाग के रूप में, परीक्षाओं का उपयोग शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किया जाना चाहिए। परीक्षा-प्रणाली में छात्र के विकास के माप के लिए एक उपयुक्त तथा विश्वस्त निर्धारण-विधि का सुनिश्चय होना चाहिए और उसे अध्यापन तथा अध्ययन में सुधार का शक्तिशाली साधन होना

चाहिए। इस नीति को कक्षा के कार्यकलापों में रूप देने के लिए प्रारम्भिक विद्यालय के इस स्तर पर मूल्यांकन को निम्न रूप में समझा जाता है :

—छात्र की वृद्धि के सभी स्वरूपों पर ध्यान,

—अध्यापन-अध्ययन प्रक्रिया का अभिन्न अंग,

—शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के सहकारी प्रयत्न से शिक्षा में सुधार का साधन,

—छात्रों की पढ़ाई की कठिनाइयों के निदान, जानकारी तथा पुर्ननिवेश द्वारा शिक्षा में सुधार के लिए उपयोगी।

कार्यकलाप पत्र–1

मूल्यांकन के दो ऐसे उपाय सुझाइए जिन्हें प्रारम्भिक विद्यालय में अपनाना शिक्षकों, अभिभावकों तथा बच्चे के लिए उपयोगी रहे।

अवलोकन के द्वारा, कक्षा में परीक्षाएँ लेकर, घर के लिए किये गये काम को सुधारकर, खेल के मैदान तथा कला-कक्ष में बच्चों के काम को देखकर हम निरन्तर इस बात का पता लगाते हैं कि क्या पढ़ाई ठीक प्रकार से चल रही है और क्या हमें उसे अधिक सरल बनाने के लिए वर्तमान उपायों में किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहिए। मूल्यांकन का अभिप्राय यह समझने के लिए कि पढ़ाई अपेक्षित ढंग से हो रही है या नहीं ? नियमित जानकारी प्राप्त करना है। यहाँ पढ़ाई केवल विषयां तक सीमित नहीं होती। निजी तथा सामाजिक गुणों, रुचि, मनोवृत्ति और भौतिक दक्षता की भी शिक्षा होती है। पाठ्यचर्या के कुछ क्षेत्रों में जैसे कार्य-अनुभव विषयों की पढ़ाई से अन्य गुणों की शिक्षा अधिक प्रमुख होती है।

निम्न प्रश्न का उत्तर स्वयं देने का प्रयास कीजिए :

मनोवृत्ति-सम्बन्धी ऐसे कौन-से परिवर्तन हैं जिन पर कार्य-अनुभव में बल दिये जाने की आवश्यकता है ?

प्रारम्भिक चरण में आमतौर से स्वीकृत उद्देश्य हैं, भाषा और अंकों की बुनियादी योग्यता, विभिन्न विषयों की जानकारी, अवलोकन, वर्गीकरण, माप की क्षमता, दूरी-समय सम्बन्धों का उपयोग, प्रयोग, विश्लेषण और सम्प्रेषण की क्षमता का विकास। सहिष्णुता तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण-जैसी मनोवृत्तियों का विकास और भौतिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण में सुधार के लिए शारीरिक श्रम करने में रुचि भी शिक्षा के उतने ही महत्त्वपूर्ण ध्येय हैं। इन सभी बातों में छात्र के व्यवहार में परिवर्तन का पता लगाने के लिए मूल्यांकन की योजना बनायी जानी चाहिए।

मूल्यांकन से उपलब्ध जानकारी का नियोजन और उपयोग

मूल्यांकन का सम्बन्ध अंतिम उद्देश्य से होना चाहिए। इस प्रकार इस बात का मूल्यांकन किया जा सकता है कि क्या बच्चा साग-सब्जियों को रुचि से खाता है अथवा नहीं और क्या वह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी साग-सब्जियों के नाम गिना सकता है। निस्संदेह बच्चे के काम का मूल्यांकन करते समय पढ़ाई की परिस्थितियों का,

बच्चे के घर तथा कक्षा की परिस्थितियों की सुविधाओं-असुविधाओं का ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है। पढ़ाई और शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं होने पर ही मूल्यांकन सार्थक और पढ़ाई में सुधार के लिए उपयोगी हो सकता है। कभी-कभी, विशेषकर प्रारम्भिक चरण में, यह मालूम करने के लिए मूल्यांकन किया जा सकता है कि बच्चा किस प्रकार सीख रहा है, बजाय इसके कि उसने क्या सीखा है।

बच्चे के किसी काम को न कर पाने का अर्थ सदैव उसकी विफलता से नहीं लगाया जाना चाहिए। हो सकता है, शिक्षक बच्चे को उस काम के लिए तैयार करने में असमर्थ रहा हो अथवा उसे वह काम स्पष्ट न समझा पाया हो। ऐसा शिक्षण में कमी से हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि पर्यावरण-सम्बन्धी पाठ में कक्षा के अनेक बच्चे कहते हैं कि बीज और फल एक साथ बनते हैं तो इसके निम्न कारण हो सकते हैं :

—बच्चे स्वयं जितना जान सकते थे, शिक्षण कार्यनीति में उनसे उससे अधिक जानने की अपेक्षा की गयी।
—अथवा उनके सामने दिये गये उदाहरण पर्याप्त या स्पष्ट नहीं थे।

शिक्षक कभी मालूम करने और उसे पूरा करने के लिए अपने पूर्व पढ़ाये पाठ पर ध्यान दे सकता है। यह छात्रों के मूल्यांकन से सम्बन्धित नहीं है, इसमें शिक्षण में सुधार की आवश्यकता है।

क्या आप पाठ्यचर्या में कुछ ऐसे दृष्टांत बता सकते हैं जब शिक्षक के रूप में आप छात्रों को सिखाने के लिए (I) पर्याप्त या (II) स्पष्ट उदाहरण नहीं दे पाये। विचार कीजिये—और सुधार के लिए सुझाव दीजिए।

कभी-कभी कार्यकलाप या विषयवस्तु छात्रों के सामर्थ्य के स्तर से बाहर की हो सकती है। निर्धारित उद्देश्य ऐसे हो सकते हैं जिन्हें एक विशिष्ट वय-वर्ग पूरा न कर सके।

मूल्यांकन द्वारा प्राप्त पुनर्निवेश को आगे की कार्रवाई के लिए ठीक-ठीक समझा जाना चाहिए। यह कार्रवाई अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन या सुधार की हो सकती है। कभी-कभी प्राप्त पुनर्निवेश पाठ्यचर्या निर्धारित करनेवालों और पाठ्यपुस्तकों आदि पढ़ाई की सामग्री तैयार करनेवालों के लिए उपयोगी हो सकती है।

अधिकांश विद्यालयों में वर्ष में दो या तीन बार परीक्षायें होती हैं। शिक्षण और अधिगम दोनों के लिए, उपयुक्त और समय से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, बहुधा छोटी-छोटी परीक्षाएँ ली जा सकती हैं। मूल्यांकन का उपयोग यह समझने के लिए किया जाना चाहिए कि बच्चे क्या नहीं सीख पाये हैं या आत्मसात् कर पाये हैं। परिणामों का उपयोग, जहाँ अपेक्षित स्तर पर सफलता न मिली हो, वहाँ शिक्षण की कार्यनीतियों को बदलने और सीखने के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए। छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना, लक्ष्य की तुलना में छात्रों की सीखने की व्यक्तिगत गति क्या रही है, यह जानना तभी सम्भव हैं जब विभिन्न विधियों को काम में लेते हुए बार-बार मूल्यांकन किया जाए।

सीखने में कठिनाइयों का निदान करना विद्यालय के सभी स्तरों पर महत्त्वपूर्ण है किन्तु प्राथमिक स्तर पर उसका विशेष महत्त्व है। प्राथमिक विद्यालय में छात्र भाषा, गणित और अनेक अन्य विषयों की बुनियादी जानकारी प्राप्त करते हैं। इस स्तर पर कमजोरियों का यदि सही समय पर पता न लगाया जाए और उनका उपचार

न किया जाए तो इससे पढ़ाई में गिरावट, निराशा और पढ़ाई छोड़कर बैठ रहने की घटनाओं में वृद्धि होती है। अधिकांश मूल्यांकन का उपयोग निदान के अभिप्राय से किया जा सकता है, पढ़ाई में कमजोरियों का पता लगाने के लिए विशेष परीक्षाओं या युक्तियों की बात भी सोची जा सकती है। छात्रों की पढ़ाई में सुधार के लिए शिक्षकों को उपचारात्मक उपाय सोचने चाहिए।

छात्रों के काम के मूल्यांकन के लिए नियोजन आवश्यक है। मूल्यांकन की रूपरेखा बनाने से पहले निम्न-लिखित बातों पर विचार किया जाना चाहिए :—

1—क्या अधिगम के उद्देश्यों और न्यूनतम स्तरों की जानकारी है ?

2—शिक्षण का अभिप्राय और पहुँचमार्ग क्या रहा ?

3—क्या परीक्षाओं से प्राप्त जानकारी से छात्रों की प्रगति, स्थान उपलब्धि और अपेक्षित सुधारों के बारे में निर्णय सरलता से किया जा सकता है ?

अलग-अलग उद्देश्यों के लिए, जैसे—(I) शिक्षण या पढ़ाई में कमजोरी का पता लगाने या (II) अगली कक्षा में चढ़ाने के लिए, अलग-अलग परीक्षाओं की योजना बनाने की आवश्यकता है।

प्राथमिक कक्षाओं में, जहाँ बच्चों के सीखने की गति में और उनकी क्षमताओं में इतनी विभिन्नता होती है, मूल्यांकन को किस प्रकार अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है ? प्रायः कक्षा के सभी बच्चों की एक-जैसी परीक्षा ली जाती है, जहाँ हर बच्चे के सीखने की गति भिन्न है। मौखिक परीक्षा, परियोजना कार्य, प्रश्नमंच या कविता-पाठ, जैसी विविध विधियों को काम में लिया जा सकता है। इनमें अलग-अलग बच्चों के स्तर या सीखने की गति के अनुरूप मूल्यांकन का तालमेल बैठाने का अवसर रहता है।

यदि पढ़ाई के एक न्यूनतम स्तर का पहले से निर्णय कर लिया गया है, जैसे—मान लीजिए कक्षा छः या सात के हर बच्चे में 24 नए शब्दों में कम से कम 10 शब्दों के ठीक-ठीक टिप्पणी करने की योग्यता तो होनी ही चाहिए, तो उनकी मौखिक या लिखित परीक्षा ली जा सकती है। अथवा उन्हें एक अनुच्छेद या पोस्टर लिखने को दिया जा सकता है। जो 10 शब्दों का उच्चारण ठीक से न कर पाएँ उनसे अतिरिक्त कराया जा सकता है। इस दशा में मूल्यांकन का उद्देश्य सुधार करने का है।

छात्रों के व्यवहार, मनोवृत्तियों और रुचियों का मूल्यांकन करने से तथा इनके सकारात्मक विकास के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करने से बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायता मिलेगी। अन्य बच्चों, अभिभावकों तथा अन्य शिक्षकों की राय जानने से बच्चे की अधिक पूर्ण तथा विश्वसनीय तसवीर सामने आती है। शिक्षक तदनु-सार अपने कार्यकलापों की योजना बना सकता है।

मूल्यांकन की तकनीकें और परिणामों का उपयोग

स्पष्ट है कि मूल्यांकन के लिए कुछ आंकड़े जुटाने की आवश्यकता होती है। यह कार्य अनेक प्रकार से किया जाता है। सूचना सही होनी चाहिए और जिस प्रकार का मूल्यांकन किया जाना है इसके लिए प्रासंगिक होनी चाहिए। परिणामों को इस प्रकार से दर्ज किया जाना चाहिए कि वे निर्णय करने में उपयोगी हो सकें।

छात्रों के विकास के प्रमाण अनेक प्रकार से जुटाये जा सकते हैं, जैसे अवलोकन परीक्षा लेना, घर के लिए दिये गये काम की जाँच करना, बच्चे की बनायी वस्तुओं की समीक्षा करना, मौखिक परीक्षा और व्यावहारिक अभ्यास। गैर-शैक्षिक क्षेत्रों में विकास को आँकने के लिए उनकी जीवनचर्या का रिकार्ड रखना बहुत उपयोगी रहता है।

उपयोगी सूचना दर्ज करने के लिए जाँच सूचियाँ तैयार करने-जैसे सरल उपायों से काम लिया जा सकता है। एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है :

छात्र का नाम	हाँ	नहीं
विभिन्न कार्यकलापों में अन्य बच्चों की सहायता करता है।		
सम्पत्ति के मामले में दूसरों के अधिकारों का सम्मान करता है।		
हिलमिल कर खेलता है।		
सामूहिक कार्यकलापों में सहयोग करता है।		

ऐसे रिकॉर्ड से बच्चे के सामाजिक विकास के बारे में मार्ग-निर्देश प्राप्त होते हैं। इस तकनीक का उपयोग मनोवृत्तियों तथा रुचियों को भी आँकने में किया जा सकता है।

मूल्यांकनों को रिकॉर्ड कर, छात्रों के प्रगति-पत्र रखे जा सकते हैं। उनमें हर चरण में शिक्षकों के निर्णय भी रहने चाहिए।

इस जानकारी का उपयोग बच्चे की अधिकतम क्षमता के और सर्वांगीण विकास में सहायता पहुँचाने के लिए किया जा सकता है।

प्रारम्भिक विद्यालयों में पहुँचनेवाले बच्चों की भिन्न-भिन्न सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक पृष्ठभूमि होती है। पढ़ाई और उस पढ़ाई के मूल्यांकन को भी उनके पूर्व अनुभवों के अनुसार ढालना होता है। पढ़ाई की प्रक्रिया में पढ़ाई जितनी हो, सम्भवत: उससे भी अधिक, महत्त्वपूर्ण है। बच्चों के लिए बार-बार की सफलताओं का अनुभव सम्भव बनाकर मूल्यांकन को आवश्यक सहारा देना चाहिए। शिक्षक बहुधा मौखिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

जब बच्चों के मन में यह बात बैठायी जाती है कि दूसरे बच्चों की तुलना में उनका काम घटिया स्तर का है, तो उनमें हीनता की भावना पैदा होती है। हर बच्चे को सामर्थ्य के अनुसार उत्कृष्ट काम के लिए प्रोत्साहित करने को यह लाभदायक रहेगा कि छात्र के काम का मूल्यांकन उसके पूर्व के काम से किया जाए।

कार्यकलाप

मान लीजिए कि प्रारम्भिक स्तर के एक शिक्षार्थी को अपनी योग्यताओं का विकास करना है। नए विचारों को ग्रहण करना है और बुनियादी जानकारी प्राप्त करती है। इसके लिए अपनाये जा सकनेवाले विविध मूल्यांकन साधन सुझाइए।

मॉड्यूल–17 (बी०)

कार्यानुभव

इस मॉड्यूल द्वारा आपको सभी स्तरों पर विद्यालयी शिक्षा के आवश्यक अंग के रूप में कार्यानुभव के कार्यक्रम को समझने में सहायता मिलेगी। इसके द्वारा आप कार्यानुभव के अर्थ तथा विस्तार एवं उसके क्रियान्वयन में शिक्षक की भूमिका तथा सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता आदि से भली-भाँति परिचित हो सकेंगे।

इस मॉड्यूल को पढ़ने तथा उसमें विस्तार से दिये गये कार्यकलापों को सफलतापूर्वक करने के बाद आप भली-भांति समझ जाएँगे कि किस तरह कार्यानुभव का लक्ष्य भावी नागरिकों में वैयक्तिक योग्यता, गौरव और दक्षता की प्रखर भावना उत्पन्न करने के अतिरिक्त उनमें आत्मोत्कर्ष तथा समाज-सेवा की भावना को सुदृढ़ करना हैं। कार्यानुभव-संबंधी कार्यकलापों के चयन के मानदंडों से आप को उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल करते हुए सर्वाधिक उपयोगी क्रियाओं के चयन में सहायता मिलेगी। सुझाये गये कार्यकलापों की सूची से आप यह जान सकेंगे कि कार्यानुभव का पाठ्यक्रमीय क्षेत्र कितना वृहत् है।

आगे के पृष्ठों में आप देखेंगे कि इस मॉड्यूल में रूपरेखा और वार्ता-उपागम अर्थात् लिखने और बोलने की पद्धति की अपेक्षा 'क्रिया-अभ्यास उपागम" अर्थात् कार्य करने की पद्धति का अनुसरण किया गया है। अभि-नवीकरण कार्यक्रम में अनेक कार्य दिये जाएँगे और कुछ चुने हुए कार्यों में आप भी सक्रिय रूप से भाग ले लेंगे।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल के अध्ययन के बाद आप इस योग्य हो जाएँगे कि—

—आप कार्यानुभव-कार्यक्रम के अर्थ, लक्ष्यों और विशिष्ट लक्षणों को समझ सकेंगे और उस पर चर्चा कर सकेंगे।

—उपयुक्त कार्यानुभव संबंधी कार्यकलापों के चयन के लिए मानदंड निर्धारित कर सकेंगे।

—कार्यानुभव संबंधी उत्पादनों को प्रभावी रूप से प्रयुक्त करने के तरीके निकाल सकेंगे।

—कार्यानुभव-कार्यक्रमों में सक्रिय सामुदायिक सहयोग के बारे में जानने तथा उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकेंगे।

—सही तरीके से कार्यानुभव-संबंधी कार्यक्रमों की योजना बनाकर उन्हें क्रियान्वित कर सकेंगे।

—छात्रों को सक्रिय रूप से व्यक्तिगत तथा सामूहिक कार्यों में शामिल कर सकेंगे।

कार्यानुभव का अर्थ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य की संकल्पना के महत्त्व को पुन: स्वीकार किया गया है और इसे कार्यानुभव का नाम दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित नीति-वक्तव्य इस प्रकार है—

"सोद्देश्य और सार्थक शारीरिक कार्य की दृष्टि से कार्यानुभव को, जो सीखने की प्रक्रिया का अंग है और जिसका परिणाम किसी सामग्री के रूप में अथवा समाजोपयोगी सेवा के रूप में प्राप्त होता है, शिक्षा के सभी स्तरों पर आवश्यक घटक के रूप में माना जाता है और उसे सुनियोजित तथा स्तरीकृत कार्यक्रमों के रूप में प्रदान किया जाता है।

इसके अंतर्गत छात्रों की रुचियों, योग्यताओं, आवश्यकताओं तथा शैक्षिक स्तर बढ़ने पर उनके ज्ञान में तथा कौशल में होनेवाली वृद्धि के स्तर के अनुरूप कार्यों का समावेश किया जाता है। यह अनुभव कार्य-जगत् में उनका प्रवेश होने पर सहायक सिद्ध होता है।"

उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि कार्यानुभव की परिभाषा निम्न बातों को रेखांकित करती है:—

1—सीखने की प्रक्रिया में कार्य का विशेष महत्त्व।

2—संपन्न कार्य से प्राप्त उत्पादन अथवा सेवा की आवश्यकता।

3—विद्यालय व्यवस्था में तथा उसके वाद भी कार्य की सर्वव्यापकता।

4—सुनियोजित तथा स्तरीकृत कार्यक्रम की आवश्यकता।

5—कार्यों के स्वरूप का संकेत ताकि वे शिक्षार्थी की रुचियों, योग्यताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

6—शैक्षिक स्तर के अनुरूप कौशल-स्तर को संवर्द्धित करने की स्थिति।

प्राथमिक स्तर (वर्ग 1-5)

प्राथमिक स्तर पर बच्चों को विविध प्रकार के कार्य प्रदान किये जाएँगे। इन बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के अनुकूल विविध प्रकार के कार्यों की सूची तैयार की जानी चाहिए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वे उस सूची में से 40–50 कार्यों को चुन लें, जो इस स्तर पर निर्धारित समय में पूरे कराये जा सकें। इस स्तर पर कार्यानुभव के लिए पूरे शिक्षण काल का 20 प्रतिशत समय निर्धारित है।

शिक्षा के इस स्तर पर कार्यानुभव के उद्देश्य शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों के समान ही हैं। विशेषतः स्वास्थ्य, पर्यावरण-स्वच्छता तथा सौंदर्यप्रियता पर बल देना चाहिए और बच्चों में कार्य-जगत् के प्रति चेतना विकसित करनी चाहिए।

कार्यपत्र—1

क्या आप विद्यालय में कुछ ऐसी कार्य-स्थितियाँ सुझा सकते हैं जिनमें कर्यानुभव-संबंधी कार्यक्रम आयोजित किये जा सकें? ऐसी कार्य-स्थितियों की सूची तैयार कीजिए।	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए।

छोटे बच्चे घर पर तथा समुदाय में भी कार्यों में भाग लेने में आनंद का अनुभव करते हैं।

कार्यपत्र—2

क्या आप विद्यालय के बाहर कुछ कार्य-स्थितियों की सूची बना सकते हैं जिनमें कार्यानुभव संबंधी कार्य निर्धारित कालावधि में आयोजित किए जा सकें ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

कार्यों का चयन

कार्यानुभव कार्यक्रम की सफलता बहुत कुछ कार्यों के सही चयन पर निर्भर है। प्राथमिक स्तर पर ये कार्य बच्चों के लिए बहुत सरल और आनंददायक होने चाहिए । ये पर्यावरण अध्ययन के रूप में होने चाहिए । इनमें कार्य-स्थितियों, कार्य की प्रारम्भिक प्रक्रियाओं और देशी तथा कम मूल्य के सामानों द्वारा रुचिकर और आत्म प्रकाशन संबंधी क्रियाओं के माध्यम से हस्तशिल्प के कार्यों का प्रेक्षण शामिल है ।

कार्यों का चुनाव इस प्रकार होना चाहिए कि बच्चे अपनी कल्पना को मूर्त रूप देने में आनंद का अनुभव कर सकें ।

कार्यों द्वारा ये अवसर मिलने चाहिए :
—सामग्रियों और उपकरणों का प्रयोग ।
—विभिन्न कार्य-स्थितियों में बड़ों की सहायता करना ।
—सामूहिक स्थितियों में कार्य में भाग लेना ।
—व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभाना ।

शिक्षार्थियों के लिए कार्यों के चुनाव में उन कार्यों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो उनकी परिपक्वता-स्तर के अनुकूल हों, उनकी उत्सुकता को तृप्त करें और जिनमें वांछित कार्यों तथा सामाजिक मूल्यों को विकसित करने की क्षमता हो ।

प्रत्येक कार्य के तीन आयाम हो सकते हैं :
1—कार्य-स्थितियों का प्रेक्षण और समस्याओं की पहचान ।
2—कार्य-स्थितियों में प्रतिभागिता और व्यर्थ सामान को उपयोगी तथा सुन्दर वस्तुओं में बदलना ।
3—अधिक संख्या में उपयोगी तथा सुन्दर वस्तुओं का निर्माण करना ।
अब आप कार्यों के प्रकार उनके चयन के आधार से अवगत हो गए होंगे । इन्हें ध्यान में रखते हुए :

कार्यपत्र—3

क्या आप अपने विद्यालय की स्थितियों में कुछ कार्यानुभव संबंधी कार्यों पर विचार कर सकते हैं ? ऐसे कार्यों की सूची बनाइए ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

आप सभी अनुभवी अध्यापक हैं । आप आसानी से अपने वर्ग में से कुछ ऐसे सहयोगियों को चुन सकते हैं जो किसी विशेष कार्य में प्रवीण हों और वे पूरे समूह के सामने उसे प्रदर्शित करना चाहते हों ।

कार्यपत्र—4

ऐसे प्रवीण अध्यापकों की तथा उनके द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

नोट— अब अपने साथी प्रतिभागियों के साथ व्यक्तिगत प्रदर्शन और परिचर्चा पर एक सत्र का समय दिया जाए।

कार्यपत्र—5

4-5 सर्वोत्तम कार्यों की पहचान जिन्हें आप सभी स्वयं करना और सीखना चाहेंगे ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

आप अपने को छोटे-छोटे समूहों जैसे—5-5 की संख्या में विभक्त कर लें । उपर्युक्त कार्यों में से एक या दो को चुन लें और उन्हें संबंधित प्रवीण अध्यापक प्रतिभागी के निर्देशन में व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से संपन्न करना शुरू कर दें ।

कार्यानुभव के अध्यापक

आप के विद्यालय में भाषा, विज्ञान, गणित विषय पढ़ाने के लिए अध्यापक हैं, किन्तु कार्यानुभव के लिए कोई विशेष अध्यापक नहीं है । तब कार्यानुभव कौन पढ़ाएगा और उससे संबंधित कार्यों का आयोजन कौन करेगा ? कार्यानुभव एक ऐसा पाठ्यक्रमीय विषय हैं जिनमें विद्यालय का प्रत्येक अध्यापक भाग ले सकता है । इसमें संदेह नहीं कि किसी विशेष कार्य या कौशल में प्रशिक्षित अध्यापक की सेवाएँ उत्पादनोन्मुख कार्यों को सम्पन्न करने में विशेष उपयोगी होंगी, किन्तु प्रत्येक विषय के अध्यापक अपने विषय से संबंधित विविध कार्यों के बारे में सोच सकते हैं और उसकी योजना बना सकते हैं । इन विषयों पर आधारित कार्यों से छात्रों को करके सीखने में सहायता मिलेगी । कार्यानुभव कार्यक्रमों में कला शिक्षक की सेवाओं का उपयोग अवश्य होना चाहिए ।

कार्यपत्र—6

क्या ऐसे कार्यानुभव संबंधी कार्य सुझा सकते हैं जो विभिन्न विषयों के अध्यापकों द्वारा आयोजित किए जा सकें ? प्रत्येक विषय पर आधारित ऐसे कार्यों की सूची बनाइए	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

एक अध्यापक वाले विद्यालय में कार्य कराने के लिए आप छात्रों को पाँच कक्षाओं में नहीं बाँट सकते । आप बच्चों के दो-तीन समूह बना सकते हैं जो इतनी ही संख्या के कार्यों में लग सकते हैं । बड़े बच्चों की सहायता लीजिए, जो कार्य करने में छोटे बच्चों का मार्गदर्शन कर सकें ।

संसाधान

निस्संदेह ही कार्यानुभव-कार्यक्रम चलाने के लिए आपके विद्यालय को कुछ प्रारम्भिक सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी, किन्तु आप को भी अनेक प्रकार के कार्यानुभव-कार्यों को चलाने के लिए सामुदायिक संसाधनों की खोज करनी होगी।

कार्यपत्र—7

समुदाय में उन सुलभ संसाधनों के बारे में सोचिए जिन्हें अपने विद्यालय के कार्यानुभव-कार्यक्रमों को चलाने के लिए प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे संसाधनों (मानव तथा पदार्थ दोनों) की सूची बनाइए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

कार्यानुभव उत्पादनों का निपटान

अनेक कार्यानुभव कार्यों के फलस्वरूप कुछ निश्चित सामग्री तैयार होगी। उसकी बिक्री के लिए उचित साधन होने चाहिए। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि उस सामग्री की मांग का पहले से अनुमान लगाकर सामग्री का उत्पादन किया जाए। सामग्री की बिक्री के कई माध्यम हो सकते हैं, जैसे—विद्यालय का सहकारी भंडार, विद्यालय-समारोहों के अवसर पर सामानों की प्रदर्शनी और विक्रय की व्यवस्था तथा स्थानीय दुकानदारों तथा दूसरे विद्यालयों और संगठनों द्वारा सामग्री बेचने की व्यवस्था आदि।

कार्यानुभव-उत्पादनों को शीघ्र बेचना बहुत जरूरी है विशेषत: उन सामग्रियों के लिए जो थोड़े समय में ही खराब हो जाती हैं, जैसे—फल, सब्जी, दूध, दूध से बने पदार्थ तथा अंडे आदि। कार्य हाथ में लेने के पहले कुछ चीजों की मांग के उचित समय का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे—प्रिंटिंग कार्ड स, राखी, ऊनी वस्त्र, आइस्क्रीम आदि।

मूल्यांकन

मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। संबंधित शिक्षक द्वारा आंतरिक मूल्यांकन होते रहना चाहिए और उसका उल्लेख छात्र के निष्पादन अभिलेख (परफार्मेंस-रिकार्ड) में करना चाहिए। सिद्धांत और व्यवहार का मूल्यांकन एकीकृत रूप में होना चाहिए। वास्तविक व्यावहारिक कार्य के मूल्यांकन को अधिक महत्त्व देना चाहिए।

कार्यानुभव के मूल्यांकन को वही महत्त्व और सम्मान मिलना चाहिए जो दूसरे विषयों के मूल्यांकन को दिया जाता है। प्राथमिक स्तर पर छात्रों के निष्पादन-मूल्यांकन में उनके अभिवृत्ति-विकास को सर्वाधिक महत्त्व देना चाहिए।

कार्यपत्र—8

कार्यानुभव में मूल्यांकन प्रपत्र का क्या रूप हो, इसके बारे में सोचिए। अपने विद्यालय में लागू करने के लिए एक विस्तृत तथा व्यावहारिक मूल्यांकन प्रपत्र तैयार कीजिए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

प्राथमिक स्तर पर कार्यानुभव

इस स्तर पर कार्यानुभव के उद्देश्य बहुत कुछ शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों के ही समान है। छोटे बच्चे अपने पर्यावरण की खोज करने में आनंद लेते हैं। वे घर तथा विद्यालय दोनों जगह अनेक कार्यकलापों में भाग लेना चाहते हैं।

अतः प्राथमिक स्तर पर कार्यानुभव निम्नलिखित रूप से सहायक होना चाहिए :

1—कार्य-जगत के प्रति जागरूकता विकसित करना।

2—उत्तम स्वास्थ्य और स्वच्छता की आदत को बढ़ावा देना।

3—स्थानीय पर्यावरण और उसमें उपलब्ध रोजगारों से परिचित कराना।

4—सृजनात्मक आत्म प्रकाशन के लिए अवसर प्रदान करना।

5—काम करने से संबंधित नैतिकता का विकास करना, जैसे– समय की पाबन्दी, अनुशासन, सहयोग, ईमानदारी आदि।

सुझाए गए कार्य

क—पर्यावरण अध्ययनः—स्थानीय पर्यावरण, जैसे—पेड़, पौधे, पुष्प, पक्षी, पशु कीड़े, मकोड़े, आदि का प्रक्षण। घर तथा कक्षा के कमरों की सफाई और सजावट में भाग लेना, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्तिगत चीजों की सुव्यवस्था, कार्य करने के स्थलों, सांस्कृतिक तथा मनोरंजनकारी स्थानों का भ्रमण आदि।

ख— साज-सामान औजारों एवं प्रविधियों का प्रयोगः—दैनिक उपयोग की वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चे माल से अवगत होना, घरेलू सीने-पिरोने के औजारों और उपकरणों का उचित प्रयोग, साबुन, धोने के पाउडर, कृमिनाशक दवाओं आदि का ज्ञान, सामान्य बागवानी के औजारों का इस्तेमाल, भोज्य पदार्थों का ज्ञान, रंग, पेंट, ब्रुश, आदि का प्रयोग।

ग— कार्याभ्यासः—ड्राइंग, पेंटिंग, प्रस्तर कार्य, कागज का काम, मिट्टी के खिलौने बनाना, विभिन्न उत्पादन कार्यों में काम आने वाले सामानों का संग्रह, कार्डबोर्ड के कार्य, गमलों तथा वाटिका में पौधे लगाना, कक्षा की सफाई, सुई-कैंची का प्रयोग। खाने-पीने और पानी व गिलास आदि धोने से संबंधित स्वच्छता की आदतें।

पठन-सामग्री की सूची

1—विद्यालयी शिक्षा में कार्यानुभव-पाठ्यक्रम निर्माण और कार्यान्वयन संदर्शिका।

2—समाजोपयोगी उत्पादन कार्य संदर्भ पुस्तक भाग।

मॉड्यूल—19 (पी)

जनसंख्या—शिक्षा, प्राथमिक स्तर

सिंहावलोकन

जनसंख्या-शिक्षा एक शैक्षिक नव प्रवर्त्तन है। इसका लक्ष्य जनसंख्या-स्थिति तथा राष्ट्रीय विकास के विभिन्न पक्षों के परस्पर सम्बन्धों से छात्रों को अवगत कराना है। यह अपेक्षा की जाती है कि देश की बढ़ती जनसंख्या का सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया पर प्रभाव तथा उनके परस्पर सम्बन्धों को समझने में छात्र समर्थ हो सकेंगे। यह सर्वव्यापक मत है कि तीव्रगति से बढ़ती हुई जनसंख्या का हमारे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। इसके कारण पुनर्नवीकरण-रहित संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। अत: यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि भावी नागरिकों को प्रारम्भिक अवस्था से ही अपने समाज और राष्ट्र की प्रमुख चिन्ता-धारा को समझने में शामिल किया जाय। ऐसा करने से यह अपेक्षा की जाती है कि उनमें हमारी जनसंख्या के वांछित आकार और संरचना तथा अपने परिवार में जीवन की गुणवत्ता के प्रति विवेकपूर्ण दृष्टिकोण का विकास होगा। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि उनमें समाज में छोटा परिवार प्रतिमान विकास के प्रति सुरुचि उत्पन्न होगी।

"छोटा परिवार प्रतिमान" की स्वीकृति और उसका अनुपालन बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि छात्रों में इसके प्रति कितनी प्रतिबद्धता है।

यह उद्देश्य कैसे पूरा हो? विशिष्ट नीति के संदर्भ में जनसंख्या शिक्षा की प्रकृति और रूप क्या हो? इसके लिए पृथक पाठ्यक्रम हो अथवा इसे वर्तमान पाठ्यक्रम में ही समाहित किया जाए? इस समस्या के निराकरण की पद्धति क्या हो? ये प्रश्न ही इस मॉड्यूल के आधार हैं। इस विषय की ओर प्रभावी रूप से ध्यान आकर्षित करने में इस मॉड्यूल से सहायता मिलेगी।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल के पढ़ने के बाद आप

—विद्यालयी पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा को शामिल करने के कारण बता सकेंगे।

—जनसंख्या शिक्षा और विकास के परस्पर सम्बन्ध को विशेषीकृत कर सकेंगे।

—जनसंख्या शिक्षा और परिवार नियोजन का अंतर समझ सकेंगे।

—विद्यालयी पाठ्यविषयों में उन उपयुक्त स्थलों की पहिचान कर सकेंगे जिनमें जनसंख्या शिक्षा को जोड़ा जा सके।

—जनसंख्या-शिक्षा के अध्यापन के लिए क्या प्रणाली अपनायी जाए, इसे बता सकेंगे।

अधिगम क्रियाएँ

आप बढ़ती हुई जनसंख्या तथा व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता पर इसके प्रभाव के सम्बन्ध में बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे। आप यह भी पढ़ रहे होंगे कि पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ता है। इन प्रश्नों पर आपने

औपचारिक तथा अनौपचारिक परिचर्चाओं में भाग भी लिया होगा। क्या आप सोचते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक को इस बात का बोध होना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि के वर्तमान रूप और राष्ट्रीय विकास का क्या प्रतिफल होगा ? क्या प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक अवस्था से ही इन परिणामों का बोध नहीं होना चाहिए ? यदि ऐसा है तो क्यों ? अपने कारण लिखिए।

कार्यपत्र—1

—मैं सोचता हूँ कि प्रत्येक बालक को बढ़ती हुई जनसंख्या तथा राष्ट्रीय विकास पर उसके प्रभाव से सम्बन्धित परिणामों का बोध होना चाहिए, क्योंकि :

....

....

—मैं सोचता हूँ कि बढ़ती जनसंख्या तथा राष्ट्रीय विकास पर उसके प्रभाव से सम्बन्धित परिणामों के बारे में जानना विद्यालयी शिक्षा की अवस्था में आवश्यक नहीं है, क्योंकि :

....

....

संदर्भ व्यक्तियों को चाहिए कि वे प्रतिभागी अध्यापकों की उपर्युक्त प्रतिक्रियाएं एकत्र करें और प्रत्येक बिन्दु पर परिचर्चा करें।

परिचर्चा से संकेत मिलता है कि बच्चों में जनसंख्या वृद्धि के परिणाम पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता के बारे में चेतना विकसित करने की परम आवश्यकता है। विद्यालयी कार्यक्रमों में जनसंख्या-शिक्षा का समावेश आवश्यक है। तब दूसरा तर्कसंगत प्रश्न उठता है कि क्या इसे वर्तमान पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में समाहित किया जाए ? इस बारे में सोचिए और लिखिए :

कार्यपत्र—2

—मैं सोचता हूँ कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में पृथक विषय के रूप में जनसंख्या शिक्षा का समावेश होना चाहिए, क्योंकि :

....

....

—मैं सोचता हूँ कि जनसंख्या शिक्षा को वर्तमान विद्यालयी विषयों में समाहित करना चाहिए क्योंकि :

....

....

संदर्भ व्यक्तियों को चाहिए कि प्रतिभागी अध्यापकों की प्रतिक्रियाएं एकत्र करें और प्रत्येक बिन्दु पर चर्चा करें।

निम्न प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए जनसंख्या-शिक्षा-शिक्षण-सामग्री को उनके स्थानीय पर्यावरण से सम्बन्धित करना चाहिए आगे के स्तरों पर राज्य और देश की प्रासंगिक सूचनाओं को आधार बनाना चाहिए उदाहरण के लिए निम्नलिखित विषय-सामग्री को पर्यावरणीय अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान, भाषा और गणित जैसे विषयों के साथ समाहित किया जा सकता है :—

(1) परिवार, गांव, नगर, राज्य और देश की जनसंख्या के सम्बन्ध में कुछ तथ्य। जनसंख्या में वृद्धि और **जीवन** पर इसका प्रभाव।

(2) विज्ञान और औषधि के क्षेत्र में विकास तथा जनसंख्या वृद्धि पर उनका प्रभाव।

(3) जीवन की मूल आवश्यकताओं पर जनसंख्या का प्रभाव; परिवार का आकार तथा संसाधनों में हिस्सा बंटाने में इसका सम्बन्ध। सुविधाओं और सेवाओं पर जनसंख्या का प्रभाव तथा जनसंख्या के सम्मुख उत्पन्न समस्याएं।

(4) जनसंख्या वृद्धि तथा सामाजिक-आर्थिक जीवन। परिवार के सदस्यों में भूमि और सम्पत्ति का बँटवारा। स्वास्थ्य तथा परिवार में अवकाश के क्षण से सम्बन्धित माँ की समस्याएँ, विशेषत: जब परिवार में अधिक बच्चे हों।

(5) बढ़ती संख्या तथा स्वास्थ्य और पोषाहार की समस्या, संतुलित आहार, स्वास्थ्य और स्वच्छता की देखभाल तथा जनसंख्या से इसका सम्बन्ध।

(6) वनस्पति-जीवन तथा मानव जीवन। पौधों की देखभाल और उनके उचित स्थान और दूरी का ध्यान रखने में पौधों के लिए स्वास्थ्य कर पर्यावरण।

(7) पर्यावरण और मनुष्य के साथ उसका सम्बन्ध।

(8) वायु, जल तथा भूमि-प्रदूषण।

(9) परिवार का आकार परिवार-कल्याण का निर्धारक है।

हम कुछ उदाहरणों की परीक्षा करें कि किस तरह आप सदृश शिक्षकों ने अपने विद्यालयों में जनसंख्या-शिक्षा के तत्वों को पढ़ाने का प्रयास किया। आप उसी तरह की स्थिति में यहाँ उसका प्रयोग करने की कोशिश करें।

कार्यपत्र—3

उत्तरदायी माता-पिता का मूल्यांकन

चित्र-स्थिति—1 अंडा सेती हुई सर्पिणी, तथा शिशुओं को खिलाने-पिलाने और बचाने में उसकी असमर्थता, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने का प्रकृति का अपना तरीका।

श्यापट्ट पर रेखांकन

चित्र-स्थिति—2 बिल्ली अपने बच्चों को बिल्ले से बचाने के लिए अपने मुंह में उनकी गर्दन पकड़े हुए ले जाती हुई और छिपाती हुई। शायद वे बच्चे उनके प्रतिद्वन्दी होंगे। अत: बिल्लों द्वारा उनकी संख्या कम करने की कोशिश उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति है।

चित्र-स्थिति—3 चिड़ियों के जोड़े, अपने परिवार में नए शिशुओं के आगमन की प्रतीक्षा में संयुक्त रूप से अपना घोंसला तैयार करते हुए। अंडे सेते हुए तथा शिशुओं को माता-पिता द्वारा बारी-बारी से खिलाते हुए। शिशुओं के बड़े हो जाने पर माता-पिता का अलग हो जाना, ताकि वे स्वयं अपना परिवार बना सकें।

सुझाए गए कार्य :

(शिक्षक स्वयं अपने को विद्यालयी बालक के रूप में समझें।)

1. बच्चे अपने परिवेश के कुत्तों, बिल्लियों, सुअर तथा अन्य पशुओं के बच्चों के बारे में अपने अनुभवों का वर्णन करें।

2. चिड़ियों द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के घोंसलों के बारे में बालकों द्वारा प्रेक्षण। इस कार्य को सम्पन्न करने में उनकी कुशलता और लगन।

3. छोड़ दिए गए घोंसलों का संग्रह तथा उनके चित्रों आदि का अंकन।

4. घोंसले तैयार करने, अण्डे सेने और बच्चों को खिलाने में नर और मादा पक्षियों की सम्मिलित तथा सहकारी भूमिका।

5. मनुष्य तथा पक्षी के व्यवहारों की तुलना, समानता और असमानता। बालकों को यह सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाये कि कौन माता-पिता मनुष्य या पक्षी अधिक अच्छे और निःस्वार्थी हैं। नर-नारी की समानता कौन अधिक मानता है—मनुष्य या पक्षी ? नर और नारी में शारीरिक तथा सामाजिक दृष्टि से कौन निर्बल है ? क्या यह तर्कसंगत एवं न्यायोचित है ?

कार्यपत्र—4

चित्र-स्थिति 1. एक द्वीप जिसमें दो बच्चों वाले दो परिवार हों। बच्चों में एक लड़का हो और एक लड़की।

चित्र-स्थिति 2. उसी आधार का दूसरा द्वीप दो परिवारों के साथ। पर प्रत्येक परिवार में तीन बच्चे। एक परिवार में 2 लड़कियाँ और एक लड़का तथा दूसरे परिवार में इसके विपरीत 2 लड़के और एक लड़की।

चित्र-स्थिति 3. उसी आकार का एक द्वीप जिसमें दो परिवार हों। पर प्रत्येक परिवार में 4 बच्चे हों—2 लड़के और 2 लड़कियाँ।

कार्य सुझाइए :—बच्चे परिचर्चा करें :

(1) एक ही आकार के इन तीन द्वीपों में प्रत्येक बच्चे का क्या हिस्सा होगा ?

(2) इन द्वीपों में दूसरी पीढ़ी में क्या हालत होगी। यदि इन परिवारों में उतनी ही संख्या में बच्चे पैदा होंगे, जितनी संख्या में उनके माता-पिता के बच्चे थे, प्रत्येक द्वीप में प्रत्येक बच्चे के पास कितना हिस्सा रह जायगा।

(3) दूसरी पीढ़ी के अंत में परिवारों तथा बच्चों की संख्या की गणना करें।

(4) बच्चों को यह कार्य पुनः करने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें इस अविश्वसनीय परिणाम का अनुभव करने दिया जाए—(अ) बच्चों की संख्या (ब) परिवारों की संख्या (स) तीनों द्वीपों में से प्रत्येक द्वीप की सम्पूर्ण जनसंख्या (उन्हें यह मान लेने दें कि तीनों पीढ़ियाँ जीवित हैं और उनमें किसी की मृत्यु नहीं हुई है।)

(5) बच्चे गुड्डे, गुड़िया तैयार करके और चित्र खींचकर, चाहे जिस चीज से काम करना वे पसन्द करें, ऊपर लिखे हुए की गणना करें। कुछ बच्चे गणित से यह गणना कर सकते हैं।

मूल्यांकन

1. जनसंख्या शिक्षा परिवार-नियोजन से भिन्न है, क्योंकि

....

....

....

2. जनसंख्या-शिक्षा को विभिन्न विषय-क्षेत्रों से अनुबंधित करना चाहिए, क्योंकि (तीन प्रमुख कारण बताइए)
अ..
ब..
स..

3. बच्चों को परिवार-नियोजन के बारे में पढ़ाना चाहिए क्योंकि
अ..
ब..
स..

4. जनसंख्या-शिक्षा से जीवन की गुणवत्ता के सुधार में सहायता मिलती है, क्योंकि
अ..
ब..
स..

मॉड्यूल : 21 (पी)

अवर प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा (प्रथम भाषा)–शिक्षण

भाषा का सीधा संबंध जीवन से है। मातृभाषा विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला एक विषय मात्र नहीं है अपितु छात्रों के जीवन का अविभाज्य अंग है। मातृभाषा उन्हें उनके परिवार व समाज से जोड़ने वाली कड़ी तथा उनकी अभिव्यक्ति व विचारों का माध्यम है। बालकों के व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे अधिक सहायता मातृभाषा से ही मिलती है। राष्ट्रीय संस्कृति की प्रमुख वाहिका भी मातृभाषा है। इसके साथ-साथ यह विद्यालय के अन्य विषयों की शिक्षा का माध्यम भी हैं। अतः मातृभाषा को किसी एक घंटे में पढ़ाने के लिए परिसीमित न कर, इसे पूरा दिन पढ़ाने का विषय समझना चाहिए। इनकी विषय वस्तु भी बालकों की आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखते हुए काफी विस्तृत होनी चाहिए। मातृभाषा विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम है अतः यह आवश्यक है कि बालकों को भाषा-संबन्धी विभिन्न प्रकार के सामूहिक तथा वैयक्तिक अनुभवों द्वारा भाषा पर अधिकार प्राप्त करने में सहायता दी जाय।

कुशलतायें

यद्यपि मातृभाषा-शिक्षण कई बातों में अन्य भाषाओं के शिक्षण समान ही है फिर भी इसकी कुछ अपनी विशेषतायें भी हैं। सम्पूर्ण भाषा-शिक्षण द्वारा अनेक प्रकार की भाषा-सम्बन्धी कुशलतायें एवं योग्यतायें विकसित की जाती हैं, जिन्हें मोटे तौर से निम्नलिखित तीन कोटियों में विभक्त किया जा सकता है :—

1— यांत्रिक कुशलतायें

2— अर्द्ध-यांत्रिक कुशलतायें

3— चिन्तनात्मक तथा सृजनात्मक योग्यतायें

भाषा सीखते समय, भाषा की यांत्रिक कुशलताओं का प्राप्त किया जाना शिक्षार्थी के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इनमें शुद्ध वर्तनी, सुलेख आदि की कुशलतायें निहित है। इन कुशलताओं को ग्रहण करने में मांसपेशियों का नियंत्रित संयोजन आवश्यक है जिसे पर्याप्त प्रशिक्षण तथा समय देने पर सभी शिक्षार्थियों को संतोषजनक रूप से सिखाया जा सकता है।

कुछ अर्द्ध-यांत्रिक कुशलतायें ऐसी हैं जो भाषा के प्रयोक्ता में स्वचालित स्वभाव का रूपधारण कर लेती है, किन्तु उसमें भी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि का होना आवश्यक है। इस प्रकार की विशिष्ट कुशलताओं के उदाहरण में पारस्परिक वार्तालाप, पठन तथा लेखन है, जिन्हें हम बिना किसी प्रयत्न के प्रयोग में लाते हैं। किसी शब्द का शुद्ध उच्चारण व लेखन यांत्रिक कुशलता है। किसी शब्द का उपयुक्त प्रसंग में प्रयुक्त करना प्रारम्भ में तो यांत्रिक रूप से नहीं होता, पर अत्यधिक प्रयोग द्वारा प्रतिदिन के जीवन में प्रयुक्त होने वाले अधिकांश शब्द हमारे ओठों अथवा कलम से स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं।

सभी भाषाओं की यांत्रिक तथा अर्द्धयांत्रिक कुशलतायें समान होती हैं, चाहे उन्हें मातृभाषा के रूप में सिखाया जाए अथवा द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में। मातृभाषा-शिक्षण का क्षेत्र इन यांत्रिक एवं अर्द्ध-यांत्रिक कुशलताओं को सिखाने से कहीं अधिक व्यापक है। मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को भाषा के प्रयोग में

चिन्तनात्मक तथा सृजनात्मक स्तर पर पहुँचाना है। भाषा-शिक्षण में भाषा का वैचारिक पक्ष बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। यदि हम अपने बच्चों में, मातृभाषा में ठीक ढंग से सोचने तथा महसूस करने की योग्यता का विकास न कर सकें तो हम भाषा-शिक्षा के कार्य को करने में पूर्णतया असफल रहेंगे।

भाषा-शिक्षण करते समय आवश्यक है कि भाषा की कुशलताओं तथा योग्यताओं के तीनों पक्षों को समान महत्त्व दिया जाए। चाहिए तो यह कि प्राथमिक कक्षाओं अर्थात् पहली कक्षा से लेकर पाँचवीं कक्षा तक के समय में बालक सभी यांत्रिक कुशलताओं को सीख लें और आठवीं कक्षा के अन्त तक सभी यांत्रिक एवं अर्द्ध-यांत्रिक कुशलताओं में परिपक्वता प्राप्त कर लें। इतना हो जाने पर माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिम स्तर की कक्षाओं में शिक्षक स्वतन्त्र रूप से अपना समय तथा शक्ति, बालकों के राष्ट्रीय तथा भावनात्मक व्यक्तित्व के विकास में लगा सकते हैं। इस पक्ष को सबल बनाने में मातृभाषा का बहुत बड़ा हाथ है। इस तरह मातृभाषा शिक्षण द्वारा भाषा-सम्बन्धी ज्ञान तथा उसका उपयुक्त प्रयोग, दोनों ही पक्षों पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जा सकेगा।

सुविधा के लिए भाषा सम्बन्धी योग्यताओं का विभाजन सुनने/बोलने पढ़ने और लिखने की योग्यताओं में किया जाता है, पर ये सभी योग्यताएँ परस्पर सम्बन्धित हैं। अतः यह सम्भव नहीं कि हम बालकों में सुनने की योग्यता का विकास, बोलने की योग्यता के विकास के बिना कर सकें। इसी तरह लिखने की योग्यता का विकास, पढ़ने की योग्यता विकास के बिना नहीं हो सकता। पढ़ने की योग्यता के अन्तर्गत अन्य अनेक योग्यताएँ भी सन्निहित हैं, जो न केवल भाषायी कुशलताओं से सम्बन्धित हैं- बल्कि उनका सम्बन्ध तो व्यक्ति के अंतरंग से है। इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि मातृभाषा की शिक्षा में केवल पढ़ने और लिखने पर ही बल न देकर सभी भाषिक योग्यताओं के विकास का प्रयास करना चाहिए।

पढ़ना कैसे सिखाएँ

पढ़ने जैसी महत्त्वपूर्ण कुशलता का शिक्षण बालक पाठशाला में ही प्राप्त करता है। वह अपनी पढ़ी हुई विषय वस्तु का जीवन में समुचित उपयोग करना सीख सकें, यह शिक्षण का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि प्रारम्भिक कक्षाओं, में ही पढ़ने में कुशलता प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण कार्य की नींव रखी जाए। प्रायः यह देखा गया हैं कि अनेक बालक अपनी पाठशाला की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते और उसे अधूरी ही छोड़ देते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि वे पाठशाला में पढ़ी गई विषय-वस्तु को समझने में असमर्थ रहते हैं तथा उचित आनन्द भी प्राप्त नहीं कर पाते। यदि हमारे पास एक सही दृष्टिकोण हो, यदि हमें पढ़ना सिखाने की सही पद्धतियों का ज्ञान हो तो हम इस विषय में अपने बालकों की अच्छी तरह से सहायता कर सकते हैं। अतः सभी आग्रहों से मुक्त रह कर पढ़ना सिखाने के लिए मातृभाषा की प्रकृति को समझते हुए भाषा-वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ऐसे समन्वयवादी मार्ग का अनुसरण उपयुक्त रहेगा जो अपने देश की वर्तमान परि-स्थिति में शिक्षक के लिए सहजग्राह्य हो और बालकों के लिए रोचक तथा उपयोगी हो।

पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए पढ़ने की प्रक्रिया बिलकुल नई चीज होती है, इसलिए मातृभाषा-शिक्षण का प्रारम्भ सीधे अक्षर-ज्ञान से नहीं किया जाना चाहिए। प्रारम्भ में बालकों की रुचि के अनुरूप पशु-पक्षियों सवारियों, पर और घर के आस-पास के वातावरण से सम्बन्धित रंग-बिरंगे चित्रों से सज्जित चार्ट आदि के आधार पर बातचीत करना उपयोगी होगा। धीरे-धीरे बच्चों का ध्यान पुस्तक में दिए गए चित्रों पर केन्द्रित करना और इस प्रकार रोचक और उपयोगी बातचीत के लिए आधार प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इससे बच्चों की आँख पुस्तक में छपे किसी चित्र का नाम देखने के लिए प्रशिक्षित होगी। इससे बच्चों की स्वाभाविक झिझक

तो दूर होगी ही, साथ ही साथ भाषा का विकास तथा उसे समझने की शक्ति में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी।

मातृभाषा के लिखने के ढंग जैसे कि हिन्दी को लिखने का स्वाभाविक क्रम बाएँ से दाएँ और ऊपर से नीचे है, से भी बालकों का परिचय होता है। वे चार्ट तथा मुद्रित पठन-सामग्री से विशिष्ट भाषा के स्वाभाविक क्रम का अभ्यास अनजाने ही करते रहते हैं।

पढ़ना कोई एकांगी क्रिया नहीं है। पढ़ना सीखते समय बालक विभिन्न ध्वनियों को सुनकर उनमें विभेद करता है। वह विभिन्न लिपिचिह्नों के मिश्रण से बने शब्दों को देखता है, उन्हें पहचानता है और उनके अर्थ समझता है। अतः पढ़ना सिखाते समय क्रमबद्ध रूप से किसी भाषा के लिपि-चिह्नों को दुहरवाकर, उनकी ध्वनियों और लिखित-संकेतों से बालकों का परिचय करवाना मात्र ही अपेक्षित नहीं है। मातृभाषा का पढ़ना सिखाते समय इस बात का विशेष महत्व है कि बालक के पूर्व अनुभवों द्वारा अर्जित भाषा के मौखिक ज्ञान की पृष्ठिभूमि का लाभ उठाते हुए, भाषा विशेष में बहुप्रयुक्त लिपि-चिह्नों का पढ़ना पहले सिखाया जाए और कम प्रयुक्त लिपि-चिह्नों का बाद में। जिन लिपि-चिह्नों की आवृत्ति भाषा में अधिक है, अर्थात् बारम्बारिता की दृष्टि से जिन लिपिचिह्नों का स्थान पहले है, उन्हें सिखाया जाए। इससे एक लाभ होगा कि कुछ ही लिपि-चिह्नों को सीखने के बाद बालक अपनी मातृभाषा के प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले परिचित शब्दों को अनायास ही शीघ्रतापूर्वक पढ़ने लगेगा और पढ़ने में उसकी रुचि बढ़ती जाएगी।

उदाहरण के लिए, हिन्दी के सभी लिपि-चिह्नों के प्रयोग की आवृत्ति समान नहीं है। न, ल, प, ब, स, क, र, घ आदि व्यंजनों का प्रयोग छ, ठ, प, ट, ष, आदि की तुलना में कहीं अधिक होता है। कई स्वरों की तुलना में उनकी मात्राओं का प्रयोग अधिक होता है। बालकों को यदि अधिक प्रयुक्त लिपि-चिह्न पहले सिखाए जाएँ तो वे उनसे बनने वाले अधिकाधिक शब्दों को सरलता से पढ़ना सीख सकेंगे। प, न, ा, ी, इन चार लिपि-चिह्नों को सीखने के बाद बालक पान, पाना, नाना, नानी, पापा, पीना, पानी, पी, नाप, नापना, आदि अनेक शब्द तथा—"पानी पी।" "नानी पानी पी" आदि वाक्य पढ़ सकते हैं। इसका एक लाभ यह भी है कि बालक प्रारम्भ से ही सार्थक पठन का अभ्यास कर सकते हैं।

एक बार में तीन या चार लिपि-चिह्नों का परिचय कराया जाए। उनकी ध्वनि तथा आकृति से भली-भाँति परिचित हो जाने पर, उनके योग से बनने वाले परिचित शब्दों को पढ़ने के अभ्यास के लिए दिया जाय। इससे यह लाभ होगा कि इनके योग से बनने वाले शब्दों और इन शब्दों के मेल से बनने वाले वाक्यों को पढ़ने की योग्यता का बालकों में साथ ही साथ निरन्तर अभ्यास होता जाएगा। पहले सीखे गए शब्दों की आवृत्ति आगे दी गई पठन-सामग्री में निरन्तर होती रहेगी जिससे छात्रों के पढ़ने में गति आएगी। इस प्रकार पढ़ना सिखाने पर कुछ ही सप्ताह में बालक परिचित लिपि-चिह्नों के योग से बनी कोई भी सामग्री पढ़ने में समर्थ हो सकेंगे। एन. सी. ई. आर. टी. द्वारा विकसित इस पद्धति द्वारा पढ़ना सिखाने पर बालक कुछ सिद्धान्तों को समझने के बाद स्वयं सीखने का उद्योग कर सकेगा।

सभी लिपि-चिह्नों का परिचय हो जाने पर पारम्परिक वर्णमाला का भी परिचय करा देना चाहिए।

शिक्षक को पहली कक्षा के बालकों को मातृभाषा के रूप में हिन्दी पढ़ाते समय एक समस्या का और सामना करना पड़ता है। पहली कक्षा में आने वाले बालक अपने घर में हिन्दी की विभिन्न बोलियों का उपयोग

करते हैं परन्तु पाठशाला में आने पर तथा पाठ्यपुस्तकों द्वारा उन्हें परिनिष्ठित (मानक) हिन्दी पढ़ाई जाती है। इस स्थिति में ऐसे बालकों को हिन्दी पढ़ाने का कार्य व्यवस्थित रूप से कराया जाना चाहिए।

हिन्दी की विभिन्न बोलियों का उपयोग करने वाले बालकों की भाषा सीखने में तीन कठिनाइयाँ आती हैं :—

(क) मानक हिन्दी के शब्दों की ध्वनि प्रणाली सीखने में

(ख) शब्द के सही व्याकरण-सम्मत रूपों के सीखने में

(ग) वाक्य रचना सीखने में

हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों में प्रचलित बोलियां बोलने वाले पहली से तीसरी कक्षा के बालकों के शब्द भण्डार पर एक शोध द्वारा प्राप्त परिणामों के अनुसार उनके शब्दों में काफी विविधता पाई गई है। यह विविधता शब्दों की ध्वनियों, रूपों तथा बनावट तक ही सीमित नहीं है। कहीं-कहीं दूसरे शब्दों का भी उपयोग किया गया है और वाक्य की क्रिया भी बदल गई हैं।

शिक्षक को इस समस्या की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्हें ऐसे शब्दों और ध्वनियों की सूची बना लेनी चाहिए जो बालकों को हिन्दी ठीक तरह सिखाने में कठिनाई पैदा करती हैं। इस समस्या का निवारण हम इस प्रकार कर सकते हैं :—

(क) शिक्षक को बोलते या पढ़ते समय अपने उच्चारण के बारे में बहुत सतर्क रहना चाहिए।

(ख) शिक्षक को बालकों की कक्षा या कक्षा के बाहर मानक रूप में बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा जहाँ वे गलत उच्चारण करते हों, उसी समय उसे सुधारना चाहिए।

(ग) शिक्षक को बालकों से अपने द्वारा कही गई कहानी सुनने और फिर बालकों द्वारा उसे कहलाने तथा अपनी ओर से कहानी कहने का अभ्यास करवाना चाहिए।

(घ) शब्दों का शुद्ध उच्चारण, बार-बार कहलवाया जाए तथा सम्भव हो टेपरिकार्डर के प्रयोग द्वारा बार-बार शब्द सुनाकर, उनका शुद्ध उच्चारण करवाया जाए।

(ङ) शिक्षक बालकों को ऐसे अभ्यास दें जिससे वे मिलती-जुलती ध्वनियों के सूक्ष्म भेद को सुन सकें और बोल सकें।

शब्द-भण्डार

पाठशाला में प्रवेश लेने वाला औसत बालक अपने प्रतिदिन के व्यवहार में लगभग बारह सौ शब्दों का सार्थक प्रयोग करता है। वह पाठशाला न आने पर भी अपने आसपास के वातावरण तथा प्रतिदिन के व्यावहारिक जीवन से अपने लिए उपयुक्त शब्द भण्डार एकत्रित कर लेता हैं और आवश्यकतानुसार उसका प्रयोग करता है। बालकों के बोलचाल के इन्हीं शब्दों को आधार बनाकर प्राथमिक कक्षाओं में उनके शब्द भण्डार में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है। बोलचाल के शब्द-भण्डार तथा पढ़ने के शब्द-भण्डार में अन्तर होता है। शुरू-शुरू में पढ़ना सीखने पर बालक अपनी बोलचाल के शब्दों का व्यवहार मौखिक अभिव्यक्ति में ही कर पाता है। शब्दों के प्रत्यय तथा उनके प्रयोग के विषय में निश्चित होने पर भी लिखित-संकेतों अर्थात् लिपि-चिह्नों की जानकारी तथा उनका उपयुक्त अभ्यास न होने के कारण पठित-सामग्री तथा लेखन में उसका प्रयोग नहीं कर पाता। पाँचवीं कक्षा के अन्त तक बालक का शब्द-भण्डार बारह सौ शब्दों से बढ़कर ढ़ाई से तीन हजार (2500-3000) शब्द तक हो

जाता है। यद्यपि प्रयोग की दृष्टि से पढ़ने की शब्द संख्या इससे बहुत अधिक होगी। क्योंकि पढ़ना सीख लेने पर बालक परिचित शब्दों के सन्दर्भ में अपरिचित शब्दों की आकृति तथा उनके अर्थ भी समझ लेगा। पाठ्य-पुस्तक में पाठों में प्रयुक्त नए, विशेष रूप से कठिन शब्दों के अर्थ बालकों को समझा दिए जाने पर उनसे निर्मित अन्य अनेक शब्दों के अर्थ से अनायास ही प्रसंग-संकेत द्वारा जान लेते हैं। इन शब्दों के अतिरिक्त सहायक-सामग्री तथा अन्य विषयों के अध्ययन के द्वारा बालक और बहुत से शब्दों से परिचित हो जाते हैं।

मौखिक अभिव्यक्ति

मौखिक अभिव्यक्ति का हमारे जीवन में बहुत महत्त्व है। हम अपना अधिकांश कामकाज मौखिक रूप से चलाते हैं और हमारा अधिकतर समय मौखिक रूप से ही विचारों के आदान-प्रदान में व्यतीत होता है। आज-कल की परीक्षा प्रणाली में मौखिक अभिव्यक्ति की उपेक्षा कर केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाता है। इसीलिए विद्यालयीय जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास को उतना स्थान नहीं दिया जाता। वास्तव में होना तो यह चाहिए कि प्राथमिक कक्षाओं को तीन-चौथाई परीक्षा मौखिक हो और शिक्षक अध्यापन के अधिकांश समय का उपयोग बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने में व्यतीत करे।

पाठशाला में प्रवेश लेने के बाद प्रथम कुछ सप्ताह बच्चों को पाठ्य-पुस्तकों से न पढ़ाकर मौखिक रूप से ऐसी कुशलताएँ सिखाने में लगाए जाने चाहिए जिनसे बालकों को आगे चलकर पढ़ना-लिखना सीखने में सुविधा हो। भारत में लगभग 90 प्रतिशत बालकों के लिए पाठशाला आने का यह पहला अवसर होता हैं क्योंकि बहुत कम बालक बाल-विद्यालयों या नर्सरी (आँगनवाड़ी) में जा पाते हैं। अध्यापक की देखरेख में अपनी आयु के तीस-चालीस बालकों में, घर के किसी अपने व्यक्ति की सहायता बिना बैठने में, उन्हें डर सा लगता है। इस आयु वर्ग के बालकों में एक स्वाभाविक झिझक भी होती है। ऐसी अवस्था में मौखिक रूप से बातचीत द्वारा शिक्षक उनकी झिझक को दूर कर सकता है। उनसे इस प्रकार के विषयों पर बातचीत की जाए कि उसे लगे कि पाठशाला का वातावरण घर से बहुत अधिक भिन्न नहीं है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनका व्यक्तित्व खुलेगा।

पाठशाला के अन्य कार्यक्रम तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ना सिखाने में भी मौखिक अभिव्यक्ति ही सहायक होती है। अपने विचारों को दूसरों के सम्मुख रखना और दूसरों की कही हुई बात को समझना, ये बातें पढ़ना सीखने तथा किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। मौखिक भाषा अनुभवजन्य घटना तथा लिखित रूप के बीच की कड़ी है, इसी के द्वारा बालक सारी बात को समझ सकता है। जिस बालक के घर में बोलने पर कोई अंकुश नहीं होता, जिस बालक के प्रश्नों और समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना जाता है, उसे भाषा की सभी कुशलताओं में योग्यता में, अनुभव हैं, और यह उनका मौखिक विवरण दे सकता है, तो उसे छपे हुए शब्दों के अर्थ समझने में भी अपेक्षाकृत आसानी रहती है। पाठशाला के सभी विषयों को समझने की शक्ति उसमें विकसित हो जाती है।

भाषा चिन्तन का भी आधार है। भाषा का ज्ञान व्यवहार से आता है। बालक सबको बोलते हुए सुनता है और सुनकर स्वयं भी उसका प्रयोग करने लगता है। अतः शिक्षक होने के नाते हम उसे ऐसे अधिक से अधिक

अवसर प्रदान करें जिससे वह मौखिक भाषा का प्रयोग करने में समर्थ हो सके।

इन कक्षाओं में भाषा-सम्बन्धी, योग्यताओं के मूल्यांकन का आधार भी मौखिक अधिक हो और लिखित कम।

मातृभाषा का अन्य विषयों से सहसम्बन्ध

जैसे कि पहले कहा जा चुका है, मतृभाषा का शिक्षण विद्यालय के पूरे दिन के कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। छोटे बालकों को पढ़ते समय ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाषा छोड़कर किसी एक विशिष्ट घण्टे में कोई अन्य विषय पढ़ाया जा रहा है क्योंकि सभी विषय भाषा की सम्पन्नता को बढ़ाते हैं। भाषा-शिक्षण तो योग्यता-केन्द्रित नहीं। भाषा के शिक्षण के लिए भी अन्य विषयों से विषय-वस्तु का चयन किया जाता है अतः जहाँ तक हो सके शिक्षक कहानी या पाठ में आए हुए विभिन्न विषयों का पाठशाला में पढ़ाए जाने वाले अन्य विषयों की संगत बातों से सम्बन्ध स्थापित करें। उदाहरणार्थ चिड़िया के विषय में कही गई कहानी के, साथ सामान्य रूप से विज्ञान के विषयांश के सन्दर्भ में चिड़ियों, उनकी आदतों, उनके भोजन, उनके रहने और अन्य संबंधित विषयों की चर्चा करने का अवसर मिल सकता है।

कहानी में भोजन के सम्बन्ध में आने वाली किसी प्रसंग से स्वास्थ्य, एवं भोजन के पोषक तत्त्व आदि विषयों पर भी चर्चा की जा सकती है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि भाषा का पाठ पाठ्यक्रम का एक सबसे अलग विषय नहीं अपितु सभी से जुड़ा हुआ, गुंथा हुआ है। भाषा के पाठ में अन्य विषयों के साथ सम्बन्ध जोड़ने की अधिक सम्भावना होती है और शिक्षक को इन सम्भावनाओं का लाभ उठाकर बालकों को पढ़ाना है।

नैतिक मूल्य

नैतिक मूल्यों से तात्पर्य अच्छे संस्कारों से है जो हम बालकों में डालना चाहते हैं। छोटे बच्चों को प्यार, सहायता, बाँटकर उपयोग करना, परिश्रम ईमानदारी, दया, (पशु-पक्षियों पर) समय की पाबन्दी, सफाई, शिष्टाचार बड़ों का आदर, पेड़-पौधों से प्रेम आदि और पाँचवीं कक्षा की समाप्ति तक इन गुणों के अतिरिक्त निर्भयता, अनुशासन, कर्तव्यपालन, देशप्रेम, परस्पर सहयोग, सहनशीलता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, उत्तरदायित्व की भावना, श्रम के महत्त्व को समझना, दूसरों की सम्पत्ति, प्राकृतिक साधनों तथा सार्वजनिक सम्पत्ति का ध्यान रखना, विभिन्न धर्मों का आदर करना आदि चारित्रिक गुणों का विकास शिक्षक स्वयं के उदाहरण द्वारा, पठन सामग्री द्वारा, तथा अतिरिक्त सहायक सामग्री द्वारा उपरोक्त गुणों को बालकों के सम्मुख रखें, और उनमें सद्-प्रवृत्तियों के विकास की ओर ध्यान दें।

व्याकरण

प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण की औपचारिक शिक्षा न देकर अनौपचारिक ढंग से भाषा के व्याकरण के समस्त प्रयोग सिखाने पर बल दिया जाता है। तीसरी कक्षा से व्यावहारिक व्याकरण का ज्ञान देना प्रारम्भ कर दिया जाए। पर व्याकरण की परिभाषाओं को न रखा जाए। पाँचवी कक्षा तक बच्चे संज्ञा, लिंग, बचन का ज्ञान, क्रिया के कर्ता व कर्म तथा भूत, भविष्यत एवं वर्तमान काल की पहचान, वाक्य के मुख्य अंगों कर्त्ता, कर्म, क्रिया व अव्यय का यथोचित प्रयोग बालक समझ लें। इससे व्याकरण-सम्मत भाषा के प्रयोग की क्षमता बढ़ती है अगली कक्षाओं में व्याकरण का औपचारिक ज्ञान प्रारम्भ होने पर पृष्ठभूमि तैयार मिलती है।

मातृभाषा-शिक्षण के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव

—बच्चे कक्षा में सक्रिय रहें।

—प्रत्येक बच्चे की ओर ध्यान दिया जाए जिससे बच्चे को यह लगे कि उसे दिया गया समय केवल उसी का था।

—शिक्षक कक्षा में स्वयं कम बोलें और बच्चों को अधिक से अधिक बोलने के लिए प्रोत्साहित करें जिससे बच्चों की स्वाभाविक झिझक दूर हो सके।

—किसी न किसी रूप में बच्चों को प्रशंसा अवश्य ही मिलनी चाहिए। कहानी, कविता, गाना, चुटकुले आदि को समूह में सुनवाना तथा प्रशंसा में तालियाँ बजवाना बच्चे को बोलने की प्रेरणा और प्रोत्साहन देते हैं।

—कक्षा के सभी बालकों से सस्वर वाचन करवाएँ और अन्य कक्षाओं में सस्वर वाचन के लिए प्रोत्साहित करें।

—बच्चों के उच्चारण और वर्तनी पर हर समय ध्यान दें और उन्हें शुद्ध उच्चारण तथा वर्तनी का ज्ञान सिखाएँ।

—तीसरी कक्षा तक आते-आते बच्चे वर्तनी की अशुद्धियाँ स्वयं निकालें या एक दूसरे की अशुद्धियाँ ठीक करें।

—दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में पूछें तथा सभी बच्चों को बारी-बारी बोलने का अवसर प्रदान करें।

—पढ़ना सिखाते समय सहायक सामग्री फ्लैश-कार्ड, शब्द-कार्ड, वाक्य-फीतियाँ आदि का यथासम्भव प्रयोग करें क्योंकि बच्चे दृश्य-सामग्री से शीघ्र सीखते हैं और इससे पढ़ना सिखाने में रोचकता आती है।

—बच्चों को प्रोत्साहन दें कि वे चित्र बनाएँ और चित्रों के नीचे उनके बारे में कुछ लिखें।

—बच्चों द्वारा चित्रित लिखित सामग्री को दीवार-पत्रिका पर लगाएँ जिससे अन्य बच्चे उन्हें पढ़ने तथा बनाने में रुचि लें।

—कक्षा की दीवारों को सुन्दर चित्रों और चार्टों से सुसज्जित रखें, इससे बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ेगी।

—अभिनय, बालगीत, चुटकुले, पहेलियाँ, सामूहिक वार्तालाप द्वारा बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति का निरन्तर विकास करें।

—बाल-पत्रिकाओं तथा अन्य बालोपयोगी सामग्री का चयन कर कक्षा में पढ़ने के लिए उपलब्ध कराएँ।

—ट्रांजिस्टर, रेडियो, कैसेट-प्लेयर, टेलिविजन आदि से बच्चों का परिचय करवाएँ तथा भाषा के विकास के लिए इनकी सहायता लें।

अन्त में अध्यापन में शिक्षक तभी सफल हो सकता है जबकि वह पढ़ने के प्रति बालक में तीव्र रुचि और इच्छा पैदा कर दें। सजावट एवं सुरुचिविहीन कक्षा का कमरा बच्चों के साथ-साथ शिक्षक को भी निरुत्साहित करता है। इसलिए उसकी दीवारों पर चार्ट, चित्र सुभाषित वाक्य, अच्छे शीर्षक सामग्री लगानी चाहिए। यह कोई आवश्यक नहीं कि वे चीजें खरीदकर ही लगाई जाएँ। बहुत सी चीजें जिन्हें हम आवश्यक समझकर फेंक देते हैं, उपयोग में लाई जा सकती हैं, केवल इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

आकर्षक कक्षा के कमरे, सुरुचिपूर्ण पठन-सामग्री और सबसे अधिक शिक्षक का उत्साह हमारे प्राथमिक विद्यालयों में नया जीवन फूंक सकते हैं।

मॉड्यूल—22 (पी)

पर्यावरण-अध्ययन

सिहांवलोकन

(सामाजिक अध्ययन)

इस स्तर पर पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम का उद्देश्य है : आसपास के या दूर के समूचे भौतिक एवं सामाजिक वातावरण की जानकारी के लिए बच्चों में चेतना जागरित करना। पर्यावरण संबंधी अध्ययन से बच्चा शुरू में ही पर्यावरण के साथ और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक संस्थाओं के साथ मनुष्य के पारस्परिक संबंध एवं पारस्परिक प्रभाव को समझ सकेगा। बच्चा आसपास के वातावरण से प्रेरित होकर उसकी जानकारी हासिल करता है और यही जानकारी बच्चे में पर्यावरण के अध्ययन की इच्छा जगाती है।

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप :
—पर्यावरण के संप्रत्यय को समझ सकेंगे।
—जान सकेंगे कि पर्यावरण उपागम से हमारा क्या मतलब हैं ?
—समझ सकेंगे कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण उपागम को अपनाना क्यों जरूरी है।
—प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए गतिविधियों का आयोजन कर सकेंगे।
—प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण-उपागम की आवश्यकता समझ सकेंगे।

पर्यावरण क्या है ?

व्यक्ति के आसपास का ज्ञात और अज्ञात, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण ही पर्यावरण है। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके जीवन और कार्य-स्थितियों को प्रभावित करता है।

प्राकृतिक पर्यावरण में दो तत्व मुख्य है:—जड़ और चेतन। धरती, पानी और वायु जड़ हैं, ये "भौतिक पर्यावरण" के अन्तर्गत आते हैं। पौधे व जानवर चेतन अर्थात सजीव हैं, ये "जैविक पर्यावरण" के अंतर्गत आते हैं। भौतिक पर्यावरण विभिन्न रूपों में जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है और जैविक पर्यावरण से मनुष्य को जीवन के अस्तित्व के लिए खाना-पीना एवं अन्य चीजे मिलती हैं। मनुष्य पेड़-पौधों और जानवरों के बिना नहीं रह सकता।

मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण को खेतों-खलिहानों, फैक्ट्रियों, खदानों, बांधों, भवनों, सड़कों, पुलों आदि के बोझ से लाद दिया है। भौतिक और जैविक पर्यावरण का एक दूसरे पर सतत् प्रभाव पड़ता है, और उसके फलस्वरूप निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। सामाजिक पर्यावरण में आते हैं : स्कूल, परिवार, धार्मिक स्थल, बिरादरी, समाज, सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाएं, समुदाय द्वारा आयोजित विभिन्न सेवाएं, सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियां आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, उनकी प्राप्ति, आपूर्ति आदि। इससे सामाजिक दृष्टि से आदतों व प्रवृत्तियों का भी निर्माण होता है जिससे इन्सान समाज में अच्छी तरह रह सके और काम कर सके।

पर्यावरण संबंधी पद्धति के प्रमुख स्वरूप क्या है ?

(1) पर्यावरण अध्ययन में बच्चा अपने प्राकृतिक व सामाजिक पर्यावरण की सुसंगठित ढंग से खोज-बीन और सुव्यवस्थित ढंग से जाँच-पड़ताल करता है ।

(2) बच्चा जब अपने आस पास का वातावरण देखता है, उसका अध्ययन करता है तो कुछ संप्रत्ययों, कौशलों और अभिवृत्तियों के विकास की अपेक्षा की जाती है और उसमें स्थान व समय के साथ अन्य परिस्थितियों का, अपने से दूर के वातावरण का अध्ययन करने की इच्छा जागती है ।

(3) पर्यावरण अध्ययन "सीखने के लिए सीखना" उपागम के रूप में स्वयं अधिगम की विधि है । तथ्यों या सूचानाओं को ग्रहण करने के बजाय आप इस पद्धति द्वारा स्वयं अध्ययन कर सकते हैं । पर्यावरण संबंधी अध्ययन में आप क्या पढ़ते हैं इसकी बजाय यह अधिक महत्त्वपूर्ण है कि आप "कैसे" पढ़ते हैं । यह अब सभी मानने लगे हैं कि बच्चे एक ही अनुभव से अलग-अलग प्रकार की बातें सीखते हैं । अध्ययन और अध्यापन को हमेशा सहसंबंधित नहीं किया जा सकता ।

(4) पर्यावरण संबंधी अध्ययन में इस पर जोर दिया जाता है कि बच्चा अपने आस-पास के वातावरण से सीखे और सीधा अनुभव करे, पर इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी समीप अपने आस-पास की दुनिया तक ही सीमित हो गई है । वस्तुतः इस तरीके से अध्ययन का लक्ष्य यह है कि धीरे-धीरे बच्चे की जानकारी बढ़े, वह ज्ञात से अज्ञात को, आस-पास के वातावरण से दूर के वातावरण को और मूर्त से अमूर्त को जाने ।

(5) पर्यावरण स्वयं साध्य नहीं है, अपितु किसी साध्य का साधन है । साध्य तो बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वतोमुखी विकास है ।

प्राइमरी स्तर पर पर्यावरण उपागम लागू करना क्यों तर्क संगत है ?

पर्यावरण संबंधी पद्धति की विशेषता यह है कि इसमें बच्चा अपने आस-पास के वातारवण से सीखता है जिससे वह अच्छी तरह परिचित है । जिस वातावरण में बच्चा रहता है वह बच्चे का सर्वाधिक परिचित स्थान है, जिसका बच्चे के ज्ञात को ठोस और प्रभावात्मक बनाने के लिए लाभ उठाया जा सकता है । इस प्रकार की उपागम में विषयों या नियमों के सभी बंधन टूट जाते हैं और बच्चा अपने विशिष्ठ अनुभवों के विशाल धरातल पर सहज जानकारी हासिल करता है ।

पर्यावरण अध्ययन की कार्यप्रणाली क्या है ?

कार्यप्रणाली क्या है, यह आप निम्नलिखित गतिविधियों से आसानी से जान सकेंगे—गतिविधियों का चुनाव विषय और शिक्षक की सुविधा के मुताबिक किया जा सकता है ।

1. आप बच्चों को मौका दें कि वे अपने आप-पास की चीजों को, समस्याओं को, घटनाओं को देखें तथा समाज और पौधों व पशुओं में सतत् होने वाले परिवर्तन को महसूस करे ।
2. आप बच्चों को सजीव और जड़ वस्तुओं का वर्गीकरण करने के लिए कहें । इसके लिए आधार आप तैयार कर सकते हैं या बच्चे स्वयं इस आधार का चुनाव कर सकते हैं ।
3. बच्चा जब अपने आस-पास के वातावरण को, चीजों को देखेगा और उनका वर्गीकरण करेगा तो निश्चय ही वह किसी नतीजे पर भी पहुँचेगा, जिसमें आप उसकी सहायता कर सकते है ।
4. कक्षा के बाहर गतिविधियों का आयोजन कीजिए, जिससे बच्चा अपने आस-पास के वातावरण से सीख सके ।
5. आप बच्चों से कहें कि वे अपने आस-पास की चीजों को देख कर लिखें या कागज या मिट्टी से उन चीजों को बनाने की कोशिश करें—इसमें आप उनकी सहायता कर सकते हैं।

6. आप, उदाहरण के लिए, बच्चों को कक्षा के बाहर ले जाकर सामने से गुजरने वाले व्यक्तियों, पशुओं, साइकिलों, कारों या बैलगाड़ियों की गिनती करवा कर गिनती का अभ्यास करवा सकते हैं। आप बगीचों में बच्चों को मौसम के अनुसार सब्जियां व फल दिखाकर उनकी जानकारी करवा सकते हैं। पेड़ कैसे बढ़ते हैं, छोटा सा मटमैला कीड़ा एक रंगबिरंगी तितली कैसे बन जाता है आदि अनेकों बातों की जानकारी आप बच्चों को करवा सकते हैं।
7. आप बच्चों के साथ उनके दैनिक जीवन के बारे में, उनके वातावरण के सामाजिक व भौतिक पहलुओं के बारे में बातचीत कर सकते हैं (प्रश्नोत्तर रूप में)।
8. आप बच्चों को तथ्यों से भरपूर या कल्पनात्मक किस्से, कहानियां सुना सकते हैं, कविताओं का अभ्यास करवा सकते हैं, गीत गवा सकते हैं और विषय व परिस्थिति के मुताबिक अभिनय करने के लिए कह सकते हैं।
9. जन्म दिन और सामाजिक या राष्ट्रीय त्यौहार मनाने में आप बच्चों की मदद कर सकते हैं।
10. आप उन्हें ऐसे विषय और प्रश्न दे सकते हैं जिनका उत्तर वे अपने मां-बाप, बड़ों या साथियों के साथ, बातचीत कर पा सकें।

पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक भौतिक व सामाजिक वातावरण का प्रयोग कैसे कर सकता है, यह समझने के लिए, आइए, हम तीन उदाहरण लें।

उदाहरण–1

प्रकृति की देन-मिट्टी

प्रकृति की देन के रूप में मिट्टी के अध्ययन का लक्ष्य यह है कि बच्चा प्राकृतिक स्रोतों की जरूरत को जाने और उनके संरक्षण के महत्त्व को समझे। इससे बच्चों को पता चलेगा कि मिट्टी मनुष्य को प्राप्त महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत हैं। पेड़-पौधों के माध्यम के रूप में मिट्टी अपरिहार्य है, इससे मनुष्य और पशु को भोजन मिलता है। विभिन्न प्रकार की उपज के लिए विभिन्न प्रकार की मिट्टी की जरूरत पड़ती है। मिट्टी का निर्माण धीरे-धीरे होता है। खेती के लिए उपयुक्त कुछेक सेन्टीमीटर मोटी मिट्टी की परत बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं और बढ़ती जनसंख्या एवं लम्बे अर्से से भूमि के सतत् प्रयोग के कारण मिट्टी की विशेष देखभाल बहुत जरूरी है।

यह विषय बच्चों को पास के किसी खेत में ले जा कर अच्छी तरह पढ़ाया जा सकता हैं। आप उन्हें तरह-तरह की मिट्टी एकत्र करने के लिए कह सकते हैं। इस उम्र के ज्यादातर बच्चे जानते हैं कि वे जो कुछ खाते हैं उनमें अधिकतर चीजें मिट्टी में ही उगती हैं।

मिट्टी एक मूलभूत और पेड़ पौधे उगाने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण तत्व है और इसका क्रमशः ह्रास होता चला जा रहा है। इस तथ्य को समझाने के लिए बच्चों को निम्न प्रयोग करने के लिए कहा जा सकता है।

उन्हें दो गमले दें जिनमें से एक में रेता भरा हो दूसरे में मिट्टी। बच्चों को दोनों गमलों में जौ उगाने के लिए कहें। दो सप्ताह बाद पूरी कक्षा परिणाम को देख सकेगी और उचित नतीजे पर पहुँच सकेगी।

इस अवस्था में बच्चों को अलग-अलग तरह की मिट्टी की जानकारी दी जानी चाहिए। उन्हें बताया जाना चाहिए कि किस खेती के लिए कौन-सी मिट्टी अच्छी हैं।

बच्चों को पास के खेत में ले जाकर बताया जाना चाहिए कि खाद मिट्टी को उपजाऊ बनाती है । इसके साथ ही उन्हें यह भी बताएँ कि अगर हम लम्बे समय तक भूमि पर निरन्तर खेती करते चले जाते हैं तो मिट्टी उपजाऊ नहीं रह जाती । कई बार हवा और पानी के साथ भी पृथ्वी के ऊपर की उपजाऊ मिट्टी बह जाती है । इससे भूमि बंजर हो जाती हैं । बंजर या अनुपजाऊ भूमि को पुनः उपजाऊ बनाया जा सकता हैं । बच्चे खेतों में किसानों से बातचीत कर यह जान सकते हैं कि भूमि को किस तरह बंजर या अनुपजाऊ होने से बचाया जा सकता है या उपजाऊ बनाया जा सकता है ।

इसी समय बच्चों को कक्षा में पाठ्यपुस्तक से पढ़ाया जा सकता है और मिट्टी के बारे में आवश्यक जानकारी दी जा सकती है । उसके बाद कक्षा में उस पर वाद-विवाद किया जा सकता है । बच्चों को निम्न-लिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रेरित किया जा सकता हैं :

1. हमें मिट्टी से सीधे कौन-कौन से पदार्थ मिलते हैं ।
2. हमें मिट्टी से अप्रत्यक्ष रूप से कौन-कौन से पदार्थ मिलते हैं ?
3. मिट्टी को किन तरीकों से उपजाऊ बनाए रखा जा सकता है ?

उदाहरण–2

हमारे राष्ट्रीय त्यौहार और प्रतीक

राष्ट्रीय त्यौहारों और प्रतीकों के अध्ययन का लक्ष्य हैं : बच्चों में देशभक्ति की भावना पैदा करना । बच्चों को यह अनुभूति कराई जानी चाहिए कि हम सब एक हैं । हम भारत के किसी भी कोने से क्यों न हों, कोई भी भाषा क्यों न बोलते हों, कैसे भी कपड़े क्यों न पहनते हों हम सब एक ही देश, भारत, के वासी हैं । हमें अपने राष्ट्रीय त्यौहारों में भाग लेने में गर्व का अनुभव होना चाहिए । हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हमारी स्वतंत्रता और एकता के प्रतीक हैं । इनकी रक्षा के लिए हम कोई भी बलिदान कर सकते हैं ।

बच्चों को यह सब स्कूल में राष्ट्रीय त्यौहारों का आयोजन कर सिखाया जा सकता है । राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय पर्वों से जुड़े हैं इसलिए ये पर्व मनाते समय बच्चे अपने आप राष्ट्रीय प्रतीकों से परिचित हो जाते हैं । आप इन अवसरों पर बच्चों को कक्षा में राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं । हो सकता है कि बच्चे ने इससे पहले भी झंडा देखा हो पर झंडे के बारे में विस्तृत जानकारी पाने का उसका यह पहला मौका हो सकता है । झंडे के रंगों और चक्र का अर्थ बताने के लिए आप एक चित्र का सहारा ले सकते हैं । पाठ्यपुस्तक खोलकर तत्संबंधी पाठ पढ़कर बच्चों को सुना सकते हैं । उस पर वादविवाद कर सकते हैं । इसी समय शिक्षक सच-मुच का झंडा बच्चों के सामने रख सकता है और दिखा सकता है कि राष्ट्रध्वज कैसे फहराया जाता है और उसे समुचित आदर देने के लिए किन औपचारिकताओं को निभाना जरूरी है । आप बच्चों से यह प्रश्न भी पूछ सकते हैं ।

1. राष्ट्रध्वज कब-कब फहराया जाता है ?
2. कुछ विशेष भवनों और स्थानों पर ही राष्ट्रध्वज क्यों लगाया जाता है ?
3. राष्ट्रध्वज को कब आधा झुकाया जाता है ? आदि ।

उदाहरण–3

भारत का स्वतंत्रता संग्राम

पर्यावलोकन

इस आयु के बच्चों के लिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रारम्भिक जानकारी पाठ्यक्रम का एक भाग है। स्वाभाविक रूप से इस आयु के बच्चों को विस्तृत ऐतिहासिक जानकारी नहीं दी जा सकती पर प्रमुख विशेषताओं और तथ्यों से उन्हें जरुर अवगत कराया जा सकता है। स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मकथाओं, कहानियों और कविताओं का बोध काराय जा सकता है। साहसी बच्चों के किस्से सुनाए जा सकते हैं और तत्संबंधी गतिविधियों में बच्चों को शामिल किया जा सकता है।

गतिविधियाँ

1. स्वतंत्रता आन्दोलन से संबंधित कहानियां, आत्मकथाओं और स्वतंत्रता आन्दोलन के नेताओं के जीवन वृत्तान्त को संकलित किया जा सकता है। शिक्षक अपनी भाषाओं में प्राप्त ऐसी सामग्री की सूची बना सकता है। कई आन्दोलनों में बच्चों ने सक्रिय भूमिका निभाई हैं। कई बच्चे शहीद हुए हैं। शिक्षक इनसे संबंधित लेख व कहानियां इकट्ठी कर सकते हैं।
2. अपनी बस्ती में या पास पड़ोस के क्षेत्र में स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़ी घटनाओं को ढूंढ़ निकालने के लिए वैयक्तिक या सामूहिक रूप से योजना बनाई जा सकती है। हो सकता है कि आपके घर के आसपास स्वतंत्रता आन्दोलन से संबंधित कोई स्मारक या स्थान हो। हो सकता है कि आपकी बस्ती में आसपास के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति रहता हो जिसने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया हो। इन पर सूचना इकट्ठी करने की कोशिश की जानी चाहिए, जिससे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बस्ती में या आसपास के क्षेत्रों में घटी घटनाओं पर रिपोर्ट तैयार की जा सके।
3. इनके अलावा भी कई गतिविधियों का आयोजन किया सकता है, जैसे : स्वतंत्रता आन्दोलन से संबंधित प्रश्नोत्तर बनाना, किसी घटना को नाटकीय रूप देना, अपनी या अन्य भाषाओं में स्वतंत्रता गीतों का संग्रह करना और उन्हें गाना आदि। महत्त्वपूर्ण भाषाओं, वक्तव्यों और प्रस्तावों से उद्धरणों या अंशों का चयन किया जा सकता है और राष्ट्रीय पक्ष जैसे स्वतंत्रता-दिवस आदि पर बच्चों को उन्हें पढ़कर सुनाया जा सकता है। दिसम्बर 1929 में लाहौर में काँग्रेस के अधिवेशन के समय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसका एक अंश अंत में उदाहरण के रूप में दिया गया है।

मूल्यांकन

1. शिक्षक इन गतिविधियों की उपयोगिता और प्रभाव पर वादविवाद कर सकता है और पास पड़ोस में प्राप्त सुविधाओं का फायदा उठाते हुए अन्य गतिविधियों के लिए सुझाव दे सकता है।
2. कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू जी के उस भाषण की महत्ता पर वादविवाद कीजिए जो अंत में दिया गया है। क्या भाषण में स्वतंत्रता आन्दोलन के महत्त्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख किया गया है ? वादविवाद कीजिए।

राष्ट्रध्वज-भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक

लाहौर में 29 दिसबर 1929 को राष्ट्रीयध्वज फहराते हुए नेहरू जी ने भाषण दिया था उसका एक अंश नीचे दिया जा रहा है :

"मैंने अभी-अभी हिन्दुस्तान का झंडा फहराया है। इस झंडे का क्या मतलब है ? यह हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता का एक प्रतीक है। याद रखिए, अगर देश का झंडा एक बार ऊँचा कर दिया जाता हैं तो उसे तब तक नीचा नहीं किया जा सकता जब तक देश की एक भी आत्मा जीवित है। आज आप लोग यहाँ राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के वास्ते इकट्ठे हुए हैं, यह एक महत्त्वपूर्ण अधिवेशन है, यह हमें स्वतंत्रता संग्राम में आगे ले जाएगा। झंडा लहराने के बाद क्या आप में इस भावना ने जन्म नहीं लिया है कि यह झंडा कभी नीचा नहीं होना। मैं चाहता हूँ आप सब वादा करें कि आप इस झंडे की अपनी पूरी ताकत से हिफाजत करेंगे और आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को भी तैयार रहेंगे।

वह झंडा, जिसके नीचे आज आप खड़े हैं और जिसे आपने अभी-अभी सलामी दी है, किसी एक कम्यूनिटी का नहीं है। यह हमारे मुल्क का झंडा है। अगर आपने अभी तक देश का अहित करते हुए किसी एक कम्यूनिटी के लिए काम किया है तो आपने गलत काम किया है। आज जो भी इस झंडे के नीचे खड़ा है वह न हिन्दू है, न मुसलमान है, सिर्फ हिन्दुस्तानी है। वालन्टीयर है। जिस किसी ने भी आज इस झंडे को सलामी दी है उसे इसके सम्मान में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक बार फिर याद कर लें, आज हमने यह झंडा फहराया है, इसे तब तक नीचा नहीं होने देना है जब तक हिन्दुस्तान में एक भी हिन्दुस्तानी आदमी, औरत या बच्चा जिन्दा है।

मॉड्यूल—24 (पी)

प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को गणित के नए पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षित करना

सिहांवलोकन

इस मॉड्यूल में **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986** और **राष्ट्रीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम के ढांचे** को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि गणित की शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए और वह भी प्राथमिक स्तर पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 के अनुसार गणित से बच्चों में सोचने-समझने की शक्ति आती है, तर्क-वितर्क व विश्लेषण का सामर्थ्य बढ़ता है और अपने विचार को तर्कसंगत ढंग से व्यक्त करने की क्षमता बढ़ती है। गणित स्वयं में एक विशिष्ट विषय है पर इसके साथ ही यह अन्य ऐसे विषयों से भी जुड़ा है जिनमें तर्क-वितर्क व विश्लेषण का विशेष स्थान है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गणित पढ़ाने से गणित की नींव पड़ती ही है, पर इसके अलावा उससे अन्य विषयों व गतिविधियों में भी बच्चों को मदद मिलती है।

इस मॉड्यूल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 के मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। इसकी मदद से आप सही शिक्षा पद्धति का चुनाव कर सकेंगे और वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

उद्देश्य

यह मॉड्यूल पढ़ने के बाद आप :

—प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के उद्देश्य का स्पष्टीकरण कर सकेंगे।

—समझ सकेंगे कि आवश्यक अधिगम पर आधारित पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है और उस पर चर्चा कर सकेंगे।

—छात्र केन्द्रीय और कार्य-आधारित शिक्षा-प्रणाली की आवश्यकता को समझ सकेंगे।

—आवश्यक अधिक-प्रतिफल की प्राप्ति को दृष्टिगत करते हुए बच्चे की योग्यता पर आधारित मूल्यांकन पद्धति की आवश्यकता को समझ सकेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति **1986** का मुख्य लक्ष्य

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में एक रूप राष्ट्रीय प्रणाली के विकास पर जोर दिया गया है। यह प्रणाली एक ऐसे पाठ्यक्रम पर आधारित होगी जिसमें एक भाग ऐसा होगा जो समूचे राष्ट्र के लिए समान होगा और दूसरा भाग लचीची नीति पर आधारित होगा। इसका अर्थ यह कि एक निश्चित स्तर तक सभी बच्चों को—चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, स्थान या लिंग के क्यों न हों,—समान शिक्षा मिलेगी। एक ओर यह "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986" **न्यूनतम अधिगम स्तर** पर जोर डालती है और दूसरी तरफ **बाल केन्द्रित प्रणाली एवं गतिविधियों पर आधारित प्रक्रिया पर**।

गतिविधि–1

प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या है ? लिखिए ।

प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का उद्देश्य

आप कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं । इस दौरान आप कुछ निश्चित पुस्तकों और शिक्षा-नीतियों व पद्धतियों का अनुसरण करते रहे होंगे । पढ़ाते समय आपके मस्तिष्क में कोई विशेष विचार रहा होगा और उसी पर आपकी नीति आधारित रही होगी । क्या आप प्राथमिक स्तर पर गणित सिखाने के मुख्य उद्देश्य की सूची बना सकते हैं ?

गतिविधि—2

प्राथमिक स्तर पर गणित सिखाने के उद्देश्यों की सुची बनाइए ।

आइए अब हम निम्नलिखित उद्देश्यों की समीक्षा करें :

इस आयु में गणित सिखाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को गणित के आधारभूत विचार की जानकारी कराना है । यह जानकारी रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने के लिए उपयोगी होगी । इससे उन्हें सोचने-विचारने तर्क संगत एवं सुव्यवस्थित ढंग से सही काम करने की प्रेरणा मिलेगी ।

इसका एक उद्देश्य यह भी है कि बच्चे अपने घर, स्कूल और समाज में सामने आने वाली संख्या संबंधी और त्रिविमीय समस्याओं को जल्दी से और सही ढंग से हल कर सकें । अतः प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के उद्देश्य हैं :

—बच्चे गणित के आधारभूत विचार को समझ सकें, संख्याओं, दशमलव, भिन्न आदि की जानकारी हासिल कर सकें और रोजमर्रा की जिन्दगी में समस्याओं को हल करने में इसका उपयोग कर सकें ।

—त्रिविध के आधारभूत विचार को समझ सकें । ज्यामितीय अथवा रेखागणित से संबंधित शब्दावली को जान सकें और दैनिक जीवन में सामने आने वाली ज्यामितीय समस्याओं को हल कर सकें ।

—पैसे, लम्बाई, मात्रा, क्षेत्र, आयाम, धारिता और समय संबंधित समस्याओं को हल करते वक्त उनका मूल्यांकन कर सकें, मोटा अनुमान लगा सकें और जाँच कर सकें ।

—गणित के अमूर्त पक्ष को समझ सकें और गणित की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग कर सकें ।

—सुव्यवस्थित ढंग से, सफाई से, सुक्षमता व स्पष्टता से सही काम कर सकें और गणित संबंधी प्रश्नों को अच्छी खासी गति से हल कर सकें ।

—गणित के अध्ययन में रुचि पैदा हो ।

—समता एवं समानविचार—नारी की असमानता को दूर करने आदि जीवन-मूल्यों का विकास हो । क्या आपके द्वारा तैयार की गई और ऊपर दी गई सूची में कोई अन्तर है ?

अध्ययन का न्यूनतम स्तर

ऊपर दिए गए उद्देश्यों से उनसे संबंधित सहायक/गौण उद्देश्यों की जानकारी भी मिल जाती है । इनके

बाद नम्बर आते हैं उनसे जुड़े अनिवार्य अधिगम प्रतिफलों का। वस्तुतः छात्रों की पढ़ाई और उनका मूल्यांकन इन्हीं पर आधारित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उन "अनिवार्य अधिगत-प्रतिफलों पर आधारित होगा को देश भर में सभी छात्रों के स्तर समान होंगे। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक कक्षा में पास होने वाले सभी बच्चों का शिक्षा-स्तर समान होगा।

आइए, अब हम देखें कि अनिवार्य अधिगम प्रतिफल का अर्थ क्या है? प्रत्येक शिक्षण प्रक्रिया के बाद सीखने वाले में विशेष बुद्धि-ज्ञान, जानकारी, आचरण या अभिवृत्ति का विकास होता है। हालांकि एक प्रसंग से कई तरह के परिणाम जुड़े हो सकते हैं, पर फिर भी बच्चों की उम्र, योग्यता, कक्षा आदि के अनुसार कुछ ऐसे परिणाम सामने आते हैं जो उस स्तर के सभी बच्चों के लिए समान हैं। ये सारे परिणाम ही अनिवार्य अधिगम प्रतिफल हैं। ये परिणाम आगे की पढ़ाई के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार **अनिवार्य अधिगम प्रतिफल ही** सीखने-सिखाने के स्तर को तय करते हैं। उनके द्वारा ही यह भी तय होता है कि विषय को किस सीमा तक पढ़ाया जाए। एक कक्षा के लिए तय किए गए समूचे अनिवार्य ज्ञान परिणाम ही **शिक्षा का न्यूनतम स्तर** निर्धारित करते हैं। यह न्यूनतम स्तर "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86" का एक खास पहलू है।

आइए, एक उदाहरण से हम इसे स्पष्ट कर दें। आप सब जानते हैं कि कक्षा दो से लेकर कक्षा पांच तक बच्चों को "गुणा" करना सिखाया जाता है। कक्षा 2, 3, 4, 5 में इससे संबंधित अनिवार्य अधिगम प्रतिफल इस प्रकार हो सकते हैं :

कक्षा—2	कक्षा—3	कक्षा—4	कक्षा—5
1. यह जानना कि गुणा जोड़ की ही पुनरावृत्ति है और इसके लिए "×" चिह्न इस्तेमाल किया जाता है।	गुणा की मूल विशेषताओं को जानना।	गुणा की मूल विशेषताओं को याद करना।	दो संख्याओं का गुणनफल निकालना, पर यह गुणनफल 9999999 से अधिक नहीं होना चाहिए (गुणक 999 से ऊपर नहीं होना चाहिए)
2. ऐसी संख्या (जो 19 से ज्यादा न हो) को दूसरी संख्या (10 से ज्यादा न हो) से गुणा करना व जोड़ दुहरा-दुहरा कर उसका गुणनफल निकालना।	तीन संख्याओं का गुणनफल निकालना (उन्हें ठीक से क्रम में लगाकर)	संख्याओं को ठीक से क्रम में लगाकर उनका गुणनफल निकालना	
3. 1 × 1 = 1 से लेकर 10 × 10 = 100 तक गुणा के परिणामों को	दी गई संख्या (9 से ऊपर नहीं) को 100 से गुणा करना और इस प्रक्रिया के नियम	तीन अंकों की संख्या को 2 या 3 अंक की संख्या से गुणा करना	

कक्षा—2	कक्षा—3	कक्षा—4	कक्षा—5
जानना ।]	को समझना (गुणनफल 99-99 से ज्यादा नहीं होना चाहिए)		
4. 1×1 से 10×10 तक के गुणा परिणामों को याद करके लिख व सुना सकना	किसी संख्या को (जो 9 से ऊपर न हो) 20, 30, 40 ···90 से गुणा करना और इस प्रक्रिया के नियम को समझना	तीन अंकों वाली किसी भी संख्या को 100, 200··· 900, 1000, 2000··· 9000 सभी से गुणा करना	
5. दो अंकों का (दोनों 10 से ज्यादा न हों) गुणनफल निकालना	किसी संख्या को 9 से ज्यादा न हो 200, 300, 400 ···900 से गुणा करना और गुणा के मूल नियम को समझना	जो गुणक, गुण्य और गुणनफल का मतलब समझना	
6. यह समझना कि किसी भी क्रम में दो संख्याओं का गुणनफल एक ही होगा	दो अंकों वाली दो संख्याओं को गुणा करना	अपने दैनिक जीवन में गुणा का उपयोग कर सकना (3 अंकों वाली संख्याओं तक)	
7. इस सामान्य नियम को जानना कि जब किसी संख्या के 1 से गुणा किया जाता है या 1 को किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो गुणनफल वही संख्या होगी	दो अंकों वाली संख्या को तीन अंकों वाली संख्या से गुणा करना ।		
8. इस सामान्य नियम को जानना कि यदि किसी संख्या को शून्य से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य ही होगा ।	अपने रोज़मर्रा के जीवन में गुणा का प्रयोग कर सकना ।		
9. यह जानना कि यदि किसी संख्या को 10 से गुणा करना है तो संख्या के आगे शून्य लगाने से गुणनफल निकल आता है ।			

10. दो अंकों की संख्या को एक अंक की संख्या से गुणा करना (पर सिर्फ वहाँ तक जहाँ संख्या को आगे न ले जाना पड़े।

11. दो अंकों की संख्या को एक अंक की संख्या से गुणा करना-जहाँ संख्या को आगे ले जाया जाए

12. एक स्टेप वाले सवाल हल करना जहाँ दो संख्याओं को गुणा करना हो।

नए पाठ्यक्रम को बनाने के लिए अपनाई गई पद्धति में आपको कोई परिवर्तन दिखाई दिया ? आशा है कि अब आपको अनिवार्य अधिगम प्रतिफल पर केन्द्रित पाठ्यक्रम का अर्थ समझ में आ गया होगा ? क्या आप इसे अपने शब्दों में बता सकते हैं ?

गतिविधि—3

अपने शब्दों में बताइए अनिवार्य अधिगम प्रतिफल पर आधारित पाठ्यक्रम क्या है ?

बच्चों पर केन्द्रित और गतिविधियों पर आधारित पठन प्रक्रिया

गणित से सोचने-समझने की, तर्क वितर्क की क्षमता बढ़ती है—इस दृष्टि से गणित के महत्व को देखते हुए नए पाठ्यक्रम में आधारभूत तत्वों पर विशेष बल दिया गया है। उसमें सिर्फ अलग-अलग तथ्यों को समझ लेने या तकनीक को जान लेने पर जोर नहीं डाला गया है। नए पाठ्यक्रम की नई पद्धति में बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, कि वे स्वयं तथ्यों को ढूंढे, उनके आपसी संबंधों को जानें और जानकारी हासिल करें। बच्चे के विकास से संबंधित पियाजेशियन थियोरी के अनुसार प्राइमरी स्तर एक मूर्त क्रियात्मक स्तर है। इसका मतलब है कि इस अवस्था में बच्चा विभिन्न वस्तुओं को देखकर, उन्हें उलट-पलट कर सहज एवं स्वाभाविक रूप से अपने आप में गणित के कई आधारभूत नियमों को समझ लेता है जबकि औपचारिक रूप से यह संभव नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है कि अगर हम छोटे से बच्चे को औपचारिक रूप से वे नियम समझाने बैठेंगे तो वह उन्हें नहीं समझ पाएगा। अतः अगर हम बच्चे को चीजे देकर गिनती वगैरह सिखाते हैं तो वह उसे आसानी से सीख लेता है अन्य शब्दों में इस अवस्था में बच्चे को वस्तुओं द्वारा गणित का ज्ञान आसानी से दिया जा सकता है। बच्चा जब खिलौनों या चीजों को हाथ में लेता है, ऊपर नीचे रखता है, इधर उधर करता है तो गणित उसके लिए अधिक अर्थपूर्ण हो जाता हैं और वह आसानी से इसे भूल भी नहीं सकता। इसी प्रकार चीजों को ऊपर नीचे करने से उन्हें नए-नए विचार आते हैं और वे देखते ही देखते अनेकों समस्याओं को अपने आप हल करने के काबिल हो जाता है। वे संख्याओं के

आपसी संबंध को समझने लगता है। जैसे-जैसे उन्हें सफलता मिलती है वैसे-वैसे गणित पढ़ने में रुचि बढ़ती चली जाती है।

मनोविज्ञान भी हमें यही बताता है कि अगर हम गतिविधियों के सहारे बच्चे को गणित पढ़ाते है तो वह उसे कभी नहीं भूलता। इससे पढ़ने में वह सक्रिय भाग लेता है क्योंकि वे गतिविधियां उसकी रुचि की होती हैं, जिनका सहारा लेकर हम बच्चे को गणित सिखाते हैं। इसीलिए गतिविधियों का चुनाव शिक्षक द्वारा ध्यान से किया जाना चाहिए। जिनमें बच्चों को अपने आप कुछ ढूंढ निकालने की प्रेरणा मिले। "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86" में प्राइमरी स्टेज के लिए **बच्चों पर केन्द्रित और गतिविधियों पर आधारित शिक्षा** पर जोर दिया गया है। गतिविधियों के सहारे बच्चा बड़ी आसानी से अपनी खेलकूद की दुनिया से स्कूल की दुनिया में पहुंच जाता है। उसे महसूस भी नहीं होता कि वह अपनी पुरानी खेलकूद की दुनिया से एक बड़े ही औपचारिक से वातावरण में आ गया है। इसका नतीजा यह होता है कि उसकी रुचि बनी रहती है और गणित के लिए सकारात्मक रवैया बन जाता है।

गतिविधि—4

कुछ वाक्यों में लिखिए कि बाल-केन्द्रित और गतिविधियों पर आधारित शिक्षा प्रणाली क्या है ?

गणित जैसे विषय के माध्यम से समानता, सामान्य अधिकार आदि जैसी महत्त्वपूर्ण बातें भी बच्चों को सिखाई जा सकती हैं। आपको ऐसे सवालों का चयन करना चाहिए जिनसे इन सब बातों को बढ़ावा मिल सके। इसी प्रकार के कुछ सवाल हम नीचे दे रहे हैं :

1. एक स्कूल में रीडिंग रूम बनाने के लिए वहां की लड़कियों ने 784 रुपए और लड़कों ने 764 रुपए जमा किए। सब बच्चों ने मिलकर कितने पैसे इकट्ठे किए ?
2. अवकाश प्राप्त करने पर हरि को 20,000 रुपए मिला। इसमें से 4000 रुपए उसने अपने बेटे व बेटी को दिए। और शेष पैसा बैंक में डाल दिया। अपने लिए हरि ने कितना पैसा रखा ?

मूल्यांकन पद्धति

जैसा कि पहले बताया जा चुका है प्राथमिक स्तर पर गणित सिखाने का लक्ष्य है कि बच्चा गणित के मूल विचार या सिद्धांत को समझ ले और वह जान ले कि वह इन सिद्धांतों का उपयोग दैनिक जीवन में प्रायः सामने आने वाली समस्याओं को हल करने में कैसे कर सकता है। नए पाठ्यक्रम में मूल्यांकन में परिवर्तन पर भी जोर डाला गया है। आजकल मूल्यांकन में परिवर्तन "कागज-पेन्सिल-टेस्ट" वाली पद्धति से किया जाता है। परन्तु यह काफी नहीं है। क्योंकि अब जोर गणित के सिद्धांत समझ कर उनके उपयोग पर है इसलिए मूल्यांकन भी हमें इसी सिद्धांत पर करना होगा। जो बच्चा अपनी समस्या हल करने में गणित के सिद्धांतों का प्रयोग करता है, उसे इसका श्रेय मिलना ही चाहिए। इस प्रकार मूल्यांकन पद्धति में कागज-पेन्सिल-टेस्ट और बच्चों की स्वयं कार्य करने की क्षमता की जांच, इन दोनों का ही समावेश होना चाहिए। अगर हम "अनिवार्य अधिगम प्रतिफल" की प्राप्ति पर जोर देते हैं तो हमें मूल्यांकन पद्धति में बच्चों की स्वयं कार्य करने की क्षमता को रेखांकित करना होगा।

(1) पठन-पाठन की इस पद्धति में एक निर्धारित सीमा तक विषय का ज्ञान करा कर बच्चे की परीक्षा ली जाती है।

(2) अगर उसे यह सब समझ में नहीं आया है तो उसे फिर समझाया जाना चाहिए।

(3) दूसरी बार समझाने के बाद उसकी पुनः परीक्षा ली जानी चाहिए।

(4) और बच्चों में आगे जानकारी तभी दी जानी चाहिए जब उसे पहला पाठ पूरी तरह समझ में आ जाए। मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य यही होना चाहिए कि शिक्षक यह जान सकें कि छात्र ने अनिवार्य जानकारी हासिल कर ली है या नहीं। यदि उसे इस उपलब्धि में कोई कठिनाई हो रही है तो कारण का पता लगाया जाना चाहिए और उसका उपचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार बच्चा अपने स्तर के "अनिवार्य अधिगम प्रतिफल" तक पहुँच सकेगा।

माॅड्यूल—25 (पी)

अंग्रेजी शिक्षक और अंग्रेजी सीखना

आद्योपान्त दृश्य

इस माॅड्यूल की रचना मुख्यत: अध्यापक के लिए की गई है और इसका लक्ष्य नई शिक्षा नीति के सन्दर्भ में उत्तर प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना है।

अंग्रेजी हमारे लिए "संसार की जानकारी का झरोखा"—है जिसमें ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी संग्रहीत हो कर उपलब्ध है। पुस्तकालय में उपयोग आने वाली भाषा के रूप में अंग्रेजी का कार्य-परक पक्ष पठन और अध्ययन कौशलों को अनुरेखित किया गया है।

विगत वर्षों में अंग्रेजी शिक्षण और अंग्रेजी सीखने के स्तर में चिन्ताजनक ह्रास हुआ है जिसका प्रमाण—विद्यार्थी की अपर्याप्त सम्प्रेषण योग्यता में परिलक्षित होता है। वर्तमान में निर्धारित पुस्तकों के पढ़ाने पर बल है जो व्यावहारिक रूप में पाठों की विषय-वस्तु का भावानुवाद या अनुवाद प्रस्तुत करने के समान है। इससे अंग्रेजी (भाषा शिक्षण) की वास्तविक प्रकृति को भंग करना है, जो कि विशेषतया विषय-वस्तु मूलक न होकर कौशल मूलक विषय है। निर्धारित पाठ्य-सामग्री को पढ़ाते समय बालक की चिन्तन करने की योग्यता/अथवा एक सहिष्णु और स्नेहमय समाज के उत्तरदायी नागरिक का विकास करने की दिशा में कोई भी प्रयास नहीं किया जाता।

उद्देश्य

इस माॅड्यूल के अध्ययन के उपरान्त आप इस स्थिति में होंगे कि आप अपने शिक्षण कार्य का वस्तु-परक मूल्यांकन कर सकें और दुर्बलताओं को सुनिश्चित रूप से बता सकें।

—अंग्रेजी अध्यापन और अध्ययन में सुधार लाने की युक्तियाँ निर्धारित कर सकें।
—अपने शिक्षण को बाल-केन्द्रित बना सकें।
—बालक की अंग्रेजी सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाने में अपने दायित्व का निर्वाह कर सकें।
—बालक को विषय-वस्तु सामग्री को समझ कर और कल्पना सहित पढ़ने में सहायता कर सकें।
—बालक में कुछ आधारभूत मूल्यों और चिन्तन शैली का विकास कर सकें।
—बालक और स्वयं अपने में विस्तृत रूप से पढ़ने और रेडियो प्रसारणों को सुनने की आदत डाल सकें।
—उत्तर प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षण के फलस्वरूप सीखने के नितान्त आवश्यक परिणाम समझ सकें।

स्वयं से निम्नांकित प्रश्न पूछें

प्रस्तुतीकरण की रणनीति		मूल्यांकन एवं विचार-विमर्श
	1—क्या अंग्रेजी अध्ययन-अध्यापन का अर्थ निर्धारित पाठ्य-पुस्तकों का पढ़ाना है।	
	2—क्या कौशलों का विकास होगा यदि अध्यापक (ए) व्याख्यान विधि प्रयोग करता है। (बी) व्याकरण शिक्षण करता है ? (सी) अनुवाद विधि प्रयोग करता है ?	
	3—क्या विद्यार्थी को अंग्रेजी सुनने का कुछ समय दिया जाता है ? यदि हाँ, तो कितना	

आपको चाहिये कि आप अंग्रेजी अध्ययन-अध्यापन की स्थिति का वस्तुपरक विश्लेषण करें और अन्य अध्यापकों से इस पर विचार विमर्श करें।

1—यदि अंग्रेजी शिक्षण का अर्थ निर्धारित पाठ्य-पुस्तकों को पढ़ाना है तो इससे उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होती। एक निश्चित एवं सीमित भाषायी सामग्री के सन्दर्भ में अंग्रेजी के चार आधारभूत कौशलों का विकास करना ही अंग्रेजी शिक्षण के उद्देश्य हैं। पाठ्य-सामग्री पर अवधान केन्द्रित करने से हम विषय के स्वरूप को ही बल देते हैं अर्थात् "कौशल-विषय" के स्थान पर अंग्रेजी "प्रकरण-विषय" बन जाता है।

2 और 3 (क) कौशलों का विकास निरन्तर एवं अविरल अभ्यास से होता है। यदि अध्यापक काफी अधिक समय तक बोलता हैं तो विद्यार्थियों को भाषा प्रयोग करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। वे प्राय: गुड्डे के समान कक्षा में बैठे रहते हैं और वे न तो एक भी शब्द बोलते हैं और न एक भी वाक्य लिखते हैं। फलत: वे भाषायी कौशलों को प्राप्त नहीं कर पाते और अंग्रेजी शिक्षण के उद्देश्य नहीं प्राप्त हो पाते। (ख) व्याकरण एक सुस्पष्ट अलग ज्ञान की शाखा है। यह भाषा के विषय में बताती है और विद्यार्थी को भाषा को प्रयोग करने में सहायता नहीं करती। व्याकरण शिक्षण विद्यार्थियों को भाषा के नियमों का कुछ ज्ञान प्रदान करता है। उदाहरणार्थ,—विद्यार्थी Parts of Speech को पहचान सकते हैं किन्तु वे इन "Parts of Speech" को सम्प्रेषण हेतु वाक्यों में प्रयोग नहीं कर पाते। व्याकरण शिक्षण अंग्रेजी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में से कोई एक उद्देश्य नहीं है। यदि व्याकरण को पढ़ाना आवश्यक ही समझे तो व्याकरण शिक्षण उस समय तक न किया जाय जब कि विद्यार्थी नितान्त आवश्यक अंग्रेजी के पद—समूह (Phrase) और वाक्यों के नमूने (Sentence Pattern) को अपनाने में सक्षम न हो जांय।

विषयवस्तु/क्रियाकलाप

अंग्रेजी अध्यापन—अध्ययन का उद्देश्य विद्यार्थी में चार आधारभूत योग्यताओं—सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने, का विकास इस प्रकार किया जाय कि उसमें सम्प्रेषण कौशलों का विकास हो जाय।

प्रत्येक योग्यता में क्रम-बद्ध सोपानिक दक्षता सन्निहित है, उदाहरणार्थ, बोधगम्य अंग्रेजी बोलने की योग्यता—जिसका विस्तार अंग्रेजी भाषा की ध्वनियों को उत्पन्न करना (स्वर, व्यंजन एवं स्वरद्वय), घटनाओं को सूचित करना और कहानियों के कहने तक है।

इन योग्यताओं का विकास एक निश्चित निर्धारित भाषायी सामग्री के सन्दर्भ में किया जाता है। उदाहरणार्थ :—

(अ) आधारभूत अंग्रेजी पद समूह (Phrases) और वाक्यों के नमूने, तथा।

(उ) 1500 शब्दों का शब्द भण्डार जिसमें से 1000 शब्द सक्रिय प्रयोग के लिए और 500 शब्द निष्क्रिय प्रयोग के लिए।

पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिकाएँ और अनुपूरक पाठ्य-पुस्तकें भाषायी इकाइयों तथा योग्यताओं को पुनर्स्थापित करने और सुदृढ़ करने में शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग की जाती है।

प्रकरण—2

भाषायी इकाइयों को पढ़ाने की तकनीक एवं विधियाँ।

प्रस्तुतीकरण की रणनीति	वास्तविकता का आभास देने वाली स्थितियाँ। पात्र अभिनय और नाटकीकरण (चित्रों का प्रयोग)। विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री जैसे—पत्रों की कतरन।	चित्रण करिए वर्णन करिए

प्रतिपुष्टि

अब आप इस स्थिति में होने चाहिए की आप

1—अपने शिक्षण को इस प्रकार नियोजित कर सकें कि बालक आधारभूत चार योग्यताएँ—सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना प्राप्त कर सकें।

2—बालकों को कक्षा में अंग्रेजी प्रयोग करने के अधिकतम अवसर प्रदान कर सके उदाहरणार्थ, बालक अंग्रेजी सुन सकें, बोल सकें, पढ़ सकें और लिख सकें।

3—अंग्रेजी शिक्षण के लिए विभिन्न कार्य विधियाँ और तकनीक अपना सकें।

4—बालक के शब्द भण्डार को समृद्ध बना सकें।

वे विन्दु जिन पर बल दिया जाता है

1—प्रारम्भिक वर्षों में वाक्-श्रव्य अभिगम (Oral-aural approach) प्रभावी सिद्ध होती है।

2—वहुकौशल विधि प्रयोग की जाती है जिससे कि सभी चार आधारभूत भाषायी कौशल प्रत्येक पाठ में साथ-साथ विकसित किये जा सकें।

3—प्रत्येक भाषायी इकाई जीवन में यथार्थ लगने वाली स्थिति में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

उदाहरण

(a) भौतिक परिवेश जिसके अन्तर्गत कक्षा में वस्तुओं को कुशलता से प्रयोग में लाना (ब) कार्य एवं क्रियाएँ।

उदाहरण : प्रजेन्ट प्रोग्रेसिव टेन्स का पढ़ाना—

A is counting pencils.

Teacher to pupil A : Count these pencils, please.

Teacher to Class (While the activity is continuing); A is counting pencils.

(b) यदि भाषा की इकाई भौतिक परिवेश में प्रस्तुत करना सम्भव न हो तो मौखिक परिवेश में उसे प्रस्तुत किया जाय।

Example : The present of habit.

Teacher to Class : I read the newspaper yesterday morning.
I read the newspaper this morning.
I will read the newspaper tomorrow morning.
I will read the newspaper next Sunday morning.
I read the newspaper every morning.

चित्र परिवेश जिसमें चित्र और रेखांकन सम्मिलित है।

बालक/बालिकाओं की कक्षा में She/he/her/him को पढ़ाने के लिए रेखांचित्र प्रयोग किये जाँय।

Example : Lata is a pupil. **She** is standing under a tree.
Raj is Lata's brother. **He** is sitting on the grass.

इसी प्रकार prepositions जैसे **UP** और down को पढ़ाने के लिए रेखा चित्र प्रयोग किये जायें।

Sita is going up a hill.

Raju is coming down the hill.

4—पैटर्न अभ्यास : विद्यार्थी नई संरचानात्मक इकाई का व्यक्तिगत रूप से और समूह में अभ्यास करें।

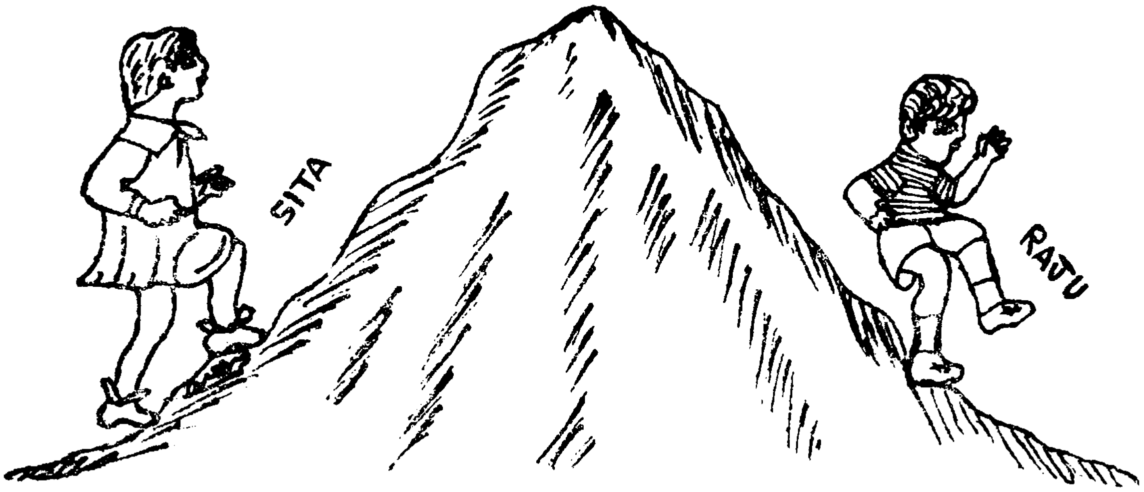

(अ) उन स्थितियों का चित्रण करके जिन्हें अध्यापक कक्षा में पहले प्रस्तुत कर चुका है ।

(ब) अन्य उसी प्रकार की स्थितियों का चित्रण करके ।

Example : My friend is reading a **newspaper.**

My friend is reading a **book.**

My friend is reading a **letter.**

My friend is reading a **poem.**

टिप्पणी :— अभ्यास कार्य कभी यन्त्रवत् या निष्प्राण न होने पाये ।

5—अतिरिक्त अभ्यास : बालक पूर्व में सीखी गई संरचनात्मक इकाई से नई संरचनात्मक इकाई को जोड़ते हुए कुछ क्रमबद्ध वाक्य बोलें ।

Example : **(a)** Rajan is going to the black board. He is drawing trees. He is colouring them.

(b) पात्र अभिनय : विद्यार्थियों में से एक बालक लाला, जो एक दुकानदार है, का अभिनय करता है ।

Lala is a shopkeeper. He is selling apples and oranges. Mr. Lal is buying oranges and is putting them into his bag.

6—पठन : अध्यापक को चाहिये कि वह तीन, चार वाक्य जिनसे नई संरचनात्मक इकाई का उदाहरण प्रस्तुत हो, श्यामपट्ट पर लिखे और विद्यार्थी उन्हें पढ़ें ।

7—लेखन : कक्षा V/VI में विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे वाक्य देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें । अगले दो वर्षों में वे सीखी गयी नई संरचनात्मक इकाइयों के अभ्यासार्थ वाक्यों का रूपान्तरण और वाक्यों को पूर्ण करने जैसे लिखित अभ्यास करें ।

प्रकरण—3

(अ) पाठ्य पुस्तक एवं अनुपूरक पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने की विधि एवं तकनीक
(ब) मूल्यों एवं चिंतन शैली का विकास
(स) विश्लेषण एवं समालोचनात्मक चिन्तन की योग्यता का विकास

प्रस्तुतीकरण की रणनीति	मुद्रित सामग्री का प्रयोग ।	विश्लेषण कीजिए
	पात्र अभिनय और नाटकीकरण ।	पढ़िए
	टोलीगत विचार विमर्श ।	विचार-विमर्श कीजिए

पाठ्य पुस्तक किस प्रकार प्रयोग की जाय

पाठ का अध्ययन पाठ में प्रयुक्त भावयुक्त नये शब्दों की व्याख्या से प्रारम्भ किया जाय जैसे—चित्रों का प्रयोग, कार्य, भाव-भंगिमा, मातृभाषा का प्रयोग, पर्याय एवं विलोम शब्दों का प्रयोग, तदोपरान्त अध्यापक पाठ का सस्वर वाचन करें । पाठ का विस्तृत अध्ययन प्रश्न और उत्तर की सहायता से किया जाय । सचेष्ठ प्रयास की आवश्यकता है :—

(अ) विवेचनात्मक एवं निर्णययुक्त भावग्रहण करने की योग्यता का विकास करने की—अर्थात् बालक को चिन्तन करने और अपनी कल्पनाशक्ति को प्रयोग करने में सक्षम बनाने की ।
(ब) बालक में पढ़ने की आदत विकसित करने की ।
(स) उपयुक्त मूल्यों और चिन्तन-शैली पर विशेषरूप से अवधान केन्द्रित कराने की ।

प्रथम वर्ष के अन्तिम समय में अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को पाठ का मौन पठन करने के लिए प्रोत्साहित करें । यदि पाठों में सम्वाद हों तो अभिनय भूमिका अनुदानित कर दी जाय और पाठ का अभिनय कराया जाय ।

पाठों का उपयोग भाषा कार्य में सहायक सामग्री के रूप में किया जाना चाहिए । पाठ को केन्द्र बनाकर उसकी परिधि में सरचानात्मक इकाइयों का अभ्यास और रचना कार्य कराकर यह उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है । जहाँ आवश्यक हो वहाँ व्यक्तिगत और सामूहिक उच्चारण अभ्यास को स्थान दिया जाना चाहिए ।

पुस्तक के किसी अवतरण को पढ़ाने की रणनीति

"Two men walked along a road. 'Look, there is an axe under that tree', the first man said, and picked it up. "I found an axe. I have a big axe now", he said. The Second man said, 'We have an axe. We have a big axe now'. But the first man said, 'No, I found it. It is my axe.'

Steps to English–I
English Reader, Class VI
N.C.E.R.T. Publication.

Sl. No.	Questions by the Teacher.	Answer.	Remarks.
1.	Where was the axe ?	Under the tree.	Factual.
2.	'Picked it up' is the answer. Frame a question.	What did the first man do ?	Learners practise asking questions.
3.	Was there any one else there besides these two men ?	No.	Interpretative.
4.	The first man, said, 'It's my axe.' Was it his axe ?	No.	Interpretative comprehension.
5.	Do you think the two men were honest or dishonest ? Give a reason for your answer.	Dishonest. Because they wanted to use something which was not theirs.	Developing values.
6.	If you find something on the road or in a bus, what should you do ?	Take it to the police station and deposit it there. (If the student does not answer, the teacher should supply it.)	Relating language to every day life.

अनपूरक पाठ्य पुस्तक के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :—

(अ) विद्यार्थियों में पठन की अभिरुचि जागृत करना ।

(ब) उनमें और अधिक सुगमता और सरलता से अंग्रेजी पढ़ने की योग्यता का विकास करना ।

(स) विद्यार्थियों द्वारा सीखी गई भाषायी इकाईयों को विभिन्न सार्थक सन्दर्भों में प्रस्तुत करके उनकी पुनरावृत्ति कराकर उन पर प्राप्त दक्षता को सुदृढ़ करना ।

कार्य पद्धति

1—पठन कार्य को उद्देश्यपरक बनाने हेतु प्रारम्भ में कुछ प्रश्न दे दिये जाँय ।

2—विद्यार्थी दिये गये प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने के लिए कहानी को पढ़ें ।

3—पाठ का मौन पठन करने पर बल दिया जाय ।

4—रचना अभ्यास अनुपूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित होना चाहिए । उदाहरणार्थ—विद्यार्थी किसी कहानी को दूसरे प्रकार से समाप्त करें, कहानी में छूटे हुए वर्णन को पूरा करें, रूपरेखा बनायें ।

प्रकरण—4

विषय-वस्तु समृद्धि

(अ) आनन्द प्राप्त करने के लिए पढ़ना।

(ब) टेप की गयी सामग्री को सुनना।

प्रयुक्त सामग्री

1. Books (fiction as well as non-fiction) written for children.
2. Books for content enrichment of teachers. (Let's Enrich our English, Book I to IV, N.C.E.R.T).
3. Tapes—e.g. Tiger in the Cage—
   Part I } Total Time 22 minutes.
   Part II }
4. Radio Broadcasts by CIEFL
5. TV Lessons.

नयी दृष्टि एवं नयी दिशायें

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में अनेक सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में विकसित प्रायोगिक तथा तकनीक का समावेश हुआ है। उत्पादन में वृद्धि हुई है और हमारा अर्थ-तंत्र सुदृढ़ हुआ है। विकासोन्मुखता से जीवन दशाओं एवं अवधारणाओं में नवीनता आई है। फलतः शिक्षा भी अछूती नहीं रही। हमें तद्‌रूप नया दृष्टिकोण, नयी शैली तथा परिवर्तित व्यवस्था अपनानी होगी जो बदलते समाज को पूर्ण क्षमता से आगे बढ़ा सके और नयी चुनौतियों को स्वीकारते हुए, समृद्धिशाली अतीत, विकासोन्मुख वर्तमान और विकसित भविष्य में सेतु-समन्वयन कर सके। अब शिक्षालय मात्र साक्षरता केन्द्र न रहकर सामुदायिक विकास तथा उन्नयन बनने अभीष्ठ है। इसी दिशा में नयी शिक्षा नीति एक निर्णायक कदम है।

अधोलिखित पंक्तियों के माध्यम से हम विचार करेंगे कि जहां चतुर्दिक विकास हुआ है, नवीनता आई है वहीं शिक्षा स्तर में गिरावट आई है, नैतिक अवमूल्यन हुआ है, हम समुदाय से अपेक्षित सानिध्य नहीं कर पा रहे हैं और आज भी आबादी का बहुत बड़ा भाग निरक्षर तथा बेकार है। इन सारी स्थितियों की समीक्षा तथा उपा-चारात्मक दिशा-निर्देशों, संकेतों तथा नयी विधाओं का भी हम आगे विचार करेंगे, किन्तु यह सब तभी सम्भव होगा, जब हम अपने को समुदाय से जोड़ेंगे और कुछ करने का संकल्प लेंगे।

1—प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण और नयी शिक्षा

भारत जैसे नवोदित लोकतंत्र में विकास की गति को अक्षुणता एवं राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता को स्थायित्व प्रदान करने में आबादी के लगभग 70% लोगों का निरक्षर रहना प्रमुख बाधा है, जो सारी प्रगति को नकारात्मक मोड़ दे सकता है। इस बड़े जनभाग को दृष्टिगत रखते हुए संविधान में संकल्प लिया गया कि 1960 तक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपक्रम से जन-जन को शिक्षित करना राष्ट्र का प्रमुख धर्म होगा। किन्तु निरंतर प्रयास के बावजूद भी अनेक बाधक तत्वों, विशेषकर संसाधनों की कमी तथा जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि, से इस उद्‌देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। यह देखकर, कुछ समय पूर्व गांव सभा से संसद, प्राथमिक विद्यालय से विश्व-विद्यालय और चौपाल से विद्वत्‌मंच तक विचार मंथन हुआ। मूल संकल्पना "जन-जन को शिक्षा" को साकार बनाने के निमित्त एक विकल्प तय किया गया। विकल्प में औपचारिक शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ सहगामी के रूप में अनौपचारिक शिक्षा को भी स्वीकारा गया।

औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के समाविष्ट संचालन के साथ शिक्षा को उन समस्त विकासोन्मुख परियोजनाओं, उपलब्धियों, जन आकांक्षाओं, नयी तकनीक तथा तमाम सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक परि-वर्तनों से जोड़ा गया जो नागरिक के राष्ट्रधर्म पालन में पूरी समर्थता प्रदान करें। यही नयी दिशा नयी शिक्षा है। निश्चय ही यह नया दृष्टिकोण जन-जन की साक्षरता की संकल्पना को साकार बनायेगा।

यह सब तभी सम्भव होगा जब आज के शिक्षक, निरीक्षक तथा संचालक अपने कार्य-संपादन में वांछित स्तरोन्नवयन, मोड़ तथा दृढ़ व्रत लेकर तत्परता से आगे बढ़ेंगे। आज हमारी अस्मिता तथा गौरवमयी परम्परा का विवेकपूर्ण निर्वहन राष्ट्रीय विकास की प्रमुख धारा से शिक्षा को जोड़ने में है। इसी के निमित्त आपके सम्मुख कतिपय बिन्दुओं, सन्दर्भों एवं दिशाओं की ओर संकेत करते हुए आह्वान करूँगा कि आप पूरे मनोवेग से क्रिया-

शील हो जांय अन्यथा आने वाली पीढ़ियां एवं समय हमें कोसेगा, हमारी भर्त्सना करेगा।

2—विद्यालय समुदायिक चेतना के केन्द्र बिन्दु

सन्दर्भित बाधाओं की विनष्टि और नव-निर्माण यज्ञ तभी सम्भव होगा जब :—

(1) हमारे विद्यालय सामुदायिक चेतना के केन्द्र बनेंगे।

(2) जब हम समुदाय की अपेक्षानुरूप विद्यालय के वाह्य एवं आन्तरिक स्वरूप को सजीवता तथा आकर्षण प्रदान करेंगे।

(3) यह अभीष्ठ आकर्षण विद्यालय को स्थानीय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने से आयेगा।

विद्यालय समुदाय की लघु इकाई है। जहाँ बालक अपने परिवार एवं समुदाय की आकांक्षाओं के अनुरूप ढल सके और उसे वह सब कुछ प्राप्य हो, जिसकी समाज हमसे अपेक्षा करता है। यहाँ बालक में उन वांछित आदर्शों एवं संस्कारों का निर्माण होना है जो उसे एक सम्पन्न नागरिक बनने का बुनियादी कवच प्रदान करें। यह कवच हम उसे तभी प्रदान कर पायेंगे जब विद्यालय समस्त सुसंकृत अवधारणाओं, विकासात्मक प्रक्रियाओं, नये मूल्यों एवं प्रगतिसूचक उपलब्धियों का केन्द्र बनेंगे और बालक इससे जुड़ेंगे। कतिपय बिन्दु इस दिशा में प्रासंगिक/अपेक्षित होंगे।

(1) विद्यालय जिस समुदाय की इकाई है, उसमें विकास तथा सुधार की हर सम्भव चेष्टा करें।

(2) नागरिकों के सहयोग से समुदाय को आवश्यकताओं का चयन करके वरीयतानुसार उनकी पूर्ति हेतु विकासात्मक शैक्षिक क्रियाओं का विनियोजन करें।

(3) अपने पाठ्यक्रम तथा उपक्रम में लचीलापन, विविधता तथा गतिशीलता लायें जिससे बालक नयी उपलब्धियों एवं परिवर्तनों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके।

(4) विद्यालय ऐसे केन्द्र के रूप में कार्य करें जहाँ छात्र एवं प्रबुद्ध व्यस्क नागरिक एक साथ सामुदायिक समस्याओं का वर्गीकरण, निराकरण तथा परिष्करण कर सके।

(5) छात्र-अभिभावक-शिक्षक में लोकतान्त्रिक तालमेल हेतु गोष्ठियों, परिचर्चाओं का आयोजन करें।

(6) विद्यालय का सौंदर्यीकरण करें। इसे वाह्य तथा आन्तरिक आकर्षण प्रदान करने के निमित्त बागवानी, खेलकूद, बालमेले, समाजोपयोगी, हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी आदि को सहगामी क्रियायें बनायें तथा शिक्षण कला का सुरुचिपूर्ण प्रदर्शन करें।

(7) स्थानीय संसाधनों का भरपूर दोहन करते हुए शिक्षा को अधिक सक्षम और अर्थपूर्ण बनायें।

(8) विद्यार्थियों को ऐसी विषयवस्तु दें जो उनकी साक्षरता, नागरिकता और आर्थिक क्षमता की समन्वित रूप से वृद्धि कर सके।

शासकीय स्तर से विकास तथा अभिदान कोष की विद्यालय स्तर पर स्थापना इसी दिशा में एक अर्थपूर्ण कदम है जिससे आप स्थानीय स्तर पर ही बहुत कुछ कर सकने में समर्थ हो सकेंगे।

3—स्वास्थ शिक्षा एवं पर्यावरणीय शुद्धता

ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रूप से स्वास्थ्य स्तर गिरा हुआ है। फलत: कुल मूल्य संस्था का आधा लगभग 30 लाख बच्चे प्रतिवर्ष कुपोषण एवं ऐसी बीमारियों से मर जाते हैं, जिनको पोषण शिक्षा, पुनर्जलीकरण तथा

टीके से बचाया जा सकता है। इस दिशा में हमारे विद्यालय प्राथमिक चिकित्सक की भूमिका निभा सकते हैं यथा :—

(1) छात्रों/अभिभावकों को संतुलित एवं स्वास्थकर भोजन तथा आवास के प्रति दीक्षित करना।
(2) उन्हें कुपोषण के दुष्प्रभाव से अवगत कराना।
(3) व्यायाम, शारीरिक श्रम एवं स्वास्थ लाभ के प्रति जागरूक करना।
(4) वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण के कारणों तथा निवारण का बोध कराना।
(5) बागवानी एवं वृक्षारोपण द्वारा प्रदूषण की रोक-थाम का प्रचार करना।

4—प्रदूषण की रोकथाम

स्वास्थ्य से ही सम्बन्धित आज प्रमुख खतरा प्रदूषण है। इसके तीन मुख्य स्वस्थ वायु, जल तथा मृदा प्रदूषण पर्यावरण को निरन्तर विषाक्त कर रहे हैं। आपको इस गम्भीरता का बोध पूरे समुदाय को कराते हुए उसे निवारक उपाय भी बताने होंगे। वास्तव में यह सम्पूर्ण जीव जगत की सेवा होगी। लोगों को दीक्षित करना होगा कि इसे रोकना अत्यावश्यक है, इस हेतु :—

(1) धुआँ कम करना।
(2) धूम्ररहित चूल्हा, बायोगैस का प्रयोग करना।
(3) वृक्षारोपड़ करना जिससे पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके, भूमि सुधार हो तथा वर्षा नियमित हो सके।
(4) आदर्शकूप निर्माण सुधार तथा शुद्ध पेयजल व्यवस्था करना।
(5) गन्दे पानी की उचित निकासी व्यवस्था करना।
(6) जल श्रोतों को शुद्ध रखना।
(7) मल-मूत्र का यथास्थान त्याग करना।

छात्रों तथा अभिभावकों को प्रदूषण की रोकथाम के अद्यतन उपाय तथा शासन द्वारा उठाये गये कदमों की जानकारी करायी जानी भी अपेक्षित है।

5—जनसंख्या शिक्षा

संदर्भित किया जा चुका है कि 1960 तक अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था न हो सकने में उत्तरोत्तर जनसंख्या में वृद्धि प्रमुख कारण रहा है। हमारे प्रयास तथा प्रगति की गति इस अपार वृद्धि के कारण अपेक्षित लक्ष्य तक नहीं पहुँच पा रही है। आँकड़े बताते हैं कि जहाँ हमारा आर्थिक विकास 1-2-3 की गति से हुआ वहीं जनसंख्या वृद्धि 2-4-8 की गति से। छात्रों/अभिभावकों को यह क्रम समझाते हुए दृष्टांतों द्वारा बताया जाय कि प्रतिदिन लगभग 55 हजार शिशु जन्म लेते हैं। जिनमें लगभग 40% कुपोषण, आर्थिक तथा चिकित्सीय असुविधा तथा तंगी से मर जाते हैं। इस विभीषिका से बचाने हेतु अपने सीमित संसाधनों से ही यथेष्ट प्रगति हेतु इस जनसंख्या वृद्धि को रोकना कितना अनिवार्य होता जा रहा है।

जन सामान्य को यथासमय विकसित देशों जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, जापान, चीन के प्रयास एवं उपलब्धियों का दृष्टांत देकर विषय की गम्भीरता का बोध कराया जा सकता है।

यहाँ स्पष्ट कर देना उचित होगा कि जनसंख्या शिक्षा परिवार नियोजन नहीं अपितु विकास की गति के साथ चलने का परोक्ष शैक्षिक क्रम है। अवांछनीय जनवृद्धि हमारे विकास में बाधा है। अस्तु इससे होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता का उपक्रम है।

6—शिक्षा में गुणात्मक सुधार

प्रायः देखा और सुना गया कि शिक्षा स्तर में निरन्तर गिरावट आ रही है। स्वस्थ मन से सोचा जाय तो यह स्थिति कटु सत्य बनती जा रही है। हम छात्र एवं समुदाय को वह नहीं दे पा रहे हैं जिसकी हमसे अपेक्षा है—शिक्षालयों की पुरानी गरिमा को अक्षुण बनाना भी हमारी प्रमुख आवश्यकता तथा अपेक्षा होगी।

जाहिर है हम अपने मूलदायित्व "शिक्षण" से हटकर भटक गये हैं—कारण/कारक अनेक हैं किन्तु बदलते परिपेक्ष्य में हर स्थिति को अनुकूल बनाते हुए मार्ग प्रशस्ति भी अभीष्ट है। हमें छात्र को एक निर्धारित अवधि में एक ठोस आधार तो देना ही होगा।

प्राथमिक शिक्षा के परिपेक्ष्य में जन सामान्य की अपेक्षा होगी कि शिक्षण की पूरी अवधि में छात्र को निश्चित सीमा तक विषयवस्तु की प्रारम्भिक जानकारी अवश्य हो जाय। उसमें समस्त सम्भावनाओं, संस्कारों तथा स्वर्णिम भविष्य के मौलिक तत्वों का बीजांकुरण हो जाय। इस स्वस्थ आधार को व्यवहारिकता एवं सक्रियता शिक्षक की विद्वता, उसकी शिक्षण कला की प्रभावोत्पादकता ही देगा। "जो कुछ है" उसी से रण कौशल दिखाते हुए कृपया निम्न बिन्दुओं-दिशाओं में अवश्य प्रयास करें :—

(1) विषयवस्तु की सुदृढ़ जानकारी हेतु सम्भव एवं उपलब्ध उपकरणों, समस्त उपक्रमों का सार्थक प्रयोग यथा श्याम पट्ट, गोली-सीली, बाट-माप, मानचित्र, चार्ट, किट बाक्स आदि।

(2) पाठ्यक्रमानुसार विषय सामग्री का विभाजन, शिक्षण, मूल्यांकन तथा सुधार पर बल।

(3) सामूहिक दायित्त्व, संगठनात्मक एवं सहयोग भावना की अभिवृद्धि हेतु खेलकूद, बालसभा, मेले आदि की व्यवस्था करना।

(4) जिज्ञासु छात्र की लिखित तथा मौखिक अभिव्यक्ति को सम्यक दिशा तथा व्यावहारिक सहजता प्रदान करना।

(5) बालक की दृष्य-श्रव्य प्रवृत्ति को सहज व्यावहारिकता प्रदान करते हुए उसमें नैतिक, सर्वधर्मी, सम्प्रदाय विहीन, सहकार भावना जागृत करने हेतु उत्पादक श्रम को माध्यम बनाते हुये "करो और सीखो" द्वारा ज्ञानार्जन कराना।

(6) सामाजिक विषय शिक्षण में कहानी तथा प्रश्नोत्तर विधि से छात्र में राष्ट्रीयता, संस्कृति ज्ञान, अपने पास-पड़ोस, देश-विदेश की भौगोलिक परिस्थितियों, कृषि उपज, खनिजवाद्य एवं विद्युत परियोजनाओं का ज्ञानार्जन कराना।

(7) संदर्भित समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों में स्थानीय परिवेश घरेलू धन्धों का चयन तथा क्रियान्वयन आदि।

(8) विज्ञान शिक्षण को आज की तकनीकी प्रगति के परिप्रेक्ष्य में पेड़ पौधे, जीव-जन्तु, संचार तथा आवागमन के माध्यमों तथा दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले यन्त्रों को माध्यम बनायें और प्रयोगात्मक शिक्षण पर विशेष बल दें।

(9) शिक्षा की प्रगति समीक्षा/मूल्यांकन से अभिभावकों को निरन्तर अवगत करायें इससे समाज में जहाँ एक ओर आपके प्रति श्रद्धा भाव बढ़ेगा, वहीं बालक में श्रम तथा प्रयास की भावना बढ़ेगी आदि।

7—ह्रास-अवरोध उन्मूलन

विद्यालय का अनाकर्षण, घरेलू कार्य, आर्थिक तंगी, अभिभावक की अशिक्षा तथा कुछ सीमा तक पाठ्यक्रम का अव्यावहारिक बोझ, छात्र को विद्यालय से दूर ले जायेगा या अनमनस्य होकर कुण्ठाग्रस्तता वश फेल होगा। यही उभय स्थिति ह्रास एवं अवरोध है। आंकड़ों से सिद्ध है कि प्राथमिक स्तर पर जितने छात्र कक्षा एक में प्रविष्ट हुये उनमें से लगभग 60% निर्धारित अवधि के बाद पाँचवीं कक्षा नहीं पास कर पाये। यह क्षति हमारे लिये चिन्ता तथा कलंक की बात है एवं सामाजिक तथा राष्ट्रीय क्षति है।

इस दायित्व से हम मुकर नहीं सकते और इस हेतु सजग प्रयास अपेक्षित है। कतिपय निम्न सुझाव इस दिशा में अनिवार्य रूप से किये जाने अपेक्षित होंगे :—

(1) सर्वेक्षण तथा तत्संबंधी आंकड़ों का संकलन :—

(अ) पढ़ाई पूर्ण किये बिना तथा बार-बार फेल होने वाले छात्रों का सूचीकरण करें।

(ब) छात्रों के घरेलू वातावरण, आर्थिक स्थिति तथा अन्य कारणों का पता लगायें।

(स) इन कारणों का वर्गीकरण करके यथोचित व्यवस्था करें यथा उत्पादक कार्यों द्वारा आर्थिक संबल प्रदान करना, पुस्तकीय सहायता, स्वल्पाहार तथा कमजोर छात्रों पर विशिष्ट ध्यान देकर हताशा कम करना।

(2) विद्यालय को धारक क्षमता में वृद्धि :

कभी-कभी शिक्षकों की कमी, भवन की अपर्याप्तता से भी बालक में भीड़ से अरुचि हो जाती है क्योंकि वह समुचित मार्गदर्शन से वंचित रह जाता है। इस हेतु अतिरिक्त भवन तथा शिक्षक हेतु प्रयास किया जाय। इसी क्रम में विकास तथा रख-रखाव कोश की स्थापना से सामुदायिक सहयोग की अपेक्षायें वही हैं। इनका पूर्ण उपभोग अपेक्षित है।

8—संस्थागत नियोजन

संदर्भित समस्त विद्याओं, दिशा निर्देशों, परिकल्पनाओं, अवधारणाओं, युग की माँग, विषम परिस्थितियों एवं सीमित संसाधनों में ताल-मेल बैठाकर अपनी कार्य सीमाओं का निर्धारण, बिना नियोजन के जहाँ कठिन होगा वहीं वांछित उपलब्धियों एवं लक्ष्यों की पूर्ति में भी बाधक होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे—नाव को किनारे के खूंटे से बंधा होने पर भी पानी में पाल चलाना और जहाँ का तहाँ बने रहना।

इस हेतु अपेक्षित होगा कि आप अपने विद्यालयी परिवेश संसाधनों, सामुदायिक जीवन स्तर, आर्थिक क्षमताओं, स्थानीय सहयोग-संभावनाओं पर सम्यक विचार करके, पूरे कार्यक्रम की एक सावधिक व्यवस्था बनायें जिससे कार्य संपादन में सुगमता के साथ परिलब्धियों के आकलन भी यथासमय प्राप्य हो। इस व्यवस्था अथवा नियोजन से शिक्षक-शिक्षार्थी और समुदाय सभी लाभान्वित होंगे। विद्यालयी परिवेशानुसार सावधिक व्यवस्था क्रम ही संस्थागत नियोजन है। इसमें पाठ्यक्रमीय तथा पाठ्योत्तर सभी क्रियाकलापों का सम्यक समावेश होगा। वर्गीकरण/सुविधा की दृष्टि से इन्हें निम्नवत् क्रम दिया जा सकता है :—

(1) पाठ्यक्रम का दैनिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक विभाजन जिसे आप समय विभाजक चक्र की संज्ञा देते हैं।

(2) स्वास्थ एवं पर्यावरण सुधार संबंधी कार्यक्रम ।
(3) सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम
(4) समाजसेवी कार्यक्रम यथा प्रदूषण की रोकथाम, रोगों से बचाव आदि ।
(5) सामाजिक समायोजन कार्यक्रम
(6) खेलकूद, बालमेले, प्रतियोगिताओं का आयोजन
(7) अर्जित ज्ञान का परीक्षण/मूल्यांकन कार्यक्रम
(8) तर्क वृद्धि यिकास एवं नैतिक मूल्य वृद्धि कार्यक्रम
(6) विद्यालय विकास कार्यक्रम
(10) समाजोपयोगी उत्पादन तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम आदि ।

9—संकुल योजना

सीमित संसाधन, एकाकीपन, सामुदायिक संकीर्णता, अज्ञानता तथा अभावग्रस्तता के कारण इस प्रकार के संस्थागत नियोजन का पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन अव्यवहारिक एवं अपेक्षाकृत कम प्रभावी न हो जाय । दूसरा विकल्प ऐसे कई निकटस्थ विद्यालयों का एक समन्वित कार्यक्रम तैयार किया जाय तो संदर्भित अभाव, एक दूसरे के सहयोग से निष्प्रभावी हो सकेंगे और नियोजन को गति मिलेगी । इस प्रकार ग्रुप (संकुल) बनाना आप नियोजन को अधिक लोकतांन्त्रिक रूप से क्रियान्वित कर सकेंगे, क्योंकि एक दूसरे की कमी-बेशी, पूरक अनुपूरक पद्धति से स्थिति को संतुलित कर सकेगी ।

अधिक प्रभावी तथा कार्यकारी बनाने हेतु जहाँ तक सम्भव हो इस संकुल में एक ऐसा जूनियर हाई स्कूल हो जो पूरे नियोजन का संचालन एवं समीक्षा करेगा । इस प्रकार :—

(1) विद्यालय संकुल के सभी सदस्य विद्यालयों को क्षेत्रीय सानिध्य मिलेगा और सभी केन्द्र से 8 कि० मी० की परिधि में होंगे ।
(2) केन्द्र विद्यालय के पास ऐसे साधन यथा दृश्य श्रव्य सामग्री, प्रोजेक्टर, प्रयोगशालायें तथा पुस्तकालय एवं बड़े मैदान आदि होंगे जो सामान्यता हर विद्यालय को संभव न हो । यह केन्द्र संसाधन केन्द्र भी होगा ।
(3) संकुल एक स्वशासी/प्रशासनिक नियंत्रण में होगा ।
(4) केन्द्र विद्यालय संकुल का नियोजन करके, पत्रक का प्रसार करने के साथ अनुश्रवण तथा मूल्यांकन भी करेगा ।
(5) संकुल को संस्थागत नियोजन तथा सत्र नियोजन की सफलता हेतु संसाधन जुटाने की छूट होगी तथा शासन इस दिशा में विधिसम्मत व्यवस्था भी करेगा ।
(6) केन्द्रीय विद्यालय में निरन्तर प्रशिक्षण एवं पुनर्बोधात्मक शिक्षण कार्यक्रम की सुविधा होगी ।
(7) यहाँ ऐसे अध्यापक भी उपलब्ध होंगे जहाँ विशिष्ट विषय अध्यापक यथा संगीत, क्राफ्ट, व्यायाम शिक्षक जो सामान्यतया सभी जगह नहीं दिये जा सकते ।

10—अनौपचारिक शिक्षा

संदर्भित भारतीय संविधान नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 45 के अनुसार 1960 तक देश के समस्त 14 वर्ष तक के बालक/बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का संकल्प है, किन्तु संसाधनों

की कमी तथा अपार जनसंख्या वृद्धि के कारण यह वचनवद्धता अधूरी रही। इसे अधूरेपन को बिना विकास की गति को अर्थसंकट में बाले एक ऐसा लचीला एवं अंशकालिक विकल्प ढूंढ़ा गया जिसे अनौपचारिक शिक्षा की संज्ञा दी गई।

इस नये विकल्प के क्रियान्वयन तथा व्यवस्थानुसार अनौपचारिक केन्द्रों का विस्तार तथा संचालन किया जा रहा है। समस्त शिक्षकों/अनुदेशकों से अपेक्षा है कि इस रणनीति का क्रियान्वयन पूरे युद्धकौशल से करें जिससे उद्‌देश्य की पूर्ति सार्थक हो। कतिपय निम्न अपरिहार्य विन्दुओं पर ध्यानाकर्षण अपेक्षित हैं :—

(1) प्रत्येक केन्द्र पर कम से कम 25 बालिकओं का नामांकन अवश्य किया जाय। इसके अतिरिक्त बालकों के प्रवेश पर रोक नहीं होगी।

(2) अनुदेशक केन्द्र से सम्बद्ध विद्यालय से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखें।

(3) इन केन्द्रों पर न पढ़ने बाले बालक/बालिकओं की सूची पूर्ण विवरण के साथ रखी जायेगी तथा इसी के अनुसार नामांकन होगा।

(4) ड्राप आउट, ह्रास ग्रस्त तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को जो घरेलू मजबूरियों तथा आर्थिक तंगी से नहीं पढ़ते, प्रवेश दिया जाय।

(5) ऐसे बालकों को "करो और सीखो" माध्यम से उत्पादक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जाय एवं यथासंभव आर्थिक उपलब्धि के भी प्रयास किये जांये।

(6) केन्द्र संचालन शिक्षक के निवास पर कदापि न किये जांय अपितु ग्राम प्रधान के परामर्श से सार्वजनिक/उपयुक्त स्थान पर लगाये जांय।

(7) केन्द्र के संचालन को गतिशीलता हेतु ग्राम शिक्षा समिति को माध्यम अवश्य बनाया जाय।

(8) शिक्षक के पूर्ण विवरण, संचालन स्थल तथा समय की सूची ग्राम प्रधान, क्षेत्रीय विकास कार्यालय, सरपंच तथा केन्द्र विद्यालय को अवश्य दी जाय।

(9) कार्यक्रम के सम्पूर्ण क्रियान्वयन हेतु ग्राम शिक्षा समिति के तत्वाधान में विद्यालय स्तरीय गोष्ठियां प्रत्येक त्रैमास में की जाय। इसमें अन्य स्थानीय शिक्षकों तथा नागरिकों को भी बुलाया जाय।

(10) केन्द्रों के समय में कठोर बंधन न रखा जाय आवश्यकतानुसार सीमाओं के अन्दर फेरबदल भी किया जा सकता है किन्तु इसकी विधिवत् सूचना भी दी जाय।

(11) अनुदेशकों की पूर्ण सेवाकालीन तथा पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण व्यवस्था का अनिवार्य रूप से लाभ उठाना चाहिए।

(12) अनुदेशक अपने पास केन्द्र स्थापना से संचालन तक, शिक्षणार्थियों के मूल्यांकन तथा शिक्षण की मुद्रित सामग्री प्राप्त करें इसका विधिवत् उपयोग करें।

(13) शिक्षार्थियों हेतु उपलब्ध सहायक सामग्री नियमित रूप से क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालय से प्राप्त कर वितरण व्यवस्था करें।

(14) केन्द्रों की शैक्षिक प्रगति समीक्षा, बाधाओं आदि की समीक्षा में जूनियर हाई स्कूल स्तर केन्द्रों के माध्यम से की जानी अपेक्षित है।

(15) अनौपचारिक केन्द्र पर अनुदेशक की किसी अपरिहार्य अनुपलब्धता/अनुपस्थिति की स्थिति में पूर्व सूचना के आधार पर केन्द्र विद्यालय से वैकल्पिक व्यवस्था अवश्य कराई जाय। किसी भी

हालत में केन्द्र बन्द न रहे ।

(16) प्रत्येक खण्ड स्तर पर अनुदेशकों की किसी निश्चित तिथि पर अनिवार्य बैठक आयोजित करनी होगी जिसमें उन्हें अपने मानदेय, प्रगति सूचना, मानीटरिंग प्रपत्र आदि जमा करना होगा ।

(17) पाठ्यक्रम तथा पुस्तकों से "सेल्फ लर्निंग" स्वतः ज्ञानार्जन को विशेष ध्यान दिया जाय एवं देखा जाय कि छात्र वांछित स्तर की योग्यता अवश्य प्राप्त करें ।

(18) प्राइमरी कक्षा 5 तथा जूनियर हाई स्कूल कक्षा 8 की परीक्षायें औपचारिक विद्यालयों के साथ ही संपादित होंगी इस हेतु आवश्यक जानकारी एवं व्यवस्था का अनुदेशक को भिज्ञ होना अनिवार्य होगा ।

(19) औपचारिक के साथ इन केन्द्रों के बच्चे खेलकूद, रैली, मेलों आदि कार्यक्रमों में सक्रियता से भाग लें ।

प्रगति आख्याओं, आकलन प्रपत्रों का नियमित प्रेषण करते हुए सेवा भाव से राष्ट्रीय धर्म पालन के रूप में शुद्ध निष्ठा एवं सक्रियता कार्य संपादन अभीष्ठ है ।

11—दीक्षा विद्यालयों से

उपर्युक्त विन्दु तथा संकेत केवल सम्बन्धित शिक्षक समाज के लिए ही नहीं वरन् दीक्षा विद्यालयों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को भी मार्गदर्शन में उतने ही ग्राह्य एवं उपादेय होगें । ऐसा विश्वास है कि होने वाले शिक्षक (छात्राध्यापक) इन सभी दिशाओं/विन्दुओं को सच्चे दृष्टा के रूप में स्वीकार करेंगे एवं तदनुसार व्यवहार करेंगे ।

इसके अतिरिक्त अनौपचारिक शिक्षा के अभीप्सित लक्ष्य की सम्प्राप्ति सुनिश्चित करने, केन्द्रों के सुसंचालन, शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन तथा नियोजन में अनुदेशकों को मार्गदर्शन प्रदान करने तथा शिक्षण कार्य के विकास, मूल्यांकन का यथोचित ज्ञानार्जन प्रारम्भिक प्रशिक्षण स्तर पर कराना आपका पूर्ण दायित्व होगा ।

12—निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों से

परिपत्र का सम्बन्ध उन समस्त निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण वर्ग से भी अपरिहार्य रूप में होगा जो पूरी प्रक्रिया के सम्पूर्ण क्रियान्वयन एवं आकलन से सीधे जुड़े हैं । निरीक्षण के अवसर पर आपको एक अधिकारी ही नहीं अपितु मार्गदर्शक एवं सहयोगी के रूप में शिक्षालय को सामुदायिक केन्द्र बनने के मार्ग में उन समस्त विरोधी तत्वों का विश्लेषण करते हुए त्वरित अथवा दूरगामी उपाय दर्शाने होंगे एवं पूरी प्रक्रिया को सही तथा वांछित दिशा देनी होगी ।

आवश्यकतानुसार आप शासन को उन सभी प्रमुख अवरोधक तथ्यों से अवगत करायें जो स्थानीय स्तर पर पूरे नहीं किये जा सकते ।

विश्वास एवं अपेक्षा है कि आप सब पूरे मनोयोग एवं सत्यनिष्ठा से साक्षरता एवं सही शिक्षा को एक सफल अभियान के रूप में नयी दिशा एवं अन्जाम देने में पूरा सहयोग एवं संबल प्रदान करेंगे ।

अपेक्षित नव प्रभात हेतु अपार शुभकामनायें ।

———

मॉड्यूल

विद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यानुभव तथा खेलकूद कार्यक्रमों के मूल्यांकन की व्यवस्था

शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम का गठन किया जाता है और पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा में और कक्षा के बाहर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया (Teaching Learning process) का संचालन होता है। दूसरे शब्दों में अधिगम अनुभव (Learning Expericnbes) शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन हैं। इन्हीं के फलस्वरूप अधिगम परिणाम (Learning out-comes) की प्राप्ति होती है। शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण और अधिगम अनुभवों के आयोजन के साथ ही साथ इस बात का पता लगाना भी बहुत आवश्यक है कि शैक्षिक उद्देश्यों की सम्प्राप्ति किस सीमा तक सम्भव हो सकती है। यही मूल्यांकन (Evaluation) का मुख्य प्रयोजन है। यदि उद्देश्यों की सम्प्राप्ति अपेक्षित स्तर की है तो क्रियाओं का चयन ठीक है और यदि स्तर निम्न है तो फिर या तो क्रियाओं के चयन में कोई कमी है अथवा हमारी अपेक्षायें व्यावहारिक नहीं हैं। इस प्रकार मूल्यांकन व्यवस्था शैक्षिक उद्देश्यों का मात्र अनुसरण ही नहीं करता वरन् उद्देश्यों एवं क्रियाओं में परिवर्तन एवं संशोधन के लिये दिशा भी प्रदान करता है। स्पष्टत: शैक्षिक उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं मूल्यांकन में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के मूल एवं बहुआयामी उद्देश्य के साथ-साथ शिक्षा के निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किये जा सकते हैं :—

(1) स्वस्थ शरीर का विकास, स्वच्छ मन की संरचना, जिससे सभ्य समाज के निर्माण में व्यक्ति सहायक हो सके।

(2) उसके अन्दर आत्म-निर्माण की क्षमता का विकास हो जिससे उसका आत्म-विश्वास सुदृढ़ हो। फलत: आत्म-निर्भर होने की दिशा में अग्रसर हो सके। उसकी मान्यता हो कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है।

(3) व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण में शाश्वत नैतिक मूल्यों का समावेश हो तथा परम्परा की सापेक्षता में विवेक को प्रधानता देने की क्षमता विकसित हो।

(4) व्यक्ति में व्यावहारिक शिष्टाचार एवं सज्जनता, दूसरों के प्रति सम्मान तथा समानता की भावना सहयोग, सहिष्णुता, श्रमशीलता, समता, संयम, साहचर्य एवं सहभागिता की भावनाओं का विकास हो।

(5) राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता, मानव मात्र, सभी धर्मों और जातियों के प्रति आदर का भाव, प्रकृति प्रेम, जीवों पर दया, पर्यावरण रक्षा, ललित कलाओं से प्रेम आदि भावनाओं एवं गुणों का भी विकास सम्भव हो सके।

(6) ऐसे नागरिक का निर्माण हो जो एक ओर भारत की समन्वयकारी संस्कृति के शाश्वत मूल्यों से जुड़ा रहे और दूसरी ओर इक्कीसवीं शताब्दी के भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, अर्थात् शाश्वत मूल्यों और आधुनिक प्रौद्योगिकी में समन्वय स्थापित करना आज की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिये।

2—प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के व्यक्तित्व में निम्नलिखित संकल्पनाओं, गुणों एवं योग्यताओं को समाविष्ट करने से सम्बन्धित होना चाहिये :

(1) साक्षरता, अंक ज्ञान, लेखन क्षमता का विकास तथा स्वाध्याय के प्रति रुचि ।
(2) कृषि एवं किसी एक गृह उद्योग में दक्षता, लोक संस्कृति से लगाव ।
(3) शारीरिक सफाई, खानपान की सफाई, कपड़ों की सादगी एवं सफाई मकान/स्कूल/पड़ोस/गांव की सफाई, संतुलित आहार, खेल व व्यायाम ।
(4) व्यावहारिक शिष्टाचार एवं सज्जनता, लड़कियों व महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव, लड़के-लड़कियों में समानता का व्यवहार, सहयोग, सहिष्णुता, श्रमशीलता, समता, संयम एवं साहचर्य की भावना का विकास, अपने प्रति कठोरता तथा दूसरों के प्रति उदारता ।
(5) प्रकृति प्रेम व जीवों पर दया, पर्यावरण रक्षा, ललित कलाओं से प्रेम, सेवाभाव ।
(6) जनसंख्या विस्फोट की भयानकता का बोध ।
(7) सब राष्ट्रों व मानवमात्र एवं सब जातियों व धर्मों तथा बड़ों के प्रति आदर का भाव ।
(8) व्यवहार व दृष्टिकोण में नैतिक मूल्यों का समावेश तथा परम्परा के मुकाबिले विवेक को प्रधानता ।
(9) लड़कियों में गृह संचालन की क्षमता का विकास और लड़कों में परिवार, संस्था और छोटे परिवार की गरिमा की संकल्पना तथा संचालन का विकास ।

उपर्युक्त के माध्यम से विद्यार्थी में स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन एवं सभ्य समाज की संकल्पना सम्भव हो सकेगी । प्रयास हो कि वह आत्म-निर्भर हो सके । वह यह माने कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है ।

3—प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थी अपेक्षाकृत एक बड़े विद्यालयी परिवेश के सम्पर्क में आता है । विद्यार्थी की यह अवस्था ऐसी होती है जिसमें प्राप्त अनुभव उसके भावी जीवन की दिशा निर्धारण में अधिक प्रभावी होते हैं । अतः माध्यमिक शिक्षा का मूल उद्देश्य विद्यार्थी की शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक और सौन्दर्यपरक शक्तियों को विकसित करना है । उसमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति तथा लोकतांत्रिक, चारित्रिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के विकास के साथ-साथ ऐसी भावना का उदय करना है जिससे वह अपने राष्ट्र पर गर्व कर सके तथा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की वृद्धि में सहायक हो ।

4—माध्यमिक शिक्षा जहाँ एक ओर उच्च तथा उच्च प्राविधिक शिक्षा के बीच की कड़ी है वहीं दूसरी ओर रोजगारपरक शिक्षा का टर्मिनल भी है । अतः इसमें रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का समावेश किया जाना आवश्यक है । इसके लिये प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय को किन्हीं निश्चित व्यावसायिक विषयों में विशिष्ट कार्यपरक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण देने वाले कम्यूनिटी पॉलिटेक्निक के रूप में विकसित किया जाय ।

5—विद्यालय में पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ कार्यानुभव द्वारा विद्यार्थियों को जीवन की वास्तविकताओं से परिचित कराते हुए उनमें उत्पादक क्षमता का विकास कराना, शैक्षिक कार्यकलाप का अभिन्न अंग है । विद्यालय की कक्षाओं में तथा कक्षाओं के बाहर विद्यार्थियों के लिये आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के पाठ्य-सहगामी क्रियाकलापों का मोटे तौर पर निम्नांकित विभाजन किया जा सकता है :—

(1) कार्यानुभव—

i—कार्यानुभव एवं नैतिक शिक्षा के अभ्यास और उनका मूल्यांकन

ii—समाजसेवा (स्काउटिंग/गाइडिंग, रेडक्रास) और सांस्कृतिक कार्यक्रम का अभ्यास और उनका मूल्यांकन।

(2) खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा

खेल एवं व्यायाम के अभ्यास और उनका मूल्यांकन।

6—कार्यानुभव

कार्यानुभव में ज्ञानात्मक तथा भावनात्मक विकास के साथ-साथ किसी विशिष्ट कौशल में कक्षावार वांछित स्तर की सम्प्राप्ति अपेक्षित है। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि इन क्रिया कलापों के प्रति विद्यार्थियों में अभिरुचि पैदा करने के लिये उनका समयबद्ध आयोजन हो तथा उनका मूल्यांकन कार्य सतत् रूप से चलता रहे। प्राथमिक तथा माध्यमिक दोनों स्तरों पर कार्यानुभव एक अनिवार्य विषय के रूप में समावेश किये जाने के सन्दर्भ में, इस योजना के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं:—

(1) छात्रों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से श्रम कार्य में भाग लेने के लिये तैयार करना,

(2) छात्रों को श्रम कार्य एवं सेवा कार्य के क्षेत्रों से अवगत कराना तथा श्रमिकों के प्रति उनके मन में आदर एवं सम्मान की भावना का विकास करना,

(3) छात्र/छात्राओं में आत्मनिर्भरता, सहिष्णुता, सहभागिता, श्रमशीलता, समता एवं साहचर्य, अनुशासन एवं सामूहिकता तथा श्रम कार्य के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित करना;

(4) छात्र/छात्राओं में समाज का एक उपयोगी सदस्य बनने की भावना जाग्रत करना तथा कार्यानुभव के अभ्यासों के लिये अभिप्रेरित करना,

(5) विभिन्न प्रकार के कार्यों में निहित सिद्धान्तों को समझने में सहायता करना,

(6) छात्र/छात्रायें ज्यों-ज्यों एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर अग्रसर हों, उनमें उत्पादक कार्यों में भाग लेने की क्षमता को बढ़ाना और इस प्रकार अध्ययन करते हुए अभ्यास कर कुछ कमा सकने के लिये सक्षम बनाना,

(7) छात्र/छात्राओं की सृजनात्मक शक्तियों तथा समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना,

(8) व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये अपेक्षित पूर्ण योग्यताओं, क्षमताओं आदि का विकास करना,

(9) विद्यार्थियों में ऐसे मूल्यों का विकास करना ताकि धोखा देकर लाभ अर्जित करने को गलत एवं त्याज्य माना जाये। यह लाभ निर्मित वस्तुओं की लागत कम रखकर प्राप्त किया जाये।

7—कार्यानुभव एवं नैतिक शिक्षा

छात्र तथा समाज की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर कार्यानुभव को निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों मे विभक्त किया जा सकता है :—

(1) स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

(2) भोजन

(3) आवास

(4) वस्त्र
(5) सांस्कृतिक एवं मनोरंजन सम्बन्धी क्रियाएँ
(6) सामुदायिक कार्य एवं समाज सेवा।

स्पष्टतः उत्पादक कार्य (Productive Work) तथा सेवा कार्य (Community Work) के आयोजन के निम्नलिखित तीन पहलू होंगे :—

i—स्थानीय समाज में चल रहे कार्यों को पहचानना और समझना,

ii—वस्तुओं, उपकरणों तथा तकनीकी की जानकारी उनका उपयोग करके वस्तुओं का निर्माण करना और सेवा कार्य,

iii—विद्यालय में अथवा विद्यालय के बाहर समाज में उपयुक्त कार्य का चयन जिसके द्वारा छात्र-छात्राओं में कौशल का समुचित विकास हो सके और वे उनके आर्थिक महत्त्व को भली-भाँति समझ सकें।

(4) आपातस्थिति में दायित्त्व का निर्बहन।
(5) नैतिक शिक्षा के सिद्धान्तों की जानकारी तथा निम्नलिखित अभ्यास :
i—दूसरों के गुण देखने का अभ्यास,
ii—प्रतिभाशाली छात्रों द्वारा कमजोर छात्रों को पढ़ने में मदद करना,
iii—निरक्षर को साक्षर बनाना,
iv—विकलांग छात्रों को पढ़ने में सहायता देना।

8—कार्यानुभव के मूल्यांकन की रूपरेखा

(1) विविध शैक्षिक उद्देश्यों, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण-अधिगम क्रियाओं के अनुरूप कार्यानुभव के अभ्यास के मूल्यांकन में विविधता स्वाभाविक है, किन्तु मूल्यांकन कार्य में विश्वसनीयता, एकरूपता लाने के उद्देश्य से कुछ मूलभूत बातों पर ध्यान देना परम आवश्यक है।

चूंकि कार्यानुभव में ज्ञानात्मक तथा भावनात्मक विकास के साथ-साथ किसी विशिष्ट कौशल में वांछित स्तर की सम्प्राप्ति अपेक्षित है अतः छात्र जिस किसी कार्य को सीखता है, उसकी कार्यशैली कैसी है, उसका उत्पादन स्तर क्या है, सामाजिक सेवा कार्य के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है, उसमें कैसी आदतों का निर्माण हो रहा है, उसकी अभिवृत्तियाँ एवं रुचियाँ कैसी हैं, आदि विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन में समावेश होना चाहिये। कार्यानुभव लगभग सत्र भर चलता रहेगा और छात्र धीरे-धीरे अपेक्षित लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। इतना अवश्य है कि जिसे विद्यालय के बाहर, घर पर अथवा अन्यत्र अभ्यास करने का अधिक अवसर मिलेगा, उसके सीखने की गति एवं कार्य-कुशलता में अभिवृद्धि अधिक होगी।

(2) सतत् रूप से चलने वाले इस मूल्यांकन कार्य को अभिलिखित करने के लिये प्रत्येक छात्र का एक संचयी अभिलेख तैयार किया जाना चाहिये जिसमें प्रभारी अध्यापक द्वारा उसकी मासिक प्रगति अंकित की जानी चाहिये। अभिलेख में वस्तुनिष्ठता की दृष्टि से मासिक अंकों का विभाजन निम्नवत् होगा :—

i—अभ्यास कार्य	···	4 अंक	कुल 10 अंक
ii—उपलब्धि	···	6 अंक	

(3) अभ्यास कार्य के अंक (i), छात्र की उपस्थिति (ii), कार्य के प्रति अभिप्रेरणा (iii), समूह में कार्य करते समय अथवा व्यक्तिगत अनुशासन तथा (iv) सहभागिता पर आधारित हो। इनमें से प्रत्येक गुण पर एक-एक अंक निर्धारित होगा।

(4) उपलब्धि का अभिप्राय उत्पादन कार्य से एवं अन्य कार्यों के स्तर से है। उत्पादन कार्य का मूल्यांकन उसकी उत्कृष्टता, मौलिकता तथा छात्र की श्रमशीलता पर आधारित होना चाहिये। अतः 6 अंकों में से अंकों का विभाजन निम्नवत् होगा :—

i—उत्पादन अथवा कार्य की उत्कृष्टता	...	2 अंक
ii—उसकी मौलिकता	...	2 अंक
iii—एवं श्रमशीलता	...	2 अंक

(5) सत्र में 8 माह–जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी—में उक्त प्रकार से मूल्यांकन कर छात्र के प्राप्तांकों को, अभिलेख में अंकित किया जाय। इस प्रकार मासिक कार्य पर कुल 80 अंक हैं।

(6) विद्यालय के अन्दर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिये वर्ष में 100 में से 80 अंक (10 अंक प्रति माह) के हिसाब से 8 माह के लिए निर्धारित रहेंगे। ये अभ्यास सप्ताह में एक नियमित दिन विद्यालय तथा कक्षा की सुविधा से आयोजित होंगे। अलग-अलग कक्षा का अलग दिन होगा। वर्ष के अन्त में विद्यालय के अन्दर जो छात्रों द्वारा कौशल अर्जित किया गया होगा उसका मूल्यांकन तैयार की गयी सामग्री की वार्षिक प्रदर्शनी के दौरान होगा। प्रदर्शनियाँ विद्यालय स्तर पर, जनपद स्तर पर, मण्डल स्तर पर एवं राज्य स्तर पर आयोजित होंगी। इन प्रत्येक स्तर की प्रदर्शनियों में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिये किसी छात्र की कलाकृति को 5 अंक, द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिये 3 अंक, तृतीय स्थान प्राप्त करने के लिये 2 अंक, प्रदर्शनी में भाग लेने के लिये 1 अंक दिया जायेगा। विद्यालय से चुनी हुई कलाकृतियाँ ही जनपद स्तर की प्रदर्शनी में सम्मिलित होंगी, जनपद स्तर की चुनी हुई कलाकृतियां मण्डल स्तर की प्रदर्शनी से सम्मिलित होंगी तथा मण्डल स्तर की चुनी हुई कलाकृतियाँ ही प्रदेश स्तर की प्रदर्शनी में सम्मिलित की जायगी। इस प्रकार जिस छात्र की कलाकृति विद्यालय में, जनपद में, मण्डल में तथा प्रदेश में सर्वप्रथम आंकी जायेगी उसे 20 अंक प्राप्त होंगे।

9—समाज सेवा एवं सांस्कृतिक कार्यकलाप का मूल्यांकन

(1) प्रदेश के विद्यालयों में पाठ्य सहगामी कार्यक्रम जैसे स्काउटिंग, गाइडिंग, रेडक्रॉस तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को कक्षाओं में चलाये जाने वाले पाठ्यक्रम का एक अंग माना गया है परन्तु इन कार्यक्रमों के प्रभावी मूल्यांकन न हो सकने के कारण इन कार्यकलापों पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा सका है और साथ ही इन कार्यक्रमों के मूल्यांकन का छात्र/छात्रा के वार्षिक परीक्षाफल में समुचित स्थान न होने के कारण, छात्र/छात्रा इन कार्यक्रमों को गम्भीरता से नहीं लेते हैं। दूसरी ओर विद्यालयों की सामान्य परीक्षण व्यवस्था में मूल्यांकन पद्धति के अभाव में विद्यालयों के प्रबन्ध तन्त्र द्वारा भी इन कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित रूप से चलाये जाने के प्रति उदासीनता बरती जाती है। प्रायः यह देखा जाता है कि उपरोक्त पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों के मूल्यांकन पद्धति के मार्गदर्शन के अभाव में विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा कार्यक्रमों के मूल्यांकन के प्रति उदासीनता बरती जाती है।

(2) इस सम्बन्ध में मासिक व वार्षिक मूल्यांकन; विद्यालय के परिसर अथवा विद्यालय के बाहर आयोजित होने वाले समाजसेवा, स्काउटिंग, गाइडिंग रेडक्रॉस और सांस्कृतिक कार्यकलाप में प्रत्येक छात्र का किया जायेगा। प्रत्येक सप्ताह शनिवार को विद्यालय के बाहर सामुदायिक कार्य का अभ्यास किया जायेगा। यह कक्षावार

अलग-अलग स्थानों पर होगा। अर्थात् वर्ष में 100 में से 80 अंक, 10 अंक प्रतिमास के हिसाब से 8 माह के लिए मासिक मूल्यांकन, यह हर माह का मूल्यांकन होगा एव वर्ष के अन्त में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता के लिए 20 अंक निर्धारित रहेंगे। प्रतियोगितायें विद्यालय स्तर पर, जनपद स्तर पर, मण्डल स्तर पर तथा प्रदेश स्तर पर आयोजित होंगी और इनमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को 5 अंक, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 3 अंक, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 2 अंक और भाग लेने वाले को 1 अंक दिये जायेंगे। स्पष्ट है कि विद्यालय स्तर के चुने हुए प्रतियोगी ही जनपद स्तर की प्रतियोगिता में भाग ले पायेंगे, जनपद स्तर के चुने हुए प्रतियोगी ही मण्डल स्तर की प्रतियोगिता में भाग ले पायेंगे और मण्डल स्तर के चुने हुए प्रतियोगी ही राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग ले पायेंगे।

(3) कार्यानुभव के अन्तर्गत जो कार्य विद्यालय से बाहर विभिन्न विभागों के सहयोग से सम्पन्न हों, जैसे सामूहिक श्रमदान, पर्यावरणीय स्वच्छता, वृक्षारोपण आदि, उनका भी अलग से मूल्यांकन उपरांकित ढंग से किया जाय। यह मूल्यांकन कार्यस्थल पर उपस्थित प्रभारी अध्यापक अथवा अध्यापक समूह अथवा किसी अन्य विभाग के अधिकारी, जो कार्य संचालन में निर्देशन प्रदान कर रहे होंगे द्वारा किया जायेगा। इस पर कुल 10 अंक प्रति माह निर्धारित होंगे। यह देखा जायेगा कि छात्र की समूह में प्रतिभागिता किस स्तर की है। क्या यह सामूहिक कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेता है, क्या वह कार्य के सम्बन्ध में अपने सुझाव प्रस्तुत करता है और उन सुझावों के औचित्य को भली-भांति स्पष्ट करता है, क्या वह समूह के बहुमत अथवा निर्णय को स्वीकार करता है, क्या वह उसे सौंपे गये कार्य को पूरा करता है, क्या वह दूसरों के कार्य को पूरा कराने में सहायता प्रदान करता आदि आदि। उपर्युक्त 10 अंकों का विभाजन भी निम्न प्रकार होगा :—

i—अभ्यास कार्य	4 अंक
ii—उपलब्धि	6 अंक
कुल	10 अंक

(4) उपर्युक्त मूल्यांकन योजना का सारांश निम्नवत् है :—

	विद्यालय के अन्दर	बाहर
i—मासिक कार्य (8 माह) ...	80	80
ii—वार्षिक प्रदर्शनी अथवा प्रतियोगिता ...	20	20
कुल अंक ...	100	100

(5) कार्यानुभव के लिए चूंकि 100 अंक ही निर्धारित हैं इसलिए उपरोक्त विद्यालय के अन्दर और बाहर प्राप्तांकों का आधा करके समाजोपयोगी उत्पादक कार्य में से प्राप्त अंकों को निम्न प्रकार से श्रेणीबद्ध किया जायेगा :—

60 अथवा 60 से ऊपर	प्रथम श्रेणी
45 से 59 तक	द्वितीय श्रेणी
33 से 44 तक	तृतीय श्रेणी

छात्र की वार्षिक प्रगति आख्या/प्राप्तांकों की सूची में कार्यानुभव के सम्मुख उसकी उपलब्धि एवं प्राप्त श्रेणी अलग से अंकित की जायेगी जिसे छात्र के शैक्षिक परीक्षाफल से प्राप्तांक से जोड़ा नहीं जायेगा।

10—खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा का मूल्यांकन

(1) विद्यालयों में खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा के कार्यकलापों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में निम्नलिखित पद्धति से मूल्यांकन किया जाय :—

खेलकूद के लिये वर्ष भर में 100 अंक निर्धारित होंगे जिनके अन्तर्गत मूल्यांकन किया जाय।

खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा के मूल्यांकन में निम्नलिखित तीन गुणों का विकास किया जाना अपेक्षित है :—

i—सतत् प्रयास एवं अभ्यास
ii—खेल भावना
iii—कार्यक्रमों से व्यक्तिगत उपलब्धि

(2) शैक्षिक-सत्र के 10 माहों में, आठ माहों (जुलाई से फरवरी तक) में विभिन्न कार्यक्रमों में परीक्षण लिया जाये और प्रत्येक कार्यक्रम के लिए परीक्षण लिये जाने के माह का निर्धारण भी पहिले से विद्यालय पंचांग में कर लिया जाये। खेलकूद के कार्यक्रमों में निम्नलिखित तीन मुख्य क्रियायें होती हैं :—

i—दौड़ना
ii—कूदना
iii—फेंकना

इनके अतिरिक्त विद्यालय में चलने वाले अन्य खेलकूद के विषय भी सुविधानुसार अलग-अलग माह में सम्मिलित होंगे।

(3) उपरोक्त कार्यों के गहन अभ्यास के लिये शिक्षा-सत्र में माहवार क्रियायें सुविधानुसार निर्धारित कर दी जायें जैसे :—

जुलाई	...	...	दौड़ना	
अगस्त	...	...	कूदना	फुटबाल, वॉलीबाल, तैरना आदि
सितम्बर	...	...	फेंकना	
अक्टूबर	...	...	दौड़ना, कूदना, फेंकना	
नवम्बर	...	...	तदैव	
दिसम्बर	...	...	तदैव	
जनवरी	...	...	तदैव	
फरवरी	...	...	तदैव	

(4) जहाँ तक इन क्रियाओं द्वारा छात्र/छात्राओं में आवश्यक गुणों के विकसित किये जाने का प्रश्न है उन्हें तीन मुख्य अंगों में बांटा गया है :—

i—सतत् प्रयास (अभ्यास)
ii—खेल भावना
iii—उपलब्धि

उपरोक्त गुणों के विकास के प्रति प्रतिमाह मूल्यांकन के लिये अंकों का बंटवारा निम्नलिखिन रूप से रक्खा जाय :—

i—सतत् प्रयास एवं अभ्यास के अन्तर्गत उपस्थिति का 1 अंक एवं सहभागिता के लिये 1 अंक	...	...	...	...	2 अंक
ii—खेल भावना के लिये	...	...	...	...	3 अंक
iii—उपलब्धि के लिए	...	...	...	...	5 अंक
				कुल मिलाकर ...	10 अंक

(5) जहाँ तक खेल भावना के लिये आवंटित 3 अंकों का प्रश्न है इसके मूल्यांकन में निम्नलिखित गुणों का मूल्यांकन किया जाये :—

i—जीत में नम्रता	...	...	...	...	1 अंक
ii—हार में उत्साह	...	...	...	...	1 अंक
iii—अनुशासन	...	...	...	...	1 अंक
				कुल मिलाकर ...	3 अंक

(6) जहाँ तक उपलब्धि के अन्तर्गत आवंटित 5 अंक के अन्तर्गत मूल्यांकन किये जाने का प्रश्न है प्रत्येक माह के लिये निर्धारित प्रक्रिया के मूल्यांकन में निम्नलिखित पद्धति अपनायी जाये :—

परीक्षा में भाग लेने तथा प्रतिस्पर्धा को पूरा करने में 5 में से 2 अंक दिये जायें शेष 3 अंकों का आवंटन निम्न प्रकार किया जाय :—

प्रथम स्थान	...	...	...	...	3 अंक
द्वितीय स्थान	...	...	...	...	2 अंक
तृतीय स्थान	...	...	...	...	1 अंक

(विद्यालय की किसी टीम में सम्मिलित हो जाना और खेलना प्रथम स्थान के बराबर माना जायेगा। हाउस टीम का सदस्य होना व खेलना द्वितीय स्थान के बराबर होगा)

(7) शिक्षा-सत्र के आठ माहों में प्रत्येक माह में ली जाने वाली परीक्षा के लिये मूल्याँकन के कुल 10 × 8 = 80 अंक हुए शेष रह गये 20 अंकों के अन्तर्गत मूल्यांकन निम्नलिखित रूप से किया जाय :—

विद्यालय स्तरीय	...	...	...	...	प्रतियोगिता
जिला स्तरीय	...	...	...	...	तदैव
मण्डल स्तरीय	...	...	...	...	तदैव
राज्य स्तरीय	...	...	...	...	तदैव

(8) उपरोक्त प्रतियोगिताओं में भाग लेने तथा उनमें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने के आधार पर आवंटित किया जाय। अंकों का आवंटन निम्न प्रकार किया जाय :—

प्रथम स्थान के लिये	...	...	...	...	5 अंक
द्वितीय स्थान के लिये	...	...	...	...	3 अंक
तृतीय स्थान के लिये	...	...	...	...	2 अंक
बिभिन्न स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये			...	...	1 अंक

इस प्रकार किसी भी छात्र/छात्रा को सभी 4 स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान पाने में अधिकतम 20 अंक प्राप्त होंगे।

11—खेलकूद की मूल्यांकन पद्धति

(1) प्रत्येक माह में ली जाने वाली परीक्षा के अधिकतम 10 अंकों का बटंवारा :—

अभ्यास (उपस्थिति)	...	...	2 अंक	(100 प्रतिशत उपस्थिति होने पर)
खेल भावना	...	...	3 अंक	
उपलब्धि	...	...	5 अंक	(प्रतियोगिता में भाग लेने का ... 1 अंक तथा पूरा करने के लिये 1 अंक-कुल ... 2 अंक)

(2) खेल भावना

जीत में विनम्रता	...	1	3 अंक	प्रतियोगिता में प्रथम स्थान	...	5 अंक
हार में उत्साह	...	1		द्वितीय स्थान	...	4 अंक
अनुशासन	...	1		तृतीय स्थान	...	3 अंक

(3)

i—जुलाई	...	...	दौड़ना	फुटबाल, वालीबाल, तैरना आदि,		
ii—अगस्त	...	...	कूदना			
iii—सितम्बर	...	...	फेंकना			
iv—अक्टूबर	...	...	दौड़ना, कूदना, फेंकना			
v—नवम्बर	...	...	तदैव	हाकी, कुश्ती, वालीबाल, कबड्डी, खो-खो आदि	...	8 × 10 = 80 अंक (अधिकतम)
vi—दिसम्बर	...	...	तदैव			
vii—जनवरी	...	...	तदैव			
viii—फरवरी	...	...	तदैव			

(4)

i—विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता	...	...	प्रत्येक प्रतियोगिता में 20 अंक	...	(अधिकतम)
ii—जिला स्तरीय प्रतियोगिता	...	...	प्रथम स्थान के लिये	...	5 अंक
iii—मण्डल स्तरीय प्रतियोगिता	...	...	द्वितीय स्थान के लिये	...	3 अंक
iv—प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता	...	...	तृतीय स्थान के लिये	...	2 अंक
			प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये	...	1 अंक
			कुल योग	...	100 अंक

5) खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा के प्राप्तांकों को निम्नवत् श्रेणीबद्ध किया जाये :—

60 अथवा 60 से ऊपर	...	...	प्रथम श्रेणी
45 से 59 तक	...	...	द्वितीय श्रेणी

33 से 44 तक ... ... तृतीय श्रेणी

i—अभ्यास प्रत्येक सप्ताह में दो बार तथा मासिक परीक्षा ।

ii—मासिक परीक्षा का परीक्षाफल विद्यार्थी के मूल्यांकन संचयी अभिलेख में दर्ज होगा ।

iii—क्रियान्वयन का दायित्व कक्षा अध्यापक, क्रीड़ा अध्यापक अथवा क्रीड़ा अध्यापक का दायित्व सौंपे गये अध्यापक के सहयोग से ।

iv—विद्यालय की किसी टीम में सम्मिलित होकर खेलना प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बराबर माना जायेगा एवं हाउस टीम में खेलना द्वितीय स्थान के समकक्ष माना जायेगा ।

12—मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख बिन्दु

कार्यानुभव और खेलकूद के इस पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया के कार्यान्वयन के निम्नांकित प्रमुख बिन्दु हैं :—

(1) हर सप्ताह दो वादन (पीरियड) कार्यानुभव के अभ्यास, 2 वादन (पीरियड) खेलकूद । वादन (पीरियड) व्यायाम । वादन (पीरियड) स्काउटिंग/गाइडिंग के आयोजन के होंगे । कार्यानुभव के दो वादन में 1 वादन (पीरियड) विद्यालय के अन्दर कौशल अर्जन का कक्षावार अलग-अलग दिन आयोजित होगा और वादन (पीरियड) सप्ताह में एक निश्चित दिन (शनिवार) विद्यालय के बाहर अलग-अलग कक्षाओं के लिये अलग-अलग स्थानों पर आयोजित होगा । विद्यालय के बाहर के आयोजनों में जनपद स्थित शासन के विभिन्न विकास एवं अन्य विभागों का सहयोग लिया जाना होगा जिसके लिये जिला विद्यालय निरीक्षक को जिला मजिस्ट्रेट अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट (विकास) की अध्यक्षता में एक अंतर्विभागीय बैठक का आयोजन अप्रैल/मई में करा लिया जाय और उसके बाद प्रत्येक त्रैमास में इस प्रकार की बैठकों का आयोजन कर प्रगति मूल्यांकन भी किया जाये ।

(2) विद्यालय का शारीरिक शिक्षा अध्यापक, इस मूल्यांकन व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए संगठन-कर्ता की हैसियत से प्रधानाचार्य की देख-रेख में कार्य करेगा । विद्यालय में शारीरिक शिक्षा के अध्यापक न होने पर इस उत्तरदायित्व को विद्यालय में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों को चलाने वाले अध्यापक, जिसे यह कार्य सौंपा गया है, उत्तरदायी होंगे ।

(3) इस मूल्यांकन के लिये कक्षाध्यापक मुख्य रूप से उत्तरदायी होगा और शारीरिक शिक्षा अध्यापक उसे सहयोग प्रदान करेगा ।

(4) प्रत्येक छात्र/छात्रा के लिए इन कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा ।

(5) प्रत्येक मास में लिये गये परीक्षणों का मूल्यांकन प्रत्येक विद्यार्थी के संचयी अभिलेख में दर्ज किया जायेगा जो हर माह उनके अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा ।

13—गृह प्रणाली

(1) कार्यानुभव तथा खेल-कूद एवं शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रत्येक माध्यमिक तथा जूनियर हाई स्कूल में आवश्यकतानुसार गृह-प्रणाली (House system) का शुभारम्भ किया जाय । इस प्रणाली के अन्तर्गत विद्यालय की छात्र/छात्रा संख्या के आधार पर सभी छात्र/छात्रा को चार अथवा पांच गृहों में विभक्त किया जा सकता है । प्रत्येक का

पृथक-पृथक नामकरण भी किया जाना उचित होगा, यथा-शिवाजी गृह, राणा प्रताप गृह, अभिमन्यु गृह, गुरुनानक गृह आदि। छात्राओं के रानी अहिल्याबाई गृह, मीराबाई गृह आदि। गृह का विभाजन इस भाँति किया जाये कि संस्था के प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक वर्ग में, संस्था में कुल जितने गृह हों सभी का प्रतिनिधित्व हो ताकि प्रत्येक कक्षा और वर्ग में विभिन्न कार्यक्रमों के स्वस्थ प्रतिस्पर्धाएँ आयोजित हो सकें।

(2) प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ आदि स्थान प्राप्त करने वाले गृह को अंक दिये जायें और सत्र के अन्त में जो गृह प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करें उसे पुरस्कृत किया जाये। गृह प्रणाली के सफल संचालन के लिये यह भी आवश्यक है कि विद्यालय के प्रत्येक वर्ग में प्रत्येक गृह के लिये एक "मॉनिटर" चयनित किया जाये इसके नेतृत्व में गृह के छात्र प्रतियोगिता में भाग लेंगे तथा पूरे वर्ग का एक वर्ग "सेक्शन मॉनिटर" चयनित हो जिसका कार्य होगा कि वह यह सुनिश्चत करें कि वर्ग के प्रत्येक गृह के विद्यार्थी प्रत्येक प्रतियोगिता में सम्मिलित हों। यदि किसी कक्षा में एक से अधिक वर्ग नहीं है, तब उस कक्षा में "सेक्शन मॉनिटर" के स्थान पर "क्लास मॉनिटर" चयनित किया जावे। विद्यालय में प्रत्येक गृह का एक "कैप्टन" तथा एक "वाइस कैप्टन" चयनित किया जाय, ये दो छात्र अपने गृह के प्रत्येक कक्षा तथा वर्ग के छात्रों का विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने अथवा सम्मिलित कराने के लिये उत्तरदायी होंगे। संस्थान स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में "हाउस कैप्टन" ही अपने गृह (हाउस) का प्रतिनिधित्व करेंगे। विद्यालय का एक "कालेज कैप्टन" चयनित होगा जो विद्यालय में गृह प्रणाली के संचालन को सुनिश्चित करेगा और जनपद स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में विद्यालय का नेतृत्व करेगा।

(3) प्रत्येक कक्षा तथा वर्ग में कार्यानुभव तथा खेलकूद के लिए जो कक्षाध्यापक/अध्यापक उत्तरदायी होंगे, उन्हीं के मार्गदर्शन में सेक्शन मॉनिटर/क्लास मॉनिटर कार्य करेंगे। विद्यालय के प्रत्येक गृह के लिये एक अध्यापक को इन्चार्ज बनाया जाय, जिनके निर्देशन में हाउस कैप्टन/वाइस कैप्टन कार्य करेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के निर्देशन में "कालेज कैप्टन" कार्य करेगा।

(4) गृह प्रणाली के अन्तर्गत विद्यार्थी पदाधिकारियों की कार्यावधि यथा सम्भव 2 माह की रक्खी जाय ताकि 8 माह की मूल्यांकन अवधि में 4 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रत्येक पद पर नेतृत्व का अनुभव हो सके। यथासम्भव ये पद पढ़ने में, खेलकूद में, स्काउटिंग-गाइडिंग में एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में श्रेष्ठ विद्यार्थियों को दिये जावे चाहिये।

14—मूल्यांकन-कार्य योजना

उपर्युक्त मूल्यांकन व्यवस्था से सम्बन्धित विस्तृत बिवरण तथा मूल्यांकन संचयी अभिलेख के प्रारूप की मुद्रित प्रति संलग्न कर प्रेषित है। बिद्यालय में आयोजित होने वाले पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों के मूल्यांकन को लागू करने के लिये निम्नांकित कार्य योजना तैयार की गयी है :—

1—प्रथम चरण—शैक्षिक सत्र 1987-88 के माह जुलाई 1987 से यह मूल्यांकन व्यवस्था प्रदेश के प्रत्येक राजकीय हाईस्कूल तथा इण्टरमीडियट कालेज (बालक/बालिका) में कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 में लागू की जायेगी तथा राजकीय संस्था के प्रत्येक प्रधानाचार्य तथा प्रधानाचार्या का यह व्यक्तिगत दायित्त्व होगा कि इस अभ्यास और मूल्यांकन व्यवस्था को लागू करायें।

i—अशासकीय हाईस्कूल/इण्टरमीडियट कालेज के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के लिए इस अभ्यास और मूल्यांकन व्यवस्था को आगामी सत्र 1987-88 से लागू करना स्वैच्छिक होगा। प्रत्येक अशासकीय विद्यालय के

प्रधानाचार्य का दायित्व होगा कि वे इस अभ्यास और मूल्यांकन व्यवस्था को लागू करने के सत्रावधि से जिला विद्यालय निरीक्षक को सूचित करेंगे।

उक्त अभ्यास और मूल्यांकन व्यवस्था लागू करने के उपरान्त हाईस्कूल एवं इण्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के प्रमाण-पत्र में छात्र/छात्रा की उपलब्धि का उल्लेख किये जाने के विषय में कालान्तर में निर्णय लिया जायेगा।

द्वितीय चरण :—i—अशासकीय हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज जब इस अभ्यास और मूल्यांकन व्यवस्था को अपनी संस्था में लागू करेंगे तो सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् के लिए उन्हें एक आवेदन-पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से देना होगा कि उनकी संस्था में विद्यालय में आयोजित होने वाले पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों के अभ्यास और मूल्यांकन की व्यवस्था लागू कर दी गयी है। इसे सुनिश्चित करने के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद् का एक पैनल संस्था का भ्रमण कर, अपनी आख्या माध्यमिक शिक्षा परिषद् को प्रस्तुत करेगा।

ii—पैनल द्वारा आख्या उपलब्ध कराये जाने पर परिषद् के निर्णय लेने पर ही उक्त संस्था के परीक्षार्थियों के हाईस्कूल एवं इण्टर के प्रमाण-पत्र में कार्यानुभव तथा खेल-कूद की उपलब्धि का उल्लेख किये जाने के विषय में निर्णय लिया जायेगा।

iii—यह प्रयास किया जाना चाहिए कि शैक्षिक सत्र 1988-89 में अभ्यास और मूल्यांकन की यह व्यवस्था यथासम्भव प्रदेश के समस्त अशासकीय विद्यालयों में भी लागू की जाये।

iv—प्रदेश के जूनियर हाईस्कूलों में इस मूल्यांकन प्रक्रिया को लागू करना फिलहाल पूर्ण रूप से स्वैच्छिक रहेगा। जब भी किसी जूनियर हाईस्कूल के उच्चीकरण करने का प्रश्न विचाराधीन होगा तब यह अवश्य देखा जायेगा कि कार्यानुभव एवं खेल-कूद के मूल्यांकन के सम्बन्ध में उस विद्यालय की व्यवस्था सन्तोषप्रद है अथवा नहीं, जिसके आधार पर विद्यालय के उच्चीकरण के प्रश्न पर निर्णय लिया जा सकेगा।

v—प्रदेश के ऐसे अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को प्रतिवर्ष रु० 1.00 लाख की दर से प्रोत्साहन अनुदान दिया जाता है जो विभिन्न मानकों के आधार पर उत्कृष्ट पाये जाते हैं। उत्कृष्ट अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को प्रोत्साहन अनुदान देने के लिए प्रस्तावित मूल्यांकन व्यवस्था को लागू करना एक आवश्यक शर्त होगी।

कार्यानुभव तथा खेलकूद का मूल्यांकन
(संचयी अभिलेख)

सत्र..........................

विद्यालय..

छात्र से सम्बन्धित सूचनाएँ :

(1) **सामान्य :**

नाम..जन्म तिथि..

पिता/अभिभावक का नाम..

व्यवसाय तथा आर्थिक स्थिति...अच्छी/अच्छी नहीं

पत्र व्यवहार का पता..

कक्षा.. वर्ग..

छात्र पंजिका संख्या (एस० आर० संख्या)..

(2) **स्वास्थ्य सम्बन्धी :**

(i) भार...................... (ii) ऊँचाई...................... (iii) स्वास्थ्य : उत्तम/सामान्य/खराब

(3) **व्यक्तित्व सम्बन्धी :**

	अति उत्तम	उत्तम	सामान्य
(i) आत्म विश्वास			
(ii) शिष्टाचार			
(iii) श्रमशीलता			
(iv) सहयोग			
(v) नेतृत्व			
(vi) सृजनात्मकता			

(4) **रुचियाँ :**

बाह्य क्रिया कलाप/यान्त्रिक/गणितीय/लिपिकीय/साहित्यिक/खेलकूद/कलात्मक/संगीत/सामाजिक सेवा/या अन्य रुचि (लिखिये)।

(क) मासिक मूल्यांकन

माह	कार्यानुभव								खेलकूद										
	अभ्यास कार्य				उपलब्धि				सतत् अभ्यास		खेल भावना			उपलब्धि					योग
	उपस्थिति	अभिप्रेरणा	सहभागिता	अनुशासन	उत्कृष्टता	मौलिकता	श्रमशीलता	योग	उपस्थिति	सहभागिता	जीत में नम्रता	हार में उत्साह	अनुशासन	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	प्रतियोगिता में भाग लिया एवं पूर्ण किया		
	1 अंक	1 अंक	1 अंक	1 अंक	2 अंक	2 अंक	2 अंक	10 अंक	1 अंक	1 अंक	1 अंक	1 अंक	1 अंक	5 अंक	4 अंक	3 अंक	2 अंक		10 अंक
1. जुलाई																			
2. अगस्त																			
3. सितम्बर																			
4. अक्टूबर																			
5. नवम्बर																			
6. दिसम्बर																			
7. जनवरी																			
8. फरवरी																			
योग																			

(ख) वार्षिक मूल्यांकन (20 अंक)

	प्राप्तांक
(i) कार्यानुभव	
(ii) खेलकूद	

(ग) मासिक तथा वार्षिक मूल्यांकन योग तथा श्रेणी

पूर्णांक	कार्यानुभव	खेलकूद
मासिक (80)		
वार्षिक (20)		
योग (100)		

श्रेणी	कार्यानुभव	खेलकूद
प्रथम		
द्वितीय		
तृतीय		

जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी

(घ) (i) प्रभारी अध्यापक का नाम..........हस्ताक्षर

(ii) अभिभावक का नाम................हस्ताक्षर

प्रधानाचार्या/प्रधानाचार्य

नाम तथा हस्ताक्षर

विद्यालय की मुहर

टिप्पणी—(1) क्रम 'ग' के स्तम्भों की प्रविष्टियाँ माह फरवरी तक मासिक तथा वार्षिक मूल्यांकन पूर्ण हो जाने पर की जायें।

(2) श्रेणी का उल्लेख शब्दों में किया जाय। शेष खण्डों में क्रास (×) लगा दिया जाय। श्रेणी का निर्धारण निम्नवत् प्राप्तांक पर आधारित होगा—

60 अथवा 60 से अधिक	...	प्रथम श्रेणी
45 से 59 तक	...	द्वितीय श्रेणी
33 से 44 तक	...	तृतीय श्रेणी

(3) प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में प्रभारी अध्यापक पिछले माह के मासिक मूल्यांकन की प्रविष्टि कर विद्यार्थी को देंगे तथा विद्यार्थी अभिभावक के हस्ताक्षर कराकर संचयी अभिलेख दूसरे दिन प्रभारी अध्यापक के पास जमा कर देंगे। प्रति माह यह कार्य 10 तारीख तक अवश्य पूरा किया जाय।

(4) संचयी अभिलेख की छपाई कक्षा 6, 7 तथा 8 के लिए लाल रंग में, कक्षा 9 तथा 10 के लिए मैरून रंग में और कक्षा 11 तथा 12 के लिए नीले रंग में करायी जाय।

(5) प्रथम पृष्ठ की सभी सूचनाओं की प्रविष्टि प्रभारी अध्यापक द्वारा की जायेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी/अच्छी नहीं के लिये शिक्षक अपनी सामान्य जानकारी के आधार पर करेंगे।

(6) छात्र के व्यक्तित्व सम्बन्धी मूल्यांकन की प्रविष्टि वार्षिक मूल्यांकन पूर्ण हो जाने पर जब क्रम (ग) के स्तम्भों की प्रविष्टि की जाय, उस समय किया जाय। उपयुक्त खण्ड में ( ) का चिह्न लगाया जाय। शेष खण्डों में क्रास (×) लगा दिया जाय।

(7) छात्र की रुचि अथवा रुचियों का मूल्यांकन प्रभारी अध्यापक वार्षिक मूल्यांकन के साथ करेंगे। छात्र की उपयुक्त रुचि/रुचियों पर ( ) चिह्न लगाया जाय। अंकित के अतिरिक्त रुचि दृष्टिगोचर होने पर उसे उल्लिखित किया जाय।

(8) संचयी अभिलेख के लिए 17" × 27" आकार में 8.9 kg. भार का सफेद कागज प्रयोग में लाया जाय।

———

मॉड्यूल

प्रारम्भिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा–विज्ञान किट का उपयोग

भूमिका

वर्तमान युग में विज्ञान के ज्ञान क्षेत्र का विस्तार बहुत द्रुत गति से हो रहा है और इसमें नवीन सम्बोधों एवं आयामों का समावेश भी हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया है। आज के युग में विज्ञान की विषय-वस्तु की अपेक्षा इसका क्रिया पक्ष अधिक महत्त्वपूर्ण है। अतः विज्ञान शिक्षण क्रिया आधारित होना चाहिए। पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री के समुचित प्रयोग द्वारा विज्ञान शिक्षण अधिक रोचक, प्रभावी एवं बोधगम्य हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर ही बालकों में वैज्ञानिक अभिरुचि उत्पन्न करने, पर्यावरण को समझने, क्यों और कैसे तथा स्वयं करके सीखने एवं प्रेक्षण क्षमता विकसित करने पर विशेष बल अपेक्षित है।

इस समय सम्पूर्ण प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण विज्ञान की राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से किया जा रहा है। विज्ञान पाठ्यक्रम से सम्बन्धित प्रयोगों को बालक स्वयं प्रदर्शित कर सके तथा अध्यापक इन्हें समझा सके, इसके लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा विज्ञान किटों का निर्माण किया गया है जो प्रदेश में सभी जनपदों के कतिपय प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध हैं। विज्ञान किट एक प्रकार की मिनी (छोटी) प्रयोगशाला है जिसके माध्यम से विज्ञान पाठ्यक्रम से सम्बन्धित प्रयोगों को प्रदर्शित किया जा सकता है। विज्ञान किट एक 'बाक्स' है जिसके अन्दर निर्धारित संख्या में वैज्ञानिक उपकरण एवं सामग्री सुरक्षित ढंग से रखी रहती है और जिनकी सहायता से कहीं भी कक्षा में प्रयोग प्रदर्शन सम्भव हैं, क्योंकि हल्की होने के कारण इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है।

प्राइमरी विज्ञान किट की सहायता से प्रयोग प्रदर्शन हेतु विज्ञान संस्थान द्वारा प्राइमरी "विज्ञान किट गाइड" को उन विद्यालयों में जहाँ विज्ञान किट उपलब्ध है, मण्डलीय विज्ञान प्रगति अधिकारियों के माध्यम से वितरित कराया गया है विज्ञान किट गाइड में विज्ञान किट में रखी वस्तुओं की सूची का विवरण, उपकरण का चित्र, उपयोग तथा प्रयोग प्रदर्शन हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये है। इन्हें पढ़ें, और समझने का प्रयास करें। उसकी एक सूची कक्षानुसार संलग्न की जा रही है।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप समझ सकेंगे :—

—कि किस प्रकार वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को दैनिक जीवन और पर्यावरण से जोड़ा जा सकता है।

—कक्षानुसार विज्ञान किट में दिये गए उपकरणों एवं अभिकारकों की सूची से परिचित हो सकेंगे एवं उनके उपयोग की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

—विद्यार्थियों को वैज्ञानिक प्रयोगों को स्वयं कर सकने में सहायता कर सकेंगे।

—प्रयोगात्मक कार्यों के आधार पर वैज्ञानिक सम्बोधों के निर्माण एवं सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण से शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बना सकेंगे।

कार्यकलाप

विज्ञान किट की उपयोगित पर अपने विचार प्रस्तुत करिये	एकत्र करिये मिलाइये चर्चा करिए

प्राइमरी विज्ञान किट की वस्तुओं का विवरण

क्रमांक	वस्तुओं के नाम			परिमाण
1—सामान्य वस्तुयें—				
1	एल्युमिनियम की कटोरी, 100 मिमी व्यास × 45 मिमी ऊँचाई	...	...	1
	एल्युमिनियम की कटोरी, 140 मिमी व्यास × 40 मिमी ऊँचाई	...	...	1
2	रबड़ गेंद 80 मिमी व्यास	...	...	1
	रबड़ गेंद 50 मिमी व्यास	...	...	1
3	बीकर, 250 घन सेमी कांच	...	...	1
	वीकर 100 घन सेमी पालीथीन	...	...	1
4	टेस्ट ट्यूब 150 मिमी × 25 मिमी	...	...	1
5	दिक्सूचक सूई (कुतुबनुमा)	...	...	1
6	विद्युत् चक्र बोर्ड, बैटरी, बल्ब, कुन्जी तथा मोटर स्टैंड सहित		...	1
7	तांबे का तार	...	...	1 मी०
8	फुटबाल पम्प	...	...	1
9	कांच की गोलियाँ	...	...	50
10	कांच का जार	...	...	1
11	कांच की छड़	...	...	1
12	हाथ का पंखा	...	...	1
13	अभिवर्धक लैंस	...	...	1
14	80 मिमी × 80 मिमी वर्ग खुले भाग सहित धातु की शीट		...	1
15	लाल व नीला आयताकार वर्तन	...	...	1 प्रत्येक
16	कलेक्शन जाली	...	...	1
17	छड़ चुम्बक रक्षक के सहित	...	...	1 जोड़ा
18	नपना गिलास 100 घन सेमी	...	...	1
19	एल्यूमिनियम की नली	...	...	3
20	लोहे की कील 130 मिमी	...	...	2
21	सूचिकायें	...	...	2
22	प्लास्टिक फ्रेम में समतल दर्पण	...	...	1
23	कंघा	...	...	1
24	कीप	...	...	1
25	प्लास्टिक की नली	...	...	1 मी०

क्रमांक	वस्तुओं के नाम			परिमाण
26	गिलास	...	...	2
27	पिचकारी (पारदर्शक प्लास्टिक)	...	...	1
28	पालीथीन के थैले 100 मिमी × 120 मिमी	...	...	3
	105 मिमी × 230 मिमी	...	...	3
29	घिरनी	...	...	1
30	क्रमांक 4 के लिये रबड़ कार्क	...	...	2
31	क्रमांक 36 के लिये रबड़ कार्क	...	...	3
32	पैमाना (1/2 मीटर, लकड़ी)	...	...	1
33	छलनी	...	...	1
34	लैम्प (मिट्टी का तेल)	...	...	1
35	स्प्रिंग तुला 1/2 किग्रा	...	...	1
36	टेस्टट्यूब (परखनली) 15 मिमी × 125 मिमी		...	6
37	प्लास्टिक आधार पर तापमापी	...	...	1
38	डाक्टरी तापमापी	...	...	1
39	टार्च	...	...	1
40	तार की जाली सहित तिपाई	...	...	1
41	जल चक्र	...	...	1
42	बेज	...	...	1
43	वायु दिकदर्शी (स्टेंड सहित)	...	...	1
44	भार 1 किग्रा	...	...	1
45	एम० एस० तार 2 मिमी व्यास × 200 मिमी लम्बा		...	1
46	समान आयतन के घन के सेट	...	...	
47	पैन स्प्रिंग तुला 2 किग्रा	...	...	1
48	घिरनी सहित डी० सी० मोटर	...	...	1
49	जल पम्प (रबड़ नली सहित)	...	...	1
50	दर्जी का फीता	...	...	1
51	राक नमूना	...	...	3
52	और नमूने	...	...	2
53	खोखला डेसिमी घन वर्तन	...	...	1
54	सेमी घन	...	...	8
55	डेसिमी वर्ग शीट	...	...	1

क्रमांक	वस्तुओं के नाम			परिमाण
	II—औजार			
1	तिकोनी रेती	...	...	1
2	पंजे वाला हथौड़ा	...	...	1
3	हैण्ड ड्रिल	...	...	1
4	चाकू	...	...	1
5	प्लायर्स	...	...	1
6	टेनन आरी	...	...	1
7	टिन कैंची	...	...	1
8	पेंचकस	...	...	1
9	ड्रिलसेठ 3, 4, 5, 6 मिमी	...	...	1 सेट
10	छेनी (धातु के लिये)	...	...	1
	III—कन्जूमेबुल			
1	सोख्ता	...	...	2 शीट
2	मोमबत्ती	...	...	12
3	दफ्ती	...	...	1
4	धागा	...	...	1 रील
5	सेलोफेन शीट	...	...	1 शीट
6	लोहे की कीले	...	...	20 प्रत्येक
7	ड्राइंग पिन	...	...	2 दर्जन
8	प्लास्टिसीन	...	...	50 ग्राम
9	रबर गुब्बारा	...	...	1 दर्जन
10	रबर वैन्ड्स	...	...	2 दर्जन
11	बालू कागज नं० 0	...	...	1 शीट
12	लाख	...	...	2 छड़ (50 ग्राम)
13	तिनके स्ट्रा (नली)	...	...	1 दर्जन
14	स्टील तार	...	...	1 मीटर
15	बोतल (गोंद)	...	...	1
	IV—रसायनिक पदार्थ			
1	कैल्शियम सुपर फास्फेट	...	...	250 ग्राम
2	अमोनिय सल्फेट	...	...	250 ग्राम
3	कास्टिक सोडा	...	...	250 ग्राम

क्रमांक	वस्तुओं के नाम			परिमाण
4	क्युप्रिक सल्फेट	...	...	100 ग्राम
5	ग्लिसरीन	...	...	10 ग्राम
6	कामन साल्ट (रवा)	...	...	100 ग्राम
7	पोटेशियम परमैंगनेट	...	...	25 ग्राम
8	चीनी रवा	...	...	100 ग्राम
9	वैसलीन	...	...	100 ग्राम
10	वाशिंग सोडा	...	...	100 ग्राम
	किट बाक्स (उपर्युक्त) के हेतु	...	...	1

कक्षा—३

(1) उद्देश्य : छात्रों को समझाना कि पृथ्वी गोल है तो चपटी क्यों दिखाई देती है ?

सामग्री : फुटबाल या गोल पेंदी का घड़ा, २५ पैसे का सिक्का; छोटी गेंद (किट से) ।

क्रिया-कलाप—छात्र सिक्के को छोटी गेंद के ऊपर रख कर देखें कि सिक्का, गेंद के तल पर पूरा चिपकता है या नहीं । तत्पश्चात सिक्के को फुटबाल या घड़े के तल पर रख कर देखें ।

प्रेक्षण—(1) छोटी गेंद के तल से सिक्के के किनारे कितना अलग रहते हैं ।

(2) फुटबाल या घड़े के तल से सिक्के के किनारे कितना अलग रहते है ।

प्रश्न :—(1) क्या सिक्का छोटी गेंद पर पूरा चिपक जाता है ?

(2) फुटवाल पर सिक्का कितना चिपकता है ?

(3) गेंद और फुटबाल की आकृति कैसी है ?

(4) सिक्का चपटा है या गोलाकार ?

(5) छोटी गेंद पर सिक्का पूरा नहीं चिपकता पर फुटबाल पर पूरा चिपक जाता है । दोनों ही गोल हैं। फिर फुटबाल पर चपटा सिक्का कैसे चिपका दिखायी देता है ?

निष्कर्ष—गेंद की अपेक्षा फुटबाल बड़ी है अत: उस पर चपटा सिक्का लगभग पूरा चिपक जाता है । इसी प्रकार बहुत बड़ा होने के कारण गोल पृथ्वी भी चपटी दिखायी देती है ।

अतिरिक्त ज्ञान—यदि दो सिक्के लेकर गेंद और फुटबाल से उनके चिपकने के प्रेक्षण एक साथ कराये जांय तो छात्र अधिक सुविधा से तुलना कर सकेंगे ।

किसी वस्तु के चारों ओर, बिना पीछे मुड़े पूरा घूमकर उसी जगह पहुंच जाना, वस्तु के गोल होने का कोई प्रमाण नहीं है । किसी भी आकृति (अण्डाकार, बेलनाकार, आयताकार, शंकु के आकार की आदि) की वस्तु के तल पर बिना पीछे मुड़े, चारों ओर घूमा जा सकता है । पृथ्वी की गोलाकार आकृति का निश्चयात्मक प्रमाण वे चित्र हैं जो अन्तरिक्ष यानों से लिये हैं ।

(2) **उद्देश्य:—छात्रों को समझाना कि दिन-रात कैसे होते हैं ?** सामग्री—गेंद, टार्च (किट से)।

क्रिया-कलाप—(1) अंधेरे कमरे में गेंद को मेज पर रख कर एक छात्र टॉर्च से गेंद पर प्रकाश डाले। छात्र यह देखें कि गेंद के किस भाग पर प्रकाश एवं किस भाग पर अंधेरा है। गेंद के प्रकाश वाले भाग में भारत तथा अंधेरे भाग में अमेरिका लिखा कागज चपका दें।

(2) दूसरा छात्र गेंद को धीरे-धीरे दाहिनी ओर से बायीं ओर घुमाये और दिखायें कि भारत में प्रभात पहले कलकत्ते में होता है और बाद में दिल्ली में।

प्रेक्षण एवं प्रश्न :—

(1) क्या गेंद के पूरे तल पर प्रकाश है ?

(2) गेंद के किस भाग पर प्रकाश और किस भाग पर अंधेरा है ?

(3) पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ रात होती है या दिन ?

(4) जहाँ रात होती है, क्या वहाँ सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है ?

(5) गेंद के किस भाग में दिन और किस भाग में रात है ?

(6) गेंद के घुमाने पर क्या देखते हो ?

(7) गेंद को आधा चक्कर घुमाकर पूछिये कि अब किस भाग में दिन तथा किस भाग में रात हो गयी ?

निष्कर्ष :—(1) पृथ्वी के जिस आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ 'दिन' और जिस आधे भाग में प्रकाश न पहुंचने के कारण अंधेरा रहता है, वहाँ रात होती है। चूंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूमती रहती है; जिससे किसी स्थान पर दिन के बाद रात तथा रात के बाद दिन होता रहता है।

(3) उद्देश्य—ठोस, द्रव तथा गैस के आकार व आयतत का ज्ञान कराना।

सामग्री—लकड़ी तथा पत्थर आदि के टुकड़े, विभिन्न आकार के गुब्बारे, कांच की पतली नली अथवा अन्य कोई नलिका, पानी, स्याही या पोटैशियम परमैगनेट (किट से)।

क्रिया-कलाप—(i) लकड़ी, पत्थर आदि के टुकड़े को विभिन्न स्थानों पर रखें। फिर उन्हें विभिन्न आकृति के पात्रों में रखें।

(ii) कुछ पानी स्याही या पोटैशियम परमैगनेट से रंगीन बनाकर उसकी एक निश्चित मात्रा विभिन्न आकृति वाले काँच के पात्रों में डालें।

(iii) दो विभिन्न आकार व आकृति वाले गुब्बारे लें। एक गुब्बारे का मुंह नालिका के एक सिरे से बाँध दें। फिर नालिका के दूसरे सिरे से मुंह से फूंक कर गुब्बारे को फुला दें। गुब्बारे की हवा को रोकने के लिए उसके मुंह के पास मोड़ दें। तत्पश्चात् नालिका के दूसरे सिरे पर दूसरा गुब्बारा बाँध दें। फिर पहले गुब्बारे की हवा दबा कर दूसरे गुब्बारे में डालें तथा विभिन्न आकार तथा आकृति बनायें।

निर्देश—ठोस तथा द्रव पदार्थों की विभिन्न आकार के, पात्रों में रख कर दिखलाया जाय, गैस के अनिश्चित आकार तथा आयतन के लिए विभिन्न आकार के गुब्बारों को फुलाकर काम में लाया जाय। धुआँ रोकना और फैलना दिखाइये।

प्रेक्षण—(i) पत्थर के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

(ii) द्रव का आकार बर्तन के आकार के अनुरूप हो जाता है।

(iii) समान मात्रा की हवा होने पर भी गुब्बारों का आकार भिन्न हैं।

प्रश्न— (i) क्या पत्थर के टुकड़े का आकार बदल गया है ? (नहीं)

(ii) क्या विभिन्न बर्तनों में पानी का आकार समान है ? (नहीं)

(iii) विभिन्न बर्तनों में क्या हमने समान मात्रा का पानी डाला था ? (हां, पानी की मात्रा समान थी)

निष्कर्ष—(i) ठोसों का आकार नहीं बदलता। (ii) द्रव का आकार बर्तन के आकार जैसा हो जाता है। ((iii) गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता है।

4 उद्देश्य :—

1—यह ज्ञात करना कि मिट्टी के कण भिन्न-भिन्न आकार के होते हैं :

सामग्री :—सफेद कागज, बाग या खेत की मिट्टी, आवश्यक लेंस (कट से)

क्रिया-कलाप—मिट्टी के नमूने को सफेद कागज पर रखें और छात्रों से कहें कि आवर्धक लेंस से मिट्टी की परीक्षा करें।

प्रश्न 1—मिट्टी के कणों में क्या अन्तर देखते हो। (कुछ कण छोटे तथा कुछ कण बड़े) :

छात्रों से कहें कि वह थोड़ी सी मिट्टी लेकर छलनी से छाने और छने तथा बिना छने मिट्टी के कणों का निरीक्षण करें।

प्रश्न 2—छनी मिट्टी के कण कैसे हैं ? (छोटे)

प्रश्न 3—बिना छने मिट्टी के कण कैसे हैं ? (बड़े)

निष्कर्ष—मिट्टी में छोटे और बड़े आकार के कण होते हैं।

निर्देश—सभी बच्चों से बार-बार आवर्धक लेंस से मिट्टी के कण देखने का अभ्यास करायें।

5 उद्देश्य—यह ज्ञात करना कि मिटटी शें कई प्रकार के अंश होते हैं।

सामग्री—शीशे का गिलास, पानी, खेत या बाग को मिट्टी।

क्रिया-कलाप—काँच के गिलास में कुछ मिट्टी रखकर उसमें ऊपर तक पानी भर दें। पानी को चम्मच से हिला कर पुनः शान्त छोड़ दें। छात्रों से पानी का निरीक्षण करने को कहा जाय।

प्रश्न 1—पानी में छोड़ी गई मिट्टी का क्या हुआ ? (मिट्टी नीचे बैठ गई।)

प्रश्न 2—पानी मटमैला क्यों दिखाई देता है ? (मिट्टी के छोटे कण लटके रहने से

प्रश्न 3—पानी के ऊपर किस रंग की मिट्टी तैरती दिखाई देती है ? (काली, भूरी)।

प्रश्न 4—पानी के तल पर मिट्टी के कैसे कण हैं ? (बड़े कण)

प्रश्न 5—मिट्टी कितने प्रकार के कणों से बनी है ? (बड़े कण, छोटे कण, काला भूरा अंश)।

निष्कर्ष—मिट्टी में छोटे तथा बड़े कण तथा भूरा अंश होता है ?

कक्षा—3

6 उद्देश्य—ठोस, द्रव और गैस पदार्थों में अन्तर का ज्ञान कराना।

सामग्री—पत्थर के टुकड़े, लोहे तथा लकड़ी आदि के टुकड़े, बाल्टी, गिलास, पानी।

क्रिया-कलाप—(i) बालकों से कहा जाय कि वे अपनी उंगली पानी भरे बाल्टी में डुबायें और फिर उसी भांति उगली को पत्थर के टुकड़े में डालने का प्रयास करें।

(ii) पानी से भरे गिलास को थोड़ा तिरछा करके थोड़ा सा पानी बाहर निकालें, फिर इसी प्रकार पत्थर के टुकड़े को हाथ से पकड़ कर तिरछा करें।

(iii) बालक से कहा जाय कि हवा में हाथ घुमायें फिर हाथ को पानी से भरें; बाल्टी में डालकर घुमाने को कहा जाय।

(iv) थोड़ा सा पानी जमीन (फर्श पर डालें, फिर पत्थर या अन्य कोई ठोस के टुकड़े को मेज पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर रखें।

प्रेक्षण—(i) पानी में उंगली प्रवेश कर जाती है, परन्तु पत्थर पर यह क्रिया नही हो पाती है। पत्थर में प्रवेश नहीं कर पाती।

(ii) पानी का थोड़ा सा भाग बहा कर अलग कर सकते हैं। परन्तु पत्थर के टुकड़े पर यह क्रिया नहीं हो सकती।

(iii) हवा में हाथ घुमाना आसान हैं, परन्तु पानी में इतनी आसानी से हाथ नहीं घुमाया जा सकता है।

(iv) पानी बहने लगता है; पत्थर का टुकड़ा बहता नहीं है।

प्रश्न—(i) क्या बाल्टी के पानी के अन्दर उंगली चली गई ? (हाँ, पानी में उंगली चली जाती है)।

(ii) क्या इसी प्रकार पत्थर के टुकड़े में भी उंगली डाली जा सकती है ? (नही, पत्थर के टुकड़े में उंगली नहीं डाली जा सकती है)।

(iii) हवा में हाथ घुमाना आसान है अथवा पानी में ? (हवा में)

(iv) क्या पानी की तरह पत्थर के टुकड़े का थोड़ा सा भाग बहाकर अलग किया जा सकता है ? (नहीं, पानी की तरह पत्थर के टुकड़े का कुछ भाग बहाकर अलग नहीं किया जा सकता है)।

(7) उद्देश्य—सजीव वस्तुओं के लक्षणों से अवगत कराना।

(क) सजीव वस्तु—गति करती है।

चींटी, छिपकली, मनुष्य, गाय, भैंस, बिल्ली, खरगोश, लोमड़ी, कुत्ता चलते हैं। मक्खी, तितली, चिड़िया उड़ती हैं। फूल खिलते हैं। बीज अंकुरित होते हैं। इनकां निरीक्षण ध्यान पूर्वक करायें तथा बतायें यह सब सजीव हैं। पर्यावरण में (प्रमाण) के सियाटोरा कमल, लिली, छुई मुई खट्टी-बूट्टी के पौधों का निरीक्षण करायें जिनकी पत्तियाँ अथवा पुष्प की पखुड़ियाँ दिन में खुली रहती हैं तथा रात में वन्द हो जाती हैं। पत्थर, लोहा मकान, कलम आदि नहीं चलते इसलिये निर्जीव हैं।

(ख) सजीव बढ़ते हैं—बच्चा के जूते तथा कपड़े छोटे हो जाते हैं क्योंकि बच्चे सभी के स्वयं बढ़ते हैं। पौधों की भाँति सभी सजीवों में वृद्धि होती है।

कुत्ते के बच्चे, बकरी के बच्चे, चूजे (मुर्गी के बच्चे) पौधे, पेड़ धीरे-धीरे बढ़ते हैं। एक डिब्बे नें मिट्टी या लकड़ी का बुरादा भर कर बीजों का अंकुरित होना छात्रों को दिखाइये। निर्जीव वस्तु, लकड़ी, मेज मकान, पत्थर जिस आकार के हैं उसी के बने रहते हैं।

(ग) सजीव भोजन करने हैं—विभिन्न जीवों का भोजन भिन्न-भिन्न होता हैं। भोजन करने का ढंग अलग-अलग होता है। (चबाकर, झपट कर, चुग कर, चूस कर) मनुष्य, बच्चे, बकरी, बिल्ली, मुर्गी, पक्षी, चूहे

गिलहरी, कौआ सभी भोजन करते हैं। बच्चों से पूछें कि कौन क्या खाता है ? तालिका बनाये कि कौन क्या खाता है। जन्तुओं को मांसाहारी तथा शाकाहारी में वर्गीकृत करायें।

(घ) सजीव-साँस लेते हैं—

विल्ली, कुत्ता, बच्चे, मनुष्य जब साँस लेते हों तो बालकों को निरीक्षण कराइये कि छाती क्यों बार-बार फूलती पिचकती हैं।

साँस बाहर निकलते समय बच्चे नाक के आगे हथेली रखकर अनुभव करें कि साँस छोड़ते समय हवा बाहर निकलती है। बाहर निकलने वाली हवा में कार्बनडाई आक्साइड या जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है।

टेस्ट ट्यूब में चूने का पानी भरकर अंकुरित होने वाले बीजों से निकलने वाली गैस को नली के द्वारा चूने के पानी में प्रवाहित कीजिये, कुछ देर बाद चूने का पानी दूधिया हो जाता है। उगते हुये बीज सांस लेते हैं; तथा कार्बनडाई आक्साइड गैस निकालते है। कार्बनडाई आक्साइड गैस स्वच्छ चूने के पानी में मिलकर उसे सफेद दूधिया रंग का कर देता है।

अब ताजा स्वच्छ चूने का पानी टेस्टट्यूब में लीजिये तथा खोखली नली (नरकुल या कांच की) के द्वारा फेफड़ों से निकलने वाली हवा को, चूने के पानी में प्रवाहित कीजिये। कुछ देर में चूने का पानी दूधिया हो जायेगा।

जिस प्रकार मनुष्य सांस लेते हैं उसी प्रकार अंकुरित होने वाले बीज भी, साँस लेते हैं। पत्तियाँ भी साँस लेती हैं।

(8) उद्देश्य—छात्रों को समझाना कि भोजन का चबाना पाचन में कैसे सहायक है ?

क्रियाकलाप—अध्यापक कक्षा में एक छात्र को बुलाकर रोटी के टुकड़े को देकर चबाने को कहेगा छात्र रोटी के टुकड़े को 5 मिनट तक चबाता रहे।

प्रश्न—1—तुम्हारे दातों ने रोटी के टुकड़े पर क्या कार्य किया ? उत्तर—रोटी के टुकड़े को छोटे-छोटे टुकड़ों में बदल दिया।

प्रश्न—2—तुम्हारे मुँह के लार ने रोटी पर क्या काम किया ?

उत्तर—उसको मुलायम कर दिया।

प्रश्न—3—रोटी को देर तक चबाने पर उसका स्वाद कैसा हो गया ?

उत्तर—मीठा हो गया।

प्रश्न—4—रोटी का स्वाद मीठा क्यों हो गया है ?

उत्तर—अध्यापक द्वारा स्पष्टीकरण—

शिक्षक—हमारे दाँत रोटी के टुकड़ों को छोटे-छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं और मुंह से लार (रस) रोटी के मण्ड को आंशिक चीनी में बदल देता हैं, इस कारण रोटी का स्वाद मीठा हो गया।

निष्कर्ष—लार (रस) रोटी के मंड को शकर (चीनी) में बदल देता है वह शर्करा घुलनशील होती है। जो रक्त में अवशोषित हो जाती है। इस प्रकार मंड का आंशिक पाचन हो जाता है।

(9) उद्देश्य—हृदय की धड़कन को गति ज्ञात करना।

क्रियाकलाप—अध्यापक कक्षा के दो छात्रों को बुलाकर उन्हें एक से दूसरे की छाती पर बायीं ओर कान लगाकर सुनने को कहेगा।

प्रश्न—क्या उसे कुछ सुनायी दे रहा है ? उत्तर—धक-धक की आवाज आ रही है ।

प्रश्न—धक-धक की आवाज कौन सा अंग करता है ? उत्तर—धक-धक की आवाज हमारा हृदय करता है।

(यदि छात्र उत्तर न दे सकें तो अध्यापक द्वारा बताया जाय)

शिक्षक—छाती में धक-धक की आवाज हमारा हृदय करता है ।

निर्देश—अध्यापक छात्रों से एक मिनट में हृदय की धड़कनें गिनने के लिए 'आरम्भ' और 'समाप्त' कह कर एक मिनट की अवधि का समय बताएँगे ।

प्रश्न—एक मिनट में हृदय कितनी बार धड़कन कर रहा है ? उत्तर—हृदय 75 धड़कनें कर रहा है ।

निष्कर्ष—मनुष्य का हृदय आराम की अवस्था में लगभग 75 धड़कन एक मिनट में करता हैं ।

(10) उद्देश्य—नाड़ी की धड़कन की संख्या प्रति मिनट ज्ञात करना ।

क्रियाकलाप—अध्यापक कक्षा के दो छात्रों को बुलाकर एक दूसरे के हाथ की कलाई पर अंगुलियाँ रखने को कहेगा ।

प्रश्न—हाथ की कलाई पर अंगुलियाँ रखने पर तुम्हें क्या महसूस हो रहा है ?

उत्तर—नाड़ी की धड़कन महसूस हो रही है ।

निर्देश—अध्यापक स्वयं छात्रों को नाड़ी की स्थिति बताकर तथा एक मिनट में नाड़ी की धड़कन गिनने के लिये 'आरम्भ' और 'समाप्त' कह कर समय बताएगा ।

प्रश्न—नाड़ी एक मिनट में कितनी बार धड़कती है ? उत्तर—नाड़ी एक बार में 75 बार धड़कती है ।

प्रश्न—क्या हृदय और नाड़ी की धड़कन की संख्या बराबर है ? उत्तर—हाँ

शिक्षक—हृदय और नाड़ी की धड़कन बराबर होती है और उनकी संख्या स्वस्थ मनुष्य में लगभग 75 धड़कन एक मिनट में होती है । एक लड़के की आराम की अवस्था में एक मिनट में हृदय की धड़कन गिनवाकर तथा उसे दौड़ाने के बाद प्रति मिनट हृदय की धड़कन गिनवाकर स्पष्ट करें कि आराम की अपेक्षा दौड़ने के बाद हृदय की धड़कनों की संख्या बढ़ जाती है ।

(11) उद्देश्य—पौधों की विविधता से परिचित कराना :—

क्रिया-कलाप—पर्यावरण में उपस्थित पौधों का प्रेक्षण/संग्रह । छात्रों को निकटवर्ती पर्यावरण में ले जाकर छोटे और बड़े पौधों (वृक्षों) के प्रेक्षण का अवसर दिया जाय - प्रेक्षण के समय पौधों के, आकारों, उनकी छालों, पत्तियों, फूलों और फलों की विशेषताओं की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय । विभिन्न पौधों की पत्तियों, फूलों और फलों का संग्रह भी कराया जाय ।

प्रश्न—

(1) तुमने जिन पौधों को देखा है उनके नाम बतलाओ ।

शिक्षक—बड़े पौधे जिनके तने मजबूत और मोटे होते हैं वृक्ष कहलाते हैं ।

(2) इन पौधों में से कौन-कौन से छोटे और कोमल तने वाले हैं ?

(3) इनमें से कौन से बड़े और कठोर तने वाले हैं !

(4) इनमें से किन-किन के तनों की सतह खुरदुरी है !

(5) इनमें से किन-किन के तनों की सतह चिकनी हैं ?

निष्कर्ष—हमारे आसपास अनेक प्रकार के पौधे पाये जाते हैं, कुछ बड़े (वृक्ष), कुछ छोटे, कुछ के तने कठोर, हैं कुछ के कोमल, कुछ की छाल खुरदुरी है और कुछ की चिकनी।

अतिरिक्त ज्ञान—केले का स्तभ जैसा वायवीय भाग तना नहीं है। वह पत्तों के डंठलों का समूह है।

2. **क्रिया-कलाप**—संग्रहीत पत्तियों, फूलों और फलों की पहचान। छात्रों द्वारा संग्रहीत पत्तियों, फूलों और फलों को मेज पर रखा जाय और सम्बन्धित पौधों/वृक्षों का नाम पूछा जाय।

प्रश्न :—

(1) यह पत्ती किस पौधे (वृक्ष) की है ?
(2) यह फूल किस पौधे का है ?
(3) यह फल किस पौधे का है ?

निष्कर्ष—विभिन्न प्रकार के पौधों की पत्तियों, फूलों और फलों को देखकर वृक्षों की पहचान की जा सकती है।

अतिरिक्त सावधानियाँ :—

यह सम्भव है कि पर्यावरण में ऐसे पौधे हों जिनके कतिपय भाग रचना की दृष्टि से सरल एवं सुस्पष्ट न हों। इन्हें या तो प्रेक्षण में सम्मिलित न किया जाय या इनके बारे में संक्षेप में बतलाकर आगे बढ़ें, जैसे,

(i) नागफनी जिसमें तना, पत्ती जैसा हरा और चपटा होता है।
(ii) चीड़ जिसमें शंकु को छात्र फल कह सकते हैं किन्तु वह फल बहुत भिन्न होता है। उसे फल न कहकर, शंकु ही कहा जाय।
(iii) गेंदा जिसमें फूल कहा जाने वाला भाग वास्तव में एक फूल नहीं वरन पुष्पों का पुंजहै।
(iv) गूलर के फूल गूरल के फल के भीतर स्थित होते हैं।

क्रिया-कलाप :—(1) छात्रों से क्यारियों के खरपतवार उखाड़ने को कहा जाय।

प्रश्न—(1) पौधे को उखाड़ने में तुम्हें बल क्यों लगाना पड़ा ? (2) जड़ के क्या-क्या काम हैं ?

क्रिया-कलाप :—(2) पाठ्यपुस्तक के अनुसार छात्र दो पौधे समान मिट्टी में लगायें, एक जड़ सहित और दूसरा बिना जड़ के। दोनों के समान मात्रा में पानी दिया जाय और दोनों की वृद्धि में अन्तर देखा जाय।

प्रश्न—(1) दोनों पौधों में क्या अन्तर देखते हो ? (2) यह अन्तर क्यों है। (3) जड़ पौधे की किस प्रकार सहायता करती है ?

निष्कर्ष :—जड़ पौधे को भूमि में स्थिर रखती है और पौधे की वृद्धि में सहायक होती है।

(5) उद्देश्य—यह समझना कि पौधों की वृद्धि के लिये जड़ क्यों आवश्यक होती है।

क्रिया-कलाप :—गुलमेंहदी के दो बराबर आकार के पौधे लिये जायें। इनको मिट्टी से सावधानीपूर्वक निकाल कर जड़ों को धो लिया जाय। एक पौधे की जड़ को साधारण पानी में रखा जाय और दूसरे की जड़ को रंगीन पानी में डुबो कर रखा जाय। एक या दो दिनों के पश्चात् दोनों पौधों को देखकर उनमें रंगों का अन्तर ज्ञात किया जाय।

प्रश्न—(1) दोनों पौधों के रंगों में क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है ?

(2) रंग पौधे के किस भाग में दिखाई दे रहा है।

(3) पत्तियों में रंग किस रास्ते होकर गया ?

(4) सबसे पहले रंगीन पानी पौधे के किस भाग में पहुँचा ?

निष्कर्ष :—जड़ मिट्टी से जल और उसमें घुले हुए पदार्थ लेती है।

(12) उद्देश्य :—तने के कार्य से अवगत कराना।

क्रिया-कलाप :—पूर्व क्रिया-कलाप के अन्तर्गत किए गए प्रयोग में लिये गये पौधों के तनों को चाकू से काटकर कटे भाग को हैन्ड लेन्स से दिखलाया जाय।

प्रश्न—(1) किस पौधे के तने में लाल धब्बे दिखाई दे रहे हैं।

(2) यह धब्बे कैसे बने ?

(3) तना और उसकी शाखायें पौधों के किन भागों को हवा में उठाये रखती हैं।

शिक्षक :—लाल धब्बे बहुत पतली, पतली नालियों के पुंज हैं। जल और उसमें घुले हुए खनिज लवण इन्हीं से होकर पत्तियों, फूलों और फलों तक पहुँचते हैं।

निष्कर्ष—तना और उसकी शाखायें पत्तियों, फूलों और फलों को उठाये रखती हैं। तना और उसकी शाखाओं से होकर जल और खनिज लवण पत्तियों, फूलों और फलों में जाते हैं।

(13) उद्देश्य—यह समझना कि फूल तथा फल का क्या कार्य है।

क्रियाकलाप—छात्रों को बाग में ले जाकर फलों और उन पर आते हुए भंवरे, तितलियाँ और मधुमक्खियाँ दिखलायी जायँ। फूलों के केन्द्रीय भाग को छूकर वे उँगली में चिपके पराग को भी देखें। शिक्षक बलतायें कि यह पराग है।

प्रश्न—(1) तुमने बाग में किन-किन पौधों पर फूल लगे हुए देखें।

(2) इन पर कौन से जन्तु आते हैं ?

(3) वे फूलों से क्या लेते हैं ? (उत्तर न पाने पर शिक्षक स्पष्ट कर दें कि मकरन्द या रस लेते हैं।)

(4) उनके शरीर पर लगा हुआ पीला पाउडर क्या है ?

(शिक्षक बतलायें मकरन्द इनका भोजन है और विभिन्न फूलों से मकरन्द लेते समय वे पराग को एक फूल से दूसरे फूल पर पहुँचा देते हैं। ऐसा होना बीज बनने के लिये आवश्यक है)।

कुछ जन्तु (भँवरे, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ) फूलों से मकरन्द के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं। उनके शरीर से चिपक कर पराग एक फूल से दूसरे फूल पर पहुँच जाता है। ऐसा होना बीज बनने के लिये आवश्यक है।

———

कक्षा—4

(1) उद्देश्य—उदाहरण द्वारा स्पष्ट कराना कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कैसे करती है।

सामग्री—डोरी, दो खूटियाँ।

क्रिया-कलाप—(1) मैदान में एक खूंटी गाड़ कर डोरी का सिरा उसमें फसायें तथा डोरी के दूसरे सिरे पर फँसी खूंटी से जमीन पर वृत्ताकार घेरा खींचे। खूंटियों को हटा दें।

(2) एक छात्र को घेरे के बीच में खड़ा करें तथा दूसरे को घेरे पर। घेरे पर खड़े छात्र को निर्देश दें कि वह घेरे पर धीरे-धीरे आगे बढ़ाया जाय तथा साथ-साथ अपने स्थान पर घूमता भी जाय। कुछ अभ्यास के बाद छात्र इसे सरलता से कर लेगा।

(3) अन्य छात्रों को स्पष्ट करें कि बीच का छात्र सूर्य और घेरे पर घूमने वाला छात्र पृथ्वी की गति को प्रदर्शित कर रहा है।

(1) घेरे पर खड़ा हुआ छात्र किस तरह चलता हैं ?
(2) बीच में खड़ा हुआ छात्र किसके समान है ?
(3) घेरे पर चलता हुआ छात्र किसके समान है ?
(4) पृथ्वी और सूर्य में से कौन किसके चारों ओर घूमता है ?
(5) सूर्य के चारों ओर घूमने वाली वस्तु को क्या कहते हैं ? 'ग्रह' शब्द का परिचय दिया जाय।

निष्कर्ष—पृथ्वी लगभग एक वृत्ताकार घेरे में सूर्य के चारों ओर घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाली वस्तु को 'ग्रह' कहते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है। ग्रह में स्वयं का प्रकाश नहीं होता।

अतिरिक्त ज्ञान—(1) छात्रों को बतलायें कि सूर्य भी एक तारा है तथा तारे वह पिण्ड हैं जो स्वयं प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तारे अपने स्थान पर स्थिर प्रतीत होते हैं। ग्रह गतिमान रहते हैं।

(2) पृथ्वी स्वयं प्रकाश या ऊष्मा उत्पन्न नहीं करती।

(3) पृथ्वी एक ग्रह है यह ग्रह सूर्य या किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।

(4) पृथ्वी के अतिरिक्त सूर्य के आठ ग्रह और हैं (बुध, शुक्र, मंगल, वृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो)।

(5) चन्द्रमा ग्रह नहीं है और न तारा है। चन्द्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग 29 दिन में चक्कर लगाता है। ग्रह की परिक्रमा करने वाली वस्तुओं को उपग्रह कहते हैं। चन्द्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चन्द्रमा के अतिरिक्त पृथ्वी के अनेक कृतिम उपग्रह और हैं जो वैज्ञानिकों ने अन्तरिक्ष में छोड़े हैं।

(2) उद्देश्य—चुम्बक के गुणों को प्रदर्शित करना।

(i) चुम्बक किन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है ?
(ii) चुम्बकों के समान ध्रुव प्रतिकर्षित होते हैं तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है।
(iii) प्रदर्शित करना कि चुम्बक भी एक प्रकार बल का स्रोत है।
(iv) किसी सुई या चाकू के ब्लेड को चुम्बकित करना।

सामग्री :— दो छड़ चुम्बक (**किट से**), धागा, स्टैण्ड, सुई, चाकू का ब्लेड, लकड़ी का बुरादा, आलपिने, कागज, लकड़ी, एल्यूमीनियम, पीतल का टुकड़ा इत्यादि ।

क्रियाकलाप :—(i) एक छड़ चुम्बक को लम्बाई के मध्य धागे से बांधकर, स्टैण्ड से लटकाइये । कुछ देर में चुम्बक का एक सिरा उत्तर दिशा की ओर होकर रुक जायेगा । जो सिरा उत्तर की ओर रुकता है, उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, तथा जो सिरा दक्षिण की ओर रुकता है, उसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं । प्रत्येक चुम्बक में, यह दो प्रकार के ध्रुव होते हैं ।

एक दूसरी छड़ चुम्बक को हाथ में पकड़कर उत्तरी ध्रुव को पहली चुम्बक के उत्तरी ध्रुव के पास लाइये, बच्चों को देखने दीजिये, कि सिरे दूर हटते हैं ।

अब दूसरी चुम्बक का दक्षिणी सिरा पहली चुम्बक के उत्तरी सिरे के पास लाइये, देखिये ये सिरे एक दूसरे को खींचते हैं ।

यही क्रिया बार-बार दोहरा कर निष्कर्ष निकलवाइये ।

(ii) लोहे की आलपिने, कीलें, ताबें की छीलन, एल्यूमीनियम का टुकड़ा, पीतल, कागज, पट्ठा, लकड़ी, कांच आदि के पास चुम्बक के सिरे को लाकर देखिये, कौन-कौन से पदार्थों को चुम्बक खींचती हैं, और कौन-कौन को नहीं खींचती, कौन पर चुम्बक का प्रभाव नहीं होता ?

(3) **उद्देश्य :—**(1) **सरल विद्युत परिपथ के मुख्य विद्युत परिपथ बोर्ड द्वारा भाग स्पष्ट करना ।** जैसे-विद्युत ऊर्जा का स्रोत (सूखी 1.5 वोल्ट की सेल), संयोजक तार कुंजी तथा उपकरण जैसे 1.5 वोल्ट का टार्च बल्ब तथा विद्युत मोटर, कुंजी आदि उपकरण जो किट में दिये गये हैं ।

सामग्री :— उपर्युक्त सभी सामग्री किट में है ।

(2) विद्युत परिपथ का जोड़ना व तोड़ना स्पष्ट करना ।

(3) विद्युत ऊर्जा द्वारा कार्य का होना स्पष्ट करना (कक्षा 4, अध्याय 3)

(4) विद्युत ऊर्जा का उपयोग लोहे की कील को चुम्बकित करने हेतु करना (कक्षा 4, अध्याय 3)

(5) विद्युत चालक व विद्युत कुचालक पदार्थों के अन्तर (कागज, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, एल्यूमीनियम, ताँबा, लोहा आदि का अन्तर स्पष्ट करने में करना ।

क्रिया कलापः— किट में दिये गये विद्युत परिपथ बोर्ड में रेगमाल से तार व कुंजी के सिरों को साफ करके, सेल्फ लगाकर कुंजी दबाकर, विद्युत परिपथ पूरा कीजिये । बल्ब प्रकाशित होगा । विद्युत ऊर्जा प्रकाश तथा ऊष्मा में रूपान्तरित हो रही है । कुंजी को हटा दीजिये, विद्युत परिपथ टूट जायेगा तथा विद्युत प्रवाह रुक जायेगा। बल्ब बुझ जायेगा ।

अब बोर्ड पर यथास्थान छोटे विद्युत मोटर को फिट करके कुंजी को दबाइये, तो मोटर गति करने लगेगा । मोटर की अक्ष पर लगी छड़ के सिरे पर प्लास्टिक की छोटी सी घिरनी फिट है । घिरनी भी घूमेगी । आप देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में बदल रही है ।

3, 4 इंच लम्बी लोहे की कील के ऊपर पृथगनस्थ तांबे का तार (जिसके ऊपर प्लास्टिक का खोल हो) के 25, 30 फेरे लपेटिये तथा इस तार के दोनों सिरों (ताँबे) को विद्युत परिपथ में जोड़कर, कुंजी को

दबाकर धारा प्रवाहित कीजिये। तार में धारा प्रवाहित होते ही लोहे की कील चुम्बक बन जाती है। इसके सिरों के पास रखी आलपिने इसकी ओर खिचती है। विद्युत का प्रवाह रुकने पर कील फिर साधारण लोहा हो जाती है। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा चुम्बकीय ऊर्जा में बदलती है।

निष्कर्ष:— विद्युत ऊर्जा, अन्य प्रकार की ऊर्जा में रूपान्तरित होती है। कुछ पदार्थ, लोहा, तांबा, पीतल, एल्यूमीनियम आदि ऐसे होते हैं, जिसमें होकर विद्युत गुजर जाती है, इनके संयोजक तार बनाये जाते हैं, और कुछ पदार्थ जैसे रबड़, कागज, पट्ठा, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी आदि ऐसे होते हैं जिनमें से विद्युत नहीं गुजर पाती इन्हें कुचालक कहते हैं।

अतिरिक्त ज्ञान:— विद्युत ऊर्जा द्वारा, बल्ब से प्रकाश उत्पन्न होता हैं। विद्युत मोटर द्वारा चक्की, पंखा व रेल आदि चलायी जाती हैं। बड़े-बड़े चुम्बक बनाए जाते हैं। ट्रांजिस्टर, रेडियो यथा टी० वी० काम करते हैं। इत्यादि।

(4) उद्देश्य—पदार्थों को गरम करने पर कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं।

भौतिक व रासायनिक

सामग्री—कागज लकड़ी की तीली, चीनी, चम्मच, मोमबत्ती, दियासलाई इत्यादि।

क्रियाकलाप—(1) कागज, तथा लकड़ी की तीली जलावें।
(2) मोम का एक छोटा टुकड़ा चम्मच में लेकर धीरे-धीरे गर्म करें। फिर इसे ठण्डा होने दें।
(3) चम्मच में चीनी लेकर गर्म करें तथा ठण्डा होने दें।

प्रेक्षण—(1) कागज को जलाने पर राख बनी। लकड़ी को जलाने पर कोयला तथा राख बना।
(2) मोम गर्म करने पर पिघल गया तथा ठण्डा होने पर फिर मोम बन गया।
(3) चीनी गर्म करने पर काली पड़ गयी। जिसका स्वाद चीनी से भिन्न है।

प्रश्न—(1) कागज को जलाने पर क्या पदार्थ मिला ? (राख)
(2) लकड़ी जलकर किस रूप में वदल गई ? (राख और कोयले में)
(3) मोम को गर्म करने पर क्या हुआ ? (मोम पिघल गयी)
(4) पिघले मोम को ठण्डा करने पर क्या हुआ ? (मोम ठोस रूप में बदल गयी)
(5) चीनी को गर्म करने से क्या परिवर्तन हुआ ? (चीनी काली पड़ गयी)
(6) काले पदार्थ को ठण्डा करने पर इसके रूप में क्या परिवर्तन हुआ ? (कुछ नहीं)
(7) काले पदार्थ (चीनी को चखो) क्या इसका स्वाद चीनी के समान है ? (नहीं) .

निष्कर्ष—(1) कागज, लकड़ी को जलाने पर राख प्राप्त हुआ।
(2) मोम को गर्म करने पर वह पिघल गया तथा ठण्डा करने पर फिर मोम प्राप्त हो गया।
(3) चीनी को गर्म करने पर काली पड़ गई तथाठण्डा करने पर भी काली रही। इसका स्वाद भी बदल गया।

व्याख्या—(1) ऐसे परिवर्तन को जिसमें परिवर्तन के बाद कोई नया पदार्थ नहीं बनता तथा वस्तु पुन: अपनी प्रारम्भिक अवस्था में आ जाती है भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है।

(2) जिस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है तथा वस्तु पुनः अपनी अवस्था में नहीं आती, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कागज तथा लकड़ी का जलना व चीनी का काला होना रासायनिक परिवर्तन है। दही का जमना, पत्तियों का सड़ना, गन्ने के रस का बनना भी रासायनिक परिवर्तन है।

(5) उद्देश्य—ठोस के पानी मे घुलने पर घोल के आयतन का अध्ययन।

सामग्री—नमक, कांच की लम्बी शीशी, पानी, इत्यादि; शीशे के छड़, लकड़ी, कांच की गोलियाँ (20) छोटा चौड़े मुँह की बोतल, बालू।

क्रियाकलाप—(1) कांच की लम्बी बोतल लेकर उस पर कागज की पट्टी चिपका दें। अब लकड़ी या शीशे की छड़ से चलाकर नमक को घोल लें। फिर पानी की सतह को छात्रों को दिखायें।

(2) चौड़े मुँह की बोतल में गोलियाँ लेकर तथा उसके ऊपर बालू डाल कर छात्रों को उसका तल दिखा कर निशान लगायें। बोतल की डाट बन्द कर उसे हिलायें तथा तल का निरीक्षण पुनः करायें।

प्रेक्षण—(1) नमक के घुलने पर घोल का तल नीचे चला गया।

(2) बालू गोलियों के बीच समा गई और तल नीचे चला गया।

प्रश्न—(1) नमक के घुलने के बाद घोल के तल में क्या परिवर्तन हुआ ?
(पानी का तल नीचे चला गया)

(2) घोल का तल नीचे क्यों चला गया ?
(नमक के घुल जाने के कारण)

(3) गोली और बालू को मिला कर हिलाने पर तल में क्या परिवर्तन हुआ ?
(तल नीचे चला गया)

(4) तल नीचे क्यों चला गया।
(बालू गोलियों के बीच समा गई)

निष्कर्ष—नमक के घोल में नमक के छोटे-छोटे कण पानी के अणुओं के बीच के स्थानों में चले जाते हैं।

(6) उद्देश्यः— जल में पायी जाने वाली सजीव वस्तुओं का अध्ययन।

सामग्रीः— हाथ की जाली, शीशे का जार, आवर्धक लेंस।

क्रियाकलापः— किसी तालाब के जल को शीशे के जार में इकट्ठा करो। हाथ की जाली को तालाब के जल में डुबोकर उस जल में पाये जाने वाले पौधों एवं जन्तुओं को जाली की सहायता से एकत्र करो। इन्हें शीशे के जार में रखे जल में डाल दो और जार का मुंह कपड़े से बन्द कर दो। इन जलीय पौधों और जन्तुओं को आवर्धक लेंस की सहायता से देखो।

प्रेक्षणः— छात्र देखेंगे कि जल में कुछ कीड़े, झींगा, मच्छर के लारवा, छोटी मछलियां आदि उपस्थित हैं।

इसी प्रकार जलीय पौधे, छोटे-छोटे हरे पौधे तथा कुछ धागे की तरह के हरे पौधे जल में तैरते हुए दिखायी देते हैं। इनके कारण तालाब का जल हरा दिखायी देता है।

निष्कर्षः— जल में गति करते हुए सजीव जन्तु एवं पौधे पाये जाते हैं।

7—उद्देश्यः— यह समझाना कि पौधे स्वयं अपना भोजन अपने भीतर बना लेते हैं। इसके लिए पौधों की कुछ आवश्यकतायें होती हैं।

क्रिया-कलाप— (1) शिक्षक पहले ध्यान दिलायें कि पौधे भी जीवित हैं और उनके लिये भी भोजन आवश्यक है किन्तु वे अपने लिये भोजन अपने अन्दर ही बना लेते हैं। भोजन बनाने हेतु क्या-क्या आवश्यक है यह समझाने के लिये निम्नलिखित प्रयोग किये जायं। अच्छा होगा कि प्रयोग पहले किये जायं, और निष्कर्ष प्रयोग के आधार पर ही निकाले जायं।

गमलों में लगे दो समान पौधे लिए जायं। एक को अल्मारी में बन्द करके और दूसरे को खुले में रखा जाय। दोनों को प्रतिदित बराबर मात्रा में पानी देते रहें। एक सप्ताह बाद दोनों पौधों का निरीक्षण किया जाय।

प्रश्नः— (1) दोनों पौधों में क्या अन्तर देखते हैं ?
(2) यह अन्तर क्यों हैं ?

(शिक्षकः—पौधे के बढ़ने के लिए प्रकाश चाहिए। खुले में रखे पौधे को प्रकाश मिलता रहा इसीलिए उसकी वृद्धि होती रही। अंधेरे में रखे पौधे को प्रकाश नहीं मिला इसीलिए उसकी वृद्धि नहीं हुई। वृद्धि भोजन से होती है। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे ने भोजन बनाया।)

निष्कर्षः— हरे पौधे प्रकाश को उपस्थिति में भोजन बनाते हैं।

क्रिया-कलापः— (2) गमलों में लगे दो समान आयु के सेम के पौधे लिये जायं। दोनों को खुले में रखा जाय। एक पौधे को प्रतिदिन पानी दिया जाय और दूसरे को पानी न दिया जाय। एक सप्ताह के बाद दोनों पौधों में अन्तर देखे जायं ?

प्रश्नः— (1) दोनों पोधों में क्या अन्तर देखते हैं ?
(2) यह अन्तर क्यों है ?

(शिक्षक—पौधे के बढ़ने के लिए जल आवश्यक है और पौधे में भोजन बनने के लिए जल आवश्यक है। वृद्धि के लिए भोजन चाहिए।)

8— उद्देश्यः— ऐसे पौधों का परिचय देना जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते।

क्रिया कलापः—दो गमलों को बालू भरकर तैयार किया जाय। एक में सेम का पौधा लगाया जाय, दूसरे में एक कुकुरमुत्ता खोदकर लगा दिया जाय। दोनों गमलों में पानी डाला जाय और दोनों को खुले में रखा जाय। कुछ दिनों बाद छात्र दोनों का निरीक्षण करें।

प्रश्नः—(1) दोनों में क्या अन्तर देखते हो ?
(2) कुकुरमुत्ते क्यों मुरझा गए ?
(3) सेम का पौधा क्यों बढ़ता रहा ?

(शिक्षकः—सेम से पौधे में हरा पदार्थ है। हरा पदार्थ भोजन बनाने में आवश्यक होता है। सेम के हरे पौधे इसीलिए बढ़ते रहे।)

निष्कर्षः— भोजन बनाने के लिए पौधे की पत्तियों में हरा पदार्थ आवश्यक है।

कक्षा 5

1—उद्देश्य—छात्रों को समझाना कि चन्द्र ग्रहण कैसे होता है ?

सामग्री—टार्च, एक बड़ी गेंद, एक छोटी गेंद, (किट से) ।

क्रिया-कलाप—(1) मेज पर दोनों गेंदों को आगे पीछे रखकर बड़ी गेंद की ओर से इस प्रकार टार्च से प्रकाश डालें कि प्रकाश दोनों गेंदों पर पड़े ।

(2) छोटी गेंद को खिसका कर टार्च और बड़ी गेंद की सीध में इस प्रकार ले आयें कि बड़ी गेंद की छाया छोटी गेंद पर पड़े । छोटी गेंद, बड़ी गेंद की छाया में हो जाय ।

प्रेक्षण—(1) पहली दशा में छात्र देखें कि टार्च और बड़ी गेंद एक रेखा में न होने पर दोनों गेंदों पर प्रकाश पड़ता है ।

(2) दूसरी दशा में छात्र देखें कि टार्च तथा दोनों गेंद एक सीध में आ जाने से छोटी गेंद पर प्रकाश नहीं पड़ता है ।

प्रश्न—प्रश्न करने के पूर्व छात्रों को बता दें कि टार्च को सूर्य, बड़ी गेंद को पृथ्वी तथा छोटी गेंद को चन्द्रमा माना गया है ।

(1) पृथ्वी के किस भाग में रात है ? (छात्र गेंद पर संकेत करके बतलायें) ।
(2) रात वाले भाग से चन्द्रमा कैसा दिखाई देगा, चमकदार या अंधेरा ?
(3) इस समय क्या सूर्य, पृथ्वी और चन्द्रमा एक रेखा में हैं ?
चन्द्रमा को सूर्य और पृथ्वी की रेखा में लाने के बाद :—
(4) क्या चन्द्रमा पर प्रकाश पड़ रहा है ?
(5) चन्द्रमा इस समय कैसा दिखायी देगा ?
(6) यह दशा कब होती है ?

निष्कर्ष—जब पृथ्वी, चन्द्रमा और सूर्य के बीच में एक रेखा में आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चन्द्रमा पर पड़ने से वह नहीं दिखायी देता । इस दशा को चन्द्र ग्रहण कहते हैं ।

अतिरिक्त ज्ञान—चन्द्र-ग्रहण की दशा केवल पूर्णिमा को प्राप्त होती है परन्तु प्रत्येक पूर्णिमा को चन्द्र ग्रहण नहीं होता । ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर घूर्णन-कक्षा का तल, चन्द्रमा की घूर्णन कक्षा के तल से कुछ झुका हुआ है । अतः सूर्य और चन्द्रमा के बीच में पृथ्वी के आ जाने पर भी प्रत्येक पूर्णिमा को वे एक तल में नहीं होते । ग्रहण तभी होता है जब तीनों एक ही तल में हो क्योंकि वे तभी एक ही रेखा में होंगे ।

1—उद्देश्य—यह ज्ञात करना कि आग्नेय चट्टाने क्या हैं और कैसे बनती हैं ?

सामग्री—ग्रेनाइट के टुकड़े, लैन्स, हथौड़ी, सफेद कागज ।

क्रिया कलाप—छात्रों से ग्रेनाइट के टुकड़े का निरीक्षण करने को कहा जाय ।

प्रश्न—क्या ग्रेनाइट के टुकड़े में परतें दिखाई देती हैं ? (नहीं) ।

छात्रों से कहा जाय कि हथौड़ी से ग्रेनाइट के टुकड़े का चूर्ण बनायें और आवर्धक लैन्स से चूर्ण का निरीक्षण करें।

प्रश्न—1—इस चूर्ण में किस-किस प्रकार के कण दिखाई देते हैं ?

(कुछ कण कांच की तरह हैं, कुछ सफेद तथा गुलाबी रंग के हैं और कुछ कण चमकीले हैं)।

निष्कर्ष—ग्रेनाइट परतों वाली चट्टान नहीं है।

अतिरिक्त ज्ञान—ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान हैं। आग्नेय चट्टानों में ग्रेनाइट अधिक मात्रा में पाया जाता है। ग्रेनाइट में उपस्थित कांच की तरह के कण क्वार्ट्ज के हैं, सफेद या गुलाबी कण फेल्सपार के हैं तथा चमकीले कण अभ्रक के हैं।

चार्ट प्रदर्शन—छात्रों को चार्ट द्वारा बतायेंगे कि ज्वालामुखी क्या होते हैं तथा ज्वालामुखी से निकली हुई पिघले पदार्थों के ठंडे होने पर ग्रेनाइट जैसी कड़ी चट्टानें बनती हैं। इन चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहते हैं।

3—उद्देश्य—यह ज्ञात करना कि कायान्तरित चट्टानें किस प्रकार बनती हैं ?

सामग्री—पाठ्य पुस्तक में दिया गया चित्र स्लेट और संगमरमर के टुकड़े।

क्रिया-कलाप—छात्रों को चित्र दिखाकर समझाना कि पृथ्वी के अन्दर अधिक ऊष्मा और दाब के कारण कुछ स्तरीय और आग्नेय चट्टानों की काया बदल जाती है। इस प्रकार के परिवर्तन से कायान्तरित चट्टानें बनती हैं; जैसे स्लेट और संगमरमर।

उद्देश्य—मछली की श्वसन क्रिया में पानी के मार्ग का पता लगाना।

सामग्री—मछली, लाल स्याही, पानी, कांच की नाद।

क्रियाकलाप—पानी से भरी हुई कांच की नाद में एक जीवित मछली रख देंगे। एक-एक ड्रापर के द्वारा लाल स्याही की चार बूंदें मछली के मुंह में डाल देंगे।

प्रेक्षण—छात्र मछली के मुंह, गिल तथा गिल ढक्कन का प्रेक्षण करेंगे। लाल स्याही मुंह में डालने के के बाद फिर ये प्रेक्षण करेंगे कि लाल पानी किस ओर से बाहर निकलता है।

प्रश्न—1—मछली के गिल का रंग कैसा है ? (गिल लाल रंग के हैं।)

2—गिल के ढक्कन में क्या विशेषता है ? (ढक्कन हिल रहे हैं।)

3—लाल रंग का पानी मछली के किस अंग से निकलता है ? (गिल से)

4—लाल पानी गिल में किस अंग से आया ? (मुंह से)

5—मछली में पानी लेने और निकालने का क्या मार्ग है ? (मछली मुंह से पानी ले कर गिल मार्ग से बाहर निकालती है)

निष्कर्ष—मछली मुंह से, पानी लेती है और गिल से बाहर निकालती है।

1—उद्देश्य—स्पर्श द्वारा वस्तु का ज्ञान कराना।

क्रियाकलाप—अध्यापक दो छात्रों को कक्षा में से बुलाकर एक छात्र से दूसरे छात्र की आँख पर पट्टी बांधने को कहेगा तथा छात्र के हाथ पर सिक्का/कांच की गोली रखेगा।

प्रश्न—तुम्हारी हथेली पर क्या रक्खा है ?

उत्तर—हथेली पर सिक्का कांच की गोली रखी है।

प्रश्न—इस सिक्के/कांच की गोली का आकार किस प्रकार का है ?

उत्तर—सिक्के/कांच की गोली का आकार गोल है ।

प्रश्न—क्या तुमको दिखाई देता है ? उत्तर—नहीं

प्रश्न—तुमने सिक्के/कांच की गोली का अनुभव कैसे किया ? उत्तर—छू कर

प्रश्न—क्या त्वचा से छूने पर वस्तु का ज्ञान किया जा सकता है ? उत्तर—जी हाँ ।

निष्कर्ष—स्पर्श के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है । हाथ की तंत्रिकाएं उस सन्देश को मस्तिष्क तक ले जाती हैं । इसके बाद मस्तिष्क में वस्तु की पहचान होती है ।

2—उद्देश्य—जीभ पर रखी वस्तु का अनुभव किस प्रकार होता है का ज्ञान कराना ।

क्रियाकलाप—अध्यापक दो छात्रों को कक्षा में से बुलाकर एक छात्र से दूसरे छात्र की आँख पर पट्टी बांधने को कहेगा तथा छात्र दूसरे छात्र (आँख पर पट्टी बंधे हुए) की जीभ पर थोड़ा सा नमक रखेगा ।

प्रश्न—तुम्हारी जीभ पर रखी वस्तु का स्वाद कैसा है ? उत्तर—नमकीन वस्तु है ।

प्रश्न—तुमने यह अनुभव कैसे किया ? उत्तर—जीभ द्वारा चख करके ।

प्रश्न—जीभ से स्वाद का अनुभव शरीर के किस अंग को जाता है ।

उत्तर—मस्तिष्क को जाता हैं ।

निष्कर्ष—जीभ से तंत्रिकाओं द्वारा स्वाद का अनुभव (सन्देश) मस्तिष्क तक जाता है । मस्तिष्क में स्वाद का ज्ञान (मीठा, नमकीन, खट्टा या कड़वा) होता है ।

3—उद्देश्य—ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त सन्देश को मस्तिष्क क्या करता है ?

क्रियाकलाप—अध्यापक कक्षा में से एक छात्र को बुलाकर कक्षा के सम्मुख वर्गाकार गत्ते को कैंची की सहायता से विभिन्न आकार के टुकड़े कर देता है तथा समीप खड़े छात्र से उन टुकड़ों को जोड़ने को कहेगा । टुकड़ों को मिलाकर छात्र वर्गाकार गत्ता (प्रारम्भिक अवस्था) बनाने का प्रयत्न करेगा ।

प्रश्न—तुमने गत्तों के टुकड़ों को किस प्रकार जोड़ा ?

उत्तर—मैंने गत्तों के टुकड़ों को हाथ द्वारा जोड़ दिया ।

प्रश्न—हाथों द्वारा किया गया कार्य किस अंग की सहायता से हुआ ?

उत्तर—मस्तिष्क की सहायता से हुआ ।

शिक्षक—आंख की तंत्रिकाओं ने गत्ते के टुकड़ों के रूप के बारे में मस्तिष्क को सूचना दी । टुकड़ें को वांछित रूप में रखने के लिए मस्तिष्क ने हमारे हाथ की तंत्रिकाओं को आदेश दिया । यह आदेश इनके हाथ की पेशियों को मिला । हाथ ने वर्ग बना दिया ।

निष्कर्ष—तंत्रिकाएँ मस्तिष्क तक सन्देश पहुँचाती हैं । दूसरे प्रकार की तंत्रिकाएँ मस्तिष्क से प्राप्त आदेश को पेशियों तक पहुँचाती हैं । पेशियाँ प्राप्त आदेश के अनुसार कार्य करती हैं ।

1—उद्देश्य—यह ज्ञात कराना कि बीजों के अंकुरण के लिए जल आवश्यक है ।

क्रियाकलाप—गेहूँ, चना, सेम या सरसों के 50 बीज लें । दोतश्तरियाँ लें । दोनों में एक-एक रूमाल बिछा दें । एक का रूमाल पानी से भिगो दें । अब दोनों तश्तरियों में 25-26 बीज रखकर किसी सुरक्षित स्थान में रखें । तीन-चार दिनों के पश्चात् देखा जाय कि तश्तरी के बीजों में अंकुरण हुआ ।

प्रश्न—(1) किस तश्तरी के बीज अंकुरित हुए ?

(2) यह बीज क्यों अंकुरित हो गये ?

निष्कर्ष—अंकुरण के लिए जल आवश्यक है ।

2—उद्देश्य—यह ज्ञात कराना कि बीजों के अंकुरण के लिए वायु आवश्यक है !

क्रियाकलाप—कुछ पानी उबाल कर ठण्डा किया जाय । इसमें पानी में घुली हुई वायु निकल जायेगी । अब दो चौड़े मुंह वाली बोतलें ली जायं । दोनों में 5-5 सेम के बीज रखे जायं । एक बोतल में उबाल कर ठण्डा किया हुआ पानी भर दें और ढक्कन से बन्द कर दें । दूसरी बोतल में थोड़ा ही पानी डालें और बोतल को खुला रखें । 3-4 दिनों बाद देखें कि किस बोतल के बीज अंकुरित हुए हैं ।

प्रश्न—(1) किस बोतल के बीज अंकुरित हुए ?

(2) वह बीज क्यों अंकुरित हो गये ?

निष्कर्ष—अंकुरण के लिए वायु आवश्यक है ।

प्रकरण १

रसायन किट के उपकरणों व रसायनों की सूची

(कक्षा 6, 7 तथा 8)

क्रम संख्या	उपकरण का नाम
1.	केरोसीन लैम्प
2.	प्रयोगशाला स्टैन्ड
3.	त्रिपाद स्टैन्ड
4.	परखनली स्टैन्ड
5.	परखनली होल्डर
6.	साधारण तुला
7.	बाट बक्स
8.	मापन सिलिंडर (100 मिली, 25 मिली)
9.	पिपेट
10.	ब्यूरेट
11.	मापन फ्लास्क
12.	ड्रापर
13.	थर्मामीटर (तापमापी)
14.	गैस उत्पादक उपकरण (स्वनिर्मित किप का उपकरण)
15.	स्वनिर्मित संघनित्र
16.	जल वोल्टामीटर (बेलजार, दो लोहे की कीलें लगी हुई रबर कार्क, तीन सेलों की बेटरी, क्रोकोडाइल क्लिप्स)
17.	वाश बोतल (धावन बोतल)
18.	कार्क बोरर (6 का सेट)
19.	तिकोनी रेती
20.	क्ले पाइप त्रिकोण
21.	स्पैचुला (चपटा चम्मच)

क्रम संख्या	उपकरण का नाम
22.	परखनली ब्रश
23.	पिंच काक (चुटकी)
24.	चाकू
25.	उद्दहन चम्मच
26.	टॉन्ग्स (चिमटा)
27.	कैंची
28.	लोहे की जाली
29.	फुकनी
30.	परखनलियां
31.	लम्बी परखनलियां
32.	क्वथन परखनलियां
33.	बीकर (कांच) (100 मिली, 250 मिली)
34.	शंक्वाकार फ्लास्क (150 मिली)
35.	कीप(कांच)(व्यास 8 मिमी से 10 मिमी)
36.	वाच ग्लास (कांच) (5 व 7·5 मिमी व्यास)
37.	कांच की नलियां (विभिन्न कोणों पर मुड़ी हुई)
38.	कांच की छड़ (15 सेमी लम्बी, 6 मिमी व्यास तथा एक पर 0·5 सेमी रबर का टुकड़ा)
39.	कांच की नलियां (बाहरी व्यास 6 मिमी, कांच का व्यास 1·2 मिमी)

क्रम संख्या	उपकरण का नाम	क्रम संख्या	उपकरण का नाम
40.	द्रोणी पालिथीन (15 × 7 सेमी, 13 × 6 सेमी)	49.	रबर कार्क विभिन्न साइज के
41.	चाइना डिश (पोर्सलीन) 10 सेमी व्यास	50.	रबर का छल्ला 1·8 सेमी व्यास
42.	खरल (5 सेमी व्यास)	51.	दियासलाई
43.	गैस जार (450 मिली)	52.	रूई
44.	कांच की प्लेट (7·5 × 2·5 सेमी)	53.	झाड़न
45.	कठोर कांच की अभिक्रिया नली (रिऐक्सन ट्यूब 12 × 2·5 सेमी रबर की कार्क 5 × 0·6 सेमी)	54.	छन्ना कागज
		55.	लाल व नीला लिटमस पेपर
		56.	मोमबत्ती 5 सेमी लम्बी
		57.	लकड़ी की खपच्चियां 10 × 5 सेमी
46.	गोल पेंदे का फ्लास्क 500 मिली कार्निग बोरोसिल कांच	58.	तांबा, लोहा, जस्ता, एलुमिनियम, सीसा आदि धातुओं की पत्तियां
47.	चपटे पेंदे का फ्लास्क 100 मिली, 500 मिली कार्निग । बोरोसिल	59.	फुटबाल पम्प
		60.	परखनली स्टैंड (धात्विक)
48.	रबर की ट्यूब 2·5 × 0·6 सेमी	61.	कार्डबोर्ड बक्स

रासायनिक पदार्थों की सूची

क्रम संख्या	पदार्थ का नाम	क्रम संख्या	पदार्थ का नाम
1.	एलुमिनियम का तार (ठोस)	19.	जस्त का चूर्ण (ठोस)
2.	एलुमिनियम की पत्तियां (ठोस)	20.	जस्त की पत्ती (ठोस)
3.	ब्रोमीन (द्रव)		आक्साइड
4.	चारकोल (ठोस)	21.	कल्सियम आक्साइड (ठोस)
5.	तांबे का तार (ठोस)	22.	कापर आक्साइड (ठोस)
6.	तांबे की पत्तियां (ठोस)	23.	मरक्यूरिक आक्साइड (ठोस)
7.	तांबे की छीलन (ठोस)		अम्ल (एसिड)
8.	लोहे का तार (ठोस)	24.	बोरिक एसिड (ठोस)
9.	लोहे की पत्तियां (ठोस)	25.	फार्मिक एसिड
10.	लोहे का चूर्ण (ठोस)	26.	सान्द्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड (द्रव)
11.	आयोडीन के क्रिस्टल (ठोस)	27.	सान्द्र नाइट्रिक एसिड (द्रव)
12.	सीसे की पत्ती (ठोस)	28.	सान्द्र सल्फ्यूरिक एसिड (द्रव)
13.	मैग्नीशियम रिबन (ठोस)	29.	सान्द्र फास्फोरिक एसिड (द्रव)
14.	मैग्नीशियम का चूर्ण (ठोस)	30.	तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड (द्रव)
15.	फास्फोरस लाल (ठोस)	31.	तनु नाइट्रिक एसिड (द्रव)
16.	गंधक (ठोस)	32.	तनु सल्फ्यूरिक एसिड (द्रव)
17.	सोडियम धातु (ठोस)	33.	तनु फास्फोरिक एसिड (द्रव)
18.	जस्त के टुकड़े (ठोस)		

क्रम संख्या	पदार्थ का नाम
	क्षार
34.	कैल्शियम हाइड्राक्साइड (टोस)
35.	कैल्शियम हाइड्राक्साइड (विलयन जलीय)
36.	सोडियम हाइड्राक्साइड (ठोस)
37.	सोडियम हाइड्राक्साइड (जलीय विलयन)
38.	अमोनियम हाइड्राक्साइड (जलीय विलयन)
	लवण
39.	सिल्वर नाइट्रेट (ठोस)
40.	सिल्वर नाइट्रेट (जलीय विलयन)
41.	पोटेशियम क्लोरेट (ठोस)
42.	बेरियम क्लोराइड (ठोस)
43.	बेरियम क्लोराइड (जलीय विलयन)
44.	सोडियम ऐसीटेट (ठोस)
45.	कैल्शियम कार्बोनेट (ठोस)
46.	कापर कार्बोनेट बेसिक (ठोस)
47.	कापर सल्फेट (ठोस)
48.	फेरस सल्फेट (ठोस)
49.	पोटेशियम परमैंगनेट (ठोस)
50.	पोटेशियम सल्फेट (ठोस)
51.	पोटेशियम नाइट्रेट (ठोस)
52.	सोडियम क्लोराइड (ठोस)
	कार्बनिक यौगिक
53.	क्रूड आयल (द्रव)
54.	केरोसीन (द्रव)
55.	नेफ्थालीन (ठोस)

क्रम संख्या	पदार्थ का नाम
56.	पेट्रोल (द्रव)
57.	स्पिरिट (द्रव)
58.	शर्करा (चीनी) (ठोस)
59.	सिरका (विनेगर) (द्रव)
60.	वनस्पति तेल (द्रव)
61.	सेन्ट (द्रव)
62.	स्टार्च (ठोस)
	उर्वरक
63.	कैल्सियम फास्फेट (ठोस)
64.	कैल्सियम नाइट्रेट (ठोस)
65.	सुपर फास्फेट आफ लाइम (ठोस)
66.	अमोनियम नाइट्रेट(ठोस)
67.	अमोनियम सल्फेट (ठोस)
68.	पोटेशियम क्लोराइट (ठोस)
69.	पोटेशियम सल्फेट (ठोस)
70.	यूरिया (ठोस)
71.	मिश्रित उर्वरक (ठोस)
	सूचक
72.	लिटमस (ठोस)
73.	लिटमस (द्रव विलयन)
74.	मेथिल आरेंज (ठोस)
75.	मेथिल आरेंज (द्रव विलयन)
76.	फेनाल्फथैलीन (ठोस)
77.	फेनाल्फथैलीन (द्रव विलयन)

जीव विज्ञान किट में सम्मिलित उपकरणों की सूची

(कक्षा 6, 7 तथा 8)

प्रथम पार्श्व–जन्तु विज्ञान–सामग्री

प्रथम पार्श्व—जन्तु विज्ञान-सामग्री

1—कीट प्रदर्शन बक्स
2—कीट पिंजरा
3—कीट–धारक बोर्ड
4—कीट–जाल तथा कीट-जाल के लिए हत्था
5—क्लोरोफार्म हेतु बोतल (रंगीन)
6—कीट–मारक बोतल (डाट तथा परखनली सहित)

द्वितीय पार्श्व-शरीर-क्रिया विज्ञान

7—तापमापी (0—60° से)—1° के चिन्हों सहित
8—पिपेट (5 और 10 मिली चिन्ह सहित)
9—कांँच का विलोड़क (सिरे पर रबर लगी कांँच की नली)
10—आयोडीन घोल हेतु बोतल (ड्रापर सहित रंगीन-कांँच की बोतश)
11—परखनी (लार एकत्र करने हेतु)
12—परखनली I मण्ड हेतु (नियन्त्रण)
13—परखनली II (लार+मण्ड हेतु)
14—परखनली III (उबली लार+मण्ड हेतु)
15—परखनली IV (लार+अम्ल+मण्ड हेतु)
16—परखनली V (लार+अण्डे की सफेदी हेतु)
17—मण्ड की लेई हेतु बोतल (पोलीथीन की. चौड़े मुंह वाली)
18—परखनली—ग्लूकोस हेतु
19—परखनली I अ
20—परखनली II अ
21—परखनली III अ
22—परखनली IV अ
23—परखदली V अ
24—10%कास्टिक सोडा के घोल हेतु बोतल
25—0—3%नीला थोथा के घोल हेतु बोतल
26—तिपाई (लोहे की)
27—जुल कुण्डी (एल्यूमीनियम का ग्लास)
28—काष्ठीय डिस्क (छेदों वाली)
29—मिट्टी के तेल का लैम्प
30—उपकरण—निश्वास तथा उच्छ्वास हेतु
31—बोतल—चूने के पानी हेतु
32—डॉन्डर्स चेम्बर
33—केन्यूल

तृतीय पार्श्व-शरीर-क्रिया विज्ञान

34—बॉस हेड (3)
35—क्लैम्प—रबर कार्क सहित
36—बीकर पोलीथीन—500 मिली
37—बीकर पोलीथीन—150 मिली
38—छिद्रयुक्त कौमल काष्ठ पट्टिका
39—पेशी संकुचन हेतु स्टैण्ड (मायोस्कोप)

(अ) पैमाना
(आ) सूचक
(इ) इलेक्ट्रोड्स
(ई) बोन होल्डर
(उ) वाट (रबर के दो कार्क)
(ऊ) अंकुश—कण्डरा हेतु
(ए) शिकंजा—हृदय हेतु

40—पोलीथीन बोतल—नमक के घोल हेतु (5—7%)

41—प्रेरण कुंडली (इनडक्शन क्वायल)

42—अर्गो ग्राफी सेट
(अ) ब्रेकेट—घिरनी सहित
(आ) पेन्सिल—होल्डर सहित
(इ) नायलान का धागा—अंकुश सहित
(ई) प्लेटफार्म—कागज रखने हेतु

43—कपड़े की थैलियाँ

44—एल्यमिनियम विच्छेदन—डिश, मोम सहित

चतुर्थ पार्श्व—वनस्पति विज्ञान-सामान्य उपकरण तथा रासायनिक पदार्थ

45—कांच की नली और कार्क (गाजर आस्मोमीटर हेतु)
(अ) कांच की नली
(आ) रबर कार्क

46—मूल—वृद्धि उपकरण

47—वानस्पतिक फाइल

48—वानस्पतिक प्रेस

49—परखनली स्टैण्ड

50—धातु की चम्मच (बीजों को जलाने हेतु)

51—डिसेक्टिग सूक्ष्मदर्शी

52—स्लाइड बक्स (स्लाइड और कवर स्लिप सहित)

53—उपकरण—बीजों के श्वसन हेतु

54—उपकरण—वाष्पोत्सर्जन हेतु

55—कांच की केशिका नालियाँ (बाहरी व्यास 5 मिमी)—4 प्रत्येक की लम्बाई 185 मिमी० तथा भीतरी व्यास क्रमश: 4 मिमी०, 2 मिमी० तथा 1·2 मिमी०
(क) पोलीथीन की मोटी नली
(ख) उपर्युक्त के लिए स्टैण्ड

56—मृदा प्रतिदर्श नालियाँ (3)

57—पेट्री डिश (प्लास्टिक)

58—परखनली होल्डर

59—रेती

60—खुरपी

61—छँटाई करनेवाला चाकू

62—सिकेटर (कलम काटने वाली कैंची)

63—फ्रेट आरी

64—विच्छेदन सेट
(अ) कैंची सादी
(आ) कैंची नुकीली
(इ) चिमटी नुकीली
(ई) चिमटी मोटी
(उ) विच्छेदन स्केलपल (चाकू)—50 मिमी ब्लेड
(ऊ) विच्छेदन सुई (2)
(ए) मोटी सलाई 120 मिमी०

65—सिरिन्ज

66—सुई

67—विभाजन परकार

68—ड्रापर प्लास्टिक

69—रेजर ब्लेड

70—मूल चिन्हक

71—पटरी—प्लास्टिक, 30 मिमी०

72—पात्र—कास्टिक सोडा हेतु

73—पात्र—नीला थोथा हेतु

74—पात्र—पिन, धागा और सुई के लिए

75—पात्र एड्रीनलिन हेतु

76—पात्र—लिटमस हेतु

77—पात्र—ग्लकोस हेतु

78—पात्र—मण्ड हेतु

79—पात्र—कैल्सियम क्लोराइड हेतु

80—पात्र—साइट्रिक अम्ल अथवा सोडियम, आमोनियम अथवा पोटैशियम आक्जेलेट हेतु

81—पात्र—नमक के लिए

82—बोतल–सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हेतु

83—बोतल—सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हेतु

84—बोतल—सांद्र नाइट्रिक अम्ल हेतु

85—बोतल–स्पिरिट हेतु

86—अभिकर्मक बोतल–10% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हेतु

87—अभिकर्मक बोतल 0–5% सल्फ्यूरिक अम्ल हेतु

88—अभिकर्मक बोतल—20% नाइट्रिक अम्ल हेतु

89—अभिकर्मक बोतल—10% कैल्सियम क्लोराइड हेतु

90—पात्र—कैल्सियम आक्साइड हेतु

91—खपाचियाँ—टाँगों हेतु (2)

92—खपाचियाँ—बाहु हेतु (2)

93—रक्त बन्ध (टूर्नीकेट)

94—पट्टियाँ

95—शल्यक रूई

96—मलमल का टुकड़ा

97—सोखता कागज—एक ताव

98—सूर्यानुवर्ती कक्ष

99—बोतल स्टैण्ड

100—संयुक्त सूक्ष्मदर्शी

101—आवर्धक लैंस 2—5 × (6)

102—कांच अंकक (मोम की पेंसिल)

भौतिकी किट भाग–1) की प्रामाणिक सूची के उपकरणों का विवरण कक्षा 6

1. मीटर स्केल/लीवर, स्केल भाग 1 सेमी
2. 30 सेमी रूलर/लीवर, स्केल भाग 1 मिमी
3. दर्जी का फीता, स्केल भाग 1 मिमी
4. (i) रबड़ गेंद, व्यास 80 मिमी (जोड़ा)
   (ii) रबड़ गेंद, व्यास 50 मिमी (जोड़ा)
5. 30 सेमी प्लास्टिक स्केल
6. समकोणिक त्रिभुजाकार शीट
7. खोखला गोला
8. ग्राफ पेपर (मीटरी), 100 सेमी × 70 सेमी
9. सम आकृति (वृत्त)
10. अनियमित आकृति (मनुष्य के पैर का छाप)
11. आधार
12. इकाई सेमी घन गुटका
13. खोखला डेसीमी घन वाहिका(बरतन), पारदर्शक
14. इकाई सेमी घन चम्मच
15. मापक सिलिन्डर, 500 मिली
16. मापक सिलिन्डर, 100 मिमी
17. लकड़ी का गुटका/परखनली स्टैन्ड
18. ड्रापर (बिन्दुपाती)
19. फुटबाल ब्लाडर (नं० 2 साइज)
20. रबड़ पत्ती, 100 × 50 × 10 मिमी
21. रबड़ पत्ती, 100 × 20 × 1 मिमी
22. रबड़ बैन्ड 25
23. संपीडन/विस्तार स्प्रिंग, स्वतंत्र लम्बाई 100 मिमी, कुंडली व्यास 30 मिमी, 1 मिमी व्यास के स्टील तार का स्प्रिंग के कुंडली
24. 100 मिमी स्वतंत्र लम्बाई का विस्तार स्प्रिंग कुंडल व्यास 15 मिमी, 1 मिमी व्यास के स्टील तार की स्प्रिंग की कुंडली
25. कमानीदार तुला (खुला प्ररूप), परास 0-500 ग्राम भार (जोड़ा)
26. कमानीनार तुला (छात्रों का), परास 0-100 ग्राम भार (जोड़ा)
27. पांच बांटो का समुच्चय (सेट), प्रत्येक 100 ग्राम
28. साधारण समतल (लेवेल)
29. दाब का क्षेत्रफल पर निर्भर होना प्रदर्शन हेतु एक युक्ति
30. स्टील पत्ती, 300 × 20 × 1 मिमी
31. एलूमिनियम पत्ती, 300 × 20 × 1 मिमी
32. 100 मिमी लम्बाई की कुंडली, कुन्डली का व्यास 30 मिमी कुन्डली का पदार्थ एल्यूमिनियम तार 1 मिमी व्यास
33. चुम्बक (जोड़ा)
34. 15 डिस्कों का समुच्चय (सेट), प्रत्येक का व्यास 40 मिमी (प्रत्यास्थ एवं सुघट्य विकृति प्रदर्शन हेतु)
35. 25 गोलियों का समुच्चय (सेट)
36. क्रमांक 35 के गोलियों हेतु फ्रेम
37. सीसे का सिलिन्डर (जोड़ा)
38. शीसे के सिलिन्डर के पार्श्व को साफ करने हेतु–युक्ति
39. सील किये हुये पारदर्शी नली में पारे की बूंद
40. ड्राइंग पिन (10)
41. छिद्रयुक्त बेलन
42. ठोस के प्रसार के लिये छड़
43. ठोस के प्रसार के लिये संकेतक
44. द्विधातुक पत्ती
45. संकीर्ण आन्तरिक व्यास वाली नली में फिट होने वाला रबड़ डाट (परख नली में फिट करने हेतु)
46. पिंच काक

47. थर्मामीटर, प्रयोगशाला प्रारूप
48. फुटबाल पम्प
49. पास्कल नियम प्रदर्शन हेतु नलियों सहित रबड़ डाट
50. पास्कल गेंद
51. अन्तर——सम्बन्धित नलियों का जोड़ा
52. स्प्रिट लेवेल का प्रारूप
53. मैनोमीटर हेतु यू—नली
54. मैनोमीटर स्टैन्ड
55. मैनोमीटर स्केल एवं थर्मामीटर का प्रारूप
56. सेल्सियस स्केल प्रारूप हेतु पत्ती
57. आन्तरिक दाव द्वारा होने वाले विक्षेप प्रदर्शन हेतु प्रारूप
58. विभिन्न आकृतियों के आन्तरिक सम्बन्धित नलियां
59. पिस्टन सहित चौड़ी पारदर्शी नली (आन्तरिक व्यास 36 मिमी × 250 मिमी लम्बी)
60. द्रवों में दाब हेतु युक्ति
61. रबड़ चूषक
    (अ) दस्ते सहित बड़ा (जोड़ा)
    (ब) दस्ते सहित छोटा (जोड़ा)
62. (i) प्लास्टिक थैला, 500 मिमी धारिता
    (ii) प्लास्टिक थैला, 150 मिमी धारिता
63. इकाई डेसीमी वर्ग का धातु शीट, सेमी वर्ग में अंशांकित
64. इकाई डेसीमी वर्ग धातु शीट एक छोटे छिद्रयुक्त बक्स
65. प्लवन हेतु कार्क
66. विभिन्न धातुओं के बने हुये समरूप सिलिन्डरों का समुच्चय
67. विभिन्न धातुओं के बने हुये, एक ही द्रव्यमान तथा व्यास वाले सिलिन्डरों का समुच्चय (सेट)
68. आवर्धक शीशा (5 ×)
69. परखनली (जोड़ा)
70. बीकर/आप्लावी बरतन
71. शंक्वाकार फ्लास्क, 500 मिमी
72. लकड़ी का वेज
73. छोटी शीशी
74. प्रयोगशाला लैम्प
75. कागज—क्लिप
76. प्रयोगशाला स्टैन्ड
77. प्रयोगशाला स्टैन्ड के क्लिप 2
78. प्लास्टिसीन, 50 ग्राम
79. दियासलाई (एक)
80. रबड़ गुब्बारे, बड़े एवं मध्यम साइज के
81. बड़ी मोमबत्तियां
82. सेलोटेप (2 रोल)
83. प्रामाणिक बक्स

भौतिकी किट कक्षा 7

1 क्लैम्प तथा बॉसहेड सहित प्रयोगशाला स्टैन्ड
2 हार्ड बोर्ड शीट/स्क्रीन
3 हार्ड बोर्ड शीट हेतु स्टैन्ड
4 पेपर क्लिप
5 सेलो टेप
6 प्लास्टिक नली (दो कार्क तथा मोम या प्लास्टिक गेंद सहित)
7 झंडियाँ
8 ट्रलियाँ
9 ट्रालियों हेतु कैंच
10 ट्रालियों हेतु संपीडन स्प्रिंग (लम्बाई 45 मिमी, व्यास 14 मिमी, कुंडल का पिच 2.5 मिमी तथा तार का व्यास 1 मिमी)
11 ट्राली हेतु प्लाई नट सहित बोल्ट
12 ट्राली हेतु घिर्री सहित छड़
13 ट्राली हेतु धागे सहित रबड़ का
14 वक्रपथ (curved guide)
15 स्टील बाल, 22 मिमी
16 खड़िया होल्डर
17 रबड़ चूषक
18 घड़ी का माडल
19 भार, 100 ग्राम भार
20 लकड़ी का ब्लाक, (बालू कागज लगा हुआ)
21 हुक सहित रोलर
22 छोटा प्लास्टिक बैग
23 बीम तुला
24 बॉट बक्स
25 खुला स्प्रिंग तुला
26 खोखला बेलन
27 हत्था अलग हो सकने वाला हथौड़ा
28 बाइसिकिल पैंडल
29 बाइसिकिल रिन्च
30 पिचकारी, नली सहित
31 छोटे गुब्बारे
32 हुक सहित 1 किग्रा भार
33 मीटर स्केल/लीवर
34 30 सेमी रूलर/लीवर
35 उपर्युक्त रूलर/लीवर हेतु आधार
36 हुक सहित घिरनी
37 मैक्सवेल ह्वाल
38 संपीडन स्प्रिंग (लम्बाई 85 मिमी! कुंडली व्यास 14 मिमी; कुंडली का पिच 2.5 मिमी; तार का व्यास 1.0 मिमी)
39 ट्यूनिंग फार्क
40 ट्यूनिंग फार्क हेतु अनुनाद बक्स
41 ट्यूनिंग फार्क हेतु हथौड़ा
42 दाँतेदार डिस्क
43 उपर्युक्त डिस्क को घुमाने हेतु प्रबन्ध
44 धातु की पत्ती
45 सितार का तार
46 5 मी लम्बा स्टील का तार (21 swg)
47 छोटी घण्टी (या घुंघरू के दाने; पिंच काक सहित रबर की नली)
48 मिट्टी के तेल का बत्ती वाला स्टोव
49 मोमबत्ती
50 दियासलाई
51 तापमापी (–10°c से 110°c)
52 चौड़े आधार वाला फ्लास्क (500cc) (कर्निंग)
53 उपर्युक्त हेतु नली सहित कार्क
54 नपना गिलास 100cc (पालीथीन)
55 परखनली (कार्निंग)
56 कैलोरीमीटर का बाहरी वर्तन

57 कैलोरीमीटर का आन्तरिक बर्तन
58 कैलोरीमीटर का आन्तरिक बर्तन हेतु स्टैन्ड
59 लोहे की छड़
30 अल्यूमिनियम की छड़
61 उपर्युक्त लोहे तथा अल्यूमिनियम के छड़ों हेतु साकेट
62 शीशे की नली (कार्निंग)
63 उपर्युक्त हेतु पत्ती
64 थर्मोस्कोप
65 थर्मोस्कोप हेतु कार्क तथा यू नली
66 समान द्रव्यमान वाले बेलनों के सेट
67 उपर्युक्त बेलनों के लिये फ्रेम
68 मोम के लिये धातु बक्स
69 मोम

भौतिकी प्रदर्शन किट संख्या 3 आइटम की सूची कक्षा 8

1. प्रयोगशाला स्टैन्ड, क्लैम्प तथा बॉस हेड सहित
2. पेपर क्लिप्स, एक दर्जन ।
3. पेचकस 100 मिमी ।
4. सेलोटेप 12 मिमी ।
5. सूखा सेल 3
6. तीन सूखे सेलों हेतु बक्स ।
7. विद्युत संयोजक (प्लास्टिक बोर्ड तथा क्रोकोडाइल क्लिप सहित)।
8. संयोजक तार के सेट, 45 से0मी0 तथा 85 सेमी० (6 जोड़ें) ।
9. छड़ चुम्बक जोड़ा
10. रे——बक्स
11. होल्डिंग डिस्क
12. स्टैन्ड पर (adjnstable) समतल दर्पण ।
13. दो उत्तल लैंस सहित कवर ।
14. कवर झिर्री सहित ।
15. F झिर्री सहित कवर ।
16. बिना झिर्री के कवर ।
17. छिद्र वाला कवर :
18. धूम्र स्रोत के लिए धातु का बरतन
19. पेरिस्कोप ।
20. समतल दर्पण (छोटा)
21. कांच का गुटका (आयताकार) ।
22. कांच का बी शक्ल का गुटका ।
23. प्रिज्म ।
24. फ्रेम में उत्तल लैंस ।
25. फ्रेम में अवतल लैंस ।
26. अवतल दर्पण ।
27. उतल दर्पण ।
28. हुक सहित पर्दा (स्क्रीन) ।
29. सूची छिद्र कैमरा ।
30. स्टैन्ड पर लैंस ।
31. पर्दा (स्क्रीन) ।
32. आयताकार काट वाला पर्दा, ढक्कन सहित ।
33. प्लास्टिक गेंद (102 मिमी व्यास) ।
34. प्लास्टिक गेंद (37 मिमी व्यास) ।
35. इलेक्ट्रोफोरस ।
36. थर्मोलाइट पत्ती ।
37. प्लास्टिक पत्ती ।
38. सिल्क का टुकड़ा (शुद्ध) ।
39. ऊनी कपड़े का टुकड़ा ।
40. आधा भाग ऊन से ढका हुआ प्लास्टिक पत्ती ।
41. विद्युतदर्शी (जोड़ा)
42. प्रोव स्टील बाल इंसुलेटिंग हत्थे सहित ।
43. बक्स में सिल्क धागे से लटकी हुई अलूमीनियम कीपतली पत्ती ।
44. इन्सुलेटेड स्टैन्ड (जोड़ा) ।
45. इन्सुलेटेड हत्थे सहित सीधा चालक ।
46. प्लास्टिक पत्ती हेतु (Suspension) ।
47. कांच का गिलास ।
48. प्लेट हेतु प्लास्टिक पत्ती का होल्डर ।
49. नियन बल्ब (छोटा) ।
50. जस्ते की प्लेट ।
51. तांबे की प्लेट ।
52. बक्स में टार्च बल्ब (2.5 तथा 3.5 वोल्ट)···3
53. अमीटर (आधार, फ्रम तथा स्केल सहित) ।
54. वोल्टमीटर (आधार, फ्रेम तथा स्केल सहित) ।
55. विभिन्न प्रतिरोध वाले तार, बोड पर ।
56. कारबन इलेक्ट्रोड (जोड़ा) ।
57. प्लास्टिक बगम कॉपर सल्फट 50 मिली ।
58. टार्च बल्ब का होल्डर (3) ·

59. प्रतिरोध तारों के सेट (5, 10, 10, 23 ओम)
60. रिहास्टट 50 ओम।
61. विद्युत चुम्बक हेतु कुन्डली ।
62. लौह क्रोड ।
63. क्रोड हेतु स्प्रिंग ।
64. विद्युत् मोटर/डायनिमो माडल।
65. लकड़ी का गुटका ।
66. विद्युत धारा के ऊष्मा का प्रभाव–माडल।
67. विद्युत् फ्यूज–होल्डर ।
68. फ्यूज (50) ।
69. प्लास्टिक बग में लौह चूर्ण (20 ग्राम) ।
70. कुतुबनुमा ।
71. चुम्बकीय सुई (जोड़ा) ।
72. सीध चालक के चुम्बकीय क्षेत्र के प्रदर्शन हेतु प्रबंध ।
73. किसी कुन्डल के चुम्बकीय क्षत्र के प्रदर्शन हेतु प्रबंध।
74. विद्युत् घंटी/टली ग्राफ माडल ।
75. चुम्बकीय क्षत्र में किसी चालक के गति के प्रदर्शन हेतु प्रबंध ।
76. किसी चुम्बकीय क्षत्र में तार की कुन्डली ।
77. किट बक्स ।

कक्षा—6

1—उद्देश्य—(i) नियमित आकार के घनाकार ठोस का आयतन नापना ।

(ii) बेडौल आकार के ठोस (पत्थर के टुकड़े) का आयतन ज्ञात करना ।

(iii) किसी छोटी शीशी व बर्तन की धारिता ज्ञात करना ।

सामग्री—माचिस, बक्स, ईंट, मापन बर्तन, आप्लावी बर्तन, ब्यूरेट, धागा, कील, अंशांकित नपना जार, इत्यादि ।

क्रियाकलाप—पुस्तक, बक्स, ईंट, माचिस आदि घनाकार जैसी वस्तुओं का आयतन, लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई को नापकर, (आयतन=लम्बाई × चौड़ाई × ऊँचाई) के सूत्र से गणना करके ज्ञात करते हैं । नपवा कर गणना करवाइये । नपवाना आवश्यक है ।

पाठ्य पुस्तक में वर्णित विधि से बेडौल आकार के ठोस का आयतन आप्लावी बर्तन एवं नपना जार की सहायता से कक्षा में छात्रों के द्वारा पाठ लेकर ज्ञात कराइये । बहुत छोटी हो तो धागे में बाँधकर, नपना बेलन जार में भरे पानी में पूरा डुबोकर ज्ञात कीजिये । ठोस को पानी में डुबोने के पहले तथा बाद में पानी के तल का पाठ पढ़वाइये । पाठ लेते समय आँख को किस स्थिति में रखें समझाइये ।

2—उद्देश्य—ब्यूरेट द्वारा कील, छर्रे या आलपिन का आयतन ज्ञात करना ।

बर्तन की धारिता का माप लीटर में की जाती है । एक घन डेसी—मीटर, एक लीटर के बराबर होता है । लीटर के हजारवें भाग को एक मिली लीटर कहते हैं । (एक घन सेमी की चम्मच जो किट में है, दिखाइये ।

स्पष्ट करें कि ठोस का आतन घन डेसी मीटर तथा द्रव का आयतन लीटर में व्यक्त किया जाता है । एक लीटर पानी, किट में दिये गये 1 घन डेसी मीटर में डाल कर देखें ।

पाठ्य पुस्तक में वर्णित विधि से सभी क्रियाकलाप व प्रयोग कार्य, कक्षा में प्रदर्शित कीजिये । अच्छी तरह समझने के लिये छात्र द्वारा मापन करना परम आवश्यक है ।

धारिता को स्पष्ट कीजिये :—इस भगोने की धारिता 12 लीटर है, इसका अर्थ है कि इसमें 12 लीटर द्रव भरा जा सकता है । 10 मिली लीटर की शीशी में 10 मिली लीटर द्रव डालने से पूरी भर जाती है । बड़ी टंकी की धारिता 20 लाख लीटर है, कहने से आप अनुमान लगाते है कि उस टंकी में अधिक से अधिक कितना पानी समा सकता है ।

3—उद्देश्य :—पदार्थ के अणुओं के बीच खाली स्थान होता है, प्रयोग एवं उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना ।

सामग्री—टेस्ट ट्यूब की तरह चौड़ी परन्तु लगभग 50 से० मी० लम्बी एक सिरे पर बन्द कांच की नली । कांच की 25, 30 छोटी गोलियाँ, मोटी बालू, नमक की डेलियाँ । (किट से)

क्रियाकलाप :—लम्बी नली या ब्यूरेट के आधे भाग को स्प्रिट से भर दें, इसके बाद शेष नली को सावधानी से एल्कोहल या स्प्रिट से भर कर कार्क से कस कर बन्द करें जिससे कोई द्रव बाहर न निकल सके । अब नली को 10-20 बार ऊपर नीचे करके हिलायें जिससे पानी तथा स्प्रिट खूब घुल-मिल जायें । आप देखेंगे कि नली में भरे मिश्रण का आयतन पहले से कुछ कम हो गया । आयतन में कमी क्यों हुयी ?

मिश्रण का आयतन कम होने के कारण को स्पष्ठ करने के लिये निम्न प्रकार प्रदर्शन करें—एक गैस जार में मोटी, सूखी बालू डालिये कि चौथाई जार बालू से भर जाय। जार के शेष भाग को छोटी-छोटी कांच की गोलियों से भर दें। इस प्रकार पूरे भरे जार को हथेली से कस कर दबा कर 5, 6 बार उलटिये, फिर सीधा करके जार को रखिये। छात्रों से पूछिये कि कांच की गोलियों के बीच खाली स्थान में अब क्या भर गया ? बेल-जार कुछ खाली क्यों हो गया ? (छात्र बतायेंगे कि बालू जो पहले जार के निचले भाग में थी अब, गोलियों के बीच खाली स्थान में समा गयी है।

शिक्षक स्पष्ट कर दें कि स्प्रिट या एल्कोहल के अपेक्षाकृत छोटे अणु, पानी के अणुओं के बीच के रिक्त स्थान में चले .ये, जिससे पानी तथा एल्कोहल के मिश्रण का आयतन कुछ कम हो गया।

यही प्रयोग, गैस जार में लम्बी नली या ब्यूरेट आदि में छोटी-छोटी 15-20 नमक की डेलियाँ डालें, फिर जार को पूरा पानी से भर कर कई बार हिलाकर, किया जा सकता है। तथा स्पष्ट किया जा सकता है कि, चाहे नमक हो या चीनी, जब वह किसी द्रव में घुलती है तो नन्हें-न्हें कणों में टूट कर, द्रव के अणुओं के बीच के अन्तरावकाश में समा जाती है। पदार्थ के अणुओं के बीच इस खाली स्थान को "आणुविक अन्तरावकाश" कहते हैं।

4—उद्देश्य—हवा में आयतन के अनुसार आक्सीजन का भाग ज्ञात करना।

उपकरण तथा सामग्री—द्रोणिका, कार्कयुक्त, बेलजार, उद्हन चम्मच, स्प्रिट लैम्प, कांच चिन्हित करने वाली पेन्सिल, लाल फास्फोरस, पानी, दियासलाई, पत्थर या ईंट के गुटके मोमबत्ती, माचिस गैस जार। (रसायन विज्ञान किट से)

क्रियाकलाप—पाठ्य पुस्तक के चित्र के अनुसार पानी से भरी द्रोणिका में पत्थर का गुटका रख कर उस उस पर बेलजार रखें। बेलजार पर पेन्सिल से पानी के तल का चिन्ह अंकित करें। बेलजार के मुंह से इस चिन्ह तक की लम्बाई को चित्र के अनुसार पाँच भागों में विभाजित कर चिन्ह लगायें।

फास्फोरस की थोड़ी मात्रा उद्हन चम्मच पर रखकर इसे इतना गरम करें कि फास्फोरस जलने लगे। अब उद्हन चम्मच को शीघ्रता पूर्वक बेलजार के भीतर डालकर कार्क से इसके मुंह को बन्द कर दें।

प्रेक्षण—(i) फास्फोरस जलकर सफेद धुयें में बदलने लगता है।
(ii) जार के अन्दर उपस्थित आक्सीजन समाप्त हो जाने पर फास्फोरस का जलना बन्द हो जाता है।
(iii) बेलजार के आयतन के पांच विभाजित भागों में से नीचे के एक भाग अर्थात् 1/5 भाग में पानी ऊपर चढ़ जाता है।

निष्कर्ष—हवा में आयतन के अनुसार 1/5 भाग आक्सीजन है।

विशेष—(i) उद्हन चम्मच में लगी कार्क का आकार बेलजार के कुछ छोटा होना चाहिये।
(ii) बेलजार के जल से रिक्त स्थान को कागज की पट्टी चिपका के 5 सम भागों में विभाजित करना चाहिये।
(iii) इसी तथ्य को मोमबत्ती को द्रोणिका में चिपकाकर, तदुपरान्त पानी भर कर, मोमबत्ती जलाकर बेलजार रखकर प्रदर्शित किया जा सकता है। द्रव की आक्सीजन मोमबत्ती के जलने से कार्बनडाइ आक्साइड में बदलती है। चूंकि यह बनी गैस जल में घुलनशील है अतः कार्बनडाई आक्साइड के पानी में घुलने के कारण, खाली हुये स्थान में पानी चढ़ जाता है।

(5) **उद्देश्य**—दो अविलेय द्रवों को जो आपस में रासायनिक क्रिया न करते हों पृथक्कारी फनेल द्वारा पृथक करना।

उपकरण तथा सामग्री—छल्ला युक्त क्लैम्प सहित क्लैम्प स्टैन्ड, बीकर, कांच की नली, रबर की नली पिंच काक, कांच की कीप, दो अविलेय द्रव (पानी और किरोसिन तेल)।

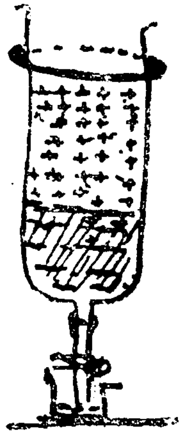

क्रियाकलाप—कांच की कीप को रबर की नली द्वारा कांच की नली से जोड़ें। रबर की नली को पिंच काक की सहायता से बन्द कर दें। क्लैम्प के छल्ले में कीप को लगाकर उसके नीचे बीकर रख दें।

कीप में किरोसिन तेल तथा पानी के मिश्रण डालकर उपकरण को स्थिर रहने दें हल्का द्रव ऊपर तथा भारी द्रव नीचे अलग-अलग पर्तों में हो जाता है। अब पिंच काक को धीरे से खोलकर निचली तह के द्रव, (जल) को बीकर में गिरने दें। जल के पूरा बह जाने पर पिंच कार्क बन्द कर दें। इसी प्रकार दो या तीन अबिलेय द्रवों को भी अलग-अलग किया जा सकता है। पिंच काक को धीरे-धीरे खोलिये। जब एक द्रव लगभग निकल कर समाप्त होने वाला हो तो बहुत धीमे टपटप करके बूंदें गिरायें।

(कड़ुवा तेल तथा पानी के मिश्रण में से पानी किस प्रकार अलग करें समस्या के रूप में छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करें)।

[धूल, पानी, तेल, कूड़ा करकट के मिश्रण से, निथारकर, छानकर, पृथक्कारी नली आदि के अवयवों को अलग करना, छात्रों द्वारा समस्या हल करने के रूप में पढ़ाइये।]

(6) **उद्देश्य**— (i) प्राणि जगत में पाये जाने वाले जन्तुओं में विविधता का ज्ञान देना।

क्रिया कलाप— घर, खेत, मैदान, बाग, चिड़ियाघर में देखे जाने वाले जन्तुओं से परिचित करवाइये।

शिक्षक 'कशेरुकी' यवा 'अकशेरुकी' प्राणियों का भेद स्पष्ट करके शेर, हाथी, मनुष्य, बन्दर, कुत्ता मछली, पक्षी, मेढ़क, छपकली, साँप, चूहा, बिल्ली, कछुआ, डाइनासोर, घड़ियाल आदि को वर्गीकृत करायें:

शारीरिक वाह्य रचना, हाथ, पैरों की संख्या, रहने–सहने का ढंग, क्या भोजन करते हैं। चबाकर, कुतरकर, झपट–नोचकर किस प्रकार भोजन करते हैं, कहाँ (घर, खेत, नदी, तालाब, पेड़, बिल, अकाश, बर्फ में, समुद्र में, जंगल में, रहते देखे जाते हैं? चलने का ढंग (दौड़कर, उड़कर, तैरकर, रेंगकर, फुदक–फुदक कर) कैसा है? किस प्रकार साँस लेते हैं? मेढ़क जल थल दोनों के लिए कैसे अनुकूलित हैं? किट में उपलब्ध चार्ट की सहायता लेकर ज्ञान दिया जाय।

प्रकरण-कोशिका

(7) **उद्देश्य**—प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाना।

उपकरण एवं सामग्री—स्लाइड, कवरस्लिप, सूक्ष्मदर्शी, स्वच्छ रूमाल, सोखता कागज, बीकर, बिच्छेदन सुई, चिमटी, ब्रश, आयोडीन का घोल।

क्रिया–कलाप—ड्रापर की सहायता से एक बूंद साफ पानी एक साफ स्लाइड के बीच में रखिए। एक प्याज काट करके उसका एक मांसल शल्क पत्र अलग करके, उसकी अधर सतह से चिमटी द्वारा पारदर्शक झिल्ली को पृथक कीजिए। झिल्ली का एक छोटा टुकड़ा काटकर अलग कीजिए और स्लाइड पर रखी जल की बूंद में रख दीजिए। इस झिल्ली को सावधानी से ब्रश की सहायता से फैला दीजिए अब ड्रापर की सहायता से एक बूंद

आयोडीन का घोल स्लाइड पर रखी पानी की बूंद में डाल दीजिए। लगभग दो तीन मिनट पश्चात् ड्रापर की सहायता से अभिरंजित झिल्ली को पानी से धो डालिए और स्लाइड पर एक बूंद जल रखकर अभिरंजित झिल्ली को उसी में छोड़ दीजिए। अब दूसरी स्लाइड लेकर उसके मध्य में ड्रापर से एक बूंद पानी रखिए। ब्रश की सहायता से अभिरंजित झिल्ली को पहली स्लाइड से उठाकर दूसरी स्लाइड पर रखी हुई जल की बूंद से रख दीजिए। अब एक कवर स्लिप को सुई के सहारे धीरे-धीरे बूंद के ऊपर रखिये। अब इस स्लाइड को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन कीजिये।

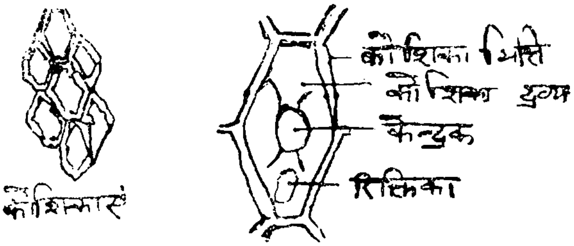

चित्र—प्याज की वाह्य त्वचा की कोशिकाएं।

टिप्पणी—आयोडीन पानी में अघुलनशील होती है। यह पोटैशियम आयोडाइड के विलयन में घुलनशील है। 10 ग्राम पोटैशियम आयोडाइड को 100 घन सेन्टीमीटर आसुत जल में मिलाइए और फिर इस विलयन में 5 ग्राम आयोडीन डालकर मिला दीजिए। यह आयोडीन का विलयन है।

निष्कर्ष—प्याज की झिल्ली कोशिकाओं से निर्मित होती है इसके अन्दर एक केन्द्रक, कोशिका द्रव्य, रिक्तका कोशिका भित्ति से घिरी हुई पायी जाती है।

(1) **उद्देश्य**—गैस (हवा) में संवहन धारा का प्रदर्शन ।

सामग्री—(1) मोमबत्ती (2) शीशे का सिलिन्डर या लेम्प की चिमनी (3) T पत्ती (4) दियासलाई ('T' की धातु कीपत्ती न होने पर पट्टे की T उचित आकार की बना लेना चाहिए) (किट से)

क्रिया-कलाप—मेज पर एक छोटी मोमबत्ती चिपकाकर जलायें । जलती हुई मोमबत्ती को शीशे के सिलिन्डर से ढक दें । यदि सिलिन्डर में नीचे से हवा आने की संभावना हो तो उसे प्लास्टिसीन से बन्द कर दें और अवलोकन करायें थोड़ी देर में मोमबत्ती बुझ जाती है । प्रयोग पुनः दोहरायें, जब मोमबत्ती बुझने वाली हो तो T पत्ती को शीशे के सिलिन्डर में ऊपर से इस प्रकार डाल दें कि मोमबत्ती सिलिन्डर में T पत्ती के किसी एक तरफ रहे । अब अवलोकन करायें मोमबत्ती की लौ की लम्बाई बढ़ जाती है और यह जलती रहती है । सुलगती हुई लकड़ी को ऊपर, 'टी के उस तरफ रखें जिधर मोमबत्ती नहीं है, तो धुंआ नली में नीचे जाकर, मोमबत्ती की तरफ प्रवेश कर ऊपर उठकर बाहर जाता हुआ दिखाई देगा ।

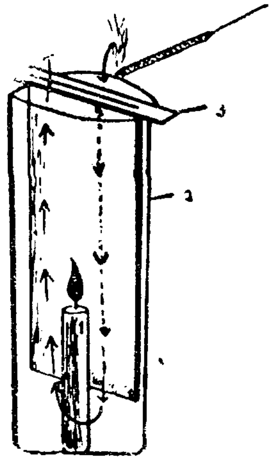

निष्कर्ष—स्पष्ट करें कि T पत्ती के एक ओर से गर्म हवा बाहर निकलती है तभी शुद्ध हवा अन्दर जाती है जो मोमबत्ती को जलने में सहायता करती है ।

इसी प्रकार कमरे की हवा जब गर्म होकर ऊपर ऊठती है तो ताजा हवा अगल-बगल से उस स्थान पर आकर 'संवाहन धारायें बनाती है ।

गर्म गन्दी हवा को बाहर निकलने के लिए, छत के पास, निकास द्वारा "रोशन दान" बनाये जाते हैं, गर्म हवा के बाहर निकलते रहने पर ही शुद्ध हवा, खिड़की व दरवाजों से कमरे में प्रवेश कर पाती है ।

प्रतिक्रिया बल का प्रदर्शन

(2) **उद्देश्य :**—प्रतिक्रिया बल का ज्ञान ।

सामग्री :—(1) स्टैन्ड (2) फनेल या पिचकारी (3) रबड़ की नली (4) एक सिरे पर मुड़ी हुई प्लास्टिक या शीशे की नली (5) शीशे की नाँद या धातु की कटोरी ।

क्रिया-कलाप :—एक सिरे पर मुड़ी हुई प्लास्टिक या शीशे की नली को रबर की छोटी नली से तथा रबर की नली को फनेल पिच-कारी की नली से जोड़ें चित्रानुसार फनेल स्टैन्ड में लगायें। फनेल में पानी डालें और नली के मुड़े हुए सिरे का अवलोकन करायें, नली पानी के निकलने की विपरीत दिशा में क्यों हट जाती है ?

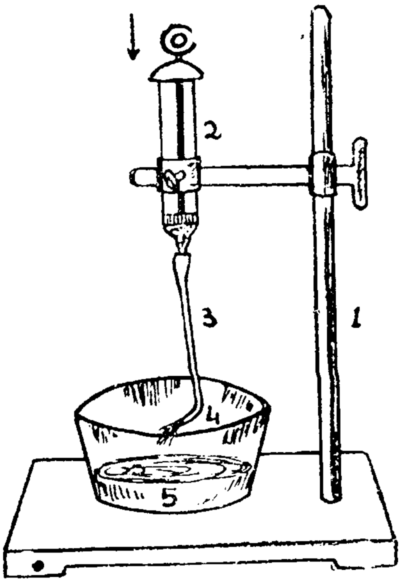

अतिरिक्त ज्ञान :—शिक्षक स्पष्ट करें कि, क्रिया एक वस्तु पर और प्रतिक्रिया दूसरी वस्तु पर विपरीत दिशा में होती है।

नाव से कूदते समय, आप नाव को पीछे की ओर बल लगा कर धक्का देते हैं तब नाव प्रतिक्रिया स्वरूप आप को विपरीत दिशा में (आगे की ओर) उछालती है।

(3) उद्देश्य :—द्रव में संवहन धारायें प्रदर्शित करना।

सामग्री :—(1) स्टैन्ड (2) फ्लास्क (3) किरोसिन बर्नर (4) पोटैशियम परमैगनेट (किट से) (5) पानी (6) तार की या कपड़े की जाली का टुकड़ा (7) मोम (8) धागा

क्रिया-कलाप :—फ्लास्क को आधा पानी से भर स्टैन्ड से सीधा कस दें। अब पोटैशियम परमैगट के कुछ कण मुलायम मोम के अन्दर गोली बनाकर, भारी लोहे के टुकड़े से धागे से बांध कर फ्लास्क की तली में रख दें। पानी को बर्नर से गरम करें, गर्मी से मोम पिघलने पर लाल दवा के कण पानी के सम्पर्क में आवेंगे तब अवलोकन करायें कि जल की तली से पतली लाल धाराएँ नीचे से ऊपर को उठती हैं तथा चक्कर काटती हुई नीचे वापस आ जाती हैं, कुछ ही समय तक, यही क्रम चलता है और अन्त में सारा पानी लाल हो जाता है उपर्युक्त अवलोकन के आधार पर ऊष्मा संवहन की क्रिया स्पष्ट करें। (तार की जाली के अन्दर, मोम की गोली को रखना अच्छा रहेगा, क्योंकि मोम हल्का होने के कारण ऊपर उठ कर पानी के ऊपर चला जाता है तो प्रदर्शन असफल हो जाता है।)

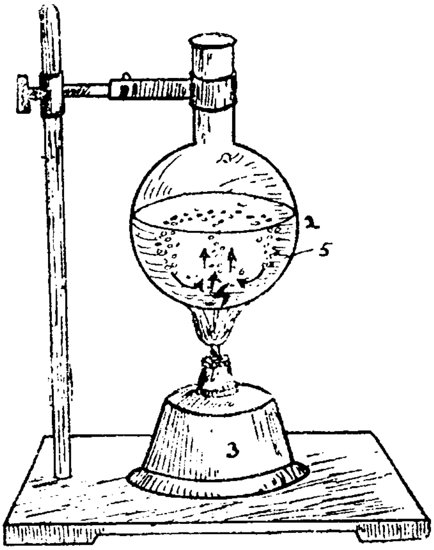

(4) उद्देश्य—एक कोशिकीय प्राणी प्रोटोजोआ से अवगत कराना।

क्रिया कलाप—सबसे पहले प्राणि एक कोशिका के रूप में प्रगट हुआ। इनके कुछ उदाहरण आज भी पाये जाते हैं। छात्रों को गंदे पानी में अमीबा को सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखायें। यदि सूक्ष्मदर्शी न हो तो अमीबा का चित्र दिखाकर निम्नांकित लक्षणों से अवगत करायें।

1—अमीवा के शरीर पर उंगलियों के आकार की रचना पादाम या कूटपाद।

2—चित्रों की सहायता से कूटपादों द्वारा इसमें गति तथा भोजन पकड़ने का ढंग समझायें।

3—अमीबा के शरीर में श्वसन, उत्सर्जन के कार्य होते हैं तथा यह वातावरण के प्रति सजग भी रहता हैं। इसका आभास करायें।

क्रिया कलाप—पाठ्य पुस्तक में वर्णित विधि से क्रिया कलाप करिये चित्र 17.1 पैरामीशिय; 17.2 अमीबा को श्यामपट पर बनाइये तथा छात्रों से बनवाइये।

पैरामीशियम को जीवित चलते फिरते दिखाने के लिए प्रयोगशाला में इसका कल्चर इस प्रकार तैयार करें।

एक बीकर में कुछ गेहूं का भूसा पानी में उबाल कर ठंडा करें। इसमें तालाब या पोखर का थोड़ा सा गन्दा पानी मिला दें। कमरे के ताप पर कुछ दिनों में पैरामीशियम का कल्चर तैयार हो जायेगा।

ड्रापर की सहायता से एक बूंद कल्चर साफ स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करायें।

शिक्षक स्पष्ट करें कि प्रकृति में अमीबा, पैरामीशियम जैसे एक कोशिकीय जन्तु पाये जाते हैं जिन्हें प्रोटोजोआ संघ में रखते हैं कुछ हानिकारक प्रोटोजोआ भी हैं जैसे मलेरिया परजीवी जो मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं तथा [illegible] अमीबा जो पेचिस का रोग उत्पन्न करते हैं।

(5) उद्देश्य—"जड़ें भूमि से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं" परिचित करना।

उपकरण—सेम, चने के बीज, सोख्ता कागज, दो परखनलियां, पानी, तेल, रुई।

क्रिया कलाप—कुछ सेम तथा चने के बीजों को भीगे सोरकों पर रखकर अंकुरित कराइये। अब दो परखनलियां लीजिए। एक में पानी डालें और सेम के नवोद्भिद की जड़े पानी में डुबोइए। पौधे को रुई की सहायता से उचित स्थिति में रखिए। पानी के ऊपर तेल डाल दें, जिससे तेल की पतली तह पानी को भाप बनाकर न उड़ने दें। दूसरी परखनली को इसी प्रकार बनाएँ परन्तु उसमें नवोद्भिद न रखें। दोनों परखनलियों में पानी के तल पर स्याही से निशान लगाइये।

दो दिन पश्चात दोनों परखनलियों में पानी के तल का निरीक्षण कीजिए।

निष्कर्ष—नवोद्भिद वाली परखनली में पानी का स्तर नीचा हो गया हैं तथा दूसरी परखनली में पा[illegible] का स्तर पहले जितना ही रहता है।

कक्षा—8

(1) उद्देश्य—(i) प्रकाश किरण, समान्तर, अपसारी तथा अभिसारी किरणपुंज को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधि से अवगत कराना। सरल रेखा और प्रकाश किरण के प्रदर्शन में क्या अन्तर है, समझना।

(ii) प्रकाश स्रोत, अपारदर्शी एवं पारदर्शी वस्तुओं से अवगत कराना।

(iii) बालकों को देखकर स्पर्श कराकर एवं प्रतिबिम्ब बनाकर समतल, उत्तल एवं अवतल दर्पण की पहचान कराना।

(iv) देखकर स्पर्श एवं प्रतिबिम्ब बनाकर प्रिज्म उत्तल एवं अवतल लेंस की पहचान कराना, तथा उन्हें रेखाचित्र में प्रदर्शित करने का अभ्यास कराना। यह बताना कि वें आपाती किरण को किस प्रकार मोड़कर निगत करते हैं ? स्पष्ट कराना कि आपाती किरण मोटे भाग की ओर मुड़ती है।

सामग्री :—किट में दिये गये दर्पण व लेंस

क्रियाकलाप—(i) श्यामपट पर रेखाचित्र बनाकर समान्तर, अभिसारी एवं अपसारी किरणपुंज को प्रदर्शित कीजिए तथा बालकों से उनकी कापी पर बनवाकर अभ्यास कराइये। उन्हें, स्पर्श करने दे, प्रतिबिम्ब देखने दें, जिससे पहचान सकें प्रतिबिम्ब बनाने वाली कौन-सी वस्तु हैं पुस्तकों में बने किरण आरेख बनाने के नियम समझाते हुये प्रतिबिम्ब बनवाइये।

(ii) कक्षा में कुछ प्रकाश स्रोत, अपारदर्शी एवं पारदर्शी वस्तुओं को छात्रों को दिखाइये तथा लगभग 20 उपर्युक्त वस्तुओं के नाम लिखकर बालकों से वर्गीकृत कराइये।

(iii) (क) बालकों को समतल, उत्तल तथा अवतल दर्पण को दिखाकर, स्पर्श कराकर इनकी पहचान कराइये।

(ख) समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण द्वारा विभिन्न दूरियों पर बने प्रतिबिम्ब के आधार पर बालकों को इनकी पहचान कराइये।

(iv) (क) प्रिज्म उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस को बालकों के स्पर्श कराकर इनकी पहचान कराइये।

(ख) उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस द्वारा विभिन्न दूरियों पर बने प्रतिबिम्ब के आधार पर बालकों को इनकी पहचान कराइये।

(2) उद्देश्य—किट में उपलब्ध धूम्रकक्ष की सहायता से छात्रों को :—

(i) समान्तर प्रकाश किरणपुंज को दिखाना

(ii) समतल दर्पण द्वारा परावर्तन दिखाना

(iii) उत्तल लेंस द्वारा समान्तर किरणपुंज की अभिसारी क्रिया दिखाना

(iv) प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरण का विचलन तथा स्पेक्ट्रम बनना प्रदर्शित करना

सामग्री—कक्षा 8 भौतकी किट में धूम्रकक्ष में रखे विभिन्न उपकरण (समतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल परावर्तक तल, प्लास्टिक के आयताकार आधार पर चिपका हुआ प्रिज्म डिस्क इत्यादि) दियासलाई, धूपबत्ती, तथा कार्बन कागज, टार्च यदि उपलब्ध हो।

क्रियाकलाप :—किट में दिये गये बड़े समतल दर्पण को, स्टेन्ड में कस लीजिये। इस स्टेन्ड को धूप में ऐसे स्थान पर रखिये, कि सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर, धूम्रकक्ष की क्षैतिज स्लिटों पर पड़कर, उसके अन्दर क्षैतिज दिशा में प्रवेश करें। धूम्रकक्ष को कक्षा में ऐसी ऊँचाई पर रखें कि समस्त कक्षा को दिखाई दे।

प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, परन्तु जब प्रकाश किरणपुंज, नन्हें-नन्हें धुयें के कणों में से गुजरता है, तो धुयें के कण प्रकाश को इधर-उधर बिखेर देते हैं, जिससे प्रकाश के गुजरने के लम्बवत दिशा में उसके जाने का मार्ग दिखाई देता है।

(1) गीली धूपबत्ती को जला कर कुछ देर बाद लौ को बुझा कर खिड़की में से, धूम्रकक्ष के अन्दर रखें कुछ समय में धूम्रकक्ष के अन्दर पर्याप्त मात्रा में धुआँ भर जायेगा। अब धूपबत्ती को बाहर निकाल कर खिड़की बन्द कर दीजिये। अब सूर्य का प्रकाश धूम्रकक्ष के अन्दर जिस मार्ग से जायेगा वह रास्ता, समान्तर किरणपुंज के रूप में दिखाई देगा।

(2) समतल दर्पण को, डिस्क पर लगी पत्तियों में फँसा कर डिस्क की डण्डी को धूम्रकक्ष के अन्दर पिछली सतह में बने उस छेद में प्रवेश कराइये जो प्रकाश के अन्दर आने वाली स्लिटों से दूर है। डण्डी को घुमा कर समतल दर्पण को प्रकाश किरणों की ओर ऐसी स्थिति में कसिये कि आपाती समान्तर किरणपुंज तथा परावर्तित हुआ किरणपुंज, स्पष्ट छात्रों को दिखाई दें। ऐसा चित्र पाठ्य पुस्तक में बना है।

(3) किट में उत्तल लेंस, प्लास्टिक के घेरे में जड़ा हुआ दिया गया है, इस घेरे में एक टीन की पत्ती का हुक जड़ा है। हुक को धूम्रकक्ष की दीवार में बने सरकने वाले पत्ती पर टिका दीजिये। अब शीशे को खिसका कर यथास्थान ले आइये। धूम्रकक्ष में पुनः पर्याप्त मात्रा में धुआँ करिये। अब समतल दर्पण द्वारा तीव्र समान्तर किरणपुंज स्लिटों द्वारा, कक्ष के अन्दर इस प्रकार प्रवेश कराइये कि ये प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर पड़ें। उत्तल लेंस इन प्रकाश की किरणों को किस प्रकार मोड़ कर, फोकस पर केन्द्रित करके आगे भेजता है, सभी को दिखाई देगा। इसी प्रकार उत्तल लेंस को हटा कर अवतल-लेंस को लगा कर, समान्तर किरणपुंज की अपसारी क्रिया का प्रदर्शन कीजिये।

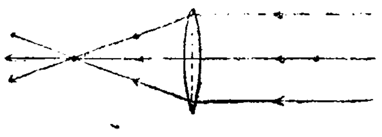

(उत्तल लेंस की क्रिया)

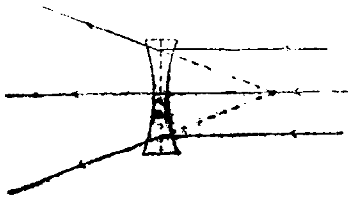

(अवतल लेंस की क्रिया)

(4) काँच की प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश की किरण का विभिन्न रंगों में बिखरना तथा मुड़ना दिखाने के लिये, केवल एक स्लिट ही खुली रखें शेष को बन्द कर दें। डिस्क पर प्रिज्म को फिट करें तथा डिस्क स्लिट के समीप वाले छेद में फिट करें तथा डण्डी की ढिबरी की सहायता से कस दें।

तीव्र श्वेत प्रकाश किरण जब प्रिज्म पर आपाती होगी तो निर्गत किरण प्रिज्म के मोटे भाग की ओर मुड़कर निकलती है। बाहर निकलने वाली निर्गत किरण कहलाती है। चूंकि प्रिज्म द्वारा, हरे, लाल, पीले, नीले रंगों का विचलन अलग-अलग मात्रा में होता है, इसलिये निर्गत प्रकाश में विभिन्न रंग की किरणें अलग-अलग दिशा में चलती हैं। विभिन्न रंगों की यह किरणें, सफेद कागज पर पड़ कर सात रंगों का स्पेक्ट्रम बनाती हैं, जिसे छात्रों को दिखाइये।

डिस्क की डण्डी को ढ़ीली करके, आगे पीछे करके, तथा घुमा कर इस प्रकार समंजित कीजिये कि छात्र पहचान सकें कि आपाती किरण और निर्गत किरण कौन सी है। आपाती किरण प्रिज्म पर ही पड़ेगी तभी यह सम्भव होगा।

(3) उद्देश्य—(i) दोलन, आयाम, पूर्णदोलन एवं दोलनकाल से अवगत कराना।

(ii) वस्तुओं के कम्पन से ध्वनि उत्पन्न होती है, स्पष्ट कराना।

उपकरण—(1) धागा (2 मी० लम्बा) (2) कील (3) भारी धातु का छोटा गोला (किट से) (4) थाली, कटोरी, 1 तार, दो कीलें।

क्रियाकलाप—(i) लगभग 2 मी० लम्बे धागे के एक सिरे पर एक पत्थर का टुकड़ा बाँधकर दूसरे सिरे को दीवाल पर लगी कील से बाँधें। पत्थर को हाथ से पकड़कर मध्यमान स्थिति से लगभग 25 सेमी दूर ले जाकर छोड़ दें जिससे कि यह दोलन करने लगे। बालकों को पत्थर के टुकड़े की गति को अवलोकन करायें और उन्हें दोलन गति का आयाम स्पष्ट करें कि मध्यमान स्थिति से एक ओर महत्तम विस्थापन आयाम कहलाता है। यह भी स्पष्ट करें कि एक दोलन कब पूरा होता है। बालकों के साथ 10 दोलनों को गिनकर अभ्यास करायें। एक पूर्ण दोलन में लगा समय दोलनकाल कहलाता हैं।

(ii) धागे की लम्बाई लगभग 50 सेमी करके पुनः दोलन करायें और बच्चों से देखकर निष्कर्ष निकलवायें कि लम्बाई कम होने पर एक दोलन जल्दी पूरा होता है अर्थात् दोलनकाल कम हो जाता है। दोलन जल्दी-जल्दी होते हैं। लम्बी तथा दूसरी छोटी लोलक को साथ-साथ दोलन कराने से यह तत्थ सरलता से स्पष्ट होता है।

(iii) मेज पर लगभग 2 फिट की दूरी पर दो कीलें गाड़िये, इसमें पतला तार कस कर बाँधिये। इस तने हुए तार को बीच में अँगुली से खींचकर छोड़िये। तार कम्पन करेगा तथा ध्वनि उत्पन्न होगी। सितार, बेंजो, गिटार आदि में तने हुये तारों के कम्पन करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। पुस्तक में वर्णित क्रियायें भी करिये।

(iv) ढोलक, तबला, ढोल आदि को थप-थपाने से कम्पन होते हैं तथा ध्वनि उत्पन्न होती है।

निष्कर्ष—ध्वनि का उत्पन्न होना तथा परिगमन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना 'कम्पन' के द्वारा ही सम्भव होता है।

(4) उद्देश्य—कार्बनडाई आक्साइड गैस या हाइड्रोजन गैस इच्छानुसार, समायोजित (i) गैस उत्पादक की सहायता से तैय्यार करना।

सामग्री—रसायन किट में दिया गया समायोजित गैस उत्पादक, जिसमें कांच की चौड़े मुँह की शीशी है, तथा इस बोतल में फिट हो सकने वाली रबड़ की बड़ी कार्क में एक ऐसी टेस्टट्यूब कस कर फिट की गयी है-

है, जिसकी पदी मे एक छोटा छेद है । टस्ट ट्यूब के खुले सिरे में फिट होने वाली रबड़ की कार्क में समकोण पर मुड़ी एक काँच की नली फिट होती । कार्क को टेस्टट्यूब में फिट करने से टेस्टट्यूब में बनी गैस इस नली में होकर बाहर निकलती है । इस मुड़ी नली के बाहरी सिरे पर पतली रबड़ की नली इच्छानुसार आवश्यक लम्बाई की जोड़ देते हैं । रबड़ की नली के दूसरे सिरे पर छोटी काँच की नली फिट कर देते हैं । रबड़ की नली को क्लिप से आवश्यकता पड़ने पर बन्द भी कर सकते हैं ।

(ii) कार्बन डाइ-आक्साइड गैस पैदा करने के लिये टेस्टट्यूब में 10 ग्राम संगमरमर के छोटे-छोटे टुकड़े

(iii) 200 मिली ली० तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल

(iv) हाइड्रोजन गैस बनाने के लिये जस्ते के छोटे-छोटे टुकड़े (100 ग्राम)

क्रियाकलाप :—काँच की शीशी को आधा हल्के नमक के तेजाब से भर दीजिये । तत्पश्चात् पेंदी में छेद वाली टेस्टट्यूब को डाट समेत इसमें फिट करें ।

टेस्टट्यूब के नीचे वाले छेद से अम्ल जैसे उसके अन्दर प्रवेश करेगा, उसमें रखे (संगमरमर या जस्ते) के टुकड़ों से रासायनिक क्रिया करके गैस नली में होकर बाहर निकलेगी ।

गैस के गुणों का अध्ययन करने के लिये उसे गैस जार में एकत्र करें, या बिना एकत्र करे परीक्षण करें ।

जब गैस की आवश्यकता नहीं है तब कार्क सहित टेस्टट्यूब को ऊपर उठाकर बाहर निकालिये । टेस्ट-ट्यूब में अम्ल शीशी में गिर जायेगा, और क्रिया बन्द हो जायेगी ।

अभिक्रिया को व्यक्त करने वाला समीकरण है :—

$$CaCO_3 + HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2 \uparrow$$

संगमरमर (केल्सियम कार्बोनेट)   नमक का अम्ल (हाइड्रोक्लोरिक अम्ल)   केल्सियम क्लोराइड   (पानी)   कार्बन डाइआक्साइड

नोट :—हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने के लिये, टेस्टट्यूब में जस्ते के टुकड़े रखेंगे तथा शीशी में नमक का, या गंधक का हल्का तेजाब भरेंगे ।

रासायनिक समीकरण होगी :—

$$Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2 \uparrow$$

जिंक   गंधक का तेजाब   जिंक सल्फेट   हाइड्रोजन गैस

सावधानियाँ :—

(1) उपकरण वायुरुद्ध होना चाहिये ।

अतिरिक्त ज्ञान :—

(1) यह प्रदर्शित करके दिखाइये कि कार्बनडाइ आक्साइड गैस की बहुतायत में आग बुझ जाती है ।

(2) कार्बनडाइ आक्साइड गैस जल में घुलकर उसे अम्लीय बना देती है. इसे लिटमस पेपर की सहायता से प्रदर्शित करिये । नीले लिटमस पेपर को अम्ल लाल कर देता हैं ।

(3) इस गैस को सोडा वाटर, कोकाकोला, आदि पेय पदार्थों में घोलकर, पेय पदार्थों को पाचक बनाते हैं।

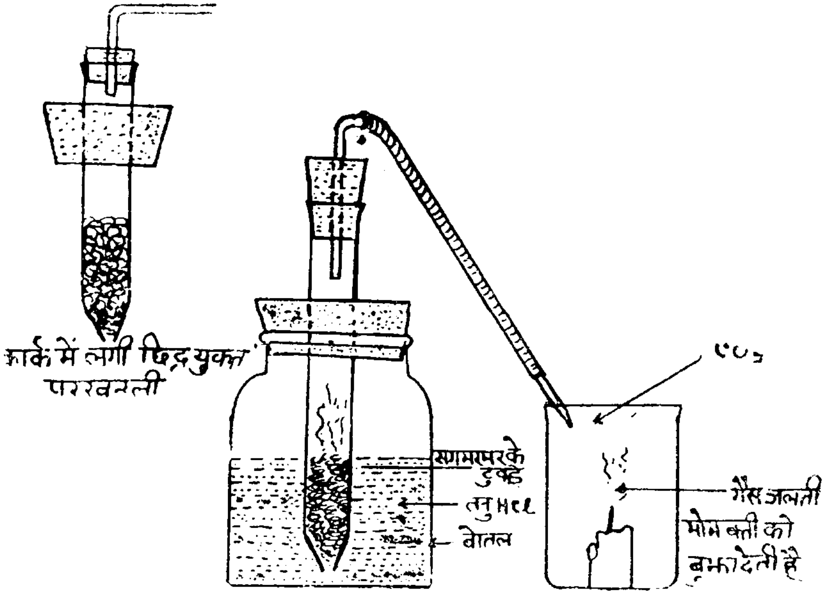

चित्र—समायोजित गैस उत्पादक की सहायता से CO_2 गैस का निर्माण

(5) उद्देश्य—मेढ़क के रुधिर की संरचना का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन ।

सामग्री—सूक्ष्मदर्शी, स्लाइड, कवर स्लिप, ईयोसीन अभिरंजक ।

मेढ़क को क्लोरो फार्म सुंघाकर मूर्छित करके विच्छेदन डिस पर पिन करके उसका विच्छेदन किया गया। इसके बाद उसके अंतरांग खोल दिये गये किसी एक अंग को सुई से छेद करके एक बूंद रुधिर काँच की साफ स्लाइड पर रख दिया गया, दूसरी स्लाइड की सहायता से पतली फिल्म बनाई गई, इस फिल्म को हवा में सुखाइये फिल्म को फिक्स करने के लिए स्लाइड पर चार पाँच बूंद अल्कोहल डाल दीजिये, तथा चार पाँच मिनट तक सूखने रख दीजिये, तत्पश्चात स्लाइड पर दो चार बूंद ईयोसीन फैला दीजिये इसके बाद स्लाइड को थोड़ा सा हिलाइये लगभग 15 मिनट के पश्चात इस स्लाइड को पानी से धोकर ब्लाटिंग पेपर या कपड़े के द्वारा सुखा दो अंत में इसी स्लाइड पर दो तीन बूंद ग्लसरीन डालकर कवर स्लिप से ढक दीजिये, तत्पश्चात सूक्ष्मदर्शी यन्त्र से लाल कणिकाओं का अध्ययन कीजिए। रुधिर कणिकाओं का आकार नुकीला, कोनेवाला न होकर किस प्रकार का है वृत्ताकार है जिससे कणिकाओं को गति करने में सरलता हो। न्यूक्लियस है कि नहीं, है तो केन्द्र से कुछ हटकर है कि केन्द्र पर है, स्पष्ट करें। रक्त में कणिकाओं के अतिरिक्त क्या होता है, उसका कार्य भी समझायें।

प्रकरण—पुष्प के विभिन्न भाग

(6) उद्देश्य—एक सामान्य द्विलिंगी पुष्प के विभिन्न भागों का अध्ययन करना।

सामग्री—छोटी चिमटी, कांच की पट्टी (स्लाइड), विच्छेदन सुई, आवर्धक लैंस तथा सूक्ष्मदर्शी। इसके अतिरिक्त छात्रों से सरसों अथवा मूली, बैंगन, पिटूनिया तथा धतूरा आदि के द्विलिंगी पुष्प आस-पास के खेतों से एकत्रित कराइये।

क्रिया-कलाप—अध्यापक सरसों के फूल के विभिन्न भागों को अलग-अलग करके छात्रों को दिखायेंगे। पाठ्यपुस्तक चित्र 13.1 तत्पश्चात छात्र भी सरसों के फूल के विभिन्न भागों को सावधानी पूर्वक अलग करके अध्ययन करेंगे। प्रश्नोत्तर विधि से छात्रों को सरसों के पुष्प के विभिन्न भागों के नाम एवं उनके कार्य बतलाइये।

प्रश्न— 1—पुष्प जिस संरचना से पौधों के तने पर लगा रहता है उसे क्या कहते हैं? उसका क्या कार्य है?

2—पुष्प के विभिन्न चक्र जिस सँरचना से जुड़े रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसका क्या कार्य है?

3—पुष्प-वृन्त पर लगी छोटी-छोटी हरी पत्तियों की तरह की संरचनाएँ परस्पर मिलकर क्या कहलाती हैं तथा उनका क्या कार्य है? इन्हें (छात्रों द्वारा छोटी चिमटी की सहायता से निकालकर और कांच की पट्टी पर विधिवत् रखकर) गिनवाया जाय तथा सारणी में अंकित करवाया जाय।

4—पुष्प में अंखड़ियों अथवा वाह्य दल चक्र को निकालने के बाद जो रंगीन चक्र दिखलाई देता है उसे क्या कहते हैं? यह रंगीन क्यों होता है तथा इसे बनाने वाले छोटी-छोटी रंगीन पत्ती की तरह की संरचनाओं की संख्या क्या है? इस संख्या को सारणी में अंकित करवाया जाय।

5—रंगीन पंखड़ियों के चक्र को चिमटी से हटाने के बाद जो चक्र दिखलाई देता हैं उसका क्या नाम है? यह कितने पुंकेसरों से बना होता है? (गिनकर सारणी में अंकित करें) इनके सिरों को स्पर्श करने पर उँगलियों में क्या चीज चिपक जाती है? इनका क्या कार्य है?

6—पुष्प के केन्द्र में कौन भाग स्थित रहता है? इसका ऊपरी सिरा चिप-चिपा क्यों होता है इसका क्या कार्य है? इसकी संख्या भी सारणी में अंकित करवाई जाय।)

कार्य-कलाप—2

कुछ ऐसे प्रयोगों की सूची बनाइये
जिन्हें आपने विद्यालय में विज्ञान किट
की सहायता से पूरा किया है।

कार्यकलाप—3

विज्ञान किट के प्रयोग में अनुभूत कठिनाइयों का उल्लेख करिये	एकत्र करिये मिलाइये चर्चा करिये

माड्यूल

परिषदीय विद्यालयों के रख-रखाव की व्यवस्था

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय प्रदेश में जनपद स्तर पर बेसिक शिक्षा के संचालन का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों का था। ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक शिक्षा का संचालन सम्बन्धित जनपद की जिला परिषदें तथा नगरक्षेत्र में सम्बन्धित नगर निगमों द्वारा किया जाता था। जिला परिषदें तथा नगर निगमों से यह अपेक्षा की जाती थी कि बेसिक शिक्षा में, शासकीय अनुदान के अतिरिक्त, वे निजी श्रोतों से उपलब्ध आय से भी बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले व्यय भार को वहन करेगी। परन्तु इस दिशा में स्थानीय निकायों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। जिसका परिणाम यह हुआ कि जहाँ एक ओर भवनहीन विद्यालयों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही, वहीं दूसरी ओर जिन विद्यालयों में भवन उपलब्ध थे, वे मरम्मत के अभाव में जर्जर होते गये। वर्षा, गर्मी तथा शीत में खुले स्थानों पर विद्यालयों को संचालित करने का प्रतिकूल प्रभाव समूचे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ा।

स्थानीय निकायों द्वारा बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित ध्यान न देने तथा बेसिक शिक्षा के स्तर में निरन्तर ह्रास को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने जुलाई 1972 में बेसिक शिक्षा परिषद् का गठन किया तथा जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों की स्थापना कर बेसिक शिक्षा का दायित्व स्थानीय निकायों से लेकर बेसिक शिक्षा परिषद् को सौंप दिया। वर्ष 1976-77 में प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल भवनों के निर्माण का कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को सौंप दिया गया। वर्ष 1981-82 से 1984-85 तक मैदानी क्षेत्र के 40 जनपदों में यह निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया जबकि वर्ष 1979-80 से आठ पर्वतीय जनपदों में प्राइमरी स्कूल के भवनों का निर्माण कार्य ग्राम सभाओं को सौंप दिया गया क्योंकि विद्यालय भवनों का स्वामित्व बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के उपरान्त भी स्थानीय निकायों का ही बना रहा, भवनों की मरम्मत हेतु शासन द्वारा पूर्व की भाँति अनुदान स्थानीय निकायों को ही उपलब्ध कराया गया। वर्ष 1981-82 से 1984-85 तक बहुत बड़ी धनराशि स्थानीय निकायों को भवन मरम्मत के निमित्त दी गयी। स्थानीय निकायों की कमजोर वित्तीय स्थिति तथा विद्यालय भवनों की मरम्मत में उनके द्वारा अपेक्षित रुचि न लिये जाने के कारण उस धनराशि का समुचित उपयोग न हो सका। वर्ष 1985-86 में विद्यालय भवनों की मरम्मत का कार्य पंचायत राज विभाग के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया। किन्तु फिर भी मरम्मत कार्य में कोई आशातीत सफलता नहीं मिल सकी। इस प्रकार बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के उपरान्त भी विद्यालय भवनों की मरम्मत समुचित ढ़ंग से सम्पन्न नहीं हो सकी। संसाधनों की कमी तथा मरम्मत कार्य को कराये जाने के सम्बन्ध में किसी स्पष्ट नीति के अभाव में विद्यालय भवनों की स्थिति निरन्तर जर्जर हो गयी।

वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत शिक्षा के वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गये संसाधनों के अभाव को अनुभव करते हुए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयास प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत शिक्षा के क्षेत्र में सामुदायिक सहभागिता

के बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। दूसरे शब्दों में यह अनुभव किया गया कि सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाना होगा तथा समुदाय को यह सोचने के लिए अभिप्रेरित करना होगा कि विद्यालय उससे है और उसके लिए हैं। उसकी देख-रेख, मरम्मत और विकास का उत्तरदायित्व भी स्थानीय समुदाय का है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 1986 के अनुसार—" जिस हद तक सम्भव होगा, विभिन्न तरीकों से साधन जुटाये जायेंगे चन्दा इकट्ठा करना, इमारतों का रख-रखाव तथा रोजमर्रा काम में आने वाली वस्तुओं की पूर्ति में स्थानीय लोगों की मदद लेना...... ... . ये सभी उपाय न केवल राज्य संसाधनो पर बोझ को कम करने के लिये किये जायेंगे, अपितु शैक्षिक प्रणाली में जनता के प्रति जवाबदेही की व्यापक भावना को पैदा करने के लिए भी कारगर होंगे। तथापि, साधनों की समूची वित्तीय आवश्यकता के मुकाबले में इन उपायों से थोड़े ही अंश में योगदान हो पायेगा। वास्तव में सरकार तथा देशवाशियों को ही मिलकर इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए वित्तीय साधन जुटाने होंगे, यथा: प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, निरक्षरता, निवारण, देश भर में सभी वर्गों के लिए समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना, शिक्षा का सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिता बढ़ाना, शैक्षिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता और कार्यात्मकता में वृद्धि करना .... ।" (11—2)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अपेक्षाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने अगस्त 1986 में प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल के भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव की नई व्यवस्था के निमित्त रू० 380/- प्रति प्राइमरी स्कूल तथा रू० 450/- प्रति जूनियर हाईस्कूल की दर से प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों को प्रतिवर्ष कुल 3 करोड़ रूपये देने का निर्णय लिया गया। इस धनराशि में से रू० 200/- प्रति प्राइमरी स्कूल तथा रू० 225/- प्रति जूनियर हाईस्कूल भवनों की मरम्मत के लिए चिन्हित किये गये तथा शेष धनराशि विद्यालय साज-सज्जा के लिए आबंटित की गई। यह धनराशि विद्यालय के निकटवर्ती डाकघर अथवा शिड्यूल बैंक में एक सेविंग खाता खोलकर जमा करने का निर्णय लिया गया। इस खाते को "विद्यालय रख-रखाव खाता" कहा जायेगा तथा इसका संचालन ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित ग्रामसभा के ग्राम प्रधान तथा प्रधानाध्यापक अथवा प्रधानाध्यापिका के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा नगर क्षेत्र में इस खाते का संचालन एकल रूप से प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका द्वारा किया जायेगा। इस मद में अभिभावकों तथा अन्य ग्रामवाशियों द्वारा स्वेच्छा से दी गई धनराशियां भी जमा की जायेंगी।

क्रिया-कलाप—1

विद्यालय भवन मरम्मत के अन्तर्गत आप किन कार्यों को पहले करवाना चाहेंगे, प्राथमिकता की दृष्टि से एक सूची बनाइये।	एकत्र करिये चर्चा करिये

नवीन व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों में 1000-00 तक का सीमा के अन्दर, धन की उपलब्धता के आधार पर, अपेक्षित मरम्मत का कार्य नगर ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका द्वारा आगणन तैयार करके उसका पूर्वानुमोदन नगर/ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त करके अमानी तौर पर कराया जायेगा। रुपये 1000-00 से अधिक विशेष मरम्मत के कार्य का आगणन नगर क्षेत्र में स्थानीय निकाय के अवर अभियन्ता तथा ग्रामीण क्षेत्र में विकास खण्ड या ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अवर अभियन्ता से बनवाया जायेगा।

इस आगणन का अनुमोदन नगर/ग्रामीण शिक्षा समिति से प्राप्त कर निविदायें आमंत्रित की जायेंगी तथा न्यूनतम निविदा का अनुमोदन उक्त समिति से प्राप्त कर समस्त मरम्मत कार्य सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका एवं ग्राम सभा प्रधान की देख-रेख और नियन्त्रण में पूरा कराया जायेगा। मरमम्त कार्य हेतु एक अलग रजिस्टर प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका द्वारा रखा जायेगा और उसमें प्रतिदिन अमानी कार्य से सम्बन्धित भुगतान दर्ज किया जायेगा तथा तत्सम्बन्धी समस्त वाउचर्स सुरक्षित रखे जायेंगे।

"विद्यालय रख-रखाव खाता" के माध्यम से उक्त प्रकार के विद्यालय भवनों की छिटपुट मरम्मत के अतिरिक्त विशेष मरम्मत का कार्य पंचायत राज विभाग द्वारा कराया जायेगा। विशेष मरम्मत के कार्यों को सम्पादित करने के लिए पंचायतराज विभाग के बजट में प्रतिवर्ष 3 करोड़ 16 लाख का प्रावधान किया जायेगा तथा मरम्मत सम्बन्धी आगणन प्रतिवर्ष निश्चित समय सारिणी के अनुसार बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराये जायेंगे।

"विद्यालय रख-रखाव खाता" के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में एक विकास अभिदान खाता भी प्रारम्भ किया गया है जिसमें छात्रों से विकास शुल्क एवं दान के रूप में प्राप्त धनराशि रखी जाती है। विद्यालय की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस खाते से भी नगर/ग्रामीण शिक्षा समिति की स्वीकृति के उपरान्त विद्यालय भवन की छिटपुट मरम्मत का कार्य कराया जा सकता है।

क्रिया-कलाप—2

आपके विचार से "विकास अभिदान खाते" का उपयोग किन मदों में करना अधिक उपयुक्त होगा, कारण सहित संक्षेप में उल्लेख करिये	एकत्र करिये चर्चा करिये

क्रिया-कलाप—3

विकास अभिदान खाते में दान के रूप में धनराशि प्राप्त करने का प्रयास यदि आपने किया है, तो कितनी सफलता मिली, यदि सफलता नहीं मिली, तो उनके कारणों का भी संक्षेप में उल्लेख करें।	एकत्र करिये चर्चा करिये

दस दिवसीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण शिविर

(द्वितीय चक्र 1987)

समय सारिणी

सत्र का समय	विषय	मॉयूड्ल संख्या	प्रस्तुत कर्ता
1	2	3	4
9.00—10.00 पूर्वान्ह	पंजीकरण	—	केन्द्र निदेशक
10.00—11.00 ,,	उद्घाटन सत्र	—	केन्द्र निदेशक
11.00—11.15 ,,	चाय	—	—
11.15—12.15 अपरान्ह	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिन्दु	1	केन्द्र निदेशक
12.15— 1.15 ,,	तदैव	तदैव	तदैव
1.15— 2.30 ,,	भोजन	—	—
2.30— 3.30 ,,	प्रोग्राम आफ एक्शन	2	संदर्भदाता
3.30— 4.30 ,,	तदैव	2	तदैव
4.30— 5.00 सायं	चाय	—	—
5.00— 6.00 ,,	स्काउटिंग/गाइडिंग	26	स्काउट/गाइड
6.00— 7.00 ,,	खेलकूद	30	केन्द्र निदेशक शारीरिक शिक्षा अध्यापक
7.00— 7.30 ,,	शिविर में प्रतिभागियों का अनौपचारिक रूप से पारस्परिक सम्पर्क/परिचय	—	—
7.30— 8.30 ,,	भोजन	—	—
8.30— 9.30 रात्रि	कैम्प फायर/सांस्कृतिक कार्यक्रम	—	केन्द्र निदेशक/स्काउट गाइड
9.30	रात्रि विश्राम	—	—
दूसरा दिवस			
5.00— 6.00 प्रात:	उठना तथा दैनिक क्रिया स्नान आदि	—	प्रतिभागी गण
6.00— 6.10 ,,	प्रार्थना		स्काउट/गाइड
6.10— 6.45 ,,	व्यायाम तथा योगाभ्यास	—	तदैव
6.45— 7.15 ,,	शिविर निरीक्षण की तैयारी	—	प्रतिभागीगण

1	2	3	4
7.15— 7.30 ,,	निरीक्षण	—	स्काउट/गाइड
7.30— 7.45 ,,	ध्वज शिष्टाचार	—	स्काउट/गाइड
7.45— 9.00 ,,	नाश्ता/जलपान	—	—
9.00—10.00 पूर्वान्ह	मूल्यों की शिक्षा	9	संदर्भदाता
10.00—11.00 ,,	कार्यानुभव	17	तदैव
11.00—11.15 ,,	चाय	—	—
11.15—12.15 अपरान्ह	राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा	3	संदर्भदाता
12.15— 1.15 ,,	राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा	3	तदैव
1.15— 2.30 ,,	भोजन	—	—
2.30— 3.30 ,,	शिक्षको की व्यावसायिक आचार संहिता	4	केन्द्र निदेशक
3.30— 4.30 सायं	शैक्षिक विकास में सामुदायिक प्रतिभागिता	6	संदर्भदाता
4.30— 5.00 ,,	चाय	—	—
5.00— 6.00 ,,	स्काउटिंग/गाइडिंग	26	स्काउट/गाइड
6.00— 7.00 ,,	खेलकूद तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन	30	केन्द्र निदेशक शारीरिक शिक्षा
7.00— 7.30 ,,	शिविर में प्रतिभागी सम्पर्क	—	—
7.30— 8.30 ,,	भोजन	—	—
8.30— 9.30 रात्रि	कैम्प फायर/सांस्कृतिक कार्यक्रम	—	केन्द्र निदेशक स्काउट/गाइड
9.30—	रात्रि विश्राम	—	—
तीसरा दिवस			
5.00— 6.00 प्रात:	उठना तथा दैनिक क्रिया स्नान आदि	—	प्रतिभागीगण
6.00— 6.10 ,,	प्रार्थना		स्काउट/गाइड
6.10— 6.45 ,,	व्यायाम तथा योगाभ्यास		तदैव
6.45— 7.15 प्रात:	शिविर निरीक्षण की तैयारी	—	प्रतिभागीगण
7.15— 7.30 ,,	निरीक्षण	—	स्काउट/गाइड
7.30— 7.45 ,,	ध्वज शिष्टाचार	—	स्काउट/गाइड
7.45— 9.00 ,,	नाश्ता/जलपान	—	
9.00—10.00 पूर्वान्ह	कार्यानुभव (प्रयोगात्मक)	17	संदर्भदाता
10.00—11.00 ,,	बढ़ता बच्चा उसकी आवश्यकताएं और समस्यायें	10	संदर्भदाता

1	2	3	4
11.00—11.15 ,,	चाय	—	—
11.15—12.15 अपरान्ह	वंचित वर्गों के लिए समान अवसर का प्राविधान	7	संदर्भदाता
12.15— 1.15 ,,	छात्र केन्द्रित उपागम	11	संदर्भदाता
1.15— 2.30 ,,	भोजन	—	—
2.30— 4.30 ,,	विद्यालय पौधशाला (स्थलीय भ्रमण)	वन विभाग	वन विभाग के अधिकारीगण
4.30— 5.00 सायं	चाय	—	—
5.00— 6.00 ,,	स्काउटिंग/गाइडिंग	26	स्काउट/गाइड
6.00— 7.00 ,,	खेल-कूद	30	केन्द्र निदेशक शारीरिक शिक्षा अध्यापक
7.00— 7.30 ,,	शिविर में प्रतिभागी सम्पर्क	—	—
7.30— 8.30 ,,	भोजन	—	—
8.00— 9.30 रात्रि	कैम्प फायर/सांस्कृतिक/कार्यक्रम	—	केन्द्र निदेशक/ स्काउट/गाइड
9.30 ,,	रात्रि विश्राम	—	—
चौथा दिवस			
5.00— 6.00 प्रात:	उठना तथा दैनिक क्रिया, स्नान आदि	—	प्रतिभागीगण
6.00— 6.10 ,,	प्रार्थना	—	स्काउट/गाइड
6.10— 6.45 ,,	व्यायाम तथा योगाभ्यास	—	स्काउट/गाइड
6.45— 7.15 ,,	शिविर निरीक्षण की तैयारी	—	प्रतिभागीगण
7.15— 7.30 ,,	निरीक्षण	—	स्काउट/गाइड
7.30— 7.45 ,,	ध्वज शिष्टाचार	—	तदैव
7.45— 9.00 ,,	नाश्ता/जलपान	—	—
9.00—10.00 पूर्वान्ह	कार्यानुभव (प्रयोगात्मक)	17	संदर्भदाता
10.00—11.00 ,,	विद्यालय पौधशाला की स्थापना	वन विभाग साहित्य	वन विभाग के अधिकारी
11.00—11.15 ,,	चाय	—	—
11.15—12.15 अपरान्ह	वृक्षारोपण/सामाजिक वानिकी	वन विभाग का साहित्य	वन विभाग के अधिकारी संदर्भदाता
12.15— 1.15 ,,	राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन	8	संदर्भदाता
1.15— 2.30 ,,	भोजन	—	—
2 30— 3.30 ,,	संस्था योजना एवं व्यवस्था	13	संदर्भदाता

1	2	3	4
3.30— 4.30 ,,	प्रारम्भिक चरण में निरन्तर व्यापक मूल्यांकन	16	संदर्भदाता
4.30— 5.00 सायं	चाय	—	—
5.00— 6.00 ,,	स्काउटिंग/गाइडिंग	26	स्काउट/गाइड
6.00— 7.00 ,,	खेल-कूद	30	केन्द्र निदेशक शारीरिक शिक्षा अध्यापक
7.00— 7.30 ,,	शिविर में प्रतिभागी सम्पर्क	—	—
7.30— 8.30 ,,	भोजन	—	—
8.30— 9.30 रात्रि	कैम्प फायर/सांस्कृतिक कार्यक्रम	—	केन्द्र निदेशक स्काउट गाइड
9.30— ,,	रात्रि विश्राम	—	—
पांचवां दिवस			
5.00— 6.00 प्रात:	उठना तथा दैनिक क्रिया, स्नान आदि	—	प्रतिभागीगण
6.00— 6.10 ,,	प्रार्थना	—	स्काउट/गाइड
6.10— 6.45 ,,	व्यायाम तथा योगाभ्यास	—	तदैव
6.45— 7.15 ,,	शिविर निरीक्षण की तैयारी	—	प्रतिभागीगण
7.15— 7,30 ,,	निरीक्षण	—	स्काउट/गाइड
7.30— 7.45 ,,	ध्वज शिष्टाचार	—	तदैव
7.45— 9.00 ,,	नाश्ता/जलपान	—	—
9.00—10.00 पूर्वान्ह	कार्यानुभव (प्रयोगात्मक)	17	संदर्भदाता
10.00—11.00 ,,	पर्यावरण अध्ययन	22	केन्द्र निदेशक
11.00—11.15 ,,	चाय	—	—
11.15—12.15 ,,	विद्यालय में खेलकूद तथा परिचय क्रिया कलापों का आयोजन	—	केन्द्र निदेशक
12.15— 1.15 अपरान्ह	विद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यानुभव तथा खेल-कूद कार्यक्रमों के मूल्यांकन की व्यवस्था	—	तदैव
1.15— 2.30 ,,	भोजन	—	—
2.30— 3.30 ,,	विद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यानुभव तथा खेल-कूद कार्यक्रमों के मूल्यांकन की व्यवस्था	—	—
3.30— 4.30 ,,	अध्यापक एवं मूल्यांकन	32	तदैव
4.30— 5.00 सायं	चाय	—	—

1		2	3	4
5.00— 6.00	,,	स्काउटिंग/गाइडिंग	26	स्काउट/गाइड
6.00— 7.00	,,	खेलकूद	30	केन्द्र निदेशक शारीरिक शिक्षा अध्यापक
7.00— 7.30	,,	शिविर में प्रतिभागी सम्पर्क	—	—
7.30— 8.30	,,	भोजन	—	—
8.30— 9.30	रात्रि	कैम्प फायर/सांस्कृतिक कार्यक्रम	—	केन्द्र निदेशक, स्काउट/गाइड
9.30	,,	रात्रि विश्राम	—	
छठाँ दिवस				
5.00— 6.00	प्रात:	उठना तथा दैनिक क्रिया स्नान आदि	—	प्रतिभागीगण
6.00— 6.10	,,	प्रार्थना	—	स्काउट/गाइड
6.10— 6.45	,,	व्यायाम तथा योगाभ्यास	—	तदैव
6.45— 7.15	,,	शिविर निरीक्षण की तैयारी	—	प्रतिभागीगण
7.15— 7.30	,,	निरीक्षण	—	स्काउट/गाइड
7.30— 7.45	,,	ध्वज शिष्टाचार	—	स्काउट/गाइड
7.45— 9.00	,,	नाश्ता/जलपान	—	—
9.00—10.00	पूर्वान्ह	मूल्य शिक्षा	9	संदर्भदाता
10.00—11.00	,,	कार्यानुभव (प्रयोगात्मक)	17	संदर्भदाता
11.00—11.15	,,	चाय	—	—
11.15—12.15	अपरान्ह	जनसंख्या शिक्षा	19	संदर्भदाता
12.15— 1.15	,,	प्रभावी अधिगम हेतु कम लागत के उपकरण (साधन)	14	संदर्भदाता
1.15— 2.30	,,	भोजन	—	—
2.30— 3.30	,,	जन-माध्यम का प्रयोग	15	संदर्भदाता
3.30— 4.30	,,	विज्ञान-किट का उपयोग		संदर्भदाता
4.30— 5.00	सायं	चाय	—	—
5.00— 6.00	,,	स्काउट एवं गाइड नियोजन एवं संचालन	26	स्काउट/गाइड
6.00— 7.00	,,	खेल-कूद	30	केन्द्र निदेशक, शारीरिक
7.00— 7.30	,,	शिविर में प्रतिभागी सम्पर्क	—	शिक्षा अध्यापक
7.30— 8.30	,,	भोजन	—	—
8.30— 9.30	रात्रि	कैम्प फायर/सांस्कृतिक कार्यक्रम	—	केन्द्र निदेशक/स्काउट गाइड
9.30—	,,	रात्रि विश्राम	—	—
सातवाँ दिवस				
5.00— 6.00	प्रात:	उठना तथा दैनिक क्रिया स्नान आदि	—	प्रतिभागीगण

1	2	3	4
6.00— 6.10 ,,	प्रार्थना	—	स्काउट/गाइड
6.10— 6.45 ,,	व्यायाम तथा योगाभ्यास	—	तदैव
6.45— 7.15 ,,	शिविर निरीक्षण की तैयारी	—	प्रतिभागीगण
7.15— 7.30 ,,	निरीक्षण	—	स्काउट/गाइड
7.30— 7.45 ,,	ध्वज शिष्टाचार	—	स्काउट/गाइड
7.45— 9.00 ,,	नाश्ता/जलपान	—	—
9.00—10.00 पूर्वान्ह	कार्यानुभव (प्रयोगात्मक)	17	संदर्भदाता
10.00—11.00 ,,	अवर प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा शिक्षण	21	संदर्भदाता
11.00—11.15 ,,	चाय	—	—
11.15—12.15 अपरान्ह	स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा	18	संदर्भदाता
12.15— 1.15 ,,	कला शिक्षा	20	संदर्भदाता
1.15— 2.30 ,,	भोजन	—	—
2.30— 3.30 ,,	प्राथमिक विद्यालयों में बहुकक्षा शिक्षण	12	संदर्भदाता
3.30— 4.30 ,,	प्राथमिक स्तर पर छात्रों के प्रवेश और उनकी पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहन देना	5	तदैव
4.30— 5.00 सायं	चाय	—	—
5.00— 6.00 ,,	स्काउटिंग/गाइडिंग	26	स्काउट/गाइड
6.00— 7.00 ,,	खेलकूद	30	केन्द्र निदेशक/शारीरिक शिक्षा अध्यापक
7.00— 7.30 ,,	शिविर में प्रतिभागी सम्पर्क	—	—
7.30— 8.30 ,,	भोजन	—	—
8.30— 9.30 रात्रि	कैम्प फायर/सांस्कृतिक कार्यक्रम	—	केन्द्र निदेशक/स्काउट गाइड
.930— ,,	रात्रि विश्राम	—	—

आठवां दिवस

5.00— 6.00 प्रातः	उठना तथा दैनिक क्रिया स्नान आदि	—	प्रतिभागीगण
6.00— 6.10 ,,	प्रार्थना	—	स्काउट/गाइड
6.10— 6.45 ,,	व्यायाम तथा योगाभ्यास	—	तदैव
6.45— 7.15 ,,	शिविर निरीक्षण की तैयारी	—	प्रतिभागीगण
7.15— 7.30 ,,	निरीक्षण	—	स्काउट/गाइड
7.30— 7.45 ,,	ध्वज शिष्टाचार	—	स्काउट/गाइड
7.45— 9.00 ,,	नाश्ता/जलपान	—	—

1	2	3	4
9.00—10.00 पूर्वान्ह	कार्यानुभव (प्रयोगात्मक)	17	संदर्भदाता
10.00—11.00 ,,	विज्ञान शिक्षा	—	तदैव
11.00—12.15 पूर्वान्ह	पर्यावरण अध्ययन	—	तदैव
12.15— 1.15 अपरान्ह	अवर प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा शिक्षण]	—	तदैव
1.15— 2.30 ,,	भोजन	—	—
2.30— 3.30 ,,	मातृभाषा शिक्षण	—	तदैव
3.30— 4.30 ,,	प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को गणित में नए पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षित करना	24	तदैव
4.30— 5.00 सायं	चाय	—	—
5.00— 6.00 ,,	स्काउटिंग/गाइडिंग	26	स्काउट/गाइड
6.00— 7.00 ,,	खेलकूद	30	केन्द्र निदेशक, शारीरितक
7.00— 7.30 ,,	शिविर में प्रतिभागी सम्पर्क	—	शिक्षा अध्यापक
7.30— 8.30 ,,	भोजन	—	—
8.30— 9.30 रात्रि	कैम्प फायर/सांस्कृतिक कार्यक्रम	—	केन्द्र निदेशक/स्काउट/गाइड
9.30 ,,	रात्रि विश्राम	—	—

नववां दिवस

1	2	3	4
5.00— 6.00 प्रात:	उठना तथा दैनिक क्रिया स्नान आदि	—	प्रतिभागीगण
6.00— 6.10 ,,	प्रार्थना	—	स्काउट/गाइड
6.10— 6.45 ,,	व्यायाम तथा योगाभ्यास	—	तदैव
6.45— 7.15 ,,	शिविर निरीक्षण की तैयारी	—	प्रतिभागीगण
7.15— 7.30 ,,	निरीक्षण	—	स्काउट/गाइड
7.30— 7.45 ,,	ध्वज शिष्टाचार	—	स्काउट/गाइड
7.45— 9.00 ,,	नाश्ता जलपान	—	—
9.00—10.00 पूर्वान्ह	कार्यानुभव (प्रयोगात्मक)	17	संदर्भदाता
10.00—11.00 ,,	अंग्रेजी शिक्षण	25	तदैव
11.00—11.15 ,,	चाय	—	—
11.15—12.15 अपरान्ह	नयी दृष्टि, नयी दिशाएँ		तदैव
12.15— 1.15 ,,	सामान्य शिक्षा में विज्ञान का अध्यापन	23	तदैव
1.15— 2.30 ,,	भोजन	—	—
2.30— 3.30 ,,	गणित शिक्षा	24(एस)	तदैव
3.30— 4.30 ,,	विद्यालय संकुल	29	तदैव

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. 3964
Date 18/9/87

1	2	3	4
4.30— 5.00 सायं	चाय	—	—
5.00— 6.00 ,,	स्काउटिंग/गाइडिंग	26	स्काउट/गाइड
6.00— 7.00 ,,	खेलकूद	30	केन्द्र निदेशक, शारीरिक शिक्षा अध्यापक
7.00— 7.30 ,,	शिविर में प्रतिभागी सम्पर्क	—	—
7.30— 8.30 ,,	भोजन	—	—
8.30— 9.30 ,,	कैम्प फायर/सांस्कृतिक कार्यक्रम	—	केन्द्र निदेशक/स्काउट गाइड
9.30— — — ,,	रात्रि विश्राम	—	—
दसवां दिवस			
5.00— 6.00 प्रात:	उठाना तथा दैनिक क्रिया, आदि स्नान	—	प्रतिभागीगण
6.00— 6.10 ,,	प्रार्थना	—	स्काउट/गाइड
6.10— 6.45 ,,	व्यायाम तथा योगाभ्यास	—	तदैव
6.45— 7.15 ,,	शिविर निरीक्षण की तैयारी	—	प्रतिभागीगण
7.15— 7.30 ,,	निरीक्षण	—	स्काउट/गाइड
7.30— 7.45 ,,	ध्वज शिष्टाचार	—	स्काउट/गाइड
7.45— 9.00 ,,	नाश्ता/जलपान	—	—
9.00—10.00 पूर्वान्ह	कार्यानुभव (विद्यालय की कार्य योजना का निर्धारण	17	संदर्भदाता तदैव
10.00—11.00 ,,	सामान्य शिक्षा में विज्ञान का अध्ययन	23	तदैव
11.00—11.15 ,,	चाय	—	—
11.15—12.15 अपरान्ह	परिषदीय विद्यालयों के रख-रखाव की व्यवस्था	24	तदैव
12.15— 1.15 ,,	क्रमश:	25	तदैव
1.15— 2.30 ,,	भोजन	—	—
2.30— 3.30 ,,	पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण शिविर का मूल्यांकन	प्रश्नोत्तरी	संदर्भदाता
3.30— 4.30 ,,	समापन सत्र	—	केन्द्र निदेशक
4.30— 5.00 सायं	चाय	—	—
5.00— —	विसर्जन/प्रस्ताव	—	—

———